FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 25, अंक 39

गुरुवार, 16 मई, 2002
26 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 13/6/2003

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 39, गुरुवार, 16 मई, 2002/26 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 721 से 723	2–41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 724 से 740	42–64
अतारांकित प्रश्न संख्या 7482 से 7711	64–340
सभा पटल पर रखे गए पत्र	341–342
राज्य सभा से संदेश	342–343
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
छठा प्रतिवेदन	344
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
आठवां और नौवां प्रतिवेदन	344
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	344
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन	344–345
रेल संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	345
आचार संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	345–346
नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में प्रस्ताव	346–347
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया तथा फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया का पुनरुद्धार किए जाने में सरकार की निष्क्रियता	347–356
श्री सुनील खां	347, 349–352
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	347–349
श्री बसुदेव आचार्य	352–354

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	356–358
पश्चिमी बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के बारे में	363–366
नियम 377 के अधीन मामले	369–376
(एक) तिरुपति और अराकोनम के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
डा. एन. वेंकटस्वामी	369–370
(दो) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंडा शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	370
(तीन) चौरा-चौरी रेल सेवा को बिहार में रक्सौल तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	370–371
(चार) बिजली उत्पादन के लिए गुजरात को 0.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.एस. गढ़वी	371
(पांच) राजस्थान में अजमेर में विमानपत्तन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	371–372
(छह) मध्य प्रदेश के खजुराहो में अखिल भारतीय पाषाण मूर्तिकला अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	372
(सात) फरक्का बैराज परियोजना के अधीन अनुप्रयुक्त भूमि को विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को सौंपे जाने की आवश्यकता	
श्री अबुल हसनत खां	373
(आठ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके आरक्षण कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला	373–374
(नौ) उत्तर प्रदेश में झांसी और बांदा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को मानिकपुर जंक्शन तक चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सजीवन	374
(दस) गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री बीर सिंह महतो	374

विषय	कॉलम
(ग्यारह) देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने वाले ट्रस्टों को विशेष अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.सी. थामस	375
(बारह) फ्लाई-ऐश के उपयोग द्वारा पी पी सी सीमेंट बनाने हेतु एनटीपीसी और सीसीआई का संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा. चरणदास महंत	375
(तेरह) उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	376
हज समिति विधेयक	376–419
विचार करने के लिए प्रस्ताव	376
श्री उमर अब्दुल्ला	376–378, 406–416
श्री एम.ओ.एच. फारूक	378–380
श्री अली मोहम्मद नायक	380–382
श्री मोइनुल हसन	382–384
श्री अकबर अली खांदोकर	385–387
श्री रामदास आठवले	387–388
श्री रामजीलाल सुमन	388–391
श्री राशिद अलवी	391–393
श्री ई. अहमद	393–397
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	397–399
श्री पी.सी. थामस	400–402
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	402–404
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	404
श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी	404–405
खंड 2 से 52 और 1	416–419
पारित करने के लिए प्रस्ताव	419–420
नियम 193 के अधीन चर्चा	421–485, 486–514
बिहार के लिए वित्तीय पैकेज	421

विषय		कॉलम
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	421–435
	श्री राधा मोहन सिंह	435–444
	श्रीमती श्यामा सिंह	444–451
	श्री रघुनाथ झा	451–455
	श्री सुबोध राय	455–458
	श्री कीर्ति झा आजाद	458–462
	श्री रामजी लाल सुमन	462–465
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	465–471
	श्री बसुदेव आचार्य	471–474
	श्री लाल मुनी चौबे	474–479
	श्री प्रभुनाथ सिंह	479–485
	श्रीमती कान्ति सिंह	486–490
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	490–493
	डा. संजय पासवान	493–495
	श्री नवल किशोर राय	495–499
	श्री ब्रह्मानन्द मंडल	499–502
	श्री राम प्रसाद सिंह	502–504
	श्री मंजय लाल	504
	श्रीमती रेनु कुमारी	504–507
	श्रीमती वसुन्धरा राजे	507–514
अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा		
	सभा के कार्य के बारे में	486

लोक सभा

गुरुवार, 16 मई, 2002/26 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : यह न्यूज़ पेपर रिपोर्ट है। गुजरात में छपी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): जब गुजरात में रॉकेट लांचर पकड़ा गया था, वह किसने सप्लाई किया था ...*(व्यवधान)* तब क्या कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कल ही यह निर्णय लिया गया था कि माननीय सदस्य प्रश्न काल में व्यवधान नहीं डालेंगे। यदि आप चाहें तो प्रश्न काल के बाद शून्य काल में इस मामले को उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप कृपया बैठिए। यह अच्छा नहीं है। जिनका प्रश्न है, उनको प्रश्न पूछने का मौका दीजिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

देश में दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण सुविधाएं

*721. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में किन-किन शहरों और नगरों में 2001 तक दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान इन स्थानों में प्रसारण सुविधाओं की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के शहरों और नगरों में दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण सुविधाएं प्रदान करने हेतु नौवीं योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

(क) से (ग) वर्तमान में दूरदर्शन और आकाशवाणी के सिग्नलों को स्थलीय और अथवा उपग्रह पद्धति में प्रसारित किया जा रहा है। उपग्रह प्रसारण के लिए विभिन्न शहरों और कस्बों में ट्रांसमीटर स्थापित करना जरूरी नहीं है। सिग्नलों को उपयुक्त एंटीना और रिसीवर सैटों का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। स्थलीय पद्धति में दूरदर्शन की मौजूदा कवरेज जनसंख्यावार 90 प्रतिशत और क्षेत्रवार 75.5 प्रतिशत है जबकि आकाशवाणी की कवरेज जनसंख्यावार 99 प्रतिशत और क्षेत्रवार 90 प्रतिशत है। दूरदर्शन/आकाशवाणी का शेष क्षेत्र की जनसंख्या को धीरे-धीरे कवर करने का प्रयास किया। चालू वर्ष के दौरान स्थापित की जाने वाली ट्रांसमीटर परियोजनाएं अनुबंध में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित और पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	लक्षित	पूरी की गई
दूरदर्शन	603	509
आकाशवाणी	92	88

(च) शेष परियोजनाओं को पूरा करने में देरी, 1. स्थान के उपलब्ध न होने, 2. भवनों और टावरों के निर्माण में देरी, 3. उपकरणों की आपूर्ति में देरी, 4. कानून और व्यवस्था संबंधी समस्या, 5. पहाड़ी और दूरवर्ती क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण मार्गों के बंद होने के कारण देरी हुई थी।

(छ) इन परियोजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित और खर्च की गई राशि निम्न प्रकार से है:

(करोड़ रुपयों में अनुमानित)

	आवंटित	खर्च की गई
आकाशवाणी	452.93	375.00
दूरदर्शन	754.55	645.71

अनुबंध

(क) आकाशवाणी

राज्य	स्थान
1	2
आन्ध्र प्रदेश	मछरेला
छत्तीसगढ़	सरायपल्ली
गुजरात	हिम्मतनगर
जम्मू और कश्मीर	भदर्वा
	नौशेरा
	कुपवाड़ा
	राजौरा
	खलसी
	दिसकिट
	न्योमारैप
	द्रास

1	2
	टिसिरु
	पदुम
केरल	मंदेरी
मध्य प्रदेश	हांडला
	राजगढ़
मणिपुर	चुराचांदपुर
उड़ीसा	सोरो
तमिलनाडु	धर्मापुरी
पश्चिम बंगाल	शांतिनिकेतन

(ख) दूरदर्शन

2002-03 के दौरान पूरी किए जाने लक्ष्य ट्रांसमीटर योजनाएं

राज्य/संघ शासित		नये ट्रांसमीटर		स्थाई स्थापना के लिए उ.श.ट्रा. का उन्नयन
1		2		3
आंध्र प्रदेश	अ.श.ट्र.	मिरियालागुड्डा काकीनाड़ा-डीडी-2 नेल्लौर डीडी-2 कोल्हापुर तल्कोंडापल्ली	उ.श.ट्र.	विशाखापत्तनम (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्र.	माधीपाडो		
असम	अ.श.ट्रा.	सतारसर		
बिहार	अ.श.ट्र.	गया (डीडी-2) झाबुआ		
छत्तीसगढ़	अ.श.ट्र.	पंडारिया	उ.श.ट्र.	अम्बिकापर (स्थाई)
गुजरात	उ.श.ट्र.	राजकोट डीडी-2	उ.श.ट्र.	सूरत सूरत डीडी-2
	अ.श.ट्र.	वडोदरा (डीडी-2) भावनगर (डीडी-2) जामनगर (डीडी-2)		
हरियाणा	अ.श.ट्र.	होडल हिसार (डीडी-2)		

1		2	3
हिमाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्र.	झातिनगिरी	
		काजा	
		चिरगांव	
जम्मू और कश्मीर	उ.श.ट्र.	नौशेरा	कुपवाड़ा
		तिथवाल	गुरेज
		सांबा	पूंछ (डीडी-2)
		नौशेरा (डीडी-2)	कुपवाड़ा (डीडी-2)
		सांबा (डीडी-2)	गुरेज (डीडी-2)
		तिथवाल (डीडी-2)	
	अ.श.ट्र.	पाटन (सचल)	
		पटनीटाप (सचल)	
		धर्मशाल (सचल)	
	अ.अ.श.ट्र.	बोनियार	
		गडोह	
		गुल	
		गुलाबगढ़	
		गुलमर्ग	
		केरन	
		अरना	
		चेनानी	
		लोरन	
		नगरोटा	
		पुलवामा	
		शुद्धमहादेव	
		तातापानी	
		थाथरी	
		तिलेल	
झारखंड	अ.श.ट्र.	बोकारो (डीडी-2)	

1		2		3
	अ.अ.श.ट्र.	रामगढ़ हिल		
कर्नाटक	उ.श.ट्र.	मैसूर		
		धारवाड़ (डीडी-2)		
		मैसूर (डीडी-2)		
	अ.श.ट्र.	दावनगिरे (डीडी-2)		
		बेल्लारी (डीडी-2)		
	अ.अ.श.ट्र.	हुविनइपारगी		
		कुडलिगी		
केरल	अ.श.ट्र.	थिरीसुर (डीडी-2)	उ.श.ट्र.	कैनानोर
	अ.अ.श.ट्र.	इसटुपेटा		
		मुंडाकायम		
मध्य प्रदेश			उ.श.ट्र.	ग्वालियर (डीडी-2)
महाराष्ट्र	उ.श.ट्र.	जलगांव	उ.श.ट्र.	पुणे (डीडी-2) औरंगाबाद (डीडी-2)
	अ.श.ट्र.	नासिक (डीडी-2)		
		अमरावती (डीडी-2)		
		कोल्हापुर (डीडी-2)		
		सांगली (डीडी-2)		
		मालेगांव (डीडी-2)		
		अकोला (डीडी-2)		
		नांदेड़ (डीडी-2)		
		धुले (डीडी-2)		
		बदलापुर		
मेघालय	अ.श.ट्र.	चिरापूंजी		
उड़ीसा	अ.श.ट्र.	भालदा		
पंजाब			उ.श.ट्र.	फाजिल्का
				जालंधर (डीडी-2)
राजस्थान			उ.श.ट्र.	अजमेर
			उ.श.ट्र.	अजमेर

1		2		3
सिक्किम	अ.श.ट्र.	जोरथंग		
तमिलनाडु	उ.श.ट्र.	कोडईकनाल	उ.श.ट्र.	कुंभाकोणम
		डीडी-2		
	उ.श.ट्र.	मदुरै (डीडी-2)		
		इरोड़ (डीडी-2)		
		तिरूनलवेल्ली (डीडी-2)		
		तिरूपत्तुर (डीडी-2)		
त्रिपुरा	अ.श.ट्र.	अम्बाशा		
उत्तर प्रदेश	उ.श.ट्र.	फैजाबाद	उ.श.ट्र.	लखीमपुर
		कानपुर (डीडी-2)		
उत्तरांचल	अ.श.ट्र.	गोपेश्वर (देवाल)		
		मणीला		
		फाटा		
		दुगड्डा		
पश्चिम बंगाल	उ.श.ट्र.	खड़गपुर	उ.श.ट्र.	बैल्लुरघाट (स्थाई)
				कृष्णानगर (स्थाई)
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	अ.अ.श.ट्र.	कालीघाट		
		स्वराजग्राम		
पांडिचेरी			उ.श.ट्र.	पांडिचेरी

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि विभिन्न राज्यों में किन-किन शहरों और नगरों में 2001 तक दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई थी। मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि उपग्रह प्रसारण के लिए विभिन्न शहरों और कस्बों में ट्रांसमीटर स्थापित करना जरूरी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पट्टी प्रतापगढ़ में एक ऐसा एरिया है जहां आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों बिल्कुल ठीक से नहीं पकड़ते। पट्टी लखनऊ और बनारस के बिल्कुल मध्य में है। मंत्री जी ने लिखित उत्तर में यह भी कहा है कि दूरदर्शन 90 प्रतिशत और क्षेत्रवार 75.5 प्रतिशत कवर कर रहा है जबकि आकाशवाणी 99 प्रतिशत और क्षेत्रवार 90 प्रतिशत कवर कर रहा है। उस एरिया में अभी भी ठीक से न दूरदर्शन का कोई चैनल आता है और न ही आकाशवाणी के सारे चैनल मिलते है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस पर विचार करेंगी कि पट्टी में दूरदर्शन और आकाशवाणी का केन्द्र खोला जाए या नहीं? दुनिया आकाशवाणी और दूरदर्शन में इतनी विकसित हो गई है लेकिन वह एक ऐसा क्षेत्र है जो वंचित हो रहा है। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि आस-पास के 5-6 जिले उससे प्रभावित होंगे और लखनऊ और बनारस दोनों के आकाशवाणी और दूरदर्शन के सारे चैनल उस क्षेत्र में आ जाएंगे जिससे काफी लाभ होगा? मंत्री जी ने दूसरे उत्तर में लिखा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह सप्लीमैंट्री प्रश्न में पूछिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : इस प्रश्न के नौ पार्ट्स हैं। यह लम्बा और महत्वपूर्ण क्वश्चन है।

अध्यक्ष महोदय : आप जो दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह पूछिये।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है, संतोष गंगवार जी का क्षेत्र है और जोशी जी का क्षेत्र है। लेकिन पिछले तीन वर्षों में वहां एक भी केन्द्र न तो आकाशवाणी का खोला गया है, न दूरदर्शन का खोला गया है। पूरे देश में अन्य तमाम क्षेत्रों में खोले

गये हैं। उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है, माननीय मंत्री जी ने ऐसा क्यों किया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने कई पूरक प्रश्न पूछे हैं, मैं सभी का उत्तर एक-एक करके देना चाहूंगी। सबसे पहले उन्होंने मेरे लिखित उत्तर का सन्दर्भ लिया, मैंने कहा कि शहरवार लगाना जरूरी नहीं है, वह सही है। शहरवार लगाना इसलिए जरूरी नहीं है कि एल.पी.टीज. और एच.पी.टीज. लगाते हैं तो उनकी एक रेंज होती है, जैसे अगर एक जगह 10 किलोवाट का एच.पी.टी. लगा दें तो वह लगभग 70 किलोमटर की रेंज ले लेता है, इसलिए 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाले बाकी शहरों और कस्बों में लगाना जरूरी नहीं होता। इसी तरह एल.पी.टी. की रेंज 20 से 25 किलोमीटर होती है। जहां एल.पी.टी. लग जाये तो उसके बराबर के 20-25 किलोमीटर की जगह के शहरों और कस्बों में लगाना जरूरी नहीं होता। इसीलिए आपने मेरे लिखित उत्तर का सन्दर्भ लिया। उसका आगे विस्तार करते हुए मैं यह कहना चाहूंगी, मैंने इसलिए कहा था कि शहरवार लगाना जरूरी नहीं होगा।

आपने अपने क्षेत्र के पट्टी तहसील का जिक्र किया। सिंह साहब का संसदीय क्षेत्र मछलीशहर है और मछलीशहर में दो जिले जौनपुर और प्रतापगढ़ आते हैं। पूरा का पूरा जौनपुर जिला वाराणसी और लखनऊ दोनों के एच.पी.टीज. से कवर होता है। प्रतापगढ़ जिला इलाहाबाद से कवर होता है और कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है, जो इन दोनों जगहों को कवर न होती हो। आपने पट्टी की बात की, लेकिन अलग से हम रानीगंज तहसील का भी एग्जामिनेशन ऑलरेडी करा रहे हैं, जो हमारे विचाराधीन है, हम ऑलरेडी इसके ऊपर लगे हुए हैं। अगर रानीगंज तहसील का एग्जामिनेशन, सर्वे होकर यह आता है कि वहां एल.पी.टी. लगाना चाहिए तो पट्टी उससे भी कवर हो जायेगा। जैसा मैंने कहा कि पट्टी प्रोपर में ही लगे तो पट्टी कवर हो, ऐसा नहीं है। इस समय आपका पूरा का पूरा संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद और वाराणसी के एल.पी.टी. और एच.पी.टी. कवर हो रहा है।

जहां तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी आये हैं, उत्तर प्रदेश से सोनिया जी आई हैं, आपने संतोष जी का जिक्र किया, लेकिन आप भूल गये कि मैं भी राज्य सभा में उत्तर प्रदेश से ही आई हूं और इसलिए उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से नकारने की बात नहीं है। आपने कहा कि तीन वर्षों में एक भी नहीं लगा तो यह बिल्कुल तथ्य से परे है। मैं आपको बता दूं कि मेरे आने के बाद दो जगह डी.डी. II लगे हैं, एक शाहजहांपुर में और एक सुल्तानपुर में। ये दोनों हमारे आने के बाद स्वीकृत हुए हैं और अब चालू होने जा रहे हैं। मेरे पीछे मेरे प्रिडिसेसर बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि लखनऊ वे अपने समय में करके आये हैं, इसलिए यह कहना कि तीन साल में कोई नहीं लगा, यह एल.पी.टी. लगता है तो पट्टी उससे कवर हो जायेगा, लेकिन पूरा मछलीशहर संसदीय क्षेत्र इस समय इलाहाबाद और वाराणसी के एच.पी.टी. और एल.पी.टी. से कवर हो रहा है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि पट्टी और रानीगंज एक ही तहसील थी। अब ये अलग हो गई हैं। रानीगंज में ही अगर आप केन्द्र खोल दें तो ज्यादा बैटर रहेगा, क्योंकि वह क्षेत्र रहता है। मंत्री जी ने कहा कि शाहजहांपुर और सुल्तानपुर में लगाया तो उत्तर में कहीं भी शाहजहांपुर और सुल्तानपुर का जिक्र नहीं है। हमने पूरा उत्तर देखा है, इसमें लखीमपुर खीरी का जिक्र है, सुल्तानपुर का नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उसका इसलिए नहीं है कि जिस वर्ष का आपने आंकड़ा मांगा है, उस वर्ष में नहीं लगे थे। वह 2001-2002 के हैं, इसलिए उसका जिक्र नहीं है। जब आप एक वर्ष का आंकड़ा मांगते हैं तो जवाब उसी वर्ष का दिया जाता है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : दूसरी चीज आपने बजट के बारे में दी है कि आकाशवाणी को 452.93 करोड़ आबंटित किया गया था, जिसमें से खर्च 375 करोड़ हुआ और दूरदर्शन को 754.55 करोड़ दिया गया, जिसमें से 645.71 करोड़ खर्च हुआ। इसी के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी जानकारी में भी है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सी.बी.आई. ने काफी अधिकारियों को पकड़ा भी है, कुछ अधिकारियों के यहां से दो करोड़ रुपये तक भी मिले हैं, जो पूरे बिस्तर पर लगे हुए थे। ये चर्चाएं भी मण्डी हाउस के बारे में हैं कि दूरदर्शन में प्रोग्राम पास करने से लेकर हर तरह से भ्रष्टाचार होता है। जो अधिकारी वहां गड़बड़ कर रहे हैं, खरीद-फरोख्त में दलाली हो रही है, इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ा रहे हैं, सामान की चोरियां हो रही हैं और कार्यक्रमों को पास कराने में रिश्वत ली जाती है, तो इन सबको रोकने के लिए क्या प्रयास किया गया है? मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि कितने अधिकारियों पर आरोप निर्धारित किए गए हैं, कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है और कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है? इसके अलावा पट्टी के लिए तो अभी घोषणा कर दें कि आपके समय में ही वहां केन्द्र खोल दिया जाएगा। पट्टी और रानीगंज एक ही हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने पहले ही आपके कहे बिना कहा है कि रानीगंज का एक्जामिन चल रहा है। लगता है वहां एल.पी.टी. लगेगा, लेकिन एक्जामिन होना जरूरी है। जो आपने कहा कि आकाशवाणी को पैसा ज्यादा आबंटित हुआ, खर्च कम हुआ या दूरदर्शन को पैसा ज्यादा आबंटित हुआ और खर्च कम हुआ, तो मेरे लिखित जवाब के ऊपर का आंकड़ा इसका जवाब बताता है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, वह पूरा नहीं हुआ। इन

अनुसार पैसा मिलता है। अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो बाकी का पैसा सरंडर करना पड़ता है। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ इसलिए पैसा कम खर्च हुआ। ये दोनों आंकड़े आपस में सम्बद्ध हैं। दूसरी बात आपने अधिकारियों के बारे में कही है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सवाल का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है कि कितने अधिकारियों पर क्या-क्या कार्रवाई हुई। अगर यह आंकड़ा आप चाहते हैं तो मैं अलग से आपको भिजवा दूंगी।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष जी, दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विभाग हमारी मंत्री जी के पास है। अभी आपने जो आंकड़े दिए, उनके माध्यम से पिछले तीन साल में आपने कहा कि लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ इसलिए पैसा बचा हुआ है। 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हुई, लेकिन 100 प्रतिशत नहीं हो पाई। जो रेवेन्यू रिटर्न है, उसमें दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो में इतमी कमी क्यों आ रही है? सन् 2001 में वह 711 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस वर्ष घटकर केवल 484 करोड़ रुपए पर आ गई है। इसके अलावा दूरदर्शन के स्तर में गिरावट आ रही है, उसकी क्वालिटी में भी गिरावट आ रही है, उसके क्या कारण हैं? दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रसार भारती आटोनॉमस बॉडी है। उसके माध्यम से ये दोनों चलाए जाते हैं। गरीब जनता के लिए दूरदर्शन ही एकमात्र ऐसा चैनल है, जिसको वह देख सकती है, क्योंकि निजी चैनल होने के कारण आम लोग इसको नहीं देख पाते। इसलिए वे दूरदर्शन को ही देखते हैं। लेकिन उसकी क्वालिटी में गिरावट आ रही है। इसके साथ-साथ जो निजी चैनल हैं, जैसे स्टार टी.वी. है, जी टी.वी. है या आज तक है, उनके साथ कम्पीटिशन में दूरदर्शन कहीं टिक नहीं पा रहा है। इसका कारण है कि उसके रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह कम मिल रही हैं। दूरदर्शन पर हमारा जो नेशनल बुलेटिन है, उसमें संसद के समाचार प्रसारित किए जाते हैं। सारे देश में इसका प्रसारण होता है, लेकिन तमिलनाडु खासकर चेन्नई में इस चैनल पर जब संसद समाचार आते हैं, तो उसका प्रसारण रोक दिया जाता है। इसके अलावा वहां हिन्दी में सारे कार्यक्रम रोक दिए जाते हैं। जब प्रसार भारती आटोनॉमस बॉडी है, तो किसके कहने पर तमिलनाडु खासकर चेन्नई में हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण बंद कर दिया जाता है? वहां लाखों लोग उत्तर भारत के भी रहते हैं। वे चाहते हैं कि वे हिन्दी के कार्यक्रम दूरदर्शन पर देखें और समाचारों को भी देखें। इसलिए इन कार्यक्रमों को चालू कराने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रही हैं? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एच.पी.टी. के बारे में आपने जो फिगर दिया है, वह काफी कम है। हमारे क्षेत्र चन्द्रपुर में एल.पी.टी. को अपग्रेड करके एच.पी.टी. में बदला जा रहा है। यह कार्य इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। आप एल.पी.टी. को शिफ्ट करके एच.पी.टी. लगाने जा रही हैं, तो उसके होने के बाद क्या वहां उसका उपयोग मैट्रो चैनल दिखाने में भी किया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के भाग बी का उत्तर पहले देना चाहूंगी, क्योंकि वह प्रश्न उनके संसदीय क्षेत्र से सम्बन्धित है। कितने भी दूसरे सवाल हों, जब स्वयं से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो उसको जानने की जिज्ञासा होती है इसलिए मैं पहले उसका उत्तर देती हूं।

श्री नरेश पुगलिया : आप पहले सवाल का जवाब पहले दे दें, इसका भले ही बाद में दे दें, क्योंकि पहला सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह देश की राष्ट्रभाषा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर आघात हो रहा है और वहां की जनता हिन्दी के कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन पर देखना चाहती है, यहां तक कि आज तक का जो प्रसारण होता था, उसको भी बंद कर दिया गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं बिल्कुल उसी क्रम से जवाब दे देती हूं जिस क्रम से उन्होंने सवाल पूछे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : कल यह चिंता मैंने व्यक्त की थी, आज वह कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपका भी जवाब बिना आपके सप्लीमेंट्री पूछे इसी में दे दूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछूंगा। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : पुगलिया साहब ने सबसे पहले कहा कि हमने लक्ष्य की पूर्ति नहीं की। लगभग 80 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की है और सौ प्रतिशत नहीं की, यह बात सच है। लेकिन लिखित में आंकड़े दिये हैं कि हम लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाये लेकिन उसकी पूर्ति नहीं करने का कारण है। हालांकि इस स्थिति को मैं दुखद मानती हूं कि जितना लक्ष्य हमने निर्धारित किया, उसको हम पूरा नहीं कर पाये, उसके लिए कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बार चीजें नियंत्रण के बाहर हो जाती है। इसलिए औचित्य बन जाता है। आपने देखा कि दूरदर्शन के करीब 94 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो सके हैं लेकिन उसका कारण यह है कि जैसे हमने एचपीटीज के लिए जो टॉवर्स लगाने का काम जिस कंपनी को दिया था, वह कंपनी उसको पूरा नहीं कर पाई। इसी तरह से हमारे कुछ प्लान्स थे जो बहुत बाद में स्वीकृत हुए जिसके कारण लक्ष्य अधूरा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सांसदों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो। जो लक्ष्य हम निर्धारित करें, वह पूरा करें, इस तरह की व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं

ताकि आगे कम से कम इस तरह की कोई शिकायत न हो कि लक्ष्य का निर्धारण पूरा नहीं हो पाया। जो कार्यक्रम की बात की है और यह कहा है कि 'आज तक', 'स्टार टी.वी.' और बाकी जो आये हैं, उनके मुकाबले में दूरदर्शन टिक नहीं पा रहा है। एक तो यह फैक्चुअली इंकरैक्ट है। शायद दिल्ली में बैठकर हम लोग क्योंकि ये सारे चैनल देख पाते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है या दिल्ली में हम लोग शाम को जिन जगहों पर इकट्ठे होते हैं, वहां लोग ज्यादातर दूसरे चैनल्स देखते हैं। इसलिए हमारी धारणा बन जाती है कि दूरदर्शन नहीं टिक रहा है लेकिन वास्तव में पूरे देश का आकलन करें तो पूरे देश में जो पीटीआरपी दूरदर्शन की है, उतनी पीटीआरपी सारे सैटेलाइट चैनल्स को इकट्ठे मिलाकर भी नहीं है। इसलिए यह कहना कि दूरदर्शन के स्तर में गिरावट आ रही है या दूरदर्शन प्रतियोगिता में नहीं टिक पा रहा है, यह सत्य से परे हैं। अभी आपने जो बात चेन्नई और तमिलनाडु के बारे में कही कि वहां संसद समाचार नहीं आ रहे हैं। अगर यह बात सत्य हुई तो हम निश्चित रूप से इसका निराकरण करेंगे। लेकिन यह कहना कि डीडी-I पर हिन्दी के कार्यक्रम नहीं आते हैं, रीजनल सैटेलाइट सर्विस की हमने बाकायदा विंडो दी है और उसके अलावा डीडी-I हर जगह आता है। उसमें डीडी-I के जितने कार्यक्रम जिस भाषा के होते हैं, वे उसी भाषा में दिखाई जाते हैं। इसलिए यह कहना कि डीडी-I के कार्यक्रम वहां नहीं दिखाई जाते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। जो क्षेत्रीय सेवा है, जैसे आप तो स्वयं मुम्बई से आते हैं, आपने देखा होगा कि जो रीजनल सेवा आती है, उसमें मराठी कार्यक्रम आते हैं। बाकी पूरा डीडी-नेशनल, जो कार्यक्रम जिस भाषा में आ रहा है, वह पूरे देश में दिखाई जाएगा। उसके भाग का जो ए है, तीनों का कार्यक्रम पूरे देश में दिखाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : मैडम, यह जानकारी मेहरबानी करके ठीक करवा लें। वहां हिन्दी के अंदर कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं होते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे जानकारी सही नहीं मिली तो यह मेरा अधिकार है। आप मुझे प्रोटेक्ट करिए अगर माननीय मंत्री महोदया सदन को गलत जानकारी दे रही हैं। ...*(व्यवधान)* हमने मैडम को राइटिंग में 6 मार्च को कंप्लेंट की है। मेरे पास चेन्नई और तमिलनाडु से कई पत्र आये हैं और हमने राइटिंग में शिकायत दी भी है। इसलिए मेहरबानी करके आप उसकी जांच कराएं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैंने सांसद जी के खड़े हुए बिना यह कहा कि यह जानकारी मुझे आज ही मिली है और उसके बारे में निश्चित रूप से पता लगाऊंगी और यह भी कहा कि उसका निराकरण करूंगी। हमने केवल जानकारी तक जवाब नहीं रखा, मैंने यह भी कहा कि जो आज आपने जानकारी दी है, उसके बारे में पता करवा लूंगी और उसका निराकरण भी करूंगी। अब मैं बी-भाग का जवाब दे दूं। भाग-बी में जो उन्होंने कहा कि उनके यहां चन्द्रपुर में एचपीटी लग रहा है, वह एक महीने बाद पूरा हो जाएगा। मैं पहले आपको खुशखबरी दे दूं कि वह एचपीटी पूरा हो गया है। उसमें एक महीने की देरी नहीं है और मैं संसद महोदय से कहना चाहूंगी कि वह सुविधा से अपनी तिथि बता दें क्योंकि वह स्वयं उद्घाटन करेंगे क्योंकि हमने यह तय किया है कि कमीशनिंग में देरी न हो। उसके लिए स्थानीय सांसद की सुविधा से तारीख लेकर उद्घाटन करवा दिये जाएं। अभी हमने चालीस ऐसे उद्घाटन करवाए हैं। आप आज ही बाहर हमें अपनी तारीख दे दें। मैं इस सत्र के समाप्त होने के बाद यदि आप चाहेंगे तो एक सप्ताह के अंदर ही उद्घाटन होगा कि एचपीटी लग गया क्योंकि मैंने यह कहा कि जो एमपीटी हम वहां से हटा रहे हैं, उसको हम डीडी-II में बदल देंगे। पहले मैं बता दूं कि वह एमपीटी पन्द्रह साल पुराना है और पन्द्रह साल में लगभग जीवन पूरा हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और वह किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए उस एलपीटी को डीडी-II में बदलना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है, लेकिन वहां के लिए एचपीटी तैयार है।

इसके अलावा छतरपुर के माननीय सांसद कह रहे थे कि वे खड़े नहीं होंगे, लेकिन उनकी एक बहुत पुरानी मांग है कि छतरपुर के एलपीटी को एचपीटी अपग्रेड कर दिया जाए और लौंडी में लगा दिया जाए। महोदय, आपकी अनुमति से मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि छत्रपुर के एलपीटी को एचपीटी में अपग्रेड करने के लिए एग्जामिनेशन चल रहा है। इस एलपीटी की भी वही स्थिति है कि यह 15 साल पुराना हो गया है, इसलिए लौंडी में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एचपीटी के बारे में एग्जामिनेशन चल रहा है।

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, मेरे अंतिम प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपका यह सवाल इससे संबंधित नहीं है। आप अलग से पूछेंगे, तो मैं जवाब दूंगी।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि पहाड़ी क्षेत्रों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों और कोंकण में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जवली, पाटन, शिराला तहसीलों में दूरदर्शन का प्रसारण बेहतर नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अल्प क्षमता वाले ट्रांसमीटर या उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर टावर लगाकर पश्चिमी घाटों, विशेषत: सतारा जिले के कराड़ तहसील में वसंतगढ़ में प्रसारण में सुधार करने संबंधी कोई योजना है। यह परियोजना स्वीकृत हो चुकी थी लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण यह अन्य स्थान पर चली गई। सतारा जिले के कराड़ तहसील के वसंतगढ़ में प्रसारण टावर लगाने की मांग लम्बे समय से की जाती रही है।

अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पर काम किया जाएगा और निकट भविष्य में इसे पूरा किया जाएगा।

श्री एस. बंगारप्पा : महोदय, कर्नाटक में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी यही हाल है। यहाँ भी प्रसारण समुचित स्तर का नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल एक है, लेकिन जवाब दो के देने होते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, हिल्ली एरियाज में ट्रांसमीशन डिफ्रेंट है और यह बात सच है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रांसमीटर लगा देते हैं, लेकिन पहाड़ के कारण शैडो आ जाती है और इस कारण साफ दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा, जब जनसंख्या के आंकड़े देते हैं, तो एरिया कवरेज के भी आंकड़े देते हैं और उसमें अन्तर आ जाता है। मैंने आज जो आंकड़ा दिया है, उसमें जनसंख्या ज्यादा कवर हो रही है और एरिया कम कवर हो रहा है। उन्होंने वसंतगढ़ क्षेत्र के बारे में कहा है। कराड और सतारा तहसील एरिया स्पैसेफिक है, इसलिए इसकी जानकारी लेनी होगी कि अभी वसंतगढ़ के बारे में कोई योजना है या नहीं। अगर कोई योजना होगी, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगी। अगर योजना नहीं है, तो उसका एग्जामिनेशन करवा लेंगे कि क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसको लिया जा सकता है।

जहां तक कर्नाटक के माननीय सांसद, श्री एस. बंगरप्पाजी के प्रश्न का सवाल है, वही बात आप पर भी लागू होती है, जो इन सांसद महोदय पर लागू होती है।

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि वह जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष रुचि ले रही हैं।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर राज्य के बार्डर एरियाज और हिल्ली एरियाज में अभी दूरदर्शन के सिगनल नहीं आते हैं और आपने वायदा किया है कि बार्डर एरियाज के मुख्तलिक जगहों पर, नाम माननीय मंत्री जी के पास लिखे हैं, रेडियो स्टेशन कायम करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन क्षेत्रों के बारे में क्या प्रगति हुई है?

[جموں کشمیر راجیہ کے بارڈر ایریاز اور ہلی ایریاز میں ابھی دوردرشن کے سگنل نہیں آتے ہیں اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ بارڈر ایریاز کے مختلف جگہوں پر، نام معزز وزیر جی کے پاس لکھے ہیں، ریڈیو اسٹیشن قائم کریں گے۔ میں آپ کے ذریعے سے معزز وزیر جی سے جاننا چاہتا ہوں، ان علاقوں کے بارے میں کیا ترقی ہوئی ہے؟]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए 430 करोड़ रुपए का एक खास पैकेज है, जो हम लोगों ने बनाया था और जिसमें आकाशवाणी दूरदर्शन और सोफ्टवेअर शामिल थे। यह पैकेज लगभग कम्पलीट हो गया है। इसमें 19 प्रोजैक्ट्स बचे हैं, जिनमें से छ: प्रोजैक्ट एच.पी.टी. के हैं और नौशेरा, सांबा और किश्तवाड़ में दो-दो एलपीटी लगने हैं। किश्तवाड़ में डीडी-I और डीडी-II का काम जुलाई में पूरा हो जाएगा और नौशेरा व सांबा में अगस्त में पूरा हो जाएगा। यह मैंने पहले ही बताया कि यह 430 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट है। हमारी प्लानिंग थी कि इसमें कोई भी एरिया नहीं बचे और खास तौर से जो बार्डर का क्षेत्र है, वह पूरा हो जाए। जिस रेडियो स्टेशन के बारे में आप कह रहे थे, वह रेडियो स्टेशन भदरवाह है, जिसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। जो साइट हमने सिलैक्ट की थी, वह साइड सिक्योरिटी फोर्सेज ने ली हुई थी। वह अब खाली हो गई है और भदरवाह रेडियो स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा। मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि कश्मीर से संबंधित पूरा पैकेज हम इस वर्ष पूरा कर लेंगे।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 75 प्रतिशत क्षेत्र दूरदर्शन से कवर किया जा चुका है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान मध्य प्रदेश के एक जिले रीवा की

ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चुनाव के दर्मियान आप वहां गई थीं और आपने वायदा किया था कि आप रीवा जिले के विकास में कायापलट कर देंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आज की स्थिति में रीवा जिला आपके दूरदर्शन डीडी-I और डीडी-II से वंचित है, क्योंकि वहां रिसीवर, एंटिना या ट्रांसमीटर, जो भी तकनीक लगी हुई है, उसका क्षेत्र बहुत कम है। 75 प्रतिशत लोग राष्ट्रीय प्रसारण से वंचित रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एलपीटी को एचपीटी में कब तक बदल देंगे जिससे समूचा क्षेत्र कवर हो जाए और पूरे देश में जो 75 प्रतिशत क्षेत्र दूरदर्शन का कवर हुआ है, उसको 100 प्रतिशत कब तक कर देंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, माननीय सांसद ने याद दिलाया कि मैं चुनाव के दौरान रीवा गई थी और वहां भाषण दिया था, तो चुनाव में तो मैं भाषण ही दूंगी। इसमें कोई नयी बात नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य को चुने हुए तीन साल हो गए हैं, आपने आज तक इस बारे में कभी नहीं बताया कि रीवा का 75 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है, जिसमें प्रसारण नहीं हो रहा है। मुझे यह बात सुनकर हैरानी हुई है, क्योंकि रीवा कोई हिल्ली क्षेत्र नहीं है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : महोदय, मैंने इस बारे में दो पत्र लिखे थे। मैं आपको पत्र दिखा दूंगा। आपका यह कहना गलत है कि मैंने कभी पत्र नहीं लिखा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में प्रश्न मत पूछिए। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : मंत्री जी ने कहा है कि मैंने कभी पत्र नहीं लिखा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने कहा है, मुझे हैरानी हुई है कि रीवा का 75 प्रतिशत क्षेत्र अनकवर्ड है, क्योंकि रीवा मैदानी क्षेत्र है। यदि कोई हिल्ली क्षेत्र या दूरदराज क्षेत्र के सदस्य कहें कि उनके क्षेत्र में यह स्थिति है, तो बात समझ में आती है। मुझे यह सुनकर हैरानी हो रही है कि रीवा का 75 प्रतिशत क्षेत्र अनकवर्ड है। मैं इसको कवर करने के लिए प्रयास करूंगी।

जहां तक आपने कहा है कि पूरे देश में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत प्रसारण कब तक हो जाएगा, तो यह स्थिति साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने यह लक्ष्य रखा है। अभी तक 90 प्रतिशत जनसंख्या का आधार है और जैसे-जैसे साधन मिलते जायेंगे, हम 100 प्रतिशत करेंगे।

श्री सोहन पोटाई : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि देश में कोने-कोने में दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण की सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में आदिवासी लोग रहते हैं और इस दूरदराज इलाके में आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल्स स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में पाखंजुर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर कोई भी चैनल साफ दिखाई नहीं देता है, जबकि मंत्री जी ने कहा है कि देश के हर संबंधित क्षेत्र में हर भाषा में कार्यक्रम पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कांकेर जिला, बस्तर जिला और दांतेवाड़ा जिले में, जहां पर कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के चैनल पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे हैं, इन जिलों में सर्वे करके ट्रांसमीटर या एन्टीना के माध्यम से व्यवस्था करने की कोई योजना है या नहीं? अगर कोई योजना है, तो क्या मंत्री महोदय उसे इस वर्ष में पूरा करायेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, संयोग से मेरे सहयोगी राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश से ही हैं और छत्तीसगढ़ उन नवनिर्मित राज्यों में हैं, जिन तीन राज्यों का गठन इस सरकार के आने के बाद हुआ है। इसके लिए हम विशेष पैकेज की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि स्वयं मेरे सहयोगी राज्य मंत्री व्यक्तिगत रुचि लेकर माननीय सदस्य के प्रश्नों का निराकरण करें।

[अनुवाद]

श्री वैको : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताने के लिए माननीय मंत्री महोदया का धन्यवाद करता हूं कि निजी चैनल दूरदर्शन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। समूचे देश में दूरदर्शन ही देखा जाता है क्योकि सब लोगों तक निजी चैनलों की पहुंच नहीं है। अब एक बड़ी खेल प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हालांकि यह मुख्य प्रश्न से प्रत्यक्षत: संबंधित नहीं है क्योंकि मंत्री महोदया ने कहा है कि दूरदर्शन निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले विश्व कप फुटबाल के दौरान दूरदर्शन ने ही देश भर के दर्शकों को यह भव्य आयोजन दिखाया था। यह विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। विश्व कप फुटबाल को दुनियाभर में सबसे अधिक दर्शक देखते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि पिछले विश्व कप जैसी ही सुविधा प्रदान करें ताकि देश भर के लोग विश्व कप फुटबाल देख सकें। क्या आप ऐसा करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री महोदया को उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : कल ही मैंने यह प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदया ने उत्तर भी दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने सोचा कि मंत्री महोदय की मदद करूं। ...*(व्यवधान)* और मंत्री महोदया बदले में हमें यह सुविधा प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, हालांकि यह सप्लीमेंट्री इस सवाल से संबंधित नहीं है, लेकिन सदन की भावनाओं को देखते हुए, और कल जैसे मेरा एक बिल था, इससे संबंधित भी नहीं था तो भी बहुत से माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया। मैं केवल यह बताना चाहूंगी कि नेगोसिएशंस अभी चल रही हैं। इसमें दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि वर्ल्ड राइट्स कहीं और बिकते हैं और वर्ल्ड राइट्स दूसरे लोग खरीद लाते हैं। अभी-अभी हमें पता चला है कि टेन स्पोर्ट्स वालों ने वर्ल्ड राइट्स और टेरस्ट्रियल राइट्स को भी खरीदा है। आपकी जो भावनाएं हैं, देश के लोग वर्ल्ड कप फुटबाल दूरदर्शन के थ्रु देखना चाहते हैं, इसलिए हमने प्रसार भारती के अधिकारियों से बात की है। अभी नेगोसिएशंस चल रही हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश की भावनाओं को देखते हुए हम इसे दिखाएं। अब कितना संभव होगा, जैसे मैंने कहा कि नेगोसिएशंस के बाद में सदन को बताऊंगी कि हम किस नतीजे पर पहुंचे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं, वैसे तो कोई भी काम जो सरकार करती है वह जनहित को ध्यान में रख कर ही करती है। हमने मंत्री जी को पहले एक पत्र लिखा था, उसका जो उत्तर गया है, वह नेगेटिव गया है। हमने उस पत्र में लिखा था कि मसरक, जो छपरा जिले का एक प्रमुख व्यवसाय स्थान और एक अच्छा शहर भी है, जहां दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए कहा था। मंत्री जी ने उसका सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें यह था कि दूरी कवर कर जाता है, लेकिन हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि पटना के बाद सीवान में, जो कि उत्तर प्रदेश की अंतिम सीमा है और बीच में मसरक पड़ता है, आप हवाई मार्ग से दूरी कवर कराते हैं, वहां दूरदर्शन पर साफ नहीं आता है, झिलमिलाता रहता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप विशेष परिस्थिति में अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए मसरक में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित कराने की कृपा करेंगी। बिहार भोजपुरी इलाका है और वहां 60 प्रतिशत लोग भोजपुरी भाषाभाषी हैं। पहले से चौपाल कार्यक्रम पटना दूरदर्शन से चल रहा था, यह बंद हुआ था लेकिन हमने आपको पत्र लिखा था तो शायद शुरू भी हो गया, जो हमारी जानकारी में है। हम यह चाहते हैं कि 10 मिनट दूरदर्शन से भोजपुरी में समाचार प्रकाशित कराने की कृपा करें, जिससे 60 प्रतिशत भोजपुरी लोगों को भी सम्मान मिले।

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सांसद महोदय ने मशरख के बारे में कहा कि मैंने नकारात्मक जवाब भेजा। वास्तव में जब उनका पत्र आया था तब नौवीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति के कगार पर थी और उस समय साधन भी नहीं थे, इसलिए नकारात्मक जवाब गया। जब अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो दसवीं पंचवर्षीय योजना शुरु हो चुकी है। इसलिए इस नये संदर्भ में हम उसका दुबारा से परीक्षण कराएंगे और कोशिश करेंगे कि सकारात्मक उत्तर भेज सकें। जहां तक भोजपुरी का सवाल है तो आपने स्वयं कहा कि चौपाल कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है। जो आपने न्यूज की बात की है तो उसका निरीक्षण कराएंगे और फिर आपको जवाब देंगे।

[अनुवाद]

श्री के.ए. संगतम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से एक-दो प्रश्न करना चाहता हूं। हमने मंत्री महोदया के मुंह से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के लिए पैकेजों की बात सुनी है। लेकिन, हमारी पैकेजों में रुचि नहीं है। हम चाहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण हों। आज स्थिति यह है कि चीन, म्यांमार और थाइलैण्ड जैसे पड़ोसी देश टीवी और रेडियो के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में घुस रहे है। दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाएं इन भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए, पैकेजों और विशेष कार्यक्रमों की बात करने की बजाय हमें विभिन्न बोलियों के अधिक से अधिक केन्द्र खोलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए; उदाहरणार्थ नागालैण्ड में 17 बोलियां हैं। वहां अधिकांश लोग हिन्दी नहीं समझते और ग्रामीण लोग अंग्रेजी नहीं समझते। अत: एक किलो वाट वाले और अधिक एफ एम चैनल केंद्र खोले जाने चाहिए। दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए आपको सभी जिला मुख्यालयों पर प्रसारण केंद्र खोलने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, कोहिमा में दूरदर्शन केंद्र है लेकिन यहां पर बहुत ही कम कर्मचारी हैं। जनशक्ति की कमी के कारण चौकीदार और चपरासियों तक से दूरदर्शन के कार्यक्रम बनवाए जा रहे हैं। इसलिए, मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि वहां और अधिक स्टाफ लगाएं ताकि वे दूरदराज के स्थानों पर नागालैंड में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अच्छे कार्यक्रम दिखा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदया से समुचित उत्तर का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं प्रौपर-आन्सर ही दूंगी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि अगर सरकार किसी जगह के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था करती है तो धारणा यह होती है कि वह उस क्षेत्र की विशेष चिंता कर रही है। यह कहना कि स्पेशल पैकेज की बात मत करो, तो मैं कहना चाहती हूं कि बार्डर एरियाज में तो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम : पैकेज दिए जाते हैं लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि अगर वहां दूरदर्शन की कवरेज पूरी होती, अगर दूरदर्शन अच्छी तरह काम कर रहा होता तो हम विशेष पैकेज क्यों लाते। आखिरकार हमने जम्मू-कश्मीर और नार्थ-ईस्ट को विशेष पैकेज के लिए चुना, तीन नये राज्यों को विशेष पैकेज के लिए चुना तो इसलिए चुना कि हम उनकी विशेष चिंता कर रहे हैं। बार्डर-एरियाज में तो दूरदर्शन अच्छी तरह दिखाई नही देता है, इसलिए हमने नार्थ-ईस्ट के लिए विशेष पैकेज बनाया है जिसमें उन तमाम एरियाज को कवर करने की बात की है। जहां तक आपने कहा कि वहां बहुत डायलैक्ट्स बोले जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी नहीं समझी जाती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि एआईआर के समाचार सारे डायलैक्ट्स में देने की व्यवस्था है। कुल-मिलाकर 100 से ज्यादा भाषाओं में एआईआर के समाचार प्रकाशित होते हैं। हर 20 किलोमीटर पर बोली बदलती है जिसमें एआईआर समाचार प्रकाशित करता है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, हम यूपी असैम्बली में रहे तब हमने देखा कि 14 सवालों से कम कभी नहीं हुए। 26 सवाल तक वहां हुए हैं लेकिन यहां एक सवाल पूछा जाता है तो भाषण के रूप में पूछा जाता है और उत्तर भी भाषण के रूप में दिया जाता है और हमारी तरफ से भी भाषण होता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, एक पूरक प्रश्न की जगह अगर आठ पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे तो फिर आठों का जवाब दिया जाएगा। अगर मैं एक प्रश्न का जवाब नहीं देती हूं तो खड़े होकर कहते हैं कि इसका जवाब नहीं दिया। इसलिए माननीय मुलायम सिंह जी, मैं कोई भाषण नहीं दे रही हूं। अगर एक पूरक प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब एक का आयेगा लेकिन अगर एक सप्लीमेंटरी में आठ सप्लीमेंटरी पूछे जाएंगे तो आठ का जवाब आयेगा, नहीं तो मिनिस्टर को इन-इफैक्टिव माना जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तो अपने लिए भी कह रहे हैं, आप तो वैसे ही गुस्सा होने लगीं।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, लिखित उत्तर में एक बड़ी खामी है। महाराष्ट्र के एक जिले को आंध्र प्रदेश के जिले के रूप में दर्शाया गया है। इसे ठीक किया जाना चाहिए, अन्यथा यह गलत ही चला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इसे ठीक किया जाएगा।

[हिन्दी]

जहां डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वही पर रहेगा। आप फिक्र मत करो।

सौर ऊर्जा का उत्पादन

*722. **श्री वाई.जी. महाजन** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक कितनी मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) एक विवरण सदन-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) भारत पर पड़ने वाली सौर विकिरण ऊर्जा लगभग 5000 ट्रिलियन किवा घंटा/वर्ष है। एक वर्गमीटर से अधिक क्षैतिज सतह पर औसत विकिरण आपतन लगभग 5.5 किवा. घंटा/प्रतिदिन है। देश के अधिकांश भागों में एक वर्ष में लगभग 250-300 दिन साफ धूप वाले होते हैं। सौर ऊर्जा का दोहन दो अलग-अलग विधियों के माध्यम से किया जा सकता है:- सूर्य की धूप से सीधे ही विद्युत उत्पादन के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) विधि और विभिन्न तापन अनुप्रयोगो एवं विद्युत उत्पादन के लिए सौर तापीय (एसटी) विधि। 1 वर्ग कि.मी. भूमि क्षेत्र से भारत में सौर

ऊर्जा के द्वारा 20-35 मेवा. विद्युत का उत्पादन करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है। यदि 2% समग्र कुशलता के साथ सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए देश में 1% भूमि क्षेत्र को उपयोग में लाया जाता है तो 600,000 मेवा. से अधिक विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है।

तथापि, यह सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए केवल तकनीकी संभाव्यता है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की लागत अभी भी पारंपरिक विकल्पों की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त बड़े आकार के सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए बड़े प्रारंभिक निवेशों की आवश्यकता पड़ती है, यद्यपि उनको चलाने की लागत पारंपरिक विद्युत संयंत्रों की तुलना में पर्याप्त रूप से कम हो सकती है। केन्द्रीकृत विद्युत संयंत्रों से बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए सौर प्रौद्योगिकियां अभी भी विश्व में किसी भी स्थान पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं बनी है। तथापि, सौर प्रकाशवोल्टीय विधि के माध्यम से लघु विद्युत अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा से विद्युत का विकेन्द्रीकृत उत्पादन और उपयोग अनेक परिस्थितियों में काफी महत्वपूर्ण बन गया है। इसके अलावा, तापन अनुप्रयोगों जैसे जल तापन और खाना पकाने के लिए तापीय विधि के माध्यम से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है।

सौर ऊर्जा की संभाव्यता का ईष्टतम और किफायती ढंग से दोहन करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे रोशनी, जल पंपन, दूरदराज के गांवों और बस्तियों का विद्युतीकरण, जल तापन और खाना पकाने के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना हेतु देशव्यापी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस मंत्रालय के कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा प्रणालियों जैसे सौर लालटेन, सौर घरेलू प्रणालियां, सड़क रोशनी प्रणालियां, सौर जल पंपन प्रणालियां, स्टैंड एलोन एवं ग्रिड सम्बद्ध एसपीवी विद्युत संयंत्र, घरेलू एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सौर जल तापक और सौर कुकर लगाए गए हैं। पिछले दशक के दौरान कई अन्य संगठनों ने भी विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक आधार पर एसपीवी प्रणालियों का इस्तेमाल करना आरंभ किया क्योंकि ये प्रणालियां अन्य विकल्पों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाई गई हैं। इन प्रणालियों को ग्रामीण टेलीफोनों, बैटरी चार्जिंग, पानी की आपूर्ति, रेलवे सिग्नलिंग, कम क्षमता के पावर ट्रांसमीटरों, कैथोडिक संरक्षण आदि के लिए विद्युत उपलब्ध कराने हेतु इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

(ख) देश में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए 31 मार्च, 2002 तक स्थापित एसपीवी प्रणालियों और विद्युत संयंत्रों की समग्र क्षमता लगभग 55 मेवा. (अनंतिम) है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रणालियों से लगभग 193 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन : अध्यक्ष महोदय, क्या इस समय देश में विशेष कर महाराष्ट्र में सौर उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं? यदि हां तो उनके क्या नाम हैं और प्रत्येक परियोजना की कितनी अधिलाषित क्षमता है? इन परियोजनाओं के निर्माण पर मार्च 2002 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई? इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अभी कितनी धनराशि की आवश्यकता है और प्रत्येक विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है?

[अनुवाद]

श्री एम. कन्नप्पन : माननीय सदस्य ने विशेष तौर पर महाराष्ट्र के बारे में पूछा है। मेरे पास राज्य विशेष के ब्यौरे नहीं है। वह अलग से प्रश्न कर सकते हैं ताकि मैं अलग से उत्तर दे पाऊँ।

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन : अध्यक्ष महोदय, क्या सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु समतल पैनल देश में कार्य कर रहे हैं? यदि हां तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार एवं राज्यवार इन पैनलों के माध्यम से विद्युत का कुल कितना उत्पादन हुआ और सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री एम. कन्नप्पन : मेरे पास राज्य-वार विवरण नहीं हैं। वह अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना प्राप्त कर उन्हें भेज दें।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल माननीय मंत्री जी के जवाब से बना है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हिन्दुस्तान में पैदा हुए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमें कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। मंत्री जी के जवाब में भी लिखा है कि कुदरत की देन हिन्दुस्तान पर है। कुछ यूरोपीय देशों की तुलना में 250 से 300 खिली धूप वाले दिन होते हैं, यह ईश्वर की इस देश की देन है। यदि आज यहां सूरज निकला है तो कल

भी निकलेगा, एक साल के बाद भी ऐसे निकलेगा, 10 साल के बाद भी ऐसे निकलेगा, तीन सौ और तीन हजार साल के बाद भी ऐसे निकलता रहेगा लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में 6 महीने निकलेगा या 10 साल तक निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब भाग्यशाली हैं। इसे 1991 में एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। इसके खास उद्देश्य थे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1999 से 2000 तक इसमें खास प्रगति नहीं हुई है। जो प्रोजैक्ट्स लगाए गए वे भी विफल हो गए हैं। इसके कारण भी मंत्री जी ने अपने जवाब में दिए हैं। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन टैक्निकली मुझे जो दो कारण यहां बताए गए हैं।

[अनुवाद]

दो प्रमुख कारण हैं; पहला, डिजाइन की समस्या है और दूसरी संचालनात्मक समस्या है जिनका हवाला माननीय मंत्री जी के उत्तर में भी दिया गया है।

इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या माननीय मंत्री मुझे बताएँगे कि उनके मंत्रालय द्वारा सैल के प्रतिस्थापन के बाद सोलर फोटोवोल्टिक रूट में सुधार कर उसे किफायती बनाकर संचालन और रख-रखाव की समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरे, 1991 के बाद से फोटोवोल्टिएक सैल्स अनुसंधान और विकास, उत्पादन, राजसहायता, प्रतिस्थापन उपरान्त रख-रखाव पर कितना धन खर्च किया गया है?

श्री एम. कन्नप्पन : सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्वायत्त समितियों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त कालेजों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, आदि किसी भी अनुसंधान संगठन में चलाई जाने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सहायता देती है। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की संवीक्षा एक विशेषज्ञ समिति करती है और सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित करती है। विश्व भर में सोलर सैल्स की लागत कम करने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में भी, एफोरमस सिलिकॉन सोलर सैल्फ के क्षेत्र में इंडियन एसोसिएसन कल्टीवेशन, कोलकाता और नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, नई दिल्ली में काम किया गया है और उन्होंने एफोरमस सिलिकॉन सैल्स विकसित किए हैं। अब 'भेल' ने मंत्रालय के पूर्ण वित्तपोषण से एक प्रायोगिक संयंत्र लगायी है। अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का जोर फिलहाल सोलर सैल्स और माड्यूल्स की लागत कम करने के लिए सिलिकॉन सोलर सैल्स माड्यूल प्रौद्योगिकी और थिन फिल्म सोलर प्रौद्योगिकी में सुधारों को आगे बढ़ाना है। अनुसंधान और विकास कार्यों के तहत ये गतिविधियां चलाई जा रही हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री सुबोध मोहिते : जी नहीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय श्री जाधव नहीं, अध्यक्ष महोदय करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील : विकास के लिए बिजली आवश्यक है और उपलब्ध जीवाश्म ईंधन सीमित है। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम ऊर्जा के चिरस्थायी स्रोत का प्रयोग करें, ऐसे में सौर ऊर्जा हमारी मदद कर सकती है। सरकार से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यदि हम एक प्रतिशत भूमि का दो प्रतिशत कुशलता से भी उपयोग करें तो भी हम प्रतिवर्ष तो भी हम प्रतिवर्ष 600,000 मैगावाट बिजली पैदा कर पाएंगे। इसमें एकमात्र बाधा उस प्रौद्योगिकी का सुधार ही है, जो हमारे पास उपलब्ध है। इस काम के लिए हमारे पास बेहतर गुणवत्ता वाला सामान, एक अलग किस्म की प्रणाली और अलग किस्म के उपकरण होने चाहिए।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस कार्य हेतु नए किस्म की प्रणाली और उपकरण विकसित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री में सुधार के लिए क्या कर रही है, क्या उनके पास कोई संदर्शी योजना है या नहीं और इस कार्य पर वे कितनी राशि खर्च कर रहे हैं।

श्री एम. कन्नप्पन : महोदय, देश में फोटो वोल्टिएक प्रणाली का बड़े पैमाने पर प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हमने फोटो वोल्टिएक वस्तुओं पर आयात शुल्क में रियायत जैसे कई प्रोत्साहन दिए है। वर्ष-दर-वर्ष उत्तरोत्तर रूप से शुल्क में कमी की गई है। वर्तमान में, सिलिकॉन-वैफर्स, सोलर सैल्स और फोटोवोल्टिएक मॉड्यूल्स के विनिर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों पर 0-5 प्रतिशत और सोलर सैल्स और फोटो वोल्टिएक मॉड्यूल्स पर 15 प्रतिशत शुल्क लागू है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वस्तुओं पर कोई आयात शुल्क नहीं है। देश में विनिर्मित सिलिकॉन वैफर्स, सोलर सैल मॉड्यूल्स और विभिन्न फोटोवोल्टिएक सैल्स जैसी मदों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है। सौर ऊर्जा इकाइयों को सरकार की ओर से ये रियायतें पहले ही दी गई हैं।

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या सरकार को कर्नाटक राज्य में बिजली की भारी कमी होने की जानकारी है? अपारम्परिक ऊर्जा की संभावना वाले इस बड़े राज्य में ऊर्जा के ऐसे विभिन्न स्रोतों

का कितना दोहन किया गया है? क्या इस संबंध में केरल सरकार का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है?

श्री एम. कन्नप्पन : केरल सरकार का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, एक समय केंद्र और राज्य सरकारें सौर ऊर्जा पर राजसहायता देती थी; ताकि उपभोक्ताओं के लिए इसे घटिया गुणवत्ता और रखरखाव के लिए अधिक खर्च के बावजूद आकर्षक बनाया जा सके।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि केंद्र सौर ऊर्जा पर राजसहायता जारी रखने के लिए कितना दबाव बना सकता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देश भर में जो सरकारी प्रतिष्ठान बनाए गए हैं उनमें सौर ऊर्जा उपकरण क्यों नहीं लगाए गए हैं? इससे आज बिजली उत्पाद लागत की बचत कर पाएंगे और यह अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण बनेगा। क्या सरकार अतिवादी गतिविधियों से ग्रस्त खम्माम जिले जैसे दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज देने पर विचार कर रही है? यदि हम इन क्षेत्रों में प्रकाश करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सके तो यह बड़ी उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि न क्षेत्रों में अतिवादी हिंसा पर काबू पाने के काम में भी सहायता मिल सकती है।

श्री एम. कन्नप्पन : महोदय, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को दूर-दराज के ऐसे 18,000 गांवों की विद्युतीकरण का काम सौंपा गया है जिनमें परम्परागत ग्रिड से बिजली पहुंचाना मुश्किल है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का विचार इन गांवों में सौर ऊर्जा चालित विकेन्द्रीकृत उत्पादन, छोटे जल-विद्युत और बायो-मास के माध्यम से गांव के आकार और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने की है। घर में लगाए जाने वाली या गांव में प्रस्थापित की जाने वाली विद्युत संयंत्र प्रणाली के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाए।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाएं

***723. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के निर्माण पर मार्च, 2002 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अभी कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) प्रत्येक विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ङ) वर्तमान में देश में कुल 13387 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता के लिए 218 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरा सदन के पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (नं. मेगावाट (मेगावाट)		वर्तमान लागत (लाख रु. में)	3/2001 को समाप्ति (लाख रु. में)	व्यय हेतु शेष	चालू करने का कार्यक्रम	अभियुक्ति
1	2	3	4		5	6	7	8	9
केन्द्रीय क्षेत्र									
1.	नाथपा झाकरी (एनजेपीसी)	एच.पी.	6 × 250	1500	766631	537090	229541	2003-04	
2.	दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जे एण्ड के	3 × 130	390	355977	287849	68128	2003-04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	चमेरा चरण-II (एन.एच.पी.सी.)	एच.पी.	3 × 100	300	168402	61634	106768	2004-05
4.	लोकटक डी/एस (एन.एच.पी.सी.)	मणिपुर	3 × 30	90	57862	1393	56469	2008-09
5.	तीस्ता चरण-V (एन.एच.पी.सी.)	सिक्किम	3 × 170	510	219804	16263	203541	2006-07
6.	धौलीगंगा (एन.एच.पी.सी.)	उत्तरांचल	4 × 70	280	157831	42714	115117	2004-05
7.	टिहरी चरण-I (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	4 × 250	1000	569064	320746	248318	2002-04
8.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	4 × 100	400	130156	5826	124330	2005-06
9.	तुरियल (नीपको)	मिजोरम	2 × 30	60	44819	3759	41060	2006-07
10.	कोपिली चरण-II (नीपको)	असम	1 × 25	25	9935	3945	5990	2003-04
11.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी)	एम.पी.	8 × 125	1000	338132	122655	215477	2003-06
	कुल (केन्द्रीय क्षेत्र)			5555	2818613	1403874	1414739	
राज्य क्षेत्र								
उत्तरी क्षेत्र								
12.	बगलियाहार	जे एण्ड के	3 × 150	450.00	381000	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2006-07
13.	स्वालकोट	जे एण्ड के	3 × 200	600.00	758600	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2009-10
14.	डब्ल्यू वाई सी-II	हरियाणा	2 × 7.2	14.40	9400	1540	7860	2003-04
15.	लाशबी	एच.पी.	3 × 42	126.00	79698	28068	51630	2004-05
16.	शाहपुरकंडी[8]	पंजाब	2 × 40 + 2 × 40 + 1 × 8	168.00	166700	8280	158420	2006-07
17.	मुकेरियन	पंजाब	2 × 8.25	16.50	16000	54	15946	2006-07
18.	लखवर व्यासी[9]	उत्तरांचल	3 × 100 + 2 × 10	420.00	144600	24351		11वीं योजना
19.	मनेरी भाली-II	उत्तरांचल	4 × 76	304.00	124918	16290	108628	2006-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	जखम	राजस्थान	2 × 2.5	5.00	2494	62	2432	2005-06	
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)			2103.90	1683410	78645	344916		
पश्चिमी क्षेत्र									
21.	सरदार सरोवर	गुजरात/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	6 × 200 + 5 × 50	1450.00	326725	219029	107696	2003-06	
22.	बाणसागर टॉस चरण-2 व चरण-3	म.प्र.	2 × 15 + 3 × 20	90.00	97081	82909	14172	2000-03	चरण-1 की यूनिट-1 चालू चरण-3 की यूनिट 1 और 2 चालू
23.	बाणसागर टॉस चरण-4	म.प्र.	2 × 10	20.00	8497	536	7961	2004-05	
24.	मारहीखेड़ा	म.प्र.	2 × 20	40.00	17738	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2004-05	
25.	घाटघार पीएसएस	महाराष्ट्र	2 × 125	250.00	120000	28626	91374	2004-05	
	कुल (पश्चिमी क्षेत्र)			1850.00	570041	331100	221203		
दक्षिणी क्षेत्र									
26.	श्रीसेलम एलबीपीएच	आ.प्र.	6 × 150	900.00	248200	226967	21233	2000-04	यूनिट 1 और चालू यूनिट-3 चालू
27.	बृन्दावन[#]	कर्नाटक	2 × 6	12.00	5124	830	4294	2004-05	
28.	मालनकारा	केरल	3 × 3.5	10.50	4157	625	3532*	2002-03	
29.	कुटियाडी टेलरेस	केरल	3 × 1.25	3.75	1338	790	548	2004-05	
30.	पाइकारा	तमिलनाडु	3 × 50	150.00	37306	19137	18169	2002-04	
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)			1076.25	296125	248349	47776		
पूर्वी क्षेत्र									
31.	चांडिल	झारखंड	2 × 4	8.00	3249	3067	182	2002.03	
32.	उत्तर कोयल[#]	झारखंड	2 × 12	24.00	4734	3600	1134	10 वीं योजना	
33.	पोत्तेरू	उड़ीसा	1 × 3 + 1 × 3	6.00	1883	2041	अनुपलब्ध	2002-03	लागत समीक्षाधीन
34.	बालीमेला बांध टॉस पीएच[#]	उड़ीसा	2 × 30	60.00	6930	2000	4930	11 वीं योजना	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	राम्मम चरण-I#	पं.बंगाल	3 × 12	36.00	17659	18	17641	11 वीं योजना
36.	पुरूलिया पीएसएस	पं.बंगाल	4 × 225	900.00	318890	13391	305499	2006-07
37.	रोपेल-I#	सिक्किम	2 × 4.5	9.00	4500	126	4374	2003-04
	कुल (पूर्वी क्षेत्र)			1043.00	357845	24243	333760	
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
38.	कारबी लांग्पी$ (लोअर बोरपानी)	असम	2 × 50	100.00	26727	14739	11988	2003-04
39.	धनश्री$	असम	5 × 3 × 1.33	20.00	7000	3997	3003	2004-05
40.	लिकिम-रो	नागालैंड	3 × 8	24.00	21588	19116	2472	2001-03 यूनिट 1-और 2 चालू
41.	मिंटू	मेघालय	2 × 42	84	363	130	233	2006-07
	कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)			228.00	55678	37982	17696	
	कुल (राज्य क्षेत्र)			6301.15	2973099	72.319	965351	
निजी क्षेत्र								
42.	बास्पा चरण-2		3 × 100	300.00	94923	100179	अनुपलब्ध	2003-04 लागत समीक्षाधीन
43.	धानवाड़ी सुंडा		2 × 35	70.00	43995	167	43828	2005-06
44.	नियोगल		2 × 7.5	15.00	9125	300	8825	10 वीं योजना
45.	विष्णुप्रयाग		4 × 100	400.00	161466	26800	135666	10 वीं योजना
46.	श्रीनगर$		4 × 82.5	330.00	1699112	3480	166432	2005-06
47.	महेश्वर		10 × 40	400.00	167300	58892	108408	2005-07
48.	बूथाथनकेट्टू$		16.00	16.00	4726	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10 वीं योजना
	कुल (निजी क्षेत्र)		5131.00	651447	188818	463159		

उपरोक्त में से पहले ही चालू की गयी निवल जल विद्युत क्षमता 521.00
क्रियान्वयनाधीन निवल जल विद्युत क्षमता 12866.15
#परियोजना के कार्य अभी शुरू किए जा रहे है।
$परियोजना के कार्य रोके गए हैं।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बिजली के बारे में है और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज बिजली सुविधा नहीं एक जरूरत बन गई है। देश और व्यक्ति विशेष के विकास के लिए बिजली एक अभिन्न अंग बन चुकी है। देश के लोगों को बिजली पर्याप्त मात्रा में सस्ती और सरलता से मिले, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सरकार के मंत्रालय में जो जल परियोजनाएं हैं, उनकी अपनी एक महत्ता हैं। जल परियोजनाओं से बिजली सस्ती लागत में पैदा की जा सकती है। इसलिए इनका अपना महत्व है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण में हो चुके विलम्ब के कारणों की समीक्षा की गई है। यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के संबंध में विलम्ब के लिए कितनी बार और कब-कब विचार किया गया तथा विचार के बाद विलम्ब होने के क्या-क्या कारण पाये गये तथा उन परियोजनाओं में पुनरावृत्ति हुई है। यदि हां तो इसके कारण बतायें।

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जल विद्युत निर्मित करने की क्षमता एक लाख पचास हजार मेगावाट से भी ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक हमें इसमें से सिर्फ 17 प्रतिशत पोटेन्शियल को ही एक्सप्लॉयट कर पाये हैं। आज भी 83 प्रतिशत पोटेन्शियल एक्सप्लॉयट करना बाकी है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं तो उससे हम लांग टर्म में देश की फ्यूल सिक्युरिटी, इनर्जी सिक्यूरिटी की कंसर्न्स को एड्रैस कर पायेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आगे आने वाले दिनों में हाइड्रो पोटेन्शियल को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयट करना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि जो परियोजनाएं बनेगी, उनकी जो ओरिजनल कॉस्ट है, उनकी लागत का जब अंतिम क्षण आता है तो उनकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमने आज तक देखा है कि जो भी परियोजनाएं बनीं, उनमें 15 से 20 साल तक का विलम्ब हुआ है और कुछ परियोजनाओं की ओरिजनल कॉस्ट 700 से 800 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ी है। इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए तथा उसके कारणों में जाने की जरूरत है। उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो ये देखती है। लेकिन मैं मानता हूं कि यह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमें प्रिवैन्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि जब यह परियोजनाएं पूरी हो जाए। इसलिए भारत का इतिहास में पहली बार हमने पूरी 1,50,000 मेगावाट की पोटेन्शियल की प्रिलिमिनरी सर्वे और इनवैस्टीगेशन जी.आई.एस. और जी.पी.एस. के माध्यम से कराया है।

मैं यह मानता हूं यह बहुत काम हमने अपने देश में किया है और आज हमारे पास जो 400 परियोजनाएं हैं जिनसे 1 लाख 60 हजार मैगावाट से ज्यादा बिजली निर्माण हो सकती है, ऐसी सभी परियोजनाओं की पूरी तरह से रैंकिग स्टडी हमने की है। हमारी छः रिवर फ्लोइंग सिस्टम्स हैं, उसकी बेसिनवाइज़ सर्वे हमने किया है उसके बाद विश्व में ऐसे जो राष्ट्र हैं जिनके साथ चर्चा हुई है जिसमें कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे और स्वीडन आदि है, जो राज्य ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्शिल के डैवलपमेंट में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, ऐसे देशों के साथ हम जुलाई महीने में पोटेन्शियल एक्सप्लॉइट करने के लिए सर्वे कराएंगे और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में पूरा पोटेन्शियल एक्सप्लॉइट होगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि हमारी परियोजनाओं की कॉस्ट न बढ़े, इसके लिए हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है ताकि हमारी पद्धति सरल और ट्रांसपेरेन्ट हो, उसमें किसी तरह की मिसगिविंग लोगों को न हो, उस सिस्टम को मिसयूज़ और एब्यूज करने की सम्भावना न हो। उसकी रिपोर्ट भी तीन महीने में आ जाएगी। वह रिपोर्ट भी मैं सदन के सामने रखूंगा ताकि आने वाले दिनों में जो परियोजना बनेंगी, उसकी कॉस्ट ओवरन और टाइम ओवररन होने की संभावना कम हो जाएगी।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : उत्तर में कब कब विचार किया गया है, वह विस्तार से नहीं बताया गया है। यदि माननीय मंत्री जी विस्तार से भेजने का कष्ट करेंगे ....।

श्री सुरेश प्रभु : मैं तो सोच रहा था कि आपने उत्तर पढ़ा होगा इसलिए मैंने नहीं दिया।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : मान्यवर, जिस तरह से आज के हालात को हम देखें तो चाहे घरेलू बिजली हो या खेत की बिजली हो, किसान अपनी बिजली का बिल नहीं भर पाता, घरेलू उपभोक्ता अपनी बिजली का बिल नहीं भर पाता। कारण यह है कि बिजली की लागत बहुत ज्यादा है और उससे बिजली की लागत बहुत ज्यादा है और उससे बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। जितनी सस्ती बिजली उसे चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा इन निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन की लागत का भी आकलन किया गया है। यदि हां, तो प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना की बिजली लागत क्या है और परियोजना के तहत प्रति 1000 मेगावाट कितनी उत्पादन क्षमता स्थापित करने हेतु क्या लागत आ रही है, कृपया इसका विवरण दें।

श्री सुरेश प्रभु : हर परियोजना की लागत अलग होती है क्योंकि वहां की जियोलांजिकल कंडीशन्स, सिस्योरिटी कॉस्ट वगैरह सब देखकर की जाती है। यदि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के

बारे में जानना चाहेंगे तो आपको जानकारी दी जाएगी। जो स्टेटमेंट स्कुलेट किया है, उसमें सभी परियोजनाएं, जिनका काम चल रहा है...।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : मेरा तात्पर्य यह है कि बिजली सस्ती मिले।

श्री सुरेश प्रभु : उसके बारे में सरकार को चिन्ता है। कास्ट ऑफ जनरेशन और कास्ट ऑफ डिलीवर्ड पावर कम हो, इसके लिए जो हमने अलग-अलग कदम उठाए हैं, मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा आने वाली परियोजनाओं की कीमत पिछली परियोजनाओं की तुलना में इतनी ज्यादा नहीं होगी, जितनी पहले होती थी।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनको पूरा करने का लक्ष्य कुछ तो दसवीं पंचवर्षीय योजना में है और कुछ का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो पुराने अनुभव हैं, वे ठीक नहीं हैं। मैं जल विद्युत परियोजना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जवाहरलाल जी के जमाने से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो जल परियोजनाएं बनी थीं, वह तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम योजनाएं बनाए और उनको पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित न करें तो एक तो उत्पादन लागत बढ़ती है और दूसरा जिन वर्गों को लाभ होने वाला है, वह भी उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि परियोजनाएं बन गई हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम आपके पास होना चाहिए वरना उत्पादन लागत बढ़ेगी और जो वर्ग उससे लाभान्वित होने वाले हैं, वे भी उस लाभ से वंचित रह जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता तथा निर्माण के लिए विचाराधीन परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता को मिला देने के बाद भी देश में बिजली उत्पादन की कितनी क्षमता शेष रह जाती है जिसका उत्पादन और उपयोग किया जा सकता है?

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष जी, जलविद्युत निर्मिति की जैसा मैंने बताया हमारे देश की पूरी क्षमता 1.50 लाख मैगावाट की हमने देखी थी। उसमें से अभी तक हम 17 प्रतिशत पोटेंशल का दोहन कर पाए हैं। बैलेंस पोटेंश्यल अभी उपयोग करना बाकी है। 1,06000 मैगावाट की 399 स्कीमों का प्रीलिमीनरी ब्यौरा रैडी हैं, जिनको लेने के लिए आगे-आगे कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उपभोक्ताओं को पैसा वापस करना

*724. **कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता न्यायालयों ने राज्य-वार कितने मामलों में रेलवे को उपभोक्ताओं का पैसा वापस करने का निदेश दिया है;

(ख) रेलवे द्वारा मुआवजे के भुगतान पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या रेलवे इस संबंध में हुई हानि को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) राज्यवार ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें उपभोक्ता न्यायालयों ने रेलों को 1.1.2000 से 31.12.2001 तक की अवधि के दौरान ग्राहकों को पैसा वापस करने के लिए निदेश दिए हैं, निम्नलिखितानुसार है :

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या
1	2	3
1.	असम	3
2.	बिहार	31
3.	पश्चिम बंगाल	7
4.	मध्य प्रदेश	52
5.	महाराष्ट्र	51
6.	उत्तर प्रदेश	122
7.	गुजरात	8
8.	तमिलनाडु	14
9.	आंध्र प्रदेश	32
10.	कर्नाटक	4
11.	दिल्ली	21
12.	केरल	38
13.	राजस्थान	65

1	2	3
14.	हरियाणा	7
15.	हिमाचल प्रदेश	13
16.	चंडीगढ़	20
17.	पंजाब	34
18.	झारखंड	5
19.	उड़ीसा	4
20.	छत्तीसगढ़	3
21.	अन्य राज्य	कोई नहीं
	कुल	534

(ख) 1.1.2000 से 31.12.2001 की अवधि के दौरान, उपभोक्ता न्यायालयों के निदेशों के अनुसार विभिन्न मामलों में 13,30,864 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

(ग) और (घ) जी हां। इन मामलों से संबंधित कारणों का रेलों द्वारा समय-समय पर विश्लेषण किया जाता है और निवारक उपाय किए जाते हैं, जिनमें कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें परामर्श और प्रशिक्षण देना, गाड़ियों में मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की निरीक्षण करना, नियमों और कार्यविधियों को सरल बनाना आदि शामिल हैं, ड्यूटियों के निष्पादन में लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है।

[अनुवाद]

नए तेल शोधक कारखानें

***725. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अब तक स्थापित किए गए तेल शोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तेल शोधक कारखाने का कार्यनिष्पादन कैसा रहा;

(ग) क्या सरकार का दसवीं योजना के दौरान नए तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन तेल शोधक कारखानों की स्थापना हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा 16 तेल रिफाईनरियों की स्थापना की गई है। उनके नाम, कच्चा संसाधन क्षमता और कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) तेल शोधन उद्योग जून 1998 में लाइसेंसमुक्त किया गया था। लाइसेंसमुक्ति के बाद तेल रिफाइनरियों की स्थापना कम्पनियों द्वारा अपनी जरूरत के अनुसार की जा सकती है। दसवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा निम्न नई तेल रिफाइनरी परियोजनाएं कार्यान्वयधीन हैं :

(1) 6,354 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की मध्य प्रदेश में बीमा में 6 मिलियन मीट्रिक प्रतिवर्ष (एम.एम.टी.पी.ए.) क्षमता वाली रिफाइनरी।

(2) 9.982 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की उड़ीसा में पारादीप में 9 एम एम टी पी ए क्षमता वाली रिफाइनरी।

(3) 9.806 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की पंजाब में भटिंडा में 9 एम एम टी पी ए क्षमता वाली रिफाइनरी।

विवरण

रिफाइनरी क्षमता उपयोग

क्र.सं.	रिफाईनरियां	1999-2000			2000-01			2001-02		
		क्षमता एमएमटीपीए	वास्तविक एमएमटी	% उपयोग	क्षमता एमएमटीपीए	वास्तविक एमएमटी	% उपयोग	क्षमता एमएमटीपीए	वास्तविक एमएमटी	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आईओसीएल-रिफाइनरियां									
1.	आईओसीएल-मथुरा	7.50	8.13	108	7.88	7.13	91	8.00	8.03	100
2.	आईओसीएल-कोवाली	11.25	11.11	99	12.50	12.00	96	13.10	11.70	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	आईओसीएल-हल्दिया	3.75	4.11	109	3.75	3.87	103	4.18	4.02	96
4.	आईओसीएल-बरौनी	3.30	3.41	103	4.20	3.12	74	4.20	2.88	68
5.	आईओसीएल-गुवाहाटी	1.00	0.91	91	1.00	0.71	71	1.00	0.66	66
6.	आईओसीएल-डिग्बोई	0.65	0.60	93	0.65	0.68	105	0.65	0.65	100
7.	आईओसीएल-पानीपत	6.00	4.15	69	6.00	5.71	95	6.00	5.82	97
	योग :	33.45	32.42	97	35.98	33.22	92	37.13	33.76	91
	एचपीसीएल-रिफाइनरियां									
8.	एचपीसीएल-मुंबई	5.50	6.00	109	5.50	5.58	101	5.50	5.63	102
9.	एचपीसीएल-विशाखा	4.75	4.55	96	7.50	6.41	85	7.50	6.71	89
	योग :	10.25	10.56	103	13.00	11.99	92	13.00	12.34	95
10.	बीपीसीएल-मुंबई	6.90	8.90	129	6.90	8.66	126	6.90	8.74	127
	सीपीसीएल-रिफाइनरियां									
11.	सीपीसीएल-चैन्नई	6.50	6.38	98	6.50	6.05	93	6.50	6.12	94
12.	सीपीसीएल-नरीनमन	0.50	0.64	127	0.50	0.58	116	0.50	0.57	113
	योग :	7.00	7.01	100	7.00	6.63	95	7.00	6.69	96
13.	केआरएल-कोच्ची	7.50	7.83	104	7.50	7.52	100	7.50	6.80	91
14.	बीआरपीएल-बोंगईगांव	2.35	1.91	81	2.35	1.49	63	2.35	1.48	63
15.	एनआरएल-नुमालीगढ़	2.90	0.21	7	3.00	1.45	48	3.00	2.31	77
16.	ओएनजीसी तातीपाका	-	-	-	-	-	-	0.40	0.01	33
	कुल सा.क्षे.उ. रिफाइनरियां	70.35	68.83	98	75.73	70.96	94	76.91	72.11	94

एमएमटी—मिलियन मीट्रिक टन, एमएमटीपीए—मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
तातीपाका में ओएनजीसी की लघु रिफाइनरी 3.9.2002 को चालू की गई।

रक्षित विद्युत नीति

*726. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री वाई.वी. राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षित विद्युत नीति पर बहुत अधिक जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए चयन किया गया और केन्द्र सरकार द्वारा इन संयंत्रों की स्थापना के लिए कितनी सहायता दी जाएगी;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने रक्षित विद्युत नीतियों को उदार बनाने हेतु अपने निर्णय के बारे में केन्द्र सरकार को अवगत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनेक राज्यों ने रक्षित परियोजनाओं को हतोत्साहित किया है क्योंकि राज्य विद्युत बोर्डों को अपनी दुधारू गाय औद्योगिक क्षेत्र को खो बैठने का खतरा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (च) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 44 के अन्तर्गत राज्य विद्युत बोर्ड (रा.वि.बो.) विभिन्न उद्योगों को केप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने की सहमति प्रदान करने के लिए सक्षम है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श केवल उन मामलों में आवश्यक है जहां कैप्टिव विद्युत संयंत्र की क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है।

सरकार कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान नहीं कर रही है, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना सामान्यत: किसी उद्योग या उद्योगों के समूह द्वारा की जाती है और उत्पादित विद्युत का प्राथमिक उपयोग उद्योग की अपनी खपत के लिये किया जाता है। भारत सरकार ने 9 अक्टूबर, 1995 के परिपत्र के माध्यम से राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को सलाह प्रदान की थी कि वे कैप्टिव विद्युत आवेदन पत्रों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करके, ग्रिड की अधिशेष विद्युत की खरीद हेतु विकासकर्ता को युक्तिसंगत टैरिफ प्रदान करके तथा अन्य औधोगिक यूनिटों को विद्युत की प्रत्यक्ष बिक्री हेतु तीसरी पार्टी की पहुंच सुविधा प्रदान करके कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दें, और एक ऐसा संस्थागत तंत्र तैयार करें जो केप्टिव विद्युत यूनिटों को विद्युत क्षेत्र में सुगम प्रवेश की अनुमति प्रदान कर सके।

विद्युत मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके तैयार की गई एक कैप्टिव विद्युत नीति 11 जुलाई, 2001 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित राज्यों को परिपत्रित की है। इस नीति में निम्नलिखित को शामिल किया गया है :

* यदि कैप्टिव संयंत्र हाइड्रो या सह-उत्पादन वाला है, तो ऐसे किसी भी आकार के संयंत्र को पूर्ण अनुमति दी जाए।

* यदि कैप्टिव विद्युत संयंत्र कोयला या तरल ईंधन या गैस पर आधारित है तो संयंत्र को अनुमति दी जाए और संयंत्र की क्षमता को उद्योग की जरूरत के 200% तक अनुमति दी जाए (यदि राज्य में विद्युत का अभाव है)।

* कैप्टिव विद्युत संयंत्र को अनुमति दी जाए यदि राज्य/रा.वि.बो. या उत्तरवर्ती इकाई अपेक्षित विद्युत की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए ऐसे कैप्टिव विद्युत संयंत्र पर विचार किया जा सकता है, चाहे राज्य में विद्युत का आधिक्य है।

* यदि उद्योग को गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति का जरूरत है जो कि उपलब्ध नहीं है, तो कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

* कैप्टिव विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की लागत कम पाई जाती है तो लागत व टैरिफ की जांच के पश्चात् ही प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

* कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटों और औद्योगिक इस्टेट को अनुमति प्रदान की जा सकती है।

* सीपीपी को बैंकिंग सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। बैकिंग हेतु दर का निर्धारण परस्पर स्वीकृत शर्तों पर किया जा सकता है।

* विद्युत प्रेषण के लिए रा.वि. बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है। प्रेषक किसी भी सेवा (एचटी या एलटी) के लिए होगा। प्रेषक प्रभार का नियतन उस क्षेत्र के केन्द्रीय/राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा निर्धारित दरों पर किया जा सकता है।

* थर्मल और हाइड्रो सीसीपी से विद्युत बिक्री हेतु टैरिफ का निर्धारण परस्पर विचार-विमर्श के बाद किया जा सकता है और रा.वि.बो. में प्रचालनाधीन ताप विद्युत केन्द्रों के परिवर्तनीय प्रभाव और प्रोत्साहन के रूप में परिवर्तनीय प्रभार का कुछ प्रतिशत पर इसे आधारित किया जा सकता है। टैरिफ प्रणाली की अधिकतम परिवर्तनीय लागत या सीसीपी का वास्तविक परिवर्तनीय लागत का कुछ प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सकता है।

* रा.वि.बो. की अनुमति से तीसरी पार्टी बिक्री भी अनुमेय है।

अधिकतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने आश्वासन प्रदान किया है कि दिशा-निर्देशों पर यथोचित विचार किया जायेगा। विभिन्न

राज्यों यथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और झारखंड ने अपनी स्वयं की कैप्टिव विद्युत नीतियों की प्रतियां प्रेषित कर ली हैं। इन नीतियों में हालांकि राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों ने तीसरी पार्टी की बिक्री को अनुमति नहीं दी है, तथापि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, जहां ये स्थापित किये गये हैं, के अनुमोदन की शर्त पर परस्पर स्वीकृत शर्तों पर प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुसार कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से राज्य ग्रिड को अधिशेष विद्युत निकासी के लिए प्रावधान किए गए हैं। जहां कुछ राज्यों ने कैप्टिव संयंत्रों की स्थापना टैरिफ निर्धारण एवं विद्युत प्रेषण आदि को अनुमति देने की प्रक्रिया सरल बनाई है, वहीं अन्य राज्य अभी भी इस मामले में सख्त नीति अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय कार्यक्रमों का चयन

*727. **श्री रामशकल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्रों के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों के चयन हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में विभिन्न राज्यों से राज्य-वार, कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) ऐसे कितने प्रस्तावों का चयन किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्रों के जरिए प्रसारित किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों का केन्द्रों द्वारा चयन प्रायोजित/कमीशण्ड कार्यक्रमों के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्रायोजित तथा कमीशण्ड श्रेणी के अन्तर्गत धारावाहिकों के चयन के व्यापक मानदण्ड निम्नानुसार है :

1. दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाएं;
2. दूरदर्शन की जरूरतों के अनुसार कहानी, विषय वस्तु अथवा विषय की प्रासंगिकता;
3. कार्यक्रम की विषय वस्तु/निर्माण महत्व/गुणवत्ता;
4. राजस्व अर्जन क्षमता तथा
5. निदेशक, कार्यकारी निर्माता, लेखक, कर्मी दल इत्यादि का ट्रेक रिकार्ड।

सभी केन्द्रों को दूरदर्शन की समग्र नीति में उनके क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।

(ख) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रस्ताव केन्द्रीय कृत रूप से प्राप्त नहीं होते हैं और क्षेत्रीय केन्द्र अपने स्वयं के स्तर पर प्रस्तावों को प्राप्त करते हैं तथा उनका चयन करते हैं।

[अनुवाद]

चुनावों में कम मतदान

*728. **श्री एम. चिन्नासामी** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में चुनावों में मतदाताओं द्वारा कम मतदान करने के कारणों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा चुनाव सुधारों में परिवर्तन करके चुनावों में मतदाताओं द्वारा अधिक मतदान किए जाने हेतु कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, 1952 से लेकर अब तक हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के संबंध में दिए गए आंकड़ों के अनुसार यह कहना सत्य नहीं है कि निर्वाचनों में मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कम हो रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. द्वारा कच्चे तेल की खोज

*729. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में कच्चे तेल सम्भावित कुओं और प्राकृतिक गैस का और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता उत्पादन और उन पर अब तक आई उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1999-2000 से 2001-02 के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) के निष्पादन का ब्यौरा निम्नवत् है :

	ओ एन जी सी	ओ आई एल
भूकम्पीय सर्वेक्षण		
द्विआयामी (जी एल के/एल के)	54128	1710
त्रिआयामी (जी एल के)/एल के)	474678	-
(वर्ग कि.मी.)	-	668
अन्वेषणात्मक कूप (सं.)	439	32
हाईड्रोकार्बन खोजें (सं.)	26	10
तेल + तेल समतुल्य गैस के अंतत: निकासी योग्य भण्डार (एम एम टी)*	167.61	24.50

* अनन्तिम

टिप्पणी : जी एल के - ग्राऊंड लाइन किलोमीटर, एल के - लाइन किलोमीटर, वर्ग कि मी - वर्ग किलोमीटर, एम एम टी - मिलियन मीट्रिक टन

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 45 हाइड्रोकार्बन खोजें की गई हैं, जिनमें से 16 ओ एन जी सी द्वारा, 10 ओ आई एल द्वारा और 9 निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा की गई हैं। नई खोजों की निर्धारण अतिरिक्त सर्वेक्षणों, भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय (जी एण्ड जी) अध्ययनों और पूल की सीमाओं और इसकी संभाव्यता के पुष्टिकरण के लिए मूल्यांकन वेधन द्वारा किया जाता हैं। निर्धारण के उपरांत क्षेत्रों के विकास पर विचार किया जाता है और उन्हें उत्पादन पर लगाया जाता है। तथापि, मौजूदा उत्पादनशील बेसिनों में मौजूदा उत्पादन अधिष्ठापनों का उपयोग करते हुए अथवा शीघ्र उत्पादन पद्धति (ई सी एस)/तीव्र उत्पादन पद्धति (क्यू पी एस) के अधिष्ठान के माध्यम से कई बार उत्पादन शुरू किया जाता है। निर्धारण और विकास कार्य के पूरा होने पर किसी क्षेत्र के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने पर ही तेल उत्पादन के परिणाम, लागत आदि की गणना की जा सकती है।

[हिन्दी]

सेना में भर्ती

*730. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से स्वस्थ और होनहार युवक और युवतियां रक्षा सेवाओं (सेना, नौसेना और वायुसेना) में अधिकारी श्रेणी में जाने की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों को अपना कैरियर बनाना पंसद करते हैं और इसके परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों के सभी तीनों स्कंधों में अधिकारियों के पद रिक्त पड़े रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने युवकों में इस कम रूचि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा/अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के तीनों स्कंधों में अधिकारी के रूप में अपने कैरियर के चयन हेतु युवकों को आकर्षित करने के लिए कोई नई योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) यद्यपि अर्थव्यवस्था में खुलापन आने के साथ युवाओं के लिए विकल्पों तथा नौकरियों के अवसरों में वृद्धि हुई है तथापि, शारीरिक रूप से स्वस्थ, होनहार नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए सशस्त्र सेनाएं अभी भी महत्वपूर्ण विकल्प बनी हुई हैं। अफसरों की भर्ती के लिए कतिपय नई योजनाएं चलाए जाने और मेधावी पात्र युवाओं पर केन्द्रित सतत् मीडिया अभियान के परिणामस्तरीय सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की भर्ती में वृद्धि की रुझान दिखाई दिया है।

यद्यपि इस संबंध में अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है तथापि, इस रुझान का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है और उस पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की भर्ती में वृद्धि के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। 1997-98 में सेना का छवि प्रस्तुतिकरण अभियान चलाया गया था जिससे अभ्यर्थियों की उपलब्धता और चयन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस अभियान को जारी रखने के लिए कदम उठाए गए हैं और इस अभियान को जारी रखने के लिए कदम उठाए गए हैं और इस अभियान की तीसरा चरण हाल ही में शुरू किया गया है।

भारतीय वायुसेना ने वायुसेना में कैरियर के लिए योग्य युवाओं को आकर्षित करने के वास्ते प्रचार अभियान को अधिक सघन बनाया है। अफसर संवर्ग में मेधावी युवाओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा सतत् प्रचार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में प्रचार सामग्री लगभग 3000 स्कूलों और कालेजों को भेजी जाती है।

चयन बोर्डों के अर्हता प्राप्त निर्धारकों द्वारा केम्पस साक्षात्कार लिए जाते हैं ताकि संभावित अभ्यर्थियों के साथ सीधे बातचीत हो सके और सेवा के बारे में उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। वार्तालाप के माध्यम से प्रेरणा देने के लिए स्कूलों और कालेजों में नियमित रूप से दौरे किए जाते हैं।

नौसेना द्वारा सघन प्रचार और भर्ती अभियान चलाए गए हैं। नौसेना अधिकारियों के दलों ने भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए युवाओं को प्रेरित करने के वास्ते प्रतिष्ठित कालेजों और संस्थानों का दौरा किया है और अधिक अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न समाचार-पत्रों, दूरदर्शन चैनलों और होर्डिंगों पर भर्ती संबंधी विज्ञापनों के माध्यम से संकेन्द्रित प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं।

भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा जुटाई गई धनराशि

***731. श्री राजो सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कुल कितनी धनराशि जुटाई गई;

(ख) भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा इस पर कितने ब्याज का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या रेलवे ने कम ब्याज दर पर धनराशि जुटाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) भारतीय रेल वित्त निगम लि. (आईआरएफसी) ने 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 वर्षों में क्रमश: 2996 करोड़ रुपए, 2950 करोड़ रुपए और 2185 करोड़ रुपए का धन जुटाया है।

(ख) भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा 1999-2000 के दौरान जुटाए गए धन पर 11.7% प्रतिवर्ष, 2000-01 में जुटाए गए धन पर 11% प्रतिवर्ष, और 2000-01 में जुटाए गए धन पर 9.8% प्रतिवर्ष ब्याज की भुगतान किया जा रहा है। भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ऋण की बकाया मूल राशि के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष से भिन्न होगी।

(ग) और (घ) ब्याज दरों में गिरावट और पूंजी बाजार में अनुकूल परिसमापन स्थितियों का लाभ उठाते हुए, भारतीय रेल वित्त निगम ने हाल ही के वर्षों में बहुत प्रतियोगी दरों पर ऋण जुटाया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान निगम द्वारा जुटाए गए धन के संबंध में ऋण की औसत लागत 10% प्रति वर्ष से कम रही है। ऋण की निम्नतम लागत का लाभ बाजार ऋणों में से वित्तपोषित चल स्टॉक के लिए पट्टा प्रभारों की निम्न दरों के रूप में रेलवे को भी मिला है।

[अनुवाद]

ऋणों की वसूली हेतु विधान

***732. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थाओं को चूककर्ताओं से ऋण वसूलने में सक्षम बनाने हेतु एक नया विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण वसूली अधिकरण निश्चित अवधि में ऋण वसूल करने में विफल हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विधेयक कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(घ) ऋण वसूली हेतु सरकार का अन्य कौन से कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) नरसिंहम समिति 1 और 2 तथा अंध्यारूजीना समिति की सिफारिशों के आधार पर, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को व्यतिक्रमियों से अपने ऋण शीघ्रतापूर्वक वसूल करने में समर्थ बनाने के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन और आस्ति पुनर्गठन कंपनियों की विचरना के विनियमन के लिए एक नई विधि अधिनियमित किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) ऋण वसूली अधिकरण प्रभावी और दक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। ऋण वसूली अधिकरणों ने, लंबे समय से बैंकों और

वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली में पर्याप्त सुधार दर्ज किए हैं। ऋण वसूली अधिकरणों के माध्यम से वसूल की गई रकम, जो 1999-2000 में 752 करोड़ रुपए थी, वर्ष 2000-2001 में बढ़कर 1185 करोड़ रुपए और वर्ष 2001-2002 के दौरान 2153 करोड़ रुपए हो गई है।

(ग) विधेयक अर्थात्, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002 के संसद के आगामी सत्र में पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है।

(घ) प्रस्तावित विधि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों की बाबत तीन विभिन्न कार्रवाईयों अर्थात् वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्गठन कंपनियों की स्थापना करना और प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन से संबंधित है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सलाह दी है कि वे देयों की वसूली के लिए वसूली नीति, समाधान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौते द्वारा परिनिर्धारणों और बैंक में विभिन्न स्तरों पर गैर-निष्पादित आस्तियों की मानीटरी और अनुवर्तन जैसे अनेक उपाय करें। बैंकों को उनकी गैर-निष्पादित आस्तियो के समझौते द्वारा परिनिर्धारण के लिए लोक अदालतों के मंच का प्रयोग करने की भी सलाह दी गई है और 5 लाख रुपए तक गैर-निष्पादित आस्ति खातों में अतिशेष बकाया वाले विवादों को तय करने के लिए मंच का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए मई, 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उधार लेने वालों के संबंध में बैंकों को जानकारी के प्रसार के लिए प्रत्यय सूचना ब्यूरो का भी गठन किया जा रहा है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में भ्रष्टाचार

***733. श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में भ्रष्टाचार के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की गहराई से जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 16 अप्रैल, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में 'न सेना की मदद, न देश को फायदा, भ्रष्टाचार में डूबा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में कोई सच्चाई नहीं है।

(ग) इस समाचार में उठाए गए मुद्दों की मुख्यालय तथ्यान्वेषण समिति द्वारा जांच की गई है। समिति की जानकारी में कोई प्रतिकूल बात नहीं आई है। तथापि, इस मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों, देहरादून ब्रांच द्वारा भी आगे की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के चलते इस विषय पर कुछ बोलना जनहित में नहीं है।

प्रादेशिक सेना में वृद्धि

***734. श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रादेशिक सेना की वर्तमान प्राधिकृत संख्या 40,085 की तुलना में वर्ष 2007 तक एक लाख तक बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार नियमित सेना की सहायता करने हेतु प्रादेशिक सेना को नागरिकों के लिए एक मंच बनाने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) श्री के.पी. सिंह देव की अध्यक्षता वाली प्रादेशिक सेना पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2007 तक प्रादेशिक सेना के संघटकों की मौजूदा कार्मिक शक्ति-सीमा को बढ़ाकर लगभग 80,000 से 1,00,000 किए जाने की सिफारिश की है। देश में विद्यमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए सरकार ने प्रादेशिक सेना की 32,800 की मौजूदा संख्या शक्ति को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने और सभी तरह की व्यवसायों से अनुशासित तथा प्रशिक्षित नागरिकों का एक सशक्त बल सेना की सहायता के लिए उपलब्ध कराने की जरूरत को 'सिद्धांत रूप में' स्वीकार कर लिया है।

दूरदर्शन की आय में भारी कमी

*735. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की वार्षिक आय में पिछले वर्ष के दौरान कई करोड़ की कमी आई है जैसाकि 22 अप्रैल, 2002 के 'दि स्टेट्समेन' में "डी डी अर्निंग्स ड्रॉप बाई रूपीज 15 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी आय में इतनी भारी कमी के उत्तरदायी कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन उत्तरदायी कारकों का आकलन किया है जिनके कारण दूरदर्शन की आय कम हुई है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इसकी आय बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विगत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित सकल वाणिज्यिक राजस्व निम्नानुसार है :

2000-2001	637.51 करोड़ रुपए
2001-2002	615.21 करोड़ रुपए

(ख) और (ग) 2001-2002 के दौरान भारत में बीसीसीआई क्रिकेट खेलों के विपणन से न्यूनतम राजस्व प्राप्ति के कारण बहुत गिरावट आयी है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता की सीमाओं की कमी के कारण निगम अपने वाणिज्यिक राजस्व को अधिकतम करने में प्रयासरत है। दूरदर्शन द्वारा अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए किये गये प्रयासों में प्रसारण गुणवत्ता में सुधार तथा डिजीटलीकरण द्वारा चैनलों की प्राप्ति, विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों की वाणिज्यिक संभावनाओं का पता लगाना, दर सूची को विज्ञापनदाताओं/विपणन एजेंसियों के लिए और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए चैनलों के कार्यक्रमों की विषय वस्तु तथा प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता में सुधार करना, दूरदर्शन चैनलों पर सरकारी विभागों के कार्यक्रमों को प्रसारित करके उनसे वाणिज्यिक आय से प्राप्त करना शामिल हैं। प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि अपनी वाणिज्यिक आय बढ़ाने के लिए उसने अपनी स्वयं की विपणन व्यवस्था शुरू कर दी है।

प्रशिक्षण सुविधाएं

*736. **श्री अनन्त नायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वायुसेना में मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे प्रशिक्षण के लिए कुछ नए संस्थानों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) से (घ) प्रशिक्षण सुविधाओं का संवर्धन/उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है जो शस्त्र प्रोफाइल और प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों के कारण भी आवश्यक हो गया है। किन्हीं नए संस्थानों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत वितरण सुधार

*737. **श्री सुन्दर लाल तिवारी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत के क्षेत्र में वितरण सुधारों के क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाने वाली समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) जी, हां। वितरण नीति समिति रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा विद्युत मंत्रालय के विचारधीन है। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

विवरण नीति समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें

* बेहतर प्रबंधन, उपयुक्त निवेश आदि समेत विभिन्न उपायों के माध्यम से दक्षता में सुधारार्थ वाणिज्यिक

व्यवहार्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जिसके लिए एक व्यवहार्य रणनीति तैयार करना। ग्रामीण आपूर्ति वितरण क्षेत्र के सुधार के लिए रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।

* सहकारिता, निगमीकरण आदि जैसे वैकल्पिक निर्देशों के लिए प्रयास किया जा सकता है, इस क्षेत्र की अंतिम श्रेणी होने के नाते इसे 2-3 वर्षों में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करनी ही होगी।

* जब कभी भी वर्तमान स्वामित्व संरचना के भीतर प्रचालन की दक्षता में सुधार करना कठिन हो, तब राज्य सरकारों के लिए वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक ऐसा उद्देश्य है जिसे उसे गंभीरता से प्रयास करके प्राप्त करना होगा।

* वितरण के निजीकरण हेतु एक समुचित निदेश तथा एक उपयुक्त स्वतंत्र नियामक प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। उड़ीसा की तरह एक ही बार में समूचे वितरण क्षेत्र को निजीकृत किया जा सकता है। निजीकरण का प्रयास पहले उच्च भार शहरी क्षेत्रों को निजीकृत करके तथा बाद में ग्रामीण क्षेत्रों के निजीकरण करके भी वैकल्पिक रूप में किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के माइक्रो निजीकरण का प्रयास भी किया जा सकता है। तथापि, वितरण निजीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक रूप से विगत हानियों, प्राप्तव्य, आर्थिक सहायता आदि जैसे वितरण प्रचालन से संबंधित परिवर्तन काल के विवादों के समाधान पर संकेन्द्रित हों।

* विभिन्न कार्यवाईयों के समय-संरचना अर्थात् छः महीने (अल्पकालिक) के भीतर क्या प्राप्त किया जा सकता है। बारह महीने (मध्यम-कालिक) के भीतर तथा अठारह महीने (दीर्घ-कालिक) के भीतर क्या प्राप्त किया जा सकता है, को विकसित करना महत्वपूर्ण होगा।

* उपयुक्त रणनीति से संबंधित विभिन्न कार्रवाई निम्नवत है:

  - प्रचालन की दक्षता में सुधार के लिए अल्प-कालिक रणनीति में सभी स्तरों पर मीटर पूरा करने के लिए एक मीटर योजना का विरूपण, दायित्व/लाभ केन्द्रों का सृजन/चोरी रोकने के प्रभावी योजना तथा परिहार्य तकनीकी हानियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के उपयोग के साथ प्रभावी ऊर्जा लेखा परीक्षा, विद्युत विधेयक जिसे संसद में पेश किया हुआ है अगर उसके विधेयक में विलम्ब होता है तो विद्यमान अधिनियम में विद्युत की चोरी के संबंध में प्रावधानों में समुचित संशोधन लाकर एक अध्यादेश जारी करना समाविष्ट है। मध्यमकालिक रणनीति के रूप में विद्युत उद्योग द्वारा अपेक्षित व्यवसायिक सुविज्ञता तथा नेतृत्व बढ़ाने के लिए सुग्राहीकरण विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाए।

  - अल्पकालिक रणनीति के अंग के रूप में ग्राम विद्युतीकरण के लिए एक प्रथाकृत दृष्टिकोण कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य धारा प्रचालनों से अलग करना अपेक्षित होगा तथा ग्रामीण प्रचालनों के लिए विशिष्ट नीतियों तथा योजनाओं को अपनाना होगा।

  - वितरण व्यापार के निजीकरण के लिए ऋण नीति में अनेक विमाएं हो सकती है। अल्पकालिक ऋण नीति के रूप में केन्द्रीय सरकार एक टैरिफ नीति जो टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के लिए नियामक आयोग हेतु मार्ग-दर्शक के रूप में कार्य करें, के साथ पहल करनी होगी। अन्य अल्पकालिक उपायों जिनमें बेसलाईन डाटा निर्धारण के लिए अभिकरणों को अभिज्ञात करना, हानियों में कमी लाने के लिए प्रोत्साहन निर्धारण करना आदि समाविष्ट है। मध्यमकालिक ऋण नीति में उपभोक्ताओं के लिए निजीकरण लाभों का विपणन, उच्च योग्यता तथा समुचित अनुभव वाले लोगों को आकर्षित करके के.वि.वि. आयोग/रा.वि.वि. आयोग का संस्थागत प्रबलन वितरण व्यापार के मूल्यन के लिए एक हस्तक्षेपी है, दृष्टिकोण को अपनाना एक विद्युत क्षेत्र सुधार नीति की स्थापना जिसे राज्य सरकारें विद्युत क्षेत्र की पुरसंरचना के अकेले प्रयोजन के लिए निजीकरण लाभों से पूरा करे, समाविष्ट है। दीर्घकालिक रणनीति में निजीकरण हेतु राज्यों के लिए निजीकरण निर्देश का चयन समाविष्ट होगा। परिवर्तन-पथ जिसे निजी निवेशकों के लिए तैयार किया गया है, में लागत संबंधित मसलों और उनके वित्त पोषण के लिए व्यवस्था पर विचार करना अपेक्षित होगा।

  - केन्द्र से राज्यों के लिए प्रोत्साहन : वितरण क्षेत्र में सुधार मुख्यतः राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है लेकिन राज्यों को केन्द्र से भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसे एनटीपीसी, एनपीसी, एनएलसी, पीएफसी, आरईसी तथा पीजीसीआईएल की गतिविधियों जैसे केन्द्रीय विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलापों से लाभों के साथ-साथ एपीडीआरपी, एजीएसपी तथा एआरईपी जैसे कार्यक्रमों से निधियों के लिए उपयुक्त कार्ययोजना के आधार पर सुधार में प्रगति को लिंक करके प्राप्त किया जा सकता है।

[अनुवाद]

रेल इंजनों का निर्यात

***738. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मैसर्स जनरल मोटर्स से प्राप्त लाइसेंस के अन्तर्गत भारत में निर्मित 4000 हार्स पावर का एक इंजन विकसित किया है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) भारत में विकसित किए गए वर्तमान इंजन की लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार जनरल मोटर्स प्रौद्योगिकी से निर्मित शक्तिशाली रेल इंजनों का निर्यात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) रेलवे ने मैसर्स जनरल मोटर्स (जीएम), यू.एस.ए. से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के अंतर्गत 4000 अश्व शक्ति डीज़ल रेल इंजनों का विनिर्माण किया है।

(ख) नई प्रौद्योगिकी वाले रेल इंजनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

* 3 फेज़, अल्टरनेट करेंट (एसी) ट्रैक्शन।
* 53 टन पर मालभाड़ा इंजनों की कर्षण क्षमता (कर्षक प्रयास) परम्परागत रेल इंजनों से 73.7% अधिक है।
* यात्री इंजनों की रफ्तार की संभाव्यता 160 कि.मी. प्रति घंटा है जबकि परम्परागत रेल इंजनों की रफ्तार 120 कि.मी. प्रति घंटा होती है।
* स्वत: निदान सूचक विशेषता सहित माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल।
* कंप्यूटर नियंत्रित ब्रेकें।
* राडार आधारित सुपर सीरीज़ व्हील क्रीप प्रणाली ताकि पहिए को फिसलने एवं रेलपथ को नुकसान होने से बचाया जा सके।
* स्वत: भार जांच विशेषताओं सहित बढ़े हुए गतिशील ब्रेक।
* इंजन से निकलने वाला धुंआ बहुत कम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से भी कम है।
* इस प्रकार परंपरागत रेल इंजनों के 7-10 दिन तक कार्य करने की तुलना में रेल इंजन बिना किसी अनुरक्षण के 92 दिन तक लगातार कार्य कर सकता है।
* ईंधन एवं स्नेहक तेल की खपत की कम दर।
* कम अनुरक्षण लागत।

(ग) बजट अनुमान 2002-2003 के अनुसार, प्रति रेल इंजन की अनुमानित लागत 12.75 करोड़ रुपए है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेल इंजनों के निर्यात के लिए ऑर्डर मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लि. (इरकॉन)/मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एवं इकॉनोमिक सर्विसिज़ (राइट्स) द्वारा प्रतियोगी बोली के माध्यम से दिए जाते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। जनरल मोटर्स की प्रौद्योगिकी से निर्मित रेल इंजनों के निर्यात की जांच की जा रही है।

(च) यह निर्यात की उस मात्रा पर निर्भर होगा जिसके लिए रेलवे आदेश प्राप्त कर सकेगी, अत: समय अनुमान लगाना संभव नहीं है।

विशेष सुरक्षा कोष से परियोजनाएं

***739. श्री बी.वी.एन. रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा चालू वर्ष के दौरान रेल विशेष सुरक्षा कोष से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) उन्हें पूरा करने के लिए परियोजना-वार कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 2002-2003 को दौरान विशेष रेल संरक्षा निधि में से रेलों द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए योजना का शीर्ष-वार आबंटन निम्नानुसार है :

क्र.सं.	चल स्टॉक	वर्ष 2002-2003 के दौरान बजट का आबंटन (करोड़ रुपए में)
1.	चल स्टॉक	280.00
2.	रेलपथ नवीकरण	1661.00
3.	पुल संबंधी कार्य	143.30
4.	सिगनल एवं दूर संचार	505.00
5.	मशीनरी एवं संयंत्र	9.00
6.	अन्य बिजली संबंधी कार्य	0.50
7.	अन्या विशिष्ट कार्य	0.50
8.	घटाएं क्रेडिट	389.30
	कुल	2210.00

(प्रत्येक परियोजना का विवरण ग्रीन बुक, जिसका शीर्षक ''2002-2003 के लिए रेलों का निर्माण, मशीनरी और चल स्टॉक कार्यक्रम-भाग-III है, में उपलब्ध है और जिसे रेल बजट दस्तावेजों के साथ संसद को पेश किया गया था)

(ग) विशेष रेल संरक्षा निधि से सभी नवीकरण तथा अन्य पहचान किए गए कार्यों को 2006-07 तक पूरा करने की योजना है, बशर्ते कि अपेक्षित धन और संसाधन उपलब्ध हों।

भारत और रूस के बीच सैन्य औद्योगिक परिसर

*740. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत से दोनों देशों के बीच सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस ने सुझाव दिया है कि 'इरकुट कारपोरेशन' को हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भागीदार बनाया जाए और भारतीय कम्पनियों को 'इरकुट कारपोरेशन' में भागीदार बनाया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को रूस से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है अथवा लिया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) भारत और रूस के बीच मिलिटरी और तकनीकी सहयोग काफी पुराना है और इसकी परिधि में शस्त्रास्त्रों और शस्त्र प्रणालियों का अर्जन, प्रौद्योगिकी अंतरण सहित शस्त्रास्त्रों का लाइसेंसशुदा उत्पादन और मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहाल के लिए सुविधाओं की स्थापना भी आते हैं। इस सहयोग के अंतर्गत उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास, प्रमुख प्लेटफार्मों और हथियार प्रणालियों को मिलाकर डिजाइन बनाना तथा विकास एवं उत्पादन करना भी शामिल हो गए हैं। मिलिटरी-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूसी अन्त: शासकीय आयोग की बैठकों में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में इर्कुत्सक एविएशन प्रोडक्शन आर्गेनाइजेशन (आई ए पी ओ) का शेयर धारक बनने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि आई ए पी ओ की शेयरधारिता में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की भागीदारी का एक प्रस्ताव था। इस समय इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पश्चिम एक्सप्रेस में आग

7482. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2002 में मुम्बई से अमृतसर जा रही पश्चिम एक्सप्रेस के डिब्बें में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई;

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी हां। मुंबई मंडल के चर्चगेट-विरार उपनगरीय खंड पर 5.2.02 को लगभग 12.10 बजे जब 2925 डाउन बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रैस जब गोरेगांव और मलाड़ स्टेशनों के बीच गुजर रही थी जब द्वितीय श्रेणी के सामान वाले मध्य भाग में तथा गार्ड ब्रेक वैन (एस एल आर) में आग लग गई। गाड़ी को मलाड स्टेशन पर रोका गया और अग्निशमन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।

(ख) इस दुर्घटना में कोई हताहत अथवा घायल नहीं हुआ था।

(ग) और (घ) रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा अनजाने में एक जलती हुई माचिस की तीली/सिगरेट/बीड़ी का टुकड़ा फेके जाने के कारण सामान वाले भाग के पिछले हिस्से में अचानक आग सुलगने के कारण यह दुर्घटना हुई।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियों द्वारा निरीक्षण प्रभार

7483. डा. रमेश चंद तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में रसोई गैस एजेंसियां 25 रुपये निरीक्षण प्रभार के रूप में वसूल करती हैं और ग्राहकों पर पिन, ट्यूब आदि को ऊचें दामों पर बदलने के लिए दबाव डाल_ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस प्रकार सभी प्रभार आई ओ सी एल द्वारा जारी निदेश के बहाने वसूले जा रहे हैं और चूक की स्थिति में छापा एवं पकड़े जाने से बचने के लिए किसी प्राधिकृत रसोई गैस डीलर से प्रमाणित रसीद के बिना ही वसूली फर्जी कंपनियों के नाम पर की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध किस प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की ओर से अनुदेश हैं कि सुरक्षा के प्रयोजन हेतु दो वर्ष में एक बार ग्राहकों के परिसरों में एल पी जी उपकरणों का अनिवार्य निरीक्षण करें। इस प्रयोजन के लिए उन्हें निरीक्षण प्रभारों के रूप में 25 रुपये वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है इसके अलावा उपभोक्ताओं को आई एस आई मार्का हाट प्लेट (गैस चूल्हा) और अन्य अतिरिक्त पुर्जे अपनी पसंद के अनुसार किसी भी स्रोत से खरीदने की स्वतंत्रता है। हाट प्लेटों और अन्य अतिरिक्त पुर्जों आदि की मजबूरन खरीद के संबंध में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच ओ एम सीज द्वारा की जाती है और किसी शिकायत के सिद्ध हो जाने पर दोषी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध कार्रवाई विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम डी जी), 2001 के अनुसार की जाती है।

उद्योगों को सी.एन.जी. की आपूर्ति

7484. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उद्योगों और वाणिज्यिक वाहन स्वामियों को सी.एन.जी. की आपूर्ति किस मूल्य पर की जाती है;

(ख) मूल्य में अंतर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में विद्युत एवं परिवहन क्षेत्र के लिए नियत की गई सी.एन.जी. को दिल्ली के आस-पास के उद्योगों को दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हाल ही में इसकी आपूर्ति में कटौती करके इसका लाभ मारुति उद्योग लिमिटेड जैसे बड़े व्यापारिक घरानों को दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सी एन जी की आपूर्ति उद्योगों को नहीं की जाती है। इसकी आपूर्ति केवल वाहनों के लिए की जाती है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 16.83 रुपए प्रति कि.ग्रा. है।

(ख) से (च) उपयुक्त (क) को देखते हुए इन भागों का उत्तर शून्य माना जाना चाहिए।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

7485. श्री अमर राय प्रधान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999, 2001 और 2002 को दौरान उनके मंत्रालय/मंत्रालय के अंतर्गत विभागों के उन अधिकारियो के, वर्ष-वार, कार्यालय-वार, नाम एवं पदनाम क्या हैं जो सेवाकाल में ही दिंवगत हो गए;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके योग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अभी तक नौकरियां प्रदान नहीं की गयी हैं; और

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके योग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उपयुक्त नौकरियां प्रदान नहीं की गयी है; और

(घ) दिवंगत अधिकारियों के ऐसे योग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर कब तक नौकरियां प्रदान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) इन कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम एवं पदनाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) से (घ) श्रीमती शान्ति नौटियाल, पत्नी स्व. श्री बी.बी. नौटियाल को अनुकम्पा आधार पर नौकरी दी गयी। निर्धारित कोटे में रिक्त पदों के अभाव के कारण अन्य की नियुक्ति नहीं की जा सकी। वर्तमान तारीख में अनुकम्पा पर और कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	नाम(सर्वश्री)	कार्यालय जहां कार्यरत हैं	पदनाम
1	2	3	4
		वर्ष 2001 हेतु	
1.	धनीराम	के.वि.प्रा.	ड्राफ्टमैन ग्रैड-1
2.	वाई.के. गिरसा	के.वि.प्रा.	उ.श्रे.लि.
3.	ए.के. राय	के.वि.प्रा.	ई.ए.डी.
4.	प्यारे लाल	के.वि.प्रा.	ड्राफ्टमैन ग्रेड-1
5.	वी.पी. नौटियाल	के.वि.प्रा.	ड्राफ्टमैन ग्रेड-1
6.	कमल किशोर	के.वि.प्रा.	ड्राफ्टमैनग्रेड-2
7.	एस.एल. शर्मा	के.वि.प्रा.	ए.डी. ग्रेड़-1
8.	के.एल. शर्मा	के.वि.प्रा.	उ.श्रे.लि.
9.	डी.एस. भटनागर	के.वि.प्रा.	सहायक
10.	जगदीश चंद	के.वि.प्रा.	उ.श्रे.लि.
11.	आर.सी. काजला	के.वि.प्रा.	ए.डी. ग्रेड-1
12.	एस. वीरेन्द्र	के.वि.प्रा.	अ.श्रे.लि.
13.	सुरेश कुमार	के.वि.प्रा.	फराश
14.	विजेन्द्र	के.वि.प्रा.	सफाईवाला
15.	राम लाल	के.वि.प्रा.	फराश
16.	हरीचंद	के.वि.प्रा.	टी मेकर

1	2	3	4
17.	जैमिनी रंजन पौल	के.वि.प्रा.	चपरासी
18.	ए.के. रॉय	के.वि.प्रा.	चपरासी
19.	जे.एस. अहलुवालिया	विद्युत मंत्रालय	सहायक

के.वि.प्रा. - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
यूडीसी - उच्च श्रेणी लिपिक
एलडीसी - अवर श्रेणी लिपिक
ए.डी. - सहायक निदेशक
ईएडी - अतिरिक्त सहायक निदेशक

सारस विमान का परीक्षण

7486. श्री के. येरननायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुउद्देशीय सारस विमान की परीक्षण उड़ान कब तक किए जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना पर कार्य कब शुरू किया गया था और इसकी उड़ान की निर्धारित तारीख क्या है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) बहुउद्देशीय हल्के परिवहन विमान 'सारस' की प्रथम परीक्षण उड़ान दिसंबर, 2002 में किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) 'सारस' परियोजना को 24 सितंबर, 1999 में स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें इसकी प्रथम उड़ान मार्च, 2001 में किए जाने का कार्यक्रम था।

(ग) प्रौद्योगिकी पर लगे प्रतिबंध तथा प्रौद्योगिकीय जटिलताओं के कारण विलंब हुआ।

[हिन्दी]

रिलायंस समूह के निदेशकों के विरुद्ध मामलों की समीक्षा

7487. प्रो. दुखा भगत :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त रिलायंस उद्योग समूह के निदेशकों/कार्यपालक अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न मामलों में कानूनी सलाह मांगने वाले कितने मामलों की समीक्षा की गई है;

(ख) क्या कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों द्वारा अपने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए भेजे गए कई अनुस्मारकों के बावजूद विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के पास बड़ी संख्या में मामले वर्षों से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा रिलायंस उद्योग समूह के मामलों के संबंध में कब तक कानूनी सलाह दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में रसोई गैस एजेंसियां

7488. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में रसोई गैस की एजेंसी के लिए कितने आवेदन पत्र लबिंत हैं;

(ख) आज की तारीख तक रसोई गैस की कितनी एजेंसियां आबंटित की गई हैं और अभी कितनी आबंटित की जानी हैं;

(ग) क्या राज्य में रसोई गैस सिलिण्डरों की आपूर्ति की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां (ओ एम सीज) 473 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही थीं। फिलहाल गुजरात राज्य में आबंटन के लिए 84 स्थल अभी भी लंबित हैं।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य में ओ एम सीज द्वारा एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। तथापि, बड़े शहरों में बार-बार कर्फ्यू लगने के कारण सामान्य आपूर्तियों में बाधा आई है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषा में समाचार बुलेटिन

7489. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरदर्शन, रांची से स्थानीय जनजातीय बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने के विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) कार्यक्रम से संबंधित मामलों पर निर्णय लेना प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इसका दूरदर्शन रांची पर जनजातीय बोलियों में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का विचार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मोइनागुड़ी से जोगीघोपा के बीच रेल लाइन

7490. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मई, 2000 को न्यू जलपाईगुड़ी के मोइनागुड़ी से जोगीघोपा के बीच रेल लाइन बनाने हेतु मोइनागुड़ी में शिलान्यास किया गया;

(ख) क्या इस किए जाने वाले विस्तार का खर्च 733 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या गत तीन बजटों में केवल 24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान में वृद्धि करने और उपर्युक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजट में इस कार्य के लिए 34 करोड़ रुपए (2001-2002 के दौरान बोल्ट के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपए सहित) उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) परियोजना की आवश्यकता और कार्य की प्रगति के अनुसार निधियां उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 2002 तक पूरा होने की आशा है। अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के पूरा होने और भूमि अधिग्रहण के पश्चात् ही कार्य आरंभ किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने की कोई लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

यात्रियों को सुविधाएं

7491. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल निगम ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ कंप्यूटर के माध्यम से आरक्षण किए जाने के संबंध में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे आम यात्रियों को कोई सुविधा मिलने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का कंप्यूटर द्वारा टिकट बुकिंग के लिए ट्रेवल एजेंन्टों के साथ भी कोई समझौता करने का विचार है।

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सुविधा मुम्बई में भी शुरू की जा रही है;

(च) क्या इस प्रणाली में तीन बार रोक लगाई गयी है;

(छ) यदि हां, तो क्या इससे दैनिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी;

(ज) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस निर्णय को वापस लिए जाने के क्या कारण हैं;

(झ) क्या आईसीआईसीआई के साथ लिया गया निर्णय वापस ले लिया गया हैं; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ज) रेल यात्रियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए, रेल पर्यटक योजना और रेल यात्री सेवा एजेंट योजना के अन्तर्गत परीक्षण के आधार पर मुंबई में कुछ ट्रेवल एजेंटों को प्रायोगिक आधार पर यात्री आरक्षण प्रणाली टर्मिनल (पी आर एस) मुहैया कराने की योजना का विचार है। प्रायोगिक परियोजना को अभी कार्यान्वित किया जाना है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

बन्द पड़े पेट्रोल/डीजल पम्प

7492. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कितने डीजल/पेट्रोल पंप बंद पड़े है;

(ख) उनके बंद होने के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) उनको पुन: शुरू किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में 187 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशीप (पेट्रोल/डीजल पंप) बंद पड़े थे। ये डीलरशिप लंबित न्यायिक मामलों, खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रचालन में डीलरों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मामले में संबंधित रेल कंपनियों द्वारा आरम्भ की गई/विचारित कार्रवाई, भागीदारों के झगड़े, डीलर द्वारा उत्पाद के न उठाए जाने, जिला प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस के निरसन, डीलर के मृत्यु, भूमि विवाद, बेनामी प्रचालन, वित्तीय समस्याओं, डीलर द्वारा त्यागपत्र, निम्न संभाव्यता, उग्रवादियों द्वारा विध्न आदि जैसे विभिन्न कारणों से बंद पड़े हैं। उनमें से प्रत्येक का प्रचालन पुन शुरू करने के लिए कार्रवाई प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर संबंधित तेल कंपनियों द्वारा की जाती है।

मनोरंजन क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

7493. श्री सुबोध मोहिते : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संयुक्त उद्यम द्वारा फिल्मों का वित्तपोषण शुरू किए जाने के फिल्म फाइनेन्स इन्क. प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मनोरंजन क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता मानक को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सरकार ने मार्च, 2002 में स्वचालित रूट के अंतर्गत तथा बिना किसी शर्त के फिल्मों फाईनन्स इन्क., अमरीका के प्रस्ताव को अप्रैल 2002 में अनुमोदित किया गया है।

अन्वेषण स्थलों पर भूकम्पीय सर्वेक्षण

7494. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन क्षेत्रों/ब्लाकों में भूकम्पीय सर्वेक्षण के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं और किन क्षेत्रों/ब्लाकों में अन्वेषण हेतु खुदाई का कार्य चल रहा है या अभी शुरू किया जाना है;

(ख) क्या खुदाई का कार्य ओ एन जी सी और ओआईएल के अतिरिक्त विदेशी फर्मों को भी सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो किन निबंधन एवं शर्तों पर हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण का कार्य विदेशी फर्म को दिया गया है; और

(घ) ओ एन जी सी, ओ आई एल और विदेशी फर्मों को सौपें गए क्षेत्रों/ब्लाकों में अनुमानत: कितना हाइड्रोकार्बन उपलब्ध है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) हाल ही में आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार, गुजरात हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में और पूर्व और पश्चिम अपतट में भी अन्वेषण कार्य आरम्भ किया गया है। दसवीं योजनावधि के दौरान यह प्रस्तावित है कि देश में 871 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया जाएगा।

(ख) और (ग) निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 1991 से भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की कम्पनियों और परिसंघों को आमंत्रित करते हुए छह नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के (एन.ई.एल.पी.) के पहले वाले दौरों और दो एन.ई.एल.पी. दौरों के तहत अन्वेषण ब्लाक प्रस्तावित किए थे। कुल 27 एन.ई.एल.पी.-पूर्व उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं और 47 एन ई एल पी उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर अब तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। मोटे तौर पर उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में राजकोषीय प्रोत्साहनों, जैसे सीमा शुल्क छूट और करावकाश की उपलब्धता, भारतीय कानूनों की सामान्य प्रयोज्यता और पूर्व निर्धारित बोली परिस्थितियों में उत्पादन की हिस्सेदारी परिकल्पित है।

(घ) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार देश में हाइड्रोकार्बनों (तेल + गैस के समकक्ष तेल) के शेष निकासी योग्य भण्डार लगभग 1449 मिलियन मीट्रिक टन हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कर्जदार चूककर्त्ता राज्य विद्युत बोर्ड

7495. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चूककर्त्ता राज्य विद्युत बोर्डों की ब्यौरा क्या है जिनके ऊपर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का 3500 करोड़ रुपये का बकाया है; और

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को वित्तीय संकट से उभारने हेतु बकाए की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 31.3.2002 के अनुसार देयताओं के मामले में चूककर्त्ता राज्य विद्युत बोर्डों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया देयों की वसूली के लिए रिकवरी ट्रिब्यूनल में (डीआरटी) में मामले दायर किए हैं।

विवरण

मार्च, 2002 माह के लिए बकाया देयों की रिपोर्ट

31.3.2002 के अनुसार बकाया देयों की रिपोर्ट (लाख रुपये में)

क्र.सं.	नाम	बकाया ब्याज	बकाया मूलधन	कुल (3 + 4)
1	2	3	4	5
चूककर्त्ता राज्य/रा.वि. बोर्ड				
1.	असम	15830	6647	22477
2.	बिहार/झारखण्ड	32252	15167	47419
3.	मध्य प्रदेश	72697	78136	150833
4.	मिजोरम	257	607	864

1	2	3	4	5
5.	पश्चिम बंगाल	39532	18887	58419
6.	उत्तर प्रदेश	50001	39182	89183
	कुल	210569	158626	369195
नवसृजित राज्य				
1.	छत्तीसगढ़	13547	17082	30629
2.	उत्तरांचल	8408	6442	14850
	कुल	21955	23524	45479
	कुल जोड़	232524	182150	414674

सी.एन.जी. की आवश्यकता

7496. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री साईदुज्जमा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रति माह सी.एन.जी. की कितनी आवश्यकता है;

(ख) वर्तमान में दिल्ली को कितनी सी.एन.जी. की आपूर्ति की जा रही है; और

(ग) मांग की तुलना में कम मात्रा में सी.एन.जी. आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्तमान में सी एन जी की कुल मांग लगभग 135 लाख किलोग्राम प्रति माह (0.56 एम एम एस सी एम डी) है।

(ख) दिल्ली के लिए प्राकृतिक गैस की 0.98 एम एम एस सी एम डी मात्रा आबंटित की गई है जिसमें से प्राकृतिक गैस की 0.88 एम एम एम सी एम डी मात्रा वाहनों हेतु सी एन जी के प्रयोजनार्थ है।

(ग) वर्तमान में मांग के संबंध में सीएनजी की आपूर्ति पर्याप्त हैं।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु जापान द्वारा सहायता

7497. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान द्वारा पश्चिम बंगाल में विद्युतीकरण हेतु ऋण सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) ओवरसीज इकनॉमिक कारपोरेशन फंड, जापान (ओईसीएफ), जो अब जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन (जेबीआईसी) कहलाता है, ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के जरिए भारत सरकार को विद्युत प्रणाली के सुधार और लघु जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ऋण स्वीकृत किया। इस ऋण के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ 11.47 करोड़ रुपये के परिव्यय से दो प्रणाली सुधार उप परियोजना, जिसमें प. बंगाल के बीरभूम के बोलपुर क्षेत्र में 132 के.वी. का एक उपकेन्द्र सम्पर्क लाईन तैयार की जानी थी, को प. बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने क्रियान्वित कर दिया है।

कालेजियम प्रणाली

7498. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कालेजियम प्रणाली में भारत के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीशों को भी प्रोटोकोल की सुविधा दिए जाने के

कारण भारत के मुख्य न्यायाधीशों को बैठने की अनुमति है जितना कि संभव हों;

(ख) क्या अमरीका में 214 वर्षों के दौरान 16 मुख्य न्यायाधीशों की तुलना में हमारे यहां 52 वर्षों में 30 मुख्य न्यायाधीश (केवल 2002 में ही चार) नियुक्त हुए है;

(ग) क्या संविधान समीक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि वर्तमान कालेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाए जाएं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अधीन की जाती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की है। सरकार, एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा और एक आचार संहिता भी बनाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने के लिए संविधान में संशोधन करना अपेक्षित होगा। सरकार ने इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों से राय मांगी है।

लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा पीजीआईएल की परियोजना पर कार्य

7499. श्री रामसिंह राठवा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड (पीजीआईएल) द्वारा नेवली और त्रिची के बीच पारेषण लाईन बिछाने का लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड को दिए गए ठेके का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पीजीआईएल में दक्षिण भारत में इस प्रकार का ठेका मैसर्स एल. एंड टी. लि. को दिया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर आने वाली लागत, आदि सहित तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) द्वारा दिसम्बर, 2000 में खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रतियोगिता के माध्यम से मै. एल एंड टी लि., चेन्नई को टर्न-की के आधार पर 400 किलो वाट डी.सी. नैवली-त्रिची लाईन के लूप-इन लूप-आउट (लीलो) के निर्माण हेतु एक ठेका दिया गया था। इस संविदा के कार्य क्षेत्र में टावरों, कंडक्टर, भू-तार, विद्युत रोधकों, हार्डवेयर फिटिंग्स तथा सहायक उपस्कर तथा लाईन का परीक्षण तथा प्रचालन समाविष्ट है। लीलो लिंक की लंबाई 14.6 कि.मी. डी.सी. है। इस परियोजना में 37 संचार टावरों का उत्थापन सम्मिलित है। इस संविदा का मूल्य 12.313 करोड़ रुपये था, जिसमें 8.396 करोड़ रुपये सामान की आपूर्ति के लिए तथा 3.917 करोड़ रुपये सभी निर्माण गतिविधियों के लिए समाविष्ट हैं। वास्तविक निष्पत्ति लागत लगभग 8 करोड़ रुपये है। 7.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है 0.63 करोड़ रुपये की लागत की अंतिम अदायगी अभी तक नहीं की जा सकी है, क्योंकि बोलीदाता द्वारा सभी कार्यों के लिए अभी पुन: मिलान पूरा किया जाना है। उपरोक्त लाईन दिसम्बर, 2001 में पूरी की जा चुकी है।

(ग) से (ङ) उपयुक्त के अलावा पीजीसीआईएल द्वारा मै. एल एंड टी लि. को पिछले 3 वर्षों के दौरान दक्षिणी भारत में अपनी संचारण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित ठेके दिए गए:

(1) 36.47 करोड़ रुपये के कुल संविदा मूल्य पर 6.2.2001 को मै. एल एंड टी को 189 कि.मी. 400 के.वी. डी.सी. नैल्लोर/श्री पेराम्बूर पारेषण लाइन के लिए टावर पैकेज की आपूर्ति तथा उत्थापन हेतु ठेका दिया गया था। इस लाईन के कार्य की अक्तूबर, 2002 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

(2) 45.68 करोड़ रुपये के कुल संविदा मूल्य पर 6.2.2001 को मै. एल एंड टी 170 कि.मी. 400 के.वी. डी.सी. विजयवाड़ा-उपलपाडु पारेषण लाईन के लिए टावर पैकेज की आपूर्ति तथा उत्पादन के लिए ठेका दिया गया था। इस संविदा के कार्य क्षेत्र में इस परियोजना के तहत् नदी पारेषण टावर के लिए अपेक्षित विशेष नींव अर्थात् पाइल नींव का निर्माण समाविष्ट है। इस लाईन का कार्य दिसम्बर, 2002 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा नियोजित कर्मचारी

7500. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थायी प्रकृति के कार्य के लिए ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त किया करता था जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 1998 की अपनी रिपोर्ट संख्या 5 के पृष्ठ 19 के पैरा 2.1.8 में उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रकार नियोजित कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और इनकी सिफारिश किन व्यक्तियों ने की थी;

(ग) इन कर्मचारियों को वेतन किन स्रोतों से संवितरित किया जाता है;

(घ) क्या इस मामले में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आरडीएसओ में कम्पनी का पंजीकरण

7501. डा. बलिराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी कम्पनी के आरडीएसओ में पंजीकरण के क्या मानक निर्धारित हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) माल डिब्बों की मदों के आरडीएसओ में पंजीकरण के लिए क्या अपेक्षाएं पूर्ण करनी होती हैं और उदारीकरण नीति के अंतर्गत ऐसा करने की क्या आवश्यकता है;

(ग) क्या कतिपय एक समान कलपुर्जों यथा साइड फ्रेम की, बोलेस्टान लाइनर, स्प्रिंग प्लांक, ब्रेक बीम के लिए पंजीकरण आवश्यक है जबकि उसी तरह के अन्य कलपुर्जों जैसे सैकल स्टोन, पुल-रॉड, कोच ब्रेक-बीम, एम.जी. स्प्रिंग प्लांक आदि के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) निम्नलिखित का संतोषजनक अनुपालन होने के पश्चात् किसी फर्म को अ.अ.मा.सं. के अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जाता है :

- फर्म के उत्पादों का तकनीकी मूल्यांकन, उसकी तकनीकी सामर्थ्य, क्षमता और गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम की संवीक्षा
- फर्म द्वारा विनिर्मित उत्पादों का निरीक्षण, विशिष्टियों के अनुरूप होना और उनका सफल फील्ड परीक्षण

सवारी एवं माल डिब्बों की मदों के केवल छोटे हिस्से को अ.अ.मा.सं. के पास पंजीकरण अपेक्षित होता है। ये मदें गाड़ी सेवा की संरक्षा एवं विश्वसनीयता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और इसलिए अ.अ.मा.सं. को इन मदों की गुणवत्ता निरंतर बने रहने पर निगरानी रखना आवश्यक होता है।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों के लिए कोचिंग स्टॉक की विनिर्माण रेल मंत्रालय के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों में किया जा रहा है। इन इकाईयों में इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण एवं डिजाइन संगठन मौजूद हैं जो कोच मदों के लिए अर्हक वैंडरों को अनुमोदित करते हैं; सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की इकाइयों में विनिर्मित माल डिब्बा स्टॉक के मामले में यह नियंत्रण अ.अ.मा.सं. करता है।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों में स्टॉक रखना

7502. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में विभिन्न प्रकार के भंडार गृहों में स्टाक रखने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो भंडार गृहों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और इन भण्डार गृहों में कितनी अवधि तक स्टाक रखा जा सकता है;

(ग) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 7 में अधिक मात्रा में स्टाक पाया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रावधानों से अधिक स्टाकों का आयुध कारखाना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नीतिगत प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा प्रावधान प्रक्रिया के अनुसार, आयुध निर्माणियां नीचे दिए अनुसार विभिन्न प्रकार के सामान का भंडार रखने के लिए प्राधिकृत हैं :

सामान का प्रकार	भंडार में रखे जाने के लिए प्राधिकृत मासिक आवश्यकता
आयातित मदें	12 माह
कठिन स्वदेशी मदें	9 माह
अन्य स्वदेशी मदें	6 माह

(ग) से (ङ) वर्ष 2000-01 के दौरान आयुध निर्माणी संगठन का कुल मिलाकर औसत भंडार 162 दिन की आवश्यकता के बराबर था जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 7 में उल्लेख किया है तथा इस प्रकार यह छह माह की प्राधिकृत समय सीमा के अंतर्गत है। तथापि, वर्ष 2000-01 के दौरान पांच आयुध निर्माणियों में भंडार प्राधिकृत सीमा से अधिक था। गत तीन वर्ष के लिए इन पांच निर्माणियों के संबंध में भंडार नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

निर्माणी का नाम	निम्नलिखित तारीख को अंतिम शेष भंडार		
	31.3.2000	31.3.2001	*31.3.2002
भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी	496.18	571.63	459.22
मशीन टूल प्रोटोटाइप निर्माणी, अंबरनाथ	8.38	9.92	8.77
आप्टो इलैक्ट्रॉनिक निर्माणी, देहरादून	19.61	16.16	13.43
इंजन निर्माणी, आवड़ी	38.87	40.54	32.66
आयुध निर्माणी, अबंरनाथ	58.85	71.24	47.00

*प्राक्कलित

भारी वाहन निर्माणी में अधिक सामान का भंडार मुख्य रूप से टैंकों के जारी न किए जाने तथा मांगकर्ता द्वारा टैंकों की कारगर जांच व परीक्षण, उनके मरम्मत-कार्य के कारण है। इसी प्रकार, इंजन निर्माणी, आवड़ी एवं आप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माणी, देहरादून की सामान सूची में मूल्यवान मदों का भंडार आयातित मूल का है तथा इनकी अधिप्राप्ति करना कठिन है, जिसके लिए लंबे समय का आवश्यकता होती है। इन मदों की आवश्यकता की मात्रा कम होने के कारण अनियमित सुपुर्दगी के साथ इन मदों की खरीद करना व्यवहार्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप सामान के स्तर में वृद्धि हुई है।

आयुध निर्माणी बोर्ड ने उपर्युक्त पांच निर्माणियों के संबंध में लागत में सामान का स्तर कम करने को लिए आवश्यक सामान के सुपुर्दगी कार्यक्रमों की अनियमितता सहित अनेक उपचारात्मक उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2002 तक सामान के भण्डारण स्तर में कमी आई है।

व्यय सम्बंधी फर्जी प्रविष्टियां

7503. श्री रामजी मांझी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2001 (रक्षा सेवाएं) की रिपोर्ट संख्या 7 के पैरा 46.5.3 के पृष्ठ 85-86 पर आयुध कारखानों में व्यय की फर्जी प्रविष्टियों को उजागर किया है; और

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर और व्यय की फर्जी प्रविष्टियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने यह पाया कि आयुध निर्माणी, देहू रोड ने वित्त वर्ष 1998-99 में कुछ सामान जारी करने के लिए खातों में अग्रिम रूप से 1.38 करोड़ रुपए का व्यय दर्शाया था, यद्यपि वास्तविक कार्य

सम्पादन अगले वर्ष हुआ। इस प्रकार दर्शाया गया व्यय वर्ष 1998-99 के लिए 5441.11 करोड़ रुपए की उत्पादन लागत में शामिल है।

(ख) आयुध निर्माणी बोर्ड प्रशासनिक कार्रवाई की है और तदनुसार सभी आयुध निर्माणियों को लेखाकरण की प्रक्रिया का उल्लंघन न करने की सलाह दी है।

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रुप में विद्युत परियोजनाएं

7504. श्री अम्बरीश : क्या विद्युत मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का और अधिक विद्युत परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक की जिन विद्युत परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) किसी भी राज्य की विद्युत परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में सेवा मामलों से संबंधित लंबित याचिकाएं

7505. श्री वी. वेंकटेस्वरलु : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सेवा मामलों से संबंधित लंबित याचिकाओं की वर्षवार संख्या कितनी है जो ग्राह्य होने की तिथि से 10 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित हैं;

(ख) क्या इन सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष पीठ और संविधान पीठ का गठन किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सभी मामलों को कैलेण्डर वर्ष के भीतर निपटाए जाने का निर्णय हुआ है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजनीति के अपराधीकरण को रोकना

7506. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मई, 2002 को उच्चतम न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उद्देश्य से अपना विनिर्णय सुनाया है और दिशानिर्देश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार, राज्यों सरकारों, निर्वाचनों आयोग, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों जनता और प्रैस की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार कब तक और किस प्रकार उच्चतम न्यायालय के उक्त विनिर्णय को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव करती है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2001 की सिविल अपील संख्या 7178 - भारत संघ बनाम एसोशिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स एंड और अन्य तथा वर्ष 2001 की रिट याचिका संख्या 294 - पिपुल्स यूनियन फार सिविल लिब्रिटिज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में तारीख 2.5.2002 के अपने निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद या किसी राज्य विधान मंडल निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से आवश्यक आदेश जारी करके शपथपत्र पर उसकी अभ्यर्थियता के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित जानकारी वाला अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की अपेक्षा करते हुए जानकारी मांगने का निदेश दिया है :

(1) क्या अभ्यर्थी को पूर्व में किसी दांडिक अपराध के संबंध में, यदि कोई हो, सिद्धदोष ठहराया गया है/ दोषमुक्त/निर्मुक्त किया गया है; और उसे कारावास या जुर्माने से दंडित किया गया है;

(2) अपना नामांकन फाइल करने के छह मास पूर्व यह उपदर्शित करे कि क्या अभ्यर्थी दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित किसी

लंबित मामले में आरोपित है और क्या न्यायालय द्वारा कोई आरोप विरचित किया गया है या संज्ञान लिया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(3) किसी अभ्यर्थी और उसकी पत्नी या पति तथा उसके आश्रितों की आस्तियों (स्थावर, जंगम, बैंक अतिशेष, आदि);

(4) दायित्व, यदि कोई हो, विशेषतया क्या ऐसे कोई शोध्य है, जिनके लिए वह विशेषतया किसी वित्तीय संस्था या सरकार के प्रति है;

(5) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हताएं।

निर्वाचन आयोग को पूर्वोक्त निदेशों को यथा संभव शीघ्र और किसी भी दशा में दो मास के भीतर क्रियान्वयन करने और प्रभावी बनाने के लिए मानदंड और पद्धतियां तैयार करने का निदेश दिया गया है।

[अनुवाद]

उम्मीदवारों द्वारा रिकार्डों और परिसंपत्तियों का अनिवार्य प्रकटन

7507. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने संसद या विधान सभा चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देने सहित उनके द्वारा रिकार्डों और परिसंपत्तियों के अनिवार्य प्रकटन के लिए निर्देश दिया है जैसा कि 3 मई 2002 के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में भी ऐसा संशोधन लाने का प्रस्ताव किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 13वीं लोक सभा के लिए या उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पंजाब में हाल में हुए विधान सभा चुनावों में निर्वाचित उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में कोई आंकड़ा तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2001 की सिविल अपील संख्या 7178 - भारत संघ बनाम एसोशिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स एंड और अन्य तथा वर्ष 2001 की रिट याचिका संख्या 294 - पिपुल्स यूनियन फार सिविल लिब्रटिज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में तारीख 2.5.2002 के अपने निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद या किसी राज्य विधान मंडल का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से आवश्यक आदेश जारी करके शपथपत्र पर उसकी अभ्यर्थिता के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित जानकारी वाला अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की अपेक्षा करते हुए जानकारी मांगने का निदेश दिया है :

(1) क्या अभ्यर्थी को पूर्व में किसी दांडिक अपराध के संबंध में, यदि कोई हो, सिद्धदोष ठहराया गया है/ दोषमुक्त/निर्मुक्त किया गया है; क्या उसे कारावास या जुर्माने से दंडित किया गया है;

(2) अपना नामांकन फाइल करने के छह मास पूर्व यह उपदर्शित करे कि क्या अभ्यर्थी दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित किसी लंबित मामले में आरोपित है और क्या न्यायालय द्वारा कोई आरोप विरचित किया गया है या संज्ञान लिया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(3) किसी अभ्यर्थी और उसकी पत्नी या पति तथा उसके आश्रितों की आस्तियों (स्थावर, जंगम, बैंक अतिशेष, आदि);

(4) दायित्व, यदि कोई हो, विशेषतया क्या ऐसे कोई शोध्य है, जिनके लिए वह विशेषतया किसी वित्तीय संस्था या सरकार के प्रति है;

(5) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हताएं।

निर्वाचन आयोग को पूर्वोक्त निदेशों को यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में दो मास के भीतर क्रियान्वयन करने और प्रभावी बनाने के लिए मानदंड और पद्धतियां तैयार करने का निदेश दिया गया है।

(ग) से (च) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भिलाई इस्पात संयंत्र में मैंगनीज मिलावट घोटाला

7508. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे बड़े मैंगनीज मिलावट घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एक जांच समिति गठित हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्यातित इस्पात मिलावट के कारण अस्वीकृत हुआ था और भिलाई इस्पात संयंत्र के मिलावटी इस्पात से रेल लाइनों के निर्माण के कारण रेल दुर्घटनाएं हुई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) प्राप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम ई एल) से ट्रकों द्वारा वाहित सामग्री का अचानक निरीक्षण किया गया था। इन ट्रकों से लिए गए नमूनों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया था कि सामग्री, सिलिकों मैंगनीज के विनिर्देशन के अनुरूप नहीं थी। प्राथमिक जांच के पश्चात स्थानीय पुलिस में एक एफ आई आर दर्ज कराई गई है। बी एस पी प्रबंधन ने भी जांच हेतु इस मामले की रिपोर्ट सी बी आई/जबलपुर को दी है। एजेंसियों द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष की प्रतीक्षा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशनों पर बुक स्टाल

7509. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे सहित जोनल रेलवे ने अपने पत्रांक पी आर/जीएन/181 पीटी-IV दिनांक 23 अप्रैल, 1969 के माध्यम से सुझाव दिया था कि बेहतर प्रतियोगिता और अधिक आय हेतु स्टेशनों पर बुक स्टाल ठेके के माध्यम से दिए जाने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सुझाव को स्वीकार नहीं किए जाने के विस्तृत कारण क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे ने सूचित किया है कि ऐसे किसी प्रस्ताव के रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। बुक स्टाल का ठेका निविदा प्रणाली के द्वारा देने के लिए किसी अन्य क्षेत्रीय रेलवे ने भी प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुखोई-30 विमानों की खरीद के लिए समझौता

7510. श्री आर.एस. पाटिल :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ सुकोई-30 विमानों की खरीद के लिए एक समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने विमान प्राप्त हुए और शेष विमान कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है;

(ग) इन विमानों की खरीद के लिए रूस को कुल कितनी राशि अग्रिम के रूप में दी गयी;

(घ) क्या रूस सुकोई-30 विमानों का अपने देश में प्रयोग कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा रूस को दी जा चुकी अग्रिम राशि को वापस लेने के क्या प्रयास किए गए?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) एस यू-30 के/एस यू-30 एम के 1 विमानों की रूस से अधिप्राप्ति की जा रही है। इन की सुपुर्दगी बैचों में की जी रही है। पहला बैच पहले ही प्राप्त हो चुका है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, रूस एस यू-30 के विमानों को ऑपरेट नहीं कर रहा है। चूंकि विमानों की सुपुर्दगी बैचों में की जा रही है, इसलिए रूस को भुगतान की गई अग्रिम राशि वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अक्तूबर, 1996 में 142.268 मिलियन अमरीकी डालर का अग्रिम भुगतान किया गया था।

ए.एच. व्हीलर एंड कंपनी के विक्रयाधिकार की वापसी

7511. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1976 को या उसके बाद बने/जुड़े यात्री प्लेटफार्मों पर कारोबार करने के ए.एच. व्हीलर एण्ड कं. के एकमात्र विक्रय अधिकार को वापस लिए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या 1 जनवरी 1976 के पश्चात् बने भारतीय रेलवे के नए यात्री प्लेटफार्मों पर ए.एच. व्हीलर एण्ड कं. को बुक स्टाल को कोई ठेका 1976 से दिसम्बर 2001 के दौरान दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) मौजूदा नीति के अनुसार 1.1.1976 को या उसके बाद यात्री प्लेटफार्मों पर निर्मित बुक स्टॉलों का आंवटन बेरोजगार स्नातकों और अन्य पात्र श्रेणियों को किया जाना है।

बहरहाल, 1.1.1976 के पश्चात् मैसर्स ए.एच. व्हीलर एण्ड कम्पनी को दिए गए बुक स्टॉलों की संख्या पर रोक लगा दी गई है और मौजूदा नीति और रेलों की परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार इस सीमा के भीतर परिवर्तन की अनुमति है बशर्ते कि वे किसी अन्य स्टेशन पर मौजूदा स्टॉल का अनुरूपयोगी अभ्यर्पण दें।

[हिन्दी]

मनोरंजन क्षेत्र में समझौता

7512. श्री पदमसेन चौधरी :
डा. अशोक पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनोरंजन क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार का विचार उन देशों के साथ समझौता करने का है जो आर्थिक और तकनीकी रूप से सक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ देशों के साथ समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) फिल्मों तथा श्रव्य-दृश्य विषय में सहनिर्माणों सहित विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने आटोमैटिक रूट पर बिना शर्त 100 प्रतिशत विदेशी सीधे पूंजी निवेश की पहले ही अनुमति दे दी है। सह निर्माणों को सरल बनाने की दृष्टि से, कनाडा सरकार के साथ एक श्रव्य दृश्य सहनिर्माण समझौता करने के सम्बन्ध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा प्रणाली

7513. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार और ब्रिटेन की सरकार ने जनवरी 1994 में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बहु विषयक विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य से वर्ष 1994-95 के 1998-99 के दौरान उपलब्ध कराया गया अनुदान अप्रयुक्त रहा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संबंधित महाविद्यालयों द्वारा स्टोर की खरीद में हुई अनियमितताओं के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज में ऊर्जा विषय की परियोजना से संबंधित तकनीकी शिक्षा के सशक्तीकरण संबंधी इण्को-यूके समझौते के तहत वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान मौलाना आजाद कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी (एमएसीटी), भोपाल और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज त्रिचुरापल्ली को 300-300 लाख रुपये की धनराशि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी जिसमें से एमएसीटी, भोपाल और आईसा त्रिची पहले ही इस

परियोजना के लिए क्रमशः 198.93 लाख रुपये और 268.20 लाख रुपये समाजोजित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त एमएटीसी, भोपाल और आरईसी, त्रिची ने इस विषय केन्द्र हेतु उपस्करों को चालू करने, अनुरक्षण करने व उच्चीकरण करने के लिए क्रमशः 50 लाख रुपये और 31.80 लाख रुपये की धनराशि सीडमनी के रूप में रखी है। एमएटीसी, भोपाल द्वारा उपरोक्त उद्देश्य के वित्तीय वर्ष में शेष 51.07 लाख रुपये का समुपयोजन किया जा रहा है। स्टोर्स की खरीद में किसी प्रकार की अनियमितताओं की सूचना नहीं मिली हैं। यह खरीद कालेज की दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

7514. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में मंडल आयोग की सिफारिशों की क्रियान्वयन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंडल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किए जाने पर विचार कर रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती हैं, जिनमें व्यक्तियों की किसी जाति या किसी वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। तथापि, सरकार ने, समय-समय पर, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखे हैं कि वे विधिज्ञ परिषद् से अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, अल्पसंख्यक समदायों के ऐसे व्यक्तियों और महिलाओं का पता लगाएं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

तोपों का निर्माण

7515. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन कैरिएज फैक्ट्री, जबलपुर ने 155 एम एम तोपों का स्वदेश में उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करते हुए जबलपुर और कानपुर आयुध कारखानों ने भी उक्त तोपों का निर्माण किया है;

(ग) क्या वह तोप सेना की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में समर्थ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त तोप के विश्व बाजार में बेचे जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नमक का परिवहन

7516. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मार्च 2002 को गुजरात इनलैंड साल्ट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने उनकी नमक के परिवहन पर ढुलाई प्रभार में 135% की असामान्य वृद्धि के संबंध में अभ्यावेदन भेजे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अभ्यावेदन पर रेल मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी हां।

में बढ़ोत्तरी के संबंध नें लिखा है और सभी नमक आपूर्ति केन्द्रों के पूर्व, पूर्वोत्तर और मध्य भारत विभिन्न गंतव्यों के लिए मालभाड़ा वसूल करने का सुझाव दिया है।

(ग) जैसा कि वर्ष 2002-03 के रेल बजट में घोषणा की गई है, युक्ति मालभाड़ा ढ़ाचे में खाद्य नमक को निम्नतर श्रेणी-90 में रखा गया है।

चूंकि मालभाड़ा परिवहन की वास्तविक दूरी पर आधारित है, इस बात से सहमत होना सम्भव नहीं है कि पृथक-पृथक दूरी के समान माल भाड़ा वसूल किया जाए।

[हिन्दी]

आयातित मदों पर विशेषज्ञों की राय

7517. श्री रामदास आठवले :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बा, टांसफार्मरों, रेल इंजनों और क्रेनों के आयात के संबंध नें विशेषज्ञ उचित रूप से राय नहीं दे सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे रेलवे को भारी घाटा उठाना पड़ा हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आयातित उपकरणों के असफल होने के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी नहीं। उपस्कर और चल स्टाक के आयात के सभी मामलों की विभिन स्तरों पर सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और आर्थिक एवं तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगा लेने के बाद ही किसी मद के आयात का निर्णय लिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जब कभी किसी नये आयतित उपस्कर और चलस्टाक को भारतीय परिस्थितियों के अंतर्गत कार्य के लिए अधिष्ठापित किया जाता है तो कभी-कभार अधिष्ठापन की आरंभिक अवधि में प्रारंभिक कठिनाइयां हो जाती हैं। बहरहाल, ये कठिनाइयां साधारणतया वारंटी देयताओं के अंतर्गत विक्रेताओं के सक्रिय सहयोग से और ऐसे उपस्कर और चल स्टॉक से काम वाले कर्मियों को गहन प्रशिक्षण देकर हल कर ली जाती है।

[अनुवाद]

लौह मिश्रित धातु परिवहन घोटाला

7518. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई स्टील प्लांट में नकली लौह मिश्रित धातु लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनियमितताओं की सत्यता की कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) प्राप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र लिमिटेड (एम ई एल) से दो ट्रकों द्वारा वाहित सामग्री का अचानक निरीक्षण किया गया था। इन ट्रकों से लिए गए नमूनों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया था कि सामग्री, सिलिकों मैंगनीज के विनिर्देशन के अनुरूप नहीं थी। प्राथमिक जांच के पश्चात् स्थानीय पुलिस में एक एफ आई आर दर्ज कराई गई है। बी एस पी प्रबंधन ने भी जांच हेतु इस मामले की रिपोर्ट सी बी आई/जबलपुर को दी है एजेंसियों द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष की प्रतीक्षा है।

(ङ) से (छ) इस मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के संलिप्त होने के बारे में जांच की जा रही है। निवारक उपाय के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र के पांच कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा छह कर्मचारियों को अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया है।

[हिन्दी]

ट्रायल कोर्ट

7519. श्री शिवाजी माने : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिए गए निर्णय की जानकारी है जिसके अनुसार मुकदमें की अगली तारीख का निर्णय करने और उसे बताने की प्रक्रिया के अनुपालन मात्र के लिए ट्रायल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता क्योंकि इससे ट्रायल कोर्ट को महत्वपूर्ण समय नष्ट होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों की लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के विषय में उनके विचारों को सुझाने और उन सभी मुकदमों का जिसे इस निर्णय के अंतर्गत लाया जा सकता है उनका पता लगाने और भविष्य में ऐसे मुकदमों को स्वीकार न करने का निर्देश देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

परिवार न्यायालयों की स्थापना

7520. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार न्यायालयों की स्थापना और उनके बेहतर कार्यकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों की नियुक्ति का दायरा बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रशासकों, सामाजिक कार्यकताओं को शामिल करने तथा महिलाओं की समस्या के प्रति न्यायालयों को संवेदनशील बनाने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां। और अधिक कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने और सहायता देने के लिए, वर्ष 2002-2003 के दौरान स्थापित किए जा रहे नए कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने और उन्हें चलाने के लिए उन्हें पचास प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुम्बई में स्काई बस परियोजना

7521. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे कारपोरेशन की सहभागिता में मुम्बई में स्काई बस परियोजना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई सें स्काई बस मैट्रो को कार्यान्वित करने के लिए मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एम एम आर जी ए) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। कोंकण रेलवे द्वारा एम एम आर जी ए को प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर वे कोंकण रेलवे के सहयोग से अंधेरी से घाटकोपर तक स्काई बस मैट्रो के कार्यान्वयन की योजना बना रहे हैं। इसके कार्यान्वयन की कार्य प्रणाली का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) वित्तीय और कार्यान्वयन कार्यक्रम अभी तैयार किए जाने है।

फोटो पहचान पत्र

7522. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए फोटो पहचान पत्रों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक देश के कितने प्रतिशत नागरिकों को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं; और

(ग) शेष नागरिकों को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी हां। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उसके द्वारा आरंभ किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र संबंधी कार्यक्रम में पर्याप्त प्रगति हुई है। कुछ राज्यों ने आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट 85% के न्यूनतम लक्ष्य को पूरा कर लिया है, कुछ राज्य लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं और उनके निकट भविष्य में लक्ष्य को पूरा करने की संभावना है। तारीख 30.4.2002 को मतदाता फोटो पहचान पत्रों के जारी किए जाने की प्रगति को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। जहां तक शेष निर्वाचकों को इन पत्रों के जारी करने का संबंध है, आयोग ने यह सूचित किया है कि उसने कार्यक्रम का व्यापक रूप से पुनर्विलोकन किया है और वर्ष 2000 में इसका दूसरा चरण आरंभ किया है, जिसके दौरान ऐसे शेष रह गए निर्वाचकों को भी, जिनको कार्यक्रम के पहले चरण में सम्मिलित नहीं किया गया था, ऐसे नए निर्वाचकों के साथ सम्मिलित किया गया है, जिनके नामों को प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्ट किए जाते हैं। ऐसे निर्वाचक, जो चालू कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, सदैव कार्यक्रम का शेष भाग बने रहेंगे। आयोग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों को, जो पिछले अभियानों में छूट गए थे और साथ ही नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएं।

विवरण

भारत निर्वाचन आयोग

मतदाता फोटो पहचान-पत्रों की प्रगति संबंधी स्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिविहीन पहचान पत्र जारी किए गए	प्रतिशतता (5, 4 का कितना प्रतिशत है)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	50,898,945	32,568,406	63.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	638,718	373,452	58.47
3.	असम	14,426,221	67,479	0.47
4.	बिहार	58,438,217	21,681,836	37.10
5.	गोवा	934,980	518,103	55.41
6.	गुजरात	30,437,773	23,177,051	76.15
7.	हरियाणा	12,275,952	9,182,618	74.80
8.	हिमाचल प्रदेश	3,978,795	2,659,253	66.84
9.	जम्मू-कश्मीर**	5,022,782	0	0.00
10.	कर्नाटक	35,123,307	24,612,144	70.07
11.	केरल	22,835,568	18,344,689	80.33
12.	मध्य प्रदेश	35,244,850	21,855,970	62.01
13.	महाराष्ट्र	58,285,729	44,455,999	76.27
14.	मणिपुर	1,441,936	1,033,733	71.69

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	1,206,720	713,632	59.14
16.	मिजोरम	457,434	0	0.00
17.	नागालैंड	966,275	625,996	64.78
18.	उड़ीसा	25,049,023	18,232,312	72.29
19.	पंजाब	15,606,639	11,785,471	75.52
20.	राजस्थान	31,538,025	23,776,086	75.39
21.	सिक्किम	257,062	200,077	77.83
22.	तमिलनाडु	47,365,189	31,662,414	66.85
23.	त्रिपुरा	1,880,746	1,226,795	67.36
24.	उत्तर प्रदेश	98,863,132	56,419,336	57.07
25.	पश्चिम बंगाल	48,672,291	42,193,813	86.69
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	285,296	195,072	75.52
27.	चंड़ीगढ़	538,607	381,048	70.75
28.	दादरा और नगर हवेली	118,397	87,150	73.61
29.	दमण और दीव	71,931	45,645	63.46
30.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	8,186,002	4,368,226	53.36
31.	लक्षद्वीप	36,738	31,813	86.59
32.	पांडिचेरी	658,927	555,675	84.33
33.	छत्तीसगढ़	12,737,705	5,398,879	42.39
34.	झारखंड*	-	-	-
35.	उत्तरांचल	5,167,525	2,726,709	52.77
	भारत का योग	629,620,537	401,196,882	63.72

*इसके आकड़ें बिहार के आकड़ों में सम्मिलित हैं। राज्य के लिए पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
**इस स्कीम का विस्तार जम्मू-कश्मीर पर नहीं किया जाएगा।

एनरॉन

7523. श्री मंजय लाल :
श्री अरुण कुमार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थोक विद्युत और प्राकृतिक गैस बाजारों की राष्ट्रव्यापी जांच संबंधी संघीय विनियामकों के आदेश पर ध्यान दिया है जिसमें एनरॉन अथवा अन्य ऊर्जा व्यापारियों द्वारा हेराफेरी किए जाने के कारण एक वर्ष पूर्व मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि पर ध्यान केन्द्रीय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो एनरॉन के साथ ऊंचे मूल्य के विद्युत करार के बारे में अमरीका सरकार के साथ क्या मामले उठाए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं किया गया है। तथापि मीडिया में यह सूचित किया गया है कि यूएएस में बिजली की कीमतों में वृद्धि होने के लिए इसमें शामिल एजेंसियों और घटकों की जांच आरम्भ की गई है।

(ख) भारत सरकार ने डाभोल के संबंध में मामला न तो अमेरिकी सरकार के साथ उठाया है न ही ऐसा करने का प्रस्ताव रखती है।

[हिन्दी]

बायो गैस संयंत्रों की स्थापना

7524. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात बायो गैस के उपयोग में अग्रणी है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार कितने बायो गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) इन संयंत्रों की अनुमानित प्रस्तावित और वास्तविक क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने लागत-लाभ अनुपात का कोई विश्लेषण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी हां। गुजरात ऐसे कुछ राज्यों में से एक है जो केन्द्रीय क्षेत्र की योजना – राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एनपीडीबी) के अंतर्गत परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना में अग्रणी हैं। अब तक देश में लगभग 33.5 लाख परिवार आकार के संयंत्र लगाए गए हैं। स्थापित किए गए परिवार आकार के संयंत्रों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) परिवार आकार के संयंत्रों की संस्थापित क्षमता प्रतिदिन एक से छः घनमीटर गैस उत्पादन के बीच है। "राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम का सामाजिक-आर्थिक लागत-लाभ विश्लेषण सर्वेक्षण" नामक एक अध्ययन, जिसे राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर), नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1998 में किया गया, ने यह रिपोर्ट दी है कि अखिल भारतीय औसत आधार पर क्षमता उपयोग एक घनमीटर संयंत्र के मामले में 100 प्रतिशत से लेकर 6 घनमीटर संयंत्र के मामले में 44 प्रतिशत के बीच है।

(घ) और (ङ) जी हां। "राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम का सामाजिक-अर्थिक लागत-लाभ विश्लेषण सर्वेक्षण" पर सरकार द्वारा प्रायोजित अध्ययन में यह रिपोर्ट भी है कि सबसे अधिक लोकप्रिय स्थिर डोम दीनबंधु-मॉडल आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य था क्योंकि जब सब्सिडी के द्वारा पूंजीगत लागत को 10 प्रतिशत तक कम किया गया तो सम्पूर्ण संस्थापना लागत 7 वर्षों में वसूल हो जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एनपीबीडी) के अंतर्गत वर्ष 1981-82 से 2001-2002 की अवधि के दौरान स्थापित किए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार कुल संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनपीबीडी
1	2
आंध्र प्रदेश	332429
अरूणाचल प्रदेश	1172
असम	49829
बिहार	120490
छत्तीसगढ़	3000

1	2
गोवा	3355
गुजरात	351605
हरियाणा	44149
हिमाचल प्रदेश	43933
जम्मू एवं कश्मीर	1957
कर्नाटक	337248
केरल	79608
मध्य प्रदेश	200461
महाराष्ट्र	671135
मणिपुर	1956
मेघालय	2009
मिजोरम	2818
नागालैंड	1657
उड़ीसा	185690
पंजाब	68626
राजस्थान	66547
सिक्किम	3465
तमिलनाडु	201053
त्रिपुरा	1703
उत्तर प्रदेश	367986
पश्चिम बंगाल	203727
अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	2117
कुल	3349725

सलाहकार समितियां

7525. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल प्रयोक्ता सलाहकार समितियों/स्टेशन सलाहकार समितियों का गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समितियों में सदस्यों का नामांकन करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) किसी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है; और

(ङ) उक्त समितियों की क्या भूमिका है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) सभी 59 मंडलों पर मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, 9 क्षेत्रीय रेलों पर क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति तथा राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श परिषद का 1.1.2002 से 31.12.2003 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है।

स्टेशन परामर्श समितियों का गठन प्रत्येक क्षेत्रीय तथा मंडल मुख्यालयों और महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा वाणिज्यिक केन्द्रों को सेवित करने वाले चुनिंदा स्टेशनों पर भी किया जाता है। क्षेत्रीय रेलों के 358 स्टेशनों पर इन समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा मध्य, पूर्व, दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम रेलों पर उपनगरीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

(ग) और (घ) उन विभिन्न हितों जिन्हें इन समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, को इन समितियों के संविधान में पहले ही निर्धारित किया गया है और तदनुसार सदस्यों को नामित किया जाता है। इन समितियों में नामत किए जाने वाले सदस्यों का संख्या मंडल दर मंडल और रेलवे दर रेलवे भिन्न-भिन्न होती है।

(ङ) मंडल, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों की स्थापना, रेल उपयोगकर्त्ताओं को बेहतर प्रतिनिधित्व देने तथा रेलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं तथा ऐसी सेवाओं की कुशलता में सुधार लाने के उपायों से संबंधित मामलों पर रेल प्रशासन और उपयोगकर्त्ताओं के बीच परामर्श के और अधिक निरंतर अवसर देने के लिए की जाती है।

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित भूमि हेतु मुआवजा

7526. श्री बीर सिंह महतो :
श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बगजोरी और फरक्का गांवों के किन-किन व्यक्तियों की भूमि एनटीपीसी ने अधिग्रहित की है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण के समय भूमि के मालिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्तियों को अभी नौकरी दी जानी चाहिए; और

(घ) शेष व्यक्तियों को नौकरियां दिए जाने में विलंब के क्या कारण है और इसके लिए कितना समय आवश्यक है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) उन लोगों के नाम निम्नवत हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा गांव बगजोरी, फरक्का, पश्चिम बंगाल में किया गया है।

1. मो. हबीबुल्ला मियां
2. श्री चुडू हंसदा
3. श्री नारायण पंडित
4. श्री मानिक पंडित
5. श्री हरचंद पंडित
6. श्री प्रधान हंसदा
7. श्री जगन्नाथ भगत
8. श्री बिश्वनाथ भगत

(ख) जी, नहीं। एनटीपीसी द्वारा भू-विस्थापितों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बसीरहाट, पश्चिम बंगाल में टी वी ट्रांसमीटर की स्थापना

7527. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलकाता दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए बसीरहाट, पश्चिम बंगाल में नए टी वी ट्रांसमीटर की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बसीरहार कोलकाता स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों (डी डी-I और डी डी-II) के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है।

[हिन्दी]

कर्मचारियों की छंटनी

7528. श्री बाबूभाई के. कटारा : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों की छंटनी में वरिष्ठता/कनिष्ठता के पहलू पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालय/विभाग को वरिष्ठता/कनिष्ठता के पहलू का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) ज्येष्ठता केवल काडर के भीतर ही, जो कर्मचारिवृन्द का ऐसा समूह है जिसे पृथक इकाई के रूप में गठित किया गया है, सुसगंत है। अत: ज्येष्ठता ऐसे कर्मचारियों के मामलों में सुसंगत नहीं है जिन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है। संविदा के आधार पर नियुक्ति की अवधि को व्यक्ति और संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा पारस्परिक रूप से विनिश्चित किया जाता है। संविदा की समिति दोनों पक्षकारों की सहमति से हो सकती है।

[अनुवाद]

एनटीपीसी के लाभ में गिरावट

7529. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के लाभ में उस वर्ष के लिए

निर्धारित 3900 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में बहुत गिरावट रही;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना वास्तविक लाभ हुआ और गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) एनटीपीसी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) लेखापरीक्षित एकाउन्ट्स के अनुसार वर्ष 2000-01 के लिए कर हटाने के बाद कुल लाभ 3733.80 करोड़ रुपये थी। 1.4.2001 के एनटीपीसी द्वारा तैयार विद्युत के लिए लागू टैरिफ मानदंड भी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के साथ लागू हो गए हैं। इन मानदंडों के अनुसार 2001-2002 के दौरान एनटीपीसी का राजस्व पूर्व की तुलना में कम होने का अनुमान है। 1.4.2001 से एनटीपीसी के स्टेशनों के लिए के.वि.वि. आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण को लंबित रखते हुए एनटीपीसी द्वारा पूर्वव्यापी समायोजन की शर्त पर के.वि.वि. आयोग द्वारा स्वीकृत पूर्व की टैरिफ अधिसूचना के अनुसार अनंतिम आधार पर बिलिंग शुरू कर दी गई है। इन टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार वर्ष 2001-2002 के लिए कुल लाभ अनंतिम रूप से 3916.77 करोड़ रु. होने की आशा है। के.वि.वि. आयोग के मानदंडों के अनुसार वर्ष 2001-2002 के लिए कुल 3579.65 करोड़ रु. का लाभ होने की आशा है।

देश के सामान्य प्रशासन में न्यायपालिका का हस्तक्षेप

7530. श्री सईदुज्जमा : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के नेमी और सामान्य प्रशासन में न्यायपालिका द्वारा बार-बार हस्तक्षेप किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या शासन के दो सर्वोच्च अंगों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से सरकार का विचार न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बचने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने का है ताकि हमारी राजव्यवस्था के ढांचे और संतुलन को बिगड़ने से बचाया जा सके?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) न्यायपालिका, संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करती है जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक् रखने का उपबंध है। संविधान में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का उपबंध है।

न्यायपालिका का हस्तक्षेप, संविधान द्वारा उपबंधित सीमाओं के अध्यधीन है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने जनहित मुकदमों की बाबत दिशा-निर्देश अधिकथित किए हैं जिसके अनुपूरक के रूप में समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए व्यवहार निदेश भी हैं।

सरकार इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी करने या विधान बनाने पर विचार नहीं कर रही है।

कार्पोरेट जगत द्वारा किए गए लेखाओं की यादृच्छिक जांच

7531. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार्पोरेट जगत द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए लेखाओं की यादृच्छिक जांच करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी कम्पनी के लेखाओं की जांच की मौजूदा प्रणाली प्रभावी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो लेखाओं की यादृच्छिक जांच से लेखापरीक्षकों द्वारा की गई विभिन्न गड़बड़ियों को किस सीमा तक रोका जा सकेगा?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि उन कम्पनियों के मामले में जहां लेखापरीक्षक रिपोर्ट में लेखाओं, तुलन पत्रों तथा लाभ व हानि लेखा की यादृच्छिक जांच पर एक अर्हता हो पर विशेषज्ञ समूह द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। इससे कारपोरेट सैक्टर को उचित संदेश मिलेगा।

कर्नाटक में सोलर फोटो वोल्टिक विंड हाइब्रिड विद्युत संयंत्र

7532. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्नाटक सोलर फोटो वोल्टिक विंड हाइब्रिड विद्युत संयंत्र को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिए अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) उक्त संयंत्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है; और

(घ) इस परियोजना से प्राप्त होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (घ) जी हां। आपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने नवम्बर, 1997 में कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (केएससीएसटी) को 7.75 किवा. समग्र क्षमता की एक सोलर फोटोवोल्टिक-विंड हाइब्रिड प्रणाली की स्थापना के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है। 23,30,000 रु. की कुल परियोजना लागत में से हाइब्रिड प्रणाली के लिए मंत्रालय ने अपने भाग की 10,30,000 रु. में राशि मंजूर की है। परियोजना की स्थापना सरकारी गेस्ट हाऊस, केमन्नागुन्डी, चिक्कमगलूर जिले में की गई है। हाइब्रिड प्रणाली मार्च, 2000 में शुरू की गई थी। प्रणाली में 5.25 किवा. क्षमता सोलर फोटोवोल्टिक ऐरे तथा 2.5 किवा. पवन इलैक्ट्रिक जनरेटर शामिल होती है।

गेस्ट हाऊस में पारंपरिक विद्युत आपूर्ति नहीं थी। गेस्ट हाऊस कॉम्पलैक्स में अंदर और बाहर दोनों जगह रोशनी के लिए विद्युत उपलब्ध कराने के लिए हाइब्रिड प्रणाली से उत्पादित बिजली का उपयोग किया जाता है। इस परियोजना के अनुभव क्षेत्रों में भी परियोजना की योजना तैयार करने में उपयोगी रहे हैं।

बारूदी सुरंगों से होने वाली मौतें

7533. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च, 2002 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में लैण्डमाइन कैजुअल्टी रेट स्पार्क कन्सर्न शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसमें प्रकाशित मामले के पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सीमा पर बारूदी सुरंगों में हुए विस्फोटों के कारण प्रतिमाह कितने रक्षा कार्मिक और नागरिक मारे गए हैं;

(घ) इन विस्फोटों में मारे गए कर्मियों और नागरिकों के निकट संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा रक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौत की घटनाओं को कम से कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सरकार को 8 मार्च 2002 के *हिन्दुस्तान टाइम्स* में 'लैंडमाइन कैजुअलटी रेट स्पार्क कन्सर्न' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है।

सुरंग बिछाने का काम सदैव खतरे का होता है तथा प्रशिक्षण में भी कार्मिक हताहत होते हैं। 1 जनवरी, 2000 से 30 अप्रैल, 2002 तक गत दो वर्ष के दौरान आकस्मिक जमीनी सुरंगें फटने एवं काम चलाऊ विस्फोट उपकरण फटने के कारण मारे गए सेना कार्मिकों का माह-वार ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार हैं :

महीना	2000	2001	2002
जनवरी	–	4	17
फरवरी	3	2	3
मार्च	5	5	2
अप्रैल	2	1	6
मई	–	5	–
जून	1	1	–
जुलाई	–	5	–
अगस्त	1	6	–
सितम्बर	2	13	–
अक्तूबर	1	6	–
नवम्बर	7	3	–
दिसंबर	2	35	–
जोड़	24	86	28

सेना द्वारा किए गए सभी एहतियाती उपायों के बावजूद जब सिविलियन अपनी फसलों या मवेशियों की देखभाल करने के लिए बाड़ लगे सुरंग क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो वे हताहत हो जाते हैं। जमीनी सुरंगों के फटने से मारे गए सभी सिविलियनों के ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते।

जहां तक सेना कार्मिकों का संबंध है एक व्यापक मुआवजा कल्याण पैकेज का अनुमोदन किया गया है जो नीचे दिए गए अनुसार है :

(1) यदि 'संक्रिया पराक्रम' या किसी अन्य युद्ध के दौरान हताहत होता है तो सभी हताहतों को 7.5 लाख रुपये की दर पर अनुग्रह राशि और उदारीकृत परिवार पेंशन, बीमा तथा अन्य लाभ दिए जाते हैं।

(2) यदि सुंरग के परीक्षण के दौरान हताहत होता है तो 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और विशेष परिवार पेंशन, बीमा और अन्य लाभ दिए जाते हैं।

आतंकवाद से पीड़ित नागरिकों और बारूदी सुरंग के विस्फोट के कारण होने वाले हताहत के मामले में आतंकवादी घटना के कारण हुई मृत्यु, लगी चोट आदि के लिए जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह राहत इस प्रकार दी जाती है :

मृत्यु के मामले में निकटतम संबंधी को 1 लाख रुपये, स्थायी निशक्तता, गंभीर चोट और मामूली चोट के लिए क्रमश: 75,000 रुपये, 5,000 रुपये और 1,000 रुपये दिए जाते हैं।

बारूदी सुरंगों के विस्फोटों के कारण कम-से-कम रक्षा कार्मिक और नागरिक हताहत हों, इसके लिए सेना निम्नलिखित कवायद करती है :

(1) सुरंग बिछाने का काम उन कार्मिकों के द्वारा किया जाता है जो इस काम के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित होते हैं।

(2) पुराने सामान को बदलने के लिए नई सुरंगे और फ्यूज अधिप्राप्त किए जा रहे हैं।

(3) जब भी कोई हताहत होता है तो, यदि अपेक्षित हो तो, कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय करने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाते हैं।

(4) चिह्नांकित सुरंग क्षेत्रों की परिधि के पास क्षेत्रीय भाषा में खतरे के संकेत पट्ट लगाए जाते हैं।

(5) सेना कार्मिक सुरंग क्षेत्र की परिधि में नियमित रूप में गश्त करते हैं।

(6) सेना कार्मिक ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें सुरंग क्षेत्रों के खतरों की जानकारी देते हैं।

(7) सुरंग क्षेत्रों में प्रवेश करने के खतरे के बारे में गांव के सरपंच और नंबरदार आदि सहित सिविल प्रशासन को भी हिदायते दी गई हैं।

[हिन्दी]

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम

7534. श्री हरिभाई चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) निजी और विदेशी चैलन-वार किन-किन भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे है;

(ख) प्रसारण की चैनल-वार अलग-अलग दैनिक अवधि क्या है;

(ग) क्या इन चैनलों द्वारा सरकार को कोई राशि या रायल्टी अदा की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी चैनल ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सरकार ऐसी सूचना नहीं रखती है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन

7535. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने रेल विभाग की अपनी चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिकता की समीक्षा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग ने वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के सुझावों के दृष्टिगत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कार्रवाई कब शुरू की गई थी और इनकी प्राथमिक अनुमानित लागत और इनको पूरा किए जाने का कार्यक्रम क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान लागत क्या है और क्या वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) योजना आयोग ने अपने एकीकृत नीति दस्तावेज, अक्टूबर 2001 में सिफारिश की है कि रेल परियोजनाओं के बकायों की काफी संख्या को देखते हुए इन परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है।

(ख) नई लाइनों तथा आमान परिवर्तन योजना शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची सरकार के अनुमोदन से रेलों द्वारा नवंबर, 1998 में निर्धारित की गई थी।

(ग) इन परियोजनाओं की मूल लागत सहित-शीर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु. में)

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित मूल लागत
नई लाइनें	83	19,000
आमान परिवर्तन	70	12,000

प्रत्येक परियोजना के आवश्यक अनुमोदन तथा स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद परियोजना विशेष के कार्यान्वयन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य तिथि वर्ष-दर-वर्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) सभी चालू नई लाईन परियोजनाओं तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं की अनुमानित नवीनतम प्रत्याशित लागत 25,000 करोड़ रु. तथा 17,000 करोड़ रुपए है। इनमें से कुछ परियोजनाओं का आवश्यक अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है।

दोषयुक्त इस्पात का शुल्क रहित आयात

7536. डा. चरण दास महंत : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत दोयम दर्जे/दोषयुक्त इस्पात के शुल्क रहित आयात की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या कुछ मामलों में स्वीकृत अपशिष्ट मापदंड 75-80% तक है;

(ग) यदि हां, तो क्या घरेलू इस्पात उत्पादकों ने अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत दोयम दर्जे/दोषयुक्त इस्पात के आयात के विरुद्ध एक अभ्यावेदन दिया है;

(घ) क्या दोयम दर्जे/दोषयुक्त इस्पात के प्रयोग का तैयार उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या इस्पात मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय को अग्रिम लाईसेंस योजना के अंतर्गत दोयम दर्जे/दोषयुक्त इस्पात के आयात पर नियंत्रण पाने के लिए किन्हीं उपायों का प्रस्ताव किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वाणिज्य मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। साइकिल की चेनों के निर्माण तथा निर्यात के लिए आटो पार्टस जैसे कुछ चुने हुए मामलों में स्वीकृत अपशिष्ट मापदंड 75% से 80% तक है।

(ग) जी, हां। अग्रिम लाइसेंस रूट के माध्यम से दोयम तथा दोषपूर्ण इस्पात की आयात मात्रा में वृद्धि के संबंध में घरेलू इस्पात उद्योग से इस आधार पर अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं कि इन आयातों में से कुछ चोरी-छिपे तरीके से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डी टी ए) में प्रवेश कर जाते हैं।

(घ) और (ङ) अग्रिम लाइसेंस के तहत दोयम तथा दोषपूर्ण इस्पात का शुल्क मुक्त आयात तथा स्वीकृत अपशिष्ट मापदंड तकनीकी प्राधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार ही किया जाता है। देश में आयातित दोयम तथा दोषपूर्ण इस्पात मदों की गुणवत्ता में भारी अंतर है। परिसज्जित उत्पादों की गुणवत्ता प्रयुक्त किए गए आयातित दोयम/दोषपूर्ण इस्पात की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

(च) और (छ) इस्पात मंत्रालय सामान्यत: दोयम तथा दोषपूर्ण इस्पात के आयात को नियंत्रित करने के लिए जांच-पड़ताल की पद्धति बनाने में सक्षम रहा है अर्थात ऐसी मदों पर 40% की सीमित दर तक शुल्क, न्यूनतम मूल्य, गुणवत्ता के मामले में बी आई एस मानकों का अनुपालन तथा दोयम/दोषपूर्ण इस्पात की निश्चित मदों के लिए विशिष्ट पत्तनों पर ऐसे आयात पर प्रतिबंध। अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत दोयम/दोषपूर्ण इस्पात के आयात को प्रतिबंधित करने के मामले पर वाणिज्य मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जांच चल रही है।

मांग और आपूर्ति में अंतर

7537. श्री ई. पोन्नुस्वामी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा तमिलनाडु में लगाए जाने के लिए विचाराधीन, पूरी की गई और लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अधिक उत्पादन और आपूर्ति के लिए राज्य सरकार को सहयोग करने हेतु मार्ग दर्शन करने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को चालू किया गया है और निर्माण निर्धारित समय के भीतर पूरा किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 31.3.2002 की स्थितिनुसार तमिलनाडु के संबंध में पहले ही पूर्ण कर ली गई विद्युत परियोजनाओं और जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में जांचाधीन है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

निजी क्षेत्र में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हैं लेकिन इन परियोजना द्वारा अभी निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	कारण
1.	तूतीकोरिन टीपीएस चरण-4	525 मेगावाट	मुकदमेबाजी
2.	उत्तरी मद्रास टीपीएस चरण-2	2 × 525 मेगावाट	मुकदमेबाजी
3.	उत्तरी मद्रास चरण-3	525 मेगावट	पीपीए का समाप्त हो जाना
4.	कुड्डालोर टीपीएस	2 × 660 मेगावाट	राज्य द्वारा विद्युत न खपाया जाना
5.	वेम्बर सीसीपीपी	1873 मेगावाट	राज्य द्वारा विद्युत न खपाया जाना

निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं तमिलनाडु में निर्माणधीन है। 10वीं योजना में इन्हें चालू करने की आयोजना की गई है।

1.	पाइकारा	150 मेगावाट
2.	पेरूंगुलम (वलथुर)	95 मेगावाट
3.	भवानी काथलाइ I, II और III	90 मेगावाट
4.	कूत्रलम गैस	100 मेगावाट
5.	नेवेली जीरो	250 मेगावाट
6.	नेवेली विस्तार	210 मेगावाट
7.	नेवेली II विस्तार	500 मेगावाट

(ग) और (घ) वर्तमान में के.वि.प्रा. की स्वीकृति प्राप्त गैस आधारित विद्युत परियोजना केवल एक है नामश: 1873 मेगावाट क्षमता की वेम्बार सीसीजीटी जिसे वित्तीय समापन की तिथि से 50 माह के भीतर चालू किया जाना था। परियोजना हेतु तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति सितम्बर, 1999 में प्रदान की गई थी। तथापि टीएनईबी की समस्त विद्युत को खपाने में अक्षमता होने के कारण वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार परियोजना के रूप में इस परियोजना तो प्रवर्तित करने के लिए यह मुद्दा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन को भेजा गया है।

विवरण

चालू की गई तथा के.वि.प्रा. में जांचाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
	31.3.2002 तक पूर्ण की गई परियोजनाएं	
	थर्मल	
	राज्य क्षेत्र	
1.	एन्नौर	450
2.	तूतीकोरिन	1050
3.	मेट्टूर	840
4.	उत्तरी मद्रास	630
5.	बेसिन ब्रिज (गैस)	120
6.	नरीमनम	10
7.	कोविकलप्पल	107

1	2	3
निजी क्षेत्र		
8.	पिल्लइपेरुमलनल्लूर	330.50
9.	बेसिन ब्रिज (डीजल)	200
10.	समलपट्टी	106.66
11.	समयानल्लूर	106
केन्द्रीय क्षेत्र		
12.	नैवेली	1770
हाइड्रो		
राज्य क्षेत्र		
13.	पाइकारा	71.95
14.	मोयार	36
15.	कुन्डा	555
16.	मेट्टूर डेम	40
17.	मेट्टूर टनल	200
18.	पेरियार	140
19.	कोडयार	100
20.	शोलायार	95
21.	अलियार	60
22.	सरकारपैथी	30
23.	पापनासम	28
24.	सुरूलियार	35
25.	सरवालार	20
26.	लोअर मेट्टूर	120
27.	कडमपराज	400
28.	वैगज	6
29.	लोअर भवानी	16
30.	सतनूर डैम	7.5
31.	पारसन वैली	30
32.	पुनाची	2
33.	त्रिमूर्ति	1.95
34.	मर्बाकण्डी	0.75
परमाणु		
केन्द्रीय क्षेत्र		
35.	एमएपीएस	340
पवन		
राज्य क्षेत्र		
36.	विंड फार्मस	19.40
निजी क्षेत्र		
37.	विंड फामर्स	812.90
विद्युत परियोजनायें जो के.वि.प्रा. के जांचाधीन हैं		
थर्मल		
केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	नेवेली टीपीएस II	2 × 250
हाइड्रो		

वर्तमान में सरकार और निजी दोनों क्षेत्र तमिलनाडु की किसी भी जल विद्युत स्कीम की परियोजना रिपोर्ट के.वि.प्रा. में जांचाधीन नहीं है।

बेहतर पारेषण हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी

7538 श्री पी.एस. गढ़वी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों का विशेषत: गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रसारण बहुत घटिया स्तर का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से बेहतर प्रसारण हेतु उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों का प्रसारण संतोषजनक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। इस समय पांच डी डी चैनलों को डिजीटल पद्धति में प्रसारित करता है। दूरदर्शन के शेष चैनलों को दसवीं योजना के दौरान डिजीटलीकरण करने का प्रस्ताव है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

7539. श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों और कश्मीर में शहीद हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की विधवाओं को पेट्रोल पम्प देने के लिए कोई दस वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो दस वर्ष की अवधि में पेट्रोल पम्प किस अनुपात में दिए जाएंगे;

(ग) इन विधवाओं की सहायता के लिए दस वर्ष की योजना तैयार किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दस वर्षीय योजना को कम समयावधि की योजना बनाया जा सकता था;

(ङ) यदि हां, तो इस विलम्ब से सरकार की छवि को कितना नुकसान हो रहा है; और

(च) सरकार के आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु एक अलग समयावधि तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) सरकार ने कारगिल के शहीदों की विधवाओं और कश्मीर में शहीद हुए आई टी बी पी और बी एस एफ कार्मिकों की विधवाओं को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप (पेट्रोल पम्प) देने के लिए कोई 10 वर्षीय कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

तथापि, रक्षा/अर्धसैनिक कार्मिकों की विधवाओं को खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पम्पों) के लिए आवेदन कर सकने में समर्थ बनाते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों में उपलब्ध अन्य रास्तों के अतिरिक्त सरकार ने आपरेशन विजय (कारगिल) में युद्ध के दौरान शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए एक विशेष योजना बनाई है। इस विशेष योजना के तहत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर किया जाता है।

इसके अलावा सरकार ने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/एस के ओ - एल डी ओ डीलरशिपों का विवेकाधीन कोटा विशुद्ध अनुकंपा आधारों पर निम्नलिखित दो श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को आबंटन के लिए नियत किया है :

(1) ऐसे रक्षा/अर्ध सैनिक/पुलिस कार्मिकों के आश्रित जो कार्रवाई के दौरान मारे जाते हैं अथवा जो अपना कार्य करते समय स्थाई रूप से अपंग हो जाते हैं और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं हुआ हो।

(2) ऐसे केन्द्र/राज्य सरकार कर्मचारियों के आश्रित जो कार्रवाई के दौरान मारे जाते हैं अथवा जो अपना कार्य करते समय स्थाई रूप से अपंग हो जाते हैं और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं हुआ हो।

दिशानिर्देशों के अनुसार किसी वर्ष में विवेकाधीन आबंटनों की संख्या औसत वार्षिक विपणन योजना के 10% अथवा 75 जो भी कम हो, से अनधिक होगी जिनमें से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन साधारणतया औसत वार्षिक विपणन योजना के 5% से अनधिक होंगे।

पेट्रोलियम शोधन और विपणन विनियामक बोर्ड

7540. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त किए जाने के दृष्टिगत एक पेट्रोलियम शोधन और विपणन विनियामक बोर्ड की स्थापना हेतु एक विधेयक को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेट्रोलियम शोधन और विपणन विनियामक बोर्ड के उद्देश्य और कार्य क्या-क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने 6 मई, 2002 को पेट्रोलियम नियामक बोर्ड विधेयक 2002 लोक सभा में प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित बोर्ड के मुख्य कार्य, उपभोक्ताओं तथा पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में संलग्न कंपनियों के हितों की संरक्षा करना, देश के सभी भागों में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रतिस्पर्द्धी बाजारों का संवर्द्धन करना, इत्यादि है।

नई विज्ञापन नीति

7541. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "नई विज्ञापन नीति" तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे समाचारपत्र कौन-कौन से है जिन्होनें सरकार की नीतियों की आलोचना की है और उन्हें जिन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल से हटा दिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार की नई विज्ञापन नीति और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में समाचार पत्रों के सूचीकरण के लिए दिशा-निर्देश 1 मई, 2002 से लागू हुए थे इनकी मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करने के कारण विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल से किसी भी समाचार पत्र को हटाया नहीं गया है।

विवरण

भारत सरकार की विज्ञापन नीति तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में समाचारपत्रों को शामिल करने संबंधी दिशा-निदेशों की मुख्य विशेषताएं

विज्ञापन देने में सरकार का मूल उद्देश्य यह है कि समसामयिक विषयों के साथ ही विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, फिल्मों, सांस्कृतिक कार्यों आदि के बारे में समाचारपत्रों के जरिये विज्ञापन द्वारा अभिप्रेत विषय सामग्री और संदेश का यथासंभव व्यापक रूप से कवरेज किया जाये। समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करते समय विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय उस समाचारपत्र या पत्रिका की राजनीतिक संबद्धता अथवा संपादकीय नीतियों को नहीं देखता है।

सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को अधिक सहायता देना नहीं है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय केवल उन्हीं समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को पैनल में रखेगा जिनकी भारत सरकार के विज्ञापनों को जारी करने के लिए आवश्यकता होगी। यह सावधानी रखी गई है कि उन्ही समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को पैनल में शामिल किया जाये जो देश के विभिन्न भागों में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा पढ़े जाते हों।

पैनल सलाहकार समिति

सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए पैनल में शामिल होने हेतु समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए एक पैनल सलाहकार समिति है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक/निदेशक इसके अध्यक्ष हैं और इसमें पत्र सूचना कार्यालय के मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस पंजीयक, आर.एन.आई तथा बचना एवं प्रसारण मंत्रालय में प्रिंट मीडिया का कार्य देख रहे संयुक्त/उप-सचिव शामिल हैं। इस समिति में बड़े, मध्यम तथा छोटे समाचार पत्रों के संगठन का भी एक-एक प्रतिनिधि होगा।

पैनल में शामिल करने के लिए मानदंड

सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का बिना किसी व्यवधान के निरंतर प्रकाशन और यह अवधि 12 महीनों से कम नहीं होनी चाहिए और प्रेस तथा पुस्तकों के पंजीकरण कानून 1867 के प्रावधानों का उन्हें पालन करना चाहिए। सूचीकरण के लिए नए आवेदन वर्ष के दौरान किसी समय किए जाएं। तथापि, प्रत्येक मामले पर वर्ष में एक बार विचार किया जाएगा।

दर संविदा के नवीनीकरण के लिए, समाचारपत्र विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में वर्ष में 31 मई तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाए।

सूचीकरण प्रपत्र में मांगे गए अनुसार अखबार का ब्यौरा जैसे आकार, भाषा, आवधिकता, मुद्रण क्षेत्र और मुद्रित प्रेस आदि का ब्यौरा दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित करना चाहिए कि

अखबार समुचित स्तर पर प्रकाशित किया जा रहा है। समुचित स्तर का अभिप्राय अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि :

(क) छपी हुई विषय सामग्री तथा फोटोग्राफ सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित और दाग-धब्बों सहित तथा उसमें बार-बार काट कर उसके ऊपर न लिखा जाए।

(ख) अन्य समाचारपत्रों से समाचार या लेखों को नहीं दोहराना चाहिए।

(ग) बगैर साख पद्धति के अन्य समाचारपत्र/पत्रिकाओं से समाचार या लेखों का पुन: प्रकाशन नहीं करना चाहिए।

(घ) इसके प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर समाचारपत्र का नाम, स्थान, तारीख और प्रकाशन का दिन छपा होना चाहिए, इसके साथ ही उसमें आर एन आई पंजीकरण क्रमांक, वॉल्यूम और अंक संख्या तथा समाचारपत्र/पत्रिता की कीमत दी जानी चाहिए।

(ङ) समाचारपत्र को पी आर बी कानून के तहत आवश्यक इम्प्रिंट लाइन प्रकाशित करना आवश्यक है; और

(च) अंदर के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या, समाचारपत्र का शीर्षक और प्रकाशन की तारीख होनी चाहिए।

एक दैनिक समाचारपत्र की पिछले चार महीने की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए और साप्ताहिकी तथा मासिक की 6 महीने की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए तथा मासिक की नवीनतम 12 महीने की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

नियमितता

आवेदनकर्ता ने पिछले बारह महीनों के दौरान हर महीने कम-से-कम 25 दिन समाचारपत्र प्रकाशित अवश्य किया हो। साप्ताहिक ने पिछले 46 अंक, पाक्षिक के 24 अंक और मासिक ने पिछले वर्ष 10 अंक प्रकाशित किए हों तो उन्हें नियमित रूप से प्रकाशित हुआ माना जायेगा।

आवेदनकर्ता को प्रकाशक के नाम आर.एन.आई. द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

जिन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं ने 75,000 से अधिक प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस का विवरण प्रमाणित कर दिया है, जैसा कि वितरण लेखा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हुआ हो, वे एक नई जगह से अपने ताजा संस्करण को पैनल में शामिल करवा सकते हैं फिर चाहे पिछले 12 महीनों मे उसका नियमित प्रकाशन न हुआ हो, किन्तु ऐसे मामलों में ताजा संस्करण को पैनल में वितरण के केवल सबसे नीचे वाले स्लैब में शामिल किया जाएगा। छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के ताजा संस्करणों को भी इसी प्रकार से पैनल में शामिल किया जायेगा।

किसी समाचार पत्रिका का 2000 प्रतियों से कम अल्पतम पेड वितरण होना चाहिए तभी उसे पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। लेकिन विशेष वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं संस्कृत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाएं पिछड़े सीमावर्ती या सुदूरवर्ती क्षेत्रों में या जनजातीय भाषाओं में प्रकाशित दिवस के लिए केवल 500 प्रतियों का ही अल्पतम पेड वितरण प्रमाणित करना होगा।

एक समाचारपत्र/पत्रिका में निम्न अल्पतम प्रिंट क्षेत्र होना चाहिए

अवधि	से कम प्रिंट क्षेत्र नहीं
दैनिक	1520 स्टे. कॉ.से.मी.
साप्ताहिक पाक्षिक	700 स्टे. कॉ.से.मी.
मासिक व अन्य पत्रिकाएं	960 स्टे. कॉ.से.मी.

तथापि उपरिलिखित संस्कृत आदि की श्रेणी में आने वाली समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के मामले में पैनल सलाहकार समिति द्वारा कुछ विशिष्टता रखी जा सकती है।

आवेदनकर्ता समाचारपत्र/पत्रिका का ए बी सी, आर एन आई या चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणित वितरण के आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र एक वर्ष तक केवल 25,000 प्रतियां प्रति प्रकाशित दिवस तक ही स्वीकार्य होगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय चार्टर्ड एकाउंटेंट के असफल होने पर (जो भी कमी हो) ए बी सी और आर एन आई द्वारा यथा प्रमाणित विगत एक वर्ष का औसत प्रसार लेगा।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक की प्रसार जांच तीन वर्ष तक वैध रहेगी अथवा अखबार निलम्बित या गैर प्रमाणित घोषित कर दिया जाता है। इस अवधि के दौरान अखवार उसी स्लैब में सूचीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रसार के किसी नए प्रमाणीकरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। उच्च दर स्लैब में वारंटी संबंधी प्रसार में वृद्धि दर्शाने वाले पर नवीनीकरण मामले हेतु ए बी सी और एन आई प्रसार जांच प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। महानिदेशक/निदेशक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को अपने प्रतिनिधियों के जारिए या भा.के. समाचार पत्रों के पंजीयक के जरिए प्रसार जांच के आंकड़े रखने का अधिकार आरक्षित है, जहां वे ऐसा निर्णय लें।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा एक बार गैर प्रमाणित घोषित समाचार पत्र/पत्रिका को भा.के. समाचार पत्र के पंजीयक द्वारा प्रमाणित घोषित वर्ष से ही प्रमाणित माना जाएगा। आर एन आई/ए बी सी द्वारा प्रमाणित प्रसार दावा किए गए प्रसार से कम पाए जाने पर वसूली करने पर विचार किया जाएगा।

विज्ञापन दर

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए भुगतान हेतु दर ढांचा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाएगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय दर ढांचा समिति द्वारा बनाए भारत सरकार दर फार्मूला के अनुसार दरें निर्धारित की जाएंगी और सभी समाचार पत्रों पर यह समान रूप से लागू होंगी। समाचार पत्र विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरें तथा अन्य शर्तें मानते हुए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ दर अनुबंध करेगा और समाचार पत्र को विज्ञापन और दृश्य निदेशालय जब भी विज्ञापन जारी करेगा वह उनका प्रकाशन सुनिश्चित करेगा।

दर अनुबंध का नवीनीकरण

निर्धारित तिथि तक सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को भेज दिए जाने चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि कलेंडर वर्ष के मई महीने की अंतिम तारीख होगी जबकि पैनल की सदस्यता समाप्त होती है, ऐसा न होने पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय संबंधित वर्ष के लिए समाचार पत्र की दर के संशोधन के योग्य नहीं मानेगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय संबंधित वर्ष के लिए 30 सितम्बर तक पैनल में शामिल करने संबंधी अपना निर्णय बता देगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय दर नवीनीकरण प्रोफामा को अपनी वेबसाइट एचटीटीपी/डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एनआईसी आईएनईडीएचपीसी पर जारी करेगा और सभी समाचार पत्र इस प्रोफार्मा को इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने समाचारपत्र के लिए दरों के नवीनीकरण का आवेदन कर सकते हैं या फिर समय रहते वे देश के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय मुख्यालय या पत्र सूचना कार्यालयों से आवेदन प्रोफामा हासिल कर सकते हैं। भारतीय प्रैस परिषद द्वारा मान्य बड़े मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के संगठनों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय दर नवीनीकरण/नए आवेदन पत्रों का प्रोफामा उपलब्ध करवा देगा।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा मान्यता बड़े मझोले और लघु समाचार पत्रों के परिसंघों को दर नवीनीकरण/नए आवेदनों हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराएगा। दर नवीनीकरण अनुबंधित केवल तीन वर्ष हेतु केवल उन्हीं समाचार पत्रों को दिया जाएगा जिनकी पिछले वर्ष प्रसार संख्या आर एन आई या ए बी सी द्वारा समर्थित की जाती है। तथापि यदि कोई समाचार पत्र नवीनतम आर एन आई या ए बी सी प्रमाणपत्र सहित प्रसार संख्या में वृद्धि का दावा करता है तो उन्नयन संशोधन पर विचार किया जा सकता है। दर संशोधन पर (वृद्धि/कमी) वर्षवार विचार किया जाएगा।

शेयरधारकों के हितों की रक्षा

7542. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेयरधारकों के हितों की रक्षा के संबंध में कम्पनियों के खिलाफ आमतौर पर क्या कार्यवाही की जाती है;

(ख) क्या वर्ष 1997-98 और 1998-99 में दर्ज मामलों में से 31 दिसम्बर 1999 तक शेयरधारकों के हितों के रक्षार्थ प्रावधानों के अंतर्गत कोई मामला अभी भी निपटान हेतु लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) शेयरधारकों के हितों का संरक्षण निम्न द्वारा सुनिश्चित किया जाता है :

(1) पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत निवेशक शिकायत निवारण मैकेनिज्म के द्वारा निवेशक शिकायत को दूर करना।

(2) उन कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन लगाना जहां कही शिकायतों को जल्दी दूर करने के लिए सांवधिक रूप से संभव होता है तथा साथ ही चूककर्ता कम्पनियों के लिए निवारक रूप में कार्य करे।

(3) "लघु निवेशकों" की परिभाषा देने तथा कम्पनियों के बोर्ड में लघु निवेशकों के द्वारा अभ्यावेदन देने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन करना।

(4) निवेशक शिक्षा को समर्थ बनाने तथा निवेशकों में जागरूकता लाने के लिए एक निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण फंड की स्थापना करना।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान (31.12.1999 तक) 29,824 शिकायतें प्राप्त की गई जिनमें से 14,198 शिकायतों का निपटान कर दिया गया।

[हिन्दी]

मास्क की खरीद

7543. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 127 करोड़ की लागत से तीन लाख चौंतीस हजार गैस मास्क और उनके पुर्जों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मदों का उत्पादन देश में किया जा रहा है या उनका आयात किया जाएगा;

(घ) क्या उक्त मदों की खरीद के लिए डी आर डी ओ को आपूर्ति आदेश दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो डी आर डी ओ ने अनुसंधान कार्य करने की बजाए मदों की खरीद का काम किस तिथि से शुरू किया है; और

(च) यदि डी आर डी ओ को मदों की खरीद का काम करना है तो खरीद बोर्ड को स्थापित करने की क्या आवश्यकता है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) नॉन परसिस्टेंट रासायनिक कारकों से सेनाओं का बचाव करने के लिए विभिन्न मदों को लेकर बना नाभिकीय जैवकीय और रासायनिक (एन बी सी) रक्षा उपस्कर संबंधी एक क्रयादेश रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को दिया जा चुका है।

इन मदों का स्वदेश में ही उत्पादन किया जा रहा है क्योंकि एन बी सी मदों के लिए प्रौद्योगिकीय जानकारी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित करके इसे अपने औद्योगिक साझेदार को अंतरित की जा चुकी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को यह क्रयादेश इसलिए सौंपा गया है ताकि गुणता आश्वासन तथा उपस्कर परीक्षण सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया राशि की वसूली

7544. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया राशि वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया देयराशियों की वसूली में सहायता के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया देयताओं की वसूली के लिए चूककर्त्ता रा.वि.बो. अर्थात् एसईबी (असम), बीएसईबी (बिहार), डब्ल्यूबीएसईबी (प. बंगाल), एमपीईबी (मध्य प्रदेश) तथा यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में मामले दायर किए हैं। डीआरटी मामलों की स्थिति रिपोर्ट विवरण में दी गयी है।

विवरण

26.4.2002 की स्थितिनुसार एडवोकेट मै. केडीबी एवं एसोसियेट के साथ एसईबी मुकदमें

क्र.सं.	रा.वि.बो./राज्य का नाम/ओए संख्या	बकाया जिसके लिए ओ.ए. दायर किया गया है (करोड़ रुपये में)	डीआरटी में फिलिंग की तारीख	सुनवाई की तारीख	मामले की ताजा स्थिति/सुनवाई की अगली तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	यूपीपीसीएल (उ.प्र.) ओए सं. 69/2001)	787.25	13.2.01	16.2.01, 27.4.01, 5.7.01 1.8.01, 19.9.01, 12.10.01, 26.12.01 4.3.02, 31.5.02	प्रॉक्सी कांउसिल ने 4.3.02 को पेश हुआ और तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया। पीठासीन अधिकारी ने मामले को 31.5.02 तक बढ़ा दिया, जैसा कि प्रतिपक्ष द्वारा आवेदन किया गया था।

1	2	3	4	5	6
2.	बीएसईबी (बिहार) (ओए सं. 70/2001)	425.2	13.201	16.2.01, 27.4.01 5.7.01, 1.8.02, 17.9.01, 3.10.01, 17.10.01 26.12.01, 8.3.02, 12.4.02, 24.5.02	8.3.02 को प्रतिपक्ष की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। सुनवाई के पश्चात्‌रजिस्ट्रार ने 2 का समय आवेदन एवं साक्ष्य के उपरांत दे दिया तथा दूसरी तारीख निर्धारित की गयी है।
3.	डब्ल्यूबीएसईबी (वीडब्ल्यूबी) (ओए सं. 68/2001)	486.63	13.02.01	16.2.01, 27.4.01 5.7.01, 1.8.01, 17.9.01, 3.10.01 26.12.01, 4.3.02, 31.5.02	प्रॉक्सी काउंसिल में 4.3.02 को पेश हुआ और तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया। पीठासीन अधिकारी ने मामले को 31.5.02 तक बढ़ा दिया, जैसा कि प्रतिपक्ष द्वारा आवेदन किया गया था।
4.	एएसईबी (असम)	160.87	13.2.01	16.2.01, 27.4.01, 5.7.01, 1.8.01, 17.9.01, 31.10.01, 4.12.01, 18.1.02 27.3.02, 16.5.02	रा.वि.बो. ने अपने डब्ल्यू.एस. दायर किया और उसका जवाब अधिवक्ता को प्रेषित कर दिया। साक्ष्य की अगली तारीख 16.5.02 रखी गयी है।
5.	एमपीईबी (म.प्र.) (ओए सं. 92/2001)	1238.93	9.3.01	12.7.2001, 29.8.01, 29.10.01, 28.11.01, 5.2.02, 27.2.02, 5.5.02, 11.7.02	प्रतिपक्ष द्वारा आवेदन आर्बिट्रेशन को भेजने के लिए सॉलीसिटर डीऐरटी के समक्ष प्रस्तुत हुआ अंतिम आवेदन का उत्तर दिया। छत्तीसगढ़ रा.वि.बोर्ड के मूल ओ.ए. नॉन ज्यांइडर को खारिज करने के संबंध में सॉलीसिटर ने उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया और मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर सुनवाई हेतु आवेदन किया। सुनवाई की अगली तारीख 11.7.02 निर्धारित की गयी है।

गुजरात में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

7545. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में रेडियों स्टेशन और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए इस समय लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) वर्तमान में गुजरात में रेडियो स्टेशन की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। तथापि, 5 टी वी ट्रांसमीटर परियोजनाएं इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं के जिलावार स्थान नीचे दिए गए हैं :

जिला	परियोजनाएं
1	2
वड़ोदरा	उ.श.ट्रा. वड़ोदरा उ.श.ट्रा. वड़ोदरा (डी डी-2)

1	2
राजकोट	उ.श.ट्रा. राजकोट (डी डी-2)
भावनगर	अ.श.ट्रा. भावनगर (डी डी-2)
जामनगर	अ.श.ट्रा. जामनगर (डी डी-2)

उपरोक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं और 2003 तक इनके चरणों में पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा विदेशों में ट्रेड डेस्क की स्थापना

7546. श्री तूफानी सरोज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने विदेशों में ट्रेड डेस्क स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने कच्चे तेल के आयात के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निगम ने कच्चे तेल के आयात के लिए वर्तमान तंत्र में बदलाव लाने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो इन परिवर्तनों को करने हेतु प्रारूप की रूपरेखा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) का विदेश में तेल व्यापार एवं जोखिम प्रबंधन डेस्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने तेल व्यापार तथा तेल मूल्यों के जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक कार्यनीतिक गठबंधन के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम (बी पी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत कच्चे तेल के आयात के लिए आई ओ सी तथा ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई संदर्भ नहीं था।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सूरत-भुसावल रेल लाइन पर स्लीपरों का प्रतिस्थापन

7547. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत-भुसावल लाइन पर पुराने स्लीपरों को बदलने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो पुराने स्लीपरों को बदलने का कार्य किस सीमा तक पूरा कर लिया गया है/किया जाना शेष है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रेल लाइन के अन्तर्गत आने वाले सभी स्टेशनों की रेल लाइनों और स्लीपरों को बदलने का है; और

(घ) यदि हां, को यह कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) ऐसे 311.78 कि.मी. स्लीपरों, जिनकी नवीकरण की आवश्यकता समझी गई थी, में से 311 कि.मी. का पहले ही नवीकरण कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समेकित ऊर्जा नीति

7548. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए समेकित ऊर्जा नीति प्रधानमंत्री को सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उदेश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित तथा संपन्न ''देलही ससटेनेबल समिट, 2002'' के क्या परिणाम रहे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) ने दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मिट के दौरान 8 फरवरी 2002 को ''डिफाइनिंग एन इंटीग्रेटेज एनर्जी फार इण्डिया - डाकूमेंट फार डिसकसन डिबेट एण्ड एक्शन'' नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। दस्तावेज में ऊर्जा नीति तथा सुधार प्रक्रिया के लिए तत्काल समेकित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर प्रकाश डाला गया है। दस्तावेज ऐसा करने के आर्थिक लाभ और कतिपय संस्थागत परिवर्तनों का उल्लेख करता है, जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है ताकि ऊर्जा नीति के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

आगामी 15-20 वर्षों के लिए ऊर्जा नीति की रूपरेखा संस्तुति हेतु योजना आयोग में ऊर्जा नीति समिति का गठन किया गया है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

सड़क का निर्माण

7549. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ में भारत-पाक सीमा पर सीमा सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) शेष कार्य कब तक पूरा किया जाएगा; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन पर कमीशन श्रेणी के कार्यक्रम

7550. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने दूरदर्शन चैनल पर कमीशन श्रेणी के सभी कार्यक्रमों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों, उड़ीसा, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश जैसे अल्प विकसित क्षेत्र दूरदर्शन चैनल पर कमीशन क्षेणी के कार्यक्रमों के पुनः शुरू करने की अनुमति दिए जाने की मांग कर रहें है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रसार भारती के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना अनुरोध के स्वतः प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाता है लेकिन समय-समय पर दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा उद्घोषित विशेष अपेक्षाओं के विज्ञापनों के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है/कार्यवाही की जाती है।

नई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

7551. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में प्रत्येक राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार विद्युत उत्पादन के संदर्भ में अन्य राज्यों से काफी पीछे चल रहे है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों में नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इन राज्यों से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए और कितने प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को अन्य राज्यों के समकक्ष लाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) और (ख) राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता संलग्न विवरण-I में दी गई है। 31.3.2002 की स्थितिनुसार राज्यवार जल विद्युत और ताप विद्युत उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में नई परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त किये गये प्रस्तावों की सूची निम्नवत हैं :

(1) नई स्कीम (के.वि.प्रा. की स्वीकृति प्राप्त)

राज्य	थर्मल स्कीम की संख्या (मेगावाट)			हाइड्रो स्कीम की संख्या (मेगावाट)		
	1999-2000	2000-01	2001-02	1999-2000	2000-01	2001-02
राजस्थान						
राज्य क्षेत्र	2 (640)	1 (75.325)	1 (250)	-	-	-
उत्तर प्रदेश						
राज्य क्षेत्र	-	-	-	1 (4 × 76)	-	-
केन्द्रीय क्षेत्र	1 (1000)	-	-	-	-	-
निजी क्षेत्र	-	-	-	-	1 (4 × 82.5)	-
बिहार						
राज्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
केंद्रीय क्षेत्र	-	-	2 (3300)	-	-	-
निजी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-

(2) जांचाधीन/लौटाई गई स्कीम

आज की स्थितिनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव के.वि.प्रा. में जांचाधीन नहीं है। तथापि आवश्यक सूचनाओं और स्वीकृतियों को सुनिश्चित न किये जाने के कारण निम्नलिखित स्कीमें परियोजना प्राधिकरणों को लौटा दी गई हैं।

स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	वापसी का दिनांक	स्कीम का प्रकार
1	2	3	4
राजस्थान			
कोटा टीपीएस चरण-4	195	24.4.2002	थर्मल
उत्तर प्रदेश			
लखवाड़ व्यासी एचईपी	420	8.10.1999	हाईड्रो
त्यूनी प्लाससू एचईपी	42	24.8.2000	हाईड्रो
पारिछा टीपीएस विस्तीर चरण-1	420	6.8.2001	थर्मल

1	2	3	4
फिरोज गांधी उँचाहार टीपीपी चरण-3, एनटीपीसी	210	5.2.2002	थर्मल
नेशनल केपीटल टीपीपी चरण-2, एनटीपीसी	490	5.2.2002	थर्मल
बिहार			
कनहार पम्पड् स्टोरेड स्कीम	300	21.7.1999	हाईड्रो
शंख चरण-2	186	13.1.2000	हाईड्रो

(ङ) और (च) 10वीं, योजना के दौरान अधिवृद्धि हेतु 41097 मेगावाट की क्षमता की आयोजना की गई है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमश: 1581 मेगावाट, 1277 मेगावाट और 135 मेगावाट क्षमता विद्यमान है। इसके अतिरिक्त इस विद्युत उत्पादन क्षमता को पुराने और अकुशल विद्युत उत्पादन यूनिटों के आर एण्ड एम तथा जीवन विस्तार के माध्यम से बढ़ाने की आयोजना की गई है। राज्यों को आर एण्ड एम स्कीम आरम्भ करने के लिए एपीडीपी के अन्तर्गत विशेष निधियां प्रदान की जा रही है। पारेषण लिंको का निर्माण करके और प्रणाली सुधार करके तथा अन्तत: राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करके टी एण्ड डी हानियों में कमी करने, ऊर्जा क्षमता और संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करने और अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत अन्तरण करने में भी बल प्रदान किया जा रहा है।

विवरण-I

31.3.2002 तक राज्यवार उत्पादन क्षगता

संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)
1	2
हरियाणा	1990.32
हिमाचल प्रदेश	409.8
जम्मू और कश्मीर	495.63
पंजाब	4528.94
राजस्थान	2999.12
उत्तर प्रदेश	5612.75
चण्डीगढ़	2.00
दिल्ली	602.00
गुजरात	7352.48
मध्य प्रदेश	4408.01
महाराष्ट्र	13074.37
गोवा	48.16
दमन और दीव	0.00
दादर और नगर हवेली	0.00
आन्ध्र प्रदेश	7237.54
कर्नाटक	4967.97
केरल	2239.44
तमिलनाडु	6776.61
पांडिचेरी	32.50
लक्षद्वीप	9.97
बिहार	2228.40
उड़ीसा	2298.49
पश्चिम बंगाल	4784.29
डीवीसी	2871.50
ए एण्ड एन आइसलेण्ड	39.30
सिक्किम	37.90

1	2
असम	621.69
मणिपुर	30.61
मेघालय	188.76
नागालैण्ड	22.36
त्रिपुरा	85.36
अरुणाचल प्रदेश	45.43
मिजोरम	37.20
भारत में कुल	104917.50

विवरण-II

वर्ष 2001-02 के लिए राज्यवार ऊर्जा उत्पादन (थर्मल और हाईड्रो)

एसइबी/पीएसयू/राज्य	उत्पादन मेगावाट	उपयोगिता/राज्य	उत्पादन मेगावाट
1	2	3	4
दिल्ली विद्युत बोर्ड (दिल्ली)	2680	जेएण्डके एसपीडीसी	558
जम्मू और कश्मीर	0	एचपीएसईबी	1144
एचपीजीसी (हरियाणा)	5076	एचपीजीसी	232
एचपीएचईबी (हिमाचल प्रदेश)	0	पीआरवीयूएनएल	540
आरआरवीयूएनएल (राजस्थान)	10668	पीएसईबी	3710
पीएसईबी (पंजाब)	14715	यूपीजेवीएनएल	2036
यूपीआरवीयूएनएल + यूपीएचपी (उत्तर प्रदेश)	20505	उत्तरांचल	2911
जीईबी + जीएसइसीएल (गुजरात)	25944	जीईबी	284
एमएसईबी (महाराष्ट्र)	45326	एमएसईबी	3578
एमपीईबी (मध्य प्रदेश)	20292	एमपीईबी	2212
एपीजीईएनसीओ + एपीजीपीसीएल (आन्ध्र प्रदेश)	24201	सीएसईबी	395
टीएनईबी (तमिलनाडु)	21183	एपीजीईएनसीओ	6156
पांडिचेरी	250	केपीसीएल	6249
केपीसीएल + केईबी (कर्नाटक)	9721	वीवीएनएल	234
केएसईबी (केरल)	424	केएलईबी	6735

1	2	3	4
बीएसईबी (बिहार)	2089	टीएनईबी	4364
तेनुघाट 5	1160	बीएसईबी	61
ओपीजीसी (उड़ीसा)	2601	झारखण्ड	101
डब्लूबीएसईबी + डब्लूबीपीडीसीएल + डीपीएल (पश्चिम बंगाल)	13634	ओएसईबी	6459
एएसईबी (असम)	846	डब्लूबीएसईबी	548
त्रिपुरा	226	सिक्किम	35
सिक्किम	0	मेघालय	614
मेघालय	0	त्रिपुरा	68
अरुणाचल प्रदेश	0	अरुणाचल प्रदेश	12

रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या

7552. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान केवल चेन्नई-बंगलोर-मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस ने ही लाभार्जन किया; और

(घ) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी में अधिक से अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जबकि राजधानी गाड़ियों की संख्या में वृद्धि दर्शाई है। शताब्दी एक्सप्रैस गाड़ियों ने बुक किए गए यात्रियों की संख्या में मामूली गिरावट दर्शाई है।

(ग) अलग-अलग गाड़ियों की लाभप्रदता का लेखाजोखा नहीं रखा जाता है। गाड़ी सं. 2008 मैसूर-चेन्नै शताब्दी एक्सप्रैस की आमदनी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान बढ़ी है। इसके अलावा, दस अन्य शताब्दी एक्सप्रैस गाड़ियों ने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में आमदनी में वृद्धि दर्शाई है।

(घ) 2007-2008 चेन्नै-मैसूर शताब्दी एक्सप्रैस गाड़ियों में स्थान की उपलब्धता के बारे में आम जनता को सूचित करने हेतु समाचार पत्रों के जरिए व्यापक प्रचार किया जाता है। इसके अलावा, अंतिम समय में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चेन्नै और बेंगलूरु में इन गाड़ियों के प्रस्थान के प्लेटफार्म पर एक विशेष खिड़की उपलब्ध होती है जहां स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन टिकट जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

इंदिरा सागर विद्युत परियोजना का पूरा न होना

7553. श्री राधा मोहन सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर विद्युत परियोजना के निर्धारित समय में पूरा न हो पाने से हुए विलंब के कारण इसके निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में इस योजना से कितने नगरों और शहरों को विद्युत आपूर्ति होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कितना धन खर्च किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर परियोजना का निर्माण एक राज्य क्षेत्र परियोजना के रूप में किया जा रहा है, तथापि निधियों की कमी के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना को नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन और मध्य प्रदेश सरकार की एक संयुक्त उद्यम के रूप में क्रियान्वित कराये जाने के लिए अप्रैल 2000 में विद्युत मंत्रालय में अनुरोध किया है। परियोजना क्रियान्वयन के लिए एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 16.5.2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। संयुक्त उद्यम कम्पनी नर्मदा हाईड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएचपीसी) के सृजन को तथा संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इंदिरा सागर परियोजना, जिसको पूरा करने का समय मई 2005 है, के लागत अनुमान को भारत सरकार ने मार्च 2002 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ख) परियोजना की समस्त विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा नियत की जाने वाली टैरिफ पर मध्य प्रदेश को आवंटित की जायेगी। एनएचडीसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक विद्युत क्रय समझौता हस्ताक्षरित किया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर परियोजना के यूनिट-1 और यूनिट-3 पर 1157.23 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 में उस परियोजना के लिए एनएचपीसी को 460.00 करोड़ रुपये मुहैया कराये हैं।

[अनुवाद]

नई दिल्ली में इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन का सम्मेलन

7554. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद-वित्त पोषण दमन संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (1999) और ब्रिटिश आतंकवाद अधिनियम, 2000 के आलोक में आतंकवादियों द्वारा अपनी गतिविधियों का वित्त पोषण करने हेतु वित्तीय प्रणाली के दुरूपयोग को रोकने का उपायों पर विचार करने हेतु हाल ही में नई दिल्ली में इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन का सम्मेलन सम्पन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या टिप्पणियां/सिफारिशें की गई/सुझाव दिए गए थे; और

(ग) सरकार का उस पर क्या प्रत्युत्तर और प्रतिक्रिया थी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) अंतरराष्ट्रीय विधि एसोशिएसन के नई दिल्ली में तारीख 2 अप्रैल से तारीख 7 अप्रैल, 2002 तक हुए सत्तहरवें द्विवार्षिक सम्मेलन में 4 अप्रैल, 2002 को 2.00 बजे अपराह्न से 5.00 अपराह्न तक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित विधिक मुद्दों पर भी एक पूर्ण सत्र आयोजित किया गया था।

(ख) और (ग) लंदन में अंतरराष्ट्रीय विधि एसोशिएशन का मुख्यालय, अभी तक अपनी सिफारिशों और सुझावों को तैयार करने की कार्यवाही में लगा हुआ है।

विद्युत कटौती

7555. श्री सईदुज्जमा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंप्यूटर के प्रयोग के समय आने वाली सभी समस्याओं में से आंकड़ों के गायब होने की समस्या जो कि लगभग 43% है, का एकमात्र कारण कटौती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस समस्या के कारण होने वाले बहुत अधिक नुकसान में कमी करने हेतु कोई समयबद्ध योजना हैं जिससे समय एवं श्रम के साथ-साथ धन की हानि भी होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि एमएनसी और अन्य महंगे विद्युत के स्रोत स्थापित करने पड़ेंगे जिससे देश में विद्युत क्षेत्र का कमजोर प्रबंधन उजागर होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार बाधित विद्युत के कारण डाटा हानि की समस्या से निपटने के लिए नेशनल इनफारमेटिंग सेंटर उपयुक्त बैटरी बक-अप के साथ अपने कंप्यूटर साईटों पर यूपीएस (अबाधित विद्युत आपूर्ति प्रदान करता रहा है)।

सरकार ने सन् 2012 तक विद्युत के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने तथा देश में विद्युत की कमी को कम करने तथा विद्युत की

विश्वसनियता एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे है :

(1) विद्यमान पुराने और अक्षम विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण। आर एण्ड आर स्कीमों को आरंभ करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष निधियों राज्यों को प्रदान की जा रही है।

(2) विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्संरचना का तेजी से क्रियान्वयन।

(3) नई विद्युत उत्पादन यूनिटों का तीव्र स्थरीकृत।

(4) पारेषण एवं वित्तीय हानियों में कमी।

(5) ऊर्जा क्षमता एवं संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन।

(6) मांग पक्ष प्रबंधन।

(7) उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का विस्तार/सशक्तिकरण/उच्चिकरण (त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष निधियां राज्यों को प्रदान की जा रही है।)

(8) पारेषण लिंकों के निर्माण और प्रणाली सुधार तथा अंतत: राष्ट्रीय ग्रिड का सृजन करके अंतर्राज्यीय और अंत:क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को अधिकतम करना।

(9) पावर कैप्टिव : भारत सरकार ने राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को सलाह प्रदान की थी कि वे कैप्टिव विद्युत आवेदन पत्रों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करके, ग्रिड की अधिशेष विद्युत की खरीद हेतु विकासकर्ता को युक्तिसंगत टैरिफ प्रदान करके तथा अन्य औद्योगिक यूनिटों को विद्युत की प्रत्यक्ष बिक्री हेतु तीसरी पार्टी की पहुंच सुविधा प्रदान करके कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दें और एक ऐसा संस्थागत तंत्र तैयार करें जो केप्टिव विद्युत यूनिटों को विद्युत क्षेत्र में सुगम प्रवेश की अनुमति प्रदान कर सके। विद्युत मंत्रालय ने जुलाई, 2001 में सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को एक कैप्टिव विद्युत नीति परिचालित की।

(10) अनेक राज्यों ने टैरिफ की यौक्तिकरण करने एवं युटिलिटियों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए विद्युत विनियामक आयोगों का गठन कर लिया है। इन आयोगों का अनिवार्य कार्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना भी है।

जोरांदा आकाशवाणी केन्द्र से घटिया कार्यक्रमों के प्रसारण

7556. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा की ढेंकानाल में कार्यरत जोरांदा आकाशवाणी केन्द्र से घटिया कार्यक्रमों के प्रसारण की जानकारी है;

(ख) क्या जिस स्थानीय संस्कृति के प्रसारण के लिए इस प्रसारण केन्द्र/आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना की गई थी उसके प्रसारण में यह सक्षम नहीं है;

(ग) क्या इस आकाशवाणी केन्द्र को वर्ष 1995 में स्थापित किए जाने के बाद से उसका उन्नयन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उस आकाशवाणी केन्द्र के कार्य निष्पादन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने और स्थानीय संस्कृति के प्रसारण को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जोरांदा में 1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ एक स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है। जोरांदा जिले के समीपवर्ती क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्र मौजूदा ट्रांसमीटर द्वारा कवर किए जाते है।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जोरांदा आकाशवाणी स्टेशन अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। यहां के कार्यक्रमों में स्थानीय संस्कृति को पर्याप्त रूप से प्रक्षिप्त किया जाता हैं और स्थानीय विशिष्टता को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से स्टेशन विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों को जारी रखने के लिए स्थानीय प्रतिभा को अवसर देता है। स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सभी समारोहों और क्षेत्र की घटनाओं को कवर किया जाता है।

दुर्घटना राहत डिब्बे

7557. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में दुर्घटना राहत के कितने डिब्बे हैं;

(ख) क्या दुर्घटना प्रवण दक्षिण मध्य रेलवे में ऐसे दुर्घटना राहत डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे में वर्ष 2002-03 के दौरान कितनी दुर्घटना राहत रेलगाड़ियां और डिब्बे सेवा में लगाए जाएंगे;

(घ) क्या रेलवे ने इस जोन में सभी स्टेशन मास्टरों को खराब रेल लाइनों के बारे में शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए सतर्क रहने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो दुर्घटना का समाचार मिलने पर जल्द कार्यवाही करने के लिए रेल कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे में विभिन्न स्थानों पर 19 दुर्घटना राहत गाड़ियों (ए आर टी) मुहैया कराई गई हैं। इन दुर्घटना राहत गाड़ियों में 81 कोच रखे गए है। इसके अलावा, 17 दुर्घटना राहत चिकित्सायान (ए आर एम बी) हैं जिनमें 34 कोच हैं।

(ख) और (ग) यातायात घनत्व और अन्य संबद्ध विशेषताओं को ध्यान में रखकर दुर्घटना राहत गाड़ियां और दुर्घटना राहत चिकित्सायानों की व्यवस्था की जाती है। फिलहाल दक्षिण मध्य रेलवे पर दुर्घटना राहत गाड़ियों (या सवारी डिब्बों) की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सभी स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों सहित संबंधित फील्ड कर्मचारियों को मुस्तैद रहने और गाड़ी परिचालन को प्रभावित करने वाली किसी भी असामान्य घटना की सूचना देने से संबंधित स्थायी अनुदेश मौजूद हैं।

(ङ) रेल कर्मियों को जोनल रेलों पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें बचाव और राहत कार्यों का प्रशिक्षण भी शामिल है। शुरू में, पदोन्नति के समय; पुनश्चर्या और विशेष पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया प्रशिक्षण इसी प्रकार के प्रशिक्षण का एक भाग है इसके अलावा, आपातकाल में विशेषकर रेलवे दुर्घटनाओं के समय कर्मचारियों की मुस्तैदी की जांच करने के लिए समय-समय पर भी ड्रिल भी आयोजित की जाती है।

परियोजनाओं को क्रियान्वित न किया जाना

7558. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया है जिनके लिए धन का आवंटन किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका क्रियान्वयन नहीं किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सरकार जिन परियोजनाओं के लिए आवंटन किया जाता है उनके कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए सतत रूप से प्रयास करती है जो धनराशि की उपलब्धता और परियोजनाओं की प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

रक्षा के लिए आवंटन

7559. डा. अशोक पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों की क्षमता में संवर्द्धन के मद्देनजर रक्षा बजट के लिए वार्षिक आवंटन के स्थान पर अलग से एक पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) रक्षा संबंधी वार्षिक बजट आवंटन के स्थान पर अलग से पंचवर्षीय योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रक्षा सेवाओं के लिए मध्यकालीन योजनाओं हेतु पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती हैं, परंतु धनराशि का वास्तविक आवंटन वार्षिक बजट में किया जाता है।

[अनुवाद]

ट्रांसमीटर परियोजनाओं का विस्तार

7560. श्री एन.टी. चणमुगम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन नेटवर्क में इन ट्रांसमीटर परियोजनाओं का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है जिन्हें ट्रांसमीटरों के विस्तार संबंधी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश दूर-दराज वाले और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए गए ट्रांसमीटर बहुत ही कम क्षमता वाले हैं;

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त ट्रांसमीटरों को लगाने के लिए उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान पूरी की जाने हेतु लक्षित ट्रांसमीटर परियोजनाओं के राज्यवार स्थान संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) से (घ) कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों और दूरस्थ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कवरेज प्रदान करने के लिए अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उपयुक्त माना गया है।

विवरण

2002-03 के दौरान पूरी किए जाने लक्ष्य ट्रांसमीटर योजनाएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नये ट्रांसमीटर		स्थाई स्थापना के लिए उ.श.ट्र. का उन्नयन
1	2		3
आन्ध्र प्रदेश	अ.श.ट्र.	मिरियागुड्डा काकीनाड़ा डीडी-2 नेल्लौर डीडी-2 कोल्हापुर तल्कोंडापल्ली	उ.श.ट्र. विशाखापत्तनम (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्र.	माधीपाडो	
असम	अ.श.ट्र.	सतारसर	
बिहार	अ.श.ट्र.	गया (डीडी-2) झाबुआ	
छत्तीसगढ़	अ.श.ट्र.	पंडारिया	उ.श.ट्र. अम्बिकापुर (स्थाई)
गुजरात	उ.श.ट्र.	राजकोट डीडी-2	उ.श.ट्र. सूरत सूरत डीडी-2
	अ.श.ट्र.	वड़ोदरा (डीडी-2) भावनगर (डीडी-2) जामनगर (डीडी-2)	
हरियाणा	अ.श.ट्र.	होडल हिसार (डीडी-2)	
हिमाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्र.	झातिनगिरी काजा चिरगांव	
जम्मू और कश्मीर	उ.श.ट्र.	नौशेरा तिथवाल सांबा नौशेरा (डीडी-2) साबां (डीडी-2) तिथवाल (डीडी-2)	कुपवाड़ा गुरेज पूंछ (डीडी-2) कुपवाड़ा (डीडी-2) गुरेज (डीडी-2)

1		2		3
	अ.श.ट्र.	पाटन (सचल) पटनीटाप (सचल) धर्मशाला (सचल)		
	अ.अ.श.ट्र.	बोनियार गहोड गुल गुलाबगढ़ गुलमर्ग केरन अरना चेनानी लोरन नगरोटा पुलवामा शुद्धमहादेव तातापानी थाथरी तिलेल		
झारखंड	अ.श.ट्र.	बोकारो (डीडी-2)		
	अ.अ.श.ट्र.	रामगढ़ हिल		
कर्नाटक	उ.श.ट्र.	मैसूर धारवाड़ (डीडी-2) मैसूर (डीडी-2)		
	अ.श.ट्र.	दावनगिरे (डीडी-2) बेल्लारी (डीडी-2)		
	अ.अ.श.ट्र.	हुविनपारगी कुडलिगी		
केरल	अ.श.ट्र.	थिरीसुर (डीडी-2)	उ.श.ट्र.	कैनानोर
	अ.अ.श.ट्र.	इरादुपेटा मुंडाकायम		
मध्य प्रदेश			उ.श.ट्र.	ग्वालियर (डीडी-2)
महाराष्ट्र	उ.श.ट्र.	जलगांव	उ.श.ट्र.	पुणे (डीडी-2) औरंगाबाद (डीडी-2)
	अ.श.ट्र.	नासिक (डीडी-2) अमरावती (डीडी-2) कोल्हापुर (डीडी-2) सांगली (डीडी-2)		

1		2		3
		मालगांव (डीडी-2)		
		अंकोला (डीडी-2)		
		नांदेड (डीडी-2)		
		धुले (डीडी-2)		
		बदलापुर		
मेघालय	अ.श.ट्र.	चिरापूंजी		
उड़ीसा	अ.श.ट्र.	मालदा		
पंजाब			उ.श.ट्र.	फाजिल्का
				जालंधर (डीडी-2)
राजस्थान			उ.श.ट्र.	अजमेर
सिक्किम	अ.श.ट्र.	जोरथंग		
तमिलनाडु	उ.श.ट्र.	कोडईकनाल डीडी-2	उ.श.ट्र.	कुभांकोणम
	उ.श.ट्र.	मदुरै (डीडी-2)		
		इरोड़ (डीडी-2)		
		तिरीनेलवेल्ली (डीडी-2)		
		तिरूपत्तुर (डीडी-2)		
त्रिपुरा	अ.श.ट्र.	अम्बाशा		
उत्तर प्रदेश	उ.श.ट्र.	फैजाबाद	उ.श.ट्र.	लखीमपुर .
		कानपुर (डीडी-2)		
उत्तरांचल	अ.श.ट्र.	गोपेश्वर (देवाल)		
		बच्छेर		
	अ.अ.श.ट्र.	मणीला		बच्छेर
		फाटा		
		दुगडडा		
पश्चिम बंगाल	उ.श.ट्र.	खड़गपुर	उ.श.ट्र.	बैल्लुरघाट (स्थाई)
				कृष्णानगर (स्थाई)
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	अ.अ.श.ट्र.	कालीघाट		
		स्वराजग्राम		
पांडिचेरी			उ.श.ट्र.	पांडिचेरी

शकुन्तला नैरो गेज परियोजना

7561. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में यत्माल और मुख्यपुर के बीच चलने वाली एकमात्र नैरो ब्रिटिश विंटेज रेलगाड़ी शकुन्तला का भविष्य क्या है; और

(ख) भारतीय रेल के 150 वर्ष में देश में ऐसी विंटेज रेलगाड़ियों के संरक्षण के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में यवतमाल और मुर्तयापुर के बीच छोटी लाइन वाला खंड एक निजी रेलवे लाइन है जिसका स्वामित्व केंद्रीय प्रांतीय रेल कंपनी लि. के पास है। स्वामी कंपनी के साथ हुए समझौते, जिसमें केंद्र सरकार को प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जब वित्तीय समीक्षा की जाती है, इस लाइन की खरीद करने के विकल्प की व्यवस्था है, के अनुसार इस लाइन का संचालन भारतीय रेल द्वारा किया जाता है। अगला विकल्प वर्ष 2006 में आयेगा। उस समय इस मामले की नए सिरे से जांच की जाएगी।

भटिंडा से मेट्रो कार्यक्रमों का प्रसारण

7562. श्री भान सिंह भौरा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंटिडा दूरदर्शन केन्द्र से डी डी-2 कार्यक्रमों का प्रसारण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

नौवीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के विकास के लिये धनराशि

7563. योगी आदित्यनाथ : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्र के विकास के लिये कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के विकास के लिये कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिये आबंटित की गयी धनराशि इस योजना अवधि के लिये पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 9वीं योजनावधि के दौरान विद्युत मंत्रालय के प्रशासन वाली स्कीमों पर तथा केन्द्रीय क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा कुल 39736.51 करोड़ रुपये व्यय किया गया है (वर्ष 2001-02 के आंकड़े अनंतिम हैं)। इसमें 24513.71 करोड़ रुपये की पीएसयू के आंतरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधन और 15222.8 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता निहित है।

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा 10वीं योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए 143395 करोड़ रुपये का आवंटन अनुमोदित किया गया है। निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता, यदि कोई हो, के लिए कार्रवाई यथोचित चरण में की जाएगी।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर का बंटवारा

7564. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा राज्य विधान सभा से हरियाणा के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के वर्तमान परिसर को 60 : 40 के अनुपात में बंटवारे का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) हरियाणा सरकार में चंडीगढ़ में स्थित विद्यमान परिसर में हरियाणा कोटा से नियुक्त न्यायाधीशों सहित 40% भवन, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद और प्रशासनिक कृत्यकारियों का आंबटन करके हरियाणा के लिए पृथक् उच्च न्यायालय का सृजन करने के लिए हरियाणा विधान सभा के संकल्प की प्रति भेजी है।

(ग) हरियाणा के लिए पृथक् उच्च न्यायालय की स्थापना, चंड़ीगढ़ से उसकी राजधानी स्थानांतरित होने और हरियाणा राज्य के भीतर नए उच्च न्यायालय के लिए अवसंरचना के विकास पर भी निर्भर करेगा।

ताप विद्युत केन्द्रों के अंतर्गत प्रदान किये गये रोजगार

7565. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र, बोकारो ताप विद्युत केन्द्र और दामोदार घाटी निगम के अंतर्गत अन्य विद्युत संयंत्रों में अनुकम्पा के आधार पर कितने आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे विद्युत केन्द्रों और अन्य विभागों में अपने सेवा काल के दौरान कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई; और

(ग) प्रबंधन द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा प्रबंधन और सरकार के पास ऐसे कितने मामले लंबित हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2001 के दौरान अनुकम्पा पर जारी नियुक्ति के केन्द्रवार प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	चन्द्रपुरा टीपीएस	बोकारो टीपीएस	अन्य परियोजनाएं
1999	-	-	-
2000	-	18	11
2001	-	20	6
कुल	-	38	17

उसी अवधि के दौरान बीटीपीएस तथा सीटीपीएस में मृत कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 18 तथा 17 है। उसी अवधि के दौरान अन्य परियोजनाओं में मृत कर्मचारियों की कुल संख्या-108 थी।

(ग) निगम की मौजूदा नीति के अनुसार सेवानिवृत्त/मृत्यु/ प्रोन्नति के कारण सृजित 25% नियमित रिक्तियां अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आरक्षित की गयी हैं। इसके अलावा पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव पूरा करने पर समूह "ग" पदों पर भी विधवाओं/मृत कर्मचारियों के आश्रितों पर विचार किया जाता है बशर्ते कि वे परीक्षा/साक्षात्कार में सफल हों। ग्रुप "ग" तथा "घ" श्रेणियों अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए सीटीपीएस तथा बीटीपीएस मामलों समेत पैनल में 648 व्यक्ति हैं।

रेल कर्मचारियों को योग का प्रशिक्षण

7566. श्री सुकदेव पासवान :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय अपने परिचालन कर्मचारियों को योग का प्रशिक्षण प्रदान करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है; और

(ग) उक्त योग प्रशिक्षण कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेलवे संरक्षा समिति-98 (भाग-I) की सिफारिश सं. 5-7, जिसमें उन्होंने रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षार्थियों को योग और ध्यान की शिक्षा देने की सिफारिश की थी, को मान लिया गया है। चूंकि रेल कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत कठिन प्रकृति के होते हैं इसलिए कार्य से संबंधित तनाव और तकलीफ से निपटाने के उद्देश्य से ही रेल कर्मचारियों के सहायतार्थ योग और ध्यान का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। इसी संदर्भ में एक पायलट परियोजना के रूप में 3 स्थानों अर्थात् भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, चन्दौसा और ड्राइवरों का प्रशिक्षण केंद्र तुगलकाबाद में 6 महीने के लिए योग प्रशिक्षण दिया गया था।

इस पायलट परियोजना से प्राप्त फीड बैक को देखते हुए एक वर्ष के लिए प्रयोग के आधार पर रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षणार्थियों को योग और ध्यान की शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। इस आशय के अनुदेश सभी रेलों को नवम्बर, 2001 में जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

अभियंताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

7567. श्री विकास चौधरी :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री सुनील खां :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** अभियंताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले के बारे में 22.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5285 के उत्तर संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए उन अधिकारियों के पदों पर बने रहने की अनुमति दी गयी है जिनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दोषी अधिकारियों का दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे सी.सी.डब्ल्यू, ए.आई.आर. और फील्ड फोरमेशन के अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ का पता चलता है; और

(ङ) यदि हां, तो भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कठोर कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि पर अतिक्रमण

7568. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिकंदराबाद छावनी की कुछ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि पर पुनः दावा करने के लिये क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) रक्षा जोन के आस-पास बढ़ती आवासीय कालोनियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा जोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किये जा रहें हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) अतिक्रमण की गई भूमि को खाली कराने के लिए सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है। न्यायालय ने कुछ मामलों में बेदखली कार्रवाई पर स्थगन प्रदान किया है।

(ग) बढ़ती आवासीय बस्तियों को ध्यान में रखते हुए, रक्षा स्थापनाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये समुचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

तिपाईमुख बांध परियोजना

7569. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिपाईमुख बांध परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या संबंधिक मणिपुर, असम और मिजोरम राज्यों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना में आने वाली वर्तमान बाधाएं कौन सी हैं; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) मणिपुर में अवस्थित तिपाईमुख हाइड्रोइलेक्ट्रिक (बहुद्देशीय) परियोजना को जुलाई, 1999 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड से नार्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (नीपको) द्वारा ले लिया गया था। नीपको ने परियोजना पर विस्तृत परियोजना तैयार की और उसे मणिपुर सरकार तथा नीपको के बीच हस्ताक्षर होने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रारूप के साथ दिसम्बर, 2000 में मणिपुर सरकार को प्रस्तुत किया। मणिपुर सरकार ने समझौता ज्ञापन प्रारूप की जांच की और दिसम्बर, 2001 में अनुमोदन के अनुसार प्रारूप में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया। मणिपुर, मिजोरम तथा असम के समझौता ज्ञापनों पर अभी हस्ताक्षर होने हैं। परियोजना निष्पादन के विरुद्ध मणिपुर में स्थानीय दलों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नीपको मणिपुर सरकार की सहायता से परियोजना के हित में आम राय बनाने की प्रयास कर रहा है। एकल स्वीकृति हेतु मामला इस समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ लम्बित

है ताकि नीपको निर्माण पूर्व कार्यकलाप आंरभ कर सके। परियोजना के निर्माण पूर्व और निर्माण स्तरों पर सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनुमानित लागत और नेशनल हाइवे विपथन की लागत बहुत अधिक है तथा परियोजना पर इस लागत का भार न पड़ने देने के लिए मामले की जांच की जा रही है। निवेश स्वीकृति की तारीख से परियोजना को पूरा होने में लगभग 12 वर्ष का समय लगेगा।

व्यापक प्रिंट मीडिया नीति

7570. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1955 के मंत्रिमंडल प्रस्ताव पर पुन: विचार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने व्यापक प्रिंट मीडिया नीति तैयार करने का निर्णय लिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना प्रौधोगिकी से संबंधित स्थायी समिति ने विदेशी प्रिंट मीडिया के प्रवेश और प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विषय पर अगली रिपोर्ट दे दी है। कई असहमति टिप्पणी वाली इस रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

विनिर्माताओं को सिलेण्डरों के लिए क्रय-आदेश

7571. डा. प्रसन्न कुमार पात्रसाणी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 14.3.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1874 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों ने उन विनिमार्ताओं को क्रय-आदेश दिये हैं जिनके अभ्यावेदनों को सिद्धांत : स्वीकार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तेल विपणन कंपनियों की ओर से उन्हें क्रय-आदेश देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सभी तेल विपणन कंपनियों ने ऐसे विनिर्माताओं के लिए सिलेण्डर स्वीकार करने में इसी मानदंड का पालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अलग-अलग व्यवहार के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने लागत में उचित विभेदात्मक राशि वसूल करने के बाद पुराने डिजाइन के सिलेंडरों के सुधार के लिए 11 सिलेंडर विनिमार्ताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। ऐसे विनिर्माताओं को आदेश दिए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) सभी तेल विपणन कम्पनियों ने संबंधित विनिर्माताओं से अनुरोध स्वीकार करते समय यही मानदंड अपनाया है।

किराये में वृद्धि

7572. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशभर के सभी प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में सभी श्रेणी की सभी रेलगाड़ियों के लिए बढ़े हुए किरायों के चार्ट की विज्ञापन देने पर विचार कर रही है ताकि रेल यात्री किरायों में हुई वृद्धि के संबंध में ठीक तरह से जान सकें;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार तेल समय-सारणी की तर्ज पर उक्त चार्ट को नाममात्र के मूल्य पर बेचने पर विचार कर रही है और कब तक संशोधित मुद्रित रेल समय-सारणी के तैयार होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसा चार्ट न होने के कारण यात्रियों से बुकिंग कर्मचारियों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकटों के वास्तविक किराये से अधिक किराया वसूलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) जब कभी किराए संशोधित किए जाते हैं तो समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जाता है। इसके अलावा, यात्री किराया सारणी और रेलवे समय सारणी में किलोमीटर वार किराए मुद्रित किए जाते हैं जिसकी कीमत 10 रुपए है और भारतीय रेलवे सम्मेलन संगठन, चेम्सफोर्ड रोड़, नई दिल्ली से इसे खरीदा जा सकता है। संशोधित रेलवे समय सारणी जुलाई 2002 में तैयार हो जाएगी।

(घ) विभिन्न गंतव्यों के संशोधित किराए बुकिंग कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित किए जाते हैं, टिकटों के पुराने स्टॉक पर मोहर लगाकर और स्व मुद्रण टिकट मशीनों के माध्यम से जारी टिकटों पर संशोधित किराया मुद्रित किया जाता है। सही प्रभार सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच भी की जाती है। इन उपायों से अधिक प्रभार वसूलना न्यूनतम हो जाता है।

छोटे निवेशक

7573. श्री किरीट सोमैया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न स्टाक एक्सचेन्जों के निदेशक मंडल में छोटे निवेशकों के प्रतिनिधि नियुक्त करने का है;

(ख) क्या संसद सदस्यों और इन्वेस्टर्स एशोसिएशन ने इस संबंध में अभ्यावेदन दिया है;

(ग) क्या सरकार छोटे निवेशकों को महत्व प्रदान करेगी;

(घ) क्या श्रमिकों, कर्मचारियों, वक्ताओं को उनकी कम्पनियों के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कम्पनी अधिनियम में संशोधन से निदेशक मंडल में छोटे शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया है;

(च) यदि हां, तो क्या वह छोटे निवेशकों को ज्ञापन देगा;

(छ) क्या इन्वेस्टर्स एशोसिएशन को निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

710 मेगावाट कोयलकारो जलविद्युत परियोजना

7574. श्री के. येरननायडू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 710 मेगावाट कोयलकारो जलविद्युत परियोजना की परिकल्पना मूलत: बिहार के लाभ के लिए की गयी थी और इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय जलविद्युत निगम को सौंप दिया गया;

(ख) क्या इस परियोजना को अब तक पूरा नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो लगभग शून्य प्रगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस परियोजना को बंद करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च का गयी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) बिहार में (अब झारखंड राज्य में) कोयलकारो जल विद्युत परियोजना (710 मे.वा.) को प्रारंभ में मार्च, 1980 के मूल्य स्तर पर 444.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जून, 1981 में अनुमोदित किया गया था जिसका क्रियान्वयन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा किया जाना था। तथापि भूमि अधिग्रहण के लिए स्थानीय लोगों द्वारा विरोध होने, वित्तीय समस्या एवं पुनर्वास की समस्या के कारण कोई बड़ा कार्य आरंभ नहीं हो सका। अगस्त, 1984 में उच्चतम न्यायालय में एक लिखित याचिका दर्ज की गई थीं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्कीम हेतु स्कीम की मांग की गई थी जिसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश जारी किया। आर एंड और पैकेज प्रस्तुत होने के बाद 6.2.89 को रोक हटा ली गई थी।

2. धीमी प्रगति वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की 26.2.97 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के बिना परियोजना पर आगे व्यय न किया जाए।

3. बिहार के माननीय संसद सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर विद्युत मंत्रालय ने परियोजना को पुन: आरंभ करने के लिए कदम उठाए। बिहार सरकार से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का ताजा सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया था ताकि एन.एच.पी.सी उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार कर सके। अब यह परियोजना झारखंड राज्य क्षेत्र में है और झारखंड सरकार ने जून, 2001 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) को लिखा है कि आर एंड आर योजना को लागू करने के लिए वास्तविक लाभार्थियों को अभिज्ञात करने हेतु परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का ताजा सर्वेक्षण करना आवश्यक है।

4. परियोजना की अनुमानित पूर्णता लागत 3223.68 करोड़ रु. है। पूर्णता लागत से समय अनंतिम टैरिफ लगभग 7.99 रु. प्रति

यूनिट होगी। परियोजना की लागत का निर्धारण वास्तविक लाभार्थियों को अभिज्ञात करने एवं ताजा सर्वेक्षण के आधार पर आर एंड आर योजना के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम ने कोयल कारो एच ई परियोजना से विद्युत की खरीद करने से इन्कार कर दिया है। पूर्व में बिहार के साथ सम्पन्न विद्युत क्रय समझौता (पी पी ए) में संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि परियोजना झारखंड में स्थित है जिसके द्वारा विद्युत की खरीद के लिए पी पी ए पर हस्ताक्षर किया जाना शेष है।

5. झारखंड सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय स्मृति केन्द्र द्वारा दायर जनहित याचिका (2001 की डब्ल्यूपीजीआईएल सं. 3316) के उत्तर में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना निर्माण करने या नहीं करने का फैसला लेने से पूर्व उन्हें अति महत्वपूर्ण विभिन्न मामलों एवं प्रश्नों पर विचार करना होगा। इन मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ 16,000 हैक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण और वन भू-भाग का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त करना था। इससे अनेक परिवार विस्थापित हो जायेंगे। अन्य मामलों में परियोजना की विद्युत की काफी ऊंची टैरिफ और परियोजना की लागत शामिल है। राज्य सरकार ने यह कहा कि वे इस समय परियोजना का क्रियान्वयन शुरू करने संबंधी कोई समय-सीमा नहीं तय कर सकते हैं। शपथ-पत्र में राज्य सरकार द्वारा बतायी गयी समस्याओं के मद्देनजर कोर्ट ने 22 फरवरी, 2002 को जनहित याचिका को खारिज कर दिया। 1 मार्च, 2002 तक परियोजना पर किया गया परिव्यय 51.07 करोड़ रुपये था।

दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव

7575. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जनसंख्या नियंत्रण तथा छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके दो से अधिक बालक हैं, संसद के किसी सदन या राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने से निरर्हित करने के लिए, एक विधेयक, अर्थात्, संविधान (उनासीवां संशोधन) विधेयक, 1992 तारीख 22.12.1992 को तत्कालीन सरकार द्वारा राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक विचार किए जाने तथा पारित किए जाने के लिए उस सदन में लंबित है।

"बाई इंडियन एक्ट" संबंधी कानून बनाना

7576. श्री सुबोध मोहिते : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के भीतर सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी परियोजनाओं के लिए "बाई इंडियन एक्ट" संबंधी कानून बनाने का है जिसमें केवल भारतीय विनिर्माताओं से इस्पात की प्राथमिकता वाली खरीद का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अधिनियम अन्य देशों में भी बनाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस्पात उद्योग में मंदी को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय ने सरकारी खरीद में स्वदेशी इस्पात उत्पादकों को प्राथमिकता देकर स्वदेशी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "बाई इंडियन एक्ट" कानून के अधिनियमन का प्रस्ताव किया था। यह अधिनियम सार्वजनिक धन के अनुदान और सहायता से स्थापित हुई अथवा स्थापित होने वाली सभी परियोजनाओं, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक उद्यमों पर लागू होगा। मसौदा कानून के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय से परामर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसा कानून है और इसे बाई अमेरिकन एक्ट के रूप में जाना जाता है। बाई अमेरिकन एक्ट केवल सरकारी खरीद पर ही लागू होता है और इसके दो मुख्य भाग हैं जिनमें से एक आपूर्ति संबंधी ठेकों को नियंत्रित करता है और दूसरा निर्माण संबंधी ठेकों को नियंत्रित करता है। पहले भाग में संघीय एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित लागत होने पर और खरीद के लोक हित के अनुकूल होने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए केवल घरेलू वस्तुएं

सामग्री और आपूर्ति आदि खरीदें। दूसरे भाग में अपेक्षित है कि एजेंसी प्रमुख द्वारा और कुछ आवश्यक नहीं समझे जाने की स्थिति में किसी भी सार्वजनिक भवन के निर्माण, मरम्मत अथवा सार्वजनिक कार्य हेतु सरकारी ठेकों में घरेलू उत्पादों के उपयोग की अनिवार्यता का प्रावधान किया जाए।

(ङ) देश में इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में (1) बाजारों के विकास के जरिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रचार समिति का गठन, (2) अनाज भंडारण प्रणालियों, राजमार्गों और एक्सप्रैस मार्गों पर क्रैश बैरियरों जैसे उपयोग के नए क्षेत्रों में इस्पात के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, (3) उत्पादन लागत में कमी करने के लिए लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, और (4) इस्पात के उपयोग से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए सेमिनारों का आयोजन करना शामिल है।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन का विस्तार

7577. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश में विशेष-कर इसके जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम के लिए कोई योजना है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से भी संपर्क स्थापित किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से जनजातीय जिलों/ग्रामीण क्षेत्रों को अभी शामिल किया जाना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश में तीन ट्रांसमीटर परियोजनाओं अर्थात् उच्च शक्ति ट्रांसमीटर गुना, उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, ग्वालियर (डीडी-2) तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर सिंधवा (जनजातीय जिला खारगांव) को चालू किये जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रिक्त पद

7578. श्री अमर रायप्रधान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में कौन-कौन से पद रिक्त हैं और ये पद श्रेणीवार कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को खाली रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) 31.3.2002 की स्थितिनुसार विद्युत मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों, रिक्त होने के कारण और इन पदों को भरने में लगने वाले संभावित समय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) 31.3.2002 से रिक्त पद

क्र.सं.	पद	समूह	रिक्तियों की संख्या	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5
1.	अनुसंधान अधिकारी	क	3	प्रत्येक अक्टूबर, 1997, अगस्त, 1998 और सितम्बर, 1999
2.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	ख	1	13.11.2001
3.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	ग	1	21.9.2001
4.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	ग	1	19.2.2002
5.	आशुलिपिक समूह घ	ग	3	प्रत्येक 14.10.99, 25.1.01 और 6.8.2001
6.	चपरासी	घ	1	20.6.2000

1	2	3	4	5
			केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	
1.	मुख्य अभियंता (प्रोन्नति कोटा)	क	4	प्रत्येक 25.7.2001, 26.9.2001, 17.10.2001 और 22.11.2001
2.	मुख्य अभियंता (तदर्थ कोटा)	क	3	1996-97 से
3.	निदेशक/एसई (प्रोन्नति कोटा)	क	5	प्रत्येक 10.10.2001, 17.10.2001 और 3 पद 26.3.2002 से
4.	निदेशक/एसई (तदर्थ कोटा)	क	15	1990-91 से
5.	डीडी/ईई (डीआर कोटा)	क	21	1990-91 से
6.	एडी-1 (प्रोन्नति कोटा)	क	52	2001 के दौरान
7.	एडी-1 (डीआर कोटा)	क	17	2000 से
8.	एडी-2	ख	7	प्रत्येक 14.10.98, 30.11.98, 3.12.98, 13.7.99, 18.1.01, 27.7.01 और 8.1.2002
9.	तकनीकी अधिकारी	ख	20	28.2.2001 से
10.	कनिष्ठ अभियंता	ख	14	10 पद 28.2.01 से और 4 पद 22.10.01 से
11.	इलेक्ट्रिशियन	ग	2	प्रत्येक 30.7.01 और 30.11.01 से
12.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1	ग	5	20.5.99, 14.7.99, 24.10.99, 1.8.01 और 31.12.01
13.	ड्राफ्ट्समेन ग्रेड-2	ग	17	प्रत्येक 6.8.98, 31.8.98, 21.12.99 एक एसटी रिक्ति 96-97 से और शेष 2001 के दौरान
14.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-3	ग	9	5 पद 26.4.01 से और प्रत्येक 27.4.01, 30.4.01, 6.7.01 और 11.9.01 से
15.	आई/सी फेरो प्रिन्टर	ग	1	6-7-2001
16.	ब्लू प्रिन्टर/फेरा प्रिन्टर	ग	2	प्रत्येक 4.7.01 और 10.7.01 से
17.	चपरासी	घ	16	प्रत्येक 31.795, 1.3.98, 1.6.98, 17.8.98, 1.2.99, 31.7.99, 1.2.02, 1.3.02 से 4 पद 20.7.00 से 2 पद 25.8.00 से और 2 पद 8.3.00 से

1	2	3	4	5
18.	चौकीदार	घ	1	1.2.99
19.	फराश	घ	5	प्रत्येक 22.11.98, 13.11.98, 21.6.00, 2.2.01 10.5.01 से
20.	सफाईवाला	घ	3	प्रत्येक 3.6.98, 30.5.01 और फरवरी, 2000
21.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	ग	1	फरवरी 96
	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालय			
1.	हिन्दी अधिकारी	ख	1	–
2.	वरिष्ठ पीए	ख	2	3/02
3.	आशुलिपिक ग्रेड-1	ख	1	2/02
4.	आशुलिपिक ग्रेड-2	ख	10	10.2001
5.	स्टोरकीपर	ग	1	6.2001
6.	यूडीसी	ग	1	5/99
7.	एलडीसी	ग	6	प्रत्येक 97, 1/99, 10/98, 8/01, 10/01, 7/01
8.	चौकीदार	ग	3	10/95, 9/98, 1/01
9.	चपरासी/फराश/मैसेंजर/अटेंडेंट/ सफाईवाला	घ	5	6/99, 5/00, 10/00, 11/01, 11/01

(ख) पदों को खाली रखने के कारण

क्र.सं.	पद	रिक्त रखने के कारण
1	2	3
1.	अनुसंधान अधिकारी	ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र को कायम रखने के लिए स्थगित रखा गया है। पद समाप्तप्राय: है क्योंकि ये एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त है।
2.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	बाह्य संवर्ग पद यूपीएससी के परामर्श से भरा गया। चयन को अंतिम रूप देने के लिए आयोग के पास प्रस्ताव प्रस्तुत है
3.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	राजभाषा विभाग, जो पद का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, से नॉमिनेशन प्रतीक्षित है।
4.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	राजभाषा विभाग, जो पद का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, से नॉमिनेशन प्रतीक्षित है।

1	2	3
5.	आशुलिपिक श्रेणी घ	कर्मचारी चयन आयोग से नॉमिनेशन की प्रतीक्षा की गयी। अब आयोग से प्राप्त नॉमिनेशन के आकार पर रिक्त पदों को भर दिया गया है।
6.	चपरासी	फीडर ग्रेड में सुपात्र एवं इच्छुक कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण पद अभी तक रिक्त हैं। एक इच्छुक फराश की सुयोग्यता की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है जो अब उपलब्ध हो गया है।
		केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
1.	मुख्य अभियंता (प्रोन्नति का कोटा)	डीपीसी प्रस्ताव यूपीएससी में लम्बित
2.	मुख्य अभियंता (तदर्थ कोटा)	विद्युत मंत्रालय के गहन प्रयास के बावजूद पर्याप्त उत्तर नहीं
3.	निदेशक/एसई (प्रोन्नति कोटा)	डीपीसी जांचाधीन है।
4.	निदेशक/एसई (तदर्थ कोटा)	विद्युत मंत्रालय के गहन प्रयास के बावजूद पर्याप्त उत्तर नहीं
5.	डी/ईई (डीआर कोटा)	ईएसई 2000, 2001 और 2002 के लिए यूपीएससी से नॉमिनेशन प्राप्त होने हैं
6.	एडी-1 (प्रोन्नति कोटा)	डीपीसी प्रस्ताव जांचाधीन है
7.	एडी-1 (तदर्थ कोटा)	विद्युत मंत्रालय के गहन प्रयास के बावजूद पर्याप्त उत्तर नहीं
8.	एडी-2	एमओएफ के ओएम दिनांक 5.8.99 के तहत रोक के कारण और अब एक साल पुरानी होने कारण रिक्त हो गयी है। एसटी अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण एसटी का एक पद नहीं भरा जा सका।
9.	तकनीकी अधिकारी	सीधी भर्ती पर रोक
10.	कनिष्ठ अभियंता	सीधी भर्ती पर रोक
11.	इलेट्रिशियन	सीधी भर्ती पर रोक
12.	ड्राफ्ट्समेन ग्रेड-1	सीधी भर्ती पर रोक
13.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-2	संवर्ग समीक्षा के अंतर्गत 13 पद समाप्त किए जाने हैं, सीधी भर्ती पर रोक
14.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1	फीडर ग्रेड में एक कार्मिक है। संवर्ग समीक्षा के अंतर्गत समाप्त
15.	आईसी फेरो प्रिन्टर	संवर्ग समीक्षा के अंतर्गत समाप्त किया जाना है
16.	ब्लू प्रिन्टर/फेरो प्रिन्टर	संवर्ग समीक्षा के अंतर्गत समाप्त किया जाना है
17.	चपरासी	दैनिक भोगी बनाम केन्द्र सरकार संबंधी कोर्ट केस के कारण सीधी भर्ती पर रोक और पदों की समीक्षा के कारण

1	2	3
18.	चौकीदार	सीधी भर्ती पर रोक और पदों की समीक्षा के कारण
19.	फराश	सीधी भर्ती पर रोक और पदों की समीक्षा के कारण
20.	सफाईवाला	सीधी भर्ती पर रोक और पदों की समीक्षा के कारण
21.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	पद को भरने के लिए रोक के कारण
	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालय	
1.	हिन्दी अधिकारी	पद समीक्षाधीन
2.	वरिष्ठ पीए	पद भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
3.	आशुलिपिक ग्रेड-1	पद भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
4.	आशुलिपिक ग्रेड-2	पद भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
5.	स्टोरकीपर	फीडर ग्रेड में प्रत्याशी उपलब्ध नहीं है।
6.	यूडीसी	पद भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
7.	एलडीसी	सीधी भर्ती पर रोक
8.	चौकीदार	सीधी भर्ती पर रोक
9.	चपरासी/फराश/मैसेंजर/अटेंडेंट/सफाईवाला	सीधी भर्ती पर रोक
	जिस समय तक पदों के भरे जाने की संभावना है	
	विद्युत मंत्रालय	
1.	अनुसंधान अधिकारी	वित्त मंत्रालय के दिए गए आश्वासनों के अनुसार ये पद भरे नहीं जायेंगे
2.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	यूपीएससी रिक्ति भरने हेतु चयन को अंतिम रूप दे रहा है
3.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	जैसे ही डीओएल से नामांकन प्राप्त कर लिया जाता है
4.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	जैसे ही डीओएल से नामांकन प्राप्त कर लिया जाता है
5.	आशुलिपिक श्रेणी घ	अब भर लिया गया है
6.	चपरासी	जैसे ही पात्र और इच्छुक फराश चपरासी के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया जाता है
	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	
1.	मुख्य अभियंता (प्रोन्नति कोटा)	जब भी डीपीसी की सिफारिशें प्राप्त हो जाएं

1	2	3
2.	मुख्य अभियंता (तदर्थ कोटा)	जैसे ही पात्र और इच्छुक उम्मीदवार उपलब्ध हो जाएगा
3.	निदेशक/एसई (प्रोन्नति कोटा)	जैसे ही पात्र और इच्छुक उम्मीदवार उपलब्ध हो जाएगा
4.	निदेशक/एसई (तदर्थ कोटा)	जब कभी डीपीसी की सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी
5.	डी/ईई (डीआर कोटा)	यूपीएससी रिक्ति भरने हेतु चयन को अंतिम रूप दे रहा है
6.	एडी-1 (प्रोन्नति कोटा)	जैसे ही डीपीसी की सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी
7.	एडी-1 (तदर्थ कोटा)	यूपीएससी रिक्ति भरने हेतु चयन को अंतिम रूप दे रहा है
8.	एडी-2	एमओएफ ओएम दिनांक 5.8.99 के तहत रोक के कारण और अब एक साल पुरानी रिक्ति हो गयी है। एसटी अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण एसटी का एक पद नहीं भरा जा सका।
9.	तकनीकी अधिकारी	सीधी भर्ती पर रोक
10.	कनिष्ठ अभियंता	सीधी भर्ती पर रोक
11.	इलेट्रिशियन	सीधी भर्ती पर रोक
12.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1	सीधी भर्ती पर रोक
13.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-2	संवर्ग समीक्षा के अंतर्गत 13 पद समाप्त किए जाने हैं, सीधी भर्ती पर रोक
14.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1	फीडर ग्रेड में एक कार्मिक है। संवर्ग समीक्षा के अंतर्गत समाप्त
15.	आईसी फेरो प्रिन्टर	संवर्ग समीक्षा के अंतर्गत समाप्त किया जाना है
16.	ब्लू प्रिन्टर/फेरो प्रिन्टर	संवर्ग समीक्षा के अंतर्गत समाप्त किया जाना है
17.	चपरासी	दैनिक भोगी बनाम केन्द्र सरकार संबंधी कोर्ट केस के कारण सीधी भर्ती पर रोक और पदों की समीक्षा के कारण
18.	चौकीदार	सीधी भर्ती पर रोक और पदों की समीक्षा के कारण
19.	फराश	सीधी भर्ती पर रोक और पदों की समीक्षा के कारण
20.	सफाईवाला	सीधी भर्ती पर रोक और पदों की समीक्षा के कारण
21.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	रोक के कारण
	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालय	
1.	हिन्दी अधिकारी	पद समीक्षाधीन
2.	वरिष्ठ पीए	पद भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
3.	आशुलिपिक ग्रेड-1	पद भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
4.	आशुलिपिक ग्रेड-2	पद भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3
5.	स्टोरकीपर	फीडर ग्रेड में प्रत्याशी उपलब्ध नहीं है।
6.	यूडीसी	पद भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
7.	एलडीसी	सीधी भर्ती पर रोक
8.	चौकीदार	सीधी भर्ती पर रोक
9.	चपरासी/फराश/मैसेंजर/अटेंडेंट/सफाईवाला	सीधी भर्ती पर रोक

[हिन्दी]

सांगानेर और बूंदी के बीच रेल लाइन बिछाया जाना

7579. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तोद्राई सिंह होते हुए सांगानेर से बूंदी तक रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी;

(ग) क्या पहले सांगानेर से तोद्राई सिंह तक कोई रेल लाइन थी; और

(घ) यदि हां, तो इसे नष्ट करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) अलाभप्रद लाइन होने के कारण इस लाइन को उखाड़ दिया गया था।

[अनुवाद]

बाल-फिल्मों का निर्माण

7580. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में बाल-फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में कितनी बाल-फिल्मों का निर्माण किया गया/किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस अवधि के दौरान भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी (सी.एफ.एस.आई.) को कितना योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया; और

(ङ) सी.एफ.एस.आई. द्वारा निर्मित बाल-फिल्मों को देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सरकार बच्चों और युवा वर्ग को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए बाल चित्र समिति, भारत द्वारा निर्मित बाल फिल्मों का प्रदर्शन थियटरों, टी.वी. चैनलों स्कूल शो, विभिन्न राज्यों में फिल्म समारोह और वीडियो कैसेटों की बिक्री के माध्यम से करती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित फिल्मों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्माण की जाने वाली फिल्मों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत योजना परिव्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है;

वर्ष	स्वीकृत योजना परिव्यय (लाख रुपयों में)
1999-2000	650.00
2000-2001	650.00
2001-2002	455.00
2002-2003	600.00

(ङ) बाल चित्र समिति, भारत कार्यक्रमों के नेटवर्क के जरिए अपनी फिल्मों का प्रदर्शन करती है जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं:

- विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग के साथ सप्ताह भर के फिल्म समारोहों का आयोजन करना,
- दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क तथा प्रमुख उपग्रह चैनलों के जरिए बाल चित्र समिति, भारत की फिल्मों का प्रसारण,
- पूरे देश से स्कूलों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में वीडियो ट्रैजर चेस्ट नामक वीडियो फारमेट में बाल फिल्मों के पैकेज का वितरण,
- जागरूकता पैदा करने के लिए बाल फिल्म मेले तथा कार्यशालाओं के आयोजन के दौरान बाल फिल्म अभियान को प्रोत्साहित करना तथा फैलाना,
- प्रत्येक दो वर्षों में एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन करना,
- व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक शो आयोजित करने के लिए वितरकों/एजेंसियों के जरिए बाल फिल्मों का वितरण,
- 10वीं पंचवर्षीय योजना में देश के विभिन्न भागों में बाल चित्र समिति, भारत की फिल्मों को दिखाने के लिए नगर पालिका स्कूलों में बाल फिल्मों के प्रदर्शन की एक नई स्कीम शुरू की जा रही है,
- इंटरनेट पर बाल चित्र समिति, भारत की फिल्मों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाल चित्र, समिति भारत की फिल्मों के डिजीटलीकरण/वेब कास्टिंग हेतु एक अन्य स्कीम शुरू की गई है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरी की गई फिल्मों की सूची

1. रेडियो कम्स टू रामपुर – हिन्दी लघु
2. पहले आप – हिन्दी फीचर
3. दि गोल – हिन्दी फीचर
4. दुबाशी – तमिल फीचर
5. एक अजूबा – हिन्दी फीचर

2000-2001

1. पकड़ा गया – हिन्दी लघु
2. वाटर – वीडियो फिल्म
3. कट-कट कडकाडू – हिन्दी फीचर
4. अजीब घर – हिन्दी लघु एनीमेशन
5. दिनुचे बिल्ल – मराठी लघु
6. दिनुचे बिल्ल – मराठी लघु
7. भागो भूत – हिन्दी फीचर
8. पारी – मनीपुरी फीचर
9. रानू – बंगाली फीचर

2001-2002

1. सीटी पोल्यूशन – वीडियो फिल्म
2. पिंक कैमल – हिन्दी लघु एनीमेशन
3. लाडली – हिन्दी फीचर
4. नील पर्वत के पार – हिन्दी फीचर
5. छू लेंगे आकाश – हिन्दी फीचर
6. एक टुकड़ा चांद – बंगाली फीचर
7. लगी शर्त – हिन्दी फीचर
8. चिरायु – हिन्दी फीचर
9. द फारेस्ट – वीडियो फिल्म
10. सिक्सर – हिन्दी फीचर
11. बाजा – हिन्दी फीचर

2002-2003

निर्माणाधीन

1.	हाथी का अंडा	-	हिन्दी फीचर
2.	गिली गिली गुल	-	हिन्दी फीचर
3.	लिटिल वरजू	-	हिन्दी लघु एनीमेशन

वर्ष 2002-2003 के दौरान अधोलिखित दो विषयों को भी निर्माण के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है

1.	तोराज लव	-	असमिया फीचर
2.	हिम्मत	-	डोगरी फीचर

एफ.ए.आई.पी.टी. की मांगें

7581. डा. रमेश चंद तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा एफ.ए.आई.पी.टी. मांगों पर विचार करने का आश्वासन देने के पश्चात् पेट्रोल-व्यापारियों द्वारा 19.8.2001 को आयोजित हड़ताल वापिस ले ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र की तेल-कम्पनियों के अधिकारीगण, एफ.ए.आई.पी.टी. और सरकारी तेल-कम्पनियों के चार विपणन निदेशकों के बीच 17.8.2001 को नोट/समझौते के रूप में अभिलेखित आपसी-सहमति के बिन्दुओं का अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या इन अधिकारियों ने यह समझौता बिना सरकार की अनुमति/सहमति के अवैध रूप से किया था; और

(घ) यदि हां, तो संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पेट्रोल डीलरों ने 20.8.2001 से 'कोई खरीद नहीं/कोई बिक्री नहीं' का आन्दोलन प्रारम्भ करने की धमकी दी थी। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) के निदेशक (विपणन) और आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड के निदेशक (पेट्रोलियम) ने 17.8.2001 को एफ.ए.आई.पी.टी. के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। डीलरों ने विभिन्न चर्चाओं के दौरान जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वह था - एम.एस., एच.एस.डी. और एस.के.ओ. की बिक्री के लिए कमीशन में वृद्धि। इस मांग का उपयुक्त रूप से समाधान किया गया और नवम्बर, 2001 में कमीशन में पर्याप्त वृद्धि की गई। इसके अलावा एफ.ए.आई.पी.टी. द्वारा की गई अन्य विभिन्न मांगों पर निर्णय लिए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में 'कोको' और 'जुबिली' पम्प

7582. श्री जे.एस. बराड़ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में उन व्यक्तियों/संस्थाओं के बारे में ब्यौरा क्या है जो 'कोको' और 'जुबिली' पेट्रोल पम्प संचालित कर रहे/रही हैं;

(ख) पंजाब में 'कोको' और 'जुबिली' ऐसे सभी केन्द्रों का वैधता-काल कितना है; और

(ग) उन 'कोको' और 'जुबिली' केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां निर्माण कार्य चल रहा है अथवा अभी शुरू किया जाना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) कंपनी के स्वामित्व और कंपनी के प्रचालन वाले (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्र और जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र (जे.आर.ओ.) ऐसे श्रम संविदाकार की सहायता से कंपनी अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण के तहत प्रचालित किए जाते हैं, जो बिक्री केन्द्र को चलाने के लिए जनशक्ति प्रदान करता है। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार पंजाब राज्य में कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों और जे.आर. ओज का प्रचालन कर रही तेल विपणन कंपनियों और श्रम संविदाकारों के नाम ऐसे प्रत्येक बिक्री केन्द्र की श्रम संविदा की अवधि के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 'ए' स्थान के खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में जहां डीलर द्वारा भूमि की व्यवस्था नहीं की जाती है/भूमि प्रदान नहीं की जाती है, तेल विपणन कंपनियां भूमि प्राप्त करती हैं और खुदरा बिक्री केन्द्र का विकास करती हैं जिससे डीलर के चयन और बिक्री केन्द्र के आरम्भ करने के बीच समय अंतराल को न्यूनतम किया जा सके। बिक्री केन्द्र के विकास के बाद और किसी नियमित डीलर के चयन के लंबित रहते बिक्री केन्द्र डीलर को सौंप दिया जाता है। जैसे ही कोई नियमित डीलर चुन लिया जाता है, बिक्री केन्द्र डीलर को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार कोई भी कोको बिक्री केन्द्र निर्माणाधीन नहीं कहा जा सकता। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियों का पंजाब राज्य में कोई जे.आर.ओ. निर्माणाधीन नहीं है।

विवरण

31.2.3002 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान/जिला	श्रम संविदाकार का नाम	संविदा की समाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5
क. जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र				
1.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	एलुना, जिला पटियाला	श्री भूपिन्द्र पाल सिंह	24.7.2002
2.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	सादिक, जिला फरीदकोट	श्री संदीप कुमार	22.2.2002*
3.	-वही-	सलबतपुरा, जिला भटिंडा	श्रीमती कानू जसूजा	23.6.2002
4.	-वही-	बनवाला, जिला फिरोजपुर	श्री रबसाब धूरिया	21.3.2002*
5.	-वही-	दिरबा, जिला संगरूर	कैप्टन बी.एस. कैली	31.12.2002
6.	-वही-	गुरदासपुर, जिला गुरदासपुर	श्री अमित महाजन	23.6.2002
7.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	भवानीगढ़, जिला संगरूर	श्री हरिन्दर गोयल	14.2.2003
8.	-वही-	गुमजल, जिला भटिंडा	श्री रमनदीप सिंह	13.2.2003
9.	-वही-	डूमवाली, जिला भटिंडा	श्री संजीव बंसल	31.3.2003
10.	-वही-	माधोपुर, जिला गुरदासपुर	श्री अब्दुल रशीद मीर	28.2.2003
11.	आई.बी.पी. कं. लिमिटेड	गुमजल-2, जिला फिरोजपुर	श्री प्रदीप सिंह	25.5.2002
12.	-वही-	रोरके कलां, जिला संगरूर	श्री लछमन दास	30.7.2002
13.	-वही-	देतगढ़, जिला पटियाला	श्री रविन्द्र सिंगला	30.7.2002
14.	-वही-	गुमजल-1, जिला फिरोजपुर	श्री विपिन कुमार	6.8.2002
15.	-वही-	गुनियाना, जिला भटिंडा	श्री संजय कुमार	13.8.2002
16.	-वही-	डूमवली, जिला भटिंडा	श्री हरजिन्दर सिंह	27.8.2002
17.	-वही-	बदरू खान, जिला संगरूर	श्री सुनील मित्तल	27.8.2002
18.	-वही-	कोटशमीर, जिला भटिंडा	श्री भूपिन्दर सिंह	11.9.2002
19.	-वही-	जाथूकी, जिला भटिंडा	सर्व/श्री रनबीर कुमार बंसल और हेम राज बंसल	16.10.2002
20.	-वही-	धनानूला, जिला संगरूर	सर्व/श्री दीवान चंद और रमन कुमार	17.10.2002
21.	-वही-	चमारू, जिला पटियाला	श्री सौरभ कुमार	31.3.2003

1	2	3	4	5
ख. कोको खुदरा बिक्री केन्द्र				
1.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	गाजेवास, जिला पटियाला	श्री दीपक सिंह	26.7.2002
2.	-वही-	गमजल, जिला फिरोजपुर	श्री दीवेश गगनेजा	31.1.2003
3.	-वही-	खैरे, जिला फतेहगढ़ साहिब	श्री गुरुप्रीत सिंह	5.7.2002
4.	-वही-	पहेरी, जिला फतेहगढ़ साहिब	श्री कैलाश नाथ	5.7.2002
5.	-वही-	शम्भू, जिला पटियाला	श्री रमेश कुमार	20.8.2002
6.	-वही-	संगरूर, जिला संगरूर	मैसर्स सिंधू इंटरप्राइजेज	30.7.2002
7.	-वही-	कहमा, जिला नवांशहर	श्री योगेश कौशल	24.2.2003
8.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	डांडरी कलां, लुधियाना	श्री कमल शर्मा	4.6.2002
9.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	रमन मंडी, जिला भटिंडा	श्री हितेश गर्ग	16.2.2003
10.	-वही-	मलकाना, जिला पटियाला	श्री सुनील गर्ग	28.2.2003
11.	-वही-	शैलवाला/पटरन, जिला पटियाला	श्री हरपाल सिंह	8.6.2002
12.	-वही-	बेहमन दीवाना, जिला भटिंडा	श्री नीरज चावला	16.7.2002
13.	-वही-	कुलगारी, जिला फिरोजपुर	श्री चन्दर मोहन	21.2.2003
14.	-वही-	पथराला, जिला भटिंडा	श्री विक्रम गुप्ता	24.10.2002
15.	-वही-	भगवानपुरा, जिला मुक्तसर	श्री रविन्दर के गर्ग	13.11.200
16.	-वही-	चुवारियानवाल, जिला फिरोजपुर	श्री कपिल सिंगला	14.2.2003
17.	-वही-	मुक्तसर, जिला मुक्तसर	श्री बलविन्दर सिंह	30.3.2003
18.	-वही-	कल्याणपुर, जिला रोपड़	श्री बलजिन्दर सिंह	20.2.2003
19.	-वही-	संगरूर, जिला संगरूर	श्री अवतार सिंह	24.3.2003
20.	-वही-	बेहक गूजरां, जिला फिरोजपुर	श्री राज कुमार सिंगला	30.3.2003

*करारों का नवीकरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आई.बी.पी. के पेट्रोल/डीजल पम्पों की साझेदारी-संबंधी मामले

7583. डा. बलिराम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पम्पों की साझेदारी से संबंधित कितने मामले आई.बी.पी. कम्पनी द्वारा किये गये;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में कंपनी की साझेदारी भंग करने संबंधी आवेदन-प्राप्त हुए; और

(ग) इस संबंध में आई.बी.पी. कम्पनी द्वारा की-गई-कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आई.बी.पी. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2002 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में खुदरा बिक्री केन्द्रों के पुनर्गठन से संबंधित दो प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।

(ख) और (ग) आई.बी.पी. को उपरिउल्लिखित अवधि के दौरान साझेदारी के समापन के विषय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

रेल पार्सल कार्यालय

7584. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मई, 2002 के 'एक्सप्रैस न्यूज लाइन' में ''रेलवे स्टेशन्स पार्सल ऑफिस इज पेस्टेड विद करप्शन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार का तथ्य क्या है; और

(ग) भ्रष्टाचार और ग्राहक-काउण्टर पर अवांछित गतिविधियों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विगत में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में कुछ अनियमितताओं के संबंध में इसी प्रकृति की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार के अनाचार को रोकने के लिए नियमित रूप से निवारक उपाय भी किए जाते हैं और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत कर्मचारी के स्थानांतरण सहित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

ओ.एन.जी.सी. के कार्मिकों पर सी.बी.आई. के छापे

7585. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री जी. गंगा रेड्डी :
श्री के. येरननायडू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 के 'एशियन एज' समाचारपत्र में ''सी.बी.आई. अनअर्थ्स ओ.एन.जी.सी. स्कैम वर्थ रु. 5 करोर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें ओ.एन.जी.सी. के कितने कार्मिकों को संलिप्त पाया गया है, और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विषयगत खबर 20 दिसम्बर, 2001 को 'एशियन एज' समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ख) संविदा देने के संबंध में शासकीय पदगरिमा के दुरूपयोग तथा आपराधिक षड़यंत्र के आरोपों के संबंध में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों तथा एक कंपनी मैसर्स जे.बी. इनर्जी सर्विसिस, गुवाहाटी के विरुद्ध 24 अगस्त, 2001 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है। सी.बी.आई. द्वारा अभी तक जांच-पड़ताल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

बुक-स्टॉल

7586. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहां बुक-स्टॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1 जनवरी, 1976 के बाद से इस आशय की कोई योजना जारी की गई थी कि बुक-स्टॉलों/को केवल बेरोजगार स्नातक शिक्षितों को ही दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तब से अब तक ऐसे कितने बुक-स्टॉल आवंटित किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) भारतीय रेलों पर लगभग 6,615 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कोई बुक स्टाल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) नीति के अनुसार, 1.1.1976 को अथवा इसके बाद में निर्मित नए प्लेटफार्मों पर बुक स्टालों का आबंटन बेरोजगार स्नातकों तथा मौजूदा नीति के अनुसार अन्य पात्र कोटियों सहित उनकी सहकारी समिति को किया जता है। इस समय 523 बुक स्टालें बेरोजगार स्नातकों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

उत्तरी ग्रिड में विद्युत की आपूर्ति बाधित होना

7587. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 19 मार्च, 2002 को उत्तरी ग्रिड में विद्युत-आपूर्ति बाधित होने की एक बड़ी घटना को टाल दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि विद्युत-आपूर्ति को बाधित कर देने वाली इस तरह की घटनाएं बार-बार न हों;

(घ) क्या यह भी सही है कि विद्युत-पारेषण की प्रणाली में अनेक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) 19 मार्च, 2002 को उत्तरी ग्रिड में बिजली व्यवस्था को बाधाग्रस्त करने वाली कोई दुर्घटना नहीं हुई थी।

(घ) और (ङ) उत्तरी ग्रिड की विद्युत पारेषण प्रणाली में कोई परिवर्तन जरूरी नहीं है। हालांकि, उत्तरी ग्रिड की पारेषण प्रणाली के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) पूर्वी क्षेत्र से विद्युत अंतरण को 300 मेगावाट से बढ़ाकर 500 मेगावाट करने के लिए अक्टूबर, 2002 तक सासाराम में एचवीडीसी बैक-टु-बैक मॉड्यूल को चालू करना।

(2) 10वीं योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र एवं ताला विद्युत परियोजना की अधिशेष बिजली उत्तरी क्षेत्र को अंतरित करने के लिए निम्नलिखित पारेषण स्कीमों का चालू करने का कार्यक्रम है:

(क) गोरखपुर-लखनऊ (नई) 4000 केवी डबल सर्किट डी/सी लाईन

(ख) गोरखपुर (पावर ग्रिड)-गोरखपुर (यूपीपीसीएल)

(ग) लखनऊ (नई)-उन्नाव 400 केवी डी/सी लाईन

(घ) बरेली-मण्डोला 400 केवी डी/सी लाईन

(ङ) दिल्ली के नये उप-केन्द्र पर 400 केवी डी/सी दादरी-वल्लभगढ़ लूप-इन-लूप आउट लाईन।

(3) इलाहाबाद एवं दिल्ली के भाग को सुदृढ़ करने हेतु रिहन्द-II एसटीपीएस से संबंधित निम्नलिखित पारेषण प्रणालियों का प्रस्ताव किया गया है:-

(क) इलाहाबाद-मैनपुरी-बल्लभगढ़ 400 केवी डी/सी लाईन

(ख) आगरा (पावर ग्रिड)-आगरा (यूपीसीएल) 40 केवी डी/सी लाईन

(4) दिल्ली के पास 400 केवी के बामनौली-बल्लभगढ़ को पूरा कर 400 केवी के रिंग का सुदृढ़ीकरण ताकि दिल्ली को ग्रिड से और अधिक विद्युत प्राप्त हो सके।

रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां

7588. श्री रामजी मांझी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी बैठक नियमित रूप से न किये जाने के क्या कारण हैं और निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) जोनल और मंडल रेलवे की रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गयी हैं;

(घ) क्या इन सुविधाओं में वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों के संविधान के अनुसार मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति को सामान्यत: तीन महीने में एक बार परंतु एक वर्ष में तीन बार से कम नहीं और क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति को वर्ष में तीन बार मिलना होता है। मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों/क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों, जिनका कार्यकाल 31.2.2001 को समाप्त हो चुका है, की बैठकों की संख्या की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों की कुल 22 बैठकें और मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों की 210 बैठकें आयोजित की गई थी। इन समितियों का अब 1.1.2002 से 31.12.2003 तक के लिए पुनर्गठन किया गया है। सभी क्षेत्रीय रेलों को यह अनुदेश दोहराए गए हैं कि इन समितियों की बैठकें आयोजित करें और यह सुनिश्चित करें कि इनकी बैठकें, इन समितियों के संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं।

(ग) क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों और मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों के सदस्यों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाएं मोटेतौर पर निम्नानुसार हैं:

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति तथा मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के सदस्यों के लिए साझा सुविधाएं

(1) क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति तथा मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को उनके आवासीय स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से बैठक के स्थान तक के लिए तथा इसी तरह वापसी यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी का निशुल्क पास और एक परिचर हेतु द्वितीय श्रेणी का पास दिया जाता है। उन्हें यात्रा में लगे दिनों तथा बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भी भुगतान किया जाता है।

(2) सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता उनके स्वयं के नियमों के अंतर्गत विनियमित होता है और उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाता है।

(3) ये सदस्य किसी भी स्टेशन पर उस समय उपलब्ध स्टेशन मास्टर अथवा टिकट संग्राहक अथवा चल टिकट परीक्षक को किसी भी उस सवारी डिब्बे में अपनी उपस्थिति में जांच करने के लिए बुला सकता है जिसमें यह संदेह हो व्यक्ति वैद्य टिकटों अथवा पासों के बिना यात्रा कर रहे हैं।

(4) वे उन्हें जारी पहचान पत्रों के प्राधिकार पर प्लेटफार्म टिकट खरीदे बिना ही प्लेटफार्म में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन, इस पहचान-पत्र के प्राधिकार पर वे गाड़ी में नि:शुल्क यात्रा नहीं कर सकते हैं।

केवल क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के सदस्यों के लिए उपलब्ध सुविधाएं

(5) संविधान में, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए उनकी रेलवे के विभिन्न भागों में रेलवे की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का वर्ष में दो बार दौरा आयोजित करने की व्यवस्था करने का प्रावधान है। बहरहाल, आयोजित यदि दौरे के लिए सदस्यों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को, आयोजित न किए गए या उसके द्वारा भाग न लिए जाने के कारण एक राउंड ट्रिप के आधार पर उनकी पसंद के अनुसार अलग-अलग पास जारी करके यात्रा करने की सुविधा दी जाती है।

(6) इसके अलावा उन्हें स्टैशनों पर बुक स्टॉलों और बुक ट्रॉलियों तथा खानपान और वेडिंग स्थापनाओं एवं गाड़ियों में रेस्तरां/भोजन/बुफे/यानों का निरीक्षण करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है भले ही इन्हें ठेकेदारों द्वारा अथवा विभागीय रूप से चलाया जाता हो।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समूह 'ख' सहायक अधिकारियों को चयन-ग्रेड

7589. श्री रामशकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 1992 में रेलवे (रेल बोर्ड) ने इस बारे में एक संकल्प अंगीकार किया था कि समूह 'ख' के सहायक अधिकारियों को समूह 'क' के सहायक अधिकारियों के समतुल्य चयन-ग्रेड उपलब्ध कराया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समूह 'ख' के अधिकारियों को चयन-ग्रेड देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मुद्दे पर शीघ्र कार्यवाही करके इसका निस्तारण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) बोर्ड ने 22 अक्तूबर, 1992 को आयोजित अपनी बैठक में ग्रुप 'बी' अधिकारियों के एक वर्ग के लिए ऐसा ग्रेड लागू करने हेतु सरकार के विचारार्थ एक प्रस्ताव के संबंध में कार्रवाई करने का विनिश्चय किया था। रेलवे के प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.)/वित्त मंत्रालय से इस आधार पर समर्थन नहीं मिला कि इससे, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य मंत्रालयों के ग्रुप 'बी' अधिकारियों पर भी परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस प्रस्ताव की इस आधार पर सिफारिश नहीं की है कि रेलों के ग्रुप 'बी' अधिकारियों के वेतनमान में पहले ही पर्याप्त सुधार हो गए हैं। बहरहाल यह मामला अब मंत्रियों के समूह को भेजा गया है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिये सहायता

7590. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा सरकार ने भारत में विद्युत क्षेत्र के सुधारों की गति तेज करने के लिए सहायता देने की पेशकश दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में दोनों देशों द्वारा किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के किन-किन राज्यों में विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए उक्त सहायता-राशि का इस्तेमाल किया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 14.3.2002 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार कैनेडियन इण्टरनेशनल डेवलेपमेंट एजेंसी मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में विद्युत क्षेत्र सुधारों को सहायता प्रदान करने के लिए $3^1/_2$ वर्ष की अवधि में 13.9 मिलियन कैनेडियन डालर प्रदान करने को सहमत हो गया है।

[अनुवाद]

व्हीलिंग प्रभार में बढ़ोत्तरी

7591. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आंध्र प्रदेश में "ए.पी. ट्रांसको" द्वारा व्हीलिंग-प्रभार में बढ़ोत्तरी की गई है और इसके पश्चात् इस बढ़ोत्तरी का विरोध करते हुए "फेरो अलायज कंपनीज" ने अपने कारखाने बंद कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों में एक समान व्हीलिंग-प्रभार लिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार को व्हीलिंग-प्रभार में कमी करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश में "फेरो अलॉयज की इकाइयों को संरक्षण" देने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एजीइआरसी) के आदेश के अनुसार अपट्रांस्को द्वारा विद्युत के लिए पारेषण हेतु प्रभार राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं। मै. वी.बी.सी. फिरो एलॉय ने बताया है कि पारेषण प्रभारी में तीव्र वृद्धि होने के कारण कई फिरो एलॉय यूनिटों ने आन्ध्र प्रदेश में अपना प्रचालन कार्य बन्द कर लिया है।

राज्य से बाहर पारेषण प्रभारों का निर्णय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जहां स्थापित हो)/राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

हिन्द महासागर में पाये जाने वाले हाइड्रेट यौगिक

7592. श्री वाई.वी. राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्द महासागर में इस समय गैस हाइड्रेट-यौगिकों का कितना अनुमानित भण्डार है जिसे निष्कर्षित किया जा सकता है;

(ख) गैस हाइड्रेट के भण्डार का पूरा दोहन कब तक कर लिया जायेगा;

(ग) क्या हिन्द महासागर से गैस हाइड्रेट-यौगिकों के निष्कर्षण के लिए सरकार का नई अन्वेषण तथा प्रौद्योगिक विकास परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भारत में गैस हाईड्रेट्स का अन्वेषण प्रारम्भिक अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) चरण में है और अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि गैस हाईड्रेट्स की संभाव्यता कितनी है। ऐसे मामलों में कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय गैस हाईड्रेट्स कार्यक्रम (एन.जी.एच.पी.) गैस हाईड्रेट्स को काम में लाने के मूल उद्देश्य के मद्देनजर प्रौद्योगिकीय परिवर्धनों का अद्यतन ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

''ब्रह्मोस'' प्रक्षेपास्त्र का निर्माण

7593. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003 के दौरान ''ब्रह्मोस'' प्रक्षेपास्त्र का निर्माण शुरू कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और रूस ने संयुक्त रूप से जलपोत भेदी ''ब्रह्मोस'' प्रक्षेपास्त्र को विकसित किया है;

(ग) क्या ''ब्रह्मोस'' प्रक्षेपास्त्र बहुसंरक्षित विमानवाहक पोतों और अन्य सुसज्जित शत्रु पोतों को नष्ट करने की क्षमता रखता है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2003 के दौरान कुल कितने प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया जाना है;

(ङ) क्या ''ब्रह्मोस'' प्रक्षेपास्त्र का कोई परीक्षण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) ''ब्रह्मोस'' प्रक्षेपास्त्र का निर्माण 2003 के अंत तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) निर्माण किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों की संख्या हमारे सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं और निर्यात आर्डरों पर निर्भर करेगी।

(ङ) और (च) ''ब्रह्मोस'' प्रक्षेपास्त्रों का क्रमश: 12 जून, 2001 और 28 अप्रैल, 2002 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है।

एन.टी.पी.सी. में हड़ताल

7594. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कामगार 16 अप्रैल, 2001 से हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे;

(ग) क्या उनके द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को कोई मांग-पत्र सौंपा गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनकी किसी मांग पर विचार करने की दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं।

(ग) इस संबंध में एन.टी.पी.सी. द्वारा कोई मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, एआईटीयूसी, बीएमएस तथा सीटू के केन्द्रीय नेताओं ने दिनांक 2.4.2002 को एक नोटिस दिया था, जिसमें इन्होंने पीएसयूज के शेयरों की पूर्णतया बिक्री एवं विनिवेशन, संख्या बल में कमी/छंटनी करने और रुग्ण सरकारी उपक्रमों की बंदी आदि जैसे कारणों से 16.4.2002 को एनटीपीसी के सभी

पावर स्टेशनों में हड़ताल पर जाने का इरादा जाहिर किया है। इसके बाद एनटीपीसी की विभिन्न यूनिटों में 14 संघों से हड़ताल नोटिस प्राप्त हुए। केन्द्रीय नेताओं से शीर्ष, स्थानीय तथा त्रिपक्षीय स्तर पर विचार-विमर्श हुआ, जिसमें उन्होंने एन.टी.पी.सी. को हड़ताल से बाहर रखने का अनुरोध किया। शीर्ष, स्थानीय तथा त्रिपक्षीय स्तरों पर लगातार विचार-विमर्श के पश्चात् 15.4.2002 को सायं सभी 15 संघों ने हड़ताल नोटिस वापस ले लिए।

सभी परियोजनाओं से 16.4.2002 को प्राप्त रिपोर्टों से पता चला कि एन.टी.पी.सी. में कोई हड़ताल नहीं है। उपस्थिति सामान्य थी तथा कार्य में कोई व्यवधान नहीं है। संयंत्र की गतिविधियां भी सामान्य थी तथा हड़ताल आह्वान के कारण उत्पादन में कोई हानि नहीं थी।

(घ) से (च) उक्त (ग) के मद्देनजर लागू नहीं।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार

7595. श्री वाई.जी. महाजन :
श्रीमती जसकौर मीणा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधारों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान/महाराष्ट्र को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। अनेक राज्यों (यथा उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली) ने अपने राज्य विद्युत सुधार कानून को लागू कर सुधार शुरू कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीकरण/निगमीकरण राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन शामिल है। उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने अपने रा.वि. बोर्डों का विकेन्द्रीकरण/निगमीकरण कर लिया है। 21 राज्य यथा उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, प. बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, केरल और उत्तरांचल ने या तो अपने रा.वि.वि. आयोग का गठन कर लिया है या गठन कर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 12 रा.वि.वि. आयोगों (उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल) ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

भारत सरकार ने 21 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध तरीके से सुधार शुरू करने की संयुक्त प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। इन समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता में के.वि.वि. आयोग का गठन/प्रचालन, 11 के.वी. के फीडरों एवं सभी उपभोक्ताओं का 100% मीटरीकरण, ऊर्जा ऑडिट, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाना आदि शामिल है। भारत सरकार ने केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत का आबंटन करके तथा उप-पारेषण एवं वितरण का सुदृढ़ीकरण एवं थर्मल एवं हाइडिल विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के जरिए वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता दी है।

(ग) भारत सरकार अपने त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश समेत महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता दे रही है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य को स्वीकृत वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	राज्य	राशि (करोड़ रु. में)
1.	2000-01	महाराष्ट्र	प्रत्येक 90.21 करोड़ रु. अनुदान एवं ऋण के लिए
2.	2002-03		45 करोड़
3.	2000-01	राजस्थान	प्रत्येक 22.50 करोड़ रु. अनुदान एवं ऋण
4.	2002-03		28.40 करोड़

इसके अलावा राजस्थान को सुधार के लिए विश्व बैंक से भी सहायता मिल रही है। सभी राज्यों समेत महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य के इस सुधारकारी प्रयास में पी.एफ.सी. भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं की स्थापना

7596. श्री एम. चिन्नासामी : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु द्वारा जनवरी, 2001 से लेकर अब तक, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से संबद्ध परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए जनवरी, 2001 से तमिलनाडु राज्य से मंत्रालय में प्राप्त प्रस्तावों और उनकी विशेषताओं तथा मंत्रालय द्वारा उन पर लिए गए निर्णयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए जनवरी, 2001 से तमिलनाडु राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना प्रस्ताव एवं प्रमुख विशेषताएं	निर्णय/वर्तमान स्थिति
1	2	3
I.	**बायोमास गैसीफायर**	
1.	होसुर में 1×120 किवा. कैप्टिव विद्युत परियोजना	9.1.2002 को स्वीकृत
2.	मदुरई जिले में 2×100 किवा. कैप्टिव विद्युत परियोजना	22.1.2002 को स्वीकृत
3.	वेल्लारीपट्टी में टायर यूनिट में तापीय अनुप्रयोगों के लिए 2×500 किवा. कैप्टिव संयंत्र	23.3.2002 को स्वीकृत
4.	वेल्लारीपट्टी में ट्यूब यूनिट में तापीय अनुप्रयोगों के लिए 2×500 किवा. कैप्टिव संयंत्र	अनुमोदित नहीं
5.	तंजावुर में विद्युत अनुप्रयोगों के लिए 1×100 किवा. कैप्टिव संयंत्र	जांच के अंतर्गत
II.	**बायोमास-सह-उत्पादन विद्युत**	
6.	कैप्टिव उपयोग के लिए मैसर्स श्री रेनुगा टैक्स्टाइल्स लि., थेनी जिला द्वारा 4.5 मेवा. परियोजना	अनुमोदित नहीं
III.	**सौर प्रकाशवोल्टीय**	
7.	वर्ष 2001-02 के दौरान तमिलनाडु में 4500 सौर लालटेनों, 400 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों तथा 150 सड़क रोशनी प्रणालियों के लक्ष्य के साथ एसपीवी कार्यक्रम का कार्यान्वयन	स्वीकृत
8.	तमिलनाडु में वर्ष 2001-02 के लिए एसपीवी कार्यक्रम के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का अतिरिक्त लक्ष्य	स्वीकृत नहीं
9.	चेन्नई में एसआईएसआई कार्यालय बिल्डिंग में आपातकालीन आपूर्ति के लिए प्रस्तावित 52 किवा. (एसपीवी क्षमता-85 किवा. पी.) विद्युत संयंत्र	जांच के अंतर्गत
10.	सीईसीआरआई, कराईकुडी के गेस्ट हाऊस की रोशनी और पंखों के लिए प्रस्तावित 1 किवा. (एसपीवी क्षमता - 2.5 किवा. पी.) विद्युत संयंत्र	जांच के अंतर्गत

1	2	3
11.	सीईसीआरआई, कराईकुडी, गेस्ट हाउस में जल पंपन के लिए 1 किवा. पी. एसपीवी विद्युत संयंत्र	जांच के अंतर्गत
12.	कराईकुडी में सीईसीआरआई नगर गेस्ट हाऊस एवं सुरक्षा रोशनी के लिए विद्युत आपूर्ति करने के लिए 30 किवा.पी. एसपीवी विद्युत संयंत्र	जांच के अंतर्गत
13.	सीईसीआरआई, कराईकुडी में सौर सैलों, सौर पैनलों, सौर लालटेन, बैटरी चार्जर सहित सौर रोशनी के परीक्षण के लिए प्रस्तावित एसपीवी परीक्षण केन्द्र की स्थापना	जांच के अंतर्गत
14.	तमिलनाडु में 11 जिलों में 122 दूरवर्ती बस्तियों का एसपीवी विद्युतीकरण	प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ क्योंकि इसने 2001-2002 के दौरान योजना की शर्तों को पूरा नहीं किया। वर्ष 2002-03 के लिए इसे फिर से प्रस्तावित किया गया है जो जांच के अंतर्गत है।
15.	जिला डिंडीगुल में 150 सौर लालटेनों, 50 सड़क रोशनियों तथा 1 एसपीवी पंप की स्थापना।	स्वीकृत नहीं हुई क्योंकि मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत निधियन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
IV. जलपंपन पवन चक्कियां		
16.	दो व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं तथा दो इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए चार एवी-55 ऑरोविले टाइप जल पंपन पवन चक्कियों की स्थापना हेतु प्रस्ताव	23 जनवरी, 2002 को स्वीकृत
V. ऊर्जा पार्क		
17.	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर, जिला चिदम्बरम में एक ऊर्जा पार्क की स्थापना	17.7.2001 को स्वीकृत
18.	आरएमके इंजीनियरिंग कॉलेज, आरएसएम नगर, कवाराईपेटाई जिला तिरूवल्लूर में एक ऊर्जा पार्क की स्थापना	17.7.2001 को स्वीकृत
19.	परियार मनियाम्माई महिला प्रौद्योगिकी कॉलेज, जिला तंजावुर में एक ऊर्जा पार्क की स्थापना	27.9.2001 को स्वीकृत
20.	कोंगू पोलिटेक्नीक पेरूनदुराई, इरोड जिले में एक ऊर्जा पार्क की स्थापना	30.3.2002 को स्वीकृत
21.	करपागम पोलिटेक्नीक जिला कोयम्बटूर में एक ऊर्जा पार्क की स्थापना	अनुमोदित नहीं
VI. अपशिष्ट से ऊर्जा		
22.	मैसर्स के.एस. बायोपावर प्रा.लि., सलेम द्वारा बायोमिथेनीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए साबुदाना उद्योग के अपशिष्ट जल पर आधारित 0.75 मेवा. क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजना	जांच के अंतर्गत
23.	मैसर्स सुभाश्री बायो एनर्जीस प्रा.लि., नामाक्कल द्वारा बायोमिथेनीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पोल्ट्री अपशिष्ट से 2.5 मेवा. विद्युत उत्पादन परियोजना	जांच के अंतर्गत

1	2	3
24.	मैसर्स एआरजी एवं कम्पनी बायो एनर्जी प्रा.लि., सलेम द्वारा सलेम में टोपियोका ट्यूबर पर आधारित 2.5. मेवा. विद्युत परियोजना	अनुमोदित नहीं
25.	मैसर्स वारालक्ष्मी कंपनी, मल्लूर, नामाक्कल द्वारा बायोमिथेनीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए साबुदाना उद्योग अपशिष्ट से 225 किवा. विद्युत परियोजना	15.3.2002 को स्वीकृत
26.	न्यूजप्रिंटस एंड पेपर्स लि., करूर में बायोमिथेनीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए खोई अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति परियोजना	26.4.2002 को स्वीकृत
27.	मैसर्स वसंती बायोएनर्जी सिस्टम (प्रा.) लि. नामाक्कल द्वारा बायोमिथेनीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए साबुदाना फैक्टरी के ठोस एवं तरल अपशिष्ट से 0.75 मेवा. विद्युत तथा 6,25,000 कि. कैल/घंटा तापीय ऊर्जा परियोजना	जांच के अंतर्गत
28.	मैसर्स एआरजी एंड कंपनी बायोएनर्जी सिस्टम (प्रा.) लि., सलेम द्वारा बायोमिथेनीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए साबुदाना फैक्टरी के ठोस एवं तरल अपशिष्टों से 0.75 मेवा. विद्युत तथा 6,25,000 कि.कैल/घंटा तापीय ऊर्जा परियोजना	जांच के अंतर्गत
29.	मैसर्स वर्टी बायो एनर्जी (प्रा.) लि., नामाक्कल द्वारा बायोमिथेनीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए साबुदाना फैक्टरी के ठोस एवं तरल अपशिष्ट से 0.75 मेवा. विद्युत तथा 6,25,000 कि.कैल/घंटा तापीय ऊर्जा परियोजना	जांच के अंतर्गत
30.	मैसर्स सेलम पेपर बोर्ड्स प्रा.लि. सलेम द्वारा बायोमिथेनीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए साबुदाना फैक्टरी के ठोस एवं तरल अपशिष्ट से 0.75 मेवा. विद्युत तथा 6,25,000 कि.कैल/घंटा तापीय ऊर्जा परियोजना	जांच के अंतर्गत
VII. सौर तापीय		
31.	साइंस सिटी, तकनीकी शिक्षण विभाग, चेन्नई से प्राप्त सौर पैसीव वास्तुशिल्प पर एक दिवसीय कार्यशाला के लिए प्रस्ताव	स्वीकृत

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण में निजी कम्पनियों की भागीदारी

7597. श्री बाबूभाई के. कटारा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र खोलने में निजी क्षेत्र की कम्पनियों/व्यक्तियों की भागीदारी के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की किसी कम्पनी/व्यक्ति द्वारा कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र खोलने के लिए आवेदन देने की स्थिति में उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) रेल आरक्षण की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, रेल टूरिस्ट एजेंटस स्कीम तथा रेल ट्रैवलर्स सर्विस एजेंट स्कीम के अधीन प्राधिकृत कुछ ट्रैवल एजेंटों को परीक्षण के आधार पर यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) टर्मिनल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी। यह पायलट परियोजना अभी लागू की जानी है। इस प्रयोग, जब भी यह लागू होगा, के निष्कर्ष के आधार पर, इस संबंध में अगली कार्रवाई करने का विनिश्चिय किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, फुटकर रेल टिकट वितरण केन्द्रों में वृद्धि करने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए इंटरनेट पर आरक्षित टिकटें जारी करने का भी प्रस्ताव है। इस समय, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन कार्पोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.), रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, को पायलट परियोजना सौंपी गई है ताकि दिल्ली क्षेत्र में रेल टिकट वितरण को सुगम बनाया जा सके।

मीटरों की खरीद के लिए राशि

7598. श्री राजो सिंह :
श्री प्रवीण राष्टूपाल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत मीटरों की खरीद के लिए विशेष ऋण कार्यक्रम के तहत धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार और संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक इसका क्या निष्कर्ष रहा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आर.ई.सी.) ने विभिन्न प्रकार की ऊर्जा मीटरों की प्राप्ति एवं संस्थापना के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत विभागों को निधि जारी किया है। गत तीन वर्षों के दौरान एस.आई. मीटरों के अंतर्गत ऋण संवितरण के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन अपने दिशानिर्देशों के अनुसार मीटरों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को ऋण देती है। इन दिशानिर्देशों में गुणवत्ता संबंधी विनिवेश, कार्य-निष्पादन गारंटी, भारतीय मानक ब्यूरो, द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों, मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार जांच एवं निरीक्षण प्रक्रिया आदि पूरा करना शामिल है। हालांकि, प्राप्ति संबंधी निर्णय, गुणवत्ता अनुमोदन तथा प्राप्त सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं से भुगतान संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	वर्ष के दौरान			कुल
		1999-00	2000-01	2001-02	(3 से 5)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	14408	13041	27449
2.	गुजरात	0	0	3705	3705
3.	हरियाणा	13	1244	3010	4267
4.	कर्नाटक	4280	0	0	4280
5.	केरल	702	1528	2191	4421
6.	महाराष्ट्र	0	1490	13465	14955
7.	मणिपुर	340	101	0	441
8.	पंजाब	0	1179	916	2095
9.	राजस्थान	0	2527	3512	6039
	कुल	5335	22477	39840	67652

[अनुवाद]

बी.टी.पी.सी. पर बकाया धनराशि

7599. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की स्थिति के अनुसार बदरपुर ताप विद्युत निगम पर कुल कितनी धनराशि का माल-भाड़ा बकाया है;

(ख) माल-भाड़ा की बकाया धनराशि को स्वीकृति प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बी.टी.पी.सी. से माल-भाड़े की बकाया धनराशि वसूलने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 31.3.2002 को बदरपुर थर्मल पावर कार्पोरेशन के विरुद्ध कुल मालभाड़ा की बकाया राशि 957.61 करोड़ रुपए (अनंतिम) है।

(ख) रेलवे और बदरपुर थर्मल पावर कार्पोरेशन के बीच अधिकारी स्तर पर आयोजित बैठकों में, बी.टी.पी.सी. ने दि.वि.बो. को आपूर्ति की गई बिजली के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड (डी.वी.बी.) से अपने बकायों की वसूली करने के बारे में बार-बार अपनी असमर्थता पर जोर देता रहा था। परिणामत: बी.टी.पी. से रेलवे को संपूर्ण मालभाड़े के भुगतान करने में असमर्थ रहा है। बी.टी.पी.सी. से माल-भाड़े के बकायों के संचित होने का मुख्य कारण यही है।

(ग) यह मंत्रालय अब बी.टी.पी.सी. से बकाया राशि के समायोजन के लिए केन्द्रीय योजना सहायता से कटौती बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाने की योजना बना रहा है।

[हिन्दी]

पतरातू-चांडिल रेल मार्ग का सर्वेक्षण

7600. प्रो. दुखा भगत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पतरातू और चांडिल के बीच बरास्ते बरकाकाना रेल मार्ग के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाइपलाइन परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी

7601. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जामनगर से खनाम बरास्ते राजकोट और कोचाटी होकर निकलने वाली पाइपलाइन परियोजना हेतु निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु निजी पार्टियों का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो चयनित पार्टियों को कार्य के आबंटन की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक तैयार होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राजकोट तथा कोयाली से होकर वादीनार से रतलाम होकर निकलने वाली पाइपलाइन परियोजना का क्रियान्वयन पेट्रोनेट सेन्ट्रल इंडिया लिमिटेड, जो कि पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड की एक सहायक संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा तैयार करो, स्वामित्व करो, प्रचालन करो तथा अंतरण करो (बी.ओ.ओ.टी.) प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। निजी पक्षकारों के पास बी.ओ.ओ.टी. निविदा में भागीदारी करने का विकल्प है।

(ख) हित अभिव्यक्ति के वैश्विक आमंत्रण के प्रति तेरह पक्षकारों ने हित अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी जिसमें से तीन निजी पक्षकारों ने अन्ततोगत्वा पूर्व-पात्रता के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। निम्नांकित तीन निजी पक्षकार बी.ओ.ओ.टी. बोली प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए पूर्व पात्र रहे हैं:-

(1) मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, मुंबई।

(2) मैसर्स लार्जन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, चेन्नई।

(3) मैसर्स ओ.ए.ओ. स्ट्रोटाट्रांसगैज, मास्को, रूस, मैसर्स ओ.ए.ओ. ट्रांसनेफ्ट, मास्को, रूस तथा मैसर्स सन सिक्योरिटीज लि., जर्सी, चेनल द्वीप समूह का परिसंघ।

(ग) परियोजना का क्रियान्वयन बी.ओ.ओ.टी. प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। बी.ओ.ओ.टी. ग्राही पेट्रोनेट सेन्ट्रल इंडिया लिमिटेड (पी.सी.आई.एल.) के साथ एक रियायत करार के तहत एक निश्चित अवधि के लिए इस पाइपलाइन का वित्तपोषण, निर्माण एवं प्रचालन करेगा। इस रियायत अवधि के अंत में पाइपलाइन पी.सी.आई.एल. को वापस अंतरित कर दी जाएगी।

(घ) परियोजना पूरी होने का अनुमोदित कार्यक्रम दिसम्बर, 2003 है।

[हिन्दी]

फर्जी आवासीय प्रमाण-पत्र देने वाला गिरोह

7602. श्री रामपाल सिंह :
श्री राजैया मल्याला :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
डा. अशोक पटेल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषकर पश्चिम बंगाल में फर्जी आवासीय प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेना में सैनिकों की भर्ती से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले की जांच करने और राष्ट्र विरोधी तत्वों की सशस्त्र सेनाओं में घुसपैठ रोकने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) ब्रांच भर्ती कार्यालय, सिलिगुड़ी में हाल ही में दस्तावेजों की जांच करते समय यह पाया गया था कि लगभग 25 उम्मीदवारों ने सेना में भर्ती के लिए फर्जी आवासीय प्रमाण-पत्र और स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे। सभी संगत कागजातों के साथ इस मामले की रिपोर्ट तत्काल सिविल प्राधिकारियों को की गई ताकि अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रविरोधी तत्वों की घुसपैठ/प्रवेश सशस्त्र सेनाओं में न हो जाए, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों और चरित्र प्रमाण-पत्र आदि सहित सभी संगत दस्तावेजों की सिविल/संबंधित प्राधिकारियों के साथ संपर्क करके पूरी तरह से जांच की जाती है। ऐसी जांच भर्ती से पूर्व और बाद में, दोनों चरणों में की जाती है।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) को ठेका देना

7603. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) का प्रयोग हेतु पूर्णत: तैयार (टर्न-की) आधार पर अपने एम.एन.डब्ल्यू. प्लेटफार्म के निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) द्वारा हासिल किये गए अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) ने गत दो वर्षों के दौरान ठेके के अनेक अभियंताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं जबकि कंपनी को करोड़ों रुपये का व्यवसाय अभी भी मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ऐसे कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, को पुन: काम पर लिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) को 821.18 करोड़ रुपए के मूल्य पर एक मुश्त स्वचालित आधार पर एम.एन.डब्ल्यू. प्लेटफार्म संविदा प्रदान की है। संविदा में मुंबई हाई उत्तर जल अंत:क्षेपण प्लेटफार्म, "एम.एन.डब्ल्यू.", का सर्वेक्षण, डिजाइन इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, निर्माण, परिवहन, आपूर्ति, स्थापना, संयोजन, परीक्षण, आरम्भ पूर्व और आरम्भ करने के कार्य और चालू करना सम्मिलित है और विद्यमान बम्बई हाई उत्तरी प्लेटफार्म, "बी.एच.एन." और बम्बई हाई उत्तरी तेल उत्पादक प्लेटफार्म, "एन.क्यू.ओ.", जो दोनों मुंबई हाई क्षेत्र में हैं, में सुधार कार्य भी सम्मिलित है।

(ग) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए सूचना क्रमश: विवरण-I और II में दी गई है।

(घ) और (ङ) संविदागत इंजीनियरों को छोटी अवधि की अपेक्षा को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि के लिए भर्ती किया गया था। संविदागत इंजीनियरों को उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार संविदा अवधि/बढ़ाई गई अवधि की पूर्णता अथवा संविदा के पहले समाप्त होने पर कार्यमुक्त कर दिया गया है।

कम्पनी के व्यवसाय की मात्रा नियत नहीं है और यह अन्य परामर्शदाताओं के साथ विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में कम्पनी को संविदाएं प्रदान किए जाने पर निर्भर है। ई.आई.एल. के पास अपनी वर्तमान नियमित जनशक्ति का लाभप्रद तरीके से उपयोग करने के लिए कार्य की पर्याप्त मात्रा नहीं है। इस प्रकार कम्पनी के लिए संविदागत इंजीनियरों को उन्हें सौंपे जाने वाले कार्य की अनुरूप मात्रा के बिना, उन्हें फिर से बहाल करना सम्भव नहीं होगा। तथापि, जब कभी भी प्रबंधन प्रशिक्षणार्थियों की नियमित रिक्तियां होती हैं, तब पचास प्रतिशत रिक्तियां संविदागत इंजीनियरों से, उनके उपयुक्त पाए जाने के अधीन की जाएंगी।

विवरण-I

ई.आई.एल. द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान अर्जित कुल व्यवसाय - 646.41 करोड़ रुपए
कार्य (5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले) - 564.28 करोड़ रुपए

क्र.सं.	परियोजना	ग्राहक	ई.आई.एल. की सेवाओं/एल.एस.टी. के संविदा का मूल्य (करोड़ रुपए)
1.	टर्मिनल सुविधाओं और वर्तमान सुविधाओं के साथ संयोजन के साथ एन.टी.पी.सी. झान्नोर से जी.पी.सी. गांधार तक 38 कि.मी. लम्बी क्षेत्रपार 12" पाइपलाइन	गेल	5.40
2.	3.0 एम.एम.टी.पी.ए. रिफाइनरी विस्तार परियोजना और ओ.एच.सी.यू./मेरोक्स इकाई के लिए ई.पी.सी.एम. सेवाएं	सी.पी.सी.एल.	50.00
3.	जल अंत:क्षेपण पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना (डब्ल्यू.आई.पी.आर.पी.)-चरण-1 (एल.एस.टी.के.)	ओ.एन.जी.सी.	138.87
4.	पंजाब रिफाइनरी परियोजना की चरण-1 सुविधाएं	एच.पी.सी.एल.	16.50
5.	रिफाइनरी में 3 एम.एम.टी.पी.ए. विस्तार के लिए सी.डी.यू./वी.डी.यू. और आफसाइट्स और उपयोगिताएं	सी.पी.सी.एल.	58.00
6.	मुंबई हाई क्षेत्र पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना (एल.एस.टी.के.) के लिए सुधार संयोजन	ओ.एन.जी.सी.	119.32
7.	पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना	आई.ओ.सी.एल.	94.40
8.	मुंबई रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना	बी.पी.सी.एल.	69.98
9.	बंदर, इमाम, ईरान में आफसाइट्स और उपयोगिताएं परियोजना	एफ.ए.जे.आर. पेट्रोकैमिकल कं., ईरान	11.81
	योग		564.28

विवरण-II

ई.आई.एल. द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान अर्जित कुल व्यवसाय	-	1331.53 करोड़ रुपए
कार्य (5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले)	-	1233.93 करोड़ रुपए

क्र.सं.	परियोजना	ग्राहक	ई.आई.एल. की सेवाओं/एल.एस.टी. के संविदा का मूल्य (करोड़ रुपए)
1.	मुंबई में रिफाइनरी आधुनिकीकरण के लिए हाइड्रोक्रेकर इकाई सहबद्ध सुविधाएं	बी.पी.सी.एल.	42.00
2.	एच.बी.जे. उन्नयन परियोजना (चरण-1)	गेल	57.53
3.	कलोल-रामोल पाइपलाइन परियोजना	गेल	5.00
4.	एम.एन.डब्ल्यू. परियोजना (एल.एस.टी.के.)	ओ.एन.जी.सी.	821.18
5.	पानीपत में एकीकृत पैरा-जाइलीन/पी.टी.ए. परियोजना के लिए पी.एम.सी. सेवाएं	आई.ओ.सी.एल.	100.61
6.	इंजीनियरिंग क्षमताओं का विकास	सोनाट्राच, अल्जीरिया	38.25
7.	तकनीकी सहायता (संविदा का विस्तार)	एन.पी.सी.सी., आबू धाबी	15.39
8.	जामनगर-लोनी पाइपलाइन (चरण-2) परियोजना	गेल	12.00
9.	डाभोल-हजीरा उरण पाइपलाइन (विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट और परियोजना पूर्व क्रियाकलाप)	गेल	8.17
10.	मुंबई-मनमाड पाइपलाइन विस्तार परियोजना (मुंबई-मनमाड-मांगल्या)	बी.पी.सी.एल.	13.10
11.	कृष्णा-गोदावरी (के.जी.) बेसिन (चरण 3) पाइपलाइन परियोजना	गेल	18.00
12.	मूंदड़ा-भटिंडा कच्चा तेल पाइपलाइन	एच.पी.सी.एल.	41.70
13.	मुंबई हाई उत्तरी क्षेत्र परियोजना (एल.एस.टी.के.) में क्लेम्प-आन संरचनाओं की स्थापना	ओ.एन.जी.सी.	61.00
	योग		1233.93

प्रसार भारती में भ्रष्ट अधिकारी

7604. श्री अरुण कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती निगम ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और निगम को 13.79 करोड़ रुपये का चूना लगाने के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने प्रसार भारती निगम के कोलकाता स्थित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 40 करोड़ रुपये के इसी तरह की धोखाधड़ी का पता लगाया है और जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन.टी.पी.सी. द्वारा अपने बिक्री कारोबार में वृद्धि हेतु उठाए गए कदम

7605. श्री अनन्त नायक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने अपने बिक्री कारोबार में वृद्धि करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एन.टी.पी.सी. ने इस संबंध में कोई उपलब्धि हासिल की है; और

(ग) वर्ष 2002-2003 के लिए कितना बिक्री कारोबार करने का आकलन किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां। नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) के बिक्री राजस्व में मुख्यत: विद्युत उत्पादन से प्राप्त आय शामिल रहती है। एन.टी.पी.सी. के विद्युत उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। गत तीन वर्षों के दौरान इसका विद्युत उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन मियू में
1999-00	118677
2000-01	130154
2001-02	133190

विद्युत बिक्री प्राप्त आय विद्युत आपूर्ति की मात्रा एवं टैरिफ पर निर्भर करेगी। गत तीन वर्षों में एन.टी.पी.सी. की विद्युत बिक्री से प्राप्त आय निम्नानुसार है:

वर्ष	करोड़ रुपये में
1999-00	16101.75
2000-01	19045.14
2001-02	19786.42*

*अनंतिम (अलेखापरीक्षित)

(ग) वर्ष 2002-03 के लिए बिक्री से प्राप्त आय 20344.59 करोड़ रु. आंकी गई है।

सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने

7606. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेलशोधक कारखाने मिथाइल टेरीटरी ब्यूटाइल ईथर (एम.टी.बी.ई.) को पेट्रोल में योगज के रूप में प्रयोग को जारी रखे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अमेरिका जैसे अन्य देशों में तेल शोधक कारखाने मिथाइल टेरीटरी ब्यूटाइल ईंधन (एम.टी.बी.ई.) के योगज के रूप में प्रयोग को बंद कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास मिथाइल टेरीटरी ब्यूटाइल ईथर (एम.टी.बी.ई.) को पर्यावरण के अनुकूल अन्य योगज के रूप में प्रतिस्थापन करने हेतु कोई चरणबद्ध योजना है;

(घ) यदि हां, तो तेलशोधक कारखानों द्वारा योगज के रूप में किसी विकल्प पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) पर्यावरण के अनुकूल योगज के प्रयोग हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल रिफाइनरियां पेट्रोल के योगज के रूप में मिथाइल टेरीटरी ब्युटाइल ईथर (एम.टी.बी.ई.) का उत्पादन और इस्तेमाल कर रही हैं:

(1) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(2) आई.ओ.सी.एल. की कोयाली रिफाइनरी

(ख) अमेरिका में कतिपय क्षेत्रों में पेट्रोल में एम.टी.बी.ई. के उपयोग को समाप्त किये जाने की समीक्षा की जा रही है।

(ग) से (ङ) सरकार की योजनाएं दो चरणों में पूरे देश में 5 प्रतिशत एथेनोल पेट्रोल शुरू करने की है। प्रथम चरण में 5 प्रतिशत एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। शेष राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कार्यक्रम के दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।

'गेल' द्वारा उद्योगों के लिए सीएनजी

7607. श्री नरेश पुगलिया :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) उद्योगों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और दिल्ली के किन-किन उद्योगों को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा सीएनजी की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) प्रत्येक उद्योग को कितनी प्रमात्रा में सीएनजी की आपूर्ति की जा रही है और उन्हें किस दर पर सीएनजी की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन हेतु अधिक सीएनजी उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन उद्योगों को सीएनजी की आपूर्ति को रोकने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सार्वजनिक परिवहन हेतु दिल्ली में सीएनजी का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी, नहीं। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के विभिन्न उद्योगों को आबंटन के प्रति रायल्टी, करों और परिवहन प्रभारों के अतिरिक्त 10,000 किलो/कैलोरी (के.कैल.) की दर से 2850 रुपये प्रति हजार मानक घन मीटर (एससीएम) के एकसमान आधारभूत मूल्य पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है। उद्योगों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की वर्तमान संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की जरूरत पूरी करने के लिए घरेलू विद्युत उत्पादन के लिए अभिप्रेत मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) के लिए आपूर्ति में 50 प्रतिशत कटौती कर दी गई। सीएनजी की और जरूरत पूरी करने के लिए अन्य उद्योगों के लिए आपूर्ति में भी यथासमय कटौती की जा सकती है।

(च) और (छ) दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी का खुदरा मूल्य हाल ही में बढ़ाकर 16.84 रुपये प्रति कि.ग्रा. किया गया है जो कि 27/28 अप्रैल, 2002 से प्रभावी है।

विवरण

(मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस का आबंटन)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	प्राकृतिक गैस का आबंटन
1	2	3
फाल बैक :		
1.	हरियाणा शीट ग्लास, सोनीपत	0.160
2.	हिन्दुस्तान सैनिटरीवेयर इण्डस्ट्रीज, बहादुरगढ़	0.030
3.	हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास, बहादुरगढ़	0.120
4.	के.एल. राठी स्टील्स, गाजियाबाद	0.017
5.	कजारिया सेरामिक्स, सिकंदराबाद	0.048
6.	मोहन मीकिन्स, साहिबाबाद	0.022
7.	ओरियण्ट सेरामिक्स, सिकंदराबाद	0.050
8.	पार्ले बिस्कुट्स, बहादुरगढ़	0.016
9.	प्रीमियर विनायल, सिकंदराबाद	0.005
10.	राठी सुपर स्टील, गाजियाबाद	0.028
11.	राठी उद्योग, गाजियाबाद	0.020
12.	सैमटेल कलर, गाजियाबाद	0.090
13.	श्रीकृष्ण पेपर मिल्स, बहादुरगढ़	0.010
14.	एस.पी.एल. लिमिटेड, बहादुरगढ़	0.055
15.	सूर्य प्रोसेसर, गाजियाबाद	0.011
16.	सूर्य रोशनी, बहादुरगढ़	0.014
17.	स्वदेशी पोलीटेक्स, गाजियाबाद	0.008
18.	यू.पी. सेरामिक्स, गाजियाबाद	0.009
19.	यू.पी. टिवगा, सिकंदराबाद	0.017

1	2	3
20.	यूनिवर्सल ग्लास, साहिबाबाद	0.050
21.	बी.पी.एल., साहिबाबाद	0.008
22.	सैमकोर ग्लास	0.034
	कुल फाल बैक आबंटन	0.822
औसत आपूर्तियां (1.4.01.-28.2.02.)		0.660
फर्म :		
23.	इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	0.980
24.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	0.840
25.	प्रगति विद्युत परियोजना	1.750
	कुल पक्का आबंटन	3.570
	औसत आपूर्तियां (1.4.01-28.2.02)	1.55*

*चूंकि प्रगति विद्युत परियोजना स्थिरीकरण की प्रक्रिया में है इसलिए आई.जी.एल. और दिल्ली विद्युत बोर्ड को की जाने वाली औसत आपूर्तियां प्रतिबिंबित करता है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत द्वारा विद्युत उत्पादन

7608. श्री रामजीलाल सुमन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ताप विद्युत की उत्पादन लागत में उन्नत किस्म के कोयले के प्रयोग में कमी लाई जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किये गए कोयले के स्थान पर आयातित कोयले के उपयोग से कम लागत पर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके विद्युत की प्रति इकाई पर कितना लाभ मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। गुणवत्ता वाले कोयले के प्रयोग से कम प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत और विशिष्ट गौण ईंधन तेल लागत के कारण ताप विद्युत की उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है।

(ख) यूटिलिटी ताप विद्युत केन्द्रों को संभारित कोयले में केवल कुछ विद्युत केन्द्रों को छोड़कर जिन्हें 30% से कम राख अवयव वाले कोयले की आपूर्ति की जाती है। प्राय: 30%-45% के बीच अथवा इससे अधिक राख अवयव होते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना में यह विनिर्धारित है कि अत्यंत प्रदूषित क्षेत्रों, संवेदनशील क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों तथा कोयला संसाधनों से एक हजार किलोमीटर दूर स्थित विद्युत केन्द्रों को 1 जून, 2002 से वार्षिक आधार पर 34% से कम राख अवयव वाले रॉ ब्लेंडेड/ अशोधित कोयले का प्रयोग करना होगा। सीमित कोयला वाशरी क्षमता के कारण वर्तमान में घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की बेहतर श्रेणी के साथ मिश्रित करना आवश्यक है। बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले की सीमित उपलब्धता के कारण तटवर्ती विद्युत केन्द्रों में मिश्रण परियोजनों के लिए कोयले का कुछ आयात आवश्यक है।

(ग) आयातित कोयले में प्राय: उच्च सकल उष्मीय मान (जी.सी.बी.) के साथ 10%-15% के बीच राख अवयव होते हैं। भारतीय विद्युत यूटिलिटियों के बॉयलरों का अभिकल्पन मुख्यत: निम्न श्रेणी कोयले के प्रयोग के लिए होता है तथा इसलिए उच्च जीसीबी के साथ पूर्णत: आयातित कोयले को वे दिला नहीं सकते। आयातित कोयला मुख्यत: स्वदेशी कोयले के 20%-30% तक मिश्रण परिशोधनों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार मिश्रित कोयले में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाया है तथा विद्युत उत्पादन की लागत को कम किया है।

(घ) स्वदेशी कोयले के साथ, आयातित कोयले के सम्मिश्रण से कम प्रदूषण तथा कम राख निपटान समेत लागत लाभ हुए हैं। तथापि, वास्तविक लागत लाभों की प्रमात्रा बताना कठिन है, प्राय: विद्युत केन्द्र के स्थल पर परिस्थिति निर्भर करती है (स्वदेशी कोयला स्रोत से दूरी, परिवहन का साधन, आयात करने के लिए बंदरगाह आदि) तथा स्वदेशी कोयले की पहुंच लागत की तुलना में आयातित कोयले की पहुंच लागत प्राय: विशेष विद्युत केन्द्र पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

सूरत-जलगांव रेल मार्ग का दोहरीकरण

7609. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कई वर्षों के दौरान सूरत-जलगांव रेल मार्ग के दोहरीकरण हेतु अनेक बार धन राशि स्वीकृत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य निधियों के स्वीकृत किये जाने के बाद अभी तक शुरू नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो निधियों के अन्यत्र उपयोग संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) जी नहीं, बहरहाल, वर्ष 1989-90 में अमालनेर-टकरखेड़ा और टकरखेड़ा-धांगांव के बीच कहीं-कहीं दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया था। अमालनेर-धांगांव के बीच मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य पूरा हो गया था। यातायात दृष्टि से आवश्यक न होने के कारण कार्य को रोक दिया गया था।

सूरत (उधना) - जलगांव खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार संभव होगा।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पावर फाइनेंस कारपोरेशन को ऋणों का पुनर्भुगतान

7610. श्री रामदास आठवले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य के विद्युत बोर्ड द्वारा पावर फाइनेंस कारपोरेशन को ऋणों के पुनर्भुगतान से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार पावर फाइनैन्स कॉरपोरेशन को राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा रुपये के रूप में आवधिक ऋण के भुगतान के राज्यवार ब्यौरे बढ़ाते हुए संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पीएफसी ऋण का संवितरण ऋण प्राप्तकर्ता एवं पीएफसी द्वारा सभी नियमों एवं शर्तों के अनुपालन के बाद ऋण संबंधी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने तथा क्रियान्वित करने के बाद करता है। ऋण के नियमों एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दर, ऋण की अवधि, ब्याज एवं मूलधन के भुगतान के लिए नियत तारीख आदि शामिल हैं।

पीएफसी द्वारा दी गई ऋण की पूर्ण गारंटी बिना किसी शर्त के तथा अप्रतिसंहाय रूप से राज्य सरकार द्वारा या परिसंपत्ति/एस्क्रो एकाउन्ट/साख-पत्र पर प्रभार सृजन पर ऋणप्राप्तकर्ता से पीएफसी को देय राशि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दी जाती है। राज्य विद्युत युटिलिटी के मामले में पीएफसी राज्य सरकार से इस आशय से एक प्रतिज्ञा पत्र लेता है कि राज्य विद्युत युटिलिटी के अधिशेष राजस्व पर राज्य सरकार द्वारा राज्य युटिलिटयों को दी गई ऋण के लिए दी गई गारंटी के लिए शर्त के रूप में पीएफसी का पहला दावा होगा।

ऋण भुगतान के लिए पीएफसी ऋण प्राप्तकर्ता को इनके द्वारा देय राशि के भुगतान की नियत तारीख से 10 दिन पहले एक डिमांड नोटिस भेजता है।

यदि ऋणप्राप्तकर्ता किसी नियत तारीख को किश्त/ब्याज एवं अन्य प्रभारों का भुगतान नहीं करता है, तो इस राशि को ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा देय बकाया राशि में दर्शाया जाता है।

पीएफसी ऋणप्राप्तकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से ऋणप्राप्तकर्ताओं को पत्र लिख रहा है और उनसे निजी तौर पर वार्ता कर रहा है।

पीएफसी की वर्तमान नीति के अनुसार यदि ऋण 60 दिन से लंबित हो, तो ऋणप्राप्तकर्ताओं को एक औपचारिक नोटिस भेजी जाती है कि सभी ऋणों पर संवितरणों को रद्द कर दिया जाएगा और यदि नोटिस जारी होने से 30 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो एस्क्रो एकाउन्ट का उपयोग किया जाएगा। यदि इस अवधि में भी भुगतान नहीं की जाती है तो ऋणप्राप्तकर्ताओं को सभी ऋणों का संवितरण एवं नई स्वीकृति रोक दी जाती है जिससे ऋणप्राप्तकर्ता यथाशीघ्र अपनी बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं ताकि उनकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित नहीं हो।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	ऋणप्राप्तकर्ता	भुगतान
1	2	3
1.	हरियाणा सरकार	2546.87
2.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (एचएसईबी)	7940.25
3.	हरियाणा पावर जेनरेटिंग कॉरपोरेशन लि. (एचपीजीसीएल)	5710.66
4.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. (एचवीपीएनएल)	1636.68
5.	हिमाचल प्रदेश सरकार	154.78
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी)	4729.51
7.	जम्मू और काश्मीर राज्य विद्युत बोर्ड (जेकेएसईबी)	2327.35
8.	जम्मू और काश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	14.14
9.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी)	35922.58
10.	राजस्थान सरकार	944.00
11.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आरएसईबी)	12055.71
12.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीपीएनएल)	4855.38
13.	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल)	11900.00
14.	जयपुर विद्युत विकास निगम लि. (जयपुर वीवीएनएल)	967.92
15.	जोधपुर विकास निगम लि. (जोधपुर वीवीएनएल)	597.34
16.	अजमेर विद्युत विकास निगम लि. अजमेर वीवीएनएल)	669.65
17.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (यूपीआरवीयूएनएल)	16721.78
18.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. (यूपीजेवीएनएल)	62.63
19.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल)	27486.83
20.	गोवा सरकार	375.56
21.	गुजरात विद्युत बोर्ड (जीईबी)	29224.73
22.	गुजरात पावर कारपोरेशन लि. (जीपीसीएल)	261.87
23.	गुजरात राज्य विद्युत कारपोरेशन लि. (जीएसईसीएल)	7550.00

1	2	3
24.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एमपीईबी)	56168.58
25.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी)	62668.71
26.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी)	2810.16
27.	आन्ध्र प्रदेश जेनेरेटिंग कंपनी (एपीजीईएनको)	55168.58
28.	आन्ध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी (एपीट्रांसको)	20795.09
29.	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन लि. (केपीसीएल)	18464.70
30.	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (केपीटीसीएल)	39043.82
31.	विशेश्वरैया विद्युत निगम लि. (वीवीएनएल)	652.58
32.	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी)	4185.42
33.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड (टीएनईबी)	56359.96
34.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी)	1531.76
35.	बिहार राज्य हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि. (बीएसएमपीसीएल)	282.98
36.	तेनुघाट विद्युत निगम लि. (टीवीएनएल)	12684.17
37.	उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड (ओएसईबी)	3554.92
38.	उड़ीसा पावर जेनेरेटिंग कारपोरेशन लि. (ओपीजीसीएल)	8951.95
39.	उड़ीसा हाइड्रो पावर जेनरेटिंग कारपोरेशन लि. (ओएचपीसीएल)	12407.49
40.	ग्रीड कारपोरेशन आफ उड़ीसा (ग्रीडको)	5306.49
41.	सिक्किम पीडीडी	1250.00
42.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यूबीएसईबी)	8801.04
43.	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (डब्ल्यूपीडीसीएल)	19803.36
44.	दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि. (डीपीएल)	1089.44
45.	अरुणाचल प्रदेश	148.62
46.	असम राज्य विद्युत बोर्ड (एएसईबी)	340.49
47.	मणिपुर (पीडीडी)	405.00
48.	मेघालय एसईबी	2.50
49.	मिजोरम पीडीडी	2855.25
50.	नागालैंड पीडीडी	1965.33
	कुल	572933.28

[अनुवाद]

गुजरात के काडंला और मुंद्रा पत्तन में नाफ्था का पाटन

7611. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को गुजरात के कांडला और मुंद्रा पत्तनों में नाफ्था पाटने के बारे में जांच का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने नाफ्था की आपूर्ति की है और किन-किन पार्टियों को नाफ्था की आपूर्ति की गई थी; और

(ग) सी.बी.आई. द्वारा जांच कार्य कब तक समाप्त किये जाने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महानदी बेसिन में प्राकृतिक गैस

7612. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के महानदी बेसिन और अन्य स्थानों पर अनुमानत: कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं;

(ख) क्या देश में व्यावसायिक प्रयोग हेतु गैस का दोहन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) उड़ीसा राज्य के अंतर्गत महानदी बेसिन में अब तक कच्चे तेल अथवा प्राकृतिक गैस के कोई भंडार प्रमाणित नहीं हुए हैं तथा उसके वाणिज्यिक उपयोग के विषय में विचार करना असामयिक है।

गुजरात में पत्रकारों पर हमला

7613. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गुजरात में पत्रकारों पर हमले हुए थे और उन्हें पुलिस द्वारा लाठीचार्ट में चोटें आई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लाठीचार्ज में कितने पत्रकारों को चोटें आईं;

(ग) पत्रकारों पर हमले के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने इस घटना के संबंध में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि 7 अप्रैल, 2002 को गांधी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद में लगभग 200 व्यक्तियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा। गुजरात उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज द्वारा राज्य सरकार ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है। प्रेस परिषद ने सूचित किया है कि 7 अप्रैल, 2002 की घटना के बाद, प्रेस परिषद के तीन वरिष्ठ सदस्यों ने गुजरात राज्य के सभी निवासियों से उनसे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। सरकार द्वारा जांच आदेश को ध्यान में रखते हुए परिषद ने इस मामले पर और कोई टिप्पणी नहीं की है।

विद्युत की आवश्यकता

7614. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत आवश्यकता की प्रतिशतता सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत मार्ग में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई है; और

(घ) भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 7वीं, 8वीं और 9वीं योजना के अंत में देश में ऊर्जा की आवश्यकता निम्नानुसार है:

	7वीं योजना	8वीं योजना	9वीं योजना
ऊर्जा आवश्यकता मिलियन यूनिट में	247762	413490	522537

8वीं योजना की तुलना में 9वीं योजना में ऊर्जा आवश्यकता में 24.6% की वृद्धि हुई और 8वीं योजना के अंत में ऊर्जा आवश्यकता में 7वीं योजना की तुलना में 66.8% की वृद्धि हुई।

(ख) 8वीं योजना की तुलना में 9वीं योजना के दौरान ऊर्जा आवश्यकता में प्रतिशत के रूप में कम वृद्धि होने का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था, खासकर औद्योगिक क्षेत्र में मंदी है।

(ग) 16वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 10वीं योजना के अंत तक अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता 718817 मिलियन यूनिट होगी, जो 9वीं योजना की तुलना में 37.5% की वृद्धि दर्शाता है।

(घ) योजना आयोग द्वारा गठित 10वीं योजना के दौरान 46,939 मेवा की व्यवहार्य क्षमता अभिज्ञात की है। इस क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के अलावा विद्युत अभाव को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) मौजूदा पुराने एवं असक्षम जेनरेटिंग यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार। नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों को शुरू करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के विशेष निधि मुहैया कराई जा रही है।

(2) विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्गठन का त्वरित क्रियान्वयन।

(3) हाल में चालू की गई जेनरेटिंग यूनिटों का शीघ्र स्थाईकरण।

(4) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

(5) ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण उपायों का संवर्द्धन।

(6) त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुधार के लिए पावर फाईनैन्स कारपोरेशन द्वारा ऋण संवितरण।

(7) पारेषण लिंक का निर्माण एवं प्रणाली सुधार, जिससे अंततः एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हो सके, कर अंतःराज्यीय एवं अंतःक्षेत्रीय विद्युत अंतरण में अधिकतम वृद्धि करना।

(8) तेजी से जल विद्युत शक्यता के दोहन के लिए हाइडल नीति का निरूपण।

जलपाईगुड़ी स्थित कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच

7615. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी में कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना के निर्णय को अंतिम रूप दे दिया है और इस संबंध में आवश्यक मंजूरी दे दी गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना हेतु बुनियादी ढांचा तैयार है;

(ग) यदि हां, तो सर्किट बेंच की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सर्किट बेंच के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) पश्चिमी बंगाल की सरकार और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने की सिफारिश की है। प्रस्ताव पर आगे विचार करने से पूर्व, राज्य सरकार से अगस्त, 2001 में वह समय-सीमा बताने का अनुरोध किया गया था जिसके भीतर जलपाईगुड़ी में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं कलकत्ता उच्च न्यायालय के समाधानप्रद रूप में पूरी कर दी जाएंगी। उनसे प्रस्तावित न्यायपीठ के संबंध में संपूर्ण व्यय वहन करने के संबंध में अपनी सहमति भेजने का भी अनुरोध किया गया था।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने, प्रत्युत्तर में, भारत सरकार से उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत आने वाले न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के निवास स्थान के खर्च को पूरा करने के संबंध में निधियों के लिए अनुरोध किया है। वर्तमान परिपाटी के अनुसार, उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के लिए

नए भवन के संनिर्माण का कार्य विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है।

चूंकि प्रस्ताव में संसदीय विधायन अंतर्ग्रस्त है, अत: यह बताना संभव नहीं है कि कोई अंतिम विनिश्चय कब तक किया जा सकेगा।

रेलवे द्वारा मुआवजा

7616. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पार्सलों के खोने/चोरी, छुटपुट चोरी और क्षति के कारण रेलवे को करोड़ों रुपए मुआवजे के रूप में देने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रेलवे-वार और जोन-वार उक्त कारणों के फलस्वरूप कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया है; और

(ग) माल डिब्बों को किसी भी प्रकार की चोरी से सुरक्षित रखने में कोताही बरतने और छुटपुट चोरी और चोरी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चोरी और उठाईगीरी रोक पाने में लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए प्रणाली की कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

विगत 3 वर्षों के दौरान हानि और चोरी, उठाईगीरी और गीला होने के कारण हुई क्षति की वजह से परेषणों की सुपुर्दगी न हो पाने के लिए भारतीय रेल द्वारा भुगतान की गई दावे की क्षतिपूर्ति इस प्रकार है

(धनराशि लाख रु. में)

रेलवे	वर्ष	हानि/चोरी		उठाईगिरी		गीला होने के कारण क्षति	
		सं.	धनराशि	सं.	धनराशि	सं.	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	1998-1999	3838	210.22	3054	51.13	1965	69.15
	1999-2000	3340	219.14	2083	82.39	2884	44.25
	2000-2001	2215	58.23	1532	28.45	1659	28.09
पूर्व रेलवे	1998-1999	1995	181.81	12157	131.61	165	58.47
	1999-2000	1924	247.16	10446	150.52	97	24.10
	2000-2001	1032	87.99	10397	118.12	10	3.68
उत्तर रेलवे	1998-1999	3489	244.74	2982	179.95	65	49.93
	1999-2000	3165	199.24	2536	324.48	94	63.42
	2000-2001	3174	146.52	2591	195.23	91	24.52
पूर्वोत्तर रेलवे	1998-1999	2549	51.89	311	9.73	28	3.86
	1999-2000	2340	41.66	430	5.35	16	2.39
	2000-2001	2256	21.92	523	6.56	7	0.33

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1998-1999	632	18.72	4016	236.42	1026	119.30
	1999-2000	704	40.22	4644	288.24	959	140.98
	2000-2001	721	56.00	5294	374.92	968	221.96
दक्षिण रेलवे	1998-1999	1184	109.39	134	5.95	499	41.64
	1999-2000	1010	124.68	89	3.26	311	40.28
	2000-2001	782	62.53	22	0.73	286	16.45
दक्षिण मध्य रेलवे	1998-1999	609	55.59	199	7.58	–	–
	1999-2000	727	92.89	254	14.90	20	2.17
	2000-2001	688	80.41	120	4.16	2	0.72
दक्षिण पूर्व रेलवे	1998-1999	4072	101.43	2655	97.41	397	23.77
	1999-2000	4186	105.57	2889	153.44	250	30.71
	2000-2001	3862	103.03	3258	63.65	239	16.09
पश्चिम रेलवे	1998-1999	2416	118.19	467	14.62	483	44.24
	1999-2000	2246	93.87	584	23.01	464	99.34
	2000-2001	1817	65.23	368	32.66	491	28.18
जोड़	1998-1999	20784	1091.98	25975	734.40	4628	410.36
	1999-2000	19642	1164.43	23955	1045.59	5095	447.64
	2000-2001	16547	681.86	24105	824.48	3753	340.92

पी.एफ.सी. द्वारा इक्विटी फंड जारी करना

7617. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर फाइनेंस कारपोरेशन अपनी इक्विटी फंड जारी करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इससे कारपोरेशन को अधिक सेवा प्रदान करने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की क्षमता

7618. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की सीएनजी क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की सीएनजी क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आईजीएल की वर्तमान क्षमता लगभग 6.39 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन है।

(ख) और (ग) आईजीएल की योजनाएं और अधिक सीएनजी केन्द्र खोलकर और अपेक्षाकृत अधिक क्षमता के संपीडकों (कम्प्रेशरों) के प्रापण द्वारा जून, 2003 तक कुल सीएनजी संपीडन क्षमता 16.11 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन की उपलब्धि प्राप्त करने की है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक 12 इंची स्टील पाइपलाइन धौला कुआं और जीटी करनाल रोड के बीच बिछाई जा रही है।

ओएनजीसी विदेश द्वारा सूडान में तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण

7619. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी विदेश ने सूडान में तेल क्षेत्रों के अधिकारों को प्राप्त करने के कारोबार में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ग) ओएनजीसी विदेश द्वारा क्या पूंजी निर्धारित की गई है;

(घ) छह वर्षों के दौरान क्या लाभांश मिलने की संभावना है; और

(ङ) ओएनजीसी विदेश द्वारा किए जाने वाले इस निवेश से देश को क्या लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): **(क)** से (ङ) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) जो आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है जिसका गठन मुख्य रूप से विदेश में अन्वेषण ब्लाक और खोजे गए क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया गया था, वह सूडान सहित विभिन्न देशों में सक्रिय रूप से निवेश अवसरों की खोज कर रही है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी

7620. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विद्युत परियोजनाओं का तात्कालिक मूल्यांकन करने और उनको मंजूरी देने हेतु एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण का गठन करने की लगातार मांग होती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए निजी स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि मूल्यांकन पद्धति को सरल बना दिया गया है और परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए शीघ्र निर्णय को सुगम बनाने के लिए संशोधित प्रश्नावली प्रकाशित कर दी गई है जैसा कि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अपेक्षित है।

[अनुवाद]

आयकर अपीलीय अधिकरण

7621. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपीलीय अधिकरण वर्तमान में चेन्नई (तमिलनाडु) में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकरणों द्वारा खंडपीठवार कितने मामलों का निपटान किया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ठोस कदम उठाने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) आवेदकों पर भारी दंड लगाए बिना लंबित मामलों को कब तक अंतिम रूप से निपटा दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1.4.2001 से 31.3.2002 तक न्यायपीठवार निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है :

क-न्यायपीठ	842
ख-न्यायपीठ	839
ग-न्यायपीठ	933
घ-न्यायपीठ	443

आयकर अपील अधिकरण की चेन्नई न्यायपीठ में कुल 19034 मामले लंबित हैं। 4 लेखा सदस्यों और 4 न्यायिक सदस्यों सहित चेन्नई, न्यायपीठों की कुल संख्या 4 हैं। दो लेखा सदस्य और तीन न्यायिक सदस्य पहले ही चेन्नई न्यायपीठ में तैनात हैं तथा चेन्नई में लेखा सदस्यों के दो रिक्त पदों और न्यायिक सदस्य के लिए एक रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई पहले से ही की जा रही है।

(घ) 1995 तक फाइल की गई अपीलों को दिसंबर, 2002 के अंत तक निपटाए जाने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में परियोजनाएं

7622. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ से संबंधित नई/जारी/लंबित रेल परियोजनाओं एवं सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में परियोजनावार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए धनराशि आबंटित की गई है और अब तक इन पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) सभी सर्वेक्षणों/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्षित तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ में चल रही और नई रेल परियोजनाएं, प्रत्येक परियोजना के लिए 2002-03 के लिए बजट परिव्यय, मार्च 2002 तक किया जाने वाला संभावित खर्च और मौजूदा स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। "छत्तीसगढ़ में चल रहे सर्वेक्षणों" का ब्यौरा संलग्न-विवगण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) परियोजना/सर्वेक्षण को पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित है, क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दी गई है। परियोजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर हैं।

विवरण-I

छत्तीसगढ़ में चल रही रेल परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	(राशि करोड़ रुपए में) नवीनतम अनुमानित लागत	2001-02 के अंत में संभावित परिव्यय	2002-03 के लिए बजट परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
दोहरीकरण						
1.	अकलतारा-चंपा	द.पू.रे.	62.31	57.28	1.00	हसदेव पुल को छोड़कर अकलतारा-नेला-हसदेव (23 कि.मी.) पूरा हो गया है। हसदेव पुल पर कार्य प्रगति पर है और 2002-03 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
2.	बिलासपुर-उरकुरा	द.पू.रे.	227.36	54.22	29.00	मिट्टी संबंधी छोटे पुलों और गिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। बिलासपुर-डगोरी (23 कि.मी.) और निपनिया-भाटापारा (15 कि.मी.) 2002-03 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	चंपा-सरगबुंदिया	द.पू.रे.	56.57	51.43	0.70	सरगबुंदिया-कठारी रोड-बालपुर पूरा हो गया है। बालपुर से चंपा (9.7 कि.मी.) 2002-03 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
4.	कोरबा-गेवरा रोड	द.पू.रे.	46.80	17.70	10.00	पुलों और तल्प संबंधी कार्य प्रगति पर है गेवरा रोड से कुसमुंडा (3 कि.मी.) 2002-03 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
5.	कोरबा-सरगबुंदिया	द.पू.रे.	37.64	36.55	0.10	पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
6.	सरोना-भिलाई तीसरी लाइन	द.पू.रे.	42.02	40.50	1.52	कार्य पूरा हो गया है। गैर-अंतर्पाशित कार्य प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई जा रही है जिसके पश्चात् लाइन यातायात के लिए खोल दी जाएगी।
7.	उरकुरा-रायपुर-सरोना	द.पू.रे.	35.55	31.29	0.10	पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
	आमान परिवर्तन					
8.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया	द.पू.रे.	510.53	26.290	44.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। चरण-1 में गोंदिया-बालाघाट (42 कि.मी.) खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है। उपलब्ध भूमि पर तल्प तक मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों का कार्य पूरा हो गया है। बाघ नदी (7 × 60) पर कार्य प्रगति पर है। चरण-2 में जबलपुर-बालाघाट खंड के बीच जबलपुर के निकट चक्करदार संरेखण के लिए 12 कि.मी. में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
	नई लाइन					
9.	बिश्रामपुर-अंबिकापुर	द.पू.रे.	47.49	7.12	10.00	अंतिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। निजी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। वन भूमि के लिए भूमि की लागत की समीक्षा करने के लिए मामले पर राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
10.	दल्लीराजहरा-जगदलपुर	द.पू.रे.	128.00	0.45	0.01	यह लाइन रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीपी) के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर बिछायी जानी है। दल्लीराजहरा से रावघाट (95 कि.मी.) तक पहले चरण के कार्य की लागत पूरी

1	2	3	4	5	6	7
						तरह के इस्पात मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है। दल्लीराजहरा-रावघाट खंड पर कार्य शुरू करने के लिए रेलों के पास 50 करोड़ जमा कराने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से अनुरोध किया गया है। बहरहाल, अभी तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। रावघाट खंड में खनन के लिए सेल को पर्यावरण और वन मंत्रालय से अभी स्वीकृति प्राप्त करनी है।

विवरण-II

छत्तीसगढ़ में चल रहे सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	स्थिति
नई लाइन			
1.	बरवाडीह से चिरमिरी रेल लाइन की बहाली	दक्षिण पूर्व रेलवे	कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की संभावित तिथि 30.6.2002 है।
2.	खरतापलन, बलौदा बाजार, बटगांव और सरनगढ़ के रास्ते रायपुर-झारसुगुड़ा	दक्षिण पूर्व रेलवे	कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की संभावित तिथि 31.12.2002 है।
3.	बिश्रामपुर से जबलपुर	दक्षिण पूर्व रेलवे	कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की संभावित तिथि 31.3.2003 है।
4.	राजनंदगांव-जबलपुर	दक्षिण पूर्व रेलवे	कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की संभावित तिथि 31.12.2002 है।
5.	बिलासपुर से जबलपुर	दक्षिण पूर्व रेलवे	कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की संभावित तिथि 31.12.2002 है।
6.	लोहारडगा से कौरबा	दक्षिण पूर्व रेलवे	कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की संभावित तिथि 30.09.2002 है।
7.	पेंड्रा रोड़-कोरबा/गड़वा रोड	दक्षिण पूर्व रेलवे	पूरा हो गया है, रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरा करने की संभावित तिथि 30.6.2002 है।
दोहरीकरण			
8.	बिलासपुर-अनूपपुर	दक्षिण पूर्व रेलवे	कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की संभावित तिथि 30.9.2002 है।
9.	आरवी लाइन पर टिटलागढ़-रायपुर खंड	दक्षिण पूर्व रेलवे	कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की संभावित तिथि 30.6.2002 है।
10.	टिटलागढ़-झारसुगुडा	दक्षिण पूर्व रेलवे	कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की संभावित तिथि 31.8.2002 है।

पंजाब में नई विद्युत उत्पादक इकाइयां

7623. श्री भान सिंह भौरा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में नई विद्युत उत्पादक इकाइयों के स्थापित करने से संबंधित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) पहले से अधिष्ठापित परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने से संबंधित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम हेतु नियत धन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितना धन जारी किया जा चुका है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 10वीं योजना में लाभ प्राप्त किये जाने हेतु पंजाब राज्य में नई ताप विद्युत/जल-विद्युत उत्पादन यूनिटों को स्थापित करने से संबंधित कार्यक्रम का ब्यौरा निम्नवत है :

(एक) ताप विद्युत

(1) राज्य क्षेत्र

गुरू हरगोविन्द टीपीपी चरण-II 2×250 मेवा (सीईए द्वारा स्वीकृत)

(2) निजी क्षेत्र

गोइन्दवाल साहिब टीपीपी-2×250 मेवा (राज्य द्वारा टैरिक आधारित परियोजना को स्वीकृति)

(दो) ताप विद्युत

(1) राज्य क्षेत्र

शाहपुरकंडी एचईपी - 168 मेवा (सीईए द्वारा स्वीकृत)

साएल केनाल 2 × 18 + 2 × 7 - 50 मेवा (सीईए द्वारा स्वीकृत)

मुकेरियन (एमपीएच) चरण-II - 16 मेवा (डीपीआर प्रतिक्षित)

(ख) पूर्व अधष्ठिापित परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए 10वीं योजना के दौरान आर एण्ड एम स्कीमों के अंतर्गत नवीकरण कार्यों को अभिज्ञात किया गया है जैसा कि ब्यौरा निम्नवत है :

(क) ताप विद्युत

गुरू गोविन्द सिंह टीपीएस भटिंडा—4×110 मेवा

चरण (1) और (2) एलओए स्थापित।

चरण (3) और (4) का डीपीआर तैयार किया जाना है।

(ख) जल विद्युत

1. शानन एचई परियोजना (निर्माणाधीन स्कीम)
2. आनन्दपुर साहिब
3. मुकेरियन चरण-I (परियोजना प्राधिकारियों द्वारा डीपीआर तैयार की जानी है)
4. शानन एचई परियोजना।

(ग) और (घ) गुरू हरगोबिन्द टीपीपी चरण-II (2 × 250 मेवा) क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग ने 178967 लाख रुपये की परियोजना लागत अनुमोदित की है। जहां तक शाहपुरकंडी एचईपी-168 मेवा का संबंध है, परियोजना को 1667 करोड़ रुपये लागत के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

गुरू गोबिन्द टीपीएस, भटिंडा के आर एण्ड एम के लिए निधि की आवश्यकता 400 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है।

योजना आयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र के संबंध में पंजाब राज्य के लिए वर्ष 2002-03 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है।

कोंकण रेलवे कारपोरेशन

7624. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कारपोरेशन से पटरियों को बिछाने के लिए ली गई भूमि और उनके उपयोग पर देय भूमि शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा है;

(ख) क्या कोंकण रेलवे कारपोरेशन को राज्य के दो जिला समाहर्तालयों द्वारा गैर कृषि परियोजनों के लिए भूमि का उपयोग करने पर भूमि शुल्क प्रभारों का भुगतान करने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं;

(ग) क्या कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने वर्ष 1992 से कर्नाटक सरकार से कर राहत प्राप्त कर रखी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) रेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने निर्णय की समीक्षा करने और इन प्रभारों से कोंकण रेल निगम को छूट देने के लिए मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

कुर्ला से थाने तक छह लाइन वाली परियोजना

7625. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000, 2000-01 एवं 2001-02 हेतु कुर्ला से थाने तक छह लाइनों वाली परियोजना से संबंधित बजटीय प्रावधान अनप्रयुक्त रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान कितना प्रावधान किया गया;

(ग) क्या रेलवे के विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन की कमी के कारण परियोजना लंबित हो रही है;

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी नहीं। परियोजनाओं के लिए बजटीय प्रावधानों की मूल रूप से व्यवस्था वर्ष के दौरान संभावित खर्च के आधार पर पिंक बुक में की जाती है। परियोजना विशेष के लिए बजटीय प्रावधान संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता, परियोजना की प्रगति, भूमि की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान की गई विभिन्न बजटीय समीक्षाओं में संशोधित किए जाते हैं। समीक्षा के पश्चात् वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 के दौरान कुर्ला-थाने परियोजना के लिए अंतिम बजटीय आबंटन का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है। 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान वास्तविक खर्च इस प्रकार रहा है :

1999-2000	-	27.90 करोड़ रुपए
2000-2001	-	14.67 करोड़ रुपए
2001-2002	-	13.75 करोड़ रुपए (अनुमानित)

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) कुर्ला-थाने 5वीं और 6वीं लाइन परियोजना की प्रगति में बाधक मुख्य समस्या झुग्गियों को न हटाए जाने के कारण कार्य के लिए भूमि की अनुपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की है। रेलवे झुग्गियों को शीघ्र हटाने और यथाशीघ्र बिना किसी बाधा के अधिग्रहित भूमि सौंपने के लिए राज्य सरकार के साथ गंभीरतापूर्वक बातचीत कर रही है। अतिक्रमण हटाए जाने और राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपने के बाद परियोजना एक वर्ष में पूरी कर ली जाएगी।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

7626. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण पर होने वाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत अपने आंतरिक संसाधनों से सृजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

7627. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 1998 की अपनी रिपोर्ट सं. 9 के पैरा 4.3.1 के पृष्ठ 147-150 पर रेलवे बोर्ड के

ध्यान में यह बात लायी है कि सितम्बर, 1997 में चूककर्ता कंपनियों जिनसे 2.56 करोड़ रुपए मूल्य केसी.आई. स्क्रैप (ग्रेड 1) की लागत को वसूला जाना शेष था, के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बजाय उन्हें 1556 टन स्लीपर प्लेटों की आपूर्ति करने के क्रयादेश दोबारा दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या चूककर्ता फर्मों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चूककर्ता फर्मों को पुन: क्रयादेश दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या गत तीन-चार वर्षों से पूर्व रेलवे के भंडारों की व्यवस्था पर प्रश्न उठता रहा है और इनमें बड़ी संख्या में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(च) यदि हां, तो क्या कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कुछ फर्मों को सी.आई. स्क्रैप अधिक आपूर्ति इंगित की गई थी। फर्मों को आपूर्ति क्रयादेश एक सुपुर्दगी अवधि के साथ दिए जाते हैं जिसकी समयावधि फर्म के अनुरोध पर बढ़ायी जाती है बशर्ते कोई स्वीकार्य कारण हो, सुपुर्दगी अवधि के दौरान आपूर्ति क्रयादेशों के लिए फर्मों को निषिद्ध करना विवेकपूर्ण नहीं समझा गया था। अत: और अधिक क्रयादेश दे दिए गए थे। कानूनी कार्रवाही शुरू करने के अनुदेश जारी कर दिए गए थे। कार्रवाई और उसके परिणामों की मौजूदा स्थिति एकत्रित की जा रही और यथासमय सूचित तक दी जाएगी।

(ङ) से (छ) जी हां। बहरहाल, समय-समय पर नियमित जांचें की जाती हैं और जहां आवश्यक होता है वहां अनियमितता/चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

ओएनजीसी का तेल भंडार

7628. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओएनजीसी में सरकार की अंशधारिता के मद में लाभांश के भुगतान के रूप में ओएनजीसी से अपने तेल भंडारों से 10 हजार करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कुर्ला टर्मिनल का विस्तार

7629. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मुम्बई में कुर्ला टर्मिनल की अस्थायी संरचना का विस्तार करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त कार्य के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को भी इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नारायणा में रेलगाड़ियों का ठहराव

7630. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक श्रद्धालुओं एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा राजस्थान के प्रसद्धि धार्मिक स्थल नारायणा पर बड़े आमान की रेलगाड़ी 9105 एवं 9106 दिल्ली-अहमदाबाद मेल को ठहराव देने की लंबे समय से मांग होती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धार्मिक श्रद्धालुओं की इस पुरानी मांग को मानते हुए उन्हें कब तक राहत पहुंचाई जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी हां। नारायणा स्टेशन पर 9105/9106 का ठहराव उपलब्ध कराने के लिए जन-प्रतिनिधियों के अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन यह व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

अधिशेष आवासों का उपयोग

7631. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1990 एवं अप्रैल 1995 के बीच चंडीगढ़ में सीमा सड़क के 38 कृतक बलों को रखने के लिए भूमि खरीदने एवं भवन के निर्माण पर 4.60 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई थी परन्तु इस यूनिट को जून 1996 में मनाली भेज दिया गया जिससे अधिशेष आवास के रख-रखाव पर 1.12 करोड़ रुपए का और व्यय हुआ जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2001 की रिपोर्ट संख्या 7 के पृष्ठ 69 पर पैरा 44 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच-पड़ताल की गई है कि करोड़ों रुपए से संबंधित निर्णय लेने के पूर्व उचित रूप से सोच-विचार क्यों नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इन अधिशेष आवासों के रख-रखाव पर होने वाले आवर्ती खर्चों एवं भवन को जीर्ण-शीर्ण होने से बचाने के लिए सेना अथवा अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा इन अधिशेष मकानों के उपयोग के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) वर्ष 1994-95 में 4.80 करोड़ रुपए की लागत से चंड़ीगढ़ में 38 सीमा सड़क कार्यदल के लिए भवन का निर्माण किया गया था। भवन के निर्माण का निर्णय सभी तथ्यों पर समुचित रूप से विचार करने के लिए इस कार्यदल को अस्थायी रूप से मनाली भेज दिया गया था। यह भवन कार्यदल की सम्बद्ध इकाइयों के अधिकार में हैं, जो कार्यदल तथा दीपक परियोजना, जिसका मुख्यालय शिमला में है, के मुख्य अभियन्ता को संभारिक सहायता देने के लिए चंडीगढ़ में ही बनी हुई है। इन भवनों की सुरक्षा तथा रख-रखाव पर जून, 1996 से फरवरी, 2002 तक 19.56 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

कॉरपोरेट जेट विमानों की खरीद

7632. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री सी.के. जाफर शरीफ :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना अपने अति विशिष्ट यात्रियों को लाने ले जाने हेतु निजी कारपोरेट जेटों को खरीदने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ देशों के साथ वार्ता जारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या भारतीय वायुसेना ने अपने 20 वर्ष पुराने बोईंग 737 को प्रतिस्थापित करने हेतु तीन कॉरपोरेट जेट विमानों को खरीदने में रुचि दर्शाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) वायुसेना अति विशिष्ट व्यक्तियों को लाने-ले-जाने के लिए छह एक्जीक्यूटिव जेटों की अधिप्राप्ति की योजना बना रही है।

(ख) न्यूनतम मूल्यांकन वाले प्रस्ताव के निर्धारण के बाद वार्ता प्रारम्भ की जाएगी।

(ग) लागू नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) तकनीकी मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है। छांटे गए विक्रेताओं के वाणिज्यिक प्रस्ताव अभी नहीं खोले गए हैं।

[हिन्दी]

प्रशीतन सुविधायुक्त पार्सल यान

7633. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नष्ट होने वाली वस्तुओं के परिवहन हेतु प्रशीतन सुविधायुक्त पार्सल यानों का निर्माण और संचालन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन यानों का कब तक निर्माण/संचालन किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) नश्य वस्तुओं के परिवहन हेतु प्रशीतन सुविधायुक्त यान का विकास किया जा रहा है। इस अभिकल्प की सफलता और ग्राहकों की प्रतिक्रिया के मद्देनजर इन यानों का निर्माण आगे चरणों में किया जाएगा।

[अनुवाद]

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित शयनयान रेल डिब्बों को जोड़ने का प्रस्ताव

7634. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास लंबी दूरी की कुछ रेलगाड़ियों में अतिरिक्त संख्या में तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित शयनयान डिब्बों को जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दक्षिणी राज्यों की ओर जाने वाली रत्नाचल एक्सप्रेस जैसी कितनी रेलगाड़ियां है जिनमें द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित शयनयान डिब्बों को लगाया जाना है;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित शयनयान डिब्बों को बदलकर तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित शयनयान डिब्बों को लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो क्या तृतीय श्रेणी के और वातानुकूलित डिब्बों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) यातायात के पैटर्न, परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए लम्बी दूरी की रात भर चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल 2-टीयर/वातानुकूल 3-टीयर सवारी डिब्बों की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(च) और (छ) सवारी डिब्बों का विनिर्माण करना आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। बहरहाल, 2002-2003 में 198 वातानुकूल 3-टीयर सवारी डिब्बों के विनिर्माण की योजना बनाई गई है।

सी.एम.आई.ई. के साथ समझौता

7635. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्टर फार मानिटरिंग दी इंडियन इकोनामी (सी.एम.आई.ई.) ने कम्पनी कार्य मंत्रालय के साथ एक करार किया है जिसके अंतर्गत वह कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपने वित्तीय परिणामों को दाखिल करने वाली कम्पनियों के वित्तीय स्रोतों का पता लगाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सूचीबद्ध न की गई कम्पनियों का उनके वित्त के स्रोतों सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) सेक्युरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के विनियम के आधार पर सूची से हटाई गई कम्पनियों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) कम्पनी कार्य विभाग (डी.सी.ए.) ने सेन्टर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी प्राइवेट लि. (सी.एम.आई.ई.) के साथ 15.12.1999 को करार किया जिसके द्वारा डी.सी.ए. ने सी.एम.आई.ई. को कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए दस्तावेजों से अस्तित्वता

(एन्टिटीज) पर विवरण तथा सूचना के समाकलन की अनुमति दी थी।

(ग) ऐसी सूचना नहीं रखी जाती।

(घ) वर्ष 1997-98 से 2001-02 के दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियमों को शामिल करते हुए सूची से हटाई गई कम्पनियों की संख्या निम्न प्रकार थी:-

वित्तीय वर्ष	सूची से हटाई गई कम्पनियों की संख्या
1997-98	4
1998-99	7
1999-2000	7
2000-2001	6
2001-2002	20

रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा प्रणाली

7636. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी सुरक्षा अभिकरणों के बीच समन्वयन की कमी के कारण देश के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा प्रणाली अव्यवस्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रेलवे स्टेशनों पर अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण तस्करी गतिविधियों एवं जाली मुद्रा का कारोबार बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान जाली मुद्रा के कारोबार के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार देश में बढ़ती आतंकवादी एवं तस्करी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु कोई उपचारात्मक कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) "पुलिस व्यवस्था" राज्य सरकार का विषय होने के कारण तस्करी कारोबार और जाली नोट संबंधी गतिविधियों पर कार्रवाई करना राज्य सरकार और सीमा शुल्क विभाग जैसी विशेष ऐजेंसियों की जिम्मेदारी है। इसलिए आगे कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।

(घ) और (ङ) जी हां, तस्करी और आतंकवादियों की गतिविधियों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. सभी महत्वपूर्ण गाड़ियां रा.रे.पु. के सशस्त्र गार्डों द्वारा मार्गरक्षित की जाती हैं।
2. पुलिस और सुरक्षा बलों को अधिक संख्या में रखा जाता है।
3. सुरक्षा कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाता है और मुस्तैद रहने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।
4. सुरक्षा जोखिमों के बारे में जनता को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से नियमित उद्घोषणा की जाती है।
5. तैनात किए गए कर्मचारियों की सजगता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक जांचें की जाती हैं।
6. महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सी.सी.टी.वी. के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना शुरू किया गया है।
7. असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सादी वर्दी के कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

लाभांश का भुगतान

7637. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पिछले दो वर्षों में सामान्य राजकोष में पूर्व लाभांश को देने की स्थिति में नहीं था और लगभग 2500 करोड़ रुपये के इसके भुगतान को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे पूर्व की परियोजनाओं को पूरा किए बिना ही नई परियोजनाएं ले रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) रेलवे को वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान सामान्य राजकोष के आंशिक लाभांश का भुगतान जो क्रमश: 1823 करोड़ रु. और 1000 करोड़ रु. (स.अ.) अस्थिगत करना पड़ा था।

(ख) हाल के वर्षों में, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात् रेलवे के खर्च में बहुत तेजी से वृद्धि हुई जबकि आमदनी में इसके बराबर वृद्धि नहीं हुई। परिणामस्वरूप, स्रोतों के आन्तरिक उत्पादन में अत्यधिक कमी आई। इसलिए रेलवे को योजना परिव्यय न्यूनतम रखने के लिए 2 वर्षों के लिए आंशिक लाभांश आस्थगित करना पड़ा।

(ग) और (घ) यद्यपि रेलवे का प्राथमिकता के आधार पर चालू कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य है तथापि परिचालनिक, संरक्षा और विकास संबंधी तथ्यों के आधार पर नई परियोजना भी शुरू की जा रही है।

प्रसार भारती में दोहरी प्रविष्ट लेखा प्रणाली

7638. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अप्रैल, 2002 के 'द हिन्दू' में "प्रसार भारती टु स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रसार भारती ने अब अपने कार्यों को सुचारू बनाने के लिए दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली अपनाने का फैसला लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रसार भारती विगत में वित्तीय मामलों में पारदर्शिता नहीं बना पाई;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दोहरी प्रविष्ट लेखा प्रणाली के अपनाने से इसके लेखों में कितनी पारदर्शिता होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) जब आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रीय सरकार के विभाग थे तो वे एकल प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित सरकारी लेखा पद्धति का पालन करते थे। प्रसार भारती के संवैधानिक निगम के रूप में स्थापना के बाद भारत के नियत्रंक और महालेखा परीक्षक की अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि प्रसार भारती इसके लिए यथा आवश्यक उपयुक्त संशोधन करके केन्द्रीय स्वायतशासी संस्थाओं वाले एकसमान लेखा फारमेंट को अपनाएगा। दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली पर आधारित एक समान लेखा फारमेट को अपनाने से प्रसार भारती अपने लेखों में स्पष्टता बनाए रखने में सक्षम हो सकेगा जो एक लोक प्रसारक के रूप में कार्य करने वाले स्वायत संगठन जो वाणिज्यिक गतिविधियों में भी शामिल है के लिए आवश्यक है।

[हिन्दी]

राज्यों में उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना

7639. डा. सुशील कुमार इन्दौरा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से चेन्नई सहित देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त किया है जिससे आम जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का नाम क्या है जहां से सरकार ने अनुरोध प्राप्त किए हैं;

(ग) उन स्थानों का नाम क्या है जहां उच्चतम न्यायालय के विभिन्न खंडपीठ स्थापित किए जाने के अनुरोध किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर अब तक क्या निर्णय लिया गया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) यद्यपि, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और कर्नाटक की सरकारों ने चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बंगलौर में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने का अनुरोध किया है, पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोलकाता में भारत के उच्चतम न्यायालय का एक फाइलिंग (अभिलेख) अनुभाग खोले जाने का अनुरोध किया है।

(घ) दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने के प्रस्ताव को अनेकों बार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को विचार किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। सरकार को यह सूचित किया गया है कि तारीख 30 अप्रैल, 2001 को हुई

उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों की बैठक में पूर्ण न्यायालय ने एकमत से दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने का विरोध किया है। दिल्ली के बाहर न्यायपीठ की स्थापना करने के विरुद्ध उच्चतम न्यायाल के पूर्ण न्यायालय की सुस्पष्ट राय और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 के उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

संवर्धनकर्ताओं के संबंधियों को रोजगार देने के मानदण्ड

7640. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी नई नीति की घोषणा की है जिसके अनुसार संवर्धनकर्ताओं के संबंधियों को विज्ञापन के आधार पर रोजगारों के लिए आवेदन करना होता है;

(ख) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कम्पनियां अयोग्य व्यक्तियों को बहुत अधिक वेतन दे रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में कम्पनियों द्वारा अनुकरण हेतु किसी आचार संहिता बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्पनी कार्य विभाग ऐसी सूचना नहीं रखता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोल बेड मीथेन

7641. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर के पास महाराष्ट्र में नागपुर, वर्धा और चन्द्रपुर की कोयला खानों से कोल बेड मीथेन की खोज और दोहन का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खोज कार्य आरंभ कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो खोज कार्य आरंभ करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) कोल बेड मीथेन के खोज कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) प्राथमिक भूभौतिकीय अध्ययनों ने महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) की विद्यमानता के संकेत दिए हैं। सरकार ने सीबीएम की अन्वेषण तथा उत्पादन नीति अनुमोदित कर दी है। इस नीति में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से ब्लाकों के प्रस्ताव की व्यवस्था है। सीबीएम संभावित ब्लाकों का उत्कीर्णन तथा इन्हें प्रस्तावित करना एक जारी रहने वाली एवं सतत प्रक्रिया है। बोली के भविष्यगत दौरों में सीबीएम ब्लाकों के संबंध में प्रस्ताव, जिसमें वर्धा घाटी के अंतर्गत कोई भी ब्लाक सम्मिलित है, अनेक कारकों अर्थात अंतमंत्रालयीन स्वीकृतियों, संबंधितों राज्य सरकारों इत्यादि के द्वारा सीबीएम नीति पर सहमति, इत्यादि, पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

7642. श्री रामजी लाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार, राज्य विद्युत बोर्डों और निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन तीन क्षेत्रों में कितनी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता है;

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। 31.3.2002 की स्थितिनुसार क्षेत्रवार अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है :

	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
केन्द्रीय क्षेत्र	31605.50
राज्य क्षेत्र	62220.38
निजी क्षेत्र	11091.72
पूरे भारत में	104917.50

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-02 के दौरान देश में ताप विद्युत स्टेशनों का क्षेत्रवार प्रतिशत क्षमता समुपयोजन (पीएलएफ) नीचे दिया गया है :

संयंत्र भार घटक (%)

	2000-01	2001-02
केन्द्रीय क्षेत्र	74.3	74.3
राज्य क्षेत्र	65.6	67.0
निजी क्षेत्र	73.1	74.7
पूरे भारत में	69.0	69.9

(घ) देश में क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

1. क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का त्वरित क्रियान्वयन और सन् 2012 तक क्षमता को दोगुना किया जाना।
2. विद्यमान पुराने और अकुशल विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) और जीवन विस्तार। त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आर एण्ड एम कार्यों के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं।
3. त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत ताप विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सुधारने के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋणों का संवितरण।
4. छूटे पारेषण लिंकों का निर्माण करके और प्रणाली सुधार करके तथा अन्ततः राष्ट्रीय ग्रिड का विकास करके अंतःराज्यीय और अतःक्षेत्रीय विद्युत अंतरण में वृद्धि करना।
5. क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में जल विद्युत, ताप विद्युत न्यूक्लीयर और गैस टरबाइन विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन।
6. विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया का तेजी से क्रियान्वयन।
7. नये चालू विद्युत उत्पादन यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण।

पालधी-अमालनेर लाइन के दोहरीकरण का कार्य

7643. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के दौरान पालधी-अमालनेर लाइन के दोहरीकरण के लिए छोटे नाले पर पुल के मिट्टी संबंधी कार्य और निर्माण पूरा कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग पर अब तक रेल लाइन के दोहरीकरण के शेष कार्य को आरंभ न किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) दोहरीकरण कार्य को कब तक आरंभ और समाप्त किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) जी नहीं, बहरहाल 1989-90 में अमालनेर-ताकारखेड़ा और ताकारखेड़ा-ध्रांगांव के बीच कहीं-कहीं दोहरीकरण का कार्य आरम्भ किया गया था। आमालनेर-ध्रांगांव के बीच मिट्टी संबंधी और पुलों का कार्य पूरा हो गया है। तत्पश्चात् यातायात की दृष्टि से आवश्यक न होने के कारण इस कार्य को रोक दिया गया था।

हस्तियों संबंधी फिल्में

7644. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग हस्तियों संबंधी फिल्मों सहित अन्य फिल्में बनाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा ऐसी कितनी फिल्में बनाई गई हैं;

(ग) कौन-कौन सी फिल्मों पर कार्य चल रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिरसा मुंडा के जीवन पर भी फिल्म बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित जीवनी फिल्मों सहित फिल्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है;

(ग) निर्माणाधीन जीवनी फिल्मों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं;

(घ) से (च) चूंकि फिल्म प्रभाग ने बिरसा मुंडा पर पहले ही एक वृत्तचित्र फिल्म "ए सांग फॉर बिरसा" का निर्माण कर लिया है। अत: इस समय उन पर किसी अन्य फिल्म का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

1999-2000 के दौरान निर्मित फिल्मों की सूची (जीवनी संबंधी फिल्मों सहित)

क्र.सं.	शीर्षक
1	2
1.	सेव द इन्वायरंस फोर फ्युचर
2.	इवन वी केन
3.	पैराडाईज
4.	एन एक्सप्रैस हाईवे
5.	इंडियन फुटबाल एसोसिएशन
6.	डार्कनस ओफ टैरर
7.	ऐ वेतन तेरे लिए
8.	अर्बन लैंड सिलिंग एक्ट—ए रिपील
9.	जवान तुझे सलाम
10.	हमारा भारत
11.	राजभाषा संसदीय समिति
12.	कम्युनल हारमौनी भाग-1
13.	कम्युनल हारमौनी भाग-2
14.	दा प्राईस अफेयर
15.	दा फ्लैंग
16.	एण्ड दा बम्बु ब्लुम्स
17.	जोहाद (ए सौर्स औफ वाटर)
18.	चरखा
19.	लैट मी लिव (मुझे जीने दो)
20.	धारावी एक नवी पाहाट
21.	व्युज और विजन
22.	स्टेटस क्वॉ
23.	परिवर्तन
24.	विजय हमारी होगी, भाग-1
25.	विजय हमारी होगी, भाग-2
26.	लैट देयर बी नो डाउट, भाग-1
27.	लैट देयर बी नो डाउट, भाग-2
28.	इलैवंथ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फैस्टीवल 1999, कैपसूल-1
29.	इलैवंथ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फैस्टीवल 1999, कैपलूल-2
30.	इनफलेशन (मंहगाई)
31.	विजय
32.	लोगो फॉर एमआईएफएफ 2000
33.	प्रोमोशनल फिल्म्स फार एमआईएफएफ-2000 (10 अदद)
34.	ए वाइस कॉलस
35.	सांग बेस्ड फिल्म ऑन कारगिल इशु
36.	कम्पाइलेशन फिल्म फॉर बैंक प्रोजैक्शन एट इनॉगरल एंड कलोजिंग फंक्शन एट एमआईएफएफ 2000
37.	एम आई एफ एफ 98
38.	कर्टेन रेजर एम आई एफ एफ 2000

1	2
39.	घर अपना
40.	ट्रेनिंग फिल्म आन लॉ एनफोर्समेंट-एनसीबी पार्ट-ए
41.	ट्रेनिंग फिल्म आन लॉ एनफोर्समेंट-एनसीबी पार्ट-बी
42.	एक्सचेंज आफ सॉयलड नोटस विडियो स्पॉट नं. 1
43.	एक्सचेंज आफ सॉयलड नोटस विडियो स्पॉट नं. 2
44.	एक्सचेंज आफ सॉयलड नोटस विडियो स्पॉट नं. 3
45.	रेडियो स्पॉट आन एक्सचेंज आफ सॉयलड नोटस
46.	व्हाट इज न्यू
47.	हाऊ टू हैंडल इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन
48.	फ्रैंडली मशीन
49.	पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम
50.	पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (एनटीआर)
51.	लोगो फार सीएफएसआई फिल्म फैस्टीवल
52.	जागी दिशाएं खिली आशाएं
53.	मशरूम प्रोडक्शन
54.	पोल्ट्री फारमिंग
55.	इफैक्टिवडिशिजन मार्किंग
56.	गुब्बन मुप्पनस ड्रीम
57.	ओरू यात्रा
58.	कोचू कोचू मोहंगल
59.	प्यास
60.	दिशा
61.	रशमी रेखा
62.	कुदू
63.	जाटामेर जामी
64.	चक्रम
65.	मणीकन
66.	मास्टरनीजी
67.	दुखी राम
68.	फिरे पेलाम
69.	दिशा भक्तान
70.	गांधी नेहरू और माडर्न आर्ट
71.	ए जरनी टू बस्तर
72.	हिन्दी
73.	सिन्धु
74.	कर्टेन रेजर फिल्म ऑन सिंगु गाथा
75.	सरल उपाय
	वर्ष के दौरान तैयार की गई जीवनीपरक फिल्में
76.	लाल बाल पाल (फ्रीडम फाइटर)
77.	प्रतिभावान डाक्टर शंकर दयाल शर्मा (पूर्व भारत के राष्ट्रपति) (एसवी)
78.	ए डेडीकेटिड वर्कर श्री गुलजारी लाल नन्दा (नेशनल लीडर)
79.	पीपल्स पोइट कॉजी नजरूल इस्लाम (विद्रोही कवि)
80.	हनुमान प्रसाद पोदार (महान दार्शनिक) (एसवी)
81.	भारतेन्दु हरिशचन्द्र (महान कवि) (एसवी)
82.	सिंग बन्धु (शास्त्रीय गायक) (एसवी)
83.	कबीर (संत)
84.	भाईजी - ए ग्रेट हयूमन बींग हनुमान प्रसाद पोदार (महान दार्शनिक) (एलवी)
85.	शेख चिन्ना मौलाना (नागस्वर्म के प्रसिद्ध संगीतकार) (एलवी)
86.	जयशंकर प्रसाद (प्रसिद्ध लेखक) (एलवी)
87.	एक ही सुर में (एलवी)
88.	यामिनी शास्त्रीय नर्तक (एलवी)
89.	भरतेन्दु (भारतेन्दु हरिशचन्द्र) (एक महान कवि) (एलवी)
90.	बाबू जगजीवन राम (राष्ट्रीय नेता)(एलवी)

1	2
91.	ए मैन आफ साइलेंस सरदार वल्लभभाई पटेल (महान राष्ट्रीय नेता) (एलवी)
92.	कवि प्रदीप (महान कवि) (एलवी)
93.	कलामंडलम गोपी (प्रसिद्ध कथकली नर्तक)
94.	मल्लिका साराभाई (प्रसिद्ध नर्तक) (एलवी)
95.	दी जैंटल नाईट आफ म्यूजिक—वी. दोरईस्वामी अंयगर (वीणा मास्टरो)
96.	दी जैंटल नाईट आफ म्यूजिक—वी. दोरईस्वामी अंयगर (वीणा मास्टरो)
97.	गुरू गुमके रघुनाथ मुरमु (ओआई-चीकी के इनवेंटर सांथल ट्राइव की पांडुलिपि)
98.	जी. अरविंदन (फिल्म मेकर)
99.	ड्रीमर प्रसिद्ध नर्तक, (स्वप्नसुंदरी)
100.	वीना सहराबुधेय (प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक)

वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्मित फिल्मों की सूची जीवनी फिल्मों सहित

1.	ए ग्लिमर आफ होप
2.	ए डैथ टैप
3.	स्क्रयर्ड ग्रोब्स
4.	सारंगी द लास्ट कोर्ड
5.	धोलावीर
6.	दिशा
7.	आज की नारी
8.	ट्राइबल ओमन आर्टस
9.	हिन्दी की विकास यात्रा
10.	यूनिटी हिवल
11.	द वेट डिजर्ट
12.	ज्योति
13.	लैंड स्केप
14.	इंडियन वोमिन इन द 21स्ट सैंच्युरी
15.	फ्राम द लैंड आफ बुद्धिज्म टू द लैंड आफ बुद्धा
16.	एन आटम इवनिंग
17.	रॉक स्कल्पटर आफ महाबल्लपुरम
18.	चित्रकूट
19.	जीवन रेखा
20.	टेम्पटेशन
21.	मम्मी
22.	वियिरिंग द फेस
23.	वैदिक मैथेमेटिक्स
24.	न्यूट्रिशियन फार योर चाइल्ड
25.	नेताजी
26.	बी आई एफ एफ 1992
27.	सिन्धु दर्शन
28.	आर्मीज फस्ट माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, 1985
29.	साहदत
30.	एम आई एफ एफ, 1998
31.	एन्टी-प्लास्टिक
32.	एनवायरमेंट
33.	वाटर कनजरवेशन
34.	एन्टी-टूबैकद
35.	ब्रेन-ड्रेन
36.	सेल्फ ट्रीटमेंट
37.	महिलाओं का कैंसर
38.	मांडम थेन्ड्राल
39.	धन्धब्य
40.	मोनादचिना गहना

1	2
41.	कलकलम
42.	नागौर एक्सप्रैस
43.	इंडिया 2000
44.	धन्ना
45.	जन्मभूमि
46.	अजोपागाछा (द ट्री)
47.	अरवे शक्ति
48.	गाली माथू
49.	पपैया
50.	धर्मा
51.	ककरन यूगादी
52.	जर्नी इन टू फेथ
53.	फाइट टू फ्यूचर
54.	फैक्ट टू फेस विद एम एन डी
55.	मैनेजिंग मोटर न्यूरोन डिजीजेज
56.	सत्राज एण्ड नामघर्स आफ असम
57.	इन्फलट्रेटर्स
58.	मैं यह सोचती हूं
59.	कारगिल स्वास्थ मेला
60.	महानंदा
61.	खाटघर
62.	250 ईयर्स डिफेंस एकाउंटस डिपार्टमेंट
63.	घर अपना (एस वी)
64.	बांसुरीवाला
65.	हर मर्ज की दवा
66.	मन में हो विश्वास
67.	कैसे बनोगे करोड़पति
68.	छोटी-छोटी बातें
69.	जीवन की मुस्कान
70.	टार्मक प्रोसीजर
71.	एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन्सटीटयूट (ए टी आई) एयरफोर्स
72.	फायर पावर डेमो 1 और 2 (आर्म्ड कोर सेंटर एण्ड स्कूल)
73.	मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (एन टी टी आई)
74.	हिस्ट्री आफ वर्कशाप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू टी आई) एयरफोर्स

वर्ष के दौरान पूरी की गई जीवनी फिल्में

75.	बाल मुरली कृष्णा (कारनेटिक वोकल मास्ट्रो) (एल वी)
76.	राष्ट्र कवि प्रदीप (कवि) (एस वी)
77.	प्रसाद (हिन्दी लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद) (एस वी)
78.	फार ऐवर लीजेंट (एम एस शुभलक्ष्मी, प्रसिद्ध कारनेटिक म्यूजीशियन)
79.	सर्चिंग फार स्मिता (पायनियिरंग एक्ट्रैस—स्मिता पाटिल)
80.	संगीत मार्टन्ड पडित जसराज (प्रैसिद्ध म्यूजिक मास्ट्रो) (एल वी)
81.	द लीविंग लीजेंड डॉ. राजकुमार (फिल्म सलाहकार) (एल वी)
82.	सीमागुडी श्रीनिवासियर (कारनेटिक म्यूजीशियन)
83.	मेनी फेसेट्स आफ ए जीनिय-डॉ. के शिवरामा कारंथ (कर्नाटक के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता) (एल वी)

वर्ष 2001-2002 के दौरान (आज तक) निर्मित फिल्मों की सूची (जीवनी फिल्मों के साथ)

1.	रिमब्बरेंस
2.	गुजरात में भूकंप पीडितों के लिए सरकार की भूमिका
3.	लास्ट इनोसैंस

1	2
4.	अनबरन
5.	भगवान बुद्ध
6.	हैंडल थीम विद केयर
7.	कल्चर एण्ड हैटीक्राफ्ट आफ सिलचर
8.	मंग्रोव्स आफ सुन्दरवन
9.	स्वावलम्बन
10.	एब्यूज
11.	आजादी
12.	क्या ये हैं लोरियाँ
13.	होशियार-3
14.	ट्राइबल आफ नीलगिरी हिल्स
15.	सुरक्षा
16.	सुरक्षा
17.	ह्वेरे तो गो
18.	हंगर फ्री इंडिया
19.	सूने सपने
20.	खुददारी
21.	होली गंगा
22.	फ्रीडम फ्राम हंगर
23.	मिजोरम—ए हैवन आफ पीस
24.	चाहिए थोड़ा सा प्यार
25.	महिलाओं का कैंसर
26.	फेस पराघी
27.	मोहिले
28.	आई टी बी पी कोंकर एवरेस्ट
29.	संकल्प
30.	जरा सुनिए

1	2
31.	राजीव
32.	टेक य लिटिल केयर—एवोइड एड्स
33.	वेदना
34.	टेररिज्म
35.	काली
36.	वाइरम
37.	चेव्वाजहाइ
38.	मंत्र
39.	कंडारी
40.	रामी (द बेबी ऐलीफेंट)
41.	सबिया
42.	बलुवाली
43.	भिस्न युद्धर पर (आफटर फियर्स बैटल)
44.	गोइंग इन स्कूल
45.	वोरू विलाकू
46.	अलेमारी
47.	मोकल नी पोहोर
48.	तुने आफ तांडव
49.	कारगिल स्वास्थ मेला
50.	गीता की कहानी
51.	कलकाल्म
52.	द मोनपास आफ अरुणाचल
53.	डेविल एण्ड द डीप सी
54.	हिस्ट्री आफ त्रिपुरा बालाजी
55.	प्रोमोस फोर एम आई एफ एफ 2002-11 फिल्म्स
56.	लोगो फोर पार्लियामैंटरी प्रोसीडिंग्स
57.	गौदन मुगा

1	2
58.	अपना उत्सव
59.	फायर पावर डेमो (आर्टी)-2 फिल्म्स
60.	इन्टेग्रेटेड सर्विसेज डिजाइन नेटवर्क
61.	सिरडी साई बाबा
62.	राइटिंग आन द वाल
63.	सृष्टि का आधार
	वर्ष के दौरान प्रस्तुत जीवनी फिल्में
64.	लौह पुरुष-सरदार पटेल (ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर) (एस वी)
65.	तीजन बाई (पंडावनी सिंगर फ्राम छत्तीसगढ) (एल वी)
66.	तीजन बाई-ए पंडावनी सिंगर (एस वी)
67.	मदर आफ सैंचूरी (मदर टरेसा) (एल वी)
68.	ओरु अक्सारम ओरु चुवाधु (श्रीमती के.वी. रवीया-ए हैंडीकैप वोमिन विनर आफ लिट्रेसी अवार्ड फ्राम केरल
69.	सोनल (क्लासिकल डांसर-श्रीमती सोनल मानसिंह)
70.	ए फ्यू थिंग्स नोन आबाउट हर
71.	सिस्टर निवेदिता
72.	इस युग की अरूंधती (फिल्म आन फ्रीडम फाइटर लेट श्रीमती कस्तूरवा गांधी)
73.	सुनीता

नोट-एस वी (लघु रूपांतर)
एल वी (वृहद रूपांतर)

विवरण-II

फिल्म प्रभाग के और निर्माण कार्यक्रम में शामिल जीवनी संबंधी फिल्मों का ब्यौरा

क्र.सं.	शीर्षक
1.	श्रीमती रामादेवी—उड़ीसा की एक महान समाज सुधारक
2.	मदर टैरेसा (टीआर) (प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता)
3.	महाराणा प्रताप ऑफ चित्तोड़ (महान योद्धा)
4.	स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक (राष्ट्रीय नेता)
5.	सिस्टर निवेदिता (सामाजिक कार्यकर्ता)
6.	कस्तूरबा गांधी (सामाजिक कार्यकर्ता)
7.	विजयलक्ष्मी पंडित (राष्ट्रीय नेता)
8.	चन्द्रशेखर आजाद (स्वतंत्रता सेनानी)
9.	सरदार भगत सिंह (स्वतंत्रता सेनानी)
10.	सलील चौधरी (प्रसिद्ध संगीत निदेशक)
11.	मैडम भीकाजी कामा (स्वतंत्रता सेनानी)-पटकथा लेखन स्थिति में
12.	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

[अनुवाद]

दूरस्थ पूर्वोत्तर और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरदर्शन

7645. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचना और प्रसारण के संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल ने दूरदर्शन की कवरेज शतप्रतिशत क्षेत्रों में करने के लिए क्या सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस ओर इशारा किया है कि वर्तमान टेरिसटेरियल नेटवर्क द्वारा पूर्वोत्तर और दूरस्थ क्षेत्रों में पंहुच बनाने के लिए 4000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या तक टेलीविजन कवरेज पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(च) सरकार/योजना आयोग द्वारा अपेक्षित निधियां प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल ने सैटेलाइट वितरण पद्धति के जरिये के.यू. बैण्ड में मुक्त प्रसारण पद्धति में मल्टी-चैनल, बूके के साथ कवर न किये गये क्षेत्रों में टी.वी. कवरेज के प्रावधान की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के लिए कैरिज एंड टेक्नोलोजी पर गठित उप कार्यदल ने आकलन किया था कि स्थलीय पद्धति में 100 प्रतिशत जनसंख्या तक दूरदर्शन कवरेज का विस्तार करने के लिए लगभग 3456 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा।

(ङ) और (च) स्थलीय पद्धति में टी वी की कवरेज देश की जनसंख्या के लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या (ग्रामीण एवं दूरवर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या सहित) को उपलब्ध है तथा चालू ट्रांसमीटर परियोजनाओं के चालू होने के बाद इसके लगभग 91 प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है। स्थलीय पद्धति में विस्तार दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगा। अब तक कवर न किये गये क्षेत्रों को कवरेज उपलब्ध करने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकल्पों को भी शामिल किया गया है। इस प्रायोजनार्थ दूरदर्शन की दसवीं मसौदा योजना में पर्याप्त प्रावधान कर दिया गया है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा ग्राम विकास

7646. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी के संयंत्र अपने लाभ के एक प्रतिशत भाग को आस-पास के गांवों के विकास पर व्यय करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान से आज की तिथि तक उड़ीसा के कानिहा बनहरपाली और इब घाटी क्षेत्र में गांव-वार कितनी धनराशि व्यय की गयी है; और

(ग) इन गांवों में कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की व्यापक पुनर्वास व पुनर्स्थापन (आर एड आर) नीति है। नीति के अनुसार एनटीपीसी विस्तृत सामाजिक-अर्थिक सर्वेक्षण करता है तथा उसके आधार पर प्रभावित जनसंख्या के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के परामर्श से पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) तैयार की जाती है। आरएपी में जरूरत के आधार पर प्रभावित गांवों का विकास शामिल है। आरएपी के क्रियान्वयन में पूरी लागत एनटीपीसी द्वारा वहन की जाती है।

(ख) और (ग) एनटीपीसी की कनिहा में तालचेर-कनिहा परियोजना है तथा इसकी बन्हापल्ली एवं आईबी वैली के निकट कोई परियोजना नहीं है। तालचेर-कनिहा के लिए आसपास के गांवों में परिधीय विकास कार्य जरूरत के आधार पर किए जाते हैं, जिसका निर्धारण पुनर्वास सलाहकार समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के पश्चात् किया जाता है।

अभी तक एमटीपीसी द्वारा परिधीय विकास (पीडी) कार्यों पर लगभग 1004 लाख रु. का व्यय किया गया है। तथापि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विगत 3 वर्षों के दौरान पीडी कार्यों पर 179.08 लाख रु. की राशि व्यय की गई है :

वर्ष	पीडी कार्यों पर खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)
1999-2000	34.56
2000-2001	73.89
20001-2002	70.63
योग	179.08

उक्त व्यय के ग्रामवार व वर्षवार ब्यौरे निम्नुसार हैं:

क्र.सं.	ग्राम	वित्तीय वर्ष	सड़क	शिक्षा	स्वास्थ्य	जल	स्वच्छता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		1999-2000						
	बिजिगोल		-	-	-	-	-	
	देरंग		-	1.17	-	4.20	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मसूनिहाटा		-	0.66	-	3.48		
	कनिहा		-	-	-	3.30	-	
	तकुआ		-	-	-	3.60	-	
	भीमखंड		-	0.50	-	3.28		
	गदासिला		-	-	-	9.16	-	
	करोडेल		-	-	-	3.30	-	
	रंगाबेडा		-	-	-	0.30	-	
	बरादंगुआ		-	-	-	0.60	-	
	तोलकबेड़ा		-	1.01	-	-	-	
	योग			3.34	-	31.22	-	34.56
2.		2000-2001						
	बिजिगोल		3.00	3.60	-	1.50	-	
	देरंग		-	0.87	-	4.40	-	
	मसूनिहाटा		5.40	-	-	-	-	
	कनिहा		-	6.80	4.33	4.96	-	
	तकुआ		1.00	-	-	0.50	-	
	भीमखंड		-	0.50	-	-	-	
	गदासिला		1.00	3.00	-	0.50	18.00	
	कराडेल		-	1.39	-	-	3.00	
	रंगाबेडा		-	1.94	-	-	-	
	बरांडगुआ		-	0.60	-	-	-	
	तोलकबेडा		0.50	1.70	-	-	-	
	कटेनी		-	-	-	-	1.92	
	शिवरामपुर		-	-	-	0.30	-	
	जदुनाथपुर		-	-	-	0.30	-	
	पाथरमंडा		-	-	-	1.31	-	
	अंबापल		-	1.57	-	-	-	
	योग		10.90	21.97	4.33	13.77	22.92	73.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.		20001-2002						
	बिजिगोल		-	6.00	-	-	-	
	देरंग		11.21	5.50	-	-	-	
	मसूनिहाटा		4.00	-	-	-	-	
	कनिहा		-	-	9.00	1.50	-	
	तकुआ		-	1.70	-	-	-	
	गदाशिला		-	-	-	0.30	-	
	करादेई		-	1.50	-	-	-	
	रंगाबेडा	-	-	-	-	-	8.61	
	पाथपमुंडा		-	-	-	1.00	-	
	ककुडिया		7.00	-	-	-	-	
	कंसामुंडा		2.40	-	-	-	-	
	बडाहिरा		6.91	-	-	-	-	
	बालपटटा		4.00	-	-	-	-	
	योग		35.52	14.70	9.00	2.80	8.61	70.63

[हिन्दी]

टिकटों की कालाबाजारी

7647. श्री शिवाजी माने : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनवार कितने रेल कर्मचारियों की दलालों के साथ सांठगांठ है;

(ख) इनमें से कितनों को निलंबित किया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना फिलहाल सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वातानुकूलित सवारी डिब्बों का आयात

7648. श्री जे.एस. बराड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पहली रेल यात्रा की 150वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए जर्मनी से छः वातानुकूलित कुर्सीयान सवारी डिब्बों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सवारी डिब्बों की लागत क्या है और वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 को दौरान कितने सवारी डिब्बों का आयात किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या देश के पास इस प्रकार के सवारी डिब्बों के विनिर्माण की क्षमता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो स्वदेशी सवारी डिब्बों के विनिर्माण की क्षमताओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो जर्मनी से सवारी डिब्बों के आयात की क्या आवश्यकता है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी नहीं। वर्ष 2000 में जर्मनी की मै. अलसटोम एल एच बी से "आधुनिक प्रौद्योगिकी" वाले 24 डिब्बों का आयात किया गया जिसके साथ देश में डिब्बा उत्पादन की तकनीकी के उन्नयन के लिए तकनीकी हस्तांतरण ठेका किया गया। इन डिब्बों में से 5 डिब्बों का 16 अप्रैल 2002 को चलाई गई संस्मारक गाड़ी में उपयोग किया गया।

(ख) वर्ष 2000 में जर्मनी से आयातित एल एच बी डिब्बों की लागत जिग्स और फिक्चर सहित 4.42 करोड़ रु. (जहाज द्वारा ढुलाई मुफ्त) है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान और अधिक डिब्बे आयात करने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) से (ङ) भारतीय रेलवे की मौजूदा डिब्बा उत्पादन प्रणाली 1950 की पुरानी तकनीकी पर आधारित है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के ठेका के अंतर्गत मै. स्वीटजरलैंड की सचेलिरन से प्राप्त की थी। इसलिए भारतीय रेल यात्रियों को अन्तराष्ट्रीय स्तर की आरामदायक सुविधा और संरक्षा मुहैया कराने के लिए आधुनिकतम डिब्बा उत्पादन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने की कार्रवाई की गई। ऐसे डिब्बों का उत्पादन करने के लिए मै. एलस्टोम एल एच बी से तकनीकी हस्तांतरण ठेके के अन्तर्गत तकनीकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। उत्पादन क्षमता के ग्रेडोन्यन के लिए विशेष मशीनों को खरीदने की योजना बनाई/रेल कोच फैक्टरी कपूरथला में लगाई जा रही है, जहां वास्तविक उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों के संबंधियों को रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पंप

7649. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सरकारी कर्मचारियों के संबंधियों को पेट्रोल पंप/गैस एजेंसियां आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने जीवन का बलिदान कर दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के अंतर्गत अब तक पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए इस आशय के कितने पत्र जारी किए गए हैं और कितने पेट्रोल पंप/गैस एजेंसियां स्थापित की गई हैं और शेष पेट्रोल पंपों के संबंध में स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने निम्नांकित दो श्रेणियों के योग्य व्यक्तियों के लिए वास्तविक अनुकंपा आधार पर आवंटन हेतु खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/एसकेओ/एलडीओ डीलरशिपों के लिए विवेकाधीन कोटा निर्धारित किया है।

(1) ऐसे रक्षा/अर्द्ध सैनिक बलों/पुलिसकार्मिकों के आश्रित, जो अपने कर्तव्य के समय मारे जाते हैं अथवा वे कार्मिक जो स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया हो।

(2) ऐसे केन्द्र/राज्य सरकार कर्मचारियों के आश्रित, जो अपने कर्तव्य निर्वाह के समय मारे जाते हैं अथवा वे जो स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया हो।

दिशानिर्देशों के अनुसार एक वर्ष में विवेकाधीन, आवंटनों की संख्या औसत वार्षिक विपणन योजना के 10 प्रतिशत अथवा 75, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन सामान्यता औसत वार्षिक विपणन योजना के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

विवेकाधीन आवंटनों के विषय में दिशानिर्देश 20 अप्रैल, 2001 को जारी किए गए थे। विवेकाधीन कोटे के तहत अब तक कोई आवंटन नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

कडिपिकोन्डा में रेल-ऊपरि पुल

7650. श्री के. येरननायडू :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को आंध्र प्रदेश सरकार से वांरगल में कडिपिकोन्डा में रेल-उपरिपुल के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी हां। इस संबंध में 1985 से राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

(ग) ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य वर्ष 1992-93 में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था। मार्च, 1993 में 13.73 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि भी स्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार द्वारा ऊपरी सड़क पुल के स्थान में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। अब संयुक्त सर्वेक्षण कराया गया है और नवीनतम स्थल ब्यौरे के अनुसार सामान्य आरेखण व्यवस्था तैयार की गई है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए 2002-2003 के दौरान 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

पूर्वी तट जोन

7651. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई पूर्वी तट जोन की आधारशिला 1996 में रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नए रेलवे जोन ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान, पूर्व तटीय रेलवे जोन के लिए 4.0 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है। रेलों के समक्ष संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण पूर्व तटीय रेलवे सहित नए जोनों की स्थापना के कार्य की प्रगति धीमी हुई है।

आटोमोबाइलों को सीएनजी की आपूर्ति

7652. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार में 'गेल' को उन आटोमोबाइलों को सीएनजी न दिए जाने का निदेश दिया है जोकि कतिपय पंजीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा 22 मार्च, 2002 को दिल्ली में कारों और अन्य वाहनों के लिए सीएनजी की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में सीएनजी विक्री केन्द्रों को जारी आदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कारों और अन्य वाहनों के पंजीकरण के अब निर्धारित मानदंड/आवश्यकताएं काफी कठिन और लम्बा समय लेने वाली हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पंजीकरण के सरल तरीके और उन कार और अन्य वाहन मालिकों जो कि निर्दोष हैं को सीएनजी की ब्रिकी की अनुमति देने पर विचार किया है, जिन्होंने सीएनजी किटों को लगाने में काफी बड़ी धनराशि खर्च की है; और

(ङ) यदि हां, तो वाहन मालिकों द्वारा ऐसे प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए नौकरशाही की आवश्यकताओं को थोपे जाने से बचने के क्या कदम प्रस्तावित है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भारत सरकार ने 29 अक्तूबर, 2001 के पत्र के तहत इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को समाचारपत्रों में उपयुक्त विज्ञापन देने का सुझाव दिया कि सीएनजी की उपलब्धता सीमित होने के कारण सीएनजी की आपूर्ति केवल उन्हीं निजी वाहनों को की जाएगी जो विज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख तक मूल रूप से सीएनजी वाहनों के रूप में पंजीकृत किए गए हैं।

(ग) से (ङ) पंजीकरण राज्य सरकार का विषय है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को कई बार सीएनजी वाहनों के रूप में पंजीकृत वाहनों की आर.सी. पुस्तकों पर पृष्ठांकन के लिए कहा गया है।

उन निजी वाहनों, जो विज्ञापन के जारी होने की तारीख तक सीएनजी वाहनों के रूप में पंजीकृत करवाए गए थे, को सीएनजी की आपूर्ति की मनाही नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर विज्ञापनों के माध्यम से राजस्वार्जन

7653. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन विज्ञापनों के माध्यम से राजस्वार्जन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान और आज की तिथि के अनुसार इन दोनों संगठनों द्वारा अलग-अलग राज्यवार कितना राजस्वार्जन किया गया है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान विगत वर्ष की तुलना में दोनों संगठनों के राजस्वार्जन में गिरावट की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) प्रसार भारती द्वारा सूचित किए गये अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व में कमी होने की कोई संभावना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2001 और 2001-2002 के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित कुल राजस्व

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	राज्य का नाम	स्टेशन/केन्द्र/चैनल	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय पूंजी	डीडी-1, डीडी मैट्रो, डीडी-वर्ल्ड डीडी-स्पोर्टस दिल्ली रिजनल, डीडी-भारती	291.34	462.94	526.31	493.76
2.	गुजरात	अहमदाबाद	2.78	2.89	3.80	4.08
		राजकोट	0.00	0.00	0.00	0.01
3.	कर्नाटक	बंगलोर	13.73	16.76	8.43	13.62
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल	1.81	1.48	1.70	2.47
5.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	2.01	1.83	2.73	3.19
6.	वेस्ट बंगाल	कोलकाता	16.80	25.84	29.92	27.74
7.	असम	गुवाहटी	0.98	1.07	1.58	2.17
		सिल्चर	0.00	0.00	0.0	0.01
8.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	14.62	19.44	12.87	9.08

1	2	3	4	5	6	7
9.	राजस्थान	जयपुर	1.21	1.70	1.93	3.22
10.	पंजाब	जालंधर	5.02	4.30	4.73	7.04
11.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	3.10	4.14	3.20	4.10
		गोरखपुर	0.00	0.15	0.15	0.14
		वाराणसी	0.00	0.00	0.05	0.10
12.	महाराष्ट्र	मुम्बई	14.25	14.76	14.34	18.19
		नागपुर	0.00	0.00	0.01	0.01
13.	बिहार	पटना	1.20	0.86	1.84	2.20
		रांची	0.00	0.00	0.00	0.04
14.	तमिलनाडु	चन्नै	14.7	18.52	7.2	7.51
15.	केरल	त्रिवेंद्रम	15.31	20.17	16.24	14.81
16.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	0.46	0.31	0.43	0.93
		जम्मू	0.00	0.02	0.00	0.22
17.	गोवा	गोवा	0.00	0.01	0.03	0.07
18.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.02	0.02
19.	छत्तीसगढ़	रायपुर	0.00	0.00	0.00	0.15
20.	त्रिपुरा	अगरतला	0.00	0.00	0.00	0.06
21.	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	0.00	0.00	0.00	0.02
22.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	0.00	0.00	0.00	0.03
23.	मिजोरम	आईजवाल	0.00	0.00	0.00	0.08
24.	मेघालय	शिलांग	0.00	0.00	0.00	0.01
		तुरा	0.00	0.00	0.00	0.01
25.	मणिपुर	इम्फाल	0.00	0.00	0.00	0.04
26.	नागालैंड	कोहिमा	0.00	0.00	0.00	0.01
27.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.00	0.00	0.00	0.07
	कुल		399.32	597.19	637.51	615.21

विवरण-II

वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान आकाशवाणी द्वारा अर्जित कुल राजस्व

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002
1.	गुजरात/दमन और दीव	2.17	2.60	0.95	0.60
2.	कर्नाटक	3.85	2.69	1.61	2.15
3.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	3.50	2.49	1.92	1.64
4.	पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश/चण्डीगढ	1.25	0.95	0.76	0.65
5.	तमिलनाडु/पांडिचेरी	8.22	8.11	4.95	5.73
6.	उड़ीसा	1.10	0.77	0.42	0.44
7.	दिल्ली	11.68	13.84	10.72	16.61
8.	आंध्र प्रदेश	5.63	5.98	1.97	1.69
9.	राजस्थान	1.83	1.62	0.98	0.73
10.	प. बंगाल/एनईआर/सिक्किम	5.25	5.13	3.71	3.73
11.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	4.24	5.20	3.17	2.94
12.	महाराष्ट्र/गोवा	11.36	10.45	7.36	7.38
13.	बिहार/झारखंड	2.39	1.95	1.64	1.15
14.	जम्मू और कश्मीर	0.37	0.35	0.34	0.63
15.	केरल/लक्षद्वीप	5.19	4.68	3.69	4.09
16.	सीएसयू/वीबीएस	25.71	14.03	29.71	46.52
	कुल	93.74	80.84	73.90	96.68

[अनुवाद]

पैराशूट की आपूर्ति के लिए ठेका

7654. श्री विनय कुमार सोराके : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों ने 1996 में 2.35 करोड़ रुपए के मूल्य पर विमानचालक पैराशूट और ब्रेक पैराशूट की आपूर्ति के लिए अमरीका स्थित फर्म के साथ दो ठेके किए थे;

(ख) क्या जिन पैराशूटों के लिए ठेके दिए गए थे वे रूस में निर्मित थे;

(ग) क्या भेजे जाने के प्रमाण पर 90% के भुगतान के सामान्य प्रावधान के स्थान पर साखपत्र से 100% भुगतान का ठेके में प्रावधान था;

(घ) यदि हां, तो क्या आपूर्तिकर्ता द्वारा फर्जी दस्तावेजों द्वारा साखपत्र भुना लिए गए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) संविदाओं में साखपत्र के प्रति 100% भुगतान का प्रावधान था। आपूर्तिकर्ता द्वारा संविदा के मूल्य के 5% के दो कार्य-निष्पादन एवं वारन्टी बांड मुहैया कराए जाने के बाद ही साखपत्र खोला गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक (एफ ई डी) ने आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच किए बिना भुगतान रिलीज कर दिया था।

(च) कानूनी सलाहकार ने 489,970 अमेरिकी डालर की वसूली के लिए आपूर्तिकर्त्ता और भारतीय स्टेट बैंक (एफ ई डी) के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल मुकदमा दायर करने की सलाह दी है।

आयुध कारखानों का विस्तार

7655. श्री अनन्त नायक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने आयुध कारखानों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन आयुध कारखानों का पुनर्गठन करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी आयुध कारखाने की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आयुध कारखानों में बार-बार आग लगने और अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) आयुध निर्माणियों का उत्पाद विविधीकरण/विस्तार और आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। आयुध निर्माणी बोर्ड ने सशस्त्र बलों की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सभी आयुध निर्माणियों के लिए दसवीं योजना अवधि के लिए एक आधुनिकीकरण योजना पहले ही बना ली है। किसी भी आयुध निर्माणी की पुनर्संरचना की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) नालन्दा में एक आयुध निर्माणी स्थापित की जा रही है जिसके लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान प्रक्रिया शुरू की गई थी जिससे उच्च क्षमता गोलाबारूदों के लिए नई पीढ़ी के बाई-माड्यूलर प्रोपेलेंट चार्ज सिस्टम की आवश्यकता पूरी की जा सके। यह निर्माणी दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्य करना शुरू कर देगी।

(च) अचानक आग लगने तथा विस्फोट आदि होने के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिए आयुध निर्माणियों में एक सुव्यवस्थित प्रणाली मौजूद है। आग लगने/दुर्घटना होने के प्रत्येक मामले की विषेषज्ञों/जांच-बोर्ड द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है तथा पुनरावृत्तियों से बचने के लिए जांच की सिफारिशें लागू की जाती हैं। आयुध निर्माणियां मई 2002 में सुरक्षा माह भी मना रही हैं। सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा संबंधी जांच और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सामान्य सुरक्षा निर्देशों, सुरक्षा अनुदेशों तथा सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों पर कर्मचारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयोगशाला में विस्फोट

7656. श्री रामजी मांझी :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्र नाथ सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयोगशाला जिसे हाई एनर्जी मैटिरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (एच ई एम आर एल) के नाम से जाना जाता है, में हाल में आग लगने की घटना घटी थी जिसमें तीन नैमित्तिक मजदूरों सहित छह व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या नाभिकीय तथा मिसाइल परियोजनाओं पर कार्य करने वाली संवेदनशील रक्षा इकाइयों में नैमित्तिक श्रमिकों को कार्य पर लगाने से सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने संवेदनशील इकाईयों में नैमित्तिक श्रमिकों को लगाने के बारे में जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) मृत कर्मचारियों के आश्रितों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(च) क्या आग की किसी घटना से नाभिकीय तथा मिसाइल कार्यक्रम में विलंब हो सकता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे की ठोस प्रणोदक प्रसंस्करण इकाई में दिनांक 25 अप्रैल, 2002 को आग लग गई थी। छह कार्मिक मारे गए थे जिनमें उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के दो तकनीकी अधिकारी तथा ठेकेदारों के चार मजदूर भी शामिल थे।

(ख) संरक्षा प्रक्रियाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के तहत् ठोस प्रणोदक प्रसंस्करण इकाई के प्रचालन के लिए उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला तथा मुम्बई की विश्वत कैमिकल्स के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है।

(ग) और (घ) प्रसंस्करण सुविधा सरकार के स्वामित्व तथा कंपनी द्वारा प्रचालित (जी ओ सी ओ) अवधारणा के तहत कार्य कर रही है। फर्म के कार्मिकों को सुरक्षा जांच के बाद ही कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

(ङ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दातव्य कोष से कंपनी के प्रत्येक मृतक ठेका मजदूर के मामले में 50,000 रुपए तथा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रत्येक मृतक कार्मिक के मामले में 1,00,000 रुपए का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा उसके कार्मिकों के मामले में 20,000 रुपए का भुगतान किया गया है और कंपनी द्वारा मृतक मजदूरों के आश्रितों की बीमा निपटारे के लंबित रहते 10,000 रुपए की अंतरिम राहत का भुगतान किया गया है। सभी मृतकों के मामले में फैक्टरी अधिनियम के अनुसार पूरा मुआवजा दिया जाएगा। पारिवारिक पेंशन, बीमा आदि सहित अन्य मुआवजों का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।

(च) जी, नहीं।

(छ) जांच अदालत दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और उपचारात्मक उपाय अभी सुझाए जाने हैं।

150वीं वर्षगांठ पर समारोह आयोजन दिवस

7657. श्री किरीट सोमैया :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मुम्बई में 150वीं वर्षगांठ के समारोह आयोजन दिवस पर चलाई गई ऐतिहासिक रेलगाड़ी को जारी रखने और इसे सामान्य जन प्रदर्शनी हेतु रखने के अनुरोध पर विचार करेगी;

(ख) क्या भारत की प्रथम रेलगाड़ी की भांति एक विशेष रेलगाड़ी मुम्बई और थाणे के बीच चलाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलगाड़ी की विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) यह गाड़ी भाप इंजन से मुम्बई और थाणे के बीच कर्षित की जा रही है।

(घ) इस संबंध में कुछ विशिष्ट नागरिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) सरकार सैद्धान्तिक रूप से प्रस्ताव के लिए सहमत हो गई है।

[हिन्दी]

रक्षा सामग्री का उत्पादन लक्ष्य

7658. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा सामग्री के उत्पादन हेतु आयुध निर्माणियों के द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा सामग्री के उत्पादन का क्या लक्ष्य तय किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) उत्पादन संबंधी लक्ष्य योजनावधि के लिए नहीं अपितु वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ये लक्ष्य सशस्त्र बलों की आवश्यकता तथा मांग-पत्रों के आधार पर संशोधित किए जाने के अधीन होते हैं।

(ख) आयुध निर्माणियों ने वर्ष 1997-2002 के दौरान 24549.27 करोड़ रुपए के संशोधित लक्ष्य के मुकाबले 24237.30 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया।

(ग) उपलब्धि में 1.27% की आंशिक कमी गुणता संबंधी समस्या के कारण टी-72 टैकों तथा 125 मि.मी. के गोलाबारूद की आपूर्ति में कमी आने की वजह से आया।

(घ) योजना के दौरान सशस्त्र बलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

अति भीड़भाड़ वाले मार्ग

7659. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान अति भीड़भाड़ वाले अथवा अति भीड़भाड़ की संभावना वाले रेलमार्गों की भीड़ कम करने हेतु सुस्पष्ट योजना अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या परियोजनाओं पर लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत आयेगी जबकि विभिन्न निधियों में अंतिम शेष बहुत कम था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था के माध्यम से और अन्य आवश्यक इनपुट करके उच्च घनत्व गलियारों को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है। इस कार्य के रूप में बड़ी संख्या में निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं और प्रगति पर हैं, के परिणामस्वरूप स्वर्णिम चतुर्भुज और उसका विकर्ण सुदृढ़ हो जाएगा।

अपेक्षित धन सहित सभी इनपुटों जहां कहीं आवश्यक हो, अर्थात् दोहरीकरण, अतिरिक्त लाइनें बिछाना, विद्युतीकरण, सिगनल व्यवस्था में सुधार, रेलपथ संरचना, चल स्टॉक आदि की तैयारी की जा रही है।

(घ) और (ङ) विशेषकर नई लाइनों और आमान परिवर्तन योजना शीर्षों के अंतर्गत चल रही परियोजनाएं बड़ी संख्या में बकाया हैं। नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजना योजना शीर्षों के अंतर्गत चल रही रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1.04.02 को अनुमानत: 38,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। इन कार्यों का वित्त पोषण मुख्यत: बजटीय सहायता में से किया जाता है। 2002-03 के दौरान उपरोक्त योजना शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अनुमानत: 2890 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

कम्पनियों के निदेशकों पर आपराधिक अभियोजन

7660. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनता को जमाराशि का भुगतान करने की अनिवार्यता को पूरा करने वाली कम्पनियों के निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन चलाने की अनुमति देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित कम्पनियां भी जनता से ली गई जमाराशि के भुगतान में चूक कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में नियमों का अनुपालन करवाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई अन्तरिम कार्यवाही करने पर विचार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक और 58ककक में निहित उपबन्ध गैर-बैंककारी गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमाराशि की स्वीकृति/पुनर्भुगतान को नियमित करते हैं। आईडीबीआई तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा पोषित कम्पनियों सहित चूककर्ता कम्पनियां तथा उसके निदेशक पर यह बाध्यता है कि वे उक्त धाराओं में निहित उपबंधों के अनुसार जमाराशि के उसकी परिपक्वता/उस पर देय ब्याज का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करें और चूक होने पर वे इन उपबन्धों के अन्तर्गत अभियोजन के बाध्य होते हैं।

(ङ) और (च) ऊपर उल्लिखित धाराओं में निहित उपबन्ध उन सभी कम्पनियों के साथ सख्ती से व्यवहार करते हैं जो जमाराशि/उस पर देय ब्याज के भुगतान में चूक करती हैं। सरकार द्वारा कोई अन्य अन्तरिम कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

रेल परिचालन में रेलवे बल तथा सरकारी रेलवे पुलिस की भूमिका

7661. श्री नरेश पुगलिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल परिचालन से जुड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल, एक रेल संगठन तथा सरकारी रेलवे पुलिस, राज्य सरकारों का एक अंग, के बीच बंटी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे सुरक्षा के संबंध में आर पी एफ तथा जी आर पी क्या भूमिका निभाते हैं;

(ग) क्या रेलवे सम्पत्ति के आपराधों के संबंध में आर पी एफ के पास वही शक्तियां नहीं हैं जो कि जी आर पी के पास होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में आर पी एफ कार्मिकों को उनके निर्धारित कर्तव्यों से अलग कर्तव्यों के लिए तैनात किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी हां। पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण चलती गाड़ियों तथा रेल परिसरों में यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा करना। राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसे वे राजकीय रेल पुलिस के माध्यम से निभाती है। अत: अपराध की रोकथाम, मामले दर्ज करना, उनकी जांच तथा चलती गाड़ियों के साथ-साथ रेल परिसरों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस की वैधानिक जिम्मेदारी है जबकि रेल सुरक्षा बल की ड्यूटियां तथा जिम्मेदारियां रेलसंपत्ति की सुरक्षा करना है।

(ग) और (घ) जी हां, रेल संपत्ति से संबंधित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रेल सुरक्षा बल के पास राजकीय रेल पुलिस के समतुल्य शक्ति नहीं है। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल को "रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966" के अन्तर्गत अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूरत-भुसावल मार्ग पर पुराने पुलों का पुनर्निर्माण

7662. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूरत-भुसावल मार्ग पर नदियों तथा नालों पर बने ऐसे पुलों का पुनर्निर्माण करने पर विचार कर रही है जो सौ वर्षों से अधिक पुराने हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक प्रारम्भ होने और पूर्ण होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (घ) रेलें अपने पुलों का प्रति वर्ष सुव्यवस्थित निरीक्षण करती हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर उनकी हालत और शेष आयु के आकलन के आधार पर पुलों की मरम्मत, पुनर्निर्माण की कार्रवाई की जाती है। इस

खंड पर पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन के लिए निम्नलिखित 19 अदद पुलों की पहचान की गई है, जिन्हें आगामी 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।

क्र.सं.	पुल सं.	कि.मी.	अनुमानित लागत (करोड़ में)
1.	17	18/10-11	2.22
2.	314	253/4-7	2.25
3.	324	260/2-3	1.09
4.	333	269/2-3	
5.	351	284/2-4	1.28
6.	134	118/15-16	2.06
7.	226	181/14-182/1	
8.	240	191/9-11	
9.	288	230/7-11	2.37
10.	98	88/9-10	0.63
11.	110	98/0-1	
12.	76	72/4-5	1.75
13.	94	85/1-2	
14.	112	100/4-5	
15.	131	117/6-7	
16.	294	234/5-6	
17.	31	34/10-11	1.72
18.	257	211/4-7	
19.	151	127/1-2	

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ के सुरक्षोपाय

7663. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 2002 से प्रभावी होने वाले 15 राष्ट्रों के यूरोपीय संघ के अनन्तिम सुरक्षापाय से भारतीय इस्पात निर्यातकों को नुकसान होगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यूरोपीय संघ द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) ये अनन्तिम उपाय कब तक लागू रहेंगे;

(घ) क्या यूरोपीय संघ को भारतीय इस्पात का निर्यात वर्ष 2001 के दौरान लगभग 3,00,806 टन है।

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1999 और 2000 के दौरान यूरोपीय संघ को कुल कितना निर्यात हुआ; और

(च) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) स्टेनलैस स्टील वायर तथा इलैक्ट्रिकल शीटों (नॉन ग्रेन ओरिएन्टिड) को छोड़कर सभी उत्पादों के संबंध में भारत को यूरोपीय संघ की सुरक्षात्मक कार्रवाई से विकासशील देश संबंधी छूट दी गई है।

(ख) और (ग) यूरोपीय संघ ने टैरिक कोटा के रूप में अनंतिम सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। इस कोटे से अधिक आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। टैरिफ कोटा वर्ष 1999, 2000 और 2001 के आयात के वार्षिक स्तर के औसत और उस पर 10% भार पर आधारित है। ये उपाय छह माह के लिए लागू होंगे।

(घ) और (ङ) कलैण्डर वर्ष 1999, 2000 और 2001 (जनवरी से सितंबर, 2001) के दौरान यूरोपीय संघ को किया गया भारतीय इस्पात का निर्यात नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा (हजार टन)
1999	613
2000	614
2001 (जनवरी से सितंबर, 2001)	306

(च) सुरक्षात्मक जांच में सरकार एक इच्छुक पार्टी बन गई है। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से प्रथम अभ्यावेदन 8 मई, 2002 को यूरोपीय आयोग को दिया गया है।

[हिन्दी]

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न पर विचार हेतु आयोग का गठन

7664. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुश्री अरून्धती राय द्वारा न्यायालय की अवमानना संबंधी प्रकरण में दिए गए निर्णय और तदविषयक दोषसिद्धि से उभरे मुद्दों के संदर्भ में, न्यायपालिका, उसके कामकाज और जवाबदेही के विषय में नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए, सरकार का एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या निर्णय किया गया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबंधों का प्रशासनिक विधियों के पुनर्विलोकन के लिए गठित पी.सी. जैन आयोग के सुझाव के अनुसरण में पुनर्विलोकन किया गया था और 1971 के उक्त अधिनियम का संशोधन न करने का विनिश्चय किया गया था। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका से संबद्ध नागरिकों के वाक्स्वातंत्र्य, इसके कार्यकरण और उच्चतम न्यायालय द्वारा सुश्री अरूंधती राय के हाल ही के न्यायालय अवमानना के विनिर्णय और दोषसिद्धि से प्रोदभूत मुद्दों के संदर्भ में स्वयं न्यायपालिका की जवाबदेही के प्रश्न की जांच करने के लिए किसी आयोग के गठन का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

पहचान पत्र

7665. श्री पदमसेन चौधरी :
डा. अशोक पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहुपयोगी पहचान पत्रों को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2001 में हुए हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और पांडिचेरी और इस वर्ष हुए मणिपुर, पंजाब, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश राज्यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान पहचान के अन्य साधनों के साथ-साथ मतदाता फोटो पहचान पत्रों के प्रयोग को मतदाताओं की पहचान के लिए अनिवार्य बना दिया था। अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण और निर्वाचकों के स्थान परिवर्तन करने के कारण भी निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत और निरंतर चलने वाली (नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रकिया पूरी होने की संक्षिप्त अवधि के सिवाए) प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

खड्ग प्रसाद ब्रांच की रेलवे क्रासिंग

7666. श्री के.पी. सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के नेरगुंडी-तालचेर बड़ी लाइन लिंक से 486.26 किमी. पर रेंगाली के खडग प्रसाद ब्रांच नहर पर रेलवे क्रासिंग का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे क्रासिंग पर कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या यह कार्य रेलवे तथा उड़ीसा सरकार के बीच लागत की हिस्सेदारी के आधार पर होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार का नेरगुंडी-तालचेर खण्ड पर 486/3-4 पर मौजूदा रेलवे पुल सं. 86 के माध्यम के रेंगाली सिंचाई उप परियोजना के खडग प्रसाद शाखा नहर को गुजारने का प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं पाया गया है। राज्य सरकार से आगे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलटेल

7667. श्री ए. साहानैया : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा अभी तक रेलटेल में कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या रेलवे ने कुछ अन्य पार्टियों को इक्विटी का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी निगम ने रेलटेल में इक्विटी प्राप्त करने में रुचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) रेलवे को रेलटेल से कितनी आय होने की आशा है;

(छ) क्या रेलवे ने सीधे रेलटेल पर जाने की बजाय अन्य उपलब्ध विकल्पों का कोई विश्लेषण किया है; और

(ज) यदि हां, तो रेलवे के पास उपलब्ध ऐसे विकल्पों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) रेलवे ने आरंभिक पूंजी के रूप में रेलटेल में अभी तक 15 करोड़ रु. का निवेश किया है। यह रेलटेल में रेलवे की भागीदारी के रूप में होगा।

(ख) और (ग) जी हां। रेलवे ने सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों अर्थात् भारतीय रेल वित्त निगम (भा.रे.वि.नि.), भारतीय कंटेनर निगम लि. (कनकोर) और इन्टर-नेशनल लि. इरकॉन को भारतीय रेलटेल निगम लि. में क्रमश: 100 करोड़ रु., 25 करोड़ रु. और 25 करोड़ रु. की सीमा तक समान भागीदारी के लिए निदेश दे दिया है।

(घ) और (ङ) मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दूर संचार विभाग (डॉट) और दूर संचार विभाग (डॉट) की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। बहरहाल, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) रेलटेल द्वारा शुरू किए गए आप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क से गाड़ी नियंत्रण, परिचालन और संरक्षा के लिए विश्वसनीय और आधुनिक रेलवे संचार प्रणाली मुहैया होगी। इसके अलावा, बिछाए जा रहे आप्टिकल फाइबर केबल के लिए रेलटेल के पट्टे पर दिए जा रहे मार्गाधिकार पर रेलों को पट्टा प्रभार प्राप्त होगा और जब कभी रेलटेल इसे घोषित करेगी। रेलटेल में अपनी भागीदारी पर लाभांश भी प्राप्त होगा।

(छ) और (ज) रेलवे ने मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने और विचार-विमर्श करने के बाद रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय रेलटेल निगम लि. का गठन करने का निर्णय किया है। रेलवे के रेलपथ के साथ-साथ बाहरी एजेंसी द्वारा आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए फिलहाल, रेलवे के विचारार्थ कोई विकल्प नहीं है।

तटस्थ नियंत्रण विंग द्वारा रद्द किए गए माल डिब्बे/सवारी डिब्बे

7668. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जोनल रेलवे में तटस्थ नियंत्रण विंग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा रद्द किए माल डिब्बों, सवारी डिब्बों को रेलवे द्वारा स्थानीय आधार पर एनसीडब्ल्यू की अंतिम मंजूरी के बिना ही पास कर दिया गया जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 1999 (रेलवे) की अपनी रिपोर्ट 9 में दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। सवारी डिब्बों/मालडिब्बों को नकारा किए जाने के कारणों की जांच की गई है और यह पता लगाया गया है कि नकारा सवारी डिब्बों/मालडिब्बों की लोकल पासिंग के लिए कुछ उन मामलों में अनुमति दी गई थी जहां नकारा किए जाने के कारण गाड़ी परिचालन संबंधी संरक्षा प्रभावित नहीं हो रही थी। इन कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ सामग्री की अनुपलब्धता और स्टाक के निष्पादन में सुधार के लिए संस्तुत कतिपय तकनीकी आशोधनों का अनुवर्ती अनुपालन न किया जाना भी शामिल किया गया था।

(ग) हालांकि मालडिब्बों/सवारी डिब्बों को लोकल पासिंग केवल उन मामलों में बहाल की गई थी जहां लोकल पासिंग में चल स्टाक की संरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया था। अत: ऐसी लोकल पासिंग वांछनीय नहीं है और रेलों ने महत्वपूर्ण सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार करके, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर और विभिन्न कारखानों की कड़ी निगरानी करके और भारतीय रेलवे पर नैमी ओवर हालिंग करके लोकल पासिंग की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप, लोकल पासिंग के मामलों में तेजी से कमी आई है और अधिकांश कारखाने और अनेक नैमी ओवरहालिंग डिपो वर्ष 2001-2002 के दौरान कुछ नहीं लोकल पासिंग के स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं।

[हिन्दी]

खानपान इकाइयां

7669. श्री अरुण कुमार :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय तथा ठेकेदारों द्वारा चलाई जाने वाली खानपान इकाईयों के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन इकाईयों के विरुद्ध कितनी और कैसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये इकाइयां उचित दरों पर सम्पूर्ण और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करें क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार ने खानपान सेवाओं में सुधार करने तथा व्यावसायीकरण के दृष्टिगत भारतीय रेलों पर भारतीय रेल खानपान तथा पर्यटन निगम लि. की स्थापना की है। भारतीय रेलों पर खानपान सेवाओं का प्रबंधन भारतीय रेल खानपान तथा पर्यटन निगम को सौंपा जा रहा है। अन्य उठाए गए कदमों में केसरोल खाने की व्यवस्था, पैकेज्ड पीने के पानी/मिनरल वाटर की व्यवस्था, विभिन्न स्तरों पर नियमित निरीक्षण तथा अभियान चलाना, मेडीकल अधिकारियों तथा स्वास्थ्य निरीक्षकों आदि द्वारा खाने की गुणवत्ता की जांच शामिल है।

[अनुवाद]

निदेशकों की नियुक्ति हेतु मानदंड

7670. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष अर्थिक क्षेत्रों में कार्य करने वाली कम्पनियों के निदेशकों की नियुक्ति हेतु मानदंड जारी करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार विशेष अर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में कार्य करने वाली कम्पनियों के निदेशकों और मुख्य कार्यपालिकों की परिलब्धियों की सीमा को दुगुना करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) वाणिज्य विभाग, से प्राप्त संदर्भ पर कम्पनी कार्य विभाग कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-13 में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के बशर्ते विशेष अर्थिक क्षेत्रों में संचालित कम्पनियों के प्रबंधनीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक की सेवाओं के संशोधन पर विचार कर रहा है।

आंध्र प्रदेश में रसोई गैस बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि

7671. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों द्वारा आंध्र प्रदेश में रसोई गैस के ब्रिकी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इमदादी दर पर रसोई गैस के कनेक्शन दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शनों की बढ़ी हुई संख्या के अनुरूप बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर व्यवहार्यता अध्ययन करती हैं और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें व्यवहार्य स्थानों पर स्थापित की जाती है।

(ग) से (ङ) तेल विपणन कंपनियों ने 1.4.2002 तक आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई दीपम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 12.23 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 284 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना बनाई है जिसमें से 33 पहले ही चालू की जा चुकी हैं। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों ने यह भी सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शनों के निर्गम के लिए सीमितकर्ता कारक नहीं है।

चीन के वकीलों के दल की यात्रा

7672. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने और भारत और चीन के बीच वाणिज्यिक मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत भारत की विधिक प्रणाली और कानूनों का अध्ययन करने के लिए चीन के वकीलों के एक दल ने भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन के विधि-क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के एक शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा की है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान चीन से होने वाले आयातों के संबंध में दायर की गई पाटन-रोधी याचिकाओं के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या चीन के अनुसार भारत की विधिक प्रणाली कानूनी मुद्दों के शीघ्र निपटान में एक बड़ी बाधा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत ने चीन के वकीलों के दल का किस सीमा तक स्वागत किया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नामनिर्दिष्ट निदेशकों को छूट

7673. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं के नामनिर्दिष्ट निदेशकों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के अंतर्गत अनर्हता से छूट दे दी है;

(ख) क्या सभी क्षेत्रीय निदेशकों और कम्पनी रजिस्ट्रारों को आदेश भेज दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या नाम नामनिर्दिष्ट निदेशकों की शेयर-धारकों को कम्पनी से संभावित कुप्रबंधन से बचाव करने में कोई रुचि होगी;

(घ) क्या नामनिर्दिष्ट निदेशकों की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए समुचित दण्ड देने पर विचार किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो कम्पनियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) प्रादेशिक निदेशकों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों को स्पष्टीकरण भेजा गया है कि लोक वित्तीय संस्थानों तथा संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित कम्पनियों जिनकों कम्पनी अधिनियम, 1956 पर सर्वोपरि उपबन्ध है द्वारा नियुक्त नामनिर्दिष्ट निदेशकों तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अन्तर्गत लोक वित्तीय संस्थानों के नाम-निर्दिष्ट, निदेशकों, केन्द्रीय या राज्य सरकार तथा बैंकिंग कम्पनियों को एक निदेशक बनने के अयोग्य होने से छूट प्राप्त है बशर्ते वे अच्छे कारपोरेशन शासन के अनुपालन, निधि के दुरूपयोग, लेखापरीक्षा तथा पारिश्रमिक समिति में अपने को क्रियाशील बनाना तथा नियमित रूप से बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने जैसे उपाय करते।

नीलांचल इस्पात निगम का निर्माण

7674. श्री के.पी. सिंह देव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीलांचल इस्पात निगम, जिसका उड़ीसा में कलिंग नगर में निर्माण किया जा रहा है, की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस इस्पात संयंत्र के निर्माण पर पहले ही कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या इस्पात संयंत्र के लिए शेष निधियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) आई डी बी आई द्वारा किए गए मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार नीलांचल इस्पात निगम लि. (एन आई एन एल) की अनुमानित पूंजीगत लागत 1524 करोड़ रुपए है।

(ख) नीलांचल इस्पात निगम लि. (एन आई एन एल) के निर्माण पर मार्च, 2002 तक 890 करोड़ रुपए (लगभग) की धनराशि खर्च की गई है।

(ग) से (ङ) पूंजीगत लागत की पूर्ति 1.75 : 1 के अनुपात में 969 करोड़ रुपए के ऋण से और 555 करोड़ रुपए की साम्या से किए जाने की योजना है। बॉण्डों के जरिए जुटाए जाने वाले 100 करोड़ रुपए को छोड़कर ऋण के लिए वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से बातचीत कर ली गई है। साम्या की व्यवस्था भी कर ली गई है और इसमें 255 करोड़ रुपए की साम्या हेतु जनता को प्रारंभिक पेशकश की जाएगी और शेष साम्या की व्यवस्था एम एम टी सी, उड़ीसा सरकार, मेकॉन, आई डी बी आई तथा उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं से की जाएगी। कंपनी बाजार में जनता को की जाने वाली साम्या की प्रारंभिक पेशकश इस्पात उद्योग के संबंध में बाजार की स्थिति, जिसमें अब सुधार होने लगा है, को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर करेगी।

[हिन्दी]

फोटो पहचान-पत्र

7675. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के फोटो पहचान-पत्र निजी एजेंसियों द्वारा बनाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन एजेंसियों को किसी अन्य व्यक्ति के मतदाता पहचान-पत्र की दूसरी कापी जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो अन्य व्यक्ति को मतदाता पहचान-पत्र दिए जाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

"पैलेस ऑन व्हील्स" जैसी रेलगाड़ियां

7676. श्री शशि कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों और भारतीय रेल के बीच राज्यों में "पैलेस ऑन व्हील्स" परियोजना चलाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की राज्य-वार मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या रेल विभाग ने उक्त राज्य सरकारों को परियोजना संबंधी व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और रेल विभाग को भेज दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन राज्यों में "पैलेस ऑन व्हील्स" परियोजना कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र सेक्टर में पैलेस ऑन व्हील जैसी गाड़ी चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) रेलवे रेकों का असज्जित ढांचा और गाड़ी परिचालन के लिए सभी आवश्यक सुविधायें मुहैया कराएगी। रैकों को सुसज्जित करने, वातानुकूलन और अन्य डिब्बे उपस्करों की फिटिंग की संपूर्ण लागत महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा वहन की जाएगी जो आतिथ्य सत्कार सेवाओं और सैर-सपाटा के लिए भी जिम्मेदार होगा;

(ग) से (ङ) जी नहीं, बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार ने एक विख्यात सलाहकार फर्म द्वारा व्यावहारिकता अध्ययन कराया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना व्यावहारिक पायी गयी है।

(च) महाराष्ट्र सेक्टर में पर्यटन गाड़ी को चालू वित्त वर्ष में चलाया जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

7677. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न देशों से गत दो वर्षों के दौरान आयात किए गए लुब्रिकेटिंग आयल, फर्नेस आयल और पिट आयल का देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पेट्रोल पंपों का आवंटन

7678. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल पंपों का आंवटन उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीलर चयन बोर्ड (डीएसबी) औरंगाबाद के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार को महाराष्ट्र राज्य में डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) के आवंटन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किए गए किन्हीं विशिष्ट दिशानिर्देशों की जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ) डीलर चयन बोर्ड के द्वारा किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के विरुद्ध औरंगाबाद उच्च न्यायालय में ऐसे 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जहां डीलर चयन बोर्ड को एक प्रतिवादी बनाया गया है। इन मामलों में से एक मामला साक्षात्कार के लिए न बुलाए जाने वाले उम्मीदवार के बारे में है। ऐसे मामलों में कार्यवाही न्यायालयगत मामलों के परिणाम पर निर्भर करते हुए की जाती है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और उनकी बिक्री

7679. श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री समीक लाहिड़ी :
डा. राम चन्द्र डोम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए (घरेलू और आयातित अलग-अलग) और बेचे गए पेट्रोलियम उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा किए गए कारोबार और अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गत वर्ष के दौरान इन उत्पादों की खपत में किसी तरह की कोई कमी की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और बिक्री का ब्यौरा निम्नुसार है :

(आकड़े मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	स्वदेशी	आयातित	बेचे गए
1998-99	68.409	23.771	90.562
1999-2000	82.936	16.608	97.086
2000-01	99.578	9.267	100.075
योग	250.923	49.646	287.723

इन आकड़ों में रिफाइनरियों और प्रभाजकों से उत्पादन और उद्योग निर्धारण के आधार पर निजी कंपनियों द्वारा आयात के आकड़े सम्मिलित हैं।

(ख) इसी अवधि के दौरान कारबार, सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और आईबीपी कंपनी के लाभ का ब्यौरा निम्नुसार है :

वर्ष	कारबार	लाभ
1998-99	126744.31	3851.74
1999-2000	171061.62	4245.98
2000-01	215748.22	4682.35
योग	513554.15	12780.07

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02 में पेट्रोलियम उत्पादों की समग्र बिक्री खपत में वर्ष 2000-01 की खपत की तुलना में मामूली कमी आयी है।

निर्दिष्ट विशेष अदालत

7680. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को निर्दिष्ट विशेष अदालतों के गठन के लिए विधि मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो निर्दिष्ट विशेष अदालतों में सुनवाई के लिए मानदंड और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु की तत्कालीन पूर्व मुख्य मंत्री के मामले में सुनवाई करने और उन पर अभियोग चलाने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति ली थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्कालीन पूर्व मुख्य मंत्री से संबंधित विभिन्न मामलों में सुनवाई की पूरी प्रक्रिया और अभियोजन पर कितना खर्च आया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) विशेष न्यायालयों की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अधीन की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 11(1) के परंतुक के अनुसार, राज्य सरकार "उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय, किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है।"

(ग) और (घ) यह विषय तमिलनाडु की राज्य सरकार से संबंधित है।

बीपीसीएल द्वारा मिलावटी पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति

7681. श्री एस.पी. सिंह बघेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मिलावटी पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) केरल राज्य के अंतर्गत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर डीजल की मिलावट के विषय में एक शिकायत मार्च, 2002 में प्राप्त हुई थी। तथापि, जांच पड़ताल किए जाने पर यह पाया गया था कि यह मिलावट का मामला नहीं था, अपितु यह कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों पर डीजल के भूमिगत टैंकों में जल की विद्यमानता का मामला था। इसका तत्काल पता लगा लिया गया था तथा जल को अलग करके बाहर निकाल दिया गया था। यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई संदूषित उत्पाद (जल सहित) ग्राहक को सुपुर्द न किया जाए।

चूंकि डीजल जल में विलेय नहीं है तथा यह इसके लक्षणों को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए डीजल के साथ इसका अनजाने में हुआ मिश्रण मिलावट के रूप में नहीं माना जा सकता है। जल की विद्यमानता का सहज रूप से पता लगाया जा सकता है और इसे अलग किया जा सकता है।

[हिन्दी]

निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ा जाना

7682. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इन बात की जानकारी है कि हाल ही में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने विधान सभा और संसद का चुनाव लड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उम्मीदवारों की सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक प्रबंधों पर अनावश्यक व्यय को रोकने और मतदाताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) और (ग) निर्वाचनों में निर्दलीय और अन्य अभ्यर्थियों की सुरक्षा का प्रबंध, विधि और व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। तथापि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्दलीय अभ्यर्थियों को वैयक्तिक सुरक्षा प्रदान के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्पेनी दम्पति को आघात पहुंचाना

7683. डा. सी. कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 29 मार्च, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''बैटर्ड एंड फ्लीश्ड एट रेलवे स्टेशन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस घटना के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी पाये गये रेलवे पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गयी; और

(ङ) देश में बड़े रेल जंक्शनों में चिकित्सा सुविधा में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी हां। 22.3.2002 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 6/7 के निजामुद्दीन छोर पर स्पेन का एक दम्पति देखा गया था। ऐसा लग रहा था कि महिला किसी चोट से पीड़ित थी। चूंकि पहिया कुर्सी केवल प्लेटफार्म सं. 1 और 12 में स्थित सहायता बूथ पर ही उपलब्ध थी, उसे तुरन्त उपलब्ध नहीं कराया जा सका। बहरहाल एक लाइसेंसधारी कुली पहिया कुर्सी के साथ पहुंचा और उस महिला को उसके साथी के साथ वहां से ले गया। तत्पश्चात्, दिल्ली पुलिस ने उस दम्पत्ति का पता लगाया और डीआरपी/दिल्ली में 30.30.2002 को भारतीय दंड संहिता की धारा 356 और 379 के तहत अपराध सं. 182 के अंतर्गत मामला दर्ज किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लाईसेंसधारी कुली की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उन पुलिस कर्मियों की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है जो इस दम्पत्ति के प्रति उदासीन रहे हैं। अत: उनके विरुद्ध कोई दंडनीय कार्रवाई करना कठिन है।

(ङ) सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रथम चिकित्सा बक्से और प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त चुनिंदा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अधिक दवाइयों और उपकरणों सहित व्यापक प्रथम चिकित्सा बक्से उपलब्ध कराए गए हैं। जनता के संपर्क में आने वाले रेल कर्मियों को प्रथम चिकित्सा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों को प्रथम चिकित्सा उपलब्ध करा सकें। उपरोक्त व्यवस्थाओं के अलावा, रेलवे स्टेशन के समीपर्ती स्थानों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की सूची स्टेशन प्रबंधक/उप स्टेशन प्रबंधक के पास उपलब्ध होती है। इस सूची में अस्पताल, नर्सिंग होम का नाम, डॉक्टर का नाम और टेलीफोन नं. स्टेशन से इन सुविधाओं की दूरी वहां उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा आदि शामिल होता है।

कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

7684. श्री भान सिंह भौरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केन्द्रों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कदम उठाने के लिए मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) ऐसे काउन्टरों को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) भटिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन में आरक्षण काऊंटर पहले ही कम्प्यूटरीकृत हो गया है और यह पिछले कुछ वर्षों से कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

7685. श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय में सेवाकाल के दौरान मरने वाले अधिकारियों के वर्ष-वार और कार्यालय-वार नाम और पदनाम क्या हैं;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके योग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उचित रोजगार प्रदान किया जा चुका है;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके आश्रितों को अब तक अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान नहीं किया गया है; और

(घ) मृत अधिकारियों के ऐसे योग्य आश्रितों को कब तक अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी दौरे

7686. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री बलिराम :
श्री जी.जे. जावीया :
श्रीमती कैलाशो देवी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उन्होंने और उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कौन-कौन से देशों का दौरा किया;

(ख) उनके दौरों के दौरान हस्ताक्षर किये गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विदेशी दौरों पर कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) इन दौरों से देश को हुए लाभों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) गत दो वर्षों के दौरान, रक्षा मंत्री ने जापान, यू.के. रूसी संघ, सिअरालिओन, मारीशस, दक्षिणी अफ्रीका, मालदीव, अमरीका तथा ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा किया है। रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री ने मलेशिया, रोमानिया तथा बुल्गारिया का सरकारी दौरा किया है।

(ख) इन यात्राओं के दौरान जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए उनके ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) रक्षा मंत्रालय द्वारा इन यात्राओं पर 13.84 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी।

(घ) इन यात्राओं से रक्षा के क्षेत्र में भारत और दौरे वाले देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद मिली है तथा एक-दूसरे की सुरक्षा तथा संबंधी धारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी सहायता मिली है।

सभी न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण तथा नेटवर्क-संयोजन

7687. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सभी न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण तथा नेटवर्क-संयोजन करने की योजना में हैदराबाद को शामिल करने और अन्य चार महानगरों के समान आवश्यक धनराशि आंवटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम तिथि कब तक तय किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय, केवल चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, चेन्नई कोलकाता और मुम्बई की बाबत एक अग्रणी स्कीम के रूप में नगर न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग का प्रस्ताव है। दिल्ली में यह स्कीम वर्ष 2002-03 में पूरी हो जाने की आशा है। अन्य तीन महानगरों में परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

स्रोत की कमी के कारण, केन्द्रीय सरकार के लिए कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की स्कीम को अन्य नगरों में अधीनस्थ न्यायपालिका में विस्तारित करना संभव नहीं हो सका है। तथापि, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, उनको किए गए संपूर्ण आबंटन के भीतर कंप्यूटरीकरण के लिए अपेक्षित राशि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा जब यह स्कीम अन्य नगरों में विस्तारित की जाएगी।

[हिन्दी]

डीलर चयन बोर्डों के अध्यक्षों को हटाया जाना

7688. श्री सुकदेव पासवान :
श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डीलर चयन बोर्डों के अध्यक्षों को उनका निर्धारित सेवाकाल पूर्ण होने के पूर्व ही हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 12.6.200 अर्थात् नए डीलर चयन बोर्डों (डीएसबीज) के गठन की तारीख के बाद और 9.5.2002 तक, जब से देश में सभी डीलर चयन बोर्डों को भंग किया गया और अध्यक्षों को कार्यमुक्त कर दिया गया, डीलर चयन बोर्डों के 16 अध्यक्षों की सेवाएं दो वर्षों की उनकी कार्यावधि की समाप्ति से पहले समाप्त कर दी गई क्योंकि उनकी सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी।

[अनुवाद]

कर्नाटक के हुबली नगर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

7689. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के विशेषकर हुबली-धारवाड़ क्षेत्र में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने के विषय में केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां। कर्नाटक सरकार ने हुबली-धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना किए जाने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह सूचित किया है कि उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से बाहर किसी भी स्थान पर उसकी न्यायपीठ की स्थापना करना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक है। किसी उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से बाहर उसकी किसी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए सामान्यता संबंधित राज्य सरकार से, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है।

गुजरात से प्राप्त प्रस्ताव

7690. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार और 'गुजरात मैरीटाइम बोर्ड' ने पत्तनों को रेलपथ से जोड़ने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार और 'गुजरात मैरीटाइम बोर्ड' द्वारा इस हेतु मंजूरी के लिए कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पत्तनों को रेलपथ से जोड़ने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (घ) गुजरात राज्य में बंदरगाहों से बेहतर संपर्क व्यवस्था बनाने सहित रेल अवसंरचना के विकास के संबंध में गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से प्राप्त समझौता ज्ञापन में नौ परियोजनाओं की सूची शामिल है। इनमें से तीन परियोजनाएं पहले से स्वीकृत हैं। अन्य छः परियोजनाओं के संबंध में परियोजनाओं के निष्पादन संबंधी कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व गुजरात सरकार ने राइट्स द्वारा इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया है।

कांडला के प्रमुख बंदरगाह पहले ही रेल द्वारा जुड़े हुए हैं। मुद्रा पोर्ट से बड़ी लाइन रेल संपर्क अब स्थापित कर दिया गया

है। विशेष-प्रयोजन-वाहन (एस पी वी) की व्यवस्था के जरिए पिपावाव पोर्ट से रेल संपर्क का विकास किया जा रहा है।

सिलिण्डरों के संबंध में तेल कंपनियों को मार्ग निर्देश

7691. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल कंपनियों को इस आशय के मार्ग निर्देश जारी किये हैं कि रसोई गैस वितरकों से सिलिण्डर वापस लेते समय खाली सिलिण्डरों के क्रमांकों की सूची तैयार की जाये।

(ख) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियां डीलरों के गोदामों में रसोई गैस के भरे सिलिण्डर भेजते समय उनकी ऐसी सूची भी उपलब्ध करती है;

(ग) यदि हां, तो वितरकों से अन्य विपणनकारी कंपनियों (ओएमसी) के सिलिण्डर लेने के संबंध में तेल कंपनियों की नीति क्या है; और

(घ) तेल कंपनी द्वारा अपने वितरकों को अन्य विपणनकारी कंपनियों के सिलिण्डरों (ओएमसी सिलिण्डर्स) की आपूर्ति कर देने अथवा इसकी विलोम स्थिति में क्या दण्ड भरना होता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) फिलहाल किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भरे हुए सिलेंडर भेजते समय उन पर क्रम संख्या डालने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों में न तो कोई परंपरा है और न ही उन्हें कोई दिशानिर्देश दिए गए हैं। तथापि, जिन इलाकों में नकली सिलेंडरों की घटना बहुत अधिक है परिवहनकर्ताओं के माध्यम से सिलेंडर वापस करते समय डिस्ट्रीब्यूटरों द्वार खाली एलपीजी सिलेंडरों की क्रम संख्या दर्ज करने की पद्धति की परंपरा रही है। सभी भरण संयंत्रों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि किसी विशेष कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को किसी अन्य तेल कंपनी के सिलेंडर न भेजे/सुपुर्द किए जाएं। यदि किसी कंपनी विशेष के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दूसरी तेल कंपनी के सिलेंडर वापस किए जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर पर 900 रुपये प्रति सिलेंडर का जुर्माना लगाया जाता है।

लघु उद्योग क्षेत्र को बकाया धनराशि का भुगतान न किया जाना

7692. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की बड़ी कंपनियों को अपने तुलन-पत्रों में लघु उद्योगों की बकाया धनराशि का उत्सर्जन करने के लिए कहा गया है;

(ख) क्या लघु उद्योगों की बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने से राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र की अन्य इकाइयां बन्द हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई केन्द्रीय विधान अधिनियमित किए जाने की प्रस्ताव है ताकि बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा बकाया धनराशि के भुगतान न किये जाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता की कमी के कारण लघु उद्योगों को बन्द होने से रोका जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत सभी कम्पनियों को अपने तुलन-पत्र में उन लघु उद्योग उपक्रमों के नाम प्रकट करने की आवश्यकता है जिनका कम्पनी को एक लाख रुपये से अधिक देय है और जो अधिसूचना सं. जीएसआर 129 (ई) दिनांक 22.2.1999 के अनुसार 30 दिन से अधिक बकाया है।

रिंग रेलवे पर टिकटों की बुकिंग

7693. **श्री आर.एस. पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने दिल्ली में रिंग रेलवे पर टिकटों की बुकिंग का कार्य निजी क्षेत्र के विभिन्न ठेकेदारों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे यत्रियों को मांगने पर टिकट नहीं देते हैं;

(घ) क्या सेवा नगर रेलवे स्टेशन पर उनके पास सभी टिकट नहीं होते हैं और उनके द्वारा आरपीटी तैयार नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी हां।

(ख) टिकटों को बेचने के लिए सेवा नगर, लोधी कालोनी, सरोजनी नगर, नारायणा विहार, चाणक्यपुरी, इन्द्रपुरी, एस.पी. मार्ग

और कीर्ति नगर रेलवे स्टेशनों पर हाल्ट ठेकेदारों की नियुक्ति की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) जनता की मांग के अनुसार, डिपो स्टेशन द्वारा प्रत्येक हाल्ट स्टेशन के लिए टिकटों की मांग की जाती है। सेवा नगर हाल्ट स्टेशन पर हाल्ट ठेकेदार के पास विभिन्न स्टेशनों के लिए मुद्रित कार्ड टिकटें उपलब्ध हैं। सांपला रेलवे स्टेशन की कार्ड टिकट की आपूर्ति करने के लिए सेवा नगर हाल्ट ठेकेदार से मांग पत्र रेलवे प्रशासन के पास लंबित है जिसके लिए आपूर्ति की जा रही है। बहरहाल, जनता को असुविधा न हो सेवा मगर हाल्ट पर सरोजनी नगर हाल्ट से सांपला तक की टिकटें उपलब्ध हैं चूंकि किराया समान है।

नीति के रूप में हाल्ट ठेकेदारों को ब्लैंक पेपर टिकटों (बी.पी.टी.) की आपूर्ति नहीं की जाती है।

140 टी क्रेनों की खरीद

7694. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा जर्मनी की मेसर्स गॉटवाल्ड से कितनी 140 टी. क्रेनों की खरीद की गई है;

(ख) इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) रेलवे में 140 टी क्रेनों की क्या उपयोगिता है;

(घ) प्रौद्योगिकी हासिल करने के बाद कितनी क्रेनों का स्वदेशीय उत्पादन किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने हेतु अत्याधुनिक क्रेनों के स्वदेशी विनिर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) भारतीय रेलों ने मैसर्स मेन्नसमन गौटवाल्ट, जर्मनी को 1984 में दिए गए क्रयादेश के अन्तर्गत 12 क्रेनें और 1997 में दिए गए क्रयादेश के अन्तर्गत 8 अदद क्रेनें खरीदी हैं।

(ख) 1984 में क्रयादेशित 12 अदद क्रेनों की पोत पर्यन्त नि:शुल्क लागत (6 पूर्णतया तैयार, 3 अदद आंशिक रूप से तैयार और 3 सेट आंशिक किट के रूप में) 29,182,400 ड्यूश मार्क (11.42 करोड़ रुपए) थी। इन क्रेनों की पहुंच लागत 27.88 करोड़ रु. आई थी।

1997 के क्रयादेश के अन्तर्गत खरीदी गई 8 अदद क्रेनों की पोत पर्यन्त नि:शुल्क लागत 24,905,184.20 ड्यूश मार्क (लगभग 59 करोड़ रु.) थी। इन क्रेनों की पहुंच लागत लगभग 94 करोड़ रु. है।

(ग) ये क्रेनें दुर्घटना राहत गाड़ी का हिस्सी हैं और इनका बहाली व बचाव अभियान के दौरान दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त सवारी डिब्बों, मालडिब्बों और रेल इंजनों को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है।

(घ) अभी तक रेल कारखानों में 4 क्रेनों का पहले ही विनिर्माण किया जा चुका है और 2002-2003 के दौरान 6 और क्रेनें विनिर्माण के अग्रिम चरण में हैं।

(ङ) मैसर्स गौटवाल्ट, जर्मनी और मैसर्स कोवन्स शेल्डन, यू.के. से प्राप्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए रेल कारखानों में चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत अत्याधुनिक क्रेनों का विनिर्माण किया जा रहा है।

पारेषण संबंधी घाटे को कम करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

7695. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में विद्युत वितरण संबंधी घाटे को कम करने हेतु इस समय सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस घाटे से उबारने हेतु सिफारिश करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों का एक दल बनाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस दल ने अपनी सिफारिशें पहले ही सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उक्त प्रौद्योगिकी को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने अन्य बातों के साथ विद्युत क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता सुधारने में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी और विद्युत क्षेत्र के बीच सहक्रिया विकसित करने हेतु सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए श्री नन्दन नीलकानी, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर, इन्फोसिस की अध्यक्षता में एक कृतक बल का गठन किया है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत किये जाने की प्रत्याशा है।

बीपीसीएल द्वारा कच्चे तेल की खरीद

7696. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने आगामी वर्ष हेतु लगभग 8 मिलियन टन कच्चे तेल की खरीद हेतु करार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में खाड़ी देशों की तीन कंपनियों नामत: सऊदी अरब को यमन आयल एंड गैस तथा कुवैत पेट्रोलियम के साथ कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने 2002-2003 के दौरान 4.00 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल के आयात के लिए सउदी अरामको और कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ सावधि संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। बीपीसीएल कच्चे तेल के आयात के लिए यमन, मलेशिया और आबू धाबी की राष्ट्रीय तेल की कंपनियों के साथ भी चर्चारत है।

(ग) इस करार की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) संविदागत मात्रा की खरीददार को आपूर्ति मासिक लदाई आधार पर वर्ष भर में की जाएगी।

(2) क्रूड का उठान खरीददार के पोत द्वारा 450-650 केबी के पार्सल आकारों में एफओबी आधार पर किया जाएगा।

(3) क्रूड के लिए भुगतान सरकारी विक्रय मूल्य (ओएसपी) आधार पर किया जाएगा जिसकी घोषणा विक्रेता द्वारा हर महीने की जाएगी।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा जनशक्ति का उपयोग

7697. श्री रघुनाथ झा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मानदंडों के विरुद्ध और उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद अत्यधिक संख्या में गैर-वैज्ञानिक, गैर-तकनीकी जनशक्ति को रखता आया है, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2001 की रिपोर्ट (वैज्ञानिक विभाग) के पृष्ठ 75 के पैराग्राफों में दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मानदंडों के विपरीत अत्यधिक संख्या मे गैर-वैज्ञानिक एवं गैर-तकनीकी जनशक्ति रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की तुलना में गैर-वैज्ञानिक एवं गैर-तकनीकी जनशक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में तेल शोधक कारखाना

7698. श्री वाई.वी. राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल शोधक कारखाना लगाने की संभावनाओं का अन्वेषण कर रही है जहां बड़ी मात्रा में तेल भंडार पाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब

7699. प्रो. दुखा भगत : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निविदा देने, क्रयादेश एवं उपकरणों की आपूर्ति में होने वाले विलंब के कारण कुछ विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गयी है; और

(ग) इस विलंब से प्रभावित होने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जी, हां। मुख्य संयंत्र और उपस्कर के आदेश देने में विलम्ब होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की स्वीकृति प्राप्त निम्नलिखित 6 ताप विद्युत परियोजनाएं कार्यक्रमानुसार पूरी नहीं की जा सकी हैं:

1. जीएचटीपीपी चरण-2 (2 × 250 मेगावाट), पीएसईबी
2. पारली टीपीएस विस्तार चरण-1 (1 × 250 मेगावाट), एमएसईबी
3. रंगत बे में (2 × 2.5 मेगावाट डीजी विद्युत केन्द्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
4. तेनुघाट चरण-2 (3 × 210 मेगावाट), टीवीएनएल
5. मुजफ्फरपुर टीपीपी (2 × 250 मेगावाट), बीएसईएस
6. लकवा वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट (38 मेगावाट), एएसईबी

विद्युत मंत्रालय मुख्य उपस्कर का आदेश देने में तेजी लाने के लिए संबंधित परियोजना प्राधिकारियों के साथ निरंतर कार्रवाई कर रहा है। तथापि वित्तीय संसाधन सुनिश्चित न किए जाने के कारण परियोजना प्राधिकारी इसमें कठिनाई का सामना कर रहे हैं। डाभोल चरण-1 से विद्युत की उपलब्धता और एमएसईबी तथा डाभोल पावर कंपनी के बीच बढ़ते विवाद के कारण एमएसईबी की पारली टीपीएस सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है। तथापि बी.एस.ई.बी. की मुजफ्फरपुर टीपीपी (2 × 250 मेगावाट) को छोड़कर सभी विद्युत परियोजनाओ को 10वीं योजनावधि में लाभ प्राप्त करने के लिए विचारित की गयी परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है।

उच्चतर वेतनमानों में पदोन्नति न किए जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों द्वारा दायर मामले

7700. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों ने भारत संघ के विरुद्ध एवं विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध उच्चतर वेतनमानों में पदोन्नति करने पर मामले दायर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दायर किए गए मामलों का विभाग-वार, न्यायालय-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों का सौहार्दपूर्वक समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) केन्द्र द्वारा जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) अप्रोन्नति के मामलों के, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के मामले भी हैं, शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के मामलों सहित कुछ केन्द्रीय सरकार के विभागों में विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप में तय करने के लिए लोक अदालतें स्थापित की गई हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने (1999-2000) (13वीं लोक सभा) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के प्रति विशेष निर्देश से न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (न्याय विभाग) के संबंध में अपनी दूसरी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सांविधानिक अधिकारों की संरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने चाहिएं। तदनुसार, विधि कार्य विभाग ने भारसाधक, केन्द्रीय अधिकरण अनुभाग; भारसाधक, शाखा सचिवालय, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर तथा भारसाधक, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग के यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

सांविधानिक अधिकारों की संरक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी रूप से लड़ा जाए और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, ऐसे मामलों में ज्येष्ठ विधि अधिकारियों को नियोजित किया जाए।

पूरक सूचना

7701. श्री अरुण कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5809 के संबंध में उनके मंत्रालय से पूरक सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सदस्यों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी हां। ऐसे दो अनुरोध अर्थात् एक माननीय संसद सदस्य श्री अरुण कुमार से और दूसरा माननीय संसद सदस्य श्री निखिल कुमार चौधरी से प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना काफी बड़ी थी और इसके लिए विभिन्न निदेशालयों से परामर्श करने की आवश्यकता थी। यह सूचना जितनी जल्दी संभव हो सके, उपलब्ध करा दी जाएगी।

उच्च श्रेणी का इस्पात

7702. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की कुछ इस्पात कंपनियों ने रसोई गैस सिलेन्डरों, पाइपलाइनों, पेट्रोलियम टैकों, ऑटोमोबाइलों और रेलवे सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए उच्च श्रेणी इस्पात के विनिर्माण के लिए संघ बनाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संघ में कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हुई हैं;

(ग) क्या कंपनियों के इस संघ द्वारा सरकार को इन उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को रसोई गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति कौन-कौन सी कंपनियां कर रही हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) सरकार को एल पी जी सिलेन्डरों, पाइपलाइनों, पेट्रोलियम-टैकों, ऑटोमोबाइलों और रेल के डिब्बों के निर्माण हेतु उच्च श्रेणी के इस्पात का उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा संघ बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एनटीपीसी द्वारा अनुरक्षण और मरम्मत कार्य

7703. डा. बलिराम : क्या **विद्युत मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998 से 2002 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विभिन्न परियोजनाओं में प्रयुक्त बॉयलर, टरबाइन, पम्प और अन्य प्रकार के विभिन्न उपकरणों का अनुरक्षण और मरम्मत कार्य इन उपकरणों के वास्तविक आपूर्तिकर्ता की बजाय स्थानीय उत्पादक कम्पनियों से कराया जाता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसमें की गयी अनियमितताओं की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सभी एनटीपीसी परियोजनाओं में अनुरक्षण एवं मरम्मत, बॉयलर, टरबाईन, पम्प कंडेसर आदि की मरम्मत आमतौर से या तो वास्तविक उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) के जरिए सीधे या इसके पर्यवेक्षण में किए जाते हैं। स्वयं की विशेषज्ञता विकसित

करने एवं ओईएम पर से निर्भरता कम करने हेतु क्रमिक रूप से प्रयास जारी हैं।

1998-2002, अर्थात् गत चार वर्षों के दौरान एनटीपीसी की विभिन्न परियोजनाओं में पूरे संयंत्र के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय की गयी राशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विवरण

संयंत्र एवं मशीनरी पर मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय का विवरण

(आंकड़े लाख रुपये में)

क्र.सं.	स्टेशन	क्षमता (मेगावाट)	4 वर्षों में किया गया कुल व्यय (1998-2002) (रुपये/लाइन)
1	2	3	4
1.	सिंगरौली	2000	21151
2.	कोरबा	2100	20001
3.	रामागुण्डम	2100	21260
4.	फरक्का	1600	25662
5.	विन्ध्याचल	1600	19363
6.	रिहन्द	1000	12889
7.	ऊंचाहार	840	9419
8.	दादरी थर्मल	840	12309
9.	कहलगांव	840	9306
10.	तालचेर	1000	8122
11.	तालचेर (अधिग्रहित की गयी)	460	9361
12.	टांडा	440	4788
13.	अंता गैस	413	1919
14.	औरैया गैस	652	4412
15.	दादरी गैस	817	4463
16.	कवास गैस	645	3819
17.	गांधार गैस	648	4858
18.	कायमकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना	350	1390
19.	फरीदाबाद गैस	430	564

[अनुवाद]

सेवाकाल के दौरान मृत अधिकारी

7704. श्री अमर राय प्रधान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान उनके मंत्रालय/विभागों में सेवा के दौरान मृत अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुकंपा आधार पर किन-किन पात्र आश्रितों को उपयुक्त नौकरी प्रदान की गई है;

(ग) अनुकंपा आधार पर किन-किन पात्र आश्रितों को अभी तक नौकरी प्रदान नहीं की गई है; और

(घ) मृत अधिकारियों के ऐसे पात्र आश्रितों को अनुकंपा आधार पर कब तक नौकरियां प्रदान किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उन कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है, जिनकी 1999, 2000 और 2001 के दौरान सेवाकाल में मृत्यु हो गई :

क्र.सं.	नाम और पदनाम	मृत्यु की तारीख
1.	श्री डी.सी. मान, निजी सचिव	24.4.99
2.	श्री आर.के. राणा, उ.श्रे.लि.	3.11.99
3.	श्री सौकार सिंह, चपरासी	8.1.2000

(ख) श्रीमती माकानी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री सौकार सिंह को अनुकम्पा आधार पर चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) निर्देशों के अनुसार किसी वर्ष में वर्ग 'ग' या 'घ' पदों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के तहत आने वाली अधिकतम 5 प्रतिशत रिक्तियों तक की जा सकती है।

अनुकंपा आधारों पर ऐसी नियुक्तियां करते समय उपयुक्त निदेशों को ध्यान में रखा जाता है।

सी.बी.एफ.सी. में सदस्यों के चयन संबंधी मानदंड

7705. श्री ए. नरेन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी.बी.एफ.सी. के सलाहकार सदस्य सूची में नियुक्ति हेतु व्यक्तियों के नामों का चयन/विचार करने के संबंध में कतिपय मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार फिल्मों के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन संबंधित व्यक्तियों के नाम पर सी.बी.एफ.सी. के सलाहकार पैनल पर चयन हेतु विचार नहीं किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो हैदराबाद से सी.बी.एफ.सी. के सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में फिल्म निर्माता, कलाकार, निर्माता, फिल्म वित्तपोषक श्री पी. शिव कृष्ण का चयन किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या श्री पी. शिव कृष्ण का उक्त सदस्यता के लिए चयन करते समय दिशानिर्देशों की अनदेखी की गई और घोर अनियमितताएं बरती गई;

(ङ) यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के क्या कारण हैं; और

(च) सी.बी.एफ.सी. के सलाहकार पैनल से उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) चलचित्रिकी अधिनियम, 1952 में निहित प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार की राय में औसत दर्शक पर फिल्मों के प्रभाव का निर्णय लेने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के सलाहकार पैनलों के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

लॉयड्स रजिस्टर आफ शिपिंग, लंदन

7706. श्री विनय कुमार सोराके : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लायड्स रजिस्टर आफ शिपिंग, लंदन ने अपने अपतटीय प्लेटफार्म में असुरक्षित कार्यों, खराब रखरखाव और उपेक्षापूर्ण इंजीनियरिंग के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या लायड्स जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि गैस डिटेक्शन, फायर वाटर पंप आदि जैसी कई महत्वपूर्ण प्रणालियां कार्य नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशक ने भी बोम्बे हाई पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पुनर्विकास योजनाओं और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने नीलम आयल/गैस फील्ड की संभावनाओं के पूर्ण उपयोग न होने पर प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कमियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सूचना एकत्रित/विश्लेषित की जी रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन

7707. श्री मोहन रावले : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और शीघ्र ही राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा।

अधिमानी और निजी आवंटन

7708. श्री किरीट सोमैया : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शेयरों के अधिमानी तथा निजी आवंटन के संबंध में किसी परिवर्तन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय पर डी सी ए, सेबी और वित्त मंत्रालय में कोई समन्वय है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मार्ग का असामाजिक प्रवर्तकों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो दिलीप छाबरिया डिजाइन (डीसीडी) द्वारा एच एफ सी एल के 10 लाख शेयरों के निजी तौर पर जारी करना/अधिमानी आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दोनों कम्पनियों ने इस मार्ग का दुरूपयोग किया है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या डी सी ए और सेबी ने इस संबंध में दुरूपयोग के संबंध में एक-दूसरे को लिखा है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां

7709. श्री अमर राय प्रधान : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत सेवाकाल में मरने वाले अधिकारियों के वर्ष-वार और कार्याकाल-वार नाम और पदनाम क्या हैं;

(ख) किन व्यक्तियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां प्रदान कर दी गई हैं;

(ग) उनके नाम क्या हैं जिन्हें अभी तक अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां नहीं दी गई हैं; और

(घ) मृत अधिकारियों के ऐसे सभी पात्र आश्रितों को कब तक अनुकम्पा के आधार पर नौकारियां प्रदान किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) इस्पात मंत्रालय तथा विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात (डी सी आई एंड एस), कोलकाता (इस्पात मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय) के संगठन में गत तीन वर्षों के दौरान सेवाकाल में मरने वाले अधिकारियों के नाम वर्ष-वार और कार्यालय-वार, नीचे दिए गए हैं :

कार्यालय का नाम	1999-2000	2000-01	2001-2002
इस्पात मंत्रालय	श्री एच एस चावला अनुभाग अधिकारी	श्रीमती सरबती, सफाई कर्मचारी श्री एम एल मदान, अनुभाग अधिकारी श्री साधु राम दफ्तरी	श्री के.के. सीकरी, सहायक
डी सी आई एंड एस, कोलकाता	-		श्री पी सी दास, दफ्तरी

(ख) से (घ) स्वर्गीय श्री चावला के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दे दी गई है। स्वर्गीय श्रीमती सरबती के मामले में अनुकम्पा आधार पर उनके ज्येष्ठ पुत्र के अनुरोध पर, इस्पात मंत्रालय की अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति से संबंधित समिति ने विचार-विमर्श किया था तथा उस पर गुणावगुण के आधार पर सहमति नहीं हो सकी। सर्वश्री एम.एल. मदान,

साधु राम, के के सीकरी तथा पी सी दास के परिवार से नौकरी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

आईआईपी द्वारा दोषपूर्ण माइक्रो रिएक्टर प्रणाली की खरीद

7710. श्री रामजी मांझी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) देहरादून ने सितंबर, 1997 में 191.59 लाख रुपए की लागत से निर्धारित कैटलिस्ट बैड के साथ बिना परीक्षण किए साफ्टवेयर माइक्रो प्रणाली के साथ दोषपूर्ण उपकरण खरीदे थे और आईआईपी इस उपकरण को वारंटी अवधि के दौरान संचालित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 95.20 लाख रुपए की संपूर्ण रीशि निरर्थक हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच कराई गई है और राजकोष को वित्तीय क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध और कार्यवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लाईसेंस शुल्क की वसूली न होना

7711. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन अमृतसर में दुकान मालिकों के साथ समझौतों का नवीकरण करने में असफल रहा है जिससे 2000-01 के दौरान अनधिकृत कब्जा हुआ है और 1.75 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं हुई है;

(ख) क्या भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने 2000-01 की अपनी रिपोर्ट में इस कमी पर प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या टिप्पणी है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी नहीं। वर्ष 1981 में दुकानदारों को भूमि लाइसेंस पर दी गई थी किंतु समझौता के अनुसार अस्थाई ढांचे के स्थान पर दुकानदारों ने पक्का ढांचा खड़ा करके समझौते का उल्लंघन किया था। नवम्बर, 1981 में समझौते के उल्लंघन के कारण लाइसेंसस रद्द कर दिये गये थे।

(ख) और (ग) जी हां। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की थी :

(1) अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के बजाय रेलवे ने अपने आपको अनावश्यक वसूली मुकदमें में फंसा लिया।

(2) क्षेत्रीय मुख्यालय अथवा मंडल कार्यालय में इस मामले से संबंधित समुचित और पूरा रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(3) रेलवे प्रशासन वर्ष 1982 से 1997 तक लगभग 16 वर्षों के लिए लाइसेंस के नवीकरण की कोई भी कार्यवाही करने में एवं लाइसेंस फीस की उगाही और पार्टियों से भूखंड को खाली कराने में असफल रहा जिससे जनवरी, 1982 से मार्च, 2001 तक की अवधि के लिए इन भूखंडों की लाइसेंस फीस की उगाही नहीं होने के कारण 1.75 करोड़ रुपए की हानि हुई।

सरकार की पैरा वार टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :

1. रेलवे की आमदनी में इजाफा करने के लिए 1981 में स्थानों को बाहरी पार्टियों को लाइसेंस के आधार पर दिया गया था। चूंकि समझौता के अनुसार अस्थाई ढांचे के स्थान पर पक्का ढांचा बनाना आरंभ कर दिया था, इसलिए आरंभ में निर्माण रोकने का प्रयत्न किया गया था। तत्पश्चात, नवम्बर 1981 में लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, निजी पार्टियां न्यायालय में पहुंच गई और न्यायालय ने आदेश दिया कि वादी-प्रतिवादियों से जमीन जबर्दस्ती खाली नहीं करवाएं। बहरहाल, इससे कानूनी प्रक्रिया द्वारा उन्हें यथासमय बेदखल करने का उसका अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

(2) वर्ष 1982 में रिकार्ड केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जब्त कर लिया गया जो कि केवल 1997 में मंडल को वापस प्राप्त हुआ है।

(3) 1997 में सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगी) की बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई। इस पर 55 आबंटियों ने सिविल कोर्ट, अमृतसर में बलात बेदखली के खिलाफ स्थाई स्थगनादेश के लिए मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे का मई, 2000 में रेलवे के पक्ष में फैसला दिया गया। 6 मामलों में संपदा अधिकारी द्वारा पहले ही रेलवे के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है और इन 6 दुकानों को खाली करा लिया गया है। संपदा अधिकारी के आदेशों के अनुसार जिला क्लेक्टर के द्वारा बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की गई है। शेष मामले संपदा अधिकारी के न्यायालय में न्यायाधीन हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल जुडीशियल एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जुडीशियल एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5742/2002]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय रेल-मुद्दे और विकल्प के बारे में स्थिति पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5743/2002]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 'राइट्स' लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5744/2002]

(दो) 'इरकॉन' इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5745/2002]

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (श्रोता अनुसंधान पद) सेवा विनियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/13/2001-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5746/2002]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5747/2002]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में न्याय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसनकारी विधेयक, 2001 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई है:-

अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1

''बावनवें'' *के स्थान पर* ''तिरपनवें'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4

"2001" के *स्थान* पर "2002" *प्रतिस्थापित किया जाए।*

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2001 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई।

अधिनियमन सूत्र

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1-

"बावनवें" के *स्थान* पर "तिरपनवें" *प्रतिस्थापित किया जाए।*

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3-

"2001" के *स्थान* पर "2002" *प्रतिस्थापित किया जाए।*

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए परिसीमन विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.02 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

आठवां और नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का आठवां और नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

महिलाओं को शक्तिया प्रदान करने संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर): महोदय, मैं स्थानीय किनायों में महिलाओं का प्रशिक्षण और सशक्तीकरण विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2001-2002)

के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्यवाही संबंधी बत्तीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं रेल मंत्रालय की 2000-2001 की अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और पांचवें अध्याय के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा को कोई आपत्ति न हो तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व मद सं. 13 लेना चाहता हूं।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

आचार संबंधी मामलों के संबंध में श्री सोमनाथ चटर्जी एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

आचार संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 22 नवम्बर, 2001 को सभा पटल पर रखे गए 'आचार संबंधी मामलों' के बारे में आचार समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 22 नवंबर, 2001 को सभा पटल पर रखे गए 'आचार संबंधी मामलों' के बारे में आचार समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 184 के अधीन सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को शून्य काल के बाद लिया जाय। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को हमेशा 'शून्य काल' की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। अत: मैं इसे लेता हूं और मैं माननीय सदस्यों से संक्षिप्त भाषण देने का आग्रह करता हूं ताकि हम तत्काल 'शून्य काल' शुरू कर सकें।

अपराह्न 12.05 बजे

नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 184 के अधीन श्री कीर्ति झा आजाद की ओर से बिहार में आंतरिक अशांति के संबंध में और डा. संजय पासवान की ओर से कमजोर वर्गों इत्यादि की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बिहार सरकार की असफलता के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में तथ्य प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था।

देश के विभिन्न भागों में विशेषकर पश्चिमी बंगाल में अल्पसंख्यकों, अ.जा./अ.ज.जा. को सुरक्षा प्रदान करने में प्रशासन की विफलता के संबंध में डा. विक्रम सरकार से प्राप्त नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचना को भी तथ्य प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है।

मंत्रालय से अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा है।

मैं गृह मंत्रालय से उत्तर प्राप्त होने पर सूचनाओं पर निर्णय लूंगा।

अपराह्न 12.07 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया तथा फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया का पुनरुद्धार किए जाने में सरकार की निष्क्रियता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की और रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें:

"हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया का पुनरुद्धार किए जाने में सरकार की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति।"

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): महोदय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रुग्ण उर्वरक उपक्रमों ने बार-बार इस माननीय सभा का ध्यान आकर्षित किया है। यद्यपि मैं माननीय सदस्यों की चिंता से पूरी तरह सहमत हूं तथापि प्रौद्योगिकी' आर्थिक रूप से सक्षम न होने से 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल हानि हुई है जिससे राजकोष पर भारी बोझ पड़ गया है।

लगातार प्रौद्योगिकीय-आर्थिक रूप से सक्षमता के साथ कार्य न होने के कारण दुर्गापुर एच एफ सी की दुर्गापुर तथा बरौनी इकाइयों ने क्रमशः जून 1997 तथा जनवरी, 1998 से उत्पादन बंद कर दिया है। एफ सी आई की गोरखपुर और दो कोयला आधारित गोरखपुर और रामगुंडम तथा तालचेर इकाइयां क्रमशः जून 1998 तथा अप्रैल 1999 से बंद पड़ी हैं। एच एफ सी की हल्दिया इकाई ने कभी भी व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया।

एच एफ सी तथा एफ सी आई के पुनर्वास हेतु अप्रैल, 1995 में तैयार पुनरुद्धार पैकेजों में इनकी कुछ इकाइयों के सीमित पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई थी। एच एफ सी की हल्दिया परियोजना तथा एफ सी आई की गोरखपुर इकाई का पुनरुद्धार प्रौद्योगिकीय आर्थिक रूप से सक्षम नहीं पाया गया। एच एफ सी तथा एफ सी आई की कार्यरत इकाईयों के पुनरुद्धार के लिए क्रमशः 465 करोड़ रुपए तथा 1,736 करोड़ रुपए के नए निवेश की आवश्यकता का अनुमान था। इन प्रस्तावों को बाद में आई सी आई सी आई लि. के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह द्वारा पुनः तैयार किया गया। विशेषज्ञ समूह ने एफ सी आई की सिंदरी, रामगुंडम और तालचेर इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए 2,638 करोड़ रुपए तथा एच एफ सी के नामरूप, दुर्गापुर तथा बरौनी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए 869 करोड़ रुपये के नए निवेश की आवश्यकता पेश की है। इसके अतिरिक्त इन पैकेजों को अर्थक्षम बनाने के लिए भारत सरकार के ऋणों और 5006 करोड़ रुपये के कुल ब्याज को बट्टे खाते में डालने संबंधी विभिन्न वित्तीय राहत तथा रियायतें देने की भी परिकल्पना की गयी थी।

विशेषज्ञ दल जिसने फरवरी, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पुनरुद्धार प्रस्तावों पर विचार किया और नए प्रस्तावों को जुलाई/अगस्त, 1997 में सरकार के विचार हेतु प्रस्तुत किया। सरकार ने एच एफ सी की नामरूप इकाई के संबंध में पुनरुद्धार पैकेज पर अक्तूबर 1997 में निर्णय लिया था।

एच एफ सी की नामरूप इकाई के पुनरुद्धार में 509.40 करोड़ रुपए संशोधित लागत का नया निवेश किये जाने का अनुमान है। नई पुनरुद्धार परियोजना 2.11.1998 से कार्यान्वयनाधीन है और सरकार ने अभी तक 280 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की है। वर्ष 2002-03 के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

एच एफ सी और एफ सी आई की शेष इकाइयों के संबंध में व्यापक संशोधित पुनर्वास प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और इस समय ये मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) के विचाराधीन हैं। एच एफ सी तथा एफ सी आई सहित सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों के पुनर्वास से संबंधित मामले पर पुनर्विचार करने हेतु विशेष रूप से मंत्रियों का समूह गठित किया गया था।

प्रौद्योगिकी तथा 'फीडस्टॉक' संबंधी मामले किसी भी पुनर्वास पैकेज में गम्भीर बाधा उत्पन्न करते हैं। आज गैस-आधारित इकाइयां

वित्तीय और क्रियात्मक रूप से कार्यक्षम और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक हैं। उत्पादन लागत तथा बजट पर संभावित प्रभाव के संदर्भ में वैकल्पिक फीडस्टॉक का मूल्यांकन करना होगा।

यहां यह भी कहा जा सकता है कि बीआईएफआर ने एफसीआई को 2.11.001 को और एच एफ सी को 12.12.2001 को बंद करने का आदेश दे दिया है। दोनों कम्पनियों ने बी आई एफ आर के इन आदेशों के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (ए ए आई एफ आर) के समक्ष अपील दायर की है। यद्यपि, एच एफ सी आई की अपील ए आई एफ आर द्वारा खारिज कर दी गई है तथापि एच एफ सी की अपील पर मई, 2002 के अंत में सुनवाई होगी।

तथापि, यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि सरकार एच एफ सी और एफ सी आई के अधिकारियों के वेतन और मजदूरी सहित आवश्यक पूंजी खर्चों तथा प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बजटीय सहायता प्रदान करती रही है। 1991 से एफ सी आई को 1,899.69 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता मिली है जिसमें से 1601 करोड़ रुपए गैर-योजना सहायता रही है। एच एफ सी के लिए उसी अवधि में कुल बजटीय सहायता 1,588 करोड़ रुपए रही है जिसमें से 1,147 करोड़ रुपए गैर-योजना सहायता रही है।

इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों की विभिन्न इकाइयों को बंद करने से देश में और विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में यूरिया की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है। पूर्वी क्षेत्र को यूरिया की आपूर्ति मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त रही है।

नए निवेश और अन्य आवश्यक राहतों के परिमाण को ध्यान में रखकर सरकार राष्ट्र के समग्र हित में इस जटिल मुद्दे का प्रौद्योगिकीय आर्थिक रूप से सक्षम निर्णय लेने के लिए वचनबद्ध है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5748/2002]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां जी, आप स्पैसिफिक प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय उर्वरक निगम के अधीन आठ इकाइयां हैं। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का पुनरुद्धार प्रस्ताव 1995 से लम्बित है। नामरूप इकाई को छोड़कर सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय उर्वरक निगम की किसी भी इकाई के पुनरुद्धार के लिए पैसे नहीं दिए हैं। सरकार ने तलचर, गोरखपुर, रामागुण्डम, दुर्गापुर, हल्दिया और बरौनी में अन्य इकाइयों के लिए धन देने पर विचार नहीं किया है। मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया की दुर्गापुर और बरौनी इकाइयों को नया रूप देने में नेफ्था की उत्पादन लागत सरकार के लिए चिन्ता का विषय है।

यह बात सही है। जब तक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक उर्वरक क्षेत्र में निवेश के निर्णय को रोकना पड़ सकता है। एल एन जी कब तक उपलब्ध होगी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एल एन जी के विकल्प के रूप में क्यों और कैसे सोचा जा रहा है जबकि घरेलू तेलशोधक कारखानों की तेलशोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए देश में पर्याप्त नेफ्था उपलब्ध है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए कार्यसमूह ने वर्ष 2002 के दौरान देश में नेफ्था की अतिरिक्त उपलब्धता दर्शायी है। वर्ष 2002-2003 में अनुमानित नेफ्था 10.01 लाख मीट्रिक टन है और 2006-2007 में 40.59 लाख मीट्रिक टन है। वर्तमान में यूरिया उत्पादन के लिए नेफ्था का ईंधन के रूप में उपयोग करने पर ऊर्जा लागत लगभग अमरीकी डॉलर 6.5 प्रति मिलियन बीटीयू है। दूसरी तरफ, एलएनजी आयात के लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाना यथा पत्तन स्थल पर पुन: गैसीकरण संयंत्र और पाइप नेटवर्क/ग्रिड इत्यादि अत्यधिक खर्चीला होगा और आयातित एल एन जी की ऊर्जा लागत लगभग 6-7 अमरीकी डालर प्रति मिलियन बीटीयू होगी जिसका बढ़ना निश्चित है क्योंकि इसकी लागत निर्यातक तय करेंगे। अत: इस तर्क के आधार पर दुर्गापुर और बरौनी संयंत्रों के पुनरुद्धार प्रस्ताव को टालते रहना उचित नहीं है।

पश्चिमी बंगाल राज्य में वर्तमान में यूरिया की खपत के आंकड़े 12 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है जो लगभग आठ प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। राज्य में केवल दुर्गापुर संयंत्र ही ऐसा संयत्र था जिसमें उत्पादन रुकने पर राज्य यूरिया की बाहर से आपूर्ति पर पूर्णत: निर्भर है।

ऐसा सुना गया है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक और मंत्रियों का समूह एक दीर्घकालीन उर्वरक नीति बनाने के लिए गठित हुआ है जो आवश्यक पण्य आवंटन योजना को वापस लेने और यूरिया के लिए माल ढुलाई राजसहायता पर विचार कर रहा है। इस परिस्थिति में, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक नुकसान झेलने वाला राज्य होगा और किसानों को यूरिया खरीदने के लिए अधिक रुपये देने पड़ेंगे।

[श्री सुनील खां]

अत: मैं एच एफ सी आई, दुर्गापुर इकाई और साथ ही एफ सी आई की बरौनी और अन्य इकाइयों के पुनरुद्धार की पुरजोर मांग करता हूं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार एक 'ब्राऊन फील्ड यूनिट' या एक 'ग्रीन फील्ड यूनिट' बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? नवीन निवेश के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान में, यूरिया के वितरण पर नियंत्रण को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इफको और कृभको हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाना चाहते हैं। कृभको के पास 1500 करोड़ रुपये अतिरिक्त हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपये आयकर के रूप में दिया है। ये सहकारी इकाइयां हैं। इनकी पूर्वी जोन में कोई इकाई नहीं है। ये कहती है कि उनके पास हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के लिए बोली लगाने हेतु अतिरिक्त धनराशि है।

अत: यदि ये पूर्वी क्षेत्र में कोई इकाई स्थापित करना चाहती है, तो मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह पश्चिम बंगाल में ही होनी चाहिए। यह पूर्वी जोन के किसी भी हिस्से में हो सकती है। यह पूर्वी जोन के कृषकों के लिए बेहतर होगी। यदि आप पूरे भारत के सभी उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार करते हैं तो 80 प्रतिशत कृषक संतुष्ट होगे। वे भारतीय लोगों के लिए अधिकाधिक धान और गेहूं का उत्पादन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैं आपसे संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और भारतीय उर्वरक निगम की छह इकाइयां बंद हैं। सरकार अनिर्णय में फंसी हुई है। सरकार ने अभी तक इन छह इकाइयों के पुनरुद्धार के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। ये इकाइयां काफी समय से बंद हैं।

गोरखपुर इकाई एक दशक से किसी दुर्घटना के बाद से बंद पड़ी है। बरौनी इकाई भी बंद पड़ी है। बरौनी उर्वरक इकाई में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ। दुर्गापुर इकाई बंद है और कर्मचारियों और मजदूरों को केवल वेतन दिया जा रहा है। हल्दिया इकाई 1986 से बंद है। इसकी स्थापना के पश्चात् उर्वरक का उत्पादन हुआ था किन्तु कुछ समस्या आ गई और यह 1986 से बंद है। उड़ीसा में तलचर और आंध्र प्रदेश में रामागुण्डम भी बंद हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया है कि क्या सरकार इन इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कोई ठोस निर्णय लेगी। उनका उत्तर क्या है? मैं जब भी माननीय मंत्री जी को लिखता हूं, उनका यही उत्तर होता है। पूर्वी जोन में विशेषत: पश्चिमी बंगाल में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। हमें पता है, कोई कमी नहीं है किन्तु वहां स्थित इकाइयां वर्षों से बंद पड़ी हुई है।

मुझे पता है कि वर्ष 1990-91 से उनकी नए रूप में लाने की मांग थी। दुर्गापुर इकाई को नया रूप देने की मांग थी और सरकारी क्षेत्र में उपक्रम संबंधी समिति ने भी एच एफ सी की दुर्गापुर इकाई को नया रूप देने की सिफारिश की थी किन्तु सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

अब, उर्वरक या यूरिया की खपत में पश्चिम बंगाल राज्य में आठ प्रतिशत की वृद्धि है। अब वार्षिक खपत 12 लाख टन है। अन्य राज्यों से उर्वरक लाया जाता है। पश्चिम बंगाल के किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। उर्वरक की कोई कमी नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के किसानों, पूर्वी जोन के किसानों और बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को क्यों दंडित किया जा रहा है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उनको दण्डित नहीं किया जा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य: किसानों पर वहां माल ढुलाई प्रभार लगाया जा रहा है।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बीआईएफआर और एएआईएफआर दोनों ने ही सिंडरी, तलचर और रामागुण्डम इकाइयों के पुनरुद्धार को ठुकरा दिया है। ए ए आई एफ आर ने इसे क्यों ठुकराया, सरकार को एक प्रस्ताव देने को कहा गया था? क्या यह सच नहीं है कि जब सरकार और यूनियनें दोनों द्वारा इस मामले को एएआईएफआर के सामने लाया गया था तो सरकार को दो महीने का समय दिया गया था? ए ए आई एफ आर ने उन्हें दो महीने का समय दिया था किन्तु सरकार दो महीने के समय के भीतर कोई पुनरुद्धार प्रस्ताव देने में असफल रही और जब 9.4.02 को सुनवाई हुई तो एएआईएफआर ने बीआईएफआर के निर्णय को बहाल रखा। अत: जिम्मेदारी सरकार की थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब एएआईएफआर ने दो महीने का समय दिया तो सरकार निर्धारित अवधि के भीतर पुनरुद्धार पैकेज देने में क्यों असफल रही।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मामले में, बीआईएफआर ने नामरूप को छोड़कर सभी इकाइयों को बन्द करने का आदेश दिया है। नामरूप को अलग करके एक पृथक इकाई बनाने का आदेश था और एक पृथक कंपनी बनायी या स्थापित की भी जानी चाहिए। इसे सरकार ने क्रियान्वित किया है। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर की एक इकाई का नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

कर दिया गया है। अब नाम क्या है? यह ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। यह इकाई गैस आधारित इकाई है। लेकिन दुर्गापुर नेफ्था आधारित इकाई है। बरौनी नेफ्था आधारित इकाई है। नेफ्था उपलब्ध है। हमारे पास नेफ्था का अतिरिक्त भंडार है तो सरकार बरौनी और दुर्गापुर के पुनरुद्धार के लिए ठोस निर्णय क्यों नहीं ले रही है?

एक मंत्री समूह का गठन हुआ था। वित्त मंत्री उस मंत्री समूह के चेयरमैन हैं। मंत्री समूह की चार बार बैठकें हुई। मंत्री जी ने मेरे पत्र के उत्तर में कहा है कि इस मंत्री समूह की चार बैठकें हुई हैं और शीघ्र ही वे अंतिम निर्णय के लिए पुन: बैठक करने वाले हैं। मुझे यह पत्र 24 अप्रैल को भेजा गया था यहां मंत्री जी ने ए ए आई एफ आर द्वारा सरकार से जमा करने को कहे गए पुनरुद्धार प्रस्ताव के विषय में उल्लेख नहीं किया है। मैं इसके कारण जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप जरा ब्रीफ में कहें, नहीं तो अननैसरी मुझे रूल में जाना होगा।

[अनुवाद]

मुझे अनावश्यक रूप से नियमों का सहारा लेना पड़ेगा। आप केवल स्पष्टीकरण या प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं केवल स्पष्टीकरण पूछ रहा हूं। मैं कुछ और नहीं पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे 'शून्य काल' शुरू करना होगा। अन्यथा 'शून्य काल' नहीं हो पाएगा। मैं मंत्री समूह में था। मैं जानता हूं यह क्या है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। यह सरकार के पास गत 10 वर्षों से लम्बित है।

मेरे पत्र के उत्तर में मंत्रीजी ने 24 अप्रैल को कहा था कि वे शीघ्र ही मिलने जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री समूह की बैठक हुई थी और निर्णय लिया गया था, अंतिम निर्णय का अर्थ बन्द करना या समाप्त करना नहीं होता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने बरौनी और दुर्गापुर के पुनरुद्धार के लिए सकारात्मक निर्णय लिया है।

जब श्री सुरेश प्रभु रसायन तथा उर्वरक मंत्री थे तो उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया था क्योंकि गत कई वर्षों से मैं भी इस बात पर जोर दे रहा था कि हमने कोयला भण्डार को छोड़ दिया है। सिन्दरी हमारे देश की पहली सरकारी क्षेत्र की इकाई थी। 1952 में जब भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय उर्वरक निगम की इस इकाई का उद्घाटन किया तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ''मैं एक उर्वरक इकाई का उद्घाटन नहीं कर रहा हूं, मैं आधुनिक भारत के एक मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूं।'' वह कोयला आधारित इकाई थी। यह कोयला आधारित इकाई बंद हो गयी। कोयला आधारित इकाई के स्थान पर सिन्दरी में एक गैस आधारित इकाई स्थापित की गयी थी।

नागपुर में एक सेमिनार हुआ था और वे ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग करने वाली उर्वरक यूरिया इकाई खोलने को इच्छुक थे। जैसाकि हमने कोयला भण्डार को त्याग दिया है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इनमें से कुछ इकाइयों को नेफ्था आधारित इकाई से कोयला आधारित इकाई में बदलने पर विचार कर रही है जिससे उत्पादन लागत कम की जा सके और ये इकाइयां अर्थक्षम भी बन सकें।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैंने एक सूचना दी है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस टाइम बार्ड है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. संजय पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय मुझे भी अनुमति प्रदान की जाए। मैंने भी एक सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: नियम के अनुसार परमीशन नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके नाम का नोटिस नहीं है। इसलिए मैं मौका नहीं दे सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय विशेष संदर्भ में, आप कृपया श्री लक्ष्मण सेठ को अनुमति प्रदान कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने समय कम लिया होता, तो मैं उनको इजाजत दे देता। आपने भी समय ले लिया और अब उनको कैसे समय दूं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य का खंडन करने के लिए खड़ा हुआ है *...(व्यवधान)*

उन्होंने कहा है कि एच एफ सी की हल्दिया इकाई से कोई उर्वरक का उत्पादन नहीं किया है। यह बिल्कुल गलत है *...(व्यवधान)* हल्दिया इकाई ने दो वर्षों तक उर्वरक का उत्पादन किया है लेकिन प्रौद्योगिकीय खामियों और उपस्करों के अभावों के कारण इसने उत्पादन नहीं किया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: महोदय, स्टेटमेंट में तकरीबन सारी सिचुएशन को बता दिया गया है। दोनों कम्पनियों के बारे में बात चल रही थी। आईसीआईसीआई ने स्पष्ट किया और किसी ने नहीं किया, सिवाय नामरूप के, कि रिवाइवल हो सकती है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: ग्रुप-आफ-मिनिस्टर्स की रिपोर्ट है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इधर देखिए और उत्तर दीजिए। वहां देखने की जरूरत नहीं है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि साढ़े चौदह हजार करोड़ रुपए का लॉस हो रहा था, इसके बावजूद भी नामरूप के रिवाइवल की बात चली कि कैपेसिटी के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे, दूसरी किसी यूनिट के इसके बावजूद चलने की कोई उम्मीद नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: क्यों उम्मीद नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: आप उत्तर पूरा करिए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: इसके बावजूद भी सरकार ने ग्रुप-आफ-मिनिस्टर्स गठित कि अगर कोई चांस बनता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता या नहीं। उनकी तीन मीटिंग्स हुईं और चौथी मीटिंग इस महीने के अंत में हो सकती है, जो फाइनल मीटिंग होगी और उसमें फैसला कर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: फैसला रिवाइवल के लिए होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसान, चाहे किसी भी राज्य के हों, उनको उसी रेट पर यूरिया मिलेगा। यूरिया में कोई कमी नहीं आएगी। हिन्दुस्तान में यूरिया की कमी नहीं है। वैस्ट बंगाल और ईस्टर्न स्टेट के किसानों को ज्यादा कीमत देनी होगी या अन्य को कम कीमत देनी होगी यानि जहां पर यूनिट है, उसको सस्ता मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक ही रेट पर यूरिया सबको मिलता है और मिलता रहेगा। कोई शार्टेज नहीं होने देंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने पूरी तरह जवाब नहीं दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय का जवाब खत्म हो गया है। सभा अब 'शून्य काल' में चर्चा करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य: यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। हम जानना चाहते थे कि क्या सरकार एक सकारात्मक निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए ग्रुप-आफ-मिनिस्टर्स की मीटिंग में निर्णय होना है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: मैं ग्रुप-आफ-मिनिस्टर्स के डिसीजन को अभी कैसा बता सकता हूं।

अपराह्न 12.35 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशेषाधिकार नोटिस दी है। जब एक विशेषाधिकार नोटिस दिया जाता है तो संबंधित माननीय सदस्य को लिखित रूप से इसकी सूचना दी जानी चाहिए कि इसे

अनुमति प्रदान की गई है या नहीं। यही परंपरा है। माननीय गृह मंत्रीजी के विरुद्ध विशेषाधिकार नोटिस दिया गया तो मंत्रीजी ने स्वयं मंत्रालय से स्थिति के बारे में संबंधित माननीय मंत्री को सूचना दी और इसे स्पष्टीकरण कर दिया गया। यदि इसे अस्वीकार किया गया है तो आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं और यदि नहीं तो मुझे यह जानने का विशेषाधिकार है और मुझे यह बताया जाना चाहिए कि किस आधार पर इसे अस्वीकार किया गया था। कम से कम एक सदस्य को जानने का अधिकार है। मैंने कौल और शक्कर की किताब में यह पढ़ा है कि ऐसा शुरू से परंपरा रही है। इसलिए मैं आपसे विशेषाधिकार नोटिस की स्थिति के बारे में सूचित करने का अनुरोध करूंगा। मुझे यह बताया जाना चाहिए था कि क्या इसे अनुमति प्रदान की गई है या नहीं। यह सही हो या गलत, संबंधित सदस्य को नोटिस की स्थिति के बारे में बताया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा दिये गये विशेषाधिकार नोटिस को पढ़ा है और मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी से एक उत्तर मिला है। मैं विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में अभी अपना विनिर्णय देना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने 9 मई, 2002 को विशेषाधिकार के प्रश्न की एक सूचना दी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि प्रधान मंत्री जी ने 1 मई, 2002 को गुजरात की स्थिति के बारे में पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सदन को गुमराह किया है। मैंने श्री दासमुंशी की सूचना पर प्रधान मंत्री जी की टिप्पणी मांगी जो मुझे प्राप्त हुई है।

श्री दासमुंशी ने अपनी सूचना में कहा है कि प्रधान मंत्री जी ने गोवा में दिए गए अपने सार्वजनिक भाषण के कुछ अंशों के बारे में उत्पन्न आशंकाओं पर स्पष्टीकरण देते हुए सभा में कहा था कि ''इस्लाम के बारे में मैंने जो कुछ कहा है, वह यह है जहां कहीं ऐसे मुसलमान रहते हैं, वे अन्य लोगों के साथ सह-अस्तित्व पूर्वक मिलजुलकर नहीं रहते; अन्य लोगों के साथ मेल जोल नहीं करते शांतिपूर्ण ढंग से अपने विचारों का प्रचार करने के बदले वे आतंक और धमकियों का सहारा लेकर अपने मत का प्रचार करना चाहते हैं।'' श्री दासमुंशी जी ने दावा किया कि प्रधान मंत्री द्वारा गोवा में दिए गए अपने भाषण को वीडियो रिकार्डिंग में ''मुसलमान'' शब्द से पहले ''ऐसे'' शब्द प्रयोग नहीं किया गया है और इस क्षेपक से कहे गए वाक्य का अर्थ बदलने का प्रयास किया गया है। श्री दासमुंशी ने आरोप लगाया कि यह प्रधान मंत्री द्वारा सदन को गुमराह करने की कोशिश है।

प्रधान मंत्री ने, इस बात को स्वीकार करते हुए कि गोवा में दिए गए उनके भाषण के वीडियो टेप में ''ऐसे'' शब्द का उल्लेख नहीं है, बताया है कि ''जो कोई व्यक्ति मेरा पूरा भाषण पढ़ेगा और इस्लाम द्वारा दी गई सहिष्णुता और अनुकम्पा की शिक्षा की मेरे द्वारा की गई सराहना को नोट करेगा, उसके मन में इस आशंका की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती कि द्वितीय पैराग्राफ में मेरे द्वारा किया गया उल्लेख केवल आतंकवादी इस्लाम के अनुयाइयों के बारे में था।'' प्रधान मंत्री ने 14 अप्रैल, 2002 को इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए एक वक्तव्य जारी किया और प्रधान मंत्री कार्यालय ने भी आवश्यक संशधनों के साथ उनके भाषण का संपूर्ण पाठ मीडिया के लिए जारी किया था। प्रधान मंत्री जी ने यह भी बताया है कि ''1 मई, 2002 की सुबह गुजरात की स्थिति पर बोलते हुए मैंने इसी संशोधित संस्करण से सुसंगत पैराग्राफ पढ़कर सुनाए है।''

मैं प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार करता हूं। अत: इस मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न शामिल नहीं है। श्री दासमुंशी की सूचना अस्वीकार की जाती है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हजारों की संख्या में मरीज बगैर इलाज के पड़े हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे समय में एक महीने के लिए कुछ डाक्टर छुट्टी पर चले जाते हैं।

जब 1956 में ''एम्स'' बना था, उस समय इसका मकसद सिर्फ रिसर्च का था, लेकिन आज यहां सबसे अधिक मरीजों का दबाव रहता है। वहां छोटे-मोटे 25 वाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) है। यहां रोज 6500 से लेकर 10,000 तक मरीज देखे जाते हैं। आज हालत यह है कि यहां जो हम लोकसभा के सदस्य रहते हैं, हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें ''एम्स' में भर्ती करा दीजिए। अधिकांश लोगों के पास ''एम्स'' में भर्ती कराए जाने की सिफारिशें आती हैं। महोदय, आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इसका विस्तार किया जाए, क्योंकि वहां पांच-पांच, छ:-छ: महीने लोगों को बैड नहीं मिलता-चाहे कितना भी सीरियस मरीज हो। ऑर्थोपेडिक्स में हालत यह है कि चार से लेकर छ: साल तक मरीज को बैड नसीब नहीं होता।

कुछ मामले ऐसे हैं कि मरीज मर जाता है लेकिन उसे पलंग नहीं मिलता है। अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गर्मी की छुट्टियां हैं और बच्चों की भी छुट्टियां हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि इस समय वहां जाकर इलाज करा लेंगे। हजारों की संख्या में वहां मरीज पड़े हुए हैं लेकिन उनके उपचार की कोई

व्यवस्था नहीं है। डाक्टर्स छुट्टी पर हैं और यह जो छुट्टी का ढर्रा है, जब से एम्स बना है। तब से यह चल रहा है। इसलिए इस ढर्रे में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देश दें कि वहां हजारों की संख्या में जो मरीज पड़े हुए हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है और वहां कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमारे पटना से भी लोग वहां आते हैं लेकिन कोई इलाज नहीं होता है। सरकार में दो-तीन लोग तो हमारे यहां के ही हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देश दें जिससे वहां की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। वहां पांच-पांच, दस-दस दिन से हजारों की संख्या में मरीज ओपीडी में पड़े हुए हैं लेकिन उनका उपचार नहीं हो रहा है।

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): अध्यक्ष जी, कल ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने और अन्य सदस्यों ने बढ़ते हुए आतंक पर चिंता जाहिर की थी। पिछले दिनों हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कि नार्थ-ईस्ट के कुछ आतंकवादी संगठनों को कुछ व्यावसायिक घरानों के द्वारा भारी मात्रा में धन उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके कारण वे हथियारों का जखीरा जमा कर रहे हैं। उन व्यावसायिक घरानों के मालिक विवादास्पद राजनेता हैं। मैं समझता हूं कि पिछले दिनों उनके बारे में अनेक खबरें दैनिक अखबारों में छपीं। कहा जाता है कि उनका दफ्तर यहीं दिल्ली की रीगल बिल्डिंग के पास है। उन्होंने अनेक राज्य सरकारों की लाटरी का धंधा भी किया है तथा लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का नागालैंड की सरकार को चूना लगाया है। रिजर्व बैंक से बिना अनुमति लिए अमरीका और शंघाई बैंक में उन्होंने खाता खोला है तथा हवाला के जरिए भारी मात्रा में धन यहां से अमरीका भेजने का काम किया है। पूर्व में भी मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के तत्वों को बेनकाब करने की आवश्यकता है जो राजनीति में भी सक्रिय बने हुए हैं और आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद दे रहे हैं तथा देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे राजनेताओं की भी पहचान होनी चाहिए और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, इस समय पश्चिमी बंगाल को धान उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है इस वर्ष पश्चिम बंगाल ने धान उत्पादन में पिछले रिकार्ड को तोड़ा है। अनुमानित उत्पादन 150 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। लेकिन धान का बाजार मूल्य घट रहा है। इस समय धान का बाजार मूल्य मुश्किल से 350 मामले प्रति क्विंटल है। जबकि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 590 रुपये प्रति क्विंटल है और पश्चिम बंगाल में बाजार मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल है या इससे भी कम है। भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल में धान और चावल की खरीद नहीं कर रही है? पश्चिमी बंगाल सरकार भी बाजार से घोषित न्यूनतम छह लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद के लिए आगे आई है।

लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यह तुच्छ है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से पश्चिमी बंगाल सरकार को और अधिक धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं ताकि वे इस वर्ष के कुल उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत खरीद सके।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय को सदन के सामने उठा रहा हूं, उसका सीधा संबंध आसंदी से है और मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। इस विषय में मेरी सरकार से किसी प्रकार की मांग नहीं है। मैं एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 28 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेरे साथ, लोक सभा के अन्य तीन सदस्यों, राज्य सभा के सदस्य और छत्तीसगढ़ विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ निर्मम और अमानवीय मारपीट की गई। मैंने इस मामले का नोटिस एक साल पहले इसी सदन में दिया था जिसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया। ठीक इसी प्रकार का विशेषाधिकार हनन का नोटिस प्रतिपक्ष के नेता ने छत्तीसगढ़ विधान सभा में दिया, जिसकी एक समिति बनी। उसमें श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सभापति और छः अन्य विधान सभा के माननीय सदस्य थे। 26 जुलाई, 2001 को जब यह विषय आया तो 27 जुलाई को माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ तथ्यों के साथ निर्देश दिए। लोक सभा के एक सदस्य ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और बाद में अन्य सदस्यों ने भी दिया लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उससे अपनी किसी प्रकार की सूचना मुहैय्या नहीं करा सकी। केन्द्र सरकार मांग नहीं सकती लेकिन यह पूरी तरह सदन के सदस्यों और सदन की पूंजी का सवाल है। राज्य सरकार की विशेषाधिकार समिति बनी और उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। रिपोर्ट का निर्णय कहता है-

> "उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में समिति यद्यपि किसी को दोषी पाए जाने पर निरुद्ध करने की भी अनुशंसा कर सकती है किन्तु इस संदेश को देने के उद्देश्य से यह सभा जन-

प्रतिनिधियों के साथ विद्वेष की भावना से किए गए किसी भी कृत्य को सहन नहीं करेगी। वह यह अनुशंसा करती है कि जिलाधीश श्री अमिताभ जैन एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश गुप्ता को सदन में बुला कर उसकी भर्त्सना की जाए एवं उसकी सेवा पुस्तिका में भी इसको अंकित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय, बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसे विधान सभा के पटल पर रखा गया और सदन ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की विधान सभा में मुख्यमंत्री ने इसे वापस लेने की हिम्मत जुटा ली। यहां सवाल इस बात का नहीं है कि मेरे साथ मार-पीट हुई और मुझे संरक्षण नहीं मिला। मुझे आपसे केवल इस बात का संरक्षण चाहिए कि यहां एक विशेषाधिकार समिति होगी, लेकिन प्रदेश सरकार उसे रिपोर्ट नहीं भेजेगी। अगर कोई रिपोर्ट प्रदेश सरकार के विधायक और सचिवालय के लोग, वहां के अधिकारियों के बायन के साथ स्वीकार कर लेते हैं और दोषी पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी यहां की समिति काम नहीं करेगी, निर्णय नहीं देगी तो किसी भी जन-प्रतिनिधि को कैसे अवसर मिलेगा।

मैं एक टिप्पणी पढ़ कर अपना बात समाप्त करना चाहता हूं जो वहां के एडिशनल एसपी का बयान लिया गया था। मेरा यह बयान भी अखबारों में आया कि हम पर पत्थर फेंकने की शुरुआत हुई थी। हमें केवल लाठियों से नहीं मारा गया, पत्थरों से भी मारा गया। एडिशनल एसपी का बयान देखिए जो उन्होंने समिति के सामने दिया।

''पुलिस अधीक्षक श्री विवेकानन्द ने भी समिति के समक्ष पहले तो क्लैक्ट्रेट में निर्मित हो रहे हाल के पास पत्थर उपलब्ध होने की बात कही किन्तु समिति द्वारा जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया कि क्लेक्ट्रेट बैरिकेट्स के दूसरी ओर था, जहां पुलिस थी तब उन्होंने अपने कथन में यह भी जोड़ दिया कि वह स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते।''

अध्यक्ष महोदय, इससे दो सवाल पैदा होते हैं। मुझे न्याय मिलना चाहिए और विधान सभा में जो रिपोर्ट चाहे किसी भी सदन में रखी जाए, यदि उसे सदस्य स्वीकार कर लें, क्या उसे वापस लिया जा सकता है इस प्रश्न पर आसंदी को निर्णय करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय पटेल जी, मैंने स्टेट गवर्नमैंट से रिपोर्ट मांगी थी और वह रिपोर्ट आई भी है। हम वह रिपोर्ट देखना चाहते हैं। हम रिपोर्ट देखेंगे। इस विषय में क्या हो रहा है, मैं बाद में आपको बताऊंगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: आपकी अनुमति हो तो विधान सभा की यह रिपोर्ट मैं सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह आप दे सकते हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है।

अध्यक्ष जी, आज हमारे देश में धीरे-धीरे पूंजी बाजार की साख नीचे की ओर चली जा रही है। किसी भी देश का आर्थिक व्यवस्था का मजबूत आधार उस देश के पूंजी बाजार पर होता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से इस देश में घोटालों की एक शृंखला सी चल रही है। एक के बाद एक घोटाला आता है जिससे पूरे देश का पूंजी बाजार ध्वस्त हो जाता है, उसकी साख गिरती है। छोटे इनवैस्टर्स का पैसा डूबता है। सारे विश्व में यह संदेश जाता है कि पूंजी लगाने का काम हिन्दुस्तान के अलावा किसी और देश में किया जाये। मैं ऐसी ही कुछ कम्पनियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, देश में ऐसी 1000 कम्पनीज थी जो बिल्कुल फर्जी थी। जिन्होंने कम्पनीज बनाई, उन्होंने इनवैस्टर्स का पैसा लिया, तगाम इंस्टीट्युशन्स का पैसा लिया लेकिन आज उन कम्पनीज का कोई अता-पता ही नहीं है। सरकार से इस बारे में बार-बार अनुरोध किया गया, उस पर दबाव डाला गया। मैंने एक दर्जन से ज्यादा पत्र वित्त मंत्रालय को लिखे। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ऐसी 229 कम्पनियों को ट्रेस किया गया है जिन्होंने घोटाला किया है, पब्लिक का पैसा लिया है। मैंने सरकार से इस बात की मांग की है कि इन कम्पनियों के डायरेक्टर्स, जो खुले-आम देश में घूम रहे हैं और सेबी व मिनिस्ट्री ऑफ कम्पनी अफेयर्स के अधिकारियों की सीधी-सीधी जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं की जायेगी जिनकी आड़ में इन कम्पनियों के मालिकों और डायरेक्टर्स ने फर्जी कम्पनीज बनाई हैं, तब तक घोटालों पर रोक नहीं लग सकती। इन कम्पनीज के माध्यम से छोटे इनवैस्टर्स का 10 हजार करोड़ रुपया, फाइनेंशियल इंस्टीट्युशन्स और बैंकों का लगभग 8 हजार करोड़ रुपया लिया गया है लेकिन आज तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पूंजी बाजार तब तक ऊपर नहीं उठ सकता, जब तक इन घोटालों पर अंकुश लगाने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वैनिशिंग कम्पनीज के मामले में जो घोटाले हुये हैं, जो फर्जी कम्पनीज अस्तित्व में आई हैं, छोटे इनवैस्टर्स का पब्लिक इश्यू में 10 हजार करोड़ रुपया लूट लिया गया है, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्युन्स का पैसा लूट लिया गया है, जब तक सरकार सी.बी.आई. की जांच

नहीं करायेगी, देश का पूंजी बाजार ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए इन वैनिशिंग कम्पनीज के घोटालों के खिलाफ सी.बी.आई. की जांच कराई जाये तथा सरकार उन तथ्यों को सदन के सामने प्रस्तुत करे।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय, हम जो ताबड़तोड़ घोटालों का सामना कर रहे हैं इससे करोड़ों रुपये का एक और घोटाला जुड़ गया है और हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि भी शामिल हो गया है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के अनेक सहकारी बैंक में आम आदमी की धनराशि जमा है।

महोदय, 2500 कर्मचारी भविष्य निधि है जो छूट प्राप्त श्रेणी में है और इन 2500 छूट प्राप्त निकायों के अंतर्गत कुल धनराशि 30,000 करोड़ रुपये की है। पहले ही सीमैन्स प्रोविडेन्ट फंड की भविष्य निधि संबंधी धनराशि किस प्रकार निकाल ली गई है और सरकारी प्रतिभूति में निवेश के नाम पर कुछ लोगों द्वारा धोखाधड़ी की बात उजागर हुई है। पूरे देश में लाखों कर्मचारियों और कामगारों के बीच यह भय है कि सरकारी प्रतिभूति से विशेषकर निवेश के संबंध में वास्तविक हस्तांतरण के कारण उनकी धनराशि कितनी सुनिश्चित है।

वर्ष 1992 के घोटाले के बाद जे पी सी ने यह सिफारिश की है कि डी-मैट प्रपत्र का परिवर्तन किया जाना चाहिए। इक्विटी बाजार में ऐसा किया गया था लेकिन 'बांड' बाजार में विशेषकर सहकारी क्षेत्र में अभी भी ऐसा करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। सरकार को इस सभा में स्पष्टीकरण देना है। यदि करोड़ों रुपये के घाटे की जांच आवश्यक है तो सभा को एक निकाय का गठन करने का अधिकार है।

अपराह्न 12.35 बजे

पश्चिमी बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर जवाब देगी क्योंकि श्री संतोष गंगवार यहां उपस्थित है। पिछले छह महीने से ज्यादा अवधि से पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र है निम्नलिखित इकाइयों के कर्मचारियों को उनका वेतन और मजदूरी नहीं मिल रही है नेशनल इंस्ट्रूमेण्टेशन' के कर्मचारी हल्ला कर रहे हैं और लगभग आत्महत्या जैसी स्थिति है। कर्मचारी अपनी मजदूरी से वंचित है और यह इकाई श्रीमती कृष्णा बोस के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है? पिछले छह महीनों में वे पांच बार दिल्ली आई लेकिन किसी भी प्रकार की धनराशि जारी नहीं हुई है।

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन जे एम सी) (नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन) में हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनमें से 50 प्रतिशत लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के रहने वाले हैं। पहले चार महीनों में वे अपने गांव एक फूटी कौड़ी भी नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिली है।

'बर्न स्टैण्डर्ड' के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने के लिए कहा गया था लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है और उनकी वेतन संबंधी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। तीन कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनयरिंग दूसरी इकाई है। जब आप मंत्री थे तब आपने इसे सहायता करने का प्रयास किया है। महोदय, आप इस उच्च अधिकार भारत विभाग में है और मैं आशा करता हूं कि आपका निर्देशन हमारी मांगों को मजबूती प्रदान करेगी। अब तक एक मुश्त धनराशि का बंदोबस्त नहीं किया गया है और उन्हें कोई धनरशि का भुगतान नहीं किया गया है। महोदय कल शाम को एक गरीब महिला का फोन आया था और इसीलिए मैंने सूचना दी है और वह महिला कह रही थी कि उनकी तीन पुत्रियों को स्कूल से भगा दिया गया है क्योंकि वे इनके शुल्क का भुगतान नहीं कर सकी। उनकी वही बेटी की शादी नहीं हो सकी क्योंकि लोगों ने यह कहकर आने से मना कर दिया कि वे शादी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। ये तो लोगों की दशा है।

अत: महोदय, मैं आपसे सरकार को पर्याप्त दिशा-निर्देश देने का अनुरोध करूंगा कि कम से कम बंगाल की सरकारी क्षेत्र की तीनों इकाइयों में कामगारों को वेतन संबंधी बकाया धनराशि का भुगतान करें ताकि वे जीवित रह सके। चूकि संसद 17 तारीख को स्थगित होगी और यदि हम अभी ऐसा नहीं करते हैं तो हमें सभा के ध्यान में यह लाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।

महोदय, जब आप मंत्री थे तो आप सभा में इसकी घोषणा करने में बिल्कुल सक्षम थे कि आप इन इकाइयों की अर्थक्षमता का पता लगाते। मैंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से संपर्क किया

था। जब आप मंत्री थी तो एक समय में आपके हस्तक्षेप से 'बर्न स्टैंडर्ड' के कर्मचारियों का कुछ भुगतान हुआ था। इसके बाद किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। अत: मेरी हार्दिक रूप से यह इच्छा है कि कम से कम मानवीय आधार पर सरकार को आवश्यक निर्देश दे और मंत्रीजी को इसका जवाब देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने जो कहा है उससे हम भी सहमत हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं। स्थिति बहुत गंभीर है। जब आप भारी उद्योग मंत्री थे तो मैंने आपके साथ इस मामले पर खर्चा की थी। कृपया इस मसले पर आप श्री संतोष गंगवार को दिशा-निर्देश प्रदान करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश प्रभु, अब आप भारी उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री है। मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा उठाए गए मामले की जांच कराने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, 'नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड' के कर्मचारियों को 14 महीनों से उनके वेतनमान का भुगतान नहीं हुआ है और 'बर्न स्टैंण्डर्ड' के कर्मचारियों को चार महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है। सरकार को सभा में आश्वासन देना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। क्या आप उनसे कोई जवाब लेना चाहते हैं? कृपया बैठ जाइये, मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुनील खां जी, मंत्री जी खड़े हैं। वह इस विषय में उत्तर देना चाहते हैं, उन्हें उत्तर देने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कहा है हम भी अपने आपको उनसे सम्बद्ध करते हैं क्योंकि बर्न स्टैन्डर्ड की एक इकाई सेलम में है, और सरकार द्वारा कुछ किया जाता है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, यह प्रश्न कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस उठाये गये मुद्दे को साथ सम्बद्ध करने तक ही सीमित नहीं है। पूरी सभा इस संबंध में चिंतित है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मैं भी उन सदस्यों के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है।

अपराह्न 1.00 बजे

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): जब सम्पूर्ण सभा इस मुद्दे के साथ अपने आपको सम्बद्ध कर रही है, तो सरकार स्पष्ट रूप से इसका संज्ञान लेगी और तदनुसार कार्य करेगी।

महोदय, जैसाकि आपको मालूम है हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विश्वास करती है और न केवल मजदूरों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को मान्यता प्रदान करती है अपितु समतावादी समाज जिसमें सभी वर्गों को लाभ हो, के विकास में मजदूर वर्ग के महत्व को भी महत्व प्रदान करती है।

महोदय, लेकिन राज्य की वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार की राजस्व से प्राप्त आय और मजदूरों की मांगों पर भी सरकार सभी उचित उपाय करेगी ताकि निश्चित रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखा जायेगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक मार्मिक और मानवता की ऊंचाइयों को छूने वाली तात्कालिक घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज गुजरात में जहां मानवता और इंसानियत लहू-लुहान हो रही है, वहीं देश के दूसरी तरफ मानवता की एक अजूबा मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

भारत नेपाल सीमा पर उत्तर बिहार के मधुबनी जिले में फुलपरास पुरवारी टोला गांव में एक गरीब खेतिहर मजदूरिन 26 वर्षीय श्रीमती दुलारी देवी जो कि एक वर्षीय इकलौती पुत्र की मां भी है, उसकी पालतू बकरी एक मेमने को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से मर गई। बकरी की मृत्यु के तुरंत बाद बकरी के बच्चे को जीवित रखने के लिए वह औरत मेमने को अपना स्तनपान करा रही है और बकरी का वह नवजात मेमना आज भी स्वस्थ है।

अध्यक्ष महोदय, आयुर्विज्ञान में गाय और बकरी के दूध को नवजात शिशु के लिए मां के दूध के समान उत्तम और पौष्टिक माना गया है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली

महिला ने जो काम किया, मानव संतति के नवजात शिशु के लिए तो इस तरह की बात देखी गई है, लेकिन बकरी के बच्चे को जो चौपाया जानवर है, महिला ने दूध पिलाकर एक अनोखा उदाहरण और कीर्तिमान स्थापित किया है। इस भौतिक युग में एक तरफ अत्याधुनिक महिलाएं शरीर को बेडौल होने के डर से अपने बच्चे तक को स्तनपान नहीं कराती हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण गरीब महिला ने चौपाए बच्चे को स्तनपान कराकर एक अनोखा ममतामय वात्सल्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए उस गांव फूलप्रास के लोगों ने दुलारी देवी के इस अजूबे वात्सल्य से मुग्ध होकर निर्णय किया है कि दुलारी देवी द्वारा जो बकरी के मेमने को स्तनपान कराया गया है, वे उसको बेचने नहीं देंगे। इससे दुलारी देवी के सामने जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई है।

अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि उसके जीविकोपार्जन के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था पशु कल्याण मंत्रालय या मानव कल्याण मंत्रालय या समाज कल्याण मंत्रालय करे और ऐसी महिला जिसने आज मानव सेवा में ऐसी ऊंचाई को प्राप्त किया है, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार निश्चित रूप से देने की घोषणा करें। यह बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। मेरे पास फोटो भी मौजूद है और यह सच्चाई है। आज के युग में इस तरह की गरीब महिला ने जो भलाई का काम किया, उस कारण आज उसके सामने रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उसकी जीविका का साधन केवल बकरी था और गांव के लोगों ने उसको बेचने के लिए मना कर दिया और उसे गांव की गौरवपूर्ण संपत्ति घोषित कर दिया। उस महिला ने इतना साहसपूर्ण और जानवर के लिए इतना बड़ा काम किया। यह बहुत गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय: यह विषय गंभीर है, मुझे मालूम है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह मानवता की एक नई मिसाल है। इसलिए आपको आसन से सरकार को निर्देश देना चाहिए और सरकार को सूचना ग्रहण करनी चाहिए। सरकार ऐसे मामलों में संवेदनशील होगी तो अच्छा है। संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, आप इस मामले को कम से कम पशु कल्याण मंत्रालय को भेजिए कि वे इस पर ध्यान दें। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने ऐसी बात प्रस्तुत की है जो अपने आप में एक उदाहरण है। मैं संबंधित मंत्री जो इस मामले में काफी चिन्ता करती हैं, उनको इससे अवगत कराऊंगा और निश्चित रूप से वे इस बारे में कुछ कर सकेंगी।

श्री रामदास आठवले: उनको पुरस्कार देने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, यह अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। अन्य पिछड़ा वर्गों में हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी शामिल है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जिसके अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों को रोजगार में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। इन सिफारिशों को भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। हमारे पास महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसदीय स्थायी समितियां है लेकिन अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कोई संसदीय स्थायी समिति नहीं है। यह एक संवैधानिक आरक्षण है जो हमने अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रदान किया है। इससे पहले, राष्ट्रीय स्तर का कोई पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था। अब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से भी हम पिछड़ा वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास के लिए काफी सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाये, हमें एक संसदीय स्थायी समिति गठित करनी होगी। यह समय की मांग है। मैंने पूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री बालयोगी और श्री संगमा जी से आग्रह किया था और उन्होंने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। कर्मचारी संगठनों और अन्य पिछड़ा वर्गों की जोरदार मांग है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक संसदीय स्थायी समिति गठित की जाए।

दूसरे, संघ लोक सेवा आयोग में अपनायी जाने वाली आरक्षण नीति में उच्च न्यायालय का वर्ष 2001 का दिया गया निर्णय है। यह एक स्पष्ट निर्णय है। संघ लोक सेवा आयोग में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में असमानताएं हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय पहले ही अपना फैसला दे चुका है। सरकार को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उस फैसले को कार्यान्वित करना चाहिए।

तीसरे, एक बहुत उचित मांग यह की गयी है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं की अनुमति मिलनी चाहिए। सभा में इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। सभा में विस्तृत चर्चा के बावजूद भारत सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरी यह मांग है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में

उम्मीदवारों को अपनी मातृ भाषा में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाए। मेरी यही तीन मांगें हैं।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.12 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.12 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब, सभा नियम 377 के अधीन मामले आरम्भ करेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तिरुपति और अराकोनम के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

डा. एन. वेंकटस्वामी (तिरुपति): सभापति महोदय, पुत्तूर लगभग 40 हजार जनसंख्या वाला एक बड़ा शहर है। पुत्तुर के भीतर और उसके आसपास कई अर्ध शहरी और देहाती गांव है जो तिरुपति हैदराबाद, विजयवाड़ा, चैन्नई, मुम्बई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, सेलम और ईरोड आदि जाने के लिए पुत्तूर पर निर्भर हैं। पुत्तूर का रेलवे स्टेशन शहर के बीचोंबीच स्थित है।

यात्री रेलगाड़ी संख्या 193, 194, 195 और 196 तिरुपति जाती हैं और अराकोनम पहुंचती हैं और वहां से प्रात: 8.40 पर रेणिगुंटा पहुंचती हैं। प्रात: 8.40 से लेकर शाम 6.00 बजे तक ये रेलगाड़ियां रेणिगुंटा में बेकार खड़ी रहती हैं।

तिरुपति से चैन्नई जाने वाली सप्तगिरी एक्सप्रेस संख्या 6.54 प्रात: 9.55 पर तिरुपति से चलती है और पुत्तूर से प्रात: 10.40 पर चलती है। इस प्रकार प्रात: 9.55 के पश्चात् शाम 5 बजे तक चेन्नई के लिए किसी रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है। प्रात: 10.40 से लेकर शाम 6.20 तक चेन्नई या अरक्कोनम के लिए कोई रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं होती। यात्रियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, तिरुपति से अराकोनम तक और वापस तिरुपति तक के लिए दो बार इन रेलगाड़ियों को चलाया जाए।

इसीलिए, मेरा केन्द्रीय रेल मंत्री जी से उक्त निवेदन पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह है।

[हिन्दी]

(दो) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंडा शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभपति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर से सागर-कानपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 घोषित किया गया है। सागर छतरपुर के इस मार्ग पर सागर से छतरपुर के बीच में बंडा बड़ा महत्वपूर्ण नगर है। यह व्यापार का प्रमुख केन्द्र है। यहां पर तहसील कोर्ट एवं महाविद्यालय भी है, किन्तु बंडा में मात्र एक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही है, जो कि बंडा की व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। यहां के निवासियों को बैंक सम्बन्धी कार्यों के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बैंक में अत्यधिक भीड़ रहने के कारण कई बार व्यापारी लाइन में लगे रहते हैं व ड्राफ्ट नहीं बनवा पाते हैं।

अत: बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से बंडा नगर में एक और राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का शीघ्र ही शुभारंभ किया जाना चाहिए।

(तीन) चौरा-चोरी रेल सेवा को बिहार में रक्सौल तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति महोदय, चौराचौरी रेल सेवा कानपुर से गोरखपुर वाया इलाहाबाद वाराणसी होकर जाती है। गोरखपुर पहुंचकर यह गाड़ी 16 घंटे गोरखपुर यार्ड में खड़ी रहती है।

16 घंटे तक रेलगाड़ी का खड़ा रहना लोकहित में नहीं है एवं इस प्रकार से रेल सम्पत्ति का ठीक प्रकार से हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर इस रेल सेवा को रक्सौल तक बढ़ा दिया जाए तो चम्पारण के लोगों को वाराणसी, इलाहाबाद एवं कानपुर पहुंचने में काफी सुविधा होगी, जिससे हम रेलवे के अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने में भी समर्थ होंगे।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चौरीचौरा रेल सेवा को रक्सौल तक बढ़ा दिया जाए तो उत्तरी

[डा. मदन प्रसाद जायसवाल]

बिहार के लोगों को कानपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी जाने में सुविधा होगी और रेलवे को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

[अनुवाद]

(चार) बिजली उत्पादन के लिए गुजरात को 0.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): गुजरात राज्य में बिजली की भारी कमी है। कोयला खानों से लम्बी दूरी और कोयले की ढुलाई के उच्च रेल भाड़ा प्रचार के कारण गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत की लागत बहुत अधिक है। ऐसी परिस्थितियों में, गुजरात सरकार ने कृभको द्वारा विकसित की जाने वाली 650 मेगावाट वाली पी.आई.पी. ए.बी.ए.पी. विद्युत परियोजना के लिए 1.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस के अतिरिक्त आबंटन की मांग की है क्योंकि 2.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस का आरंभिक आबंटन पर्याप्त नहीं है।

यद्यपि इस विषय पर भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री और सचिव के साथ गुजरात राज्य प्राधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जनवरी, 2001 में 0.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस उपलब्ध करायी जायेगी और गुजरात सरकार को 0.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के आबंटन के लिए विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की सूची का उल्लेख करते हुए विस्तृत प्रस्ताव भेजना चाहिए। गुजरात सरकार पहले ही इन प्रस्तावों को भेज चुकी है। लेकिन अभी तक 0.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस का यह आबंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसीलिए, मैं भारत सरकार से गुजरात में परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादन हेतु 0.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस के सहमत हुए आबंटन को आबंटित करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(पांच) राजस्थान में अजमेर में विमान पत्तन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदया, राजस्थान की हृदयस्थली में बसा हुआ अजमेर एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। अजमेर नगर का शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। राजस्थान में आने वाले विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटकों के लिए भी अजमेर तथा पुष्कर महत्वपूर्ण आकर्षण के केन्द्र हैं। वर्तमान में देश विदेश से आने वाले पर्यटक दिल्ली या जयपुर तक हवाई जहाज से आते हैं, फिर वहां से रेल अथवा सड़क मार्ग द्वारा अजमेर पहुंचते हैं, जो अत्यधिक कष्टप्रद है। हवाई यातायात से उन्हें सुगमता होगी।

अजमेर आर्यसमाज के प्रवर्तक तथा स्वराज्य के प्रथम मंत्रदृष्टा महर्षि दयानन्द सरस्वती की निर्वाणस्थली, नसीराबाद जैसी सुप्रसिद्ध सैनिक छावनी तथा ब्यावर किशनगढ़ एवं भीलवाड़ा जैसी व्यापारिक नगरियां समीप होने के कारण हवाई यातायात का लाभ उठाने वाले यात्रीगण बहुलता से उपलब्ध होंगे। अजमेर में सी.आर.पी.एफ. के दो मुख्यालय हैं, जहां अधिकारियों को अविलम्ब देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाना पड़ता है।

उपरोक्त सभी कारणों से अजमेर हवाई अड्डा स्थापित होना अत्यन्त आवश्यक है। अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर को हवाई यातायात से जोड़ने हेतु अविलम्ब हवाई अड्डे की स्थापना की जाये।

(छह) मध्य प्रदेश के खजुराहो में अखिल भारतीय पाषाण मूर्तिकला अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सांस्कृतिक रूप से भारत विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में युगों से संपन्न रहा है। किंतु समय के साथ परम्परागत कलाएं धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवम् कलात्मक परम्पराओं का अस्तित्व गंभीर संकट में है। अत: यह आवश्यक हो गया है कि सरकार देश की विभिन्न कलाओं को न केवल संरक्षण दे और विलुप्त होने से बचाए, बल्कि उनके संवर्द्धन, अनुरक्षण तथा परिमार्जन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करे।

विश्वप्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर, उनकी स्थापत्य कला एवम् पाषाण मूर्तिकला का एक समृद्ध इतिहास है। रेतीले पत्थरों पर एक हजार वर्ष पूर्व मूर्तिकला का अनुपम तथा अनूठा प्रमाण होते हुए भी चंदेल कालीन कलाओं की यह परम्परा बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। पाषाण मूर्ति कला के ऐसे ही केन्द्र दक्षिण भारत, उड़ीसा तथा राजस्थान में अनेक स्थानों पर विद्यमान हैं। किंतु इन कलाकारों को तथा मूर्ति कला की परम्परा को धीरे-धीरे नष्ट और विलुप्त होते देखा जा सकता है।

यह सर्वविदित है कि खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सम्पदा घोषित किया गया है। अत सरकार का ध्यानाकर्षित करते हुए अनुरोध है कि मूर्ति कला की शिक्षा, उसके अनुरक्षण संवर्द्धन तथा इस परम्परा को जीवित बनाए रखने के लिए खजुराहो में अखिल भारतीय पाषाण मूर्ति कला अकादमी की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

(सात) फरक्का बैराज परियोजना के अधीन अनुप्रयुक्त भूमि को विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को सौंपे जाने की आवश्यकता

श्री अबुल हसनत खां (जंगीपुर): फरक्का बैराज परियोजना के निर्माण के दौरान पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में चालीस हजार एकड़ से भी अधिक भूमि अधिगृहीत की गयी थी। अब निर्माण कार्य पूरा हो गया है। किसी भी प्रकार के अन्य निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह देखा गया है कि कुछ हजार एकड़ भूमि अप्रयुक्त ही पड़ी है। इसमें से सौ एकड़ भूमि पर अनधिकृत तरीके से पहले ही कब्जा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में भूमि के अप्रयुक्त भूखंडों को पश्चिम बंगाल सरकार जिससे इन भूखंडों को मूल रूप से खरीदा गया था को हस्तांतरित करना उचित होगा। पश्चिम बंगाल सरकार को विभिन्न विकास कार्यों जैसे मध्यम और लघु उद्योगों की स्थापना, राज्य सरकार कार्यालय, अस्पताल और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए काफी भूमि की आवश्यकता है।

मैं, केन्द्र सरकार से इस भूमि पर खाली पड़े भूखंडों को यथाशीघ्र पश्चिमी बंगाल सरकार को यथाशीघ्र हस्तांतरित करने हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके आरक्षण कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला (नेल्लौर): यह स्वागत योग्य है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान हेतु कुछ नई जातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के उद्देश्य से समय-समय पर संविधान में संशोधन किया जाता है। इस संबंध में यह जोड़ना प्रासंगिक है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की जनसंख्या 24.75 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लेकिन आरक्षण का प्रतिशत बढ़ती जनसंख्या के यथानुपात के आधार पर अब तक नहीं बढ़ाया गया है। मेरा सुझाव है, यद्यपि अनुसूचित जाति की अन्य श्रेणियों को समान स्थिति के अंतर्गत कुछ नई जातियों की इस सूची में शामिल करना स्वागत योग्य है, पर जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रतिशत नहीं बढ़ाया जाता, तब तक उद्देश्य पूरा नहीं होता।

इसलिए, मैं भारत सरकार से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कोटे का प्रतिशत यथाशीघ्र बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश में झांसी और बांदा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को मानिकपुर जंक्शन तक चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में प्रति मास अमावस्या तथा अन्य अनेक पवित्र अवसरों पर चित्रकूट के तीर्थयात्री भारी संख्या में ट्रेनों की छतों पर बैठकर यात्रा करते हैं। ट्रेनों की कमी के कारण यात्रियों को चोटें आती हैं, सामान नष्ट होता है तथा अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनता द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए मध्य रेल झांसी-बांदा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 1523/1524 को बांदा से आगे बढ़ाकर प्रतिदिन मानिकपुर जंक्शन तक चलाया जाए। जिससे चित्रकूट-करवी के यात्रियों को राहत मिल जाएगी। यह ट्रेन बांदा स्टेशन में छः-सात घंटे खड़ी रहती है और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाता। परिचालन अवरोध बताकर विगत छः-सात वर्षों से जनता की इस न्यायोचित मांग को नकारा जा रहा है। इससे जनता में रोष व असंतोष व्याप्त है।

अनुरोध है कि उक्त पैसेंजर ट्रेन को बढ़ाकर प्रतिदिन मानिकपुर रेलवे स्टेशन तक चलाने की व्यवस्था शीघ्र की जाए।

(दस) गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया): सभापति महोदय, इस सदन में कई बार चर्चा होने के बाद भी अभी तक गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नहीं मिल पाई है। आजादी के बाद भी गोवा विदेशियों के कब्जे में था परन्तु इन स्वतंत्रता सेनानियों ने गोवा की आजादी के लिए अपना परिवार और अपनी सम्पत्ति की परवाह न करके गोवा को भारत से जोड़ने का काम किया था। इस सम्बन्ध में गोवा सरकार से प्रतिवेदन मिला है। जब गोवा महाराष्ट्र का भाग था तो उस समय महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता सैनानी पेंशन के लंबित मामलों को तत्काल निपटाया जाये और उन्हें तत्काल पेंशन की सुविधा दी जाये।

(ग्यारह) देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने वाले ट्रस्टों को विशेष अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): मुस्लिम अल्पसंख्यकों का शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अभी भी प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मुस्लिम लड़कों और लड़कियों विशेषकर गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को उच्च और तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों में उनकी पहुंच बढ़ाने हेतु मदद देने की नितांत आवश्यकता है। सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लोगों का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुस्लिम समुदायों के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा हेतु अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। इनके हितों की सुरक्षा हेतु मौलाना आजाद न्यास को 1500 करोड़ रु. जारी किए जाए। इस संबंध में काम करने वाले अन्य मुस्लिम न्यासों को भी अनुदान जारी किया जाए ताकि वे सतत् विकास कर सकें।

[हिन्दी]

(बारह) फ्लाई ऐश के उपयोग द्वारा पी.पी.सी. सीमेंट बनाने हेतु एन.टी.पी.सी. और सी.सी.आई. का संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. चरणदास महंत (जांजगीर): सभापति महोदया, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने संबंधी अनेक निर्देश मौजूद हैं। पर्यावरण मंत्रालय के 14.9.99 की अधिसूचना अनुसार कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग करना है। कोरबा (छत्तीसगढ़) में प्रतिदिन 65000 टन कोयला जलता है और 26000 टन के लगभग प्रतिदिन फ्लाई ऐश निर्मित होती है जबकि पूरे भारत में 82 धर्मल पॉवर स्टेशन हैं, जिससे 8.5 करोड़ टन फ्लाई ऐश प्रति वर्ष निकलती है जिसमें सीसा जिंक, आर्सेनिक सिलिकान जैसी हैवी मेटल (भारी तत्व) भूजल, पौधे, जानवरों के लिये अत्यधिक घातक साबित हो रहे हैं। वर्तमान में इस समस्या का हल ऊर्जा मंत्रालय - एन.टी.पी.सी. एवं सी.सी.आई. का संयुक्त उपक्रम बनाकर पी.पी.सी. सीमेंट विनिर्माण में कर सकती है। इससे छत्तीसगढ़ के कोरबा एवं मांदर के साथ ही देश के अन्य स्थानों पर सी.सी.आई. के उपक्रम के अधिकारी कर्मचारियों के परिवार की सुरक्षा के साथ ही देश को जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण से बचाया जा सकता है एवं फ्लाई ऐश का कारगर उपयोग किया जा सकता है।

अत: अनुरोध है कि उद्योग विभाग मध्यस्थता कर एन.टी.पी.सी. एवं सी.सी.आई. के बीच संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की दिशा में शीघ्र कार्यवाही करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जलेसर, उत्तर प्रदेश लोक सभा क्षेत्र के उन गांवों की ओर दिलाना चाहूंगा, जहां दूषित जल जमीन के अन्दर होने के कारण उसे पीने से गम्भीर बीमारियां हो रही हैं। जलेसर लोक सेवा के ऐटा जिले की जलेसर तहसील के गांव महापुर, ऐरई, नगलापार, सिकन्दरपुर, कुतुकपुर, रजापुर, चिलासनी, रामगढ़, उम्मरगढ़ तथा नगलावंशी नांगली नौजी इन गांवों के भूगर्भ जल में खनिज अयस्क रसायन आदि का बे अनुपात है, हार्ड तथा बहुत कड़वा पानी है। फ्लोराइड अधिक होने के कारण 35-40 वर्ष की उम्र में दांत गिर जाते हैं तथा दिन में 4-5 बार शौच के लिए जाना पड़ता है। इस पानी को पीने से चिड़िया आदि मर भी जाती हैं। पशुओं को भी पीने के पानी की कमी होने के कारण अन्यत्र भेजना पड़ता है। कुछ गांव में दूषित जल पीने से कुबड़े भी हो जाते हैं। यदि मीठे एवं शुद्ध जल का स्रोत केन्द्रीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा ढूंढ़कर वहां पानी की टंकी बनाकर वाटर सप्लाई किया जाए, तो जनता को राहत मिलेगी।

अपराह्न 2.31 बजे

हज समिति विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदया : इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय आवंटन किया गया है और मुझे छ: वक्ताओं की सूची मिली है। इसलिए, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जितना संभव हो सके संक्षेप में ही अपनी बात कहें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): सभापति महोदया, जितना संभव हो सकता है, मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि हज के लिए मुसलमान तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करने और उससे संबंधित विषयों के लिए भारत की एक हज समिति और राज्य हज समितियां स्थापित करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

वर्ष 1959 के हज समिति अधिनियम के स्थान पर हज समिति विधेयक, 2002 को लाए जाने की आवश्यकता है जिसे

वर्ष 1932 के पत्तन हज समिति अधिनियम के स्थान पर लाया गया था। जबकि हज करने की मूल परम्परा, जिसके यही कारण रहा है कि सभी आयु वर्ग के मुस्लिम पुरुष और महिलाएं और सभी आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग सऊदी अरब में हज करते हैं। जिसमें अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया है, हज करने की कार्यविधि, प्रणाली जिसे उस स्थान पर बनाए रखने की जरूरत है, यातायात के साधन और प्रत्येक वर्ष भारत से यात्रा करने वाले हाजियों की संख्या में हज समिति अधिनियम, 1959 के लागू होने के बाद इन सब चीजों में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हज समिति अधिनियम, 1959 के कई मूल पहलुओं को बदलने के लिए इस हज समिति अधिनियम के स्थान पर हज समिति विधेयक, 2002 लाया है जिसे बदलने की आवश्यकता है।

सबसे पहले पूर्व हज समिति अधिनियम में मुम्बई केन्द्र था। 1959 में यह स्वाभाविक था क्योंकि कुल मिलाकर हाजी मुम्बई से पानी के जहाज से आते थे। पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी बदलाव आया है। पिछले वर्ष कोई भी यात्री पानी के जहाज से हज यात्रा पर नहीं गया था। वस्तुत: ऐसा नहीं है कि कोई हाजी नहीं गए थे लेकिन भारत से दस अलग-अलग स्थानों से हाजी हवाई जहाज द्वारा गए थे। यह अपने आप में ही बहुत बड़ा बदलाव है। हाजियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जहां वर्ष 1992 में यह 24000 थी वहीं इस वर्ष केन्द्रीय हज समिति के अंतर्गत इस वर्ष 72000 हाजियों ने यात्रा की।

वर्ष 1981 में, मुम्बई में केन्द्रीय हज समिति द्वारा 'कुरोह' से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं और कई हज यात्रियों को आकर्षित किया था। वर्ष 1981 के बाद, ये सभी कार्य राज्य हज समितियों को विकेन्द्रीकृत कर दिए गए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, बम्बई नहीं, मुम्बई होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया व्यवधान न डालें। कृपया मंत्री को अपनी बात समाप्त करने दें। कृपया बैठिए।

[हिन्दी]

मुम्बई ही रहेगा। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला: इस तथ्य के अलावा कि यह बम्बई ही था, जब मैं वहां था, जब यह सब किया जा रहा था, यह अभी भी बम्बई था। इसलिए, मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूं।

अब, इन राज्य हज समितियों को बड़ी भूमिका अदा करनी है। इन सब बातों की ओर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी तादात में हाजियों की संख्या बहुत बढ़ी है, हम महसूस करते हैं कि केन्द्र और राज्य दोनों हज समितियों को पुनर्गठित करने और उनके प्रबोधन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

और इसके लिए, एक नया विधान लाए जाने की आवश्यकता है। इस विषय के लिए मैं अपने मंत्रालय की स्तुति इसके द्वारा किए गए कार्य के लिए रिकार्ड करना चाहूंगा और साथ ही संसद सदस्य, श्री एम.ओ.एच. फारूक की भी शुरुआत में उनके द्वारा की गई मेहनत तथा इसके लिए मूल काम करने हेतु उनकी भी प्रशंसा करना चाहूंगा।

मैं चाहूंगा कि सभा इस विधेयक पर विचार करे।

सभापति महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि हज के लिए मुसलमान तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करने और उससे संबंधित विषयों के लिए भारत की एक हज समिति और राज्य हज समितियां स्थापित करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, मैं हज समिति विधेयक का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय: मंत्री द्वारा पहले ही आपकी प्रशंसा की गई है।

श्री एम.ओ.एच. फारूक: महोदया, शुक्रिया आज हमारी मुराद पूरी होने का दिन है। वास्तव में, हम पिछले 18-20 वर्षों से इस संबंध में कार्य कर रहे थे और अंतत: हम इन सबको पाने में सफल हो गए।

1970 के दशक में एक समिति गठित की गई थी और मुझे उस समिति का अध्यक्ष का पद भार संभालने के लिए कहा गया था। मैं सभी स्तरों से गुजर चुका हूं। इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। शिक्षित मुस्लिम लोगों के विचारों पर भी गौर फरमाया गया, उलेमाओं से विचार-विमर्श किया गया और इस तरह से आखिर में एक व्यापक विधेयक लाया गया। मुझे नहीं मालूम कि

[श्री एम.ओ.एच. फारूक]

फिर क्या हुआ मुझे निराशा हुई कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद श्री सलीम शेरवानी, जो राज्य मंत्री थे, ने एक बैठक बुलाई और फिर सारा काम पुन: प्रारंभ किया गया था। हमने भी काम किया और इस काम करते हुए हम यह देखना चाहते थे कि देश के विभिन्न भागों से मिले अभ्यावेदनों पर पर्याप्त रूप से गौर फरमाया जाए, यह इस विधेयक का व्यापक आधार हो और साथ ही यह ज्यादा प्रजातांत्रिक हो। इस आधार को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक को लाने के लिए मैं मंत्री जी का आभारी हूं। मैं आपको बता दूं कि यह सरकार उन सभी हज तीर्थयात्रियों को हज यात्रा में शामिल करने के लिए बड़ी मेहरबानी रही है जिन्होंने पिछले वर्ष हज यात्रा के लिए आवेदन किया था और अब हम कुछ बड़ा कार्य करने में सक्षम हैं।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ और बातें लाना चाहता हूं। विधेयक के पृष्ठ-2, खंड-3 में यह कहा गया है कि समिति का मुख्यालय मुम्बई में हो। इसका मुख्यालय मुम्बई में किए जाने के विरुद्ध नहीं है। लेकिन क्या इसका मुख्यालय मुम्बई में ही होना अनिवार्य है? मंत्री जी को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। केवल मुम्बई में ही इसका मुख्यालय हो यह जरूरी नहीं है। यह और कही भी हो सकता है। बाद में, यदि कोई आकस्मिकता आती है तो आपको अधिनयम के अनुसार चलना होगा और हम ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते हैं। अत: क्या यह अनिवार्य और जरूरी है कि यह मुम्बई में ही हो? *...(व्यवधान)* यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम इसके मुम्बई में होने के विरुद्ध नहीं है *...(व्यवधान)*

दूसरी बात यह है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस समय तो यह सही दिशा में चल रही है। विदेशों में हज कमेटी का काम क्या है? वास्तव में मैंने, एक संशोधन दिया है कि आप ''भारत के पश्चात'' विदेश भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यदि मंत्री के लिए तकनीकी रूप से ऐसा करना कटिन है तो मैं इस पर बिल्कुल जोर नहीं दे रहा हूं। किन्तु जो बात मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाह रहा हूं वह यह है कि यह हज कमेटी के पास कुछ काम सऊदी अरब में करने के लिए भी होना चाहिए। समय गुजरने के साथ मात्र हज कमेटी ही सहायता नहीं कर रही है। दूसरी ओर यह सरकार से सरकार का सम्पर्क हो रहा है क्योंकि वे उसे इस स्तर तक ले आए हैं कि मंत्रियों को ही इसकी जांच करनी होती है। मंत्री जी पिछली बार वहां गए और समझौता 2001 पर हस्ताक्षर किए।

अब हज विधेयक 2002 आ गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि इसे पारित किया जाए। मुझे वहां की कूटनीतिक उन्मुक्तियों की जानकारी नहीं है। किन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए। इस हज कमेटी को वही कार्य करना चाहिए जो अब हम सऊदी अरब में कर रहे हैं क्योंकि यह आवश्यक है।

आज विधेयक पारित होने जा रहा है। हम विधेयक का पूर्णरूपेण समर्थन करते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि यह विधेयक आगामी हज अवधि के लिए लागू हो क्योंकि हम पहले ही यह कार्य शुरू कर चुके हैं और हम यह कार्य कर रहे हैं क्योंकि इसे करने की जरूरत है। इस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए और इसे युद्ध स्तर पर किया जाए। अथवा इससे कठिनाईयां पैदा होंगी। हमें कुछ तकनीकी कठिनाईयों का सामना होगा। आपको नियम बनाने हैं। जो सुझाव मैं दे रहा हूं वह यह है कि आप तत्काल नियम बनाए। आप नियमों को तैयार रखें ताकि उन्हें आगामी सत्र में सदन में रखा जा सके। राज्य हज समितियों को इस दिशा में संगठित किया जा सकता है। मेरा तर्क यही है कि सभी कार्यकलापों को सम्बद्ध किया जा सकता है। इस अधिनियम को तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मंत्री को मैंने यही तर्क दिया है। सरकार को इसे शुरू करना चाहिए। इसके लिए जो भी कार्रवाई जरूरी है, हमें उसे करने का प्रयास करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। आज मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। मैं इसके लिए पिछले अठारह वर्षों से काम कर रहा हूं। आज यह कार्य पूरा हुआ है। मुझे इस सरकार को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) मैडम चेयरमैन, मैं हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वह यह बिल इस एवान में लाए। साथ ही इस बात के लिए भी मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वे यंग हैं जिनके कंधों पर यह भार पड़ा और मुल्क में वह यह हज बिल लाए। मिनिस्टर साहब, नागर विमानन के मिनिस्टर और प्रधान मंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस बार उन्होंने 6 जगहों से डायरेक्ट हज फ्लाइट को और बढ़ा दिया। हम 50 सालों से कश्मीर में यह मांग कर रहे थे कि हमें डायरेक्ट हज फ्लाइट मिलनी चाहिए लेकिन वह नहीं मिली। आज कश्मीर से, केरल से, लखनऊ से और बहुत सी जगहों से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलने लगी है। मैं इसके लिए दोनों मिनिस्टर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं इस बिल कि इस बात के लिए पुरजोर हिमायत करना चाहता हूं कि इसमें दो-तीन चीजें हैं जिनमें से एक यह है कि हज कमेटी बनी है वह डैमोक्रेटिक तौर पर बनेगी और यह बहुत अच्छी बात है।

दूसरी बात यह है कि पहली बार हज कमेटी में एकाउंटिबिलटी आई है। पहले एकाउंटिबिलटी क्या थी क्या नहीं थी लेकिन अब पहली बार पार्लियामेंट के सामने भी कमेटी जवाबदेह होगी। पहले

जो फाइनेंशियल और दूसरी चीजों के बारे में शिकायतें थी वह इसमें नहीं रहेगी। हज कमेटी के फराइज में कई चीजें हैं। उनमें से एक यह भी है कि वह हाजियों को ट्रेनिंग देगी कि हज का जो फरीजा है उसको किस तरह से अंजाम दिया जाएगा। वह हो भी रहा है लेकिन मेरी इसमें तजवीज यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस समय हज होता है उसकी फिल्म बनाये और वह फिल्म स्टेट हज कमेटी में तकसीम की जाए और वह लोगों को सारी फिल्म दिखाये। तब लोगों को समझ आयेगा कि हज किस तरह से होता है। यह बहुत जरूरी है। मैं सऊदी अरब गया था। मेरा जो अनुभव है और जो कुछ मैंने देखा, लोगों से जो फरियाद की और जो लोगों की ख्वाहिश है, वह यह है कि हज अदायगी पर एक फिल्म होनी चाहिए। पांच दिन की हज यात्रा होती है। हिन्दुस्तान की रियासतों में जहां हाजियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां इसे दिखाया जाए ताकि लोग सही तौर पर हज का फरिजा अदा कर सकें। मैंने पहले भी कहा है कि इस एक्ट को लाने के लिए हुकूमत मुबारकवाद की मुस्तहिक है। यह हुकूमत इस बिल को लेकर आई। इस बिल को लाने की पहले भी बड़ी कोशिश हुई लेकिन यह एक्ट तब तक मुकम्मत नहीं होगा जब तक रूल्स नहीं बनेंगे। अक्सर एक्ट बन जाते हैं लेकिन रूल्स जल्दी-जल्दी न बनाए जाते हैं जिससे एक्ट का मकसद फौत होता है।

[अनुवाद]

ऐसा नियमों के कारण हैं। नियम बनाए नहीं जाते हैं। इसलिए उनका हमेशा उल्लंघन होता रहता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्हें नियम बनवाने और सदन के समक्ष लाने में इस विधेयक को निजी मामले के रूप में लेना चाहिए। इसके पश्चात इस अधिनियम को कार्यान्वित किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। मेरा सदन से अनुरोध है कि इसे तत्काल पारित करें।

[**जनाब अली मोहम्मद नानक (लखनऊ)**: मैडम चेयरमैन साहब, मैं हकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वह यह बिल इस ऐवान में लाई। साथ ही इस बात के लिए भी मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि यह बिल उन के कंधों पर यह भार पड़ा और मुल्क में वह यह हज बिल लाये। मिनिस्टर साहब, [illegible] CIVIL AVIATION मिनिस्टर और वजीरे आजम जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस बार उन्होंने ६ जगहों से डाइरेक्ट फ्लाइट को और बढ़ा दिया। हम ५० सालों से कश्मीर में मांग कर रहे थे कि हमें डाइरेक्ट फ्लाइट हज के लिए मिलनी चाहिये लेकिन वह नहीं मिली। आज कश्मीर से, केरल से, लखनऊ से और बहुत सी जगहों से डाइरेक्ट फ्लाइट्स मिलने लगी हैं। मैं इस के लिए दोनों मिनिस्टर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं इस बिल की इस बात के लिए जोर हिमायत करना चाहता हूं कि इस में दो तीन चीजें हैं, जिन में से एक यह है कि [illegible] हज कमेटी बनी है वह जम्हूरी तौर पर [illegible] और यह बहुत अच्छी है।

दूसरी बात यह है कि पहली बार हज कमेटी में अकाउंटेबिलिटी आई है। पहले अकाउंटेबिलिटी क्या थी नहीं थी लेकिन अब पहली बार पार्लियामेंट के सामने भी कमेटी जवाबदेह होगी। पहले जो फाइनेंशियल और दूसरी चीजों के बारे में शिकायतें थीं वह इसमें नहीं रहेंगी। हज कमेटी के फराइज में कई चीजें हैं। उनमें से एक यह भी है कि वह हाजियों को ट्रेनिंग देगी कि हज का जो फरीजा है उसको किस तरह से अंजाम दिया जाएगा। वह हो भी रहा है लेकिन मेरी इसमें तजवीज यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस समय हज होता है उसकी फिल्म बनाये और वह फिल्म स्टेट हज कमेटी में तकसीम की जाए और वह लोगों को सारी फिल्म दिखाये। तब लोगों को समझ आयेगा कि हज किस तरह से होता है। यह बहुत जरूरी है। मैं सऊदी अरब गया था। मेरा जो अनुभव है और जो कुछ मैंने देखा, लोगों से जो फरियाद की और जो लोगों की ख्वाहिश है, वह यह है कि हज अदायगी पर एक फिल्म होनी चाहिए। पांच दिन की हज यात्रा होती है। हिन्दुस्तान की रियासतों में जहां हाजियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां इसे दिखाया जाए ताकि लोग सही तौर पर हज का फरिजा अदा कर सकें। मैंने पहले भी कहा है कि इस एक्ट को लाने के लिए हुकूमत मुबारकवाद की मुस्तहिक है। यह हुकूमत इस बिल को लेकर आई। इस बिल को लाने की पहले भी बड़ी कोशिश हुई लेकिन यह एक्ट तब तक मुकम्मत नहीं होगा जब तक रूल्स नहीं बनेंगे। अक्सर एक्ट बन जाते हैं लेकिन रूल्स जल्दी-जल्दी न बनाए जाते हैं जिससे एक्ट का मकसद फौत होता है।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदया, मैं हज समिति विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक वर्ष 1959 के प्रथम हज समिति अधिनियम के स्थान पर लाया गया है। 43 वर्ष के पश्चात यह विधेयक संसद के समक्ष लाया गया है। मैं यह जानता हूं। इस विधेयक का प्रारूप 1997 में तैयार किया गया था। पांच वर्ष बाद यह संसद के समक्ष लाया गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि कभी नहीं से देर भली।

विधेयक के विस्तार में जाने से पूर्व मैं सदन के साथ भागीदारी करना चाहता हूं कि पिछले तैंतालीस वर्षों में इस पूर्ण परिदृश्य में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। पहले, सभी यात्री हज यात्रा के लिए मुम्बई पत्तन से समुद्री मार्ग द्वारा जा रहे थे। अब यह समुद्री यात्रा 1995 से बंद कर दी गई है। दूसरे अब सभी यात्री देश के विभिन्न भागों से विमान से चार्टर्ड उड़ानों द्वारा हज यात्रा पर जा रहे हैं। तृतीय, पिछले एक दशक में यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। माननीय मंत्री जी पहले ही सूचित कर चुके हैं कि 2002 में हज यात्रियों की संख्या 72000 हजार थी। वर्ष 1991 हज करने वाले यात्रियों की संख्या 18,299 थी। वर्ष 2000 में 191 उड़ानें की गई। इसलिए प्रत्येक यह महसूस करता है कि अनेक यात्री धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के लिए जेद्दा और मक्का जा रहे हैं।

इस संबंध में मेरा कहना है कि इस दौरान काफी विकेन्द्रीकरण हुआ है आवेदन और अन्य बातों के संबंध में माननीय मंत्री पहले ही इसके बारे में उल्लेख कर चुके हैं। अब कार्य का विकेन्द्रीकरण हुआ है। अब यह कार्य राज्यों की हज कमेटियों को दे दिया गया है। पूर्व संदर्श यह था कि मंत्रालय ने महाराष्ट्र विशेषकर मुम्बई को वरीयता दी थी जहां से यात्री पानी के जहाज से जा रहे थे। किन्तु यह संदर्श बदल गया है। मैं पहले ही इसका उल्लेख कर चुका हूं। मेरे मित्रों ने इस बारे में पहले ही बताया है। इसलिए इस परिवर्तित संदर्श में मेरी मांग है कि सेंट्रल हज कमेटी का कार्यालय मुम्बई से एकीय राजधानी दिल्ली में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुविधाजनक है। मुम्बई कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में कार्य कर सकता है। अत:

[श्री मोइनुल हसन]

यह मेरी पहली मांग है। मैं इस तथ्य को माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मैं अपनी बात संक्षिप्त रूप से कहूंगा। जहां तक हज सुविधाओं के प्रबंधन का संबंध है। यह यात्रा कोष से एक भाग के रूप में प्रतिवर्ष चार सौ करोड़ का हिसाब-किताब करता है। संसद को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है। हज कमेटी के लेखा को संसद अथवा किसी अन्य सदन के समक्ष नहीं रखा गया है। यह सार्वजनिक धनराशि है। इसलिए यह मेरा सुझाव ही नहीं मेरी मांग भी है कि वर्तमान विधेयक में इस आशय का प्रावधान किया जाना चाहिए कि हज कमेटी के लेखा की लेखापरीक्षा की जाएगी और इसे संसद के समक्ष रखा जाएगा। इस समय हममें से किसी को भी हज कमेटी के तुलन पत्र और लेखा के बारे में जानकारी नहीं है। हम विभिन्न प्रकार के धनराशि की व्यवस्था के बारे में बात करते रहे हैं। हमारे पास इस संबंध में कुछ समाचार भी है। हज संबंधी मामलों का प्रबंधन पारदर्शी होगा यदि हज कमेटी लेखों और तुलन पत्र इस सम्मानीय सदन के समक्ष रखती है।

अगली बात हज समिति की भूमिका के बारे में है। श्री एम.ओ.एच. फारूक इसका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं कि हज समिति की भूमिका भारत तक ही सीमित है। विधेयक के उद्देश्य के बारे में यह रहा गया है:

> "यात्रियों के लिए लाभदायक सूचना एकत्र करना और उसका प्रसार करना, और यात्रियों के लिए विषय परिचायक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंध करना;
>
> हज यात्रा पर जाने अथवा यात्रा से वापिस आने, टीकाकरण आदि के समय भारत में त्रिमान में बैठने हेतु भारत में विमान पत्तनों पर ठहरने के दौरान यात्रियों को सलाह देना और उनकी सहायता करना,
>
> केन्द्र सरकार के अनुमोदन से वार्षिक हज योजना को अन्तिम रूप देना, और योजना को पूरा करना जिसमें विमान द्वारा अथवा किसी अन्य साधनों द्वारा यात्रा हेतु प्रबंध शामिल हैं अथवा आवास से संबंधित मामलों में सुझाव देना।"

हम सब यह जानते हैं। किन्तु प्रमुख भूमिका भारत में नहीं बल्कि जेद्दा, मक्का और मदीना में निभाई जानी है। यह कार्य कौन करेगा? हमारे मिशन को यह करना चाहिए। किन्तु हमारा व्यावहारिक अनुभव यह कहता है कि हमारा मिशन यह कार्य करने में विफल रहे हैं। वास्तव में, किसी ने मुझे बताया है कि यह कार्य मिशन का था और किसी ने कहा है कि यह कार्य सेंट्रल हज कमेटी का था। सेंट्रल हज कमेटी और मिशन के बीच कोई समन्वय नहीं है। मैं माननीय मंत्री से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करूंगा।

हाजी किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। संक्षेप में, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आवास विशेषकर जेद्दा और मक्का में मानक नहीं है। माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि औसतन 2.5 वर्ग मीटर से 3 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले अधिकतर व्यक्ति बूढ़े होते हैं। यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए।

दूसरी कठिनाई हाजियों के चिकित्सा उपचार के बारे में है। मुझे पता चला कि गत हज यात्रा में 250 चिकित्सक ही वहां थे। मैं कहना चाहता हूं कि यह संख्या बहुत कम है।

माननीय मंत्री ने पहले ही बताया है कि दस स्थानों से उड़ानें होती हैं। मैं यात्रियों के लिए और अधिक स्थानों से उड़ानें शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

प्रत्येक हाजी आबे जमजम नामक पवित्र जल लाने का प्रयास कर रहा है। अपे साथ पवित्र जल लाना सम्भव नहीं है। अन्य उड़ानों में उन्हें जल लाने की अनुमति है। इस बीच, वे अपना पवित्र जल खो चुके हैं, जिसमें हाजियों में भारी प्रतिक्रिया हुई है। मैं माननीय मंत्री से इस मामले और हाजियों से संबंधित अन्य मामलों की जांच कराने का अनुरोध करता हूं। उदाहरणार्थ, वे बाधारहित यात्रा और बाधा रहित पैकेज विमान हेतु अनुरोध करते हैं किन्तु कठिनाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह समन्वय की कमी है। हमारे देश के वृद्ध वरिष्ठ नागरिक विदेश जा रहे हैं। हज कार्य के बड़े क्षेत्र में समन्वय की कमी है। यहां प्राधिकारी पूर्ण रूप से विफल हो चुके हैं। जेद्दा आदि के लिए हज यात्रियों के लिए उड़ान कार्यक्रम, उड़ान कार्यक्रम में अस्पष्टता, विलम्ब के बारे में सूचना की पूर्ण कमी है और भारत में उनके संबधियों को अंधेरे में रखा जाता है। उन्हें उनके बारे में कुछ अता पता नहीं होता।

मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह सभी कमियों पर काबू पाएं और यह देखें कि हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को बाधारहित बनाया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अकबर अली खांदोकर (सेरमपुर): सभापति महोदया, आज हमारे माननीय मंत्री जी ने हज समिति बनाने हेतु विधेयक पेश किया है। मैं इस विधेयक को लाने के लिए उनका और भारत सरकार का आभारी हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आज हम हज समिति बनाए जाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो हज जाने वाले मुस्लिम तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था करेगी। यह खेद का विषय है कि मंदिर या मस्जिद पर अनेक बार चर्चा करते हैं लेकिन हम अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन में लाए जाने वाले आवश्यक मौलिक परिवर्तन पर कभी चर्चा नहीं करते। हज के लिए कौन लोग जाते हैं? ये 50 से 70 वर्ष के बुजुर्ग लोग होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से बचत करके बड़ी मुश्किल से हज यात्रा कर पाते हैं। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और भारत के किसी भी हिस्से के होते हैं। हज समिति ने कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं। लेकिन कई ऐसे छोटे मसले हैं जो छोटे होते हुए भी महत्वपूर्ण है। हज जाने के इच्छुक लोग बहुत गरीब परिवारों के होते हैं। इनमें से अधिकांश अशिक्षित होते हैं। उनके पास जो थोड़ा-बहुत पैसा होता है उसे वह बचाते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके पास हज जाने लायक पैसे हो गए हैं, तब वे हज यात्रा करते हैं। लेकिन तब तक वे काफी बूढ़े हो चुके होते हैं। इन दूर-दराज के गांवों के बुजुर्ग लोगों ने विद्युत चालित रेलगाड़ी या बस से भी यात्रा नहीं की होती। तब वे हवाई यात्रा कैसे कर पाएंगे? वे हवाई यात्रा करना कैसे जानेंगे? मैं, स्वयं दो वर्ष पहले हज यात्रा पर गया था। हम दिल्ली हवाई अड्डे पर थे। उड़ान भरने से पूर्व हाजियों को वजू करना था। वजू करते समय उन्होंने पूरे टालेट में और जहाज के फर्श पर पानी बिखेर दिया। अधिकारियों को वह हवाई जहाज बदलकर हज यात्रियों के लिए दूसरे जहाज का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से और समिति के सदस्यों से मेरा पहला अनुरोध यही है कि कोई ऐसी प्रक्रिया तैयार की जाए जिससे इन ग्रामीण और अशिक्षित लोगों को नए वातावरण में स्वयं को ढालने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण मिल सके।

मेरी दूसरी बात हज क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने वाले आवास की किस्म के बारे में है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हाजियों को उपलब्ध कराए जाने वाले सभी मकान खराब होते हैं। लेकिन, कुछ मकान हज स्कूल से दूर हैं और कुछ बिना लिफ्ट वाले तीन मंजिला भवन हैं। अधिकांश यात्री बूढ़े और कमजोर होते हैं। उनके लिए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरों में जाना या कमरों से उतरना और दूर तक चलकर हज स्थल पर पहुंचना कठिन होता है। पहाड़ी पर सड़कें भी ऊंची-नीची है और उस खतरनाक सड़क पर चलकर मक्का पहुंचना उनके लिए कठिन होता है। यात्रा के बाद अपने कमरों में वापस आना भी उनके लिए थकान भरा होता है। अगली समस्या उनको चिकित्सा सुविधा की है। यह सच है कि भारत सरकार बहुत सी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराती है। ये सुविधाएं केवल कुछ केन्द्रों पर ही उपलब्ध होती हैं। इन अनपढ़, भोले-भाले वृद्ध ग्रामीणों को चिकित्सा केन्द्रों पर पहुंचने और अपनी बीमारी का उपचार कराने में मुश्किल होती है। इस मामले में हज यात्रा के दौरान मेरा अपना अनुभव है। इन वृद्ध लोगों को यह भी पता नहीं था कि उपचार के लिए कहां जाना है। वे अंधे व्यक्ति की तरह चिकित्सा केन्द्र खोजने का प्रयास कर रहे थे। भारत सरकार और हज समिति हज यात्रा के लिए सराहनीय कार्य करती रही है। लेकिन, यदि वे अशिक्षित या अर्ध-शिक्षित ग्रामीणों को आ रही इन छोटी-छोटी समस्याओं पर ध्यान देंगे तो इन लोगों की बहुत मदद होगी।

मैं एक और समस्या का हवाला देना चाहता हूं। हज करने के बाद जब वे वापिसी के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो उन्हें जिस उड़ान से जाना होता है उसें विलम्ब होने या उसे रद्द किए जाने के कारण उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हज यात्रा के खर्चों की अदायगी के बाद उनके पास जो कुछ बचा रहता है उससे वह अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीद लेते हैं। इस तरह, कई बार इन लोगों के पास प्रतीक्षा समय के दौरान पेयजल खरीदने या अन्य छोटी-मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने तक के लिए भी पैसा नहीं बचता। हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा समय 24 घंटे से 48 घंटे तक हो जाता है। यह सरकार और दूतावास की उपेक्षा के कारण होता है। इन लोगों को आने वाली इस तरह की समस्याओं के बारे में मैंने सरकार को कई पत्र लिखे हैं। हज समिति को अपनी निगरानी प्रणाली को व्यापक बनाना चाहिए। ताकि इन लोगों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

मैं एक और बात का उल्लेख करूंगा। कुछ दलाल निजी स्तर पर हज यात्रा कराते हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन दलालों पर प्रतिबंध लगाए ताकि ये लोग हज के नाम पर गरीब ग्रामीणों का शोषण नहीं कर पाएं। ये लोग गरीब ग्रामीणों से भारी रकम वसूल करते हैं, घटिया प्रबंध करते हैं और हाजियों को हज स्थल से बहुत दूर ठहराते हैं। ये गरीब लोग इन दलालों की वजह से बहुत कष्ट उठाते हैं। इन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगना चाहिए।

महोदया, मैं सभा का ध्यान एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, हालांकि यह इस विधेयक से संबंधित नहीं है। पश्चिम बंगाल से नेपाल या बंगलादेश के रास्ते सामान्य या विकलांग बच्चों का अपहरण करके उनसे भीख मंगवाने के लिए सऊदी अरब भेजा जाता है। इस क्षेत्र में यह अनैतिक किस्म का नेटवर्क बहुत फैल गया है। कई बार ये लोग पकड़े जाते हैं और बच्चों को भारत वापिस भेज दिया जाता है। सरकार के लिए यह बड़ी विकट स्थिति होती है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन घटनाओं की सम्पूर्ण जांच की जाए ताकि इस शर्मनाक

[श्री अली अकबर खांदोकर]

कार्य में लिप्त लोगों के विरुद्ध मामले दायर हों और दोषियों को सख्त सजा मिले। इस आपराधिक गतिविधि पर तभी लगाम लगेगी और अभागे बच्चों को न्याय मिल पाएगा।

विधेयक का समर्थन करते हुए और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप नाम बुलाने से पहले ही खड़े हो जाते हैं। श्री रामदास आठवले को मैं एक मिनट के लिए बुला रही हूं क्योंकि वे कहीं जाना चाहते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): रामदास आठवले एक समस्या है, क्यों बुला रहे हैं उन्हें बेवजह? बाद में बोलते रहेगे।

सभापति महोदया: बोलने दीजिए उन्हें। आप बैठिये।

श्री रामजीलाल सुमन: दुनिया के हर सवाल पर रामदास आठवले को बुलाना कोई आवश्यक थोड़े ही है?

सभापति महोदया: वह मुम्बई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: कौन-सी ऐसी उपयोगी बात रामदास आठवले कहने वाले हैं जिससे सदन का ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा?

सभापति महोदया: आप ऑब्जैक्ट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कोई अमेन्डमेंट मूव करना है, करने दीजिए।

श्री रामदास आठवले: सभापति जी, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और इस हज कमेटी बिल का मैं समर्थन करता हूं। हमारे उमर अब्दुल्ला जी अच्छे मंत्री हैं और इसलिए जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो वह स्वीकार नहीं किया गया। हम इस बिल का भी समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि आप मंत्री हैं। इसका जो ऑफिस मुम्बई में है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: उनका बहुत महत्वपूर्ण पाइंट है, बोलने दीजिए। आप जब बोले तो किसी ने नहीं टोका।

श्री अकबर अली खांदोकर: वह इस्तीफे की क्या बात कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: हम सपोर्ट ही कर रहे हैं। हज कमेटी का बिल बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदया: जो आपका अमेन्डमेन्ट है, उसके बारे में आप कहें।

श्री रामदास आठवले: हम इस बिल का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मांग इतनी है कि इसका हैड ऑफिस जो मुम्बई में है, वह मुम्बई में ही रहना चाहिए। इसका दूसरा ऑफिस आप अगर दिल्ली में शुरू करना चाहते हैं तो दिल्ली में भी शुरू कर सकते हैं, इतना ही हमें कहना है। अंत में हम फिर इस बिल का समर्थन करते हैं।

सभापति महोदया: कोई अमेन्डमेंट मूव किया है? कोई नोटिस नहीं दिया है मुम्बई के बारे में।

श्री रामदास आठवले: नोटिस तो है।

सभापति महोदया: यहां नहीं आया है।

श्री रामदास आठवले: आया नहीं है, यहां तो मेरे पास प्रिंटेड मौजूद है।

सभापति महोदया: अपना सैन्टिमेंट उन्होंने एक्सप्रैस किया है कि मुम्बई ऑफिस शिफ्ट न किया जाए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदया, हम लोग हज समिति विधेयक, 2002 पर चर्चा कर रहे हैं। हज यात्रियों को जो असुविधा होती थी, उससे निजात दिलाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह एक अच्छा प्रयास है। अभी राम दास आठवले जी ने कहा कि हज कमेटी का केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में ही रहना चाहिए, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

इस विधेयक पर मेरी दो चीजों पर आपत्ति है। एक तो इसका जो केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में रखने की बात है, मैं उसका विरोध करता हूं। दूसरे हज कमेटी के राज्यों के कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन आदि हेतु इस विधेयक में इमदाद देने की बात कही गई है, लेकिन हज कमेटी के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का प्रावधान नहीं किया गया है। निश्चित रूप से यह अच्छा काम नहीं है।

विदेशी मामलों संबंधी मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.8.2001 को आई। मैं आपकी मार्फत बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें इन्होंने कहा है कि हमने पूरे हिन्दुस्तान में आम जनता, संगठनों इत्यादि से सुझाव प्राप्त किए, लोगों से बात की है और सभी वर्गों से बात करने के बाद निष्कर्ष निकाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हज कमेटी का केन्द्रीय कार्यालय कहां हो, इस सिलसिले में जो चर्चा हुई वह पूरे हिन्दुस्तान में नहीं हुई इसमें

इन्होंने लिखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बैठक कोजीकोड़ यानी दक्षिण भारत में हुई, दूसरी बैठक मुम्बई में हुई और तीसरी बैठक हैदराबाद में हुई। कोलकाता में जो बैठक होने वाली थी, वह विवादों की बलि का बकरा बन गई। कुल मिलाकर तीन बैठकें पूरे हिन्दुस्तान में की गई।

सभापति महोदया, इस प्रकार की बैठक उत्तर भारत में नहीं की गई, न राजस्थान, न उत्तर प्रदेश, न मध्य प्रदेश में, न असम, न बिहार और न दिल्ली में की गई। जहां से 80 प्रतिशत लोग हज करने जाते हैं, वहां लोगों से कोई सलाह-मशविरा नहीं लिया गया है। सिर्फ एक-चौथाई लोग उत्तर प्रदेश से हज करने जाते हैं। वहां के लोगों से कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया, वहां के लोगों से कोई बात नहीं की गई। और तो और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब यहां बैठे हैं, वे बताएं कि क्या उन्होंने कश्मीर के लोगों से पूछा? हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लोक सभा के लखनऊ चुनाव क्षेत्र से आते हैं। क्या लखनऊ के लोगों से कोई बातचीत की गई? कहां गए शाहनवाज जी वे बिहार से आते हैं, वे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, क्या बिहार के लोगों से सलाह ली गई?

सभापति महोदया, जहां से 80 प्रतिशत लोग हज करने जाते हैं, वहां न तो कोई बैठक हुई, न वहां के लोगों से कोई सलाह ली गई और न ही उन लोगों को विश्वास में लेने का काम किया गया। इस समिति ने यह भी लिखा है कि संसद के पूर्व सदस्य सैयद शाहबुद्दीन जी से इस समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए हैं। जब स्थायी समिति की सिफारिश आ गई तो शाहबुद्दीन साहब का एक बयान अखबारों में छपा था कि इस समिति ने जो सिफारिश की है कि हज कमेटी का केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में रहना चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूं, पक्ष में नहीं हूं। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह बिलकुल अव्यावहारिक है और हिन्दुस्तान की भौगोलिक परिस्थिति को नजरअंदाज कर के सिफारिश की गई है। मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन भी है कि जब लोग पानी के जहाज से यात्रा करते थे, तब मुम्बई में हज समिति का केन्द्रीय कार्यालय रखने की उपयोगिता थी, लेकिन आज के विकसित संचार एवं वायुयान के समय में मुम्बई ही क्या पूरी दुनिया सिकुड़ गई है। आज पानी के जहाज की बजाय लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में मुम्बई में हज समिति का केन्द्रीय कार्यालय रखने का कोई औचित्य नहीं है।

इस समिति की सिफारिशों में दिया गया है कि खंड वार विचार करने के बाद समिति सिफारिश करती है कि हज समिति विधेयक, 2002 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं। विधेयक में संशोधन, सिफारिश और कारण दिए गए हैं। कारणों में लिखा है कि जेद्दाह के लिए मुम्बई पोतारोहण स्थल है, यहां पर आधारभूत संरचना है और परमिट सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप किस जमाने की बात कर रहे हैं, आज पानी के जहाज से हज करने के लिए कितने लोग जेद्दाह जाते हैं? मैंने कहा, मुम्बई की उपयोगिता किसी जमाने में थी, लेकिन आज नहीं रही।

सभापति महोदया, सभी सक्षम कार्यालय दिल्ली में हैं। हज निदेशालय दिल्ली में है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिल्ली में है, विदेश मंत्रालय दिल्ली में है और गृह मंत्रालय दिल्ली में है। जितने भी सक्षम कार्यालय हैं, जिनका संबंध हज करने वाले यात्रियों से रहता है, वे सब दिल्ली में है। हम संसद के सदस्य आम आदमी की परेशानी को हल करने और उन्हें उन कार्यालयों तक पहुंचने में मदद करते हैं। मुम्बई में कार्यालय जाने के बाद कौन उनकी मदद करेगा?

मैं एक प्रार्थना और करना चाहूंगा कि हज करने वाले बहुत से यात्री किसी कारण में हज करने जा नहीं पाते। वे प्रार्थना पत्र देते हैं, पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद भी वे जा नहीं पाते, फिर उनको पैसे वापिस लेने के लिए बहुत असुविधा होती है। कितने लोग से पैसे को लेने के लिए मुम्बई जा पायेंगे? जिस तरह से यह सब किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है।

इसमें कहा गया है कि हम मुम्बई में कार्यालय इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा कार्यालय है और इसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। श्री उमर अब्दुल्ला साहब, कार्यालय बड़ी बिल्डिंगों से नहीं चलता है। आपने तीन नये राज्य बनाये थे-क्या उस समय उनकी विधान सभाएं बन गई थीं? क्या उनके भवन थे? हमारा कहना है कि सवाल यह नहीं है कि कितना बड़ा कार्यालय है। जब हर प्रदेश में राज्य कार्यालय हैं तो फिर जोनल कार्यालय बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों अतिरिक्त भार डालना चाहते हैं? क्योंकि हज समिति के जो कार्य चलते हैं इसलिए अनावश्यक रूप से उनके पैसे का अपव्यय होगा। मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है।

मैं आपकी मार्फत एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस सिलसिले में जब 21 अगस्त 2001 को स्थायी समिति की सिफारिश आई थी। इसके पहले और उसके बाद भी इस सिलसिले में तमाम हज यात्रियों के संगठन माननीय श्री जसवंत सिंह से मिले थे। संसद सदस्यों ने एक प्रार्थना-पत्र भी लिखकर प्रधान मंत्री जी को भेजा था। इससे पहले वे दिल्ली में आये और उन्होंने 2 दिसम्बर 1999 को संसद भवन के सामने प्रदर्शन किया। उसके बाद 8 अप्रैल, 2000 को बेनियाबाग, वाराणसी में बहुत बड़ा जलसा

[श्री रामजीलाल सुमन]

पूर्वांचल के हज यात्रियों का हुआ। 10 अगस्त, 2001 को वे फिर दिल्ली में आये। इसके बाद वे 7 दिसम्बर, 2001 को विदेश मंत्री जी से यहां मिले। उन्होंने 26 नवम्बर, 2001 को एक प्रार्थना पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा जिसमें तमाम सांसदों के हस्ताक्षर थे। एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि किसी भी कीमत पर यह कार्यालय मुम्बई में न रहे और केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में न रहे और केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में लाया जाये।

मैं आपकी मार्फत एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मुम्बई में हज कमेटी का केन्द्रीय कार्यालय रखना किसी भी कीमत पर व्यावहारिक नहीं है, अव्यावहारिक है। अगर सही मायने में आप हज यात्रियों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो इस सरकार को तत्काल यह घोषणा करनी चाहिए कि हज कमेटी का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में हो।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति महोदय, मुझे कुछ ज्यादा इस बिल पर नहीं कहना है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: बहुत सारे स्पीकर्स बोलने वाले हैं इसलिए आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री राशिद अलवी: मैं पांच मिनट में ही खत्म करूंगा। वैसे भी आप जब भी चेयर पर होती हैं, मैं बहुत कम वक्त लेता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन यहां इसके हैड आफिस के बारे में जो कहा जा रहा है, उसके संबंध में मुझे यही कहना है कि दिल्ली में इसका हैड आफिस होना चाहिए। जो लोग जहां से चुनकर आते हैं, उन पर वहां के हज यात्रियों का दबाव रहता है। जो साउथ के एम.पीज. हैं, मुमकिन है, वे कहें कि हैड आफिस मुम्बई में रहे लेकिन सरकार को और उमर अब्दुल्ला साहब को बहैसित वजीर के जो हज यात्री हैं, उनकी परेशानियों को सामने रखकर फैसला करना चाहिए। दिल्ली को अगर हैड आफिस बनायेंगे तो तमाम कार्यालय जैसे होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री इत्यादि दिल्ली में है। स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा है कि जद्दा सऊदी अरेबिया से बहुत नजदीक पड़ता है। यह बात सुनकर बहुत हंसी आती है कि सऊदी अरेबिया का जद्दा मुम्बई से नजदीक पड़ता है इसलिए मुम्बई में आफिस होना चाहिए। यह इर्रेलीवेंट बात है।

मैं सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि 75-80 फीसदी हज यात्री नार्थ में उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। इसलिए सैंट्रल आफिस यहीं दिल्ली में होना चाहिए। एक परेशानी हज यात्रियों को और होती है। कभी-कभी हज पर जाने वाले बहुत से यात्री हज करने जा नहीं पाते। उनका पैसा जमा हो जाता है। वे एक साल तक दर-दर की ठोकरें खाते फिरते रहते हैं लेकिन उनका पैसा वापिस नहीं होता। उसकी एक वजह यह भी होती है कि हैड आफिस तो मुम्बई में होता है। उमर साहब, कितने ही लोग मेरे पास आते हैं, जिनका पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है। मैं चेयरमैन को फोन करता हूं, कभी किसी मैम्बर को फोन करता हूं, वे कभी मुम्बई में नहीं होते, कभी दिल्ली में नहीं होते और जो हज यात्री होते हैं, वे मालदार लोग नहीं होते हर महीने पैसा इकट्ठा करके तब हज का पैसा इकट्ठा करते हैं। उनके लिए वह बहुत बड़ी रकम होती है और वह पैसा लेने में उनका पैसा खर्च हो, यह बहुत तकलीफ की बात है और बदकिस्मती की बात है। मैं यह भी कहूंगा कि इस तरीके का इन्तजाम होना चाहिए कि अगर कोई हज को नहीं जा रहा है तो उसका पैसा फौरन वापस मिलना चाहिए, बजाय इसके कि वे दर-दर की ठोकरें खायें। खुद सरकार को चाहिए और हज कमेटी को चाहिए कि उनका पैसा फौरन वापस भिजवाये।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो चार्टर्ड प्लेन होते हैं, जिनसे हज यात्री जाते हैं, एक लम्बे अर्से से देखा जा रहा है कि उसमें बहुत घपला होता है। बहुत सारे लोगों के लिए वह पैसा कमाने का एक वसीला बन जाता है। मैं कहूंगा कि इसके अन्दर बहुत ट्रांसपरेंसी होनी चाहिए। जिस तरीके के प्लेन जाते हैं, वे ठीक प्लेन नहीं होते, पुराने प्लेन होते हैं। हज में जाने वाले लोगों को उनसे परेशानी होती है और इससे ज्यादा बुरा काम कोई नहीं हो सकता कि एक नेक काम में से भी पैसा कमाने की बात की जाये। उमर साहब, इसका कोई ऐसा इन्तजाम कीजिए जो साफसुथरा हो और हज यात्रियों के पैसे का सही इस्तेमाल किया जाये। ठीक जहाज चार्टर हों, ठीक तरीके के चार्टर हों, लोगों को पता चले कि इसमें कहीं कोई घपला नहीं हुआ है, किसी ने पैसा नहीं कमाया है। मेरी यह भी दरख्वास्त है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।

मैं पांच मिनट के अन्दर ही अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो हज यात्री यहां से सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, उनका हज कमेटी से रिश्ता टूट जाता है। हज कमेटी का सऊदी अरेबिया के अन्दर कोई अख्तियार नहीं होता। हिन्दुस्तान के अन्दर तो हज यात्रियों को जो सुविधाएं हज कमेटी दे सकती है, वह दे देती है, लेकिन सऊदी अरेबिया के अन्दर, जेद्दाह के अन्दर, मक्का के अन्दर, मदीना के अन्दर उनका कोई पुनसानिहाल नहीं होता। वहां एक एम्बेसी है, वह एम्बेसी उनको लुक ऑफ्टर नहीं कर सकती। एक गरीब आदमी और आम आदमी का एम्बेसी के पास जाना, काउंसलर के पास जाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। इस तरीके का इसके अन्दर कुछ एमेंडमेंट कीजिए या एमेंडमेंट न भी करें, इसे आप

पास कर दीजिए, लेकिन बाद में इस तरीके का कोई रूल बनाइये या इस तरीके का कोई इन्तजाम सऊदी अरेबिया के अन्दर कीजिए कि वहां पहुंचे हुए हज यात्रियों को किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको शायद याद होगा कि एक बार वहां आग लग गई। हमारे बहुत सारे हिन्दुस्तानी वहां मारे गए। मुझे पूरा ख्याल है और अभी भी याद है कि कितने ही लोगों का पता नहीं चला था। यहां हिन्दुस्तान के अन्दर लोग परेशान थे, सऊदी अरेबिया के अन्दर लोग परेशान थे। हज कमेटी को अख्तियार वहां तक कीजिए, जहां तक हज होता है। एम्बेसी के अन्दर इस तरीके का एक डिपार्टमेंट बना दीजिए जो हज कमेटी के अंडर काम करे। हज कमेटी को अख्तियार हो कि उन्हें इन्सट्रक्शन दे सके, उन्हें डायरैक्टर दे सके और वहां के हज यात्रियों को जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, उमर साहब, अगर मैं एक जुमले में मैं अपनी बात कहूं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हज कमेटी इस तरीके की बनाइये कि कोई हज यात्री जब हज पर जाने के लिए दरख्वास्त देता है तो वहां से लेकर जब तक वह हिन्दुस्तान वापस आता है, उसका मुकम्मल अख्तियार हज कमेटी को होना चाहिए। ऐसा कानून बनेगा तो बहुत बेहतर रहेगा।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): सभापति महोदया, आज मेरे संसदीय जीवन का बहुत खुशी भरा दिन है। मैं दसवीं लोक सभा में प्रवेश के बाद से ही हज के संबंध में नया विधेयक लाए जाने की मांग करता रहा हूं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे मित्र श्री उमर अब्दुल्ला यह विधेयक पेश कर रहे हैं।

जहां तक भारत का संबंध है, हज कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। मुस्लिम आबादी के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत हज के मामले में अब किसी भी अन्य इस्लामिक देश की बराबरी पर आ गया है क्योंकि भारत से एक लाख से भी अधिक लोग हज यात्रा करते हैं जबकि समिति केवल 77,000 से 80,000 हाजियों का ही प्रबंध कर रही है और शेष हाजी निजी माध्यमों से जाते हैं।

हम दुर्भाग्यवश बहुत ही पुराने हज समिति अधिनियम से शासित होते रहे हैं और मौजूदा परिस्थितियों में 1959 का अधिनियम पुराना पड़ गया है। सरकार इस समय इस विधेयक को पारित कराने के लिए लाई है। हमें खुशी है कि सरकार ने यह कदम उठाया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसकी प्रकृति प्रतिनिधि किस्म की है। दूसरे, यह विधेयक हज समिति पर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। मेरा सौभाग्य है कि इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय मुझे श्री फारूक के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति की उप-समिति के संयोजक के रूप में भी संबद्ध रहा हूं जिसने जनता की राय जानने के लिए कई राज्यों की यात्रा की। इस प्रकार, यह विधेयक मात्र समिति कक्ष में तैयार किया गया विधेयक नहीं है। इस विधेयक में देश के मुस्लिम समुदाय के व्यापक मत का प्रतिबिम्ब भी निहित है। लोगों ने इस विधेयक में बहुत योगदान दिया है। समिति ने मेरे नेतृत्व में मुंबई, कालीकट, हैदराबाद और कोलकाता की यात्रा की। समिति ने अपनी दिल्ली में हुई बैठक में भी हज प्रबंधों के बारे में अनेक विशिष्ट व्यक्तियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। उन सभी ने बहुमूल्य सुझाव दिए।

हज कोई आम आयोजन नहीं है। हज एक बड़ा संगठन है, बड़ा प्रबंध है। हम हज की जैसी व्यवस्था करेंगे हज वैसा ही होगा। मेरे कई माननीय साथियों ने हज प्रबंधन में बहुत सी कमियों और चूकों का उल्लेख है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मुझे आशा है कि सरकार इसका ध्यान रखेगी।

मेरे मित्र श्री रामजी लाल सुमन ने हज समिति का मुख्यालय मुंबई में रखे जाने का घोर विरोध किया है लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में भ्रांति है। देश के वित्त संबंधी कार्य करने वाली प्रमुख संस्था भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। क्या इसे वहां से हटाकर दिल्ली लाया जाना चाहिए? केन्द्र सरकार की ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय मुंबई में है। जहां तक हज का संबंध है, जैसाकि मैंने कहा है, हज प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसका अपनी कार्य संस्कति होनी चाहिए; मुंबई में यह हज संस्कृति है। यदि इसे अचानक दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए तो सरकार के लिए इसका प्रबंधन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग हज मामलों के विशेषज्ञ हैं उन्हें ही इन मामलों का प्रभारी होना चाहिए। मुंबई में हज मामलों के बहुत से अनुभवी लोग हैं। इस विधेयक में विभिन्न राज्य हज समितियों को अधिक अधिकार दिए गए है। इसलिए, मुंबई में मुख्यालय बने रहने से कोई कठिनाई नहीं होगी।

जैसा मैंने उल्लेख किया कि समिति ने कालीकट, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता की यात्रा की। मुझे याद है कि मुंबई में सेन्ट्रल हज कमेटी जब विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के समक्ष आई तो उसने भी हज कमेटी का मुख्यालय मुंबई में ही बनाए रखने की बात कही। यदि आप हाजियों की संख्या देखें तो सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं मानता हूं कि किन्तु इस मामले में उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल और मध्य प्रदेश के कुछ भाग भी शामिल हैं। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा गुजरात का और चौथा केरल का है। इस प्रकार, हाजियों की सर्वाधिक संख्या

[श्री ई. अहमद]

महाराष्ट्र, गुजरात और केरल से होगी। यदि ये राज्य इसका मुख्यालय मुंबई में रखना चाहते हैं तो आप कैसे इन्कार कर सकते हैं? मैं एक युक्तियुक्त प्रश्न कर रहा हूं। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जैसाकि समिति ने सुझाव दिया है कि मुंबई में मुख्यालय के साथ हज मामलों के कुशल संचालन हेतु दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय बनाएं। लखनऊ में भी एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए। मुझे ज्ञात है कि समिति ने लखनऊ, कालीकट, कोलकाता और श्रीनगर में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया है।

जम्मू और कश्मीर एक ऐसा राज्य हैं जहां बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय है।

समिति के इस सुझाव की प्रशंसा कई जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा भी की गई। इसलिए श्रीनगर, लखनऊ, कोलकाता और कालिकट में क्रमशः जो सुझाव दिए गए उन्हें स्वीकार किया जाए। इसका कारण है कि माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन कह रहे थे कि क्यों हम पैसा खर्च कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय की हमें क्या जरूरत है? किन्तु यह जरूरी है।

महोदया, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे-छोटे राज्य हैं। उन्हें मुम्बई या दिल्ली की यात्रा करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इसलिए हमने कोलकाता में एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का सुझाव दिया *...(व्यवधान)* असम में भी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः श्री अहमद, कृपया आपस में बात करना बंद करें।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमदः महोदया, यदि उस प्रावधान का इसमें शामिल कर दिया गया होता, तो यह भ्रम दूर हो जाता? इसलिए कालांतर से मुम्बई में स्थापित हज समिति के मुख्यालय के साथ इस समय छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। किन्तु, कई संशोधन किये जाने हैं। हम अच्छी तरह से संशोधन कर सकते हैं। मेरे माननीय मित्र *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः श्री ई. अहमद, कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमदः महोदया, इस विधेयक से मैं भी पूरी तरह जुड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदयाः मैं जानती हूं। इसलिए आप इसके विशेषज्ञ हैं।

श्री ई. अहमदः महोदया, यह एक मात्र विधेयक है जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। मुझे अफसोस है यह उन विधेयकों में से एक है जिस पर चर्चा की जानी है। बिल्कुल, यह एकमात्र विधेयक नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः श्री अहमद, आप केवल इसी विधेयक में भाग ले सकते है।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमदः महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरे मित्र फारूक ने एक संशोधन का उल्लेख किया। उन्होंने हज समिति को दिए गए कार्यों और उत्तरदायित्वों तथा विदेशों में भी इनका पालन किए जाने का उल्लेख किया है। उन्होंने 'एब्रोड' 'विदेश' शब्द का उल्लेख किया है। सऊदी अरब सरकार अपने तंत्र भीतर कार्य करती है। यदि हम कोई कानून बनाते ही हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि सऊदी सरकार इसका पालन कर हमारे साथ सहयोग करेगी? अन्य सभी इस्लामी देशों में हज संबंधी मामले की देखभाल स्वयं वहां की सरकार द्वारा की जाती है। यहां हम अपने संविधान की वजह से और अपने कार्यों की वजह से हमने एक समिति गठित की जो हज समिति के मामलों की देखरेख कर रही है। यही समिति सब कुछ कर रही है। किन्तु, सऊदी अधिकारी इस समिति से विचार-विमर्श के लिए तैयार नहीं होंगे। केवल सरकार के स्तर पर बातचीत करेंगे। यही सब दिक्कतें है। सऊदी अधिकारी हरदम राजनयिक मिशन के माध्यम से ही करना चाहते हैं। इसलिए, यहां यदि कोई प्रावधान हम रखते हैं तो सऊदी सरकार इसको मान्यता नहीं देगी। यही दिक्कत है। इसलिए, निश्चित तौर पर हमें एक ऐसी समुचित व्यवस्था भी करनी होगी जिससे कि जेद्दाह में हमारे मिशन सऊदी अरब में हज संबंधी प्रबंधी व्यवस्था के मामले में हज समिति से विचार-विमर्श और संपर्क स्थापित कर सके।

महोदया, सभा को इस विधेयक की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकिं यही एकमात्र विधेयक है जो हज समिति को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। गत कई वर्षों से या कई दशकों से समिति को मिले धन का क्या हुआ? पिछली हज समितियों ने कैसे इस धन का इस्तेमाल किया है? क्या उसने इस धन का समुचित इस्तेमाल किया है? क्या उसने इस धन का इस्तेमाल उसको दिए गए उत्तरदायित्व के अनुकूल किया है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, कोई अंकेक्षण नहीं, कोई सरकारी संवीक्षा नहीं।

महोदया, इस पुनीत सदन को यह जानकर खुशी होगी कि वर्तमान विधेयक में जो प्रावधान किया गया है उससे न केवल बही खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी, बल्कि सभी लेखे-जोखे

को इस सभापटल पर रखा भी जाएगा। राज्य हज समिति के मामले में लेखे जोखे आदि को कानून के अंतर्गत राज्य विधान मंडल के सभा पटल पर रखा जाएगा।

इसलिए हम लोग बिना किसी शिकायत के इस विधेयक को आज ही पारित करके और मेरे प्रिय मित्र श्री रामजीलाल सुमन द्वारा मुख्यालयों के संदर्भ में जो सुझाव दिया गया है उसके साथ-साथ जो भी संशोधन हो सके उन पर हम बाद में विचार कर सकते हैं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं समझता हूं कि यह भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यक के जीवन में यह सबसे अधिक खुशी का दिन है क्योंकि राजग सरकार ने भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की चिर-प्रतीक्षित मांगों को पूरा करने वाला यह विधेयक लाई है। इससे राजग सरकार की धर्मनिरपेक्ष दर्शन स्पष्ट रूप से झलकी है। किन्तु, सभापति महोदया, इस सभा में और भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है।

उदाहरण के लिए, ऐसी ही मांगों में एक मांग सिखों की भी रही है। वह यहां कि उनके लिए एक अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम (ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट) होना चाहिए था। इसके लिए संघर्ष भी हुआ, किन्तु इसकी परिणति 'ऑपरेशन ब्लुस्टार' के रूप में हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, यह सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुआ। यदि हम लोगों की भावना को ठीक तरह से नहीं समझा गया और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यकों को देश में न्याय नहीं मिल पाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 में आजादी मिलते ही तत्कालीन भारत सरकार ने सिखों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में रख दिया। हमें अपराधी कहा गया। फिर, 1950 में भारत का संविधान लागू होने के समय से ही अनुच्छेद 25 के अनुसार हम सिखों को हिन्दुओं के साथ जोड़कर रखा गया। इसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया है। संविधान समीक्षा आयोग को लेकर मेरे मन में आशंका थी, किन्तु सौभाग्य से यह आशंका दूर हो गई क्योंकि आयोग ने तय किया है कि सिखों की अब एक अलग पहचान होगी और यह एक अलग धर्म कहलाएगा। यह बहुत ही अच्छी बात है और मैं मानता हूं कि राजग सरकार शीघ्र ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर संविधान के अनुच्छेद 25 जो सिखों के लिए अप्रिय है, में संशोधन करेगी।

सभापति महोदया: श्री मान, अब आपको केवल विधेयक पर बोलना चाहिए।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदया, अल्पसंख्यकों के लिए यही वह मौका है जिस पर हम भी अपनी चिंता जताना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यदि हमें बहुसंख्यक समुदाय न समझा होता, तो 'आपरेशन ब्लू स्टार' कभी नहीं होता। 20वीं सदी के पहले दशक में ब्रिटिश सरकार ने सिख विवाह अधिनियम बनाया था, किन्तु अभी भी वह हिंदू विवाह अधिनियम से शासित है, हमें हिन्दू संहिता विधेयक के तहत रखा जाता है। हमारी मांग है कि इन सबके लिए संसद में अलग से एक विधेयक लाया जाए।

हर साल हज के लिए मक्का जाने वाले हज यात्रियों की तरह सिख अपने पवित्र तीर्थस्थल गुरुद्वारा के दर्शनार्थ पाकिस्तान जाते हैं। लिकायत नेहरु समझौता के तहत यह कहा गया था कि सिख साल में चार बार पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं, किन्तु इस वर्ष वैसाखी के अवसर पर हमारे पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए हममें से किसी को भी पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव व्याप्त है। किन्तु अमरनाथ की यात्रा बेरोक-टोक जारी है जबकि ढेर सारे यात्री आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं और यहां तक कि सुरक्षा के लोग मारे गए हैं। ईरान के रिश्ते सऊदी अरब के साथ अच्छे न होने के बावजूद भी हज यात्रा जारी है। इस वर्ष जून के दूसरे सप्ताह में सिखों की अगली पाकिस्तान यात्रा शुरू होगी और मुझे उम्मीद है कि माननीय विदेश राज्य मंत्री जो इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं, जून में होने वाली इस यात्रा के लिए हमारे जत्थे को ध्यान में रखेंगे।

हम अल्पसंख्यकों को भारत की विदेश, रक्षा और गृह नीतियों को लागू करते समय कोई सलाह नहीं ली जाती है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बस एक उदाहरण देना चाहूंगा।

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर आतंक का राज्य रहा। भारत सरकार ने विशेषरूप से अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री बृजेश मिश्र को ढाका भेजा और उन्होंने मसले को हल किया। हालांकि हिन्दू नागरिकों के साथ बांग्लादेश में जो व्यवहार किया जाता है उस संबंध में मैं वहां की सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं हूं। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में पहल जरूर की थी।

गत वर्ष अमेरिका में 11 सितम्बर को हुए हमले के बाद वहां भी सिखों के साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ। गलतफहमी में हमें अरबी, अफगानिस्तानी और न जाने क्या-क्या कहा गया। अमेरिकी लोगों की घृणा का शिकार सिख हुए। वहां सिखों का नरसंहार

[सरदार सिमरनजीत सिंह मान]

हुआ। सभापति महोदया, माननीय प्रधान मंत्री अमेरिका गए थे, माननीय गृह मंत्री अमेरिका गए थे और माननीय विदेश मंत्री अमेरिका गए थे। मेरी शिकायत है कि अमेरिका में सिखों पर हुए अत्याचार के इस मामले पर इनमें से किसी ने भी वहां के विदेश विभाग या राष्ट्रपति बुश के साथ नहीं उठाया। यह बहुत ही भेदभाव वाली बात है। मेरा मानना है कि भारत सरकार को उस समय अमेरिकी अखबारों के माध्यम से विज्ञापन देना चाहिए था कि सिख-ईरानी, ईराकी या अफगानिस्तानी नहीं है।

परसों मैंने ऑपरेशन ब्लुस्टार के मामले को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। किन्तु, दुर्भाग्यवश उस दिन इस सभा में भारी शोर-शराबा हो गया था। मेरा मतलब कोई शगुफा छोड़ना नहीं था। किन्तु मुझे नहीं मालूम कि कैसे दो विरोधी पार्टियां एक दूसरे की गर्दन पकड़ने पर उतारू हो गए। एक पार्टी ने यह सवाल उठाया और आपकी पार्टी ने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया कि सिखों से माफी मांगी जानी चाहिए जबकि सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया।

सभापति महोदया: अध्यक्षपीठ की कोई पार्टी नहीं होती है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: सरकार ने कहा कि यह कांग्रेस का काम है। सभापति महोदया यदि राष्ट्र की नीतियां वही पार्टी तय करती है जो ऐसे कार्य करती है, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोरियाई लोगों से जापान कभी माफी मांगता। जापानी वार कैबिनेट की उत्तरवर्ती सरकार यह कह सकती थी कि माफी मांगने का काम प्रधान मंत्री तोजो और सम्राट हिरोहितों का है और यही बात जर्मनी के नाजिवादियों के संदर्भ में भी लागू हो सकती थी और जर्मन सरकार यहूदियों से कभी माफी नहीं मांगती। इसी प्रकार, यदि अमेरिका भी यही दलील देता तो अमेरिकी सरकार भी अपने जापानी नागरिकों से कभी माफी नहीं मांगती और वह कहती कि अपने जापानी नागरिकों को कैद में रखने का काम तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था।

सभापति महोदया: श्री मान, कृपया समाप्त करें। समय नहीं है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदया, मैं एक मिनट का समय लूंगा।

मैं बहुत आभारी हूंगा यदि अल्पसंख्यकों को भी अपना दु:ख-दर्द कहने के लिए कुछ समय दिया जाए। मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं इस महान् विधेयक का समर्थन करता है। भारत के धर्मनिरपेक्ष इतिहास में यह एक मील का पत्थर है। धन्यवाद।

सभापति महोदया: आपका बहुत-बहुत धनय्वाद। अब श्री पी.सी. थामस बोलेंगे, श्री थामस, मैं आपको तीन मिनट का समय दे रही हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): धन्यवाद महोदय।

सभापति महोदया: हम यह नहीं चाहते कि केवल एक समुदाय इस विधेयक का समर्थन करे। आप सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। कृपया इसका समर्थन करें और केवल तीन मिनट के लिए बोलें।

श्री पी.सी. थामस: मैं इससे अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री ई. अहमद: श्री थामस, आप न केवल विधेयक पर बल्कि किसी भी विषय पर बोल सकते हैं।

सभापति महोदया: श्री अहमद जी, उन्हें आपकी सलाह की आश्यकता नहीं है। वह जो चाहेंगे, बोलेंगे।

श्री पी.सी. थामस: महोदया, मैं प्राय: केवल दो मिनट के लिए ही बोलता हूं। इस संसद की 50वीं वर्षगांठ के दौरान इस शुभ दिन पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने वाले हैं जो भारत के सभी समुदायों विशेषकर अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना और देश प्रेम की भावना भरेगा।

सभापति महोदया: आपका देश प्रेम इस विधेयक पर निर्भर नहीं है।

श्री पी.सी. थामस: देश प्रेम से मेरा अभिप्राय है कि देश के प्रति यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।

मैं समझता हूं कि हम एक अति महत्वपूर्ण कर्त्तव्य को निभा रहे हैं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: सभापति महोदया, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इससे प्रत्येक व्यक्ति में अपनत्व की भावना आयेगी। उनके कहने का यही तात्पर्य है।

श्री पी.सी. थामस: यह अपनत्व की भावना से भी अधिक हो सकता है। इसे सुदृढ़ करने के लिए, मैं समझता हूं कि इस विधेयक का बहुत महत्व होगा। मैडम, मैं इस विधेयक के संबंध में एक अथवा दो छोटे परिवर्तनों के संबंध में कहूंगा।

सभापति महोदया: अब आप संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री पी.सी. थामस: हां, मैं इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता लेकिन इन संशोधनों पर विचार किया जा सकता है। यह सुझाव दिया गया था कि कानून को तत्काल कार्यान्वित करना चाहिए। मैं धारा 15 और धारा 27 के संबंध में बोलना चाहूंगा। धारा 15 का संबंध केन्द्रीय समिति से है और धारा 27 का संबंध राज्य समिति से है। रिक्तियों को भरने के संबंध में मैं यह कहूंगा कि यदि सरकार रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय निर्धारित करती तो बहुत अच्छा होता क्योंकि यह काम तत्काल करना होगा।

अब, मैं सोचता हूं कि मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय के संबंध में धारा को इस अतिरिक्त कथन के साथ स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार से परामर्श करके किसी अन्य स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय खोले जा सकते हैं। तो, मैं सोचता हूं कि यह प्रावधान बहुत उपयुक्त है और क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि मेरे राज्य केरल सहित बहुत से क्षेत्रों से अधिक से अधिक हजयात्री आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस विधेयक के कानून बन जाने के पश्चात् इससे भी अधिक संख्या में हजयात्री आयेंगे क्योंकि इस समिति को जो कार्य सौंपे जाने हैं उससे भारत से जाने वाले हजयात्रियों की बड़ी संख्या को दी जाने वाली कई सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए और इसके प्रावधानों का भी स्वागत किया जाना चाहिए।

मैं सोचता हूं कि समिति के गठन का यह लोकतांत्रिक तरीका, यहां कही गयी जवाबदेही और जिस तरह से समिति के गठन को बांटा गया है, यह सब पर्याप्त रूप से स्वीकार्य है। मैं सोचता हूं प्रति वर्ष बढ़ने वाली हजयात्रियों की संख्या में अभी और वृद्धि होगी। जैसा कि कहा गया है, वर्ष 1992 में 24,000 हज यात्री थे और गत वर्ष यह संख्या बढ़कर 72,000 हो गयी। मैं सोचता हूं कि स्वयं इस समिति के नियंत्रण में एक लाख से भी अधिक हजयात्री होंगे। इसीलिए, यह सुनिश्चित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सुविधाओं में सुधार हो। इस समिति के कर्त्तव्यों का कार्यान्वयन बहुत महत्पूर्ण है। मैं सोचता हूं कि समिति के संबंध में की गयी शिकायतों अथवा इस समिति के कार्यकरण के संबंध में की गयी शिकायतों का भी ध्यान रखना होगा। नि:सन्देह निगरानी की आवश्यकता के मामले में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केन्द्र सरकार को प्रदान किये गये हैं। मैं समझता हूं कि इसकी ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा।

जैसा कि कहा गया है कि कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं। सऊदी अरब में कई व्यावहारिक समस्याएं उभर कर आ रही हैं। मैं सोचता हूं कि इन सबकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इस समिति के कार्यकरण को केवल भारत तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि इसके कार्यकरण का विस्तार करने हेतु इस संबंध में हमारा विदेशी मिशन कोई भी कार्य करे, वह हमारे लिए सहायक ही सिद्ध होगा। नि:सन्देह, विधेयक में यह कहा गया है कि यह भारत में हो सकता था लेकिन जहां तक राजनयिक संबंधों का संबंध है, कार्यकरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस संबंध में समिति और सरकार सभी कदम उठा सकते हैं।

कई हज यात्री मेरे राज्य केरल से जा रहे हैं। नि:सन्देह कुछ सुविधाएं कोलकाता विमानपत्तन और अन्य दो पत्तनों पर प्रदान की गयी हं। मैं सोचता हूं कुछ और सुविधाओं की भी आवश्यकता है। नि:सन्देह, यह सीधे तौर पर, इस विधेयक की परिधि के नहीं आता। मैं तो यह कहूंगा कि न केवल इन तीनों विमानपत्तनों पर बल्कि अन्य विमानपत्तनों पर भी कई सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं लेकिन इनमें और भी अधिक सुधार किया जा सकता है। यदि इन सुविधाओं में और सुधार किया गया तो यह हजयात्रियों के लिए बहुत सहायक होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदया, कांग्रेस दल की ओर से हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं और इसे सभा में लाने के लिए प्रतिष्ठित मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं। मैं यहां पर श्री अहमद जी के साथ-साथ श्री एम.ओ.एच. फारूक जी को उनके इस समिति में रहते हुए प्रारूप तैयार करने के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और उनके योगदान के लिए इस समिति में उनके समर्पित भाव से किये गये कार्य के लिए बधाई देता हूं।

मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है केवल तीन बातें इसमें और जोड़ना चाहूंगा। मैं अपनी बात चार मिनट में पूरी कर लूंगा। सर्वप्रथम गत कई वर्षों से, देश में यह गलत धारणा बन गयी है कि सरकार हज यात्रियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है। यह गलत धारणा दूर की जानी चाहिए क्योंकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ विभिन्न समुदाओं के प्रति कई अतिरिक्त वचनबद्धताएं हैं।

इस संबंध में, बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी कुंभ मेलों में सारी जिम्मेदारी का वहन राज्य सरकार ही करती है और बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए यह बड़ी धनराशि खर्च करती है। पश्चिम बंगाल राज्य में, प्रति वर्ष हम गंगा सागर आने वाले तीर्थयात्रियों पर बड़ी धनराशि खर्च करते हैं। हम अमरनाथ यात्रियों पर भी बड़ी धनराशि खर्च करते हैं। हम कतिपय धार्मिक त्योहारों और तीर्थयात्रियों पर भी धन खर्च करते हैं। इसीलिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि यह सरकार, आरंभ से ही केवल मुसलमान तीर्थयात्रियों पर ध्यान दे रही है। यह गलत धारणा दूर हो जानी चाहिए। हमारे राज्य में, श्री हन्नान

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

मोल्लाह जी मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि दुर्गा पूजा के दौरान, जो बंगाल की एक नियमित विशेषता है, कोलकाता शहर में पैदल यात्रियों को उचित प्रकार से सुविधा देने के लिए, राज्य सरकार को सारी लागत वहन करनी पड़ती है और यह कार्य एक दिन के लिए नहीं वरन दसों दिन किया जाता है। इसीलिए, देश के किसी समुदाय को यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भारत सरकार एक खास समुदाय को महत्व दे रही है, उसे मदद दे रही है और उसे धन प्रदान कर रही है। हम इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे कि उन्हें हम सर्वोत्तम संभव ढंग से सुविधा देते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि और अधिक कार्य किया जाना चाहिए।

तीसरे, मैं मुख्यालय संबंधी मुंबई-दिल्ली विवाद की ओर संकेत करना चाहूंगा। पहले, संभवत: इसे मुंबई में स्थापित करने की योजना थी क्योंकि वहां पर समुद्री पत्तन है और इससे सभी उचित मांगों को पूरा किया जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इसे वहीं स्थापित किया जाना चाहिए। यदि मेरा यही इरादा होता तो मैं एक संशोधन लाता। अब एक ही केन्द्रीय बिन्दु है जो निश्चित रूप से दिल्ली है, जो गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधीन होगा जहां तीर्थयात्री दूतावास के साथ संपर्क कर सकते हैं। दक्षिण में इसके क्षेत्रीय कार्यालय को या तो कालीकट अथवा बंगलौर, पश्चिम में मुंबई में, पूर्व में गुवाहाटी अथवा कोलकाता में स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इसके पर्यवेक्षक मुख्यालय को निश्चित रूप से दिल्ली में स्थापित किया जाना चाहिए। यदि इस पर आज विचार नहीं हो सकता, तो मंत्री जी निश्चित रूप से इस पर बाद में विचार कर सकते हैं। मैं इस पर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। यदि मुख्यालय दिल्ली में होगा, तो यह अधिक उचित होगा।

अत: मैं, मैं खण्ड 16 की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह कहा गया है कि समिति इतनी अधिकार संपन्न और प्रभावी होनी चाहिए कि यह सामान भेज सके। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि समिति अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकती। खण्ड 16 के अनुसार-

> ''केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मुस्लिम अधिकारियों के पैनल से केन्द्रीय सरकार एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जिसका पद भारत सरकार के उप सचिव से निचले रैंक का न हो।''

मेरी माननीय मंत्री जी से यह अपील है कि यह कहने के स्थान पर ''उप सचिव से निचले रैंक का पद न हो'' आपको कहना चाहिए, संयुक्त सचिव से नीचे का पद न हो' क्योंकि इस समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को राजदूत-दूतावास अधिकारियों और भारत सरकार से कई दिनों तक संपर्क स्थापित करना पड़ता है। यदि संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संपर्क करता है तो उपसचिव की तुलना में उसके शब्दों को अधिक महत्व दिया जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विधेयक को लाने के लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि इसका पहले मुम्बई में हैड ऑफिस था क्योंकि पानी वाले जहाज से लोग हज यात्रा करने जाते थे। अब वैस्टिड इंटरस्ट वाले लोग इस षडयंत्र में लगे हैं कि इसका हैड ऑफिस मुम्बई में रखा जाए। इस षडयंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। मेरे पास हज सेवा समिति के और दूसरे बहुत से लोग आए थे। उनका कहना है कि दिल्ली में इसका हैड ऑफिस रहे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यदि इसमें कोई साजिश चलेगी तो हम उसे चलने नहीं देंगे। दिल्ली राजधानी है और सभी हैड ऑफिस यहां है। अब लोग हवाई जहाज से हज के लिए जाते हैं। मैं सरकार को खबरदार करता हूं कि किसी भी हालत में इसका हैड ऑफिस दिल्ली में रहना चाहिए। मुम्बई या दूसरी स्टेट्स में रीजनल ऑफिस बन सकता है। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री अब्दुल्लाकुट्टी जी, अब आप क्या बात कहना चाह रहे हैं? मैं आपको केवल एक मिनट का समय दूंगी। अब बहस का समय समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात् एक अन्य विधेयक पर विचार किया जाना है और फिर हम बिहार पर चर्चा करेंगे। अब मैं किसी का नाम नहीं पुकार सकती।

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): महोदय, मैं केवल तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

हज-स्वयंसेवकों को नियुक्त करने विषयक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। भारत से यदि स्वयंसेवकों को भेजा जाए तो यह काफी महंगा पड़ेगा और शिकवा-शिकायत भी रहेगी। बेहतर यही है कि हम उन्हें सउदी अरब से ही भर्ती करें। कई भारतीय, जो वहां काम करने गये थे, अब वहीं बस गये हैं। यदि भारत से ऐसे लोग ले जाये जाते हैं जिन्हें हज नहीं करनी है, तो काफी गुंजाइश है कि वे इस अवसर का दुरुपयोग करेंगे। वे व्यक्तिगत हित के लिए इस मौके का उपयोग करेंगे।

महोदया, दूसरी बात यह है कि 'आल इंडिया हज कमेटी' असरदार ढंग से काम करे इसके लिए राज्यों और केन्द्र को पर्याप्त धनराशि मुहैया करानी चाहिए। केवल कुछेक व्यक्तियों से पैसा देने भर से बात नहीं बनेगी। मैं पुरजोर दरख्वास्त करता हूं कि हज तीर्थयात्रियों को अभी जो रियायतें दी जा रही हैं। उन्हें जारी रखा जाए। यह भारत के पंथनिरपेक्ष चरित्र का प्रतीक है।

महोदया, अंत में मेरा कहना यह है कि निजी एजेंसियां जो हजयात्रियों को लाने-ले जाने के काम में लगी हुई हैं, वे उनसे काफी यात्रा व्यय लेकर उनका शोषण करती है। अलग-अलग एजेंसियों की दर भी अलग-अलग है। किराये-भाड़े में कोई एकरूपता नहीं है। हज समिति को इस पहलू पर विचार करना चाहिए और भाड़े आदि की दर में एकरूपता लायी जानी चाहिए।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक की पुरजोर ताईद करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): सभापति महोदया, ऐसा कहां कुरान में लिखा है कि जो हज नहीं जाते, उन्हें पुण्य नहीं मिलता *...(व्यवधान)* सरकारी पैसे से पुण्य नहीं मिलता है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमें डिस्कशन नहीं चाहिए, डिस्कशन की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, बहुत हो गया। इस टिप्पणी को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मंत्री के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे: सभापति महोदय, जो हज नहीं जाते क्या उन्हें पुण्य नहीं मिलता *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया बैठिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, यह बहुत ही गंभीर विधेयक है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बहुत हो गया। इस संसद् में हर दिन इस किस्म की बातें नहीं हो सकतीं *...(व्यवधान)* ये अपने आप को समझते क्या हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार ही यह विधेयक लाई है, हम इसका समर्थन कर रहे हैं और यह इस तरह की बातें कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप इनकी बात पर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: आप उनकी बातों पर ध्यान न दें। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? कृपया बैठ जायें। अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर बात है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आप लोग बैठिए।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): सभापति महोदया, इस पूरी चर्चा के दौरान, जबकि अब मैं उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं, मुझे यह देखकर बहुत संतुष्टि मिली है कि यह चर्चा धार्मिक मतभेदों से ऊपर रही है; एक-दूसरे पर अंगुली उठाने और आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर रही है। वस्तुत:, मेरे माननीय मित्र और इस सभा के सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी के भाषण से तो मुझे बहुत ही संतोष हुआ जिसमें उन्होंने यह कहा-और जैसा शायद मैं इसीलिए नहीं कर पाता कि मैं एक मुसलमान हूं और यदि मैं वह सब कहता, जो श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा, तो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री उमर अब्दुल्ला]

शायद मुझे गलत समझा जाता-कि सरकारें हमेशा किसी समुदाय विशेष की तुष्टि के लिए ही हर काम नहीं करती। मैं जम्मू और कश्मीर राज्य का निवासी हूं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने यह भी उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य में अन्य ममुदायों के लिए क्या-क्या करती है। मुझे वास्तव में, मुझे भी जानकारी है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान मेरे राज्य में क्या प्रबंध किया जाता है। इस पर जो राशि व्यय की जाती है, यह अमरनाथ यात्रा के लिए अप्रत्यक्ष राजसहायता है। मैंने मुम्बई में अपने कालेज जीवन के तीन वर्ष बिताए हैं। मुझे जानकारी है कि विभिन्न त्यौहारों के अवसर पर राज्य सरकार क्या इंतजाम करती है। विशेषकर, जब गणपतिजी की मूर्तियों का सागर में विसर्जन किया जाता है। अवश्य, प्रत्यक्ष राजसहायता और अप्रत्यक्ष राजसहायता में फर्क है ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढे (अमरावती): उन्हें राजसहायता नहीं मिलती है।

श्री उमर अब्दुल्ला : आप मुझे जवाब देने दीजिए।

[अनुवाद]

चूंकि यह प्रत्यक्ष राजसहायता है और अन्य राजसहायता अप्रत्यक्ष - शायद इसी से लोगों को दिक्कत होती है। यह प्रश्न उठा कि यदि किसी हाजी पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो यह विचार भी होना चाहिए कि हज पूरी हुई या नही। इस पर इस्लामी विद्वानों के बीच विचार-विमर्श हुआ है कि इस स्थिति में सही क्या होगा। लेकिन हम इस पर प्रश्न नहीं करें। आखिरकार, यह जनता का पैसा है। किसी व्यक्ति विशेष की जेब से तो यह नहीं जा रहा। भारत सरकार करों के माध्यम से जनता से पैसा इकट्ठा करती है। वह यह तो नहीं कहती कि यह हिन्दू का धन है, यह सिक्ख का, यह ईसाई का या मुसलमान का। यह सरकार का धन है। यदि इस सभा के कोई सदस्य यह कहते कि हम केवल मुसलमानों से धन इकट्ठा करें और फिर उसे हज के लिए दें, तो यह विमतिपूर्ण बात होती। हकीकत तो यह है कि यह धन केंद्र के खाते में आता है। यह सरकार का धन है। समाज के सभी वर्गों से यह इकट्ठा होता है और समाज के सभी वर्गों पर ही खर्च होता है। यही है सारी बात।

सरकार की यह भी सोच है कि हम खर्चा कम करेंगे। ऐसा करने के लिए समीक्षा के स्तर पर जो भी किया जाना है और भारत के मुस्लिम समुदाय को यदि अधिक बड़ी संख्या में नहीं तो भी कम से कम इतनी ही संख्या में हज करने भेजने के लिए वर्धित राजसहायता की जो आवश्यकता है, हम इस देश के मुस्लिम समुदाय के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि वैसा ही। इस समय ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा कि मुस्लिम समुदाय के कमजोर तबकों को सऊदी अरब जाने और हज पूरी करने में किसी प्रकार की बाधा हो।

इस बात से हटकर, सभापति महोदया, मैं इन सभी सदस्यों के प्रति अपना गहरा आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। जैसा मैंने कहा कि यह चर्चा जातिगत और धार्मिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर हुई और इसमें हज, केन्द्रीय हज समिति तथा उसकी कार्यशैली के बारे में कुछ बहुमान्य सुझाव रखे गए। मोटे तौर पर, इस चर्चा में तीन बातों पर विचार हुआ- केन्द्रीय हज समिति के कार्यालय की अवस्थिति, केन्द्रीय हज समिति की सउदी अरब के सिलसिले में या भूमिका रहे, या न रहे और आवश्यक पारदर्शिता। इस पारदर्शिता को केन्द्रीय हज समिति की आवास व्यवस्था तथा कार्यकरण के अन्य क्षेत्रों में बरता जाना होगा, साथ ही सरकार की तरफ से भी। मैं इन क्षेत्रों के बारे में अलग-अलग कहता हूं।

केन्द्रीय हज समिति का कार्यालय कहां हो, वह मुम्बई में हो या दिल्ली में हो-इस में भारत सरकार ने शुरू में, जबकि इसका प्रथम प्रारूप आया था, यह सुझाव दिया था कि केन्द्रीय हज समिति का कार्यालय कुछ कारणों-बिल्कुल उन्हीं कारणों, जिनका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया-से दिल्ली में ही रखा जाये; चूंकि यह राजधानी है, यहां सरकार के विभिन्न कार्यालय भी स्थित हैं और अन्य कारक भी हैं जो इस सारे मामले से संबद्ध हैं। इस विधेयक को विदेशी मामलों की स्थायी समिति को भेजा गया था। उन्होंने कार्यालय का स्थान-परिवर्तन करने और इससे संबंधित सारे पहलुओं की लाभ-हानि की विवेचना की।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदया, हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, लेकिन मैं मानता हूं कि संसद की स्थायी समितियां संसद् के अभिमत की प्रदर्शक होती हैं। उनमें केवल किसी एक विचारधारा किसी एक धर्मसंप्रदाय विशेष को ही तरजीह नहीं दी जाती। यह कहना कि संसद् की एक स्थायी समिति ने इसे मुम्बई में ही बनाए रखने की सिफारिश की है तो यह किसी बड़ी साजिश या योजना का अंग है, गलत होगा।

मेरे पास आंकड़े हैं। उनके अनुसार, स्थायी समिति के 45 सदस्यों में से 44 ने यह अनुशंसा की कि केन्द्रीय हज समिति का कार्यालय मुम्बई में ही रहने दिया जाए। अब, यह मुम्बईवासियों की किसी साजिश के तहत तो नहीं हुआ। न ही सरकार की कोई साजिश है। यह बिल्कुल सीधी-सीधी बात है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कार्यसूची में लिखा है कि चार बजे बिहार की चर्चा ली जाएगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: इस विधेयक पर उत्तर दिया जा रहा है। अवश्य, 4 बजे बिहार के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। लेकिन पहले यह विधेयक पारित हो जाने दीजिए। कुछ ही मिनट में यह पारित होगा और हम बिहार की चर्चा लेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम इससे असहमत हैं।

सभापति महोदया: हम हाउस से परमीशन ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मैं इस बिंदु पर सभा का मत जानना चाहती हूं कि हम 10 मिनट के भीतर इस विधेयक को पारित करें और फिर बिहार के संबंध में चर्चा करें। क्या सभा की इससे सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम इससे असहमत हैं। परमीशन लेकर क्या कुछ भी कर देंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मैंने सभा की राय ली है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारी इससे असहमति है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अकेले हैं जो असहमत हैं, बाकी सभी सदस्य सहमत हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: अभी दस मिनट में खत्म कर देंगे।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा में थे, अब वह समय आया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: जब मैंने कहा कि मत बोलिये, इसको खत्म करना है तो भी आप बोल रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला: सभापति महोदया, यदि मुझे बाधित नहीं किया जाता है तो मैं इसे लगभग 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया मंत्री जी जब उत्तर दे रहे हों तो व्यवधान न डालें। हम इसे जल्द ही समाप्त कर देंगे।

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, जैसाकि मैंने कहा, कि विदेश मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति ने इसके सभी पक्षों की जांच की और कार्यालय के स्थानांतरण के पहलुओं और इसकी व्यवहार्यता की छानबीन की।

स्थायी समिति के सदस्यों में से मात्र एक सदस्य को असहमति थी। स्थायी समिति के चौवालीस सदस्य एक मत थे कि केन्द्रीय हज समिति के कार्यालय को अत्यंत सामान्य कारणवश मुंबई में ही रहने दिया जाना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस सच्चाई की ओर संकेत कर रहे हैं कि मुंबई का जेद्दा के नजदीक होना इस विचार से तर्कसंगत नहीं है कि आजकल समुद्री यात्रा नहीं की जाती। लेकिन एक सच्चाई शायद उनके ध्यान से उतर गयी कि भारत और सऊदी अरब के बीच दिल्ली की अपेक्षा मुंबई से बेहतर ही उड़ान संपर्क है। इसलिए बेशक यह एक कारण था।

लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय हज समिति 'न लाभ न हानि' के आधार पर कार्य करती है। ऐसे संसद में जब सरकार लागत को कम करने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए दिल्ली में बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना और इस समय अपने सभी कार्यकलापों को स्थानांतरित करना अत्यन्त असुविधाजनक होता।

अपराह्न 4.00 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए]*

हां, यह भी सुझाव दिया गया था कि छह केन्द्रीय कार्यालय खोले जाने चाहिए और इस सिफारिश को भारत सरकार ने अस्वीकार

[श्री उमर अब्दुल्ला]

नहीं किया है। भारत सरकार केवल यही कह रही है कि अभी जब हम राज्य हज यात्रियों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि राज्य हज समितियां महती भूमिका अदा करे तो हम महसूस करते हैं कि केन्द्रीय हज समिति पर भारी बोझ लादना अनावश्यक है। लेकिन जब कभी केन्द्रीय हज समिति महसूस करे कि भारत के अन्य भागों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना आवश्यक है, भारत सरकार इस सिफारिश का समर्थन करेगी।

इसलिए केन्द्रीय हज समिति के कार्यालय के स्थान के बारे में इतना ही कहना है।

अब जहां तक सऊदी अरब में केन्द्रीय हज समिति की भूमिका का सवाल है तो यह सुझाव देना भी गलत है कि केन्द्रीय हज समिति की सउदी अरब में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह सही नहीं है। केन्द्रीय हज समिति अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शायद सऊदी अरब में हज का एक पहलू आवास का चयन है। राज्य हज समितियों भवन चयन दल भेजती है। ये भवन चयन इस भारत सरकार द्वारा निर्धारत की गई विशेषताओं के अनुसार भवनों का चयन करते हैं जिसका अर्थ यह होता है कि भवन काबा शरीर से एक निर्धारित दूरी से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, सभी भवनों में लिफ्ट होनी चाहिए और सभी भवनों में टेलीफोन और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए।

एक बार ये भवन जब नियत हो जाते हैं तब केन्द्रीय हज समिति इन भवनों का अनुमोदन करने के लिए अधिकारियों को भेजती है जिन्हें भवन चयन दल द्वारा चुना गया है। किसी भी स्थिति में भवन का चयन अथवा आवास का चयन पूर्णत: विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं होती। वस्तुत: राज्य हज समितियों और केन्द्रीय हज समिति दोनों ही प्रत्येक स्तर पर भवन/आवास चयन की प्रक्रिया का भाग होती है।

वास्तव में मदीना शरीफ में आवास का चयन सिर्फ केन्द्रीय हज समिति द्वारा ही किया जाता है। वस्तुत: विदेश मंत्रालय की मदीना में आवास के चयन में कोई भूमिका नहीं होती।

जहां तक परिवहन संबंधी समझौतों का प्रश्न है। सउदी ट्रांसपोर्ट सिंडीकेट और हज समिति के बीच परिवहन संबंधी समझौता पर केन्द्रीय हज समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। केन्द्रीय हज समिति के अध्यक्ष और सदस्य विमानों को भाड़े पर लेने की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। इसलिए केन्द्रीय हज समिति को प्रक्रिया में शामिल रखा जाता है और उन्हें सउदी अरब के साथ-साथ भारत में उन्हें आवास और परिवहन के संबंध में सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। यह भूमिका जारी रहेगी और हम सऊदी अरब के साथ-साथ भारत में की जाने वाली व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में केन्द्रीय हज समिति को शामिल करना जारी रखेंगे। व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में केन्द्रीय हज समिति को शामिल करना जारी रखेंगे।

तीसरा महत्वपूर्ण भाग हज की पारदर्शिता और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। कभी-कभी केन्द्रीय हज समिति में और इससे जुड़े क्रियाकलापों में पारदर्शिता के अभाव अथवा वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगता रहा है। जब मैं पिछले वर्ष समझौतों पर हस्ताक्षर करने सउदी अरब पहुंचा तो इसे ध्यान में रखते हुए सउदी अरब सरकार से मेरी प्रतिबद्धता थी कि आवास को किराए पर लेने संबंधी प्रत्येक करार के बारे में सउदी अरब सरकार को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे इन्हें अपने तरीके से इसकी जांच करने में सुविधा होगी कि भुगतान किया गया मूल्य सही था अथवा नहीं क्या आवास के चयन और किराए पर लेने संबंधी सौदे में किसी प्रकार का घपला किया गया, आदि यही हमने किया है और हम इसे जारी रखेंगे।

इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसद को इस प्रक्रिया में शामिल रखा जाये और दुबारा कभी ऐसा आरोप न लगे कि संसद को यह नहीं पता है कि इस धनराशि का क्या हो रहा है, केन्द्रीय हज समिति के लेखा-परीक्षित लेखे को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा जाएगा।

राज्य सभा में चर्चा के दौरान एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि संभवत: केन्द्रीय हज समिति को विदेश मंत्रालय की सतर्कता शाखा के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाया जा सकता है। हमने महसूस किया कि यह एक उत्तम सुझाव था। एक बार वर्ष 2002 के केन्द्रीय हज समिति के उप-नियम तैयार हो जायें तो केन्द्रीय हज समिति के कार्यकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय की सतर्कता शाखा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाएगा कि वित्तीय कुप्रबंधन का कोई आरोप बिना जांच और बिना दंड के न रह जाए।

कुछ माननीय सदस्यों ने तीर्थयात्रियों को धन-वापसी के संबंध में जिक्र किया था। हां, सभापति महोदया, यह ऐसी बात है जो चिंता का प्रमुख कारण होगी।

कुछ माननीय सदस्य: अब अध्यक्ष महोदय ने आसन संभाल लिया है।

श्री उमर अब्दुल्ला: मुझे खेद है। महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने देखा नहीं था।

सभापति महोदय: आप मुझे 'महोदया' बना रहे हैं। मुझे 'महोदया' न बनाइए।

एक दिन मैंने कहा था कि संसद को किसी पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त हैं।

श्री उमर अब्दुल्ला: सभापति महोदय, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह अधिकार मेरे पास भी नहीं है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: सभापति महोदय, इसका अर्थ यह है कि भारतीय संसद को आपको महिला बनाने का अधिकार प्राप्त है।

सभापति महोदय: इसीलिए संसद प्रभुसत्ता संपन्न और सर्वोपरि है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: इसका अर्थ यह है कि यह ब्रिटिश संसद से भी ज्यादा शक्ति संपन्न है।

श्री उमर अब्दुल्ला: इसका अर्थ यह है कि मैं यह नहीं देख रहा था कि कौन पीठासीन हैं और मैं इस बात पर ध्यान दे रहा था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। लेकिन शायद मुझे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था।

महोदय, तीर्थयात्रियों को धन वापसी के संबंध में जो बात की गई, मैं समझ सकता हूं कि यह ऐसे तीर्थयात्रियों के लिए गंभीर चिन्ता का कारण हो सकती है। जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इसमें लगाई है जो उप नियम तैयार किए जाने हैं, हमें इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना होगा ताकि यह सुनश्चित किया जा सके कि तीर्थयात्रियों को धन वापसी के लिए एक समय-सीमा निर्धारित हो। यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास रहा है कि धन-वापसी यथासंभव सुगमता से हो।

कभी-कभी किये गये दावों और उन दावों की वैधता के संबंध में समस्या होती है। लेकिन जैसे ही दावा वैध पाया जाता है धन वापसी कर दी जाती है। हमें इस बात की संभावना पर भी विचार करना होगा कि क्या हम राज्य हज समितियों को अधिक सक्रियता से कार्य में शामिल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो तीर्थयात्रियों के संबंध में रहते हैं और राज्य हज समितियों और केन्द्रीय हज समिति के बीच बेहतर समन्वय इस धनराशि की शीघ्र वापसी में शायद हमें सहायता करेगा।

श्री ई. अहमद: कोई भी व्यक्ति हज के लिए जा सकता है चाहे वह किसी समूह में जाए अथवा निजी ऑपरेटरों के माध्यम से जाए। निजी ऑपरेटर भारत से लगभग 30,000 हाजियों को ले जा रहे हैं। लेकिन वे निजी ऑपरेटर भारत सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। उन पर कोई विनियम लागू नहीं है। बेशक उन पर रोक लगाना मुश्किल है क्योंकि लोग स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि मक्का और मदीना पहुंचने के बाद अथवा हज करते समय उन हाजियों के साथ कुछ होता है तो हमारा मिशन उनके बारे में कुछ जानने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं। क्या सरकार कुछ व्यवस्था करने पर विचार करेगी ताकि ऐसे हाजी भी हमारे मिशन को रिपोर्ट करें ताकि उनके जीवन को कोई खतरा हो तो वे उनकी देखभाल कर सकें?

श्री उमर अब्दुल्ला: सभापति महोदय, यह सच है कि केन्द्रीय हज समिति के तत्वावधान में यात्रा करने वाले हाजियों के मुकाबले निजी टूर संचालकों के माध्यम से यात्रा करने वाले हाजियों से ज्यादा शिकायतें मिलती हैं। हम सऊदी अरब की सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि निजी टूर संचालकों के तत्वावधान में यात्रा करने वाले हाजियों को भी केन्द्रीय हज समिति के तत्वावधान में यात्रा करने वाले यात्रियों के समान ही सुविधाएं मिल सकें।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि इसे उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की हज कमेटी की तरफ से ओखला में एक जमीन ली गई थी जिस पर उनका दफ्तर भी बन सकता है। आज उस जमीन की कीमत कम से कम 150 करोड़ रुपये है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मेरे मंत्रित्वकाल में ली गई थी। उस जमीन पर हज भवन बनना था लेकिन आज उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा हो रहा है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी की उस पर हज भवन बनाने की कोई रुचि नहीं है। मेरा कहना है कि अगर आप कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं या केन्द्रीय सरकार कुछ सहायता दे सकती है तो हज करने के लिए जो लोग जाते हैं, उनको ठहरने की सुविधा होगी। हमने हज यात्रियों की सुविधा हेतु यह फैसला लिया था। ओखला में आज उस जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपये है।

हमारा कहना है कि आप उस जमीन पर निर्माण करा सकें, केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके व उ.प्र. की सरकार निर्देश देकर व सहायता देकर हज कमेटी द्वारा हज भवन का निर्माण कराने में सहायता करें। मुझे विश्वास है कि आपको उस जमीन पर भवन बनाने की रुचि होगी। यदि इस मामले में आप कुछ प्रयास कर दें तो अच्छा होगा। मुझे अफसोस होता है कि इतनी कीमती जमीन

[श्री मुलायम सिंह यादव]

देने के बावजूद भी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमने कुछ अतिरिक्त पैसा भी दिया था लेकिन हज कमेटी ने उसके बाद भी कुछ नहीं कराया। आप उसे देख लीजिए।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, राज्य स्थित हज भवनों का उत्तरदायित्व सीधे राज्य सरकार और राज्य हज कमेटियों पर होता है। मैं कह चुका हूं, यदि माननीय सदस्य, श्री मुलायम सिंह के पास कोई ठोस सुझाव है तो हम उसकी जांच करेंगे और यदि वे व्यवहार्य हैं तो हम उस पर विचार करेंगे।

जैसा कि मैं कह रहा था, सभापति महोदय, ताकि मैं अपनी बात यथाशीघ्र खत्म कर सकूं, कई सदस्यों ने उस तथ्य का उल्लेख किया कि सऊदी अरब से वापस आने वाले हाजी वहां की व्यवस्था और अपने अनुभव से अत्यधिक असंतुष्ट थे। ऐसे मामलों में इस वर्ष हमने यह पता लगाने का प्रयास किया कि इस आरोप में कितना वजन है कि सामान्यत: हाजी वहां के अनुभवों से दु:खी होकर आए। अतएव, हमने वहां से वापस आने वाले और केन्द्रीय हज समिति के तत्वावधान में यात्रा करने वाले हाजियों के बीच बड़ी संख्या में हजोपरांत सर्वेक्षण प्रपत्र परिचालित कराए। वास्तव में, यथाशीघ्र नमूने प्राप्त करने के लिए मैं अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मलयालम एवं तमिल भाषा में परिचालित किए गए थे और परिणामों में हमने पाया कि केवल पांच प्रतिशत हजयात्रियों ने मक्का में निवास स्थल को असंतोषजनक पाया, केवल सात प्रतिशत हजयात्रियों ने मदीना में इसे असंतोषजनक पाया, केवल पांच प्रतिशत हजयात्रियों ने मक्का शरीफ में कर्मचारियों के कार्य को असंतोषजनक पाया, आठ प्रतिशत विमानपत्तन से अप्रसन्न थे और केवल तीन प्रतिशत हजयात्रियों ने चिकित्सीय कर्मचारियों के कार्य को असंतोषजनक पाया। जब आप इस तथ्य की ओर नजर डालते हैं कि यद्यपि केन्द्रीय हज समिति के तत्वावधान में 72,000 लोग यात्रा करते हैं तथापि असंतोष का प्रतिशत एकल अंक में है तो मैं समझता हूं कि ऐसी भूमिका निभाने का श्रेय केन्द्रीय हज समिति और सऊदी अरब में तैनात मेरे मंत्रालय के अधिकारियों को जाता है जिनके लिए हज संबंधी व्यवस्था करने का काम उनके कर्तव्य का हिस्सा ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर है, क्योंकि वे वर्ष दर वर्ष हज व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु अपने कर्त्तव्य से ऊपर उठकर कार्य करते हैं।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हज व्यवस्था में सुधार करने का इस सरकार का प्रयास जारी है और जारी रहेगा। अंत में, मैं इस मुद्दे पर अपनी बातें समाप्त करना चाहूंगा कि जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि हाजियों को उनके आब-ए-जमजम के साथ वापस उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाती है। महोदय यह सही नहीं है। सभी हाजियों को उनके सामान के साथ 10 लीटर आब-ए-जमजम के साथ उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है। इससे ज्यादा कुछ भी सामान कार्गो के रूप में अलग वायुयान में आना चाहिए। इतना ही नहीं, विमान सेवा उन हाजियों के लिए, जो अपने साथ वायुयान में आब-ए-जमजम लाने में असमर्थ हैं, आब-ए-जमजम की बोतलों का भी इंतजाम करती है। इसलिए यह न केवल सरकार का बल्कि विमान सेवा का भी प्रयास है कि हाजी एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकें और हज व्यवस्था से संतुष्ट होकर लौटें।

महोदय, इसके साथ, मैं इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि हज के लिए मुसलमान तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करने और उससे संबंधित विषयों के लिए भारत की एक हज समिति और राज्य हज समितियां स्थापित करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला—उपस्थित नहीं है।

श्री एम.ओ.एच. फारूक, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एम.ओ.एच. फारूख: महोदय, मैं इस पर आग्रह नहीं करता हूं।

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला—उपस्थित नहीं है।

श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला—उपस्थित नहीं हैं।

श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: अब, खंड 23।

श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला—उपस्थित नहीं है।

श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड-27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला—उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 49 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 50 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 50 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 51 और 52 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अमर अब्दुल्ला: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्रीराम नाईक): मुम्बई का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में, मैं मुम्बई में मुख्यालय बनाए रखने के लिए मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। मैं वास्तव में उनका कृतज्ञ हूं ...*(व्यवधान)* मैं इसे रिकार्ड में लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: अब, हम मद संख्या 16 को लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): हमें नियम 193 के अधीन चर्चा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या हमें नियम 193 के अधीन अथवा मद संख्या 16 पर चर्चा करनी चाहिए?

...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण विधान है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि नियम 193 के अधीन चर्चा 4 बजे तक ली जानी थी। लेकिन अध्यक्षपीठ ने निर्देश दिया है कि हज विधेयक पारित करने के बाद बिहार मुद्दे को लिया जायेगा। अब हमें चर्चा में विलम्ब नहीं करना चाहिए। नियम 193 के अधीन चर्चा को पहले लिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी का कहना है कि उन्हें मात्र पांच मिनट चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अत: आप विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप विधेयक पर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसे चर्चा किए बिना पारित नहीं किया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। हम अब मद संख्या 17 को लेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

अपराह्न 4.25 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

बिहार के लिए वित्तीय पैकेज

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मैं आपको, इस सदन और इस सदन के माननीय सदस्यों को बिहार की 8 करोड़ 30 लाख 55 हजार जनता की ओर से इस अहम सवाल पर नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए बधाई देता हूं कि बिहार का आर्थिक संकट, बिहार का पिछड़ापन और बिहार की समस्या पर सदन का बहुमूल्य समय चर्चा के लिए दिया जा रहा है।

महोदय, बिहार का गौरवशाली इतिहास है। आदिकाल, वैदिक काल और पौराणिक काल-सभी कालों में बिहार के गौरवशाली इतिहास का जिक्र है। भगवान राम और श्रीकृष्ण के महाभारत में बिहार का जिक्र है। मगध के समय में जब हिन्दुस्तान की राजधानी पाटलिपुत्र थी, हिन्दुस्तान दुनिया के देशों में पहले स्थान पर था। भगवान महावीर का जन्म बिहार में हुआ और अहिंसा व शांति का सन्देश वैशाली से चला। भगवान बुद्ध की कर्म भूमि बिहार है। जब ज्ञान कहीं नहीं मिला, तो बोधगया से उनको ज्ञान मिला। लिच्छवी गणतंत्र की जननी है, जहां पर जनतंत्र का जन्म हुआ। हमने अब्राहम लिंकन से डैमोक्रेसी नहीं सिखी है, बल्कि हमारे पुरखों ने जम्हूरियत, डैमोक्रेसी को पैदा किया है। आज से 2600 बरस पहले, भगवान बुद्ध ने वैशाली में कहा था-नियम बनाकर शासन करते है। कानून का राज है। वैशाली के संबंध में राष्ट्रकवि दिनकर की कुछ पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहता हूं:

"वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता,
जिसे खोजता देश आज, उस प्रजातंत्र की माता।
रुको पथिक एक क्षण, मिट्टी को शीश नवाओ,
राज्य सिद्धियों की समाधि पर, फूल चढ़ाते जाओ।"

महोदय, बिहार में जनतंत्र का जन्म हुआ। *...(व्यवधान)* इतिहास जानना जरूरी है। जो कौमें इतिहास को याद करके काम करती है, वे कभी गुलाम नहीं हो सकती है। यह मेरा दृढ़ निश्चय और विश्वास है। सम्राट चन्द्रगुप्त, सम्राट अशोक और गुरुगोविन्द सिंह का वहां जन्म हुआ। तमाम धर्मों का वहां संगम है। 1857 में बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजी सल्तनत से पहली लड़ाई वहां लड़ी गई, जिसमें अंग्रेजों को पराजय मिली। 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह के नाम से विजय दिवस मनाया जाता है। *...(व्यवधान)* नालन्दा विक्रमशीला विश्वविद्यालय में दुनिया से लोग ज्ञान हासिल करने के लिए आते थे। *...(व्यवधान)* सवाल उठ रहा है कि बिहार की हालत क्यों खराब हुई। बिहार और झारखण्ड आजादी के समय एक था और हिन्दुस्तान में बिहार का स्थान तीसरा था *...(व्यवधान)* गुड गवर्नेंस में बिहार एक उदाहरण था और पर-कैपिटा इनकम के हिसाब से बिहार का स्थान तीसरा था। *...(व्यवधान)* मैं सभी आंकड़े बता रहा हूं। क्षण भर में दिमाग घूम जाएगा और अंधकार दूर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पर कैपिटा इन्वैस्टमैन्ट 25 रुपए हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 40 रुपए हैं, जबकि अन्य राज्यों में पर कैपिटा इन्वैस्टमेंट 50 रुपए है। थर्ड फाइव ईयर प्लान में 67 रुपए बिहार में, जबकि 90 रुपए देश भर के सभी राज्यों में। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: उन्हें बाधा न पहुंचाए। उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, तीन वर्ष का एनुअल प्लान बना, जिसमें 41 रुपए बिहार में और 60 रुपए नेशनल एवरेज का सभी राज्यों में है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 81 रुपए पर-केपिटा इनवेस्टमेंट हमारे बिहार में जब कि और देश भर के तमाम राज्यों में नेशनल एवरेज 141 रुपए था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में 140 रुपए पर-केपिटा इनवेस्टमेंट है, जबकि नेशनल एवरेज देश भर के तमाम राज्यों में 232 रुपए था। फलस्वरूप आधारभूत संरचना और समाज-सेवा में जहां बिहार तीसरे स्थान पर था, वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना में नौवें स्थान पर चला गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 22वें स्थान पर चला गया। आज वह सबसे नीचे हैं। जनसंख्या वृद्धि में राष्ट्रीय औसत 1991-2001 में 21.34 प्रतिशत था और बिहार में 28.43 प्रतिशत था। *...(व्यवधान)*

महोदय, बिहार की आबादी का घनत्व एक स्कवेयर किलोमीटर में 880 है। देश भर में सबसे ज्यादा घनत्व इस समय बिहार में हैं। हम दुनिया में दूसरे स्थान पर थे, बंटवारे के बाद दूसरे से चौथे पर नहीं गए बल्कि तीसरे पर गए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, उन्हें बाधा न पहुंचाएं। उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, बिहार बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव एवं प्राकृतिक आपदा से तबाह हुआ। सारा खान-खनिज बिहार में था। कोयला, अभ्रक, लौहा, तांबा, एल्युमिनियम, ग्रेनाइट आदि रहने के बावजूद भी सवाल उठेगा। विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी लोग और जो अंधकार में हैं वे जानना चाहेंगे कि सारी सम्पत्ति बिहार में थी, फिर बिहार क्यों पीछे चला गया। फ्रेट इक्वलाइजेशन पालिसी की वजह से तमाम खान-खनिज उद्योग रहने के बावजूद भी बिहार आगे नहीं गया, पीछे चला गया। यह ठीक है कि हिन्दुस्तान की राजनीति में राजेन्द्र बाबू, जगजीवन बाबू और सभी बड़े-बड़े महान लोग हुए हैं, लेकिन उनमें रीजनलिज्म नहीं था। उन्होंने हिन्दुस्तान को अपना देश समझा, इस वजह से निश्चय ही बिहार पीछे चला गया।

महोदय, योजना आयोग ने एक कमेटी बैठाई थी-डा. मजूमदार कमेटी। जिन लोगों को भ्रम है कि किस कारण से बिहार पीछे चला गया, इस कमेटी की रिपोर्ट उसकी साक्ष्य है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। बिहार के संबंध में बिहार और झारखंड के लिए औद्योगिक विकास आदेश इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार हुई है। इंडस्ट्रीज कमीशन बना है, इसमें मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बिहार इंडस्ट्रीज कमीशन की क्या रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष टाटा के डा. जमशेद जे. इरानी थे।

अपराह्न 4.34 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

"बिहार एक राज्य ही नहीं बल्कि यह एक मनोवृत्ति बन गया है; यह उस विकृत आकृति वाली टोपी की तरह है जिसे हर कोई पहनना चाहता है। जब बिहार की बारी आती है तो उन तथ्यों जिन्हें प्राय: अतिश्योक्तिपूर्ण ढंग से कहा जाता है, तो तथ्यों के बजाय यहां रवैये, राम और छाप के मामले को बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है।"

फिर आगे कहा गया है:

"मिथकीय अमर पक्षी की तरह ही बिहार भी अपनी मिट्टी से उठ खड़ा होने में सक्षम है। चूंकि बिहार और झारखंड ने अपने प्राचीन गौरव को पुन: प्राप्त करना आरम्भ कर दिया है इसलिए वित्त, अवसंरचनात्मक आदि अन्य आयोगों के साथ ही बिहार उद्योग आयोग का गठन इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम बन गया है।"

[हिन्दी]

बिहार की लोग हंसी उड़ाते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं लेकिन हमारे यहां के नौजवान आई.ए.एस., आई.पी.एस. में फर्स्ट आ रहे हैं, हरेक परीक्षा में सफल हो रहे हैं क्योंकि वहां की मिट्टी में मेधा है। हमारे बिहार के श्रमिक मेहनत करके उत्पादन करते हैं और अगर हमारे बिहार के श्रमिक मेहनत करना छोड़ देंगे तो हिन्दुस्तान के कारखाने ठप्प हो जाएंगे। हमारे छात्र चाहे हिंदुस्तान में हों या विदेश में, फर्स्ट आते हैं। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, हमारे छात्रों के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट आते हैं। यह बिहार की मिट्टी की खूबी है और बिहार का वर्तमान भी है।

एक त्रासदी बिहार के साथ है कि बीसवीं सदी में बिहार का बंटवारा तीन बार हुआ। पहली बार ग्रेट बंगाल से 1912 में, फिर उससे उड़ीसा 1937 में अलग हुआ और 15 नवम्बर, 2000 को झारखंड अलग हुआ। अंग्रेजी सल्तनत ने कहा कि नहीं बंटना चाहिए, जवाहर लाल नेहरु, इंदिरा जी के कार्यकाल में कहा गया कि नहीं बंटना चाहिए लेकिन एक समय आया कि राजनैतिक कारणों से बिहार का बंटवारा हो गया। *...(व्यवधान)* दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): आपने बिहार विधान सभा में इसे पास करवाया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद सिंह जी के अलावा किसी की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी व सभी विपक्ष के लोग वोट में खिलाफ खड़े हुए थे और ये लोग भी खड़े हुए थे। आपको पता है कि एक महीना महाभारत की लड़ाई हुई थी और दुर्योधन की सभा में चीर हरण हुआ था *...(व्यवधान)* कायर लोग नहीं बोल सके थे। वही परिस्थिति थी महोदय। सभी बिहार के योद्धा उधर खड़े हो गये कि बिहार बंटना चाहिए और हमारा अमेंडमेंट खारिज होना चाहिए। *...(व्यवधान)* यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। बिहार विभाजन के बाद आर्थिक परिस्थिति क्या हुई, इसको भी समझना जरूरी है। आठ करोड़ तीस लाख की आबादी बिहार

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में और दो करोड़ उनसठ लाख आबादी झारखंड में गयी। एक-चौथाई आमदनी बिहार में और तीन-चौथाई आमदनी झारखंड में चली गयी। जो सेंटर का कर्जा है बिहार पर वह 37 हजार करोड़ रुपये है, जिसमें से तीन-चौथाई कर्जा बिहार पर और एक-चौथाई कर्जा झारखंड पर। सूद वगैरह मिलाकर बिहार को 2000-2001 में 2300 करोड़ रुपया और सन 2001-2002 में 2700 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ा। पूंजी का सारा निवेश झारखंड में चला गया। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बीच में टोका-टाकी न करें।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महाराष्ट्र अच्छा हो गया, गुजरात अच्छा हो गया, चैन्नई अच्छा हो गया-उनकी वजह क्या है? आपके प्रदेश के गरीब रहने की वजह क्या है, वह बताएं?

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू की बात छोड़ कर दूसरी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कोई दूसरा मौका आएगा तो इस बारे में तय हो जाएगा। आप इस समय मुझे डिस्टर्ब न करें।

सभापति महोदय: आप आसन के सम्मुख मुखातिब होकर अपनी बात कहें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह बिहार की जनता का सवाल है और उनके जीवन-मरण का सवाल है। *...(व्यवधान)* हम विरोध करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरा विषय छूट न जाए और समय घट न जाए इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मुझे छेड़ने का कष्ट न करें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदन में शांति बनाए रखें। रघुवंश बाबू, आप चेयर की तरफ मुखातिब होकर अपनी बात कहें। आप क्रॉस टॉक में क्यों फंस जाते हैं जबकि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम डाक्टर लोहिया वाली पाठशाला में पढ़े हैं इसलिए हल्की-फुल्की बातों से डरने वाले नहीं हैं और बीच में होने वाली छेड़खानी से भी विचलित होने वाले नहीं हैं। हम उसी राह पर चलेंगे जिस पर चलना है। भारत सरकार ने तीन चौथाई बिहार को और एक चौथाई झारखंड को देने का फैसला किया जबकि बिहार की आर्थिक स्थिति खराब है। बिहार के बंटवारे के बाद क्या हुआ? जितनी भी खनिज सम्पदा थी, वह सारी झारखंड चली गई। टाटा, टिस्को, बोकारो, एचईसी, मेकोन आईआईटी, बीआईटी, आईएसएम, सिंदरी, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, झुमरीतल्लैया ये सब झारखंड चले गए और बिहार खाली हो गया। बिहार के पास बाढ़, सुखाड़ और बालू बचा।

आज बिहार की क्या दशा है? मैं आर्थिक सूचक के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं। एरिया 94193 स्क्वेअर किलोमीटर जबकि पापूलेशन 8 करोड़ 30 लाख है। डैनसिटी 880 पर-स्कवेअर किलोमीटर, शहरीकरण 10.26 परसैंट जबकि देश की 25.7 परसैंट, पर-कैपिटा इनकम 3835 जबकि नेशनल एवरेज 16223 पर-कैपिटा, ग्रोथ रेट आठ हजार और बिहार यहां माइनस में चला गया। 0.14 स्टेट डोमैस्टिक प्रोडक्ट्स रहे और नौवें प्लान में वह 8 परसैंट था। देश का जीडीपी 6 परसैंट लेकिन बिहार का जीडीपी नौवीं योजना में एक परसैंट अंकित हुआ। आज बिहार की हंसी उड़ायी जाती है। बिहार की गरीब जनता, मजदूर और किसानों ने पेट काट कर बैंकों में 37 हजार करोड़ रुपये जमा किए लेकिन आपने बिहार को भूखा-नंगा किया। आप बिहार को गरीब, दरिद्र कहते हैं जबकि हम लोगों ने 37 हजार करोड़ रुपए जमा किया। आंध्र प्रदेश विकसित राज्य है। उसने 26 हजार करोड़ रुपए जमा किए। मैं दूसरे राज्यों का नहीं बताऊंगा लेकिन बिहार का क्रेडिट डिपाजिट रेशियो 21 से 23 परसैंट है लेकिन अन्य राज्यों का 70, 80 और 90 परसैंट है। हमारा जो पैसा बैंकों में जमा है, वह देश के दूसरे राज्यों में लग रहा है।

इनवैस्टमेंट हो रहा है लेकिन बिहार गरीब का गरीब है। देश का लिट्रेसी रेट 65 परसेंट है जबकि बिहार का 47 परसेंट है। जब नेशनल ऐवरेज बिलो पावर्टी लाइन 37 परसेंट था, तब बिहार का 54 परसेंट था। अब जबकि नेशनल ऐवरेज 27 परसेंट है तो बिहार का 44 परसेंट हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह रेट 40 परसेंट से नीचे है। कहीं-कहीं तो 25-20 परसेंट ही है।

सभापति महोदय, बिहार में पतरातू, सुवर्ण रेखा और तेलूघाट थर्मल पावर प्रोजैक्ट्स झारखंड में चले गये। बरौनी और मुजफ्फरपुर में छोटे थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट्स रह गये हैं जिनसे केवल 540 मेगावाट बिजली मिलती है जबकि 1400 मेगावाट वाले पॉवर प्रोजैक्ट्स झारखंड में चले गये हैं। जहां तक नेशनल विद्युतीकरण का सवाल है, नेशनल ऐवरेज 35 परसेंट है लेकिन बिहार में यह मात्र 6 परसेंट है। बिहार राज्य देश के अन्य राज्यों से काफी नीचे है। इसी प्रकार बिहार में 30 हजार गांव बिना सड़क के हैं जबकि आंध्र प्रदेश में केवल 15000 गांव बाकी हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 197 करोड़ रुपया दिया गया जबकि बिहार को 150 करोड़ रुपया मिला है। यहां सरकार दावा करती है कि 2007 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा और सभी गांवों में सड़क पहुंच जायेगी। जिस राज्य में ज्यादा गांव बचे हुये हैं, उसे कम रुपया और जिसके यहां कम गांव बचे हुये हैं, उसे ज्यादा रुपया मिल रहा है। यह कैसा न्याय है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सभापति महोदय, इसी प्रकार टेलीफोन के मामले में नेशनल ऐवरेज 3.7 प्रतिशत घनत्व है जबकि बिहार में केवल 0.9 प्रतिशत है। सड़क, टेलीफोन के अलावा रेल में बिहार बहुत पीछे छूट गया है। इन्हीं बातों को देखते हुए 28 नवम्बर, 2000 को बिहार से लोक सभा और राज्य सभा के सभी पार्टियों के सांसदों ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दिया था। उसके पहले हम सभी सांसदों ने एक बैठक की थी। उसमें एक कोर कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार थे। लेकिन आज डेढ़ साल से ज्यादा हो गया, उस कोर कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है। बिहार पीछे था, और आज भी पीछे है। वहां विकास के काम रुक गये हैं, उसका विनाश हो गया है, उस पर राजनीति हावी हो गई है। इस कारण एक बैठक श्री नीतीश जी के यहां हुई थी। उस समय श्री यशवंत सिन्हा जी ने कहा था कि बिहार राज्य के सभी सांसदों, बिहार सरकार और केन्द्र सरकार—इन तीनों के बीच एक बैठक होगी। इसके लिए तिथि भी तय हो गई। वह तारीख फिर बदली गई लेकिन राजनीति हावी रही। वह काम आगे नहीं बढ़ सका। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन दिये दो साल होने को आये लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ज्ञापन में कहा गया था कि बिहार सरकार पर जितना कर्जा है, उसे माफ किया जाये। कर्जा लेकर जो पूंजी निवेश किया गया, वह सब झारखंड में चला गया। जितने उद्योग-धंधे, इंस्टीट्यूशन्स थे, वे सब झारखंड में चले गये। बिहार पर तीन चौथाई बोझ बढ़ गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए 12 हजार करोड़ रुपये रखा गया लेकिन बाद में योजना को छोटा आकार दे दिया गया और केवल 5 हजार करोड़ रुपया खर्च किया। बाकी रुपया खर्च नहीं हुआ। इसी प्रकार जो पर कैपिटा इनवैस्टमैन्ट होना चाहिए, वहां उतना पैसा इनवैस्ट नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं। लेकिन वहां पैसा खर्च नहीं हुआ। हमारा पैसा कहां चला गया। अष्टम योजना 1200 करोड़ रुपये की थी, लेकिन उसमें से केवल पांच हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। नौवीं योजना 14 हजार करोड़ रुपये की थी, लेकिन उसमें से केवल 10 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। चार हजार करोड़ रुपया उसमें से खर्च नहीं हुआ। केन्द्रीय योजना और केन्द्र प्रायोजित योजना की मद में आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में सात हजार करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन हमें वह राशि नहीं मिली अथवा नगण्य राशि मिली है। अनेक केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में बिहार वंचित रहा है। मैं आपको आगे उदाहरण देकर बताऊंगा।

सभापति महोदय, देश में कर्जा माफी के पूर्वोदाहरण हैं। इससे पहले अन्य राज्यों का भी कर्जा माफ हुआ है। हमने वित्त विभाग के साथ लिखा-पढ़ी की थी। उसने कहा कि वित्त आयोग ये सब काम करता है, लेकिन 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें बिहार के बंटवारे का मामला नहीं आया, इस वजह से वित्त आयोग इस पर विचार नहीं कर सका। चूंकि उसके सामने यह मामला नहीं आया, इसलिए हमारा कर्जा माफी का मामला बनता है। इसलिए बिहार का सारा कर्जा माफ किया जाए। इसका प्रस्ताव हमने दिया है।

उसी प्रकार से उसमें मांग नम्बर दो में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला नेशनल डेवलपमेन्ट काउंसिल की मीटिंग में तय होता है। उसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स स्टेट्यूट नहीं हैं। कोई नियम-कायदे नहीं हैं। केवल नॉर्म्स रखे गये हैं-सीमावर्ती इलाका हो, प्रति व्यक्ति आय में निम्न हो, ट्राइबल आबादी हो, पहाड़ी क्षेत्र हों, आदि। पांच शर्तें पूरी होने पर एन.डी.सी. विशेष राज्य का दर्जा देती है। लेकिन अभी जो नया उत्तरांचल राज्य बना है, उसे झटपट विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन बिहार को इन्होंने अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। ये बिहार के साथ भेदभाव कर रहे हैं। बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। चूंकि बिहार में बॉर्डर इलाका है, बिहार का 709 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। बंग्लादेश के साथ हम सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उसके बहुत करीब हैं। इसलिए उसका भी वहां सीमावर्ती वाला मामला बनता है।

बिहार प्राकृतिक रूप से डिसएडवांटेजियस है। उसके 27 जिलों में हर साल बाढ़ आती है। सात-आठ जिलों में सुखाड़ रहता है। 65 लाख हैक्टेअर जमीन हमेशा बाढ़ग्रस्त रहती है। नेपाल के पहाड़ों से होकर आने वाली नदियों से जो बाढ़ आती है, वह बिहार को बर्बाद करती है। बिहार की फसलें, सड़कें, स्कूल, कालेज, मैदान, सरकारी सम्पत्ति, जनता की सम्पत्ति, गरीबों के घर आदि बह जाते हैं। गरीब मारे जाते हैं, उनके जानवर मारे जाते हैं। इस तरह से प्राकृतिक रूप से असीमित नुकसान बिहार में होता है। जितनी भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त स्टेट्स हैं, उनमें प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे नीचे आता है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में शायद दो-तीन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बिहार से कम होगी। अन्यथा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किये हुए राज्यों में सभी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार की प्रति व्यक्ति औसत आय से ज्यादा है। ट्राइबल आबादी वाला मामला भी वहां है। हमारे यहां 15 से 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। 55 से 60 प्रतिशत पिछड़ी तथा अति पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए जिन्हें ट्राइबल आबादी कहा गया है, जो ज्यादा पीछे छूट गये हैं, उसमें भी बिहार इस कंडीशन को फुलफिल करता है। पहाड़ी क्षेत्र जो नेपाल से निकलता है, वह पांचवां आइटम है, उसमें भी बिहार के बारे में विचार किया जा सकता

है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। जब प्रधान मंत्री जी बिहार रेल पुल के शिलान्यास में गये थे तो वहां के मुख्य मंत्री ने गांधी मैदान की ऐतिहासिक सभा में मांग की थी। मेरे ख्याल से उस पर विचार होना चाहिए और शायद वह विचार करेंगे।

इस तरह से विभाजन के बाद भी विशेष परिस्थिति हुई, इसीलिए उनको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जिस समय बंटवारा हो रहा था, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कमिट न किया हो कि आर्थिक पैकेज देंगे और कहा कि जितनी क्षति है, उसकी पूर्ति होगी। भाजपा के लोग, समता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, और भी जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के लोगों ने अपने घोषणापत्र में यह कहा। यहां तक कि विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होकर आया। जब राष्ट्रपति जी द्वारा बिहार रीआर्गेनाइजेशन बिल भेजा गया तब उसमें विधानमंडल द्वारा कहा गया कि 1,79,900 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज बिहार को मिलना चाहिए। उसके पहले जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे, उनके शासन में भी उन्होंने ऐलान किया था कि 5000 करोड़ रुपये का स्पैशल पैकेज बिहार को देंगे। वह भी अभी बकाया है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन उस समय का कमिटमेंट भी पूरा नहीं हुआ। प्रधान मंत्री जी ने भी ऐलान किया था विशेष पैकेज का। यहां गृह मंत्री ने भी विधेयक के समय कहा था कि योजना आयोग में सैल बनेगा और विशेष पैकेज मिलेगा। पैकेज क्यों मिलना चाहिए? सभी लोगों का कमिटमैंट है कि भरपाई करेंगे। पैकेज में क्या मिला? 15 नवंबर 2000 को बिहार बंटा है।

सभापति महोदय: कितना समय लेंगे चूंकि और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अब लक्ष्य पर आ गए हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): कम बोलेंगे तो पैकेज ज्यादा मिलेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: ऐसा हो जाए तो हम अभी बैठ जाएं।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की बिहार सरकार के साथ खींचतान चल रही है और वह बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसकी उपेक्षा कर रही है, यह सवाल आज उठता है। केन्द्र सरकार में जब सवाल उठता है तो कहते हैं कि राज्य पैसा खर्च नहीं करती, हिसाब नहीं देती। राज्य सरकार को कहते हैं तो वह भारत सरकार की कमी बताती है। इन दोनों सरकारों की खींचतान के चलते जनता पर मार पड़ रही है। जो 8 करोड़ 20 लाख मेहनतकश लोग हैं, जो किसान और सभी तरह के लोग हैं, वह भी मार खा रहे हैं और उनका बड़ा भारी अहित हो रहा है। इन दोनों के झगड़े में दोनों सरकारें बताती हैं एक दूसरे की ढिलाई, और उसमें हो रही है जनता की पिसाई। जब खर्च का हिसाब है तो हम क्यों खर्च का हिसाब मांगने जाएं? कर्जा माफ कर दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उसमें कहां खर्च की जरूरत है, हिसाब लेने-देने की, एफिशियेन्सी की, लेकिन मदद करना कोई चाहे तब।

महोदय, 335 करोड़ रुपये का ट्रांसमिशन का प्रोजैक्ट आया है। पावर ग्रिड कार्पोरेशन उसे करने के लिए तैयार है। वह पैकेज तय करवा दीजिए क्योंकि उस सैक्टर में सरप्लस बिजली है। यदि ट्रांसमिशन लाइन दुरुस्त हो जाए तो 24 घंटे बिजली मिल सकती है। वह पैकेज दिलवा दीजिए। उसमें तो हिसाब लेना-देना नहीं है। भारत सरकार का संस्थान है और उसके लिए भारत सरकार पैसा दे दे, पैकेज का कमिटमेंट तो है ही। लेकिन ये सब बहाने हैं। मैं बता रहा हूं भेद खोलकर।

नेपाल से आने वाली नदियों से जो बरबादी होती है, उसमें 10 लाख हैक्टेयर में जल जमाव हो रहा है। आठ जिलों में सुखाड़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सेन कमेटी गई थी। उसने कहा था कि बाढ़, जल-जमाव और सुखाड़ की जो बिहार में समस्या है, वह राज्य सरकार के बस में नहीं है। राज्य सरकार की हालत वैसी नहीं है कि बाढ़ और सुखाड़ तथा जल-जमाव की समस्या का समाधान कर सके। इसलिए वह रिपोर्ट खोजी जाए, दिखवाई जाए और सेन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए जिसमें यह है कि सभी सेन्ट्रल सेक्टर में भारत सरकार और नेपाल समझौता करे और भारत-नेपाल समझौते के मुताबिक बाढ़ नियंत्रण का काम, जल-जमाव से जल निकासी का काम और सुखाड़ में सिंचाई का काम और जो हमारी परियोजनाएं हैं, वह सब परियोजनाओं को बढ़ाया जाए, मंजूर किया जाए और केन्द्रीय सरकार उसमें सारा खर्च दे।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, गंडक फेज-दो, कोसी फेज-दो, बागमती गंडक पर हाई डैम, गंगा के तट के कटाव पर रोक व तटबंध बनाना, लघु सिंचाई विभाग से ऊसर भूमि विकास की योजना आई हुई है। वह योजना आयोग में लंबित है, कृषि विभाग में लंबित है, वह क्यों क्लीयर नहीं की गई। सोलर ट्यूब योजना, राजकीय नलकूप योजना क्यों नहीं क्लीयर की गई। मुजफ्फरपुर-बरौनी थर्मल पावर योजना का आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु बिहार सरकार को पैसा चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है। उसे केन्द्र सरकार केन्द्रीय उपक्रम थर्मल

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

पावर कारपोरेशन के माध्यम से क्यों नहीं कराती है। नवीं नगर थर्मल पावर परियोजना भारत सरकार की उपेक्षा के कारण रुकी हुई है। 335 करोड़ रुपये की पावर ग्रिड कारपोरेशन की ट्रांसमीशन लाइन की परियोजना केन्द्र सरकार की उपेक्षा के कारण रुकी पड़ी है।

महोदय, विद्युतीकरण के बारे में भारत सरकार ने कहा है कि सन् 2007 तक देश के सभी ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। जो क्षेत्र शुरू से विद्युतीकरण में पिछड़ गए हैं, विशेषकर बिहार के गांवों को विद्युतीकृत करने का जिम्मा केन्द्र सरकार को लेना चाहिए। पन बिजली के क्षेत्र में बिहार में अपार संभावनाएं हैं। कनबन पनविद्युत परियजना भारत सरकार की ढिलाई के कारण पीछे छूट गई है। बिहार में बहने वाली नदियों पर पन बिजली परियोजनाएं बनाने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भारत सरकार उसको नहीं मान रही है।

महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में अपार संभावनाएं हैं। बिहार में टूरिज्म की बहुत पोटैंश्यलिटो है। भारत सरकार और वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि छः पर्यटक सर्किटों को विकसित किया जाएगा। बुद्ध सर्किट का जो अपूर्ण कार्य है उसे पूरा किया जाए। भगवान महावीर का जन्म एवं निर्वाण भी बिहार में ही हुआ। महावीर सर्किट बनाया जाए। रामायण सर्किट बनाया जाए। मां सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ। महात्मा गांधी जब बिहार गए, उससे पहले वे मोहनदास कर्मचन्द गांधी थे। बिहार के चम्पारण में जाने के बाद वे महात्मा गांधी बन गए। बिहार की मिट्टी की यह खूबी है कि मोहनदास कर्मचन्द गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। महात्मा गांधी सर्किट को पूरा किया जाए। सूफी सर्किट बनाया जाए। बिहार में बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, काशी की मजार, इन पर लाखों लाख आदमी जुटते हैं। इसलिए सूफी सर्किट बनाया जाए।

महोदय, पानी बिहार में काफी है, लेकिन बिहार के लोग आंध्र प्रदेश की मछली खाते हैं। वहां अंडा व मुर्गी पंजाब और हरियाणा से जाता है। वहां मछली का प्रबंध होना चाहिए जिससे मत्स्य पालन हो सके, वहां डेयरी का इंतजाम होना चाहिए, एयर कार्गो का इंतजाम होना चाहिए, नागरिक उड्डन मंत्री यहां बैठे हैं, वे इस तरफ ध्यान दें।

वहां अस्पतालों की बहुत खराब हालत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा एक उच्च कोटि का अनुसंधान संस्थान एवं अस्पताल बिहार में स्थापित होना चाहिए। पटना मैडीकल कालेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर मैडीकल कालेज एवं अस्पताल, दरभंगा मैडीकल कालेज एवं अस्पताल और नालंदा मैडीकल कालेज एवं अस्पताल का विकास किया जाए।

महोदय, इन सभी के बाद आर्थिक पैकेज की डिमांड है। उसकी मांग हम कर रहे हैं। कर्जा माफ करने की मांग हम कर रहे हैं। बिहार के साथ पैसे के मामले में धोखाधड़ी वाला व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि दशम वित्त आयोग ने पंचायत के माध्यम से 125 करोड़ रुपये देने की अनुशंसा की और भारत सरकार ने उसे स्वीकृति प्रदान की। एक साल का यानी प्रथम वर्ष का रुपया मिला भी, लेकिन चार वर्ष का पैसा रोक कर रखा है। फिर 11वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट दी, उसने अनुशंसा की। दोनों की अनुशंसा हुई। सरकार ने भी उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की मंजूरी के बाद भी हमें बकाया रुपया अभी तक नहीं मिला। माननीय मंत्री जी ने कॉल अटेंशन का जवाब देते हुए कहा कि यह छोड़ने वाला नहीं है, फंसा देगा। मैं फिर कहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने हाउस को मिसलीड किया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उसे भी आप नियम के तहत ला सकते है। आप तो जानकार आदमी हैं इसलिए आप अपना विषय समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, वित्त आयोग की गाइडलाइन्स में जो लिखा है, मैं उसे पढ़ रहा हूं। उसमें कहा गया है कि:

[अनुवाद]

> "अनुदान केवल निर्वाचित स्थानीय निकायों के संबंध में ही दिया जाएगा जहां ऐसे निर्वाचन संविधान के अंतर्गत अनिवार्य हों। निर्वाचित स्थानीय निकाय कार्यरत न होने के मामले में वहां केन्द्र सरकार वर्ष 2000-05 के दौरान अव्यपगत आधार पर ऐसे निकायों का हिस्सा न्यास में रखेगी।"

[हिन्दी]

आपने कैसे कह दिया कि बिहार का लैप्स हो गया। गाइडलाइन्स कहती हैं कि यह धनराशि नॉन लैप्सेबल है। सैंट्रल गवर्नमैंट उसको दबाकर रखेगी। जब चुनाव हो जायेगा तब दे देगी लेकिन 11वें वित्त आयोग ने प्रथम वर्ष का पैसा रोक रखा है। वह कहते हैं कि लैप्स हो गया है। दसवें वित्त आयोग ने बिहार के इन चार वर्षों का 600 करोड़ रुपया रोक रखा है, जबकि 11वां वित्त आयोग कहता है कि आर्थिक पैकेज दिलायेंगे। यह छल और धोखाधड़ी है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। इसके लिए मैं प्रिविलेज मामला लाऊंगा। बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। *...(व्यवधान)* नौवीं पंचवर्षीय योजना में पांच हजार करोड़ रुपये सैंट्रली स्पोंसर्ड

स्कीम में खर्च हुए। देश भर के सभी राज्यों को उसका 10वां हिस्सा मिलता है। उसके हिसाब से बिहार को 500 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे लेकिन हमें केवल 50 करोड़ रुपये मिले। यह उस 10वें हिस्से का भी 10वां हिस्सा बिहार को मिला है। हमें प्रति वर्ष जहां 100 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे, वहां हमें तीन या चार करोड़ रुपये ही मिले हैं

नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश भर में पीने के पानी पर 6500 करोड़ रुपये खर्च हुए। देश भर के सभी राज्यों को पैसा मिला। बिहार को कम से कम 500-600 करोड़ रुपये नौवीं पंचवर्षीय योजना में मिलने चाहिये थे लेकिन हमें केवल इन पांच वर्षों में 35-40 करोड़ रुपये ही मिले। इस तरह से हिस्सामारी हो रही है। हमको 50-100 करोड़ रुपये का पैकेज दिखाया जा रहा है। लेकिन हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है। *...(व्यवधान)*

नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत मिनिमम नीड प्रोग्राम में बिहार को नौ करोड़ रुपये मिले जबकि झारखंड को 28 करोड़ रुपये मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि यह धनराशि आबादी के हिसाब से मिली है या किस हिसाब से मिली है। हमने पहले भी यह सवाल उठाया था लेकिन सरकार निरुत्तर रही क्योंकि बिहार के साथ बेईमानी हुई है, उसकी अनदेखी हुई है।

सभापति महोदय: रघुवंश जी, आपको बोले हुए 45 मिनट हो गये हैं। बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए अब आप अपना भाषण समाप्त करिए। *...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, बिहार के साथ अन्याय हुआ। *...(व्यवधान)* नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में गरीब लोगों के 10 हजार करोड़ रुपये लूटे गये। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमैंट के समय में देश भर के पिछड़े राज्यों को चुना गया जिसमें से बिहार भी था लेकिन अब उसका पैसा रोक दिया गया है। इतना भारी अन्याय और दुश्मनी बिहार के साथ हो रही है। बिहार का किसान इतना अनाज पैदा करता है आप स्वयं भी सवाल उठाते रहते हैं कि प्रोक्योरमैंट नहीं हुआ। बिहार ने, 40 लाख टन धान और 47-50 लाख टन गेहूं पैदा किया लेकिन प्रोक्योरमैंट नगण्य हुआ। किसान के साथ धोखाधड़ी हुई। जो बंटवारा हुआ। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राधा मोहन जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, कैलेमिटी रिलीफ फंड का जो बंटवारा हुआ, वह आबादी के आधार पर कर दिया गया। भारत सरकार ने सुखाड़, बाढ़, प्राकृतिक आपदा आबादी के हिसाब से बेईमानी करके झारखंड को दे दिया। बिहार री-आर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा है कि बिहार से जो बाहर की सम्पत्ति होगी, बिहार विभाजन के बाद जो बिहार बचा है, उसकी रहेगी लेकिन उस एक्ट के खिलाफ भी भारत सरकार ने पंचायती करके फैसला दे दिया कि बिहार भवन झारखंड को दिया जाएगा। अगर भारत सरकार को झारखंड देना है तो वे बड़ा भारी झारखंड भवन बना दे। लेकिन बिहार का हिस्सा क्यों मारने का काम किया जा रहा है? *...(व्यवधान)*

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो भी उपबंध हुए हैं, सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स, सैंट्रल स्कीम का, सैंट्रल एसिस्टैंन्स आदि सभी तरह का—अब लों नसानी, अब ना नसैहों—*...(व्यवधान)* माननीय सदस्य को बताया जाये और हम लोग भी राज्य सरकार से मिलेंगे कि समय पर खर्च हो पहले हमारा जो हिस्सा नहीं मिल रहा है, वह मिले। उसके बाद पैकेज मिले। केन्द्र का बिहार पर जो कर्जा है, वह माफ किया जाये और उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। पंचायती राज में उसका भुगतान हो, ट्रांसशिन लाइन प्रोजैक्ट तुरंत मंजूर किया जाये। सड़क, बाढ़ *...(व्यवधान)*

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जब पांडवों को दुर्योधन ने हिस्सा नहीं दिया तब उन्होंने कहा-

न्याय करो तो आधा दो
उसमें भी कहीं बाधा हो
तो दे दो केवल पांच ग्राम
रखो अपनी धरती तमाम
हम उसी में खुशी से खाएंगे
परिजन सहित खुशी मनाएंगे

फिर भी जब उन्होंने उनका हिस्सा देना स्वीकार नहीं किया तो कहा-

याचना नहीं अब रण होगा
जीवन जय या मरण होगा।

इसी तरह जब हम लोगों का भी हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम लोग-

दिल्ली छोड़ चले
करके गर्जन घनघोर चले
कि याचना नहीं अब रण होगा
जीवन जय या मरण होगा।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा है-

शूरमा नहीं विचलित होते
क्षण एक नहीं धीरज खोते
कांटों में राह बनाते हैं
कष्टों को गले लगाते हैं
नींद कहां उनकी आंखों में
जो धुन के मतवाले हैं
गति की त्रिशाख और बढ़ती जब
पड़ते पग में छाले हैं।

अंत में-

देखें इस भारत में
कौन बड़ा वीर बलिदानी है
किसकी धमनी में खून
और किसकी धमनी में पानी है
जात तोड़ सब पात तोड़
जब फौज यह हल्ला बोलेगा
मांगेगा नहीं, जो चाहेगा सो ले लेगा।

इसलिए जब बिहार जागता है और उठ खड़ा होता है तो दिल्ली धराशायी होती है। जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक मैं इन सवालों को उठाता रहूंगा, नहीं तो इस सरकार को जाना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): सभापति महोदय, सम्माननीय रघुवंश बाबू ने जिस गौरवशाली और वैभवशाली बिहार की अतीत की चर्चा यहां की, वह बिहार पिछले दस वर्षों में रघुवंशबाबू के नेतृत्व में आज जिस स्थिति में पहुंचा है, सचमुच उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ इसकी चर्चा की है। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम साल 2001-02 की योजना समीक्षा और प्रारूप के लिए, पटना में आपको स्मरण होगा 21 और 22 मई को एक बैठक हुई थी। योजना आयोग का नेतृत्व श्री पी.सी.एस. थॉमस कर रहे थे और बिहार सरकार की कमान विकास आयुक्त श्री पी. सिन्हा ने संभाल रखी थी। मैं चाहूंगा कि रघुवंशबाबू इसे जरूर सुनें। दो दिनों की बहस के बाद जो बातें सामने आईं, मैं उसको पढ़ कर सुना रहा हूं। पहली बात थी कि बिहार राज्य में योजना विकास की प्रगति सभी राज्यों से कम है। दूसरी बात थी कि बिहार की वास्तविक योजना का आकार करीब 1300 करोड़ के आस-पास होगा जो भारत के सभी ऊपर नामित 13 राज्यों की उपलब्ध धनराशि से कम है। 1998-99 में राज्यवार प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय बिहार में 233 रुपये है जबकि आसाम में 500 रुपये और उड़ीसा में 697 रुपये रहा। तीसरी बात आई थी कि 2000-2001 में ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार से जितना पैसा प्राप्त हुआ, उसमें से 434 करोड़ 9 लाख रुपये खर्च नहीं किए जा सके। पिछले दस सालों में वृहत और मध्यम सिंचाई की एक भी योजना बिहार में पूर्ण नहीं की जा सकी है। बिहार में बिजली उत्पाद की क्षमता 15 से 20 प्रतिशत रही जबकि अन्य राज्यों का औसत 67 प्रतिशत है। बिहार रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की मात्र सौ बसें हैं और कर्मचारियों की संख्या 7,000 है। रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का अभी तक का घाटा 600 करोड़ रुपये का है। बिहार में 50 लाख परिवार अभी गृह विहीन हैं और प्रत्येक साल गृह विहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है।

यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, यह सरकारी जवाब है, जिसमें बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री पी. सिन्हा थे। *...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: यह तो सभी जानते हैं।

श्री राधा मोहन सिंह: यह तो सभी जानते हैं और वे जो बोले, वह सब नहीं जानते थे क्या? रघुवंश बाबू जब बोल रहे थे तो सब अनजान लोग बैठे हैं क्या? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कोई माननीय सदस्य बीच में टोका-टाकी न करें। राधा मोहन सिंह जी, आप आसन की तरफ देखकर अपनी बात कहें।

श्री राधा मोहन सिंह: बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर 1981-91 में 23.38 प्रतिशत थी तो 1991-2001 में बढ़कर 28.43 प्रतिशत हो गई। अब बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। उसी रिपोर्ट में आगे कहा है कि राष्ट्र के डी.डी.पी. विकास दर 6.5 परसेंट की है, जिसकी तुलना में राज्य सरकार की मौजूदा विकास दर एक परसेंट है। राष्ट्र की 47 परसेंट आबादी गरीबी की रेखा के नीचे की तुलना में इस राज्य में आमतौर पर 54 प्रतिशत गरीबी है। इस राज्य की प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद दर 2197 रुपये है, जबकि झारखण्ड के लिए यह आंकड़ा 4165 रुपये है। बिहार में बढ़ते हुए वित्तीय घाटे के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से जो उन्होंने खुद दिया है, सभी स्तर पर सरकार का बड़ा स्वरूप, ब्लॉक स्तर से मंत्रालय और उसके विभागों तक भारी भरकम मंत्रालयों, विभागों और उनके कार्यालयों के कारण बहुत अधिक व्यय है। साथ ही सरकार में नौकरशाही कार्यक्षमता और

अनुशासनहीनता, गैरजिम्मेदाराना व्यवहार जैसी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार की मशीनरी का आकार छोटा किया जाये। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं क्या?

श्री राधा मोहन सिंह: मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार की कुल आमदनी का 80 प्रतिशत हिस्सा या तो केन्द्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अंशदान है, या बाजार से लिया गया कर्जा है और इस सारी स्थिति के संबंध में विचार करने के लिए आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बिहार की सरकार ने ही, *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन लाइन दर लाइन नहीं पढ़ सकते है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंडल जी, आप बैठ जाइये। आप सदन में अनावश्यक बात बोलते हैं। आपको आसन के प्रति ऐसा बोलने का हक नहीं है। आप सदन की संचालन नियमावली पढ़िये।

श्री राधा मोहन सिंह: बिहार में बुनियादी आर्थिक सुधार के लिए, निवेश का वातावरण तैयार करने और आधारभूत संरचना की निर्माण करने तथा प्राथमिक खर्च में कटौती करने के लिए श्री ईरानी, डी.पी. यादव और एस.सी. झा की अध्यक्षता में तीन आयोग बनाये गये। तीनों आयोगों की जो रिपोर्ट है, वह सरकार के अन्दर फाइल में बिल्कुल बन्द है। हम बिहार के लिए जो पैकेज की मांग करते हैं या देते हैं, यह तो सरकारी पक्ष के हैं, लेकिन अभी सरकार कुछ विशेष अनुदान बिहार को देती है या जो मांग रहे हैं तो मांगने वाले और देने वाले, दोनों को विचार करना पड़ेगा कि हमने जो पहले दिया, उसका क्या हुआ? माननीय रघुवंश बाबू को नहीं जाना चाहिए।

बिहार लगातार प्रगति के दौर में पिछड़ रहा है और अभी बिहार की लगभग 55 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा साल दर साल नियोजित राशि खर्च न पाने और वित्तीय वर्ष के अंत में सरेण्डर हो जाने, इस पर निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। यदि सरकार कुछ देना चाहती है तो उसे और जो लेना चाहते हैं, उनको भी इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। अभी पटना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के सामने बिहार के वित्त आयुक्त ने एक लोकहित याचिका के दरम्यान शपथ-पत्र दाखिल किया है। उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले पांच से दस सालों के अन्दर नौ सरकारी विभागों ने लगभग 700 करोड़ रुपये सरैण्डर किये। बाकी विभागों के आंकड़े उस समय तक उपलब्ध नहीं थे। मैं सदन के सामने कह रहा हूं कि निश्चित रूप से मांगने वाले को और देने वालों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि 700 करोड़ रुपये जो सरैण्डर किये, उनका उपयोग क्यों नहीं हुआ? यदि ईरानी कमेटी की रिपोर्ट और डी.पी. यादव ने जो लिखा है, जिसके अन्दर योजना आयोग के अधिकारी और विकास आयुक्त ने मिलकर जो रिपोर्ट दी है, पहले हम उसको लागू करने का तो विचार करें। इसके अलावा जैसे हमने अनुदान के रूप में बिहार के अन्दर किसानों के लिए दिया, इस पर बहुत हल्ला हुआ।

इस सदन के अंदर बहुत हंगामा हुआ कि भारत सरकार बिहार के धान उत्पादक किसानों की चिंता नहीं कर रही है। आप भी वहां के कई क्रय केन्द्रों में गये थे और मुझे भी जाने का मौका मिला। बिहार के अंदर 50 करोड़ रुपये के चावल खरीदे गये। भारत सरकार ने एफसीआई का केन्द्र खोला। वहां स्टॉफ में दो लोग रखे और बिहार सरकार को कहा कि आप किसानों से चावल खरीदकर लाइए और पचास करोड़ रुपया जो भारत सरकार का निर्धारित मूल्य है, वह हम आपके माध्यम से किसानों को देते हैं। बिहार सरकार ने कुछ पैक्स की बात कही। कलैक्टर ने एफसीआई के पास पैक्स की सूची भेजी और डीसीओ ने सर्टिफिकेट भी दे दिया कि यह पैक्स चावल आपको देगा, उसमें सैक्रेटरी होते हैं, ट्रेड मैनेजर सरकार के होते हैं, सहायक निबंधक एवं डी.सी.ओ. राज्य सरकार के होते हैं। इन लोगों ने मिल मालिकों से चावल खरीदकर भारत सरकार द्वारा दिये गये पचास करोड़ रुपये जो किसानों को सब्सिडी के रूप में मिलने थे, वह पैसा बिहार सरकार ने दलालों को दे दिया, व्यावसायियों को दे दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर से चावल खरीद-खरीद कर पैक्स के नाम पर जमा किया। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कांति सिंह जी, आप बैठ जाइए।

श्री राधा मोहन सिंह: मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं कि कैसे खरीद होती है। *...(व्यवधान)* मैं गोपालगंज गया था और वह जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ था। गोपालगंज जिले का आधे से ज्यादा प्रखंड जिसमें एक पंचायत ऐसी थी जहां रिलीफ के समय 200 क्विंटल चावल बांटे गये थे एक किलो धान पंचायत में नहीं हुआ लेकिन उस पंचायत के पैड्स के सैक्रेटरी को वहां का डीसीओ, कलैक्टर सर्टिफिकेट देता है यह 200 क्विंटल चावल यहां के किसानों से खरीदकर ले जा रहे हैं, एक मुहर लगाता है और हमारे एफसीआई के मैनेजर को खरीदना पड़ता है, उसका घेराव होता है और इस प्रकार से पूरे बिहार में किसानों को दिये जाने वाले चावल के दाम पर जो सब्सिडी का पैसा था, बिहार सरकार ने उस पैसे को दलालों को दे दिया और फिर पैकेज की

[श्री राधामोहन सिंह]

मांग कर रहे हैं, विशेष अनुदान की मांग की जा रही है। जो दिया वह तो किसानों तक पहुंचने नहीं दिया और मैं पूरी जिम्मेदार के साथ कह रहा हूं कि यही हाल इस गेहूं खरीदने में होगा कि ये इनके फर्जी टैक्स हैं कि हम किसानों को यह पैसा नहीं दे सके। अभी-अभी बिजली के संबंध में बात हो रही थी। अभी मई के प्रारम्भ में ही बिजली मंत्री यहां आये थे।भारत सरकार के बिजली मंत्री के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में यह बात आई थी कि यहां पर बिहार के अंदर चालू वित्त वर्ष में 6873 गांवों को ऊर्जान्वित करना है जिसमें 1744 गांव नये गांव हैं और 5132 गांवों को पुनर्वासन योजना के अंतर्गत उर्जान्वित करना है और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने 190 करोड़ रुपये की मांग की थी जबकि भारत सरकार पहले ही इसके ऊपर लगभग 34 करोड़ रुपये से ज्यादा दे चुकी है और बाकी भी देने के लिए बैठी है लेकिन इसके पहले जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए जो जवाहर रोजगार योजना, ग्राम समृद्धि योजना के अंदर जो पैसा गया है, हरिजन बस्तियों के लिए जो गया था, उस पैसे का उपयोग क्या बिहार में हो रहा है? मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। यह बिहार का हिन्दुस्तान अखबार है और बिहार सरकार के बिजली मंत्री क्या कहते हैं, रघुवंश बाबू रहते तो मैं उनको सुनाता लेकिन कांति सिंह जी आप उन तक यह संदेश जरूर पहुंचाइएगा। तारीख 22 मार्च के 'हिन्दुस्तान' अखबार में बिहार के बिजली मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि बिजली की चोरी से हर साल राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। अभी राज्य के बीस बिजली इंजीनियर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये तो बिजली की चोरी रुक जाएगी लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि उन इंजीनियर्स पर केस करने में कौन सी बातें बाधक हैं जिनको कई दूसरे लोग जानते हैं और बिजली मंत्री भी जानते हैं कि कौन सी बातें बाधक हैं और वे यह भी जानते हैं कि कैसे 2000 करोड़ रुपये की हर साल बचत हो सकती है लेकिन उन बीस इंजीनियर्स के सामने वे लाचार हैं। कौन उन्हें लाचार बना रहा है और वे ऐसा बिहार और बिजली बोर्ड चला रहे हैं जहां हर साल 2000 करोड़ रुपये की लूट हो रही है। यह बिहार की गरीब जनता के प्रति अक्षम्य अपराध है। मंत्री जी सब कुछ जानते हुए भी इस्तीफा नहीं देते तो इसका मतलब क्या लगाया जाये? मतलब समझने को वे स्वतंत्र हैं पर ऐसी बातों की चिंता भी किसको है? चलिए, शकील अहमद साहब ने इस सच्चाई को स्वीकार तो कर लिया। दूसरे किसी मंत्री में इतनी हिम्मत भी नहीं है। यह खबर 22 अप्रैल के हिन्दुस्तान अखबार में है।

महोदय, बिहार में बिजली उत्पादन के लिए पैकेज की मांग की जा रही ती और सड़क के बारे में भी बात कही गई। जब हम सड़क के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें और आपको एक बात पर जरूर ध्यान देना होगा। नेशनल हाई-वे के लिए भारत सरकार राशि आबंटित करती है, लेकिन राज्य सरकार की सड़क की क्या हालत है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। देश के अन्दर राजमार्गों की लम्बाई प्रतिवर्ष बढ़ रही है। हर राज्य में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क की लम्बाई बढ़ रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राजद की सरकार के आने से पहले राज्य में 2218 किलोमीटर नेशनल हाई-वे था और जब मननीय राजनाथ सिंह जी इस विभाग के मंत्री बनें, उसके बाद से 3301 किलोमीटर लम्बाई बिहार में हो गयी, यानि एक हजार किलोमीटर की वृद्धि हुई। पीडब्ल्यूडी रोड के मामले में आंध्र प्रदेश में 8806 किलोमीटर सड़क है, गुजरात में 19,761 किलोमीटर, कर्नाटक में 11,395 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 11,789 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 32,359 किलोमीटर, राजस्थान में 1047 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 9,647 किलोमीटर, उड़ीसा में 4,584 किलोमीटर और बिहार में मात्र 4092 किलोमीटर सड़क है। चार्ट के अनुसार हर राज्य में सड़क की लम्बाई बढ़ी है। बिहार में 1990-91 में सड़क की लम्बाई 4192 किलोमीटर थी और 1996-97 में वह 4092 किलोमीटर रह गई अर्थात् बिहार ही एक ऐसा राज्य है, जहां एक सौ किलोमीटर सड़क में कमी आई है पिछले दस वर्षों में बिहार एक इंच भी सड़क का निर्माण नहीं कर सका है। रघुवंश प्रसाद जी ने ईमानदारी के साथ बिहार की स्थिति का वर्णन किया है। उनकी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सड़क परियोजना के लिए सन् 2000-2001 में 150 करोड़ रुपये और सन् 2001-2002 में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, लेकिन इंच भी सड़क कहीं पर भी नहीं बनी है। इसमें भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी है, वह अलग विषय है। बिहार राज्य की सरकार माननीय लालू जी चलाते हैं और वे निश्चित रूप से गरीबों के प्रति उनकी हमदर्दी है, प्यार है और वे चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, लेकिन उनके इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं, वे उनको सही जानकारी या सुझाव नहीं देते हैं।

अपराह्न 5.28 बजे

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

मैं सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं। लालू जी चुनाव प्रचार के दिनों में कहीं जा रहे थे और रास्ते में रोड बन रहा था। उनके साथ एक-दो सांसद भी थे। लालू जी ने पूछा, क्या हमारे यहां प्रधान मंत्री सड़क योजना पर कार्य शुरू हो गया है? उनके साथ जो सांसद महोदय चल रहे थे, उन्होंने कहा—हां, शुरू हो गया है। लेकिन दस दिन के बाद जब पदाधिकारियों की बैठक

हुई, जिसमें वे सांसद भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहां बिहार में प्रधान मंत्री सड़क योजना पर काम नहीं हो रहा है। फिर लालू जी ने उसी सांसद महोदय से पूछा कि तुम कह रहे थे कि प्रधान मंत्री सड़क योजना पर काम शुरू हो गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): मैं भी सांसद हूं। मेरे क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्दर पांच किलोमीटर सड़क बनी है। ...*(व्यवधान)*

श्री राधा मोहन सिंह: अभी टैंडर फाइनल नहीं हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप आसन की ओर देखिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राधा मोहन जी के अलावा किसी भी बात का उल्लेख रिकार्ड में नहीं किया जाएगा।

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, 450 करोड़ रुपयें का उपयोग बिहार में नहीं हुआ है।

बिहार के अंदर जो केन्द्र प्रायोजित अन्न की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के संबंध में मैं सदन के सामने बताना चाहूंगा कि बिहार की कैसी शर्मनाक स्थिति है। फरवरी 2001-2002 के दौरान, फरवरी, 2002 तक अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा के नीचे के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन बिहार के लिए चावल 653.53 टन हुआ, जिसमें मात्र 90.68 हजार टन का उठान हुआ। मुफ्त में चावल, गरीबों के लिए चावल दो-तीन रुपए किलो और इस चावल का 653.53 हजार टन आबंटन हुआ और मात्र 90.69 हजार टन का उठान हुआ, यह 2001-2002 में था। गेहूं का आवंटन 1160.25 हजार टन हुआ, जिसमें 318.10 हजार टन उठान हुआ, चावल 13.88 प्रतिशत एवं गेहूं 27.42 प्रतिशत का उठान हुआ, जबकि तमाम राज्यों में गेहूं एवं चावल का 50 प्रतिशत से 98 प्रतिशत से कम कहीं उठान नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में चावल का उठान 65.42 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 98.41 प्रतिशत, असम में 77.81 प्रतिशत और बिहार में मात्र 13.88 प्रतिशत हुआ। इन्हें कौन सा पैकेज मिला। छत्तीसगढ़ में 55 प्रतिशत उठान हुआ, दिल्ली में 81 प्रतिशत, गोवा में 57 प्रतिशत, गुजरात में 56 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 57 प्रतिशत, झारखंड में 40 प्रतिशत उठान हुआ। इसके उठान के लिए पैसा नहीं है। अनाज, चावल आदि के लिए पैसा नहीं है। यह हालत बिहार की है। केन्द्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना आदि के तहत हजारों-करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए हैं, जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत तथा बिहार सरकार का 20 प्रतिशत है। गत वित्तीय वर्ष में बिहार को दिया गया। इसकी 70 प्रतिशत ही राशि बिहार सरकार उपयोग कर सकी। कुछ योजनाओं की इंदिरा आवास योजना की उपलब्धि मात्र 59 प्रतिशत रही। ये लोग बाढ़-सुखाड़ की बातें करते हैं। सुखाडोन्मुख कार्यक्रम की उपलब्धि मात्र 40 प्रतिशत रही है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, सीएजी रिपोर्ट आई थी। अभी रघुवंश बाबू बाढ़ एवं सुखाड़ की बहुत चर्चा कर रहे थे कि बाढ़ और सुखाड़ के लिए केन्द्र सरकार क्या करती है। सीएजी रिपोर्ट में साफ लिखा है-

[अनुवाद]

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रधान मंत्री राहत कोष से 7 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये जिसमें से 2.18 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया और यह धन विभाग के बैंक खाते में पड़ा रहा।

[हिन्दी]

रुपये पड़े हैं, लेकिन उनका खर्च नहीं हुआ। हम जब प्रधान मंत्री जी के यहां मांगने के लिए गए थे, उसके पहले भी बहुत पैसे गए हैं। वे पैसे कहां खर्च हुए, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमारे बहुत से सांसद वहां गए थे, उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, हम कोई उत्तर देने लायक नहीं थे। जिस बिहार का इतना बड़ा अतीत है। निश्चित रूप से दस वर्षों के अंदर वहां जो कुछ हुआ है, उसके कारण हमें अपना सिर झुकाना पड़ता है। सारे अधिकारियों के सामने हम उत्तर देने के लायक नहीं थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, वह आपकी बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। केन्द्र सरकार के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत मिले पैसों का उपयोग पिछले 12 वर्षों में सिर्फ 14 प्रतिशत हुआ है। बिहार इस देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कि

[श्री राधामोहन सिंह]

साक्षरता दर 50 प्रतिशत के नीचे है। इस योजना के तहत 1987 से 1994 के बीच केन्द्र ने 421 करोड़ रुपए मुहैया कराए, जबकि 1999 के अंत तक मात्र सात करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड के तहत 1987 से 1994 के बीच 421 करोड़ रुपया बिहार सरकार को मुहैय्या कराया गया लेकिन उसमें से केवल 60 करोड़ रुपया ही 1999 के अंत तक खर्च हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 435 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया जिसमें से अभी तक 105 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है, जबकि इसको 2003 तक खर्च करना है। इसी तरह से प्राथमिक विद्यालयों में केन्द्रीय सहायता से निर्मित होने वाले भवनों और शौचालयों की गति भी शोचनीय है। मिड-डे मील की योजना भी ठप्प है जबकि यह मुफ्त में उन्हें दिया जा रहा है लेकिन उसको स्कूल तक पहुंचाने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है।

महोदय, द्वितीय वर्ष 2000-01 में केन्द्र सरकार द्वारा 29 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया था। बिहार में लघु-सिंचाई योजनाओं के लिए द्वितीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये 55 करोड़ रुपये की राशि भी बिहार सरकार उपयोग नहीं कर पाई। बिहार में दलहन और तिलहन की उपज बढ़ाने के लिए असीम संभावनाएं हैं। केन्द्र सरकार ने कुछ इलाकों की पहचान की थी और बिहार की इसी क्षमता को मद्देनजर रखकर 104 करोड़ रुपया और 83 करोड़ रुपया बिहार सरकार के पिछले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया गया था लेकिन इसका भी उपयोग बिहार सरकार नहीं कर पाई। इसी प्रकार टाइगर प्रोजैक्ट के लिए उपलब्ध कराई गयी 55 करोड़ रुपये की राशि का भी उपयोग नहीं हो सका। गत द्वितीय वर्ष में केन्द्रीय प्रायोजित योजना में 700 करोड़ रुपये की राशि जिसकी चर्चा मैंने पहले की, उसको भी सरैंडर किया गया। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला जो हुआ, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* बिहार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार 600 करोड़ रुपया मुहैय्या करा रही है और उसके लिए एक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है ...*(व्यवधान)* बिहार की हालत सचमुच भयावह है ...*(व्यवधान)* रघुवंश बाबू विद्वान हैं, प्रोफैसर हैं। उनको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रो. ल्यूड्स ने कहा था कि कोई भी अविकसित देश या राज्य हो, उसे ध्यान में रखना चाहिए कि आर्थिक विकास के तीन तात्कालिक कारण हैं। बचत का प्रयत्न, ज्ञान का संचय और पूंजी का संचय। माननीय रघुवंश जी का अखबारों में बयान आया है और वे बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर योजना के पैसों को सब अधिकारी लूट रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने नहीं कही कि नेताओं के संरक्षण में लूट रहे हैं। निश्चित रूप से रघुवंश बाबू के इन विचारों से मैं सहमत हूं। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा कि बिहार में कुछ बचा नहीं है और आगे बोले कि बाढ़, सुखाड़, आलू, भालू, लालू—यही बचे हैं। बिहार पिछले दस वर्षों के अंदर विनाश के कगार पर पहुंच गया है। मैं भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन पैसों का उपयोग बिहार नहीं कर पा रहा है और जो पैसे बिहार द्वारा सरैंडर किये जा रहे हैं उनके लिए भारत सरकार विचार करे। मेरा तो सुझाव होगा कि जो पैसे बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही है उन पैसों को सांसदों के जिम्मे करिये क्योंकि सांसद महोदय भी अपनी राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के सारे सांसद उसकी अनुशंसा करें और उसमें अपना भी कुछ पैसा लगा दें जिससे उनकी भी इसमें भागीदारी हो। दूसरा मेरा सुझाव होगा ...*(व्यवधान)* जो सरकार द्वारा नियुक्त श्री जे. ईरानी आयोग, श्री एम.सी. झा आयोग और श्री डी.पी. आयोग—कांग्रेस के साथ मिलीजुली सरकार ने तीन आयोग बनाये थे।

बिहार को यदि बचाना है तो वहां की राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्री जे. इरानी आयोग, श्री एस.सी. झा आयोग तथा श्री डी.पी. यादव आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को अविलम्ब लागू किया जाए। ये सिफारिशें आज बिहार सरकार की अलमारी में धूल फांक रही हैं। उन सिफारिशों को निकाल कर उन्हें लागू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मुझे अध्यक्षपीठ से कितना समय मिलेगा?

सभापति महोदय: लगभग 25 मिनट।

श्रीमती श्यामा सिंह: सभापति महोदय, बड़ी निराशा के साथ मैं इस सम्माननीय सभा में ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ी हूं जिसे मैं इस देश के लाखों लोगों विशेषकर बिहार राज्य जहां से मैं आती हूं और जहां राज्य को पिछले कई वर्षों से अनेक प्राकृतिक और अप्राकृतिक संकटों के कारण भारी खलबली मची हुई है के लिए चिंता का विषय है।

बिहार एक समय बहुत ऐतिहासिक राज्य था। इसका प्रतिष्ठित इतिहास था। यह बिहार ही था जिसने विश्व को अपना पहला गणराज्य दिया था। यह बिहार ही था जहां चन्द्रगुप्त और अशोक ने शासन किया था, बिहार से ही गांधी जी ने अपना नमक सत्याग्रह आरम्भ किया था और उन्होंने बिहार के पश्चिमी चम्पारन क्षेत्र में नील के पौधे लगाने में श्रमिकों के लिए कार्य किया था और नेताओं ने इसका समर्थन किया था, बिहार में ही वे अपनी मांगों को मनवाने में सफल रहे। बिहार उस समय प्रगति के पथ पर था।

दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बिहार में अनेक प्राकृतिक और अप्राकृतिक संकट आते रहे हैं। यह गम्भीर चिंता का विषय है क्योंकि मैं मानती हूं कि बिहार के लोग अत्यधिक नवप्रवर्तक हैं, वे बहुत बुद्धिमान हैं; उनमें मेहनत करने की अधिक क्षमता है, वे कारखानों में काम करते हैं। वे आटोरिक्शा चालकों के रूप में समयोपरी काम करते हैं, वे सुरक्षा कर्मियों के रूप में कार्य करते हैं, वे खेतों में काम करने में बहुत अच्छे हैं। वास्तव में बिहार से आकर अधिकांश श्रमिक पंजाब में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब को बहुत ही समृद्धशाली बना दिया है। फिर बिहार इतनी दुखद स्थिति में क्यों है? इसके लिए कुछ ठोस कारण होंगे।

अब मैं सीधे बिहार के लिए आर्थिक पैकेज विषय पर आती हूं। इस सभा में राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा करते समय राजग सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बिहार को एक बहुत विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। सभा में की गई उस घोषणा को अब तक 22 महीने हो गए हैं। क्या मैं सरकार से पूछ सकती हूं कि इन 22 महीनों में सरकार ने जिस प्रकोष्ठ का गठन करना था उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी सदस्य उस सभा के एक हिस्सा थे, जहां वे बिहार के लिए आर्थिक पैकेज के संबंध में निर्णय ले रहे थे। उन्होंने इन 22 महीनों में क्या किया है? मैं आग्रह करती हूं कि वे इन चीजों को इस साधारण कारण से आगे बढ़ाएं कि हम समझते हैं कि जिस राज्य से हम संबंध रखते हैं उसके प्रति हमारी अत्यधिक जिम्मेदारी है। आखिरकार लोगों के कष्टों को किसी भी प्रकार से दूर किया जाना है।

जब हम बिहार की बात करते हैं तो लोग या तो इसका मजाक उड़ाते हैं या उनकी आवाज में कुछ मानव द्वेष होता है। मुझे इस पर आश्चर्य होता है। बिहार देश का सबसे धनी राज्य था। इसके पास सभी प्राकृतिक संसाधन थे। इसके पास सभी सुविधाएं थी। इनके पास मानव संसाधन था। इसके पास वह सब कुछ था जिससे राज्य समृद्धिशाली बनता है।

जहां तक ज्ञान का प्रश्न है डा. रघुवंशप्रसाद सिंह उन महान हस्तियों में से हैं जो बिहार में पैदा हुए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, कोयला, बिजली आदि के दोहन के बारे में बात की है। हमें अचानक महसूस होता है कि हम गम्भीर संकट की स्थिति में हैं इन चीजों की वजह से, मैं वही समझती हूं कि मैं यहां केन्द्र सरकार या राज्य सरकार पर आरोप लगा रही हूं। प्रश्न यह है कि हम संकट में हैं और इस संकट से हमें इस सत्तारूढ़ सरकार द्वारा उबारना होगा।

इस प्रश्न पर आते हुए, यहां चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी, जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। बिहार आज बदहाली की स्थिति में है। हाल ही में योजना आयोग द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में इसका स्थान सबसे नीचे है। गरीबी के सूचकांक के संबंध में यहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत भारत में सबसे अधिक है। ऊर्जा उपलब्धता, प्रतिव्यक्ति उपयोग के सूचकांक के संबंध में शायद यह देश में सबसे कम होगा।

उन 80 मिलियन लोगों के भविष्य का क्या होगा जिन्हें राज्य के विभाजन के पश्चात वहीं पीछे छोड़ दिया गया है? किसी बिहार पैकेज से इन चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। इससे बिहार, विकसित राज्यों की मुख्य धारा में वापस आ सकेगा।

मंत्रिमंडल द्वारा बहुत पहले ही बिहार पैकेज स्वीकृत कर देने के बावजूद इसकी घोषणा न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन एक प्रकोष्ठ पैकेज के कार्यान्वयन पर नजर रखेगा। हमें औपचारक रूप से ऐसा किसी प्रकोष्ठ के गठित होने की सूचना नहीं दी गई है।

हमें इस प्रकार की चिंताजनक सूचना मिली है कि इस वर्ष का वार्षिक पैकेज 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। यह अल्पमात्रा है। बिहार विधान सभा ने 1,50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की थी और बिहार सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए की परियोजना भेजी थी। हम ऐसे पैकेज की मांग करते हैं जो बिहार की विकास प्रक्रिया का समाधान करने के लिए उचित हो।

पैकेज में छः प्रमुख तत्व होने चाहिएं। सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत क्षेत्र। इससे बिहार की उर्जा उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। उत्तर बिहार क्षेत्र में नाम के लिए भी पारेषण और वितरण की कोई प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चूखा विद्युत केन्द्र और केन्द्र से उपलब्ध थोड़ी सी ऊर्जा का भी प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है। पैकेज इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे एक विश्वसनीय पारेषण और वितरण नेटवर्क का वित्तपोषण किया जा सके।

इसके अलावा बिहार के विभाजन के पश्चात अधिकांश विद्युत केन्द्र झारखंड में चले गए। नये ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण हेतु विशेषकर मुजफ्फरपुर और नाभी नगर के विस्तार हेतु एन.टी.पी.सी. तथा अन्य केन्द्रीय इकाइयों को शुरुआती धन देकर पैकेज को पुनः प्रारम्भ किया जाना चाहिए। विद्युत को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

[श्रीमती श्यामा सिंह]

महोदय, इस संबंध में मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि बहुत पहले 1989 में जब श्री राजीव गांधी हमारे प्रधान मंत्री थे उन्होंने बिहार राज्य की दशा देखकर बिहार राज्य के लिए एक पैकेज कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस पैकेज में नाभी नगर, जो कि औरंगाबाद के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करना शामिल था। जैसा हम सब जानते हैं और आप सबने इसे समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि औरंगाबाद नक्सलवादी क्षेत्र है। पी डब्ल्यू जी और रणवीर सेना वहां सक्रिय है। बिहार में सभी प्रकार की कठिनाईयां हैं। हमारे यहां सड़क सम्पर्क बिल्कुल भी नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह अलग-थलग है। इस पृष्ठभूमि में सुपर ताप विद्युत केन्द्र दक्षिण-मध्य बिहार के लिए अनिवार्य था। इससे उस क्षेत्र को न केवल राहत मिलती बल्कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पक्षपात के कारण अथवा और किसी कारण से सरकार ने उस कार्यक्रम को ताक पर रख दिया है। इसके लिए 24 आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता। बाजार व्यवहार्यता का भी पता लगाया गया परन्तु एक सुबह हमने पाया कि प्रधान मंत्री बाढ़ में जो कि श्री नीतीश कुमार का निर्वाचन क्षेत्र है एक नए तापीय केन्द्र का उद्घाटन कर रहे थे देखने में यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह बिहार राज्य के विकास का हिस्सा है और मैं इसका पूरी तरह अनुमोदन करता हूं परन्तु ऐसी परियोजना की कीमत पर नहीं जो पहले से विचाराधीन थी।

अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कृपया मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और सुनिश्चित करें कि या तो एन टी पी सी अथवा कोई अन्य एजेंसी औरंग्राबाद में नाभी नगर में यह केन्द्र स्थापित करे। इससे उस क्षेत्र के लोगों के कष्ट दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे जो कि उस राज्य के विकास हेतु बहुत आवश्यक हैं।

हमारे यहां सड़क सम्पर्क नहीं हैं। कृषि के बारे में हमारी सभी बातें, किसानों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना किसानों को दी गई राजसहायता इत्यादि बेमानी हो जाती हैं चूंकि बिहार में हमारे पास सड़कें ही नहीं है। यह पिछले 20 वर्षों से राज्य की प्रमुख समस्या रही है। गत कुछ वर्षों में हमने पाया कि जहां सम्पूर्ण देश में राज्यों में विकास हुआ है वहीं बिहार एक उपेक्षित राज्य रहा है। चूंकि अब मंत्री सभा में उपस्थित हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक समूह गठित करें जो स्वयं जाकर देखे कि उस क्षेत्र में लोग कितनी खराब स्थिति में रह रहे हैं। मैं राज्य में सुविकसित परिवहन प्रणाली की कमी की बात सभा के ध्यान में जब तक नहीं लाता हूं तब तक मेरा कर्तव्य पूरा हीं होगा। हमारा जीवन उस पर निर्भर करता है क्योंकि बिहार के 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं।

किसानों को मानसून के दौरान कार्य करने में और अपने अनाज को बेचने के समय बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सड़कें ही नहीं हैं। इसलिए, सड़क सम्पर्क के पहलू, जिसके बारे में प्रधान मंत्री ने भी अपने आर्थिक पैकेज में हमें आश्वस्त किया था, को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

महोदय, तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात सिंचाई क्षमताओं के बारे में है। महोदय, जैसा आपको पता है कि जहां तक सिंचाई का संबंध है बिहार बहुत ही सम्पन्न है। इसे काम में लिया जा सकता था। गत कुछ वर्षों में बाढ़ का आधिक्य रहा है। इससे लोग बेघर हो गए। झारखंड से अलग होने के पश्चात् बचा लगभग आधा बिहार पूरी तरह बाढ़-प्रवण है। वर्ष के लगभग छ: माह अधिक से अधिक लोग बेघर हो जाते हैं। आप उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब इतनी तेजी से आबादी को अपने घरबार छोड़कर जाना होता है। जब बाढ़ आती है उनके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं होती और भूमि की कोई सुरक्षा नहीं होती। इसलिए, मैं समझती हूं कि यह उचित होगा यदि मंत्री जी को या तो बाढ़ सुरक्षा अथवा बाढ़ नियंत्रण योजनाएं और ऐसे ही कुछ अन्य उपायों पर कुछ ध्यान देना चाहिए जिससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिल सके। यह ऐसी परियोजना हो सकती है जिस पर बहुत लागत आएगी परन्तु यह कम से कम लोगों को उस मानसिक आघात से बचाएगी जिससे उन्हें हर वर्ष गुजरना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, यह इतना गम्भीर मामला है और रूलिंग पार्टी बी.जे.पी. के एम.पीज. यहां नहीं हैं। इस समय सदन में सिर्फ 30 सांसद मौजूद हैं। सदन में कोरम ही नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): इसमें समस्या वाली क्या बात है *...(व्यवधान)* बहस चल रही है, सब बैठे हुए हैं *...(व्यवधान)* आप क्यों परेशान हैं *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: क्या बिना कोरम के हाउस चलेगा। *...(व्यवधान)* सरकार की तरफ से कुछ गंभीरता होनी चाहिए। आपकी पार्टी के बिहार के कितने सांसद यहां हैं *...(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: आपको सिर्फ गुजरात दिखाई देता है *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, जब कोरम ही पूरा नहीं है तो हाउस कैसे चलेगा।

श्री कीर्ति झा आजाद: बिहार का मामला है, आप बिना मतलब बीच में खड़े हो जाते है।

श्री रामजीलाल सुमन: यह इतना महत्वपूर्ण मामला है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मि. सुमन, मुझे पता है यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, * एक भी यहां मुस्तैद नहीं है। यहां केवल 30 सांसद बैठे हैं *...(व्यवधान)* कोरम के लिए 54 सांसद चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संबंधित मंत्री और श्री राम नाईक भी यहां उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): * *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, कृपया इसे गंभीरता से लीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: प्रभुनाथ जी, एक महिला सदस्या बोल रही हैं, उसमें आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, मैं चाहती हूं कि मंत्री जी सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए विशेष ध्यान दें। पैकेज में विद्यमान जलमार्गों जिनका उपयोग नहीं हो रहा था के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए धन दिया जाना चाहिए। इसे नाबार्ड द्वारा प्रारम्भ किए गए एक वृहत कार्यक्रम हेतु उत्तर बिहार में बहुतायत में उपलब्ध जल का उपयोग करना चाहिए। गत वर्ष घोषित कार्यक्रम पर कार्य नहीं हो सका। दक्षिण बिहार में जल संचयन और पनधारा कार्यक्रम का सिलसिला होना चाहिए। कृषि उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और विपणन करने के लिए विपणन केन्द्र स्थापित होने चाहिए।

जैसा मैंने अपने भाषण में पहले कहा है सड़क सम्पर्क बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक पैकेज, जो इस सभा में घोषित किया गया है, सड़क सम्पर्क उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अभी रघुवंश बाबू ने बीच में कुछ बात कही थी, जो मैं देखूंगा। अगर उसमें कुछ असंसदीय बात होगी तो उसे रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह: पैकेज ऐसा होना चाहिए कि जिससे मानव संसाधन विकास प्रक्रिया को और उन्नत किया जा सके। दिल्ली में और देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालयों में बिहार से आने वाले छात्रों की भरमार है। हमारे पास मानव संसाधन का बहुत बड़ा भंडार है। उनके साथ क्या होता है? वे पंजाब जाते हैं और देश के सभी राज्यों में जाते हैं परन्तु उनका बिहार में उपयोग नहीं होता है ऐसा कैसे संभव है कि बिहार में रहने वाले लोग कोई काम न करते हों परन्तु जब वे दिल्ली आते हैं वे क्षितिज पर चमकने लगते हैं। महोदय, मुझे यह सूचित करते हुए गर्व है कि जिस व्यक्ति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वह बिहार से है।

वस्तुत: हमें उसे बधाई देनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वह है बिहार का श्री आलोक नाथ झा। इसलिए, यह और भी जरूरी है कि मानव संसाधन का समुचित रूप से उपयोग किया जाए। दिल्ली तथा देश के विभिन्न भागों में बिहार से आने वाले छात्रों की भरमार है। बिहार के विभाजन के पश्चात इसके पास कोई आई आई टी नहीं है। कम से कम दो आई आई टी होनी चाहिएं और इंजीनियरिंग संस्थानों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र बनाया जाना चाहिए। इंटरनेट के युग में उपलब्ध समुचित लाभ उठाने के लिए तकनीकी और मानव संसाधन क्षमता को शामिल करने के लिए बिहार के जनसांख्यिकीय क्षमताओं को काम में लाना चाहिए।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि पैकेज को केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बिहार का विकास एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह दलगत भावना से ऊपर है। मैं बिहार संबंधी एक सर्वदलीय स्थायी समिति गठित करने का सुझाव देती हूं जो आवधिक रूप से बैठक कर सकती है और इस आर्थिक पैकेज की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकती है। मैं मंत्री जी को सुझाव देती हूं कि उन्हें हमारी पार्टी, अपनी पार्टी तथा दलगत भावना से उठकर बिहार के सभी संसद सदस्यों से मिलना चाहिए। उन सबको मिलना चाहिए और आर्थिक पैकेज, जिसकी इस सभा में घोषणा की गई थी, की निगरानी करने हेतु एक स्थायी समिति अवश्य गठित की जानी चाहिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्रीमती श्यामा सिंह]

अत में, यदि कार्यान्वयन में कोई कमजोरी है तो कोई अन्य रणनीति बनाई जानी चाहिए। हमें एक ऐसी रणनीति विकसित करनी चाहिए जो राज्य सरकारों की कार्यान्वयन संबंधी कठिनाईयों को दूर कर सकें। जहां भी संभव हो इन परियोजनाओं को केन्द्रीय प्रशासनिक एजेंसियों के माध्यम से अथवा इस प्रकार जिसमें वस्तुपरक निर्णय करने को प्राथमिकता मिले, लागू किया जाना चाहिए।

समय बीत रहा है। तीन वर्षों में अधिक समय से सरकार ने कुछ नहीं किया। यदि हम बिहार राज्य में न्यायोचित और निष्पक्षता का आभास कराना चाहते हैं तो जो मैंने कहा है वह किए जाने की आवश्यकता है। बिहार के 80 मिलियन लोगों के साथ तुच्छ व्यवहार नहीं किया जा सकता। वे आशा और अपेक्षाओं के साथ पैकेज पर सरकार के निर्णय के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, यह सदन बिहार की बदहाली, गरीबी, बेबसी, लाचारी और बीमारी के संबंध में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें केन्द्र में बनीं, उन सरकारों ने बिहार के साथ भेदभाव किया, बिहार के साथ अनदेखी की, न्याय नहीं किया और जान-बूझकर बिहार को गराबी के, बेबसी के, लाचारी के समुद्र में धकेलने का काम किया।

महोदय, जब देश आज़ाद हुआ था, देश में संसद बनी थी और देश की राजधानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना का निर्माण किया था। योजना आयोग का उद्घाटन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि योजना आयोग का काम जहां देश का तीव्रता से विकास करने के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करना है, वहीं देश में जो रीजनल इम्बैलेन्सेज़ हैं, जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, उस खाई को पाटने का काम योजना आयोग करेगा। हमारे मित्र राधामोहन जी यहां नहीं हैं। सरकार का उत्तर तो उन्होंने ही दे दिया, मंत्री महोदया क्या उत्तर देंगी, हम नहीं जानते। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक की योजनाओं में बिहार को प्रति व्यक्ति कितना धन मिला है दूसरे राज्यों की तुलना में, उसको अगर आप देखें तो कोई भी न्यायप्रिय आदमी जिसका इन चीजों से संबंध हो, वह कहेगा कि बिहार के साथ भेदभाव हुआ है।

महोदय, हमारे यहां बिहार में एक धरती के लाल, गरीबों के मसीहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन के स्तम्भ रहे हैं।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय, हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि श्री कर्पूरी ठाकुर को बिहार विधान सभा में पक्ष और विपक्ष के रूप में, सरकार के मंत्री के रूप में और मुख्य मंत्री के रूप में उन्हें सुनने का अवसर मिला है। वे हर समय बजट भाषण के समय कहा करते थे कि बिहार और विशेष कर उत्तर बिहार के संबंध में, उस समय झारखंड नहीं बना था, नेपाल से निकलने वाली नदियों से जो प्रति वर्ष नुकसान होता है, उससे बचाव को कोई स्थाई समाधान जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक बिहार की तरक्की और विकास नहीं हो सकता है।

महोदय, हर साल सड़क, अस्पताल, मकान बनते हैं, खेती होती है, फसल लगती है और फिर बाढ़ आती है और सबको अपने साथ बहा कर ले जाती है। सारे मकान, अस्पताल, स्कूल, खेत और जमीन सब बरबाद हो जाते हैं और उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। यदि बिहार की सरकार अपने पूरे संसाधन झोंक कर करना भी चाहे, तो संविधान के अनुसार ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि पूरे राज्य के विकास का पैसा केवल उत्तर बिहार पर व्यय नहीं कर सकती है। राधा मोहन जी जैसा कह रहे थे, यदि बिहार सरकार के सारे रिसोर्सेस को भी लगा दें, तो भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। चूंकि नेपाल एक स्वतंत्र एवं सम्प्रभू गणराज्य है, इसलिए बिहार सरकार उससे बात नहीं कर सकती है। उससे भारत सरकार ही बात करे कि बिहार से उद्गम होने वाली नदियों में आने वाली बाढ़ से जो नुकसान होता है, उसे बांध बनाकर रोके अथवा बिहार में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करे। यदि नेपाल सरकार ऐसा नहीं करती है, तो भारत सरकार को बिहार में आने वाली बाढ़ों के कारण होने वाली क्षति की भरपाई करनी चाहिए।

महोदय, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह बर्बादी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान मंत्री बनने के बाद होना प्रारंभ हुई। यह तो वर्ष 1951 से ही हो रही है। उस समय से जितनी भी केन्द्र में सरकारें रही हैं सभी ने हमारे साथ भेदभाव किया है। उड़ीसा में तूफान आया, यह खुशी की बात है कि सारे देश ने, सारे राज्यों ने मदद की और भारत सरकार ने उसकी भरपाई की, लेकिन जब बिहार में बाढ़ आती है और सब कुछ बह जाता है, तो न तो भारत सरकार भरपाई करती है और न राज्य सरकार सहायता देती है। हम जानना चाहते हैं कि इसमें बिहार के लोगों की क्या गलती है। इसलिए जब तक आप नेपाल से निकलने वाली नदियों में आने वाली बाढ़ को रोकने के संबंध में बात नहीं करते, तब तक बिहार की तबाही होती रहेगी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में हर साल बाढ़ से होने वाली क्षति की भरपाई केन्द्र सरकार करे।

महोदय, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाते, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल बिहार के जनजीवन के साथ, हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। भारत सरकार की योजनाओं को बिहार सरकार क्यों इम्पलीमेंट नहीं करती, यह बिहार सरकार की कमजोरी है। मैं आज भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारा जो हिस्सा मारा जा रहा है, उस पर बहस करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। पंचायत चुनाव का हमारा हिस्सा आपने रोक रखा है। पंचायत का चुनाव हो गया है। इसके ऊपर इस सदन में बार-बार चर्चा हुई है, सभी पक्षों के लोगों ने कहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण उसका जो पैसा तब नहीं दिया था, वह बकाया पैसा अब मिलना चाहिए, लेकिन आपने नहीं दिया।

महोदय, बिहार बंटा, झारखंड बना - इसके लिए केवल भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम सब लोग भी जिम्मेदार हैं। हम सब ने ही बिहार विधान सभी से सर्वसम्मत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था कि झारखंड राज्य अलग बनाया जाए। इसलिए इस हेतु हम सब भागीदार हैं, लेकिन जब बिहार के बंटबारे पर इस सदन में चर्चा हो रही थी, तो माननीय गृह मंत्री सदन में मौजूद थे। उन्होंने वहां खड़े होकर कहा कि एक राज्य समृद्ध हो जाए और एक राज्य दरिद्र रहे, ऐसा नहीं होगा। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमें दरिद्रता से उबारने का कौन सा उपाय है, हमें दरिद्रता से निकालने का कौन सा उपाय है, क्या बिहार के रिसोर्सेस बिहार को इस बेबसी से पार करा सकते हैं? हमारी रायल्टी समाप्त हो गई, सारे उद्योग धंधे झारखंड में चले गए, जो बड़े-बड़े शिक्षा संस्थान थे वगैरह सब झारखंड में चले गए, जो आय के साधन प्रदेश के संसाधन थे, वे सब झारखंड में चले गए।

हमारा बंटवारा हुआ लेकिन हम प्रसन्नता है कि वह राज्य विकसित है। वह राज्य और आगे बढ़े। हमें उससे कोई झगड़ा नहीं है लेकिन आपका जो फर्ज था, आपने जो वहां खड़े होकर कहा था कि योजना आयोग में एक डेडीकेटिड सेल बनायेंगे, उस डेडीकेटिड सेल की क्या फक्शनिंग होगी। हम जानना चाहते हैं कि डेडीकेटिड सेल ने अभी तक क्या कुछ किया है और कितने दिन में डेडीकेटिड सेल का फैसला होगा? योजना आयोग ने हमारी तरक्की के लिए, विकास के लिए कौन सा काम किया है। मैं बिहार की पुनर्गाथा का बखान नहीं करना चाहता क्योंकि सारी दुनिया उसे जानती है। लेकिन बिहार जब आंगड़ाई लेता है तो उसका परिणाम बहुत भंयकर होता है, इसे भी सारी दुनिया जानती है।

बिहार में नक्सलवादी आंदोलन हुआ। इसके साथ-साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम भले ही गाली देने के नाम पर कह दें कि राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए था, उसमें भी राज्य सरकार नकारा साबित हुई। भारत सरकार से जो पैसा जाता है, उसके खर्च का यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट भी वह नहीं दे सकती।

अभी रघुवंश बाबू ने बिजली के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री आये थे। सब लोगों को बुलाया गया था। बिहार सरकार को एक पेपर गारंटी देनी थी लेकिन वह पेपर गारंटी भी नहीं दे रही। हमारा कहना है कि जो काम भारत सरकार को करना है, अगर वह उस काम को न करे तो यह सचमुच एक चिंता की बात है।

माननीय मंत्री जी से सारे सांसद मिले थे। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार के विकास में हम सब बाधक हैं। अगर बहुत बड़ा कारण नहीं होता, हम इसी सदन में देखते हैं कि छोटे-छोटे सवाल पर हमारे आंध्र प्रदेश के भाई, केरल के भाई या दूसरी सब जगह के भाई दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस सदन में प्रधान मंत्री जी से लेकर सबके सामने उस सवाल को रखने का काम करते हैं। जब हम सदन में खड़े होते हैं, जिस बिहार में हमने जन्म लिया, जहां हम मरेंगे, जिसके विकास की जवाबदेही हमारे ऊपर है और जहां की जनता ने हमें चुनकर भेजा है, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है।

अभी रघुवंश बाबू ने आकड़े पढ़कर सुनाए हैं। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता लेकिन उन्होंने जिन बातों को कहा है, उसका हम समर्थन करते हैं। हम रघुवंश बाबू जी से भी कहेंगे कि वे बिहार सरकार को प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में कहें कि उसके लिए जो पैसा जा रहा है, उसको देखें। हो सकता है कि श्री राम प्रसाद जी के क्षेत्र में पांच किलोमीटर सड़क बनी हो और रघुवंश बाबू के क्षेत्र में न बनी हो। हमारे क्षेत्र में अभी शुरू ही नहीं हुई। इसके लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। गोपालगंज जहां मुख्यमंत्री का घर है, उसके बारे में कोई विवाद नहीं है लेकिन तीन-तीन किश्त का पैसा दिया गया है फिर भी सड़क नहीं बन रही। रोड का क्षेत्र हो, नैशनल हाईवे का क्षेत्र हो या दूसरी चीजों के क्षेत्र हों, हम कहना चाहते हैं कि उनके लिए बिहार को जो पैसा नहीं मिल पाया है, वह पैसा मिले। जो स्वीकृत स्कीमें हैं, उनको चालू किया जाये।

हन एन.डी.ए. के लोग हैं। यहां माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। हम कहना चाहते है कि बिहार की जनता ने अपने साथ भेदभाव नहीं किया है। आप मुझे क्षमा करेंगे, प्रधान मंत्री जी जिस

[श्री रघुनाथ झा]

राज्य से चुनकर आये हैं, हमारे बहुत से मित्र यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश ने आपको जो समर्थन नहीं दिया, अगर वही समर्थन बिहार भी आपको नहीं देता तो शायद हम ट्रेजरी बेंचिस में न बैठे होते और आप उस पद पर न बैठे होते।

इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप बिहार का हिस्सा देने का काम करें।

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : सभापति जी, मैं आदरणीय रघुवंश बाबू और रघुनाथ झा जी का बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने बिहार के कुछ बड़े सवाल को, जो जनता से सीधा जुड़ा सवाल है, उसे यहां रखने का प्रयास किया।

उन्होंने बिहार के हितों के बारे में बहुत जोरदार ढंग से केन्द्र सरकार से मांग करने की बात की है। यह सभी को जानकारी है कि जिस दिन बिहार का बंटवारा हो रहा था, उस दिन हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि बिहार के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। जहां तक बिहार के विकास का सवाल है, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से उनके तमाम हितों की पूर्ति की जाएगी। इसी को आधार बनाते हुए बिहार के सभी सांसदों ने मिल कर, जिसमें सब पार्टी के लोग थे, सभी इलाकों के लोग थे, प्रधान मंत्री जी को एक साथ जाकर ज्ञापन दिया था। प्रधान मंत्री जी ने भी उस दिन खुशी जाहिर की थी कि यह एक मौका है जब बिहार के सारे सांसद एक होकर अपने सवालों को उठा रहे हैं। मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता जिस वजह से आज इस सवाल पर दूसरे लोग भिन्न विचार रखने की बात कर रहे हैं। बिहार विधान सभा ने जिस दिन पुनगर्ठन विधेयक का सर्मथन किया था, उस दिन सर्वसम्मति से बिहार के विभाजन का सवाल उठा था। दूसरा सवाल था कि हमारे राज्य में एक लाख 89 हजार करोड़ रुपये मांगे गए थे। यह स्पष्ट था जो बिहार विधान सभा के प्रस्ताव में शामिल था। यहां सिर्फ हमारी अकेली पार्टी थी, जिसने विभाजन का पूरे तौर पर विरोध किया था और कहा था कि यह पूरा धोखा है और इस धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। उसका परिणाम बिहार की जनता और नेताओं को भुगतान पड़ेगा। आज डेढ़ साल बाद स्थिति साफ हो रही है और देखा जा रहा है कि हम किस तरह से ठगे और छले गए हैं। बिहार की जनता के लिए आज जो बातें की जा रही है, उसके साथ ऐसी राजनीति की जाती है, ऐसा रुख अख्तियार किया जाता है जिससे साफ जाहिर होता है कि बिहार का स्थान जैसे भारत के नक्शे से बाहर है। इस तरह सौतेलापन और उपेक्षा का जो रुख अख्तियार किया जाता है, उससे बिहार की जनता ही आहत नहीं होती बल्कि पूरी जनतांत्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणाली को ही बहुत गंभीर आघात पहुंचाने की बात हो रही है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस मानसिकता के साथ हम लोगों ने भारत के प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, वह ज्ञापन रघुवंश बाबू ने तैयार नहीं किया था, वह सुबोध राय या कम्युनिस्ट पार्टी ने तैयार नहीं किया था। वह ज्ञापन श्री नीतीश कुमार, जो भारत के तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री थे, जिनको कोर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके नेतृत्व में सबने अपनी-अपनी बातें कही थी जो सर्वसम्मति से तय हुई थी। इसलिए वह सबका मिला-जुला ज्ञापन है, किसी को उससे बाहर जाने की बात नहीं करनी चाहिए। बिहार का विकास कैसे होगा, नेपाल से बात करने का सवाल, पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ से मुक्त करने का सवाल, वहां के विकास का सवाल, बिहार की जनता के रेल के विकास के सवाल, उद्योगों के विकास सवाल, कृषि के विकास का सवाल, शिक्षा का सवाल आदि तमाम तरह की समस्याओं को उसमें रखने का पूरा प्रयास किया गया। जब यह नहीं हुआ तो पिछले साल बिहार की मुख्य मंत्री के नेतृत्व में बिहार विधान सभा के कई नेताओं, जिनमें मैं भी शामिल था, लालू प्रसाद जी भी थे, प्रधान मंत्री जी के निवास स्थान जाकर एक ज्ञापन दिया और स्मरण कराया कि बिहार को पैकेज मिलना चाहिए। बिहार में चीनी मिलें बंद हैं, बिहार में सिंचाई की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं रुकी हैं जिसमें एक बड़ी परियोजना बटेश्वर गंगा पम्प नहर योजना 250 करोड़ रुपये की शामिल है। आप बताइए क्या बिहार सरकार उसे पूरा कर सकती है। तमाम चीनी मिलें बंद हैं, कपड़ा मिलें बंद हैं, जूट मिलें बंद हैं, 15-16,000 फैक्ट्रियां, बरौनी खाद कारखाना, जो बड़ा पावर सैक्टर है। वहां हजारों मजदूर आज पावर की कमी के चलते पीड़ित हैं, चूंकि ट्रांसमीशन लाइन कमजोर है, पूरी तरह से बिजली लोगों को सप्लाई नहीं की जा सकती हैं। आज बिहार में 12-14 लाख बुनकर बेकार हैं। सिर्फ हमारे लौक सभा क्षेत्र में 10 हजार पावरलूम वर्षों से ठप्प पड़े हुए हैं। बुनकरों की हालत यह है कि वे कभी सूरत, कभी मेरठ और कभी दूसरे राज्यों में जाकर काम खोजते हैं। भागलपुर का जो सिल्क सिटी का नाम था, करोड़ों रुपये का सिल्क का निर्यात वहां से विदेशों को होता था, जो सबसे उत्तम श्रेणी का सिल्क है, वह आज बन्द है। आज हजारों लोग इसके कारण दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज किसान तबाह हैं, नौजवान तबाह हैं, महिलाएं तबाह हैं। आज पूरा बिहार एक भयंकर स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए हम तो यह मांग करेंगे कि जो बातें की गई हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए।

हमने कुछ दिन पहले ही अपने क्षेत्र में विक्रमशिला का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, उसके सौन्दर्यीकरण के लिए भारत सरकार का जो पैट्रोलियम और गैस मंत्रालय है, उन्होंने एक प्रोजैक्ट तैयार किया है, उन्होंने इंडियन आयल कारपोरेशन को यह जिम्मेदारी दी

है और उसके माध्यम से यह काम होगा। मैंने आदरणीय राम नाईक जी को अपने उस प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सौन्दर्यीकरण के लिए एक प्रस्ताव भेजा है और अनुरोध किया है कि अगर यह काम हो जाता है, नालन्दा का काम हो जाता है और हमारे जो प्राचीन बड़े-बड़े इलाके हैं, उनके बारे में चिंता की हैं। रघुवंश बाबू ने और अभी रघुनाथ झा जी ने भी कहा है कि वे सारी जो गौरवपूर्ण परम्परा वाली चीजें हैं, अगर उनका पुनरुद्धार होता है तो पर्यटन के मामले में बिहार का विकास होगा, उद्योग के मामले में बिहार का विकास होगा और इस तरह से बड़े पैमाने पर हमारा काम होगा।

अभी-अभी विद्युत मंत्रालय की ओर के कहलगांव क्षेत्र में 1320 मैगावाट का सैकिण्ड फेज का प्रोजैक्ट लगाने की जो योजना है, उसके बारे में विद्युत मंत्रालय की ओर से आदरणीय सुरेश प्रभु जी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। हमने मांग की है कि उसको समयबद्ध योजना के मुताबिक पूरा करना चाहिए और उससे पूरे बिहार और दूसरे राज्यों में जो बिजली की समस्या है, उसको पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ बिहार के और कहलगांव के जिन लोगों की जमीन गई हैं, वहां के किसान आज तरस रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनके बेटों को नौकरी नहीं मिली। आज सारे देश के हिस्सों में जहां बिजली उत्पादन हो रहा है और अनेकों जगहों में बिजली पैदा करके भेज रहे हैं, लेकिन वहीं के लोग अंधकार में जीने के लिए और विकास की मार को झेलते हुए तमाम तरह से आज जो बदतर स्थिति है, उसमें जीने के लिए मजबूर हैं, उसलिए हमने मांग की है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। आपके दल के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री सुबोध राय : मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। हमने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि जो ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, खास तौर से कहलगांव में और वहां के 40 किलोमीटर एरिया को पूरा कमाण्ड एरिया घोषित करके किसानों को, बुनकरों को और तमाम लोगों को बिजली की गारण्टी देनी चाहिए। बिहार के मामले में जो तमाम बाकी योजनाएं हैं, जैसे पहरवा में रेल के दोहरीकरण का सवाल है, दुर्गावती जलाशय योजना का सवाल है, उसके आधुनिकीकरण का सवाल हैं, कदवां सिंचाई योजना का सवाल है।

सभापति महोदय: सुबोध राय जी, अगर आपने अपना भाषण समाप्त नहीं किया तो आपके दल के दूसरे सदस्य नहीं बोल पाएंगे।

श्री सुबोध राय : मुझे एक ही बात कहनी है। मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि नेपाल से उत्तरी बिहार के लोग तबाह हैं, लेकिन आज जब काफी बारिश होती है तो झारखण्ड से तमाम नदियां निकलती हैं, उससे जो बाढ़ आती है, उसके चलते हमें दक्षिण बिहार या जो केन्द्रीय बिहार है, उसके इलाके आज पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं और 100 करोड़ रुपये का नुकसान भागलपुर एवं मुंगेर के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा है।

किसानों के खेतों में रेगिस्तान बन गया है, वे बालू से भर गये हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि इन तमाम कार्यों को करने के लिए केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार को जो पैकेज देना है, उसे देने में कोई राजनीति और कोई संकुचित भावना का शिकार हुए बगैर वह पैकेज देने का फैसला तुरंत सरकार को करना चाहिए।

श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) : सभापति महोदय, मैं रघुवंश जी और रघुनाथ झा जी जो विषय लेकर आये हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं कि जो बिहार को पैकेज मिलना चाहिए, वह अवश्य मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रभुनाथ जी, आपका नाम है। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : बारी कब आएगी। बारी जल्दी बुला दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद : लेकिन जब मैं पिछले साल के कुछ आंकड़े उठाकर देखता हूं तो मन में यही आता है कि जहां 1,80,000 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा गया है, जहां पर हम ग्रामीण मंत्रालय विभाग की विभिन्न योजनाएं जिनमें लगभग 750 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाये हैं, वहीं दूसरी ओर शहरी विकास मंत्रालय के कुछ आंकड़े हैं जिनमें हमने लगभग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 7 करोड़ रुपये का नहीं दिया है, ऐसे अनेक हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। रघुवंश बाबू जी ने कुछ अपनी ओर से आंकड़े दिये हैं जो वे सही समझते हैं और कुछ हमारे राधा मोहन सिंह जी ने दिये हैं जो वे उनको उचित समझते हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार का विभाजन 31 दिसम्बर 2000 को हुआ। उसके पहले झारखंड बिहार का ही एक भाग था जितनी भी वहां पर चीजें थीं, वे सब कुछ मिनरल इत्यादि बिहार में था लेकिन क्या विभाजन से पहले वहां सड़कें खराब नहीं थीं, क्या विभाजन से पहले पानी भी नहीं था, स्कूल नहीं था, नल नहीं था, क्या वह बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित नहीं रहा है। क्या यह 31 दिसम्बर 2000 के बाद हुआ है? क्या बंटवारे के बाद की यह

[श्री कीर्ति झा आजाद]

स्थिति है। क्या 1952 से जब से यह हमारी पार्लियामेंट बैठी, क्या तब से लेकर आज तक पचास वर्षों के अंदर बाढ़ नहीं आती है? क्या प्रत्येक वर्ष टूटफूट नहीं होती? क्या प्रत्येक वर्ष लोग बीमार से ग्रसित नहीं होते। क्या सब कुछ हालत खराब नहीं होती। इन पचास सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार अधिकतर रही। बाढ़ आती रही और कांग्रेस की सरकार शासन में थी जो आज राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दे रही है जिसके समर्थन में बैठकर वहां सरकार चल रही है। उस समय क्यों नहीं किसी ने सोचा। इस सरकार को, 13वीं लोक सभा के चलते हुए लगभग ढाई वर्ष हो गये हैं, इससे पहले वह योजना क्यों नहीं आई? कर्पूरी ठाकुर जी ने 1971 में जिस समय यहां पर वे जनता पार्टी की तरफ से मुख्य मंत्री बने थे, उन्होंने हाई-डैम बनाने की परियोजना के बारे में सोचा था लेकिन उसके बारे भी आज तक कोई बात नहीं हुई। उस विषय को लेकर हम वहां के सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले थे कि बाढ़ के कारण बहुत समस्याएं आती हैं।

रघुवंश बाबू जी से सैन्ट्रल हॉल में मेरी बात हुई थी। मैं उनका बहुत आदर करता हूं क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सपने देखे हैं कि किस प्रकार का बिहार होना चाहिए, वैसे ही मैंने ही मैं भी सोचता हूं। लेकिन मुझे यह देखकर खेद होता है कि कोई भी इन समस्याओं का स्थायी समाधान ढूढ़ने के बारे में नहीं सोचता कि स्थायी समाधान कैसे हो। सब यही सोचते हैं कि रिलीफ का पैकेज मिलना चाहिए, 300 करोड़ रिलीफ मिले, 600 करोड़ रिलीफ मिले। रिलीफ तो पचास साल से मिल रहा है। अगर हम स्थायी समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तो अगले पचास साल तक रिलीफ मिलता रहेगा। रिलीफ कब तक लेंगे? यह कटोरा लेकर घूमने की आदत कब तक बना कर रखेंगे। आज इस प्रकार की परिस्थिति हो चुकी है। उत्तरांचल के क्षेत्र में चले जाइए, आप देखिएगा कि जब कभी भी बाढ़ आती है, पांच महीने तक लगातार पानी में डूबा रहता है। मवेशी की स्थिति यह रहती है कि सड़क पर रहते हैं और साथ में आदमी भी सड़क पर रहते हैं। जब बाढ़ आती है तो कई लोगों के पास छोटे-छोटे टीले बच जाते हैं, उसके आसपास लोग रहते हैं तो सोचिए कि शौच भी कैसे जाते होंगे? तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। कोई पेड़ पर चढ़ा है या पानी में कूद जाता है या जो सड़क पर पहुंच चुका होता है, वह सड़क पर ही रहता है।

सभापति महोदय : इस विषय पर दो घन्टे का समय निर्धारित किया गया था और 6 बजकर 25 मिनट पर दो घन्टे पूरे हो गए हैं। सदन की सहमति हो, तो एक घन्टे का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : बिहार पर सभी सदस्यों को बोलने का समय दिया जाए और दो घन्टे का समय बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : सदन की सहमति से एक घन्टे का समय बढ़ाया जाता है। लेकिन सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री कीर्ति झा आजाद : सभापति महोदय, एक बार रघुवंश प्रसाद जी ने वित्त मंत्री के समक्ष एक प्रश्न किया था। उस प्रश्न पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि बिहार जैसा अमीर स्टेट पूरे हिन्दुस्तान में नही हैं। लेकिन जो पैसा दिया जाता है, उसका हिसाब नहीं मिलता। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आप बताइए, जब सात-आठ सौ या एक हजार करोड़ रुपए का सर्टिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, तो 180 हजार करोड़ रुपए बिहार सरकार किस प्रकार खर्च करेगी, यह बात समझ में नहीं आती है।

महोदय, बिहार में पीने का पानी नहीं है। बिजली परियोजना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है। बिजली एनटीपीसी और आरईसी के पास बहुत है। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि गांव के ग्रामीण इलाकों में सही ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन करे। बिहार में बिजली का उत्पादन तो हो रहा है, बिजली बिहार में बन रही है, लेकिन वह आन्ध्र प्रदेश को बेची जा रही है, क्योंकि वहां बिजली लेने वाला कोई नहीं है। वहां डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था नहीं की गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिहार का जब से विभाजन हुआ है, तब से ये समस्यायें आई हैं। इन समस्याओं को शुरू से क्यों नहीं समझा गया? मैं कहना चाहूंगा कि बिहार को पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन यह जरूर विचार करना चाहिए कि वह खर्च कौन करेगा। मैं तो कहूंगा कि केन्द्र सरकार किसी एजेंसी के द्वारा उस पैसे को खर्च करवाए, क्योंकि आवश्यकता है। सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए।

महोदय, हमारे क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों को देखने के लिए पिछली बार डैलीगेशन गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सभा के सदस्य थे, जो अब सदस्य नहीं हैं, वे संयोजक थे और साथ में श्रीमती श्यामा सिंह, जो औरंगाबाद से बिहार की सांसद हैं, भी थीं। हम सब लोग प्राइमरी स्कूलों की स्थिति देखने गए थे। हमने भवनहीन स्कूल तो सुने थे, जहां विद्यार्थी आते हैं, लेकिन अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। यह बड़ी हास्यास्पद बात है, वहां हमें भूमिहीन स्कूलों के बारे में बताया गया और 82 स्कूल वहां पर चल रहे थे। मैंने डिस्ट्रिक्ट क्लैक्टर से कहा कि ऐसे स्कूल धरती या पातल में तो होंगे नहीं, आकाश में ही होंगे। मैंने कहा कि मैं सांसद हूं, वहां हमें पूरी लिस्ट दी गई कि उन स्कूलों में कौन-कौन से टीचर आते हैं और कौन-कौन से बच्चे पढ़ने आते हैं। इसकी जिक्र एचआरटी मंत्रालय की रिपोर्ट में है। इसके बाद हम चरवाह स्कूलों को देखने के लिए गए। वहां चरवाह तो नहीं

थे, लेकिन बच्चे चर रहे थे। इस बारे में जितनी जिम्मेदार राज्य सरकार है, उतनी जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार भी है। हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं। मैं उसको उचित नहीं समझता हूं। हम दिल्ली शहर को छोड़कर, सुख-सुविधाओं को छोड़कर बिहार गए। हम जो गायत्री मंत्र रोज बोलते हैं, वह विश्वामित्र ने वहीं पर दिया। ...*(व्यवधान)* पिता जी होंगे, मैं अपने पिता जी के कारण यहां खड़ा नहीं हूं। मुझे उनसे कुछ लेना-देना नहीं है। मैं यहां अपनी सामर्थ्य से खड़ा हूं। मैं बिहारी हूं, यह कहने में मुझे गर्व और खुशी होती है। जो सही बात है, उसको सामने रखना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं बिहार इसलिए गया ताकि मैं राज्य की सेवा कर सकूं।

वहां की हालत देखकर मुझे खुद ग्लानि होती है। मेरे क्षेत्र में जितने गांव हैं उनमें से मैं ज्यादातर गावों में घूम चुका हूं। हम पहले जिस प्रकार की स्थिति बचपन में सुनते थे, आज भी वही दिखाई देती है।

महोदय, झारखंड का बंटवारा होने का बाद स्थिति ऐसी नहीं हुई है, उसके पहले से स्थिति ऐसी थी। आज भी वहां गाड़ी नहीं पहुंचती है। मुझे अपने क्षेत्र में कई जगहों पर जाना पड़ता है। कई पंचायतें ऐसी हैं, जो बीच में नहर से कटी एवं टूटी हुई हैं और बीच में कोई न कोई नेपाली नदी आ गई है, जो बीच में हमारी उस पंचायत तक पहुंचने में समस्या खड़ी करती है। मैं ऐसी-ऐसी जगहों पर गया हूं, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है। वहां जाकर लोगों से मिला हूं, उन्हें स्पष्ट बताने का प्रयास करता हूं। वे हमसे पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया तो उन्हें जवाब देना कठिन होता है। अखबारों में पढ़ते हैं और देखते भी हैं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को गाली दे रही है और राज्य सरकार केन्द्र सरकार को दे रही है। हम जब तक आपस में बैठ कर इस पर ठीक से विचार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा।

महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने यहां बहुत अच्छी बात की कि 1994-95 से चीनी मिलें बंद हैं। हमारे यहां रैय्याम, लोहट और सकरी में तीन चीनी मिलें हैं रैय्याम की चीनी स्पेशली जर्मनी जाया करती थी। वह चीनी मिल राज्य सरकार द्वारा बंद करवा दी गई। आज तक उसका किसानों को करोड़ों-अरबों रुपए का मुआवजा नहीं मिला। अशोक पेपर मिल है, जिसमें अदालत की अवमानना बिहार सरकार ने की। उनसे कहा गया कि उन्हें बिजली एवं पानी मुहैया किए जाएं, जिससे कि वह प्रोपरली चला सकें, लेकिन उन्हें बिजली एवं पानी मुहैया नहीं कराया गया। आज इन सभी जगहों पर लोग दुखी हैं। लोग कहते हैं कि नलकूप होना चाहिए हां यह जरूर लगना चाहिए, लेकिन जहां बिजली नहीं दे पा रहे वहां नलकूप कैसे चलेंगे। किसानों की बात जरूर करते हैं। नलकूप को बिजली देने के लिए आज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाईन नहीं है। लाइनें कहां से आएंगी, जब पूरी बिजली नहीं मिलती है।

सायं 6.33 बजे

[डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

महोदय, मैं यहां इसलिए खड़ा हुआ हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हैं। महोदय, आप मेरी आवाज को पूरी तरह सुनिएगा। आज जिस प्रकार बिहार की परिस्थिति है, गरीबी है। पिछले दो वर्षों में विभाजन के बाद अवश्य स्थिति ज्यादा खराब हुई है, लेकिन आप केवल इस बात को ही नहीं ले सकते। आज को प्रस्ताव आया है, उसका मैं जरूर समर्थन करता हूं, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात है कि यह पैसा किस प्रकार से कहां, कैसे लगे। पहले एक बार 1994-95 में भी पैसा आया था। उस समय बड़े जोर से शोर मचा था कि पैसा आया है। उस समय ठेकेदार भागने शुरू हो गए, सब जगह लोग भागने लगे और पता लगा कि एक महीने तक जो ठेकेदार एस्टीमेट बना रहे थे कि क्या-क्या मिलना चाहिए, कहां-कैसे क्या करेंगे, उसका एस्टीमेट बना रहे थे, तब तक पता लगा कि एक महीने के अंदर पैसा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जो पैसा आया था, उसका उपयोग भी कर लिया गया। वह पैसा कहां गया, उसका मालूम नहीं। इसलिए मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आज जो प्रस्ताव आया है, इसके ऊपर पूरे तरीके से विचार होना चाहिए और सीरियसली एवं गंभीरता से विचार होना चाहिए। इस पैसे का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। जो पैसे का यूटिलाइज़ किया गया है, उसका कम से कम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दें। लगभग ढाई-तीन हजार रुपए का यूटिलाइजेशन बिहार सरकार की ओर से नहीं किया है, उसका यूटिलाइजेशन इस साल या अगले साल तक करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि हम अपनी मांग पैकेज पर भरपूर तरीके के कर सकें।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, हम बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने पर चर्चा कर रहे हैं। आपने चर्चा आरम्भ की, उसके बाद सत्ता पक्ष के राधा मोहन जी बोले। ऐसा लगने लगा कि बहस सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित रहने वाली है। मैं रघुनाथ झा का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने इस बहस को सार्थक दिशा में ले जाने का काम किया।

महोदय, यह बात सही है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद तक बिहार का एक गौरवमय इतिहास रहा है। महात्मा गांधी जी गुजरात में पैदा हुए लेकिन उनकी कर्मस्थली

[श्री रामजीलाल सुमन]

बिहार रही। ...*(व्यवधान)* आज़ाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र की लड़ाई जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ी गयी और उसका भी प्रारम्भ बिहार से हुआ। मैं उस आंदोलन में एक कार्यकर्ता था। आज बिहार में बेबसी है, लाचारी है, पिछड़ापन है और पूरा सदन इस सवाल पर एक है। जब यहां राज्यों के बंटवारे पर चर्चा हो रही थी तो कुछ लोग बहुत उतावले थे। समाजवादी पार्टी सिद्धांतत: उस समय राज्यों के बंटवारे के खिलाफ थी क्योंकि राज्यों के बंटवारे का सवाल सीमित नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न अंचलों से अलग-अलग राज्यों की मांग हो रही थी। इसलिए उचित था कि राज्यों के पुनर्गठन का आयोग बन जाता और उस आयोग की सिफारिशें आने के बाद जहां आवश्यक हो वहां नये राज्य की समरचना की जाती। हमारा मानना था कि नये राज्यों के बनने से समस्याएं और पैदा होंगी तथा अतिरिक्त आर्थिक भार देश पर पड़ेगा और एक अलग स्थिति सारे देश में पैदा होगी। लेकिन उस समय लोग बहुत जल्दी में थे। जब बिहार से झारखंड में चला गया तो जो आय के स्रोत थे जिन पर बिहार की आर्थिक व्यवस्था कायम थी उसका 70-80 प्रतिशत हिस्सा झारखंड में चला गया। खान, खनिज और कोयला झारखंड में चला गया। यह बात नहीं है कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद दौलत नहीं बढ़ी हो। लेकिन दौलत वहीं जाकर कैद हो गयी जहां पहले से दौलत थी। आज़ादी से पहले बिहार की आर्थिक हालत ठीक थी लेकिन अब बिहार की माली हालत खराब हुई है। पहली से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना तक कितनी दौलत बिहार को मिली, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन विकास के नाम पर क्षेत्रीय असंतुलन और बढ़ गया है और जिन राज्यों की माली हालत पहले से ठीक थी उनकी हालत और भी ज्यादा अच्छी हो गयी है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार सरकार की आठ करोड़ और झारखंड की दो करोड़ आबादी पर जो सरकारी बोझा डाला गया है, वह न्यायसंगत नहीं है और सरकार को इस मामले में विचार करना चाहिए। बिहार की कुछ स्थाई समस्याएं हैं। जब कभी बारिश होती है और अंतर्राष्ट्रीय नदियों से पानी बिहार में आता है तब संसद का कोई भी सत्र ऐसा नहीं होता है जब हम उस पर चर्चा न करते हों।

सभापति महोदय, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम बाढ़ का कोई स्थाई हल नहीं निकाल पाए हैं और उस पर हुई बहस का कोई सार्थक हल नहीं निकलता है। नेपाल की नदियों से हर वर्ष बिहार को जो हानि होती रहेगी जब तक कि उसका कोई स्थाई हल हम नहीं निकालते, उसका मुकम्मल इंतजाम हम नहीं करते। आज आवश्यकता इस बात की है कि उसका कोई बंदोबस्त भारत सरकार करे। आज कुछ कागजों में मैंने देखा कि 50 लाख परिवारों के पास बिहार में रहने के लिए घर नहीं हैं, और यह संख्या और बढ़ेगी। बिहार का हाल ठीक हो और भारत सरकार के अलावा अमीर लोग बिहार की तरफ आकर्षित हों - यह देखना होगा। आज बिहार में जैसा वातावरण है क्या वहां कोई निवेश करेगा, खर्चा करेगा? नहीं वह पहले यही देखेगा कि वहां बिजली की हालत ठीक है या नहीं, सड़क की हालत ठीक है या नहीं, उद्योग लगाने के लिए वातावरण ठीक है या नहीं। आज की परिस्थित में मैं समझता हूं कि बिहार की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जाए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मतभेद है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि जब देश के ऐसे बड़े सवाल आते हैं तो उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि आसन की तरफ से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जाए। सदन में पहली बार हम ऐसे सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में सभी पार्टियों की एक राय है। आज बिहार के सभी लोग एक साथ बैठे हैं। बिहार के 50 सांसदों ने जो विभिन्न दलों से थे, उन्होंने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया। आज सवाल केवल 50 सांसदों का नहीं है, इस सदन के 545 सांसद आज पूरी तरह से बिहार के साथ हैं और वे मांग करते हैं कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। यह बहुत गम्भीर मामला है। भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधान मंत्री का हम अत्यधिक सम्मान करते हैं लेकिन यदि सदन में कहीं वायदा खिलाफी हो, तो मैं नहीं समझता इससे खराब दूसरी कोई बात हो सकती है। राज्यों के बंटवारें के समय मैंने गृह मंत्री जी का भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि जो राज्य अलग हो रहे हैं, उन्हें विशेष दर्जा दिया जाएगा। हमें नहीं लगता कि हमारे मन में कहीं कोई बात थी। उत्तरांचल अलग हुआ और उसे विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। प्रधान मंत्री जी से बात करने के बाद नीतीश कुमार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी कटिंग मेरे पास हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमें क्या-क्या करना है उसे चिन्हित कर लिया है और प्रधान मंत्री से मिलने के बाद उनका रवैया सकारात्मक था। गृह मंत्री का इस बारे में कमिटमैंट था। बिहार के सभी सांसद एक साथ थे और पूरा सदन एक साथ था फिर कौन सा ऐसा कारण था जिससे बिहार को आर्थिक पैकेज नहीं मिल रहा है। बिहार का कोई मामूली सवाल नहीं है। बिहार के लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, पिछड़े क्षेत्रों की मदद करना, गरीब राज्यों की मदद करना भारत सरकार का राष्ट्रीय धर्म है।

अभी यहां चार मंत्री बैठे थे लेकिन अब केवल वसुन्धरा जी रह गई हैं। शाहनवाज जी भी यहां बैठे हैं वह बिहार से हैं। वह प्रधान मंत्री और गृह मंत्री तक हमारी बात पहुंचा दें कि बिहार को आर्थिक पैकेज देने का मामला बिहार की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, यह देश का मामला है, सभी सांसद पूरी तरह

बिहार के साथ हैं इस कारण प्रधान मंत्री बिहार से लोगों की आर्थिक मदद करने में देरी नहीं करें, यही मुझे कहना था।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, बिहार को आर्थिक पैकेज देने के सवाल पर आपने नियम 193 के अधीन चर्चा को यहां प्रस्तुत किया इसलिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर रघुनाथ झा जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस बहस को पटरी पर लाने का काम किया। आज पूरे सदन ने यह महसूस किया कि दलों के दलदल में या दलों की सीमाओं में रह कर हम बिहार के साथ न्याय नहीं कर सकते। बिहार के हित को देखते हुए यह बहस हो। इस चर्चा के माध्यम से सीधा सवाल यह है बिहार को आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आज बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है। वित्त आयोग द्वारा सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें साफ कहा गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था विभाजन के बाद लड़खड़ा गई है।

इसका मतलब यह है कि बिहार आर्थिक रूप से टूट चुका है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि पूरे देश की जी.डी.पी. 6.5 प्रतिशत है जबकि बिहार की 1.0 प्रतिशत है। 1996-97 में लाकडावाला एक्सपर्ट ग्रुप ने नेशनल सर्वे किया था जिसके अनुसार देश में गरीबी रेखी से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 35.97 था। जब वर्ष 2002 का बजट प्रस्तुत किया गया, तब सरकार द्वारा कहा गया था कि 10 प्रतिशत कम हो गया है। ठीक है, यह आकड़ों का जाल है लेकिन मेरी समझ में ये आंकड़े नहीं आ रहे हैं। यदि ऐसा मान भी लिया जाये तो मालूम होगा कि बिहार राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में उड़ीसा राज्य से भी नीचे चला गया है। मैं इसके कारणों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या एक-डेढ़ प्रतिशत बढ़ रही है। जैसे अभी कहा गया कि नेशनल ऐवरेज 27 प्रतिशत है जबकि बिहार का 44 प्रतिशत है। 1997-98 में बिहार में 56 प्रतिशत था और यदि 10 प्रतिशत घट भी जाता है तब भी यह 46 प्रतिशत रहता है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन बसर कर रहे हैं। बिहार में गरीब फटेहाली, आर्थिक बदहाली की स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं। आज इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे बिहार की स्थिति बदले, कैसे उसका चित्र बदले।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। आप जानते हैं कि सीतामढ़ी, गोपालगंज और मोतिहारी में 30 लाख के लगभग खेतिहर मजदूर हैं जिनमें से अधिकतर उत्तर बिहार छोड़कर दूसरे प्रान्तों में अपने जीविकोपार्जन के लिये गये हुये हैं क्योंकि बिहार में रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। खेतिहर मजदूरों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा क्योंकि कोई उद्योग-धंधे या कल-कारखाने वहां नहीं हैं। खेतिहर मजदूरों का पलायन एक दिन में नहीं हुआ। यह संख्या सालों-साल से बढ़ रही है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि बिहार की कृषि स्थिति पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि यदि खेतिहर मजदूर बाहर चला जायेगा तो वहां कृषि कार्य कौन देखेगा। सच्चाई तो यह है कि जो छोटे किसान हैं, जिनके पास 10-15 एकड़ जमीन हैं, उनके द्वारा खोजने पर भी खेतिहर मजदूर नहीं मिलता। क्योंकि वहां रोजगार का कोई साधन नहीं, इसलिये सारे खेतिहर मजदूर बाहर रोजी कमाने के लिये चले गये।

सभापति महोदय, बिहार में क्रेडिट लिमिटेड के बारे में राधा मोहन जी ने चर्चा की। मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन आप सम्पूर्ण देश का रेशियो देख लीजिये। अकेले बिहार के बैंकों में जो पैसा जमा होता है, उसमें कहीं 10 प्रतिशत, कहीं 15 प्रतिशत, कहीं 18 या 19 प्रतिशत का रेशियो है। रेलवे बैंक की गाइडलाइन्स हैं कि जिन इलाकों के लोग 35-40 प्रतिशत रुपया बैंकों में जमा करते हैं, उनका पैसा वहां इनवैस्ट होना चाहिये लेकिन यह पैसा देश के बड़े-बड़े शहरों जैसे मुम्बई, कोलकाता आदि में इनवैस्ट हो रहा है।

मैं राज्यों की बात कर रहा हूं। बड़े-बड़े शहरों में पैसा इनवैस्ट होता है। बिहार में सी.डी. की यह हालत है। *...(व्यवधान)* आप कलकत्ता की 11 परसेन्ट बता रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक बाढ़ का सवाल है। बिहार में छः महीने बाढ़ और छः महीने सुखाड़ रहता है। उत्तर बिहार जो एक फ्लड प्रोन एरिया है, वहां छः महीने बाढ़ और छः महीने सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न रहती है। नेपाल से आने वाली नदियां कोसी, भूतहीबलान, कमलाबलान, अदवाड़ा समूह, गंडक आदि जितनी नदियां नेपाल से आती हैं, वे खासकर उत्तर बिहार में तूफान मचाती हैं और एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती हैं कि वहां तबाही मच जाती है। वहां का सारा इंफ्रास्ट्राक्चर स्कूल, कालेज, सड़कें तथा आधारभूत संरचनाएं आदि सब ध्वस्त हो जाती हैं तथा करोड़ों रुपये की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इन नदियों से आने वाली बाढ़ के समाधान के लिए एक बार अध्ययन हुआ था। तथा चर्चा भी हुई थी। जापान से भी एक टीम आई थी। अभी हमने सुना है कि योजना आयोग में एक यूनिट स्थापित हुई है। जिसमें पुनर्गठन आयोग के समय कहा गया था कि योजना आयोग ने बिहार में विशेष व्यवस्था के लिए एक यूनिट स्थापित की है। उसे दो साल हो गये हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि यूनिट दो साल से नहीं चल रही है तो वह कहां रुकी हुई है। यह न

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

चलती है न बढ़ती है, न कुछ सामने ही आ रहा है। आखिर यूनिट क्या कर रही है। क्या यूनिट अचल हो गई है, चल नहीं रही है। कहीं कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। यह यूनिट क्या कर रही है। उस समय अध्ययन करके 1250 करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट बनाया गया था। कोसी को कंट्रोल करने के लिए बराह क्षेत्र में एक हाई लैवल डैम बनाया जाए। शीशापानी में यह प्रस्ताव किया गया था कि कमला के बराह क्षेत्र में इसका जो अदवाड़ा समूह नूनथर में हैं, यह नेपाल में पड़ने वाला स्थान है, यह बराह क्षेत्र में है। नेपाल का जो जल अधिग्रहण क्षेत्र हैं, वाटर एनकैचमैन्ट एरिया है, यहां हाई लैवल मल्टी परपज डैम बनने से तीन हजार मेगावाट पनबिजली पैदा होगी। वहां पनबिजली बहुत जरूरी है। वहां इससे सस्ती दर पर पनबिजली मिल सकती है। उससे बिहार पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल आदि को बिजली दे सकता है। बराह क्षेत्र में केवल एक नदी पर हाई लैवल डैम बनाने से तीन हजार मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। लेकिन इस पनबिजली का प्लान स्वीकृत नहीं हो रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा - थोड़ कुछ आप कह दीजिए कि यूनिट बना दी है, इतना पैसा आपको दे रहे हैं। लेकिन इससे बिहार का कुछ होने वाला नहीं है। इससे बिहार का भाग्य और तस्वीर बदलने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, अब मैं किसानों के सवाल पर आता हूं। बिहार का बंटबारा हुआ, झारखंड अलग हो गया। उसके बाद बिहार में क्या बचा है। सभापति जी, जब आप एक मैम्बर की हैसियत से बोल रहे थे, तथा माननीय रघुनाथ झा बोल रहे थे, तब आप ठीक ही कह रहे थे कि अब बिहार में क्या बचा है - बालू और ऊसर जमीन तथा जो जमीन बची हुई है वहां जल जमाव की समस्या है। उस जमीन का कितना एरिया वाटर लागिंग से भरा हुआ है। इसके बाद धान और गेहूं की जो मुख्य फसलें हैं, कुछ मोटा अनाज भी हो जाता है। यह बिहार की हालत है। इस साल थोड़ी सी प्रगति हुई है, एक लाख तीस हजार मीट्रिक टन धान इस बार एफ.सी.आई. के माध्यम से खरीदा गया है। बिहार के जो विभिन्न 715 क्रय केन्द्र हैं, उनके जरिये यह खरीदा गया है। अभी मेरी चौबे जी से बात हो रही थी वह कह रहे थे कि 50 परसेन्ट बिचौलियों के माध्यम से खरीदा गया है। जिसमें डिस्ट्रैल सेल पर किसानों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डिस्ट्रैस सेल का मतलब है कि उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल पाया, जो एम.एस.पी. भारत सरकार ने 530 रुपये क्विंटल धान का दाम तय किया था। जो उत्तम किस्म का धान है उसका मूल्य 560 रुपये क्विंटल तय हुआ था। लेकिन किसान को वह मूल्य प्राप्त नहीं हो सका। किसान को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल सका। बिचौलियों के द्वारा किसानों का शोषण हुआ। एक बार मात्र 26 हजार मीट्रिक टन हुआ था और पिछले साल लगभग 8600 मीट्रिक टन धान का प्रोक्योरमैन्ट हुआ था।

धान और चावल का सब मिलाकर इस साल बहुत जोर लगाने पर इतना उत्पादन हुआ है। सभापति जी, आप भी और राधामोहन सिंह जी भी समिति के मैम्बर हैं। समिति ने कई स्थानों का दौरा किया और मैंने खुद कई सेन्टरों पर दौरा किया और कुछ क्रय केन्द्रों पर स्टडी की। सब मिलार कुछ जोर लगाने पर मात्र 1 लाख 30 हजार मीट्रिक धान और चावल दोनों मिलाकर खरीद होनी चाहिए ताकि वहां के गरीब किसान और गांवों के गरीब लोगों की जेब में पैसा जा सके। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सके। कम से कम 10 लाख मीट्रिक टन खरीद अकेले बिहार में होनी चाहिए। चावल और धान के इतने प्रोक्योरमेंट से 20 हजार करोड़ रुपये का फायदा बिहार को हो सकता है। दूसरे राज्यों का मैं विरोध नहीं करता हूं - पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और सब जगह वैसा प्रोक्योरमेंट हो, लेकिन बिहार में प्रोक्योरमेंट का रेशियो बढ़ाने से किसानों की माली हालत सुधर सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

सभापति जी, अभी रघुनाथ जी ने बहुत अच्छे रूप में, नट-शैल में इस बहस को पटरी पर लाने का काम किया है, इसलिए मैं उसे आगे नहीं ले जाना चाहता। जो बिहार पैकेज का सवाल है, उस पर दो बातें कहना चाहता हूं। आर्थिक पैकेज और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग है, आपने खुद बताया था कि क्या-क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सभी जो शर्तें हो सकती हैं बिहार को विशेष दर्जा मिलने और वह पहाड़ी इलाके से लेकर नेपाल बॉर्डर से लेकर, बंगाल की खाड़ी तक गरीबी के मापदंड को देखते हुए, बाढ़ के उपद्रव को देखते हुए, जिस तरह से बाढ़ की विनाश-लीला वहां होती हैं, प्राकृतिक आपदा का जिस तरह से हमला होता है, इन सारी चीजों को देखा जाए तो पूरा बिहार एक विशेष राज्य का दर्जा पाने का हकदार है। इसलिए मैं बिहार के हक में कह रहा हूं। यह पार्टी का सवाल नहीं है।

झा जी ने ठीक कहा था कि जहां से हम आते हैं उस मिट्टी की अपनी गौरवशाली पमरपरा है। आज़ादी के समय से आज तक की लड़ाई को देखा जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में सहिष्णुता है लेकिन जब बिहार पर हमला होता है, जब बिहार अपने स्वरूप में जाग जाएगा तो बड़ा तूफान उठ सकता है। इसलिए बिहार के तूफान शक्ति को देखते हुए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

विधानमंडल से प्रस्ताव पास हुआ और उसने विशेष आर्थिक पैकेज मांगा। यहां हमने 28 नवंबर 2000 को मैमोरंडम दिया लेकिन उसका क्या हुआ? आज सीरियसनैस देखी जाए - सदन में ही देख लीजिए कि क्या गंभीरता है। यह बहस सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। मुझे खेद है, तकलीफ है और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के हर मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए था। यह बिहार के भाग्य का सवाल है, किसी दल का सवाल नहीं

है। हम बिहार को रिप्रेजन्ट करते हैं और इस सर्वोच्च सदन में बिहार के हक के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं, दल की सीमाओं को तोड़कर बिहार के व्यापक हित में हमें अपनी बात दर्ज करानी है। हमें बिहार का हक लेना है। इसके लिए हमें कई तरह से लड़ाई करनी हैं। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि योजना आयोग में क्या होगा। मंत्री महोदया बैठी हुई हैं। वे कहेंगी कि ठीक है, आप लोग विचार कर लीजिए, सब लोग बैठ लीजिए, हम तैयार हैं। क्या चीज तैयार है। योजना आयोग में मूल बात कैसे तय होती है? प्राकृतिक आपदाओं में आपने जिक्र किया कि आबादी के आधार पर राहत दी जाती है। नुकसान के आधार पर जो राज्य का पैकेज है, वह आधार नहीं बनता है। उसमें नाइंसाफी बिहार के साथ होती है और गाडगिल फार्मूला जो आज तक ट्रेडीशनली चला आ रहा है, वह क्या कहता है। वह कहता है कि संबद्ध राज्य के आन्तरिक संसाधन के आधार पर, किसी राज्य के प्लान का आकार होगा।

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय, इस प्रकार से बिहार का विकास सात जन्मों तक नहीं होने वाले है। गाडगिल फार्मूले के चलते बिहार का कैसे उत्तरोत्तर उद्धार होने वाला है। यह गाडगिल फार्मूला तो बिहार के लिए ऐसे है जैसे आइरन गेट में फिल्टर लगा दिया जाए। बिहार की सारी तरक्की और विकास इस फार्मुले के कारण रुका हुआ है। बिहार का विकास तक नहीं होगा, जब तक कि राज्य की आवश्यकता के आधार पर, राज्य में गरीबी के आधार पर और राज्य में जनसंख्या के आधार पर। राज्य की जो जरूरत है, उसके ऊपर जब तक विचार नहीं किया जाएगा, राज्य के पिछड़ेपन पर, राज्य की आबादी पर, राज्य में बाढ़ की विभीषिका पर, राज्य की आवश्यकता पर जब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक राज्य के प्लान का आकार नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक गाडगिल फार्मूले से बिहार को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस प्रकार से उसके इंटरनल रिसोर्स बढ़ने वाले नहीं हैं। हम इंटरनल रिसोर्स कैसे बढ़ाएं, क्या बालू में इंटरनल रिर्सोस बढ़ाए। जब शराब बिकती थी, उससे राज्य को राजस्व मिलता था, उद्योगों से जो राजस्व मिलता था वह भी नहीं मिल रहा है, खनिजों की जो रायल्टी मिलती थी, वह भी नहीं मिल रही है। सब कुछ झारखंड में चला गया है। बिहार संसाधन बढ़ाए तो कैसे और कहां से बढ़ाए?

महोदय, बिहार की आबादी 8,28,79,000 है झारखंड की 2,69,02,000। बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी रु. 4,500 है और झारखंड की प्रति व्यक्ति आमदनी रु. 7,000 है। बिहार में 37 जिले हैं और झारखंड में 18 जिले हैं। लोक सभा की सीट बिहार से 40 हैं और 14 झारखंड से हैं। बिहार में 243 विधान सभा सीटें हैं और झारखंड में 81 सीटें हैं। सड़क बनाने के लिए काम आने वाला या अन्य कोई खनिज पदार्थ बिहार में नहीं है। सब झारखंड में चले गए हैं। झारखंड में कोयले के राष्ट्रीय उत्पादन के अनुसार 32.4 प्रतिशत कोयले का उत्पादन होता है। पूरे देश के लोहे का लगभग 23.3 प्रतिशत, पूरे देश के अभ्रक का 46.6 प्रतिशत उत्पादन झारखंड में होता है। लाल स्टोन, ग्रेफाइट, एसबैस्टस आदि जितने भी खनिज हैं, वे सब झारखंड में पैदा होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी लगभग कुल राजस्व का 1500 करोड़ रुपए का घाटा बिहार को है और झारखंड को घाटा नहीं है। जो धन मिला वह बिहार तो 1985 करोड़ मिला और झारखंड को 2215 करोड़ रुपए मिले। इसी प्रकार केन्द्र सरकार का जो बिहार पर कर्जा है वह 23000 करोड़ रुपए का है और झारखंड पर 8000 करोड़ रुपए का है। बिहार के कर्जें को माफ करने के बारे में सरकार क्या सोच रही हैं। यह ठीक है कि योजना आयोग में बिहार की इस समस्या के ऊपर एक सैल बना दिया गया है, लेकिन मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि बिहार पर जो 23 हजार करोड़ रुपए का केन्द्र सरकार का कर्ज है उसे माफ करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है?

महोदय, मेरा निवेदन है कि विशेष परिस्थितियों में गाडगिल फार्मूले की शर्तों को भी बिहार में शिथिल करके बिहार को सहायता करनी चाहिए। यदि आप बिहार के पिछड़ेपन को, गरीबी को, बदहाली को बदलना चाहते हैं, तो आपको राज्य की आवश्यकता के आधार पर, राज्य में गरीबी के आधार पर और राज्य में जनसंख्या के आधार पर, इस आधार पर गाडगिल फार्मूले को लागू करना होगा, तभी हमारे प्लैन का पैसा बिहार को मिल पाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरजोर मांग करता हूं कि शेष बिहार को आर्थिक पैकेज की जो जरूरत है, उतना धन बिहार को देने का काम हो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए। चूंकि यहां कांति जी बैठी हैं, इसलिए मैं उनसे कहना जाहता हूं। वैसे तो सभापति महोदय, मैं आपसे कहता, लेकिन आप तो आसन पर विराजमान हैं। इसलिए मैं कांति सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वे राज्य सरकार को सलाह दें कि वह केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को पूरी तरह से लागू करें। इस बारे में रघुनाथ झा जी ने भी कहा था, वे अपनी बात बहुत कुशलता से कह चुके हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सदन में चाहे कितने हाथ-पैर मारिए, लेकिन सदन में हाथ-पैर पटकने से काम नहीं चलेगा, जरा प्रदेश सरकार के खर्च और यूटिलाइजेशन को देखिए कि आपकी कितनी क्षमता है। आज स्थिति यह है कि बिहार सरकार 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पा रही है। इसलिए

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि बिहार सरकार अपनी क्षमता बढ़ाए। आर्थिक पैकेज का अनुपालन तभी होगा जब बिहार सरकार अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। तभी आम जनता की बदहाली दूर करने के लिए काम हो सकेगा।

इसलिए यूटीलाइजेशन पर जोर दीजिए और खर्च की सीमा को आप बढ़ाइये। इसके लिए जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो भी आधारभूत संरचना तैयार करनी है, उसे करिये तभी आप उसका लाभ ले पायेंगी। यह मैं राज्य सरकार से प्रतिनिधि से यहां कहना चाहता हूं क्योंकि सामयिक रूप से हमने इस विषय पर यहां चर्चा की है। सिंचाई से संदर्भ में मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत से मैम्बर्स उस पर बोलेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति जी, आपने जो सवाल उठाया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं क्योंकि बिहार का सवाल दलों का सवाल नहीं है। यह सवाल बिहार की आठ करोड़ आबादी से संबंधित है। जब बिहार का बंटवारा हुआ तब हमारी पार्टी और हमने उसका विरोध किया था। उस समय हमने कहा था कि यह जो बंटवारा हो रहा है, री-आर्गनाइजेशन हो रहा है, पुनगर्ठन हो रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है?

हमारा पुरुलिया जिला पहले बिहार में था। हमने अपनी इंटरमीडिएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बिहार में ही की है। हमने इंटरमीडिएट छपरा से की, ग्रेजुशन झरिया से और पोस्ट ग्रेजुएशन रांची से की। उस समय जब बंटवारा हुआ, री-आर्गनाइजेशन कमीशन बना था, उस सपय हमारी मांग थी कि वहां पर हमारे जिले में जो आबादी थी, वह बंगला भाषा बोलती थी। उस समय भाषा का आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के कारण मानभून जिला जो बिहार का सबसे धनी जिला था, उसका बंटवारा हो गया। उसका एक हिस्सा बंगाल में चला गया। हम लोग सन् 1956 में बंगाल में चले गये। उस समय उसका बेसिस भाषा थी। इस वक्त जो री-आर्गनाइजेशन हुआ, उसका क्या बेसिस था यह सवाल हमने गृह मंत्री जी से पूछा था कि क्या कारण है जो आप इसका बंटवारा कर रहे हैं, री-आर्गनाइजेशन कर रहे है, झारखंड को अलग कर रहे हैं लेकिन वे उसका कोई जवाब नहीं दे सके। हमने उस समय पूछा था कि क्या इसका कारण भाषा है लेकिन कुछ कारण नहीं था। केवल राजनीति ही उसका कारण था इसी कारण आज यह हालत हो गयी। उस समय हमें आश्वासन दिया गया। यह एक दल की मांग न होकर सभी दलों की मांग थी, सदन की मांग थी कि ठीक है, आप बंटवारा करें लेकिन बिहार की उपेक्षा न करें। इसके कारण जितने उद्योग बिहार में थे, वे सब झारखंड में चले गये। कोयला खदान सब झारखंड इलाके में चली गयी। बिहार सरकार को पहले जो रायल्टी डेढ़ हजार रुपये की मिलती थी, वह झारखंड में चली गयी। स्टील इंडस्ट्री भी झारखंड में चली गयी। माइका माइन्स झारखंड में चली गयी। आज वह भी बंद होने वाली है। सब कुछ झारंखड में चला गया। बिहार में क्या बचा?

हमने आज ही कालिंग अटैंशन में बरौनी खाद कारखाने के बारे में सवाल उठाया था। यह केवल बंगाल का सवाल नहीं है, बिहार का सवाल नहीं है, पूरे पूर्वी भारत का सवाल है। गोरखपुर कारखाना बंद है और बरौनी कारखाने में उत्पादन नहीं हो रहा है। इसे तीन-चार साल हो गये हैं। सिंदरी जो हमारे देश का प्रथम राष्ट्रीयकृत उद्योग है, वह भी बंद होने के कगार में आ गया है। मंत्री जी जब बरौनी कराखाने के बारे में जवाब दे रहे थे तब हमने कहा था कि आप साफ-साफ बोलो, सदन को बताओ कि आप क्या सिद्धांत लेने जा रहे हो।

क्या बरौनी और दुर्गापुर को बचाने के लिए कोई प्रस्ताव बी.आई.एफ.आर. के पास रखेंगे। जवाब नहीं मिला, कहा कि हम सिद्धान्त लेंगे। सिद्धांत तो बंद करने का भी हो सकता है। आज बरौनी बंद है। बिहार के किसानों को खाद कहां से मिलेगी। हमने पूछा कि अगर बिहार के किसानों को हजीरा से खाद मंगवानी पड़ेगी तो क्या भाव होगा। यह कहा गया कि भाव एक ही होगा। लेकिन उसे लाने में खर्च होगा, उसका क्या होगा। आज बंगाल के किसानों का भी सवाल है और बिहार के किसानों का भी सवाल है। उसे बचाने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। भारत वैगन मुजफ्फरपुर और मोकामा में, वह भी बंद होने के कगार पर खड़ा हुआ है। उनको कपैसिटी नहीं मिल रही है। यहां सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है। आपने बिहार के उन्नयन के लिए जो सवाल उठाया, आपने जितने आंकड़े दिए हैं, फ्रेट इक्विलाइजेशन का सवाल बंगाल का भी था। एक समय था जब बिहार और बंगाल पहले, दूसरे नम्बर पर थी, वह कैसे धीरे-धीरे नीचे आ गया। बिहार से कोयला महाराष्ट्र, तमिलनाडु जाएगा, एक ही फ्रेट होगा। बिहार से इस्पात दूसरे प्रान्त में जाएगा, एक रेट होगा लेकिन बिहार के उद्योगों के लिए जब दूसरे प्रान्त से रॉ मैटीरियल आएगा तो उसके लिए ज्यादा फ्रेट देना पड़ेगा। यह है फ्रेट इक्विलाइजेशन। इसे हटाने के लिए हमने बहुत कोशिश की थी, तब बाद में इसे थोड़ा सा फेज़-आउट किया गया। क्या इसके लिए बिहार जिम्मेदार है? बिहार पावर्टी, लिट्रेसी, इम्प्लाटमैंट, उद्योग आदि हर मामले में पीछे हट रहा है, इसका मूल कारण क्षेत्रीय असमानता है। हमारा जो फैडरल स्ट्रक्चर है, हर राज्य को मदद देकर उसे ऊपर उठाया जा सके, उसमें कमियां हैं। हमने एक

सवाल पूछा था, यह बिहार का सवाल नहीं था, उत्तर पूर्व प्रान्त का सवाल था कि नार्थ-ईस्टर्न रीजन में सी.डी. रेशियो दस साल पहले 22 फीसदी था। जवाब मिला कि वहां इन्फ्रास्ट्रक्टर नहीं है, रेलवे नहीं है। अगर इन्फ्रास्ट्रक्टर नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो इन्वैस्टमैंट कौन करेगा। इसके लिए कौन सोचेगा? केन्द्र सरकार को सोचना पड़ेगा, कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एक साल हमने 50 करोड़ रुपये, 60 करोड़ रुपये दे दिए, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिहार के सिर पर 23,000 करोड़ रुपये का कर्जा है। क्या इसे राइट ऑफ नहीं किया जा सकता? इसमें क्या दिक्कत है? बंटवारा हो गया। जितनी प्राकृतिक सम्पदा, खनिज सम्पदा थी, सब उधर चली गई और वहां सिर्फ बालू और बाढ़ रह गई, बाढ़ भी अंतर्राष्ट्रीय। नेपाल से जो पानी आता है, उसे रोकने की क्या व्यवस्था है। क्या यह राज्य सरकार के लिए संभव है? रघुनाथ झा जी ने ठीक कहा कि यह राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। उनके जितने रिसोर्सैज हैं, अगर उन सबको मोबीलाइज़ किया जाए, तब भी संभव नहीं है। यह केन्द्र की जिम्मेदारी है। हम इसका विरोध नहीं करते, ठीक है, आंध्र प्रदेश को दस लाख टन चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, ऐसे ही मुफ्त ले जाएं क्योंकि सरकार उनके समर्थन पर निर्भर कर रही है, लेकिन बिहार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिहार का स्पैशल इकोनोमिक पैकेज, हम ऐसा नहीं कहते कि सरकार एक लाख 89 हजार करोड़ रुपये दे दे।

हम कहते हैं कि इण्डस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एम्पलायमेंट के लिए, सिंचाई के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम ले। बाढ़ से हर साल जो बिहार की क्षति होती है, उसको कैसे रोका जाये, उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। यह क्या केवल राज्य सरकार का ही दायित्व है, क्या केन्द्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है? हम चाहेंगे कि बिहार की समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ ठोस कदम ले। स्पेशल इकोनोमिक पैकेज देने में और विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या मुश्किल है। अगर उत्तरांचल को दिया जा सकता है, अगर उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष राज्य दर्जा दिया जा सकता है, उनकी समस्या है, हम जानते हैं, इसलिए उन राज्यों के लिए परियोजना का 10 फीसदी खर्चा उत्तर पूर्वी राज्यों में होगा तो क्या यह बिहार के लिए नहीं हो सकता है। कहा गया कि पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए दसवें वित्त आयोग का पैसा नहीं मिलेगा। वहीं चुनाव तो हो गये, पंचायत का चुनाव होने में कुछ अड़चन हुई थी, लेकिन बाद में चुनाव हो गये। जब चुनाव हुए तो बिहार के लिए जो दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, वह पैसा कहां गया। वित्त मंत्री का कहना है कि वह लैप्स हो गया। उन्होंने एक साल का दिया है, चार साल का नहीं दिया। 11वें वित्त आयोग का एक साल का पैसा नहीं दिया तो क्या यह बिहार के प्रति अन्याय नहीं है। इसको हम मानते हैं कि यह बिहार के साथ घोर अन्याय है। हमारी मांग है कि जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला था, कोर कमेटी का गठन हुआ था, उसके बाद एक साल 3-4 महीने हो गये, उसमें क्या काम हुआ, आज मंत्री महोदय बता दें कि उस कोर कमेटी ने क्या सिफारिश की थी और उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की। सरकार क्या रही है, इसमें सोच-विचार के लिए क्या है। बिहार के बारे में ऐसा नहीं कि यह पैसा दिया, पिछली बार जब यह सवाल उठाया था और जो जवाब दिया था। हम लोग वह जवाब नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि कुछ ठोस कदम आप लें।

हमारा यह भी प्रस्ताव है कि सदन में एक प्रस्ताव पारित हो कि बिहार के बंटवारे के बाद हर तरह से जो क्षति हुई है, इसको ठीक करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। बिहार के उन्नयन के लिए स्पेशल इकोनोमिक पैकेज की हाउस में घोषणा की जाये। हम चाहते हैं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस सदन में पारित हो जाये।

हम विशेष कर आपको धन्यावाद देकर कि इस सवाल को आपने सदन में आज उठाया है, यह सवाल खाली किसी एक दल का सवाल नहीं है, यह किसी के खिलाफ कोई समालोचना के लिए भी नहीं है, लेकिन बिहार की यह समस्या जायज है और यह आठ करोड़ आबादी का सवाल है। हमारी मांग है, हम चाहेंगे कि सदन इस पर विचार करे और एक सर्वसम्मत प्रस्ताव इस सदन में पास हो जाये। यही कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) सभापति महोदय, हम लोग नोटिस देते हैं, उसके बाद हमारा नाम एक, दो, तीन या चार नम्बर पर आता है, फिर बोलने में उस नोटिस देने का कोई महत्व है या नहीं। हमारा नाम चौथे नम्बर पर आया था, लेकिन बोलने में हमारा नम्बर नहीं आया है।

सभापति महोदय : आपका नाम है।

श्री नवल किशोर राय : तो फिर आसन का निर्णय क्या है? हम लोगों को अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय : सबको अवसर मिलेगा।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : सभापति जी, बिहार के बारे में सारी बातें कम से कम आ गई हैं इसलिए लोग ऊबे हुई हैं। बिहार के बारे में जानकारी है, हमें जानकारी है और आचार्य जी जो जा रहे हैं, उनको भी जानकारी हैं। इसके अलावा जितने लोग

[श्री लालमुनी चौबे]

सदन में बैठे हुए हैं, सबको इस बात की जानकारी है कि बिहार कभी राजा रहा है। राजा भी दधीचि की तरह रहा है, जो मांगों ले जाओ। राजा ही नहीं रहा, तब यह सूफी संत हो गया, भिखारी की तरह हो गया। इस बात को आप जानते हैं, कुछ और लोग भी जानते हैं। बिहार के लोग शुरू से ही स्वतंत्रता के बाद से ही सर्वोच्च श्रेणी में थे। देश के पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू हुए। एक-एक जिले से तीन-तीन कैबिनेट मंत्री होते थे। बाबू जगजीवन राम, राम सेवक सिंह जी और बलिराम भगत जी। लेकिन इन लोगों ने भी संतों की तरह सारे देश पर ध्यान दिया, बिहार को पीछे रखा। पहले तुम खाओ, बाद में जो बचेगा, वह हम देखेंगे, इस बात पर चलते रहे। देश में सारी चीजों का विकास हुआ, लेकिन बिहार में उस विकास की छाया तक नहीं पड़ी। हम लोग अब तक संत और सूफी बने हुए हैं। देश ठीक रहे, लगता है राष्ट्रीयता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिहार पर है। बाकी लोग जितना पैकेज मांग ले, जिनता धन मांग लें, उनको दिया जाता है, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं होता है। आज हम भारी संकट में हैं। आप भी इसकी पीड़ा महसूस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि घर की पीड़ा सबकी एक समान है। चौका-चूल्हा जैसा आपका है, वैसा ही मेरा है, वैसा ही वहां के आदिवासियों और कतवारू लोगों का भी है। अगर आपने आज इस बहस को लाइन पर ला दिया, सच्चाई पर ला दिया है, व्यापक बना दिया है, तो रघुवंश बाबू को मैं धन्यवाद देता हूं।

अब सवाल यह उठता है कि बिहार में बचा क्या है, बहुत लम्बी लड़ाई के बाद अब क्या दान हमसे चाहते हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास खनिज है, लोहा है, अभ्रक है, ताम्बा है, बेरियन है, थेरियम है, यूरेनियम है, लेकिन बिहार की यह सम्पदा किसके लिए है, देश के लिए है, भारत माता के लिए और इन सपूतों के लिए हैं लेकिन हम अपने घर में ही इससे अछूते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। किसके आगे हम रोएं, यह समझ में नहीं आता। एक आदमी ने कहा कि बिहार इतना स्वाभिमानी भी है कि जब चाहेगा तो पूरी धरती डोलेगी। यह कहानी नहीं है, सच्चाई है जो 1974 में शुरू हुई थी। क्या हम उस राह को पकड़ें? क्या हम न बोलें तो हमारी स्थिति को आप नहीं समझेंगे। क्या हम चुपचाप आपकी बातों को स्वीकार करते जाएं? इसका यह अर्थ कभी नहीं होगा, एक किवंदती है, जो लगता है अब प्रासंगिक नहीं है कि "मौनम् स्वीकृतम", यह अब 16 आने सही नहीं है। मौन स्वीकृति नहीं होती है कि मैंने स्वीकार किया। न हम आज चुप हैं, न बिहार का कोई दल चुप है। सारे एक तरह से भिखारी बनकर एक लाइन में खड़े हैं और कटोरा उठाकर जयप्रकाश जी की तरह 1967 में जिस तरह भीख मांगी थी, आज हम कटोरा उठाकर इस सदन में भीख मांगते हैं। हम भिखारी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* मैं यह कह रहा हूं कि 54 साल में हमारी जो स्थिति बनी है, यह केन्द्र देखता रहा कि उत्तर बिहार बाढ़ में डूब रहा है, दक्षिण, दक्षिण बिहार अकाल में गया और हम लड़ते रहे, मांगते रहे लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। 1974 में जयप्रकाश जी ने सुनी। कर्पूरी ठाकुर जी ने सुनी और सारा देश उठ खड़ा हुआ। जयप्रकाश जी के आह्वान पर जब लोग आंदोलन के लालच से दौड़े और भारी क्रांति हुई तो कुछ लोग यह सोचकर कि हमारी पार्टी कैसे बढ़ेगी, कहां जाएं, इस लालच में सारे लोग इकट्ठे होकर चरखा समिति का चक्कर काटने लगे। वे अपना दल बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, बिहार के लिए आगे नहीं बढ़े। बिहार में जो कुछ हो रहा था, उससे बिहार को बचाने के लिए वे आगे नहीं दौड़े बल्कि अपना दल बढ़ाने के लिए आगे आये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिहार में सड़क, स्कूल, पुल, अस्पताल बने या सिंचाई योजनाएं बनीं? विकास तो इसी को कहते हैं। फर्टिलाइजर में देश के तीस करोड़ लोगों को जहां अन्न नहीं मिलता था, क्या फर्टिलाइजर आया? आज 104 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं, सरप्लस अन्न देश में पड़ा हुआ है। अगर बिजली 22 घंटे आ जाती तो हमारी बेकारी मिट जाती। रघुनाथ जी, इतना ही नहीं किया है, हम लोग नेपाल गये। उस समय वहां के प्रधान मंत्री श्री जी.पी. कोइराला जी थे। हमने उनसे कहा कि बिजली दीजिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी केन्द्रीय सरकार से कहलवाइए। हमारे पास बहुत बिजली है। बिजली सस्ती है। हाइडेल बिजली सबसे सस्ती है। साढ़े सात रुपया प्रति यूनिट नैफ्था से बिजली बनती है, गैस से बनती है, कोयला से बनती है लेकिन पानी से जो बिजली बनती है, वह सबसे सस्ती है। आप अपनी केन्द्र की सरकार से कहलवाएं, हम बिजली देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके कहने से क्या होगा?.क्या मैं बिजली पैदा करके नेपाल को आग लगाऊंगा? यह जी.पी. कोइराला जी का जवाब था।

बिहार में बिजली की घोषणा हो गई थी और बिहार में 68000 गांव हैं। 48000 गांव इलैक्ट्रीफाइड हैं। जब छानबीन की गई तो पता चला कि 48000 गांव में विद्युतीकरण हो चुका है जिसमें 20000 डी-इलैक्ट्रीफाइड हो चुके हैं और 14000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है लेकिन रिकार्ड में बिजली लग चुकी है। 14000 गांव बचे तो उसमें 5000 गावों में बिजली नहीं है और एनटीपीसी का उस पर 5500 करोड़ रुपया बाकी है। बिजली की यह हमारी हालत है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? पैकेज जो सरकार दे रही है, सरकार ने सुधार का काम किया है। सुरेश प्रभु जी ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, उनके कदमों को सबने सराहा है और मैं भी सराहता हूं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ मिल जाये। हिसाब-किताब हो कि

इतना पैकेज मिले कि हम विकास की राह पकड़ लें। अगर हमें यह दिया गया कि इतना हम आपके लिए देते हैं, ठीक है तो यह ठीक नहीं होगा। इतना दें कि हम विकास की राह पर खड़े हो जाएं और आगे कदम बढ़ाएं। मैं यह भी कहूंगा कि यह 2300 करोड़ रुपया कभी माफ नहीं होना चाहिए। भविष्य के लिए कह रहा हूं। इसमें बिहार का विरोध नहीं है। मेरी बात दूर तक अहित में नहीं है। सरकार इतना ध्यान दे कि उससे हम पैदा करें और इसका कर्ज लौटा दें नहीं तो अन्य प्रदेश भी कहेंगे कि मेरा माफ करो, मेरा माफ करो और बिहार उदाहरण बन जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : मैं अपने मित्र चौबे जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब इस देश में सबसे बड़ा विकसित राज्य है। पंजाब राज्य का भी कर्जा माफ हो गया। इसलिए बिहार उदाहरण बनने नहीं जा रहा है, पंजाब तो पहले से ही उदाहरण है। गुजरात साहब वहां का कर्जा माफ करके आए थे।

श्री लाल मुनी चौबे : इस देश में एक तरह की सरकारें नहीं बनीं हैं। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह कौन सी नीतियों को अपनाती है। हर सरकार की भिन्न-भिन्न नीतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि अगर बिहार के लोगों को एतराज है, तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं, लेकिन मन से वापिस नहीं लूंगा। कारण यह कि आदत नहीं पड़नी चाहिए। लोग कर्ज लेकर लौटाते नहीं हैं। को-आपरेटिव में लोग ट्रैक्टर लेते हैं और इंतजार करते हैं कि कर्जा माफ हो जाए। मैं इस विषय में उलझना नहीं चाहता हूं। जो सही बात है, वही कहना चाहता हूं। लोगों ने कहा है कि गरीब बिहार छोड़ कर भाग रहे हैं। खाने, पीने या छप्पर न होने की वजह से और लू-जाड़े में मरने वाले की संख्या बिहार में कम नहीं है। भारी संख्या में लोग मर रहे है और 54 सालों से मर रहे हैं। इसके लिए कोई सरकार दोषी नहीं है, अगर कोई दोषी हैं, को यह व्यवस्था दोषी है। यह व्यवस्था की देन है। तुलसीदास जी ने लिखा है - ''बारि मथे बरु होय घृत, सिकता से बरु तेल। यह संभव है, पानी को मथने से घी निकल सकता है और बालू को मथने से तेल भी निकल सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है कि हमारे होश में बिहार की गरीबी दूर हो जाए। बिहार विकास की राह पर चले, यह दिखाई नहीं देता है। भुभूक्षित: किन्नकरोति पापम् - भूखा क्या पाप नहीं कर सकता है। विकास की राह पर अगर बिहार निकल पड़ा है तो विकास रुकेगा नहीं और व्यवस्था छिन्न-भिन्न होगी तथा आचार्य जी की राह पकड़ लेगी। सब कुछ बिहार से चला गया है, बिहार में कुछ नहीं है। जिस रायल्टी के लिए 1987-88 और 1990 में लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अब दूसरे राज्य का हिस्सा हो गई। अब रायल्टी झारखण्ड में जाएगी। बिहार की क्या दुर्दशा हो रही है। बिहार की दुर्दशा के बार में आप सब जानते हैं। सभापति जी, इस वक्त आप आसन पर हैं। बिहार को आप किसी की मर्जी पर कैसे छोड़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन गवाह के लिए सदस्य नहीं हैं, ये दीवारें हैं, आपकी कुर्सी है-धर्मचक्र प्रवर्तनाय:-यहां सदस्य कौन हैं। नियम के अनुसार प्रस्ताव पारित हो जाएगा, लेकिन सदन में कितने सदस्य हैं। इतना बड़ा दर्द और 542 सदस्यों में से 42 सदस्य भी इस समय नें नहीं हैं। बिहार की पीड़ा, बिहार पर बहस—यहां उपस्थित लोगों की संख्या बताती हैं कि बिहार की समस्या से कितने लोग पीड़ित हैं। कारण कि मैं भी भूल गया हूं, ये भी भूल गए हैं और तमाम लोग भूल गए हैं, लेकिन पीड़ा याद आती है। जब हम बाहर निकलते हैं, तो समय की गरमी और फिर छाया चाहिए। सिद्धान्तों में विरोध हो सकता है, लेकिन बरगद की छाया में कुछ लोग चले जाते हैं और उसके पहले जब गर्मी लगती है, तब वैसी स्थिति नहीं होती है।

हम लोग उसी पीड़ा में हैं। एयर कंडीशन खराब हो गया है, मैटाडोर पर जाते हैं उसमें गर्मी होती है। जो कोमल लोग दुर्भाग्य से चले जाते हैं, उनकी हालत बिगड़ जाती है। वे कहते है कि राम-राम छोड़ो। वे लोग गर्मी सहन नहीं कर पाते। हम लोग यहां गाड़ी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिहार की पीड़ा की मांग कर रहे हैं। हम लोग इस आग में झुलस रहे हैं, इसलिए सिंद्धात, विचार, फिलोस्फी आदि सब छोड़ कर हम यहां अड़े हुए हैं कि बिहार को पैकेज दिया जाए। सदन में सर्वसम्मति हो गई है। हम सर्वसम्मति से कहेंगे, चूंकि आज सर्वसम्मति होने वाली है, इसलिए इसे दर्ज किया जाए।

महोदय, नियम 193 के अंतर्गत बहस में सर्वसम्मति से बिहार को पर्याप्त पैकेज देने के लिए विशेष दर्जा देने के लिए बहस की गई और इस सदन ने सर्वसम्मति से उसे पारित किया - आज यह हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वर्तमान सरकार को जो भी ज्ञापन बिहार के सांसदों की तरफ से दिया गया। हम लोग दो-तीन बार बिहार के बारे में मिले। सरकार का आश्वासन पोजिटिव एवं धनात्मक था। जिनकी बात पर विश्वास किया जाएगा, जिनकी बात पर आज युद्ध छिड़ सकता है, ऐसे लोगों ने कहा। हम इस आशा में हैं कि पैकेज के बाद बिहार विकास की राह पकड़ लेगा। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी चाहें तो आज ही इसकी घोषणा कर सकती हैं, अगर आज कर दें तो हमें प्रसन्नता होगी। यह भी जवाब आ सकता है कि परामर्श करके इस घोषणा करूंगी। अगर आज ही घोषणा कर दें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। सरकार की तरफ से घोषणा हो, समयबद्ध कार्यक्रम की तरह नहीं, कि इतने दिनों में हो जाएगा, इस पर समय और बढ़ाओ। लोगों ने भाषण दे दिए, मैं सबकी राय जानना चाहती हूं। इसके लिए एक घंटा और बढ़ाओ, हर बार बढ़ा दीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस पर परामर्श लेना होगा कि कितनी राशि होगी, इस पर मंत्री जी तैयार होकर आए होंगे तो अच्छा होगा और अगर नहीं

[श्री लालमुनी चौबे]

आए हैं तो यही कहेंगे कि ठीक है परामर्श करके घोषणा की जाएगी। मैं चाहता हूं कि इसकी घोषणा हो, कल हो पाएगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन जल्दी हो और अगर न हो सके तो बाद में ब्रौडकास्टिंग से हो। बिहार में कितना पैकेज दिया गया और सात दिन के अंदर करें तो इनकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हम भूखे हैं, चिल्ला रहे हैं। अपनी बात को कह रहे हैं। भूखों की आवाज कितनी सुनी जा रही है, बिहार की जनता बाग-बाग हो जाएगी और मान लेगी कि हमें 54 साल में राहत मिली है तो आज मिली है। आज जो सरकार है, जो मेरी आवाज से पीड़ित एवं द्रवित हुई है। आज हम निर्धन नहीं, दरिद्र होकर बोल रहे हैं, निर्धन नहीं रह गए हैं, दरिद्र हैं और हमारी दरिद्रता का यह अभिशाप यह सरकार छुड़ा दे।

यहां दो मंत्री बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि ये घोषणा करें और अभी न कर सकें तो सात दिन में अपना प्रभाव इस सरकार पर छोड़ें कि आप सात दिन में घोषणा करें, अगर आठ दिन में भी हो जाए तो कोई एतराज नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, आज बिहार को आर्थिक पैकेज के सवाल पर आपने जो चर्चा उठाई है उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाया है, जिस पर हम लोगों को भी विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है।

सभापति जी, बिहार की चर्चा विभिन्न रूपों में इस सदन में होती रहती है और जब भी कोई चर्चा होती है तो हम लोग आपस में उलझते रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसा अवसर है जब हम बिहार पर चर्चा खुले दिल से और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कर रहे हैं और हमें कल का बिहार और आज का बिहार साफ नजर आ रहा है। कल के बिहार में हम खुशहाल थे और आज के बिहार में हम पीड़ा से पीड़ित हैं। पीड़ा के कारण क्या हैं यह ढूंढने में हमें समय लगेगा। *...(व्यवधान)* बिहार एक ऐसा राज्य जहां जाने के लिए ऋषि-मुनि, दैवी-देवता भी तरसते रहे हैं। मैं वहां के धार्मिक स्थानों का वर्णन करना नहीं चाहता हूं लेकिन ऋषि-मुनियों की वहां एक कतार हैं। लेकिन शुरू से ही बिहार को दबाया गया है और उसका कारण हमारी काल-प्रमुखता रही। हम शुरू से ही स्वाभिमानी रहे हैं और हमारे तेवरों में शुरू से ही यह मानसिकता रही कि हम गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और हमने शुरू से ही गुलामी के खिलाफ बगावत की और बगावत का झंडा उठाया। बिहार ही नहीं देश का बच्चा-बच्चा उस बात को भूल नहीं सकता जब आरा के जगदीशपुर गांव से बाबू कुवंरसिंह जी की तलवार ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाये थे। इसी तरह से जब गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई हुई तो गांधी जी को बिहार के चम्पारण की पवित्र भूमि अपने आंदोलन की शुरुआत करने के लिए दिखाई दी। बिहार के लोगों को उन्होंने परखा और उन्होंने महसूस किया कि इस लड़ाई का प्रारम्भ अगर हम बिहार से करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। गांधी जी के नेतृत्व में जब जयप्रकाश नारायण जी और राजेन्द्र बाबू जैसे लोग शरीक हुए, उसी समय से अंग्रेजों की आंख में बिहार खटकता रहा और एक साजिश के तहत अंग्रेजों द्वारा बिहार को काटकर आर्थिक रूप से छोटा किया गया। आजादी के बाद जो सरकार स्वतंत्र देश में बनी, सच पूछिये तो वह भी अंग्रेजों की राह पर ही चलती रही। जिस ढंग से अंग्रेजों ने बिहार को आर्थिक रूप से काट-छांट कर छोटा किया, उसी ढंग से कांग्रेस की हुकूमत भी बिहार के साथ अन्याय करती रही। आज हम बिहार की पीड़ा से परेशान हैं और जिस दिन बिहार का बंटवारा हो रहा था उस दिन हम चिल्ला-चिल्ला कर उसका विरोध कर रहे थे। माननीय देवेन्द्र प्रसाद यादव जी हमारी बात के साक्षी हैं और स्वयं वह भी मजबूती के साथ बंटवारे का विरोध कर रहे थे। लेकिन बिहार विधान सभा से एक राजनैतिक साजिश के तहत प्रस्ताव पारित किया गया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। दिल्ली में पहले से ही बंटवारा तय था। उसमें कोई कहे कि हम बिहार के हित में काम कर रहे थे, तो चाहे कांग्रेस के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, बिहार की जनता यह मानने के लिए तैयार नहीं है।

सभी ने मिल कर बिहार का अहित किया। राज्य के बंटवारे के लिए वैसी परिस्थिति नहीं थी कि बिहार का बंटवारा किया जाता। हमारा हृदय शरीर से बाहर निकल गया।

लाल मुनी जी यहां बैठे हैं। वह कह रहे थे कि कर्जा माफी के सवाल से वह सहमत नहीं हैं। एक लाख दस हजार करोड़ रुपया बड़े-बड़े उद्योगपतियों के यहां कर्जा पड़ा है जिसे सरकार वसूल नहीं कर रही है और आपने को असहाय महसूस करती है। बिहार के मात्र 30 हजार करोड़ रुपए का सवाल है। यहां बिहार के भाग्य का सवाल है और बिहार की नई पीढ़ी के उत्थान का सवाल है।

श्री लाल मुनी चौबे : मैने पैसे छांड़ देने का विरोध किया था। मैंने कहा खा कि जो पैसा छोड़ा गया है उसे उद्योगपतियों से वसूल किया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आज हम में क्षमता है। बिहार के मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कपड़े की मिलों में कपड़ा बनाने का काम करते हैं। बंगाल के सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। यदि बंगाल की जनसंख्या को आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उसमें हमारी अच्छी हिस्सेदारी है। गुजरात में जहां मजदूरों की

जरूरत है, वहां बिहार के मजदूर अपनी मेहनत से कपड़ा तैयार करते हैं। हम अपने परिश्रम से देश और दुनिया को कपड़ा पहनाते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारी स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है। हम शरीर ढकने के लिए वस्त्र की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। बिहार के मजदूर परिश्रम से बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते हैं लेकिन बिहार में देखें तो वहां के लोगों को रहने के लिए झोपड़ी नसीब नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है जिससे वे बाहर जाकर मजदूरी करने पर मजदूर हो रहे हैं।

आज हम बिहार सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं बिहार सरकार पर छींटाकशी नहीं करना चाहता, लेकिन जहां अपनी कमजोरी है वह महसूस करनी चाहिए। यदि उसे महसूस नहीं करेंगे तो मिल-जुल कर सही रास्ते पर ले जाने में सक्षम नहीं होंगे।

राधा मोहन सिंह जी और अन्य सदस्यों ने यहां चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हम केन्द्र से मिलने वाले पैसे को खर्च नहीं कर पाए। आखिर इसका क्या कारण है? मैंने बहुत से अखबारों में पढ़ा है कि पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता है। हमें कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे जो पैसा यहां से मिलता है वह खर्च किया जा सके। अभी 150 करोड़ रुपया प्रधान मंत्री सड़क योजना का बिहार में लगभग 10-11 महीने से पड़ा हैं। देश के दूसरे प्रान्तों को दो-दो किश्तें चली गई हैं और कही-कहीं तीसरी किश्त चली गई है। तीसरी सूची पूरे देश की आ चुकी है लेकिन बिहार को एक किश्त अभी गई है। अफसोस इस बात का है कि वह रुपया अभी तक खर्च नहीं हो सका है। कहीं-कहीं इसकी शुरुआत हुई है। टेंडर फाइनल किए गए। 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है और वे टैंडर रद्द भी हो गए होंगे। अभी तक बिहार में टैंडर फाइनल नहीं हुई हैं इसलिए पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

एक बार पटना उच्च न्यायलय में एक जन-हित याचिका दायर हुई थी।

जिस समय नीतिश कुमार जी सरफेस ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री थे, उस समय बिहार से लिये पैसा गया था लेकिन बिहार राज्य ने वह पैसा खर्च नहीं किया। उच्च न्यायालय, पटना ने एक पी.आई.एल. पर आदेश दिया कि अगर सरकार पैसा नहीं खर्च कर सकती तो केन्द्रीय सरकार किसी दूसरी एजेंसी से काम कराये। पता नहीं, उस आदेश पर अमल हुआ या नहीं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यदि बिहार सरकार पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं, इसलिये बिहार का विकास अवरुद्ध कर दिया जाये या इसका आंवटन रोक दिया जाये, यह मुनासिब नहीं होगा। बिहार सरकार जितना खर्च करने में सक्षम हो, वह करे। लेकिन बिहार का विकास हो, वहां अस्पताल बने, सड़क का निर्माण हो, ये सारे काम होने चाहिये। हां, यह जरूर है कि कहीं-कहीं कठिनाई हो रही है तभी हम लोग आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक हमारी जानकारी है, वह सही है या नहीं, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने गोपालगंज में एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया है और यह काफी समय से पैंडिंग है।

श्री रघुनाथ झा : डेढ़ साल से गोपालगंज और नालंदा दो जगहों के लिये स्वीकृति हुई है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, केन्द्र सरकार बिहार सरकार को पैसा दे रही है और हम लोग लेने के लिये तैयार नहीं हैं। राज्य सरकार जमीन देने में असमर्थ है। क्या हम इसे पैकेज नहीं मानते? इसी तरह मसरख में केन्द्रीय विद्यालय का प्रस्ताव लम्बित है। हमने यहां लालू जी से कहा कि जमीन के अभाव में यह केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुल रही है। सरकार के पास जमीन पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जल्दी करा देंगे लेकिन अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। क्या बिहार शिक्षा में प्रगति नहीं कर पायेगा? केन्द्र सरकार योजना दे रही है लेकिन बिहार सरकार पूरा नहीं कर पा रही है।

सभापति महोदय, महाराजगंज में ग्रिड कारपोरेशन का एक विद्युत प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ है लेकिन पटना विद्युत परिसर ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र पिछले 10 महीने से नहीं आया है। हमने विद्युत मंत्री को पत्र लिखा और फोन से बात की। आपको स्मरण होगा कि बिहार निवास पर एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें बिहार के सभी सांसद गये थे। आप भी उस पर मीटिंग में थे। हमने निवेदन किया तो कहा गया कि एक हफ्ते में एन.ओ.सी. आ जायेगा। आज न जाने कितने हफ्ते बीत गये, हमें याद नहीं। श्री चौबे जी ने विद्युत के बारे में काफी चर्चा की। ग्रिड कारपोरेशन की तरफ से 365 करोड़ रुपये की एक योजना उत्तर बिहार के लिये प्रस्तावित है। इसके लिये बिहार सरकार को एक एग्रीमेंट करना था। एक बैठक में इस बारे में चर्चा की गई थी। हमने विद्युत मंत्री जी आग्रह किया था कि एग्रीमेंट करके आश्वासन दिया जाये। उस मीटिंग में ग्रिड कारपोरेशन के चैयरमैन भी आये हुये थे। आप भी उस बैठक में मौजूद थे लेकिन मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। मंत्री जी ने कहा कि वे पटना में जाकर बात करेंगे लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर हम किस पैकेज की मांग कर रहे हैं? आखिर पैकेज का मतलब नकद पैसा तो नहीं होता है। इसका मतलब तो योजना से होता है। जो योजना पहले से स्वीकृत है और केन्द्र सरकार पैसा देने के लिये तैयार है लेकिन हम लोग लेने तैयार नहीं हैं।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार जो योजना दे रही है, राज्य सरकार को उस का खर्च करना चाहिये। जिस योजना में जमीन देने का सवाल है, राज्य सरकार उस जमीन की व्यवस्था करे। यदि राज्य सरकार पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं होती तो केन्द्र सरकार दूसरी एजेंसी से काम कराये। राज्य का विकास कीजिये, उसे अवरुद्ध करने का अधिकार केन्द्र सरकार को नहीं है। जिस समय बिहार राज्य का बंटवारा हो रहा था, हमने उसका विरोध किया था। हमने गृह मंत्री जी से अकेले में मुलाकात की थी।

उन्होंने कहा था कि बिहार के लिए कुछ करेंगे और विशेष रूप में करेंगे। आप इसका विरोध मत कीजिए। अपना भाषण में उन्होंने आश्वासन दिया था कि प्लानिंग कमीशन में अलग से यूनिट बनाई गई है। दो वर्ष बीत गये, उस यूनिट का क्या हुआ, वहां से क्या रिपोर्ट आई है, अभी तक शून्य। वह यूनिट क्या कर रही है। अगर वह यूनिट कुछ नहीं कर रही है तो हम कहते हैं कि राज्य का बंटवारा करते समय सदन में जो कहा गया था, वह बिहार के साथ धोखा किया गया है। माननीय रघुनाथ झा ने ठीक ही कहा कि बिहार की मिट्टी की बनावट अजीब है। बिहार को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बिहार से जब चिंगारी निकलती है तो ज्वालामुखी बन जाती है। बिहार के लोग आज पीड़ित हैं, परेशान हैं। बिहार आज पूरी ताकत के साथ सरकार को समर्थन दे रहा है। आज बिहार के 40 सांसदों में से 34 सांसद सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के साथ 34 सांसद होने के बाद सरकार ने बिहारवासियों को सदन के माध्यम से जो आश्वासन दिया था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं माननीय जी से आग्रह करना चाहूंगा कि राज्य के बंटवारे का समय जो आश्वासन गृह मंत्री जी ने सदन में दिया था, वह अविलम्ब पूरा किया जाए।

सभापति महोदय, चर्चा चल रही थी कि नीतिश कुमार जी के नेतृत्व में यहां बैठक हुई थी। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अगर चंद्रबाबू नायडू होते तो पैकेज लेकर छोड़ते। यह दुर्भाग्य की बात है कि 34 सदस्यों का मत होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या करें प्रियरंजन जी, हम लोग परेशान हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने आपको दुख देने के लिए नहीं कहा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम उसे दुख नहीं मानते *...(व्यवधान)* सभापति महोदय, हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रियरंजन जी ने कह दिया है तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि बिहार की दुर्दशा में प्रियरंजन जी आप भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप लोग हैं। चूंकि आज जो सरकार राज्य में चल रही है, प्रियरंजन जी, बाहर से पैसे तब जाते हैं जब वहां विधि व्यवस्था सुधरी हुई हो, वहां की विधि व्यवस्था ठीक-ठाक रहती हो। लेकिन आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो थोक के भाव में नरसंहार करवा रहे हैं। कभी हरिजनों का और कभी किसी जाति का वहां नरसंहार होता है। चूंकि आप नरसंहार करवा रहे हैं, इसलिए वहां कोई बाहर का व्यक्ति पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बिहार दिन-प्रतिदिन कंगाल होता जा रहा है। बिहार की दुर्दशा में आप लोग शामिल हैं और सिर्फ आप लोग शामिल ही नहीं हैं, आप अपनी भी दुर्दशा बिहार में करवा रहे हैं तथा जो स्थिति आप पैदा कर रहे हैं, उसके लिए आने वाला समय आपको बतायेगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। दासमुंशी जी ने कहा है, इसलिए हमने उन्हें बताया है कि वह बिहार में अपना खाता बंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप भी सतर्क हो जाइये और जल्दी ही वहां की सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। कोई नया समीकरण बनेगा तो हम लोग देखेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप जिस दिन फैसला लेंगे कि इस सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, उसी दिन शाम को आपके साथ हाथ मिलाकर हम भी समर्थन वापस ले लेंगे। पहले आप फैसला कर लीजिए। आपके साथ अभी यह मेरा कांट्रैक्ट हो चुका है। आप पहले फैसला कीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कंक्लूड कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। आज हम चाहेंगे कि इस सदन से तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हों। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार का जो कर्ज का रुपया पड़ा हुआ है, वह माफ किया जाए। इसके लिए देश में उदाहरण है। राष्ट्रीय जनता दल से राज्य सभा के सदस्य गुजराल साहब जब देश के प्रधान मंत्री बने थे तो उन्होंने पंजाब जो देश का सबसे खुशहाल प्रांत है, उसका जितना पैसा बकाया था, सब माफ कर दिया था। जबकि आज जो स्थिति बिहार की है, वैसी स्थिति पंजाब की नहीं थी। बिहार की स्थिति आज बद से बदतर हो गई है।

रात्रि 8.00 बजे

हम चाहेंगे कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव इस सदन से पारित हो कि बिहार पर जो कर्ज़ है, उसे माफ कर दिया जाए। हम चाहेंगे कि जब राज्य की बदहाली को दूर करना है, उसमें सदन भी सहमत है और यदि सरकार की मानसिक स्थिति यह है कि बिहार की स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए तो बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक उसकी स्थिति सुधरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए दूसरा प्रस्ताव यह भी सर्वसम्मति से पास किया जाए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही जो आर्थिक पैकेज का सवाल है, वह कितने का हो, क्या बिहार सरकार ने प्रारूप उसका भेजा है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन सुना है कि प्लानिंग कमीशन में एक मीटिंग होने वाली है जिसमें बिहार के सभी सांसदों को बुलाया जा रहा है। यदि यह सही है तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कांति जी बैठी हुई हैं, और आप अभी आसन पर हैं, हम चाहेंगे कि हमें भी उस प्रस्ताव की एक कापी दिलवाई जाए ताकि उस बैठक में यदि हम रहे तो राज्य सरकार के प्रस्ताव को देखकर, राज्य सरकार को जितना ज्यादा से ज्यादा आर्थिक पैकेज हो सके, वह दिलाने के लिए हम बात करें। साथ ही एक प्रस्ताव और हम चाहते हैं कि अगर राज्य सरकार पैसे का सही समय से खर्च नहीं करती है तो वैसी स्थिति में दूसरी एजेन्सियों से खर्च कराकर राज्य का विकास किया जाए, यह भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया जाए।

अंत में प्रियरंजन दासमुंशी जी से कहना चाहूंगा कि जिस दिन आप निर्णय करेंगे और बिहार सरकार से समर्थन वापस लेंगे, उसके 20 दिनों के अंदर हम केन्द्र सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे और आपसे दोस्ताना संबंध बनाएंगे। यदि हमारी पार्टी सहमत नहीं हुई तो भी बहुमत में आपके साथ रहेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं लखनऊ की भाषा में कहूंगा कि पहले आप।

सभापति महोदय : बहस की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है। यदि सदन सहमत हो तो सदन का समय बहस खत्म होने तक बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : सभी की सहमति है, अतः सदन का समय बहस की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है।

रात्रि 8.02 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

सभा के कार्य के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ''माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि दलों के नेताओं की आज हुई बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि 14.5.2002 को जम्मू के कालूचक में बस यात्रियों और सेना शिविर पर आतंकवादी हमले के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा मामले के महत्व को देखते हुए शुक्रवार, 17 मई, 2002 को प्रश्न काल के तुरंत बाद सूचीबद्ध गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को छोड़कर की जाए। गृह मंत्री लगभग अपराह्न 5 बजे चर्चा का उत्तर दे सकते हैं।

तदनुसार, कल के लिए निश्चित किया गया गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (विधेयक तथा संकल्प) नहीं लिया जाए।''

मैं आशा करता हूं कि सभा सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

रात्रि 8.03 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा—*जारी*

बिहार के लिए वित्तीय पैकेज

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : सभापति महोदय, नियम 193 के तहत बिहार को स्पेशल पैकेज देने के लिए आप तथा रघुनाथ जी जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। चाहे सत्ता पक्ष वाले हों या विपक्ष में बैठने वाले हों, आज बिहार के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उसे एक बीमारू राज्य कहकर संबोधित किया जाता है। यह बीमारू राज्य की स्थिति जो बिहार की है, वह झारखंड राज्य बनने से पहले नहीं थी, बिहार से जो भाड़ा सामान्यीकरण आदि बात को लेकर जितनी भी विकास की धाराएं बहीं, वह दूसरे राज्यों में बहीं।

सभापति जी, पहले बिहार की यह स्थिति नहीं थी, लेकिन बिहार के विभाजन ने, इस क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए अनेकों मुद्दे खड़े किए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार एक विकसित

[श्रीमती कान्ति सिंह]

राज्य था, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं और आज बिहार आर्थिक विकास की सीढ़ी पर सबसे नीचे आ गया। आज हम ऐसी जगह पर हैं, जहां आर्थिक और सामाजिक ढांचा बिगड़ गया है। इस असंतुलन को ठीक करना नितान्त आवश्यक है। यदि बिहार की और उपेक्षा की गई तो यह देश की अखंडता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देगा।

महोदय, आपने भी सदन में बहुत आंकड़े प्रस्तुत किए कि किस तरह से बिहार की उपेक्षा हुई है। जहां तक बिहार का विकास की दृष्टि से पीछे जाने की बात की जा रही है, माननीय रघुनाथ झा और राधा मोहन जी ने अनेक कारणों का जिक्र करते हुए बताया कि बिहार की बदहाली का क्या कारण है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि बिहार का जब बंटवारा हुआ था, तो इसी सदन के सारे दल के लोगों ने, सत्ता दल के हमारे गृह मंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आश्वासन दिया था कि विशेष पैकेज दिया जाएगा। इसी आश्वासन पर सदन ने बिहार विभाजन के जो मुद्दे आए थे, उस समय सारे लोगों ने एक ही सवाल खड़ा किया कि बिहार सरकार को विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। ऐसा आश्वासन के मिलने के बाद ही बिहार के विभाजन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, लेकिन आश्वासन मिले दो साल बीतने जा रहे हैं, परन्तु आज तक पैकेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है।

माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि आर्थिक पैकेज क्यों दिया जाए। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों से उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आया करती हैं, उनसे कोसी और गंडक क्षेत्र के जरिये पूरे बिहार में तबाही मच जाती है। आपातकालीन स्थिति जैसे गुजरात में हुई, उड़ीसा में हुई, उससे निपटने के लिए आर्थिक पैकेज दिया गया, लेकिन बिहार में बाढ़ आती है, तबाही होती है, तो कुछ नहीं दिया जाता है। ऐसा सौतेला व्यवहार और भेदभाव केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के साथ क्यों किया जाता है?

महोदय, बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है। पिछली बार भी आई, लेकिन केन्द्र सरकार ने बजाय आर्थिक पैकेज देने के चावल दिया और पूरे देश में प्रचार कर दिया कि हमने बिहार सरकार के बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने के लिए लाखों टन चावल दिया है। मैं बताना चाहती हूं कि बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए वह चावल नहीं दिया गया, बल्कि 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत वह दिया गया था। उसकी भी क्वालिटी ऐसी थी कि उस चावल को आदमी तो क्या जानवर भी सूंघने को तैयार नहीं होते थे। फिर बिहार सरकार के ऊपर केन्द्र सरकार ने आरोप लगाया और प्रचार किया कि बिहार सरकार ने चावल नहीं उठाया। आप ही बताइए ऐसे खराब किस्म के चावल को जिसे जानवर भी खाने की बात तो छोड़िए सूंघने के लिए तैयाए नहीं, उसे यहां से उठाकर बिहार ले जाकर क्या किया जाए। मैं पूछना चाहती हूं कि बाढ़ पीड़ितों की तत्काल सहायता के लिए भारत सरकार ने क्या किया? बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने के लिए कुछ नहीं किया गया बल्कि केन्द्र सरकार ने बिहार में हल्ला मचा दिया कि हमने लाखों टन चावल दिया, लेकिन बिहार सरकार ने उसे उठाया नहीं। मैं केन्द्र सरकार पर आरोप लगाना चाहती हूं कि उसने पूरे बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया, यानी बिहार की जनता को ठगने का काम किया। केन्द्र सरकार की ओर से ऐसा दर्शाया गया कि वह तो बिहार की सहायता करना चाहती है, लेकिन बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार तो हर बार सहायता देती है, लेकिन बिहार सरकार केन्द्र सरकार द्वारा सहायता के रूप में दिए गए अनाज को उठाती ही नहीं है। मैं फिर दोहरानी चाहती हूं कि बाढ़ पीड़ितों की तत्काल सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने क्या किया? मैं कहना चाहती हूं कि बिहार हर बार बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए बिहार सरकार इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा समझती है। इसलिए मेरा कहना है कि अंतराष्ट्रीय मामला होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा इसमें पहल की जाये।

जब बाढ़ पर बहस होती है तब बार-बार कहा जाता है कि केन्द्र सरकार नेपाल सरकार के साथ पहल करेगी लेकिन वह किस तरह की पहल कर रही है और कहां तक उसमें कामयाबी हासिल हुई है, उसके बारे में हमें आज तक कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। अगर बाढ़ से मुक्ति दिलाने की बात है तो हमारी बिहार सरकार ने भी इसके लिए बहुत सी परियोजनाएं बताई हैं जैसे कोसी उच्च बांध परियोजना, कमला बांध परियोजना आदि अन्य परियोजनाएं हैं जिनका अगर निर्माण किया जाये तो वहां बाढ़ से निजात पाई जा सकती है। बाढ़ से निजात पाने के साथ-साथ इससे बिजली और सिंचाई के नये स्रोत भी सृजित किये जा सकते हैं इसलिए विशेष पैकेज की बात की जा रही है।

जब से झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ है तब से हम इसके लिए मांग करते आ रहे हैं। बिहार बंटवारा होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा मामला उद्योग का आता है। वहां एकमात्र कृषि उद्योग ही बचा है। कृषि पर आधारित जो भी उद्योग लग सकते हैं, वे वहां पर हैं। हमारे यहां इस बार अप्रत्याशित अनाज पैदा हुआ है। वहां अनाज का उत्पादन इतना ज्यादा हुआ है कि पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि बाहर के राज्यों को भी बैठकर खिलाया जा सकता है। किसानों के उत्पादन का जो मूल्य केन्द्र सरकार ने निर्धारित किया है, उस समर्थन मूल्य पर किसानों को कोई राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। बड़े-बड़े जो भू-माफिया हैं या मिलमालिक

हैं, उन्हें फायदा होता है। केन्द्र सरकार एफ.सी.आई. के माध्यम से धान की खरीददारी की बात करती है।

अभी देवेन्द्र प्रसाद जी ने कहा कि हम लोगों ने बहुत जगह जाकर तहकीकात की है। मैं कहना चाहती हूं कि कितनी मात्रा में वहां धान या चावल की बिक्री हुई है हमारे जो किसान भाई हैं, वे उससे अपना पेट भी नहीं भर सकते। उस स्थिति में उन्हें कोई पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है।

रात्रि 8.12 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

हमारे यहां एक कदावन जलाशय परियोजना है। अगर उस परियोजना को बनाया जायेगा तो मैं समझती हूं कि लाखों हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जा सकती है। लेकिन आज जो स्थिति पूरे देश के किसानों की है, वही हालत बिहार के किसानों की हो गई है। हमारे यहां लघु जल विद्युत परियोजना के लिए पांच करोड़ रुपये मेगावाट से बिजली पैदा की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहां नहरों की स्थिति बहुत अच्छी है जिससे विद्युत जल परियोजना का निर्माण कराया जा सकता है। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से केन्द्र सरकार पहाड़ी इलाकों में विद्युत परियोजनाओं के लिए पैसा दे रही है लेकिन जहां पर आसान तरीके से नहरों के माध्यम से विद्युत जल परियोजना तैयार की जा सकती है, वहां के लिए कोई राशि केन्द्र सरकार नहीं दे रही है। जबकि हमारे यहां की योजना इस तरह से तैयार की गई है जिससे 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन संभव हो सकेगा। लेकिन उसमें केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी।

हमारे यहां अमझोर में पी.पी.सी.एल. है, जहां काफी फास्फेट जमीन के नीचे पड़ा हुआ है। मात्र 90 करोड़ रुपये की लागत से उसका पुनरुद्धार किया जा सकता है। वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नये तरीके से बन चुके हैं लेकिन केन्द्र सरकार कोई पैसा नहीं दे रही हैं। कहा जाता है कि केन्द्र सरकार एक विशेष पैकेज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए दे रही है।

हमारे यहां डालमिया नगर फैक्ट्री है, लोग बिहार की और फैक्ट्रियों के बारे में जानते हों या नहीं लेकिन डालमिया फैक्ट्री के बारे में सब लोग जानते हैं। आज वह भी मृतप्राय: पड़ी हुई है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं लेकिन उसके पुनरुद्धार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पैकेज की जो स्थिति है, इस समय के सभी सदस्यों ने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। वहां गरीबी है, बेरोजगारी हो गई है, कोई उद्योग-धंधे नहीं लग रहे हैं। पहले बहुत सी चीनी मिलें थी लेकिन वे भी रुग्ण हो गई हैं, उनका भी पुनरुद्धार होना चाहिए। बिहार बीमारू प्रदेश है और वैसी हालत में गरीबी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्रीमती कान्ति सिंह : मैं बहुत कम बोलना चाहती थी क्योंकि माननीय रघुवंश जी ने पूरी बात कह दी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी सारी बातें आ गई हैं, इसलिए अब कनक्लूड कीजिए।

श्रीमती कान्ति सिंह : इस सदन के सभी दल के सदस्यों ने भी कहा कि वहां गरीबी है, आबादी के हिसाब से, गरीबी के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कार्य किया जाए, साथ ही विशेष पैकेज देने का कार्य भी किया जाए ताकि वहां पुनरुद्धार हो और वहां के लोगों को गरीबी से छुटकारा मिल सके।

मैं ऋण के बारे में भी कहना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जैसे पंजाब का कर्जा माफ किया था जबकि वहां खुशहाली है, उसी तरह बिहार की स्थिति को देखते हुए वहां का ऋण माफ किया जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि बिहार की दुर्दशा को देखते हुए, बिहार के 8 करोड़, 30 लाख, 55 हजार लोगों के साथ यह सरकार न्याय करेंगी, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपना वक्तव्य पेश करूंगा। वैसे कांग्रेस पार्टी की ओर से, प्रतिपक्ष की नेत्री सोनिया जी की ओर से, रघुवंश बाबू के प्रस्ताव के माध्यम से सदन में जिस विषय पर बहस हो रही है, जिसमें बाकी सदस्यों ने भी भाग लिया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं और इसके साथ अपनी भावना भी जोड़ना चाहते हैं। बिहार हिन्दुस्तान के नक्शे में एक प्रान्त है लेकिन उसे प्रान्त नाम कहना भी उसे छोटा करना होगा। बिहार एक माननिक हिन्दुस्तान है। आजादी की लड़ाई, पुरानी सभ्यता की लड़ाई से लेकर जो वर्णन रघुवंश बाबू ने किया, उनके साथ एक भारतीय होने के नाते मुझे गौरव होता है। बिहार हिन्दुस्तान के नक्शे में एक जगह है जिसने देश की आजादी की लड़ाई को दिशा दी, सभ्यता का पहला दीप जलाया।

जब मैं यूथ कांग्रेस में होता था और बिहार का दौरा करता था तो मुझे आश्चर्य होता था कि पूरे देश के इतने सारे इतिहास की खोज एक बिहार में है लेकिन हम लोगों ने इसका कितना अनादर किया। जब बिहार के लोग बंगाल में काम के लिए जाते हैं, अभी भी हैं, उसके साथ मेरा बहुत नजदीक का रिश्ता है क्योंकि बिहार और बंगाल नाम के लिए दो प्रान्त हैं लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक और आचार-व्यवहार सब एक परिवार जैसा है। उस परिवार की भावना में कभी कोई कमी नहीं रही। आज भी जब गांव से लोग आते हैं और कहते हैं कि सूखा पड़ गया

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

है, बाढ़ आ गई है, तकलीफ हो रही है तो हम लोग उनके दुख को अपना दुख मान कर महसूस करते हैं लेकिन जब सुख देने का प्रयास करते हैं तो कमजोरी के लिए हमें अफसोस भी होता है।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी के सामने तीन सुझाव रखना चाहता हूं। इसमें हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा देर राज किया। हमारे राज में जरूर कुछ कमी रह गई होगी जिसके कारण बिहार में कुछ कष्ट है, हमने जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से बिहार प्रान्त ने कुछ अच्छा किया है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी खास तौर से सदन के अर्थ मंत्री ने झारखंड प्रान्त बनने के समय जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को लेकर मैं पोलीटिक्स नहीं करना चाहता, इतना ही दोहराना चाहता हूं कि बिहार की चीफ मिनिस्टर, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता, बिहार की सारी पोलीटिकल पार्टियों के लीडर्स, सबको आप बुलाएं, पैकेज के बहुत मायने होते हैं।

अभी सब न करके खास तौर से दसवीं योजना में झारखण्ड बनने के बाद बिहार की तरक्की के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से किस-किस प्रियौरिटी सैक्टर में पैसा ज्यादा देना चाहिए, उसके ऊपर निश्चित निर्णय दसवीं योजना लागू होने से पहले होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, सबसे पहले बिहार की दो चीजें थी उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक चीज है, बाढ़ के प्रकोप से बिहार को बचाना और इंडो-नेपाल नदी योजना में चाहे विश्व बैंक का पैसा लाना हो, चाहे बाहर की टैक्नीक लानी हो, कुछ भी लायें, लेकिन बिहार को पहले इस प्रकोप से बचायें। दूसरे बिहार के हर गांव में वार फुटिंग प्रोग्राम बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से लागू हो जाये। उसके लिए अगर बिहार को बाकी प्रान्तों से कुछ ज्यादा पैसा भी देना पड़े तो मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आयेगा तो सदन में हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग उसका सम्र्थन करेंगे।

हमारा तीसरा सुझाव है कि झारंखड तो बन चुका है, यह रियलिटी है, अब उसके ऊपर दोषारोपण न करके बिहार में जो कुछ कमी रह गई है, चाहे इंडस्ट्री के बारे में हो, चाहे सड़क के बारे में हो, चाहे एजुकेशन के बारे में हो, उसके ऊपर सरकार तुरन्त निर्णय ले कि पांच साल के अन्दर, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर क्या हम उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं या नहीं। मेरी बात के लिए मुझे दोष मत दीजिए, लेकिन अगर सरकार की ओर से कुछ काम होता है, उसमें सैण्ट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि उसके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सैण्ट्रल गवर्नमेंट खुद ऐसा काम कर सकती है, जिससे परियोजना के पैसे के द्वारा बिहार की कुछ तरक्की कर सकते हैं। लेकिन देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सैण्ट्रल गर्वनमेंट अपनी मशीनरी से काम कराये, चाहे किसी भी प्रान्त में हो। आपको स्टेट की सहायता लेना जरूरी है, आवश्यक है।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने आपसे दोबारा अनुरोध करूंगा कि इस बहस के खत्म होने के बाद इस बहस से बहस न हो जाये। मानसून सैशन शुरू होने से पहले हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि सरकार की तरफ से इस बहस के ऊपर न्याय करने के लिए सरकार अपनी योजना बिहार के बारे में बताये। मैं योजना पेश करने के समय प्रतिपक्ष पार्टी की ओर से आश्वासन देता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से सरकार को पूरा सहयोग होगा। अगर उसके लिए पांच पैसा बंगाल को कम मिलेगा तो हम लोग हल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रान्त है, प्रभुनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, सब लोग समझते हैं कि ये लोग कास्ट फाइट करते हैं, फलां काम करते हैं, बिहार एक थर्ड क्लास स्टेट है, ऐसी बात जो लोग बाहर करते हैं, वे बिहार को बेइज्जत करते हैं। ऐसी बात नहीं है। बिहार के अन्दर जो सामाजिक शोषण सदियों से हो रहा है, बिहार के अन्दर जो भेदभाव की भावना है, जो बिहार के लड़के बाहर जाते हैं, उनको जिस ढंग से ट्रीट करने की एक रस्म इस देश में बन गई है, उससे बिहार के दिल पर जो घाव लगा है, उस घाव पर मरहम लगाने के लिए पूरे सदन को सोचना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने खेलकूद की दुनिया में देखा, मैंने तकनीक की दुनिया में देखा, मैं जब एक महीने स्टडी करने के लिए अमेरिका गया था तो मैंने देखा, मुझे 21 कम्प्यूटर इंजीनियर और दो साइंटिस्ट मिले थे, उनमें से पांच लड़के बिहार के थे। सारे लड़के मुझसे दुख प्रकट कर रहे थे कि हमारे प्रान्त के बारे में लोग मजाक करते हैं, जबकि हम लोग उसी बिहार के एक गांव से आये हैं। वे नालन्दा के लड़के थे। उनमें से एक नवादा का था। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच चिंगारी बिहार से आती है तो हिन्दुस्तान में ज्वालामुखी होगा। इसका नतीजा 1942 का मूवमेंट है, इसकी मिसाल चम्पारण का मूवमेंट है। इसकी मिसाल मैंने खुद जयप्रकाश नारायण जी के आन्दोलन में देखी, जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसीडेंट था तो मैंने बिहार का दौरा करके इन्दिरा जी को रिपोर्ट दी थी कि इन्दिरा जी, जयप्रकाश जी का हाथ छूने के लिए बिहार के नौजवान तड़प रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखकर आकर रिपोर्ट दी कि नौजवानों में नफरत की भावना वहां की सरकार के खिलाफ, बन्दोबस्तों के खिलाफ इतनी पैदा हो गई है, वे समझते हैं कि हमें जयप्रकाश जी दिशा दे सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि परिवर्तन आ रहा

है। भले ही मेरी बात संजय गांधी को पसन्द नहीं आई, लेकिन मैंने उस दिन यह रिपोर्ट पेश की थी कि यह सिगनल बिहार से आ रहा है। अगर बिहार को उस दिन जयप्रकाश जी दिशा नहीं दिखाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उस कुर्सी पर अटल जी भी नहीं पहुंच सकते थे।

इसलिए बिहार के बारे में पार्टी दृष्टिकोण से हटकर सोचना चाहिए। झारखंड बनने के बाद बिहार को जो चोट पहुंची है, वह भाषण से हम नहीं महसूस कर सकते। जब वहां के गांव के लोग हमारे प्रांत में आते हैं और कहते हैं तो मैं समझता हूं इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आज की बहस के बाद आप भले ही उत्तर न दें, प्रधान मंत्री के द्वारा मानसून सैशन के पहले दिन इस बारे में अंतिम निर्णय आए। उसका हम पूरे तौर पर सहयोग करेंगे।

डॉ. संजय पासवान (नवादा) : सभापति जी, सबसे पहले मैं रघुवंश जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सदन में बिहार पैकेज के बारे में विशेष चर्चा की शुरुआत की। हम लोग कोई राहत या भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि यह बिहार का वाजिब हक है। सरकार की भी नेकनीयती लगती है, इसकी स्पष्ट मिसाल है कि जो योजना आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि बिहार और उत्तर प्रदेश आज भी सर्वाधिक पिछड़े हुए राज्य हैं। यह यथार्थ भी है। योजना आयोग की ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नार्थ बंगाल को सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना गया है। 11वें वित्त आयोग ने भी इस चीज को मार्क किया है कि बिहार और बंगाल बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं नहीं समझता कि हमें ऐसा लगे कि इस चीज को देखते हुए भी केन्द्र का मूड कुछ न देने का हो। इस देश को जो अन्य विकसित प्रदेश हैं। उसके मुख्य मंत्री, वहां की सरकार किस ढंग से यहां लॉबी करके, एक समूह बनाकर, अपने सांसदों को जानकारी से लैस करके केन्द्र के मंत्रालयों में, निगमों में या निकायों में लॉबिंग कर रही है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने इस तरह से काम करने में क्या रुचि दिखाई है, यह भी हमें पता लगना चाहिए। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं लाना चाहता। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कितना प्रयास वहां की सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो होना चहिए। अगर केन्द्र सरकार में भी नेकनीयती का अभाव है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बिहार लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत उन्नत है। हमारे यहां उत्तरी बिहार में नदियां हैं, जिनमें साल भर पानी रहता है। इसके विपरीत दक्षिण बिहार में नदियों में तीन-चार महीने ही पानी रहता है। इसलिए जहां जल का अभाव है और जहां जल काफी है, उससे भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जहां जल ज्यादा है वहां बाढ़ की समस्या हर साल आती है और जहां जल का अभाव है, वहां सूखे की समस्या से वहां के लोगों को जूझना पड़ता है। इसलिए हम कैसे जल प्रबंधन करें, इस पर विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में अगर ढंग से नीति बनाने की आवश्यकता है।

अब सारा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आने वाला है। वहां के लोग इससे प्रभावित होंगे, उसका क्या निदान है, इस पर ध्यान दिया जाए। यहां सभी सदस्यों ने राय व्यक्त की है कि उसका उपाय होना चाहिए। चाहे नेपाल से बातचीत करके हो, चाहे योजना आयोग के द्वारा हो, उसका निदान होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो मध्य बिहार है, वहां 18 सिंचाई परियोजनाएं चालू थीं, लेकिन अब वे बंद हैं। उनको कैसे चालू किया जाए, यह देखने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि उत्तर बिहार में जल का प्रभाव ज्यादा है, उसको कैसे कम किया जाए और जहां जल का अभाव है, वहां कैसे जल को लाया जाए, जिससे खेतों की सिंचाई हो सके, इस चीज पर ध्यान देना चाहिए।

आज बिहार का सौभाग्य है कि सदन बिहार के बारे में चर्चा कर रहा है। आज ही आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि आई.ए.एस. की परीक्षा में जिस लड़के ने टॉप किया है, वह बिहार का ही है। पिछले दस वर्षों में बिहार से चार विद्यार्थियों ने टॉप किया है। इसके बावजूद कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वहां माहौल नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। इसलिए मैं योजना आयोग को और 11वें वित्त आयोग को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गरीब राज्यों के हित में जो निर्णय किए हैं, वे आगे भी जारी रहेंगे और किसी विकसित राज्य के दबान में न आकर जो ड्यू गरीब राज्यों का है, वह मिलता रहेगा।

इसके साथ-साथ हम कहना चाहते हैं कि जो न्यूनतम मिलना चाहिए, वह अब मिल रहा है और उसे अगर पैकेज मान लें तो वह अच्छी बात नहीं है। यह पैकेज विशेष तौर से रुटीन ढंग से मिलता है। उसके अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि सरकार ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए, प्लानिंग कमीशन ने एक विशेष सैल खोला है। यह सैल ठीक ढंग से काम करे तो बिहार का कल्याण निश्चित रूप से होगा।

अब गंगा नदी जो यू.पी. में है, उस पर 14 पुल बने हुए हैं और बिहार में तीन बने हैं जबकि बिहार में नदी की लम्बाई यू.पी. से अधिक है। इसलिए गंगा नदी के पुलों की संख्या बढ़नी चाहिए। मुंगेर का पुल जो काफी सालों से लम्बित है, उसका काम

[डा. संजय पासवान]

शुरू होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम चाहते है कि उस पर काम शुरू होना चाहिए। दुनिया भर में ऑरगेनिक फॉर्मिंग के बारे में चर्चा हो रही है। ऑरगेनिक फॉर्मिंग के लिए बिहार की जमीन सबसे अधिक उपयुक्त मानी गयी है। यदि विशेष प्रयास किये जायें तो दुनिया भर में जो ऑरगेनिक फॉर्मिंग की बात हो रही है, बिना खाद के, बिना पैस्टीसाइड के, उसके लिए भी बिहार की जमीन सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। साथ-साथ उत्तर बिहार में एचएफसी है और दक्षिण बिहार में पीपीसीएल है, ये दोनों बीमार पड़ी हुई हैं। इस पर चर्चा हो चुकी है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है लेकिन हम विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि एचएफसी जिसका प्लांट बरौनी में है और पीपीसीएल जो रोहतास जिले में है, इन दोनों का रिवाइवल और विकास किया जाये। सरकार को इस पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। साथ-साथ जो राशि जाती हैं, उसका कैसे अनुश्रवण हो, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि ज्वाइंट कमेटी बने जिसमें सभी दलों के सांसद शामिल हों तब जाकर हम राज्य का कल्याण और विकास करने में सफल हो पाएंगे। हम चाहते हैं कि राज्य का विजन भी क्लिअर होना चाहिए और सरकार की इंटेंशन भी साफ होनी चाहिए तथा विकास करने में सरकार को आगे आना चाहिए। बिहार को जो पैकेज दिया जा रहा है, वह जायज है। 1995 में भारत सरकार ने सबसे पिछड़े जिले 100 जिले चिन्हित किये थे। संयोग से उसमें 39 जिले बिहार के थे। प्लानिंग कमीशन में पता नहीं किस कारण से यह पेंडिंग पड़ी हुई है। जो सौ सबसे अधिक पिछड़े जिलों की बात की गई है, उनमें 39 जिले बिहार के हैं, हम चाहते हैं कि उनको शामिल करके बिहार का विकास किया जाए।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, आज बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला और आर्थिक पैकेज मिला। इस बात पर माननीय श्री रघुवंश बाबू ने बहस प्रारम्भ की और इस पर चर्चा हो रही है और चारों तरफ के सांसद एकमत हैं कि कम से कम इस बात पर बिहार को विशेष पैकेज मिले। मैं यह कहना चाहता हूं कि पचास वर्ष में हमने आज़ादी की स्वर्ण जयन्ती मना ली है। संसद की शुरुआत की भी स्वर्ण जयन्ती मना ली है और इस समय जो चर्चा हो रही है, कतिपय माननीय सांसदों ने एक तरह से अपने भाषण में राज्य के कार्यों पर या केन्द्र सरकार के द्वारा की गई बिहार की उपेक्षा पर एक-दूसरे पर आरोप थोपने का प्रयत्न किया है। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर बिहार की उपेक्षा हुई है।

लेकिन यह समय राजनीति करने का नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, इस सदन के सभी दलों के सदस्य पिछले 50 सालों में राज्य और केन्द्र में कभी-न-कभी सत्ता में रहे हैं, इसलिए सभी के द्वारा उपेक्षा हुई है। 40 सालों से वहां कांग्रेस की सरकार रही है, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी अभी अपने विचार सदन में रख कर गए हैं और अन्य दलों के सदस्य जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, वे कभी-न-कभी सत्ता में रहे हैं और सभी के द्वारा उपेक्षा की गई है और उसी उपेक्षा के कारण बिहार की यह हालत है।

महोदय, बिहार के लिए विशेष पैकेज की चर्चा है और कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। राज्य के बंटवारे के समय प्रस्ताव आया था कि 180 हजार करोड़ रुपए बिहार को दिए जायेंगे। इस सदन में भी चर्चा हुई और उस सदन में भी गृह मंत्री जी से कहा कि हम इसको देखेंगे। इसके लिए योजना आयोग में विशेष सैल बनाया गया और योजना आयोग द्वारा मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार कराई गई और उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया कि बिहार को विशेष दर्जा देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर पिछड़ापन है और बुनियादी ढांचा भी नहीं है। सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है तथा शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है। अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है और विद्युत की भी कमी है। जब युनाइटेड फ्रन्ट की सरकार थी, उस समय आप भी मंत्री थे, तब एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे के अनुसार 100 जिलों को रेखांकित किया गया था, बिहार और झारखण्ड को मिलाकर, कि 39 जिले ऐसे हैं, जो सर्वाधिक पिछड़े हैं। इनमें से 36-37 जिले ऐसे हैं, जो बिहार के हैं, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है। ग्यारहवें वित्त आयोग की मंशा है और सरकार की मंशा है तथा सभी सदस्य एक राय के हैं कि बिहार को विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा 23 हजार करोड़ रुपए ऋण को माफ करने की बात सभी माननीय सदस्यों ने कही है। बिहार को पिछले 50 सालों में अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दिया गया है, इसलिए अब खड़ा करने की जरूरत है और मैं इसका समर्थन करता हूं। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार इस विषय पर जल्दी निर्णय लेगी और आज सदन में मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे, जैसा कि प्रियरंजन दासमुंशी जी ने कहा है कि मानसून सत्र से पहले, 180 हजार करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव है, उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि जो संसद सदस्यों का कोर-ग्रुप बना था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सर्वदलीय राय से लम्बित योजनाओं के बारे में, चाहे सीता-सर्किट का सवाल हो, जिसमें रामायण के शब्द जुड़े हैं, गांधी सर्किट के सवाल पर, बुद्धिष्ट सर्किट के सवाल पर, इन सर्किटों के विकास के अलावा रेल परियोजनायें जो लम्बित पड़ी हैं, नेशनल हाईवे की जो योजनायें लम्बित पड़ी हैं, गंगा नदी पर पुल बनाने का सवाल हो या अन्य

जगहों पर बड़े पुल बनाने का सवाल हो, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

नेपाल से आयातित पानी की वजह से हर साल राज्य में बाढ़ आ जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, जब मंत्री जी उत्तर दें, तो बतायें कि बागमती, अदवाड़ा, कमला बलान, बेतिया, कोसी नदी पर डैम बनाने के सवाल पर नेपाल से आश्वासन पाते हैं और सरकार द्वारा कहा गया कि वार्ता चल रही है। बाद में पता लगा कि सचिव स्तर की समिति बनाई गई है और उसमें बिहार सरकार के जल संसाधन सचिव भी सदस्य हैं। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है। आप पैकेज की राशि की घोषणा न करें, लेकिन आप नेपाल से हर साल की बाढ़ से निदान की घोषणा करें और समयबद्ध कार्यक्रम बतायें। यदि आप नेपाल की बाढ़ से निदान नहीं कर सकते हैं, तो हर साल जो इस बाढ़ से क्षति होती है, उस क्षति की भरपाई की घोषणा करें। इस बाढ़ से जितनी क्षति होगी, जितनी सड़कों और रेल लाइनों का नुकसान होगा, उतनी राशि आप हर साल राज्य सरकार को देंगे। मैं, सरकार से कहना चहता हूं कि नेपाल से आयातित बाढ़ के सवाल पर एकमुश्त फैसला लेने की जरूरत है।

इसके ठीक विपरीत, यहां एक मौजूद विषय है। कई वक्ताओं ने राज्य सरकारों के बारे में चर्चा की है, इसे छुए बिना भी मैं नहीं रह सकता। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने कई नई योजनाएं देने का काम किया है। जैसे एनएच के क्षेत्र में पिछले दिनों एक हजार से अधिक किलोमीटर भारत सरकार ने एनएच बढ़ाने का काम किया है। रेल लाईन भी नई स्वीकृत की गई है, पहले हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन उसे अंजाम देने की जरूरत है। *...(व्यवधान)*

महोदय, सभी माननीय सदस्य बहुत देर तक बोले हैं। हमारा भी हक है, हम भी मेहनत करके नोटिस देते हैं। इस प्रकार से सदन में नहीं चलना चाहिए कि कोई माननीय सदस्य सर्वाधिक समय ले, हम भी मेहनत करके नोटिस देते हैं और जब हमारा नाम आता है तो हमें इस प्रकार से बार-बार टोका जाता है। यह उचित नहीं है। इसे भी मैं यहां रेखांकित करना चाहता हूं। मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। यहां जिस प्रकार से राज्यों के बारे में चर्चा चल रही है। इस बार 750 करोड़ रुपए लेप्स हो गए हैं। ग्रामीण विकास में पैसे खर्च नहीं हुए। एनएच में भारत सरकार की पिछले वित्तीय वर्ष की योजना मद में और गैर योजना मद में 105 करोड़ रुपए की राशि थी, उसमें से मात्र 50 करोड़ रुपए खर्च हुए और 55 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। हमने जब खंडूरी जी से चर्चा की तो उन्होंने मुझे एक परिपत्र दिखाया कि भारत सरकार में यह नियम है कि इस वर्ष जितनी राशि खर्च होगी, अगले वर्ष उसकी सवा गुणा ही दी जाएगी 50 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च हुए और 55 करोड़ रह गए, इसलिए 50 करोड़ के सवा गुणा ही दिए जाएंगे, यानी साढ़े छः -सात करोड़ या दस करोड़ और दिए जाएंगे। पिछले साल का जो 50-55 करोड़ बाकी हैं, वे भी इस साल की राशि में जोड़ दिए जाएंगे। सड़कें और एनएच बना दिए गए, लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है।

महोदय, प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया था कि भारत सरकार सीधे-सीधे एनएच का काम कराए, लेकिन उन्होंने आधी बात कही। उस समय हाई कोर्ट के निर्देश को केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को प्रचालित किया था लेकिन 18 राज्यों ने विरोध किया कि यह राज्यों का विषय है, इसलिए वहां काम नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की भी चर्चा हुई है। दो-ढाई हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास में या अन्य जगहों में पैसे खर्च नहीं हो पाते हैं। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि आप पैकेज दें, विशेष दर्जा दें, ऋण की माफी कर दें, सर्किट बना दें, बाढ़ का निदान करा दें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि काम समय पर हो और सही स्थान पर हो। धान, गेहूं और चावल के लिए सही प्रबंध करें ताकि यह बिचौलिए के पास न चला जाए। इसके लिए आप एक सैल बनाएं, जिसकी भारत सरकार के स्तर पर मोनिटरिंग हो। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिल कर इस काम को करें। उसमें माननीय विधायक और सांसद भी शामिल हों, तभी इसका फायदा होगा। मुझे आशा है कि जो पैकेज दिया जाएगा और विकास के लिए जो योजना ली जाएगी, उसकी मोनिटरिंग की भी सही व्यवस्था हो। रघुवंश बाबू को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने चर्चा प्रारम्भ की और उनसे अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार बिहार सरकार के कार्यक्रम के बारे में कभी-कभी बोलते हैं, उसी प्रकार से पैसा भी खर्च हो जाए। केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश की तरह सुनिश्चित रोजगार जैसी योजनाओं में भी चार किश्त हम ले पाए, दो किश्त में बिहार केवल रह गया और वह भी खर्च न हो - इसे दुरुस्त करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। हम सभी बिहार के सांसद उन्हें सहयोग करेंगे।

महोदय, मैं एक बार फिर भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए और पैकेज की घोषणा हो। बिहार राज्य को आर्थिक पैकेज मिले और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वहां परिस्थिति काफी खराब है। उनका 23,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जाए और उसकी मोनिटरिंग के लिए

[श्री नवल किशोर राय]

भारत सरकार सीधे-सीधे सांसदों और विधायकों को साथ लेकर, एक सैल बना कर मोनिटरिंग करें ताकि सब काम समय पर ठीक से हो सके। ऐसा न हो जैसे हमारे यहां बागमती योजना बनी। ...*(व्यवधान)* 32 करोड़ रुपए की योजना थी। उसमें 50 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन योजना पूरी नहीं हुई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समय-सीमा में मोनिटरिंग सेल का गठन करके भारत सरकार सांसदों को विश्वास में लेकर उन योजनाओं को पूरा करने का काम करें।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू और माननीय रघुनाथ झा जी की तरफ से बिहार को वित्तीय पैकेज देने के संबंध में चर्चा हो रही है। माननीय रघुवंश बाबू ने इस चर्चा को शुरू किया है। मैं अपनी ओर से अपनी पार्टी की ओर से इसका समर्थन करता हूं। जब कुछ माननीय सांसदों ने व्यवधान डाला तो माननीय रघुवंश बाबू ने अपने भाषण में एक बात कही कि बिहार और हम दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे और विचलित नहीं होने वाले हैं। मेरा कहना यह है कि बिहार जिस रास्ते पर चल रहा है उसके कारण हम द्वितीय स्थान से सबसे नीचे चले गये हैं और कितना नीचे आयेंगे। इसलिए उस रास्ते को बदलने की जरूरत है क्योंकि उस रास्ते पर चलने से हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अगर माननीय रघुवंश बाबू ने यह सिर्फ अपने भाषण के सिलसिले में कही है कि हमारा भाषण उसी तरह से चलता रहेगा तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है। ...*(व्यवधान)* हमारे माननीय सांसदों ने जिन बातों की चर्चा यहां की है मैं उन बातों को यहां नहीं दोहराऊंगा। बिहार के सांसदों की तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक पैकेज तैयार किया गया और उसमें सभी लोगों से सुझाव मांगे गये थे। वह पैकेज माननीय प्रधान मंत्री जी को दिया गया था, इस बात को सभी जानते हैं। इस तरह से ये दो पैकेज बिहार के बारे में हैं। उन पर चर्चा भी यहां हुई है। बिहार सरकार का पैकेज एक लाख अस्सी हजार रुपये का है और माननीय नीतीश कुमार जी का जो पैकेज है उसमें योजनाओं के नाम हैं। जिन योजनाओं की चर्चा दोनों पैकेज में है उनमें से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पहले से स्वीकृत हैं और लम्बित योजनाएं हैं और उनके लिए पैसे की मांग है। इसलिए उनको पैकेज नहीं कहा जा सकता।

सभापति जी, मेरा कहना यह है कि बिहार को पैकेज नयी योजनाओं का मिलना चाहिए और उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे बिहार समृद्ध हो जाए। बिहार के बारे में जो पहली बात होती है वह बिहार के दर्द की बात बहुत होती है कि बिहार की हालत अलग होने से पहले क्या थी और अब क्या है—यह हम देख ही रहे हैं। पहला बिंदु जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि क्या बचे हुए बिहार में खनिज सम्पदा है या नहीं है? मैं कहता हूं कि खनिज सम्पदा वहां है और उस खनिज सम्पदा का पता लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए - यह भी पैकेज में होना चाहिए भागलपुर, बांका, जमूई, मुंगेर और लखीसराय की पहाड़ियों में अपार खनिज सम्पदा छिपी हुई है और उसकी पुष्टि भी हुई है।

आज से पांच महीने पहले मैं राम विलास जी से मिला था जब वह खान मंत्री थे लेकिन अब वह इस्तीफा देकर चले गए हैं। मैंने रवि शंकर प्रसाद जी को भी लिखा था कि वह इसका सर्वे करा लें। झारखंड के अलग होने का हम बहुत रोना रोते हैं और कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। इसका सर्वे आफ इंडिया से सर्वे कराया, ऐसी अखबारों में बातें आ रही हैं। सिर्फ मुंगेर में खड़कपुर में सौ मीटर नीचे क्वार्टड पाया गया जो सीसा बनाने के काम आता है। इसकी भारत में ही नहीं दुनिया के बाजारों में मांग और जरूरत है। इसके होने से बिहार समृद्ध हो सकता है और देश इंटरनेशनल मार्किट में इस सामान को ले जा सकता है। इसे करना है या नहीं करना है, पैकेज में यह बात होनी चाहिए। जमुई जिले में करमटिया में स्वर्ण भंडार है। इस बारे में बिहार सरकार ने बहुत पहले एक प्रपोजल दिया था। जब इसकी जांच की गई तो उसकी ऊपरी सतह पर 1.7 खनिज में सोना पाया गया था। दुनिया में जितनी भी सोने की खानें हैं, वहां पांच सौ से लेकर एक हजार मीटर नीचे के खनिज को लिया जाता है और पहले उसे टैस्ट किया जाता है कि इसमें कितना खनिज है, तब समझा जाता है कि वह लाभकारी है या नहीं? बिहार सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं जबकि केन्द्र सरकार के पास साधन हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ने पाया कि वहां स्वर्ण भंडार हैं। कहा जाता है कि खनिज में 2.5 सोना पाया जाता है तो वह लाभकारी होता है। करमटिया में 5 से 7 परसैंट से अधिक सोना पाया जाएगा, पैकेज में यह बात होनी चाहिए। इसका न सिर्फ सर्वे और उत्खनन हो बल्कि वहां धन लगा कर काम होना चाहिए। हिन्दुस्तान में जहां-जहां स्वर्ण भंडार हैं वे बंद हो रहे हैं। मैं यहां तक कह सकता हूं कि दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा लाभकारी खान अगर कहीं हो सकती है तो करमटिया में हो सकती है। इस तरह से वहां के 4-5 जिलों में खनिज सम्पदा की अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार को यह अपने हाथ में लेना चाहिए। इससे न केवल बिहार समृद्ध होगा बल्कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

एक बात की चर्चा रघुनाथ झा जी ने की, मैं उसमें थोड़ी बात जोड़ना चाहता हूं जो उत्तर बिहार के संबंध में है। भारत सरकार को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर नेपाल सरकार के साथ बहुउद्देशीय योजना बनाने की बात उठानी चाहिए और इस संबंध में राजनीति

से ऊपर उठ कर नेपाल से बात करनी चाहिए। इससे हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि उत्तरी बिहार में प्रतिवर्ष पानी बह जाता है और वह पूरे बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बरबाद कर देता है। इस पानी से प्रति वर्ष 40 हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इस पर लगभग एक लाख 60 हजार करोड़ रुपया लग सकता है। यह काम बिहार सरकार नहीं कर सकती है लेकिन भारत सरकार की तरफ की एक नीति बननी चाहिए जिससे नेपाल सरकार के साथ इस संबंध में बात की जा सके। उनसे बांध बनाने के बारे में बात की जा सकती है। इससे ग्रामीण स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर बच सकता है, सिंचाई का काम हो सकता है और बिजली का काम भी हो सकता है। यह एक बहुउद्देशीय योजना बन सकती है।

जब हम पंजाब और हरियाणा की बातें करते हैं तो वस्तु स्थिति भूल जाते हैं। इनका भी बंटवारा हुआ था। हम केवल यह बात करते हैं कि हरियाणा और पंजाब में उपजाऊ जमीन है लेकिन पंजाब में पहले इतनी उपजाऊ जमीन नहीं थी। बंटवारे के नाम पर हम रोना रोते हैं। मैं पिछले दिनों भटिंडा गया था। भटिंडा बालू पर बसा है लेकिन आज वह भी सम्पन्न है। भारत सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हरित क्रांति की वजह से पंजाब और हरियाणा में खुशहाली आई। वहां बिहार से भी बहुत अच्छी जमीन है और खुशहाली है, जबकि वहां मिनरल्स नहीं थे। हमारे यहां मिनरल्स सब से ज्यादा हैं और जमीन भी ज्यादा है, फिर क्यों ऐसा हुआ? क्या हमारे यहां की कोई योजना उसमें नहीं जा सकती। फिर उस पर पक्ष और विपक्ष की बात हो जायेगी। सब कुछ होना चाहिये, ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि गंगा नहर योजना फेज़-2 में केन्द्र सरकार अब तक 48 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है लेकिन उसमें से एक बूंद भी पानी हमें नहीं मिला है। इसके लिये कौन दोषी है,- हम या यह केन्द्र सरकार? मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन क्या यह सच नहीं कि बिहार सरकार को पैकेज मिला है? *...(व्यवधान)* नालंदा और बाढ़ में विद्युत परियोजना के लिये जितना पैसा दिया गया, उसमें कितना खर्च किया गया *...(व्यवधान)* अभी 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने संबंधित मंत्रियों को बुलाया था। उस मीटिंग में हम लोग भी गये थे। उन्होंने कहा कि मुंगेर की परियोजनाओं के लिये भारत सरकार ने 921 करोड़ रुपया दिया है। यदि भारत सरकार इस तरह सहायता कर रही है तो सब को मानना पड़ेगा कि भारत सरकार ने यह काम किया है। सरकार को गाली देने से कुछ नहीं होगा। यदि आज बिहार फटेहाल स्थिति में है, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं, अगर बिहार बर्बादी के कगार पर है, इसके लिये केन्द्र सरकार दोषी नहीं, हम सब दोषी हैं, क्योंकि हमने किस तरह की कार्य संस्कृति बिहार में विकसित की है। उसे बदलने के लिये हम कुछ करते हैं या नहीं। यदि बिहार को पैकेज मिल गया तो सारे का सारा पैकेज उसमें नष्ट हो जायेगा।

सभापति महोदय, गृह मंत्री जी यहां नहीं बैठे हैं लेकिन गृह मंत्रालय को सोचना चाहिये कि जब बिहार सरकार की कार्य संस्कृति नष्ट हो चुकी है, उसे सही रास्ते पर कैसे लाया जाये, किस तरह से वहां की योजनाओं को समय पर पूरा किया जाये जिससे बिहार की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार की सारी समस्याओं पर विचार करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बिहार सरकार द्वारा जो तीन मांगें रखी गई हैं, वे न्यायोचित हैं। केन्द्र सरकार का जितना ऋण बिहार सरकार पर बाकी है, उसे माफ किया जाये। यह मांग बेवजह नहीं की जा रही कि बिहार सरकार नहीं दे सकती। उसके पास देने के लिये कुछ भी नहीं है। बिहार के लिये विशेष पैकेज मिलना चाहिये। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये क्योंकि भारत सरकार के पास ही जोर है कि किस तरह से बिहार को हिन्दुस्तान के नक्शे पर लाया जा सकता है जो वर्षों से गायब रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे डा. रघुवंश प्रसाद सिंद द्वारा नियम 193 के अधीन बिहार को स्पेशल पैकेज देने, ऋण माफी और बहुत सारी विद्युत तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिये आर्थिक पैकेज देने की मांग संबंधित विषय पर बोलने का समय दिया।

सभापति महोदय, अभी हमारे कई विद्वान साथियों ने बताया कि बिहार गरीबी में सब राज्यों से नीचे है, विकास में नीचे हैं और शिक्षा में भी नीचे है। खनिज सम्पदा झारखंड में चली गई। जितने उद्योग धंधे हैं, वे मृतप्राय हो गये हैं। यह बहस का विषय नहीं, यह केन्द्र सरकार से मांगने का विषय है।

रात्रि 9.00 बजे

माननीय ब्रह्मानंद जी ने खनिज सम्पदा और सर्वे की बात कही, वह सही है लेकिन सर्वे कौन करायेगा। सर्वे केन्द्र सरकार कराती है। इतना ही नहीं, हमारे यहां एक रोहतास जिला है, जिसमें फास्फेट लगभग सौ बिलियन मूल्य के आसपास है जो वर्षों तक चलेगा और केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उससे फास्फेट प्राप्त होता है। उससे बहुत अच्छी खाद बनती है। बिहार में केन्द्र चालित एक ही परियोजना थी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप रिपीट मत करिये, किसी नये बिन्दु पर बोलिये।

श्री राम प्रसाद सिंह : मैं रिपीट नहीं करूंगा। उस परियोजना को कौन चालू करेगा। हमने फाइनेन्स मिनिस्टर से बात की। हमने प्रधान मंत्री जी से मिलकर अपना रोना रोया। आपको शंका रहती है कि बिहार सरकार पैसा खर्च नहीं करती है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि आप आंकड़े मंगाकर देख लीजिए। जब भी हमें पैसा दिया जाता है वह फरवरी और मार्च के अंत में दिया जाता है, जब वर्षांत होता है और कोई योजना बनाकर हम उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी केन्द्र सरकार का पैसा गया है, वह वर्ष के अंत में ही गया है। आप बिना कारण के सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में, चाहे कांग्रेस का शासन हो, 1967 में बी.जे.पी. के लोग भी सरकार में सम्मिलित थे, क्या आप सब लोग दोषी नहीं है। आज दल बदलकर हम चाहे कांग्रेस से भागकर चले जाएं, लेकिन सबके माथे पर उसका दोष है। दस वर्षों से वहां लालू जी की सरकार बनी है। हमने बिहार में विकास दर को बढ़ाया था, हमने लोगों में अवेयरनैस जगाई थी, जब लोग आर्थिक मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हुए तो हमें तरह-तरह के केसिज में फंसा दिया गया, हमें तबाह किया गया। हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार को शंका की दृष्टि से न देखा जाए। हमें समय पर पैसा दिया जाए। यदि हम खर्च न करें तो हम पर पाबंदी लगा दी जाए।

रघुवंश बाबू ने यहां जो मांग की है, उनके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि बिहार में सिंचाई की व्यवस्था ठीक की जाए। कितने मेगावाट बिजली के लिए आपने पैसा खर्चा किया था, लेकिन केवल दो यूनिटें ही चालू की गई। पतरातू जैसी बिजली परियोजना आज हमारे पास नहीं है। हमारे पास अब मात्र 1600 मेगावाट उत्पादन का काम होता है, जो भारत सरकार का काम है। हमें पूरा पैसा कहां दिया गया। हमारी शुगर मिलें बंद हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मंजय लाल। राम प्रसाद जी, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, मैंने मंजय लाल जी को बुलाया है।

श्री राम प्रसाद सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार को शंका की दृष्टि से न देखा जाए और हमें समय पर पैकेज दिया जाए। 608 करोड़ रुपया पंचायतों का बकाया है, जो दिया जाए तथा बिहार में सिंचाई और हॉर्टीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। ...*(व्यवधान)* आप बीच में क्यों इंटरवीन कर रहे हैं। हम अपनी बात जरूर कहेंगे। सभापति जी मैं आपका आदर करता हूं। रघुवंश बाबू ने जो मांगें सदन में उठाई हैं, सारे सदन ने एक स्वर से उसका समर्थन किया है। सदन इसे बहुमत से पास करे। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप बिहार को बचाइये, उसकी रक्षा कीजिए। उसकी गरीबी दूर कीजिए, बिहार को स्पेशल पैकेज प्रदान कीजिए और उसे आपदाग्रस्त राज्य घोषित कीजिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सांसद रघुवंश प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नियम 193 के तहत इस चर्चा को आरम्भ किया, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय प्रति व्यक्ति आमदनी की दर में बिहार का स्थान सातवां था और 54 वर्ष की आजादी के बाद हमारा स्थान सबसे नीचे हो गया। जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त हम लोगों ने यह नहीं सोचा था कि 54 वर्ष की आजादी के बाद हमारे बिहार की ऐसी परिस्थिति हो जायेगी।

आज हम एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं। राज्य सरकार कहती है कि केन्द्रीय सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है और केन्द्रीय सरकार कहती है कि राज्य सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि आज बिहार में जाइए तो खेतों में सिंचाई नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है और नौजवानों की कमाई नहीं है, बिजली नहीं है। सड़कों पर चलिये तो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है पता नहीं चलता। हम एक दूसरे पर छींटाकशी करेंगे तो स्थिति नहीं सुधरेगी। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि विशेष पैकेज की बात गृह मंत्री जी ने कही थी, वह पैकेज बिहार को देना चाहिए अगर बिहार का विकास करना चाहते हैं और विशेष दर्जा देकर जैसे दूसरे राज्यों का विकास किया जाता है, वैसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार हमेशा परिवर्तन के चिराग लेकर आगे बढ़ता रहा है और अगर ऐसा हुआ तो वह राज्य और केन्द्र के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं और कि मांग करता हूं कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

21.06 बजे

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : सभापति महोदय, बहुत ही कम शब्दों में मैं अपनी बात रखूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है। सदन में बिहार की चर्चा जो सदस्य लाए हैं मैं उन सबको

धन्यवाद देती हूं लेकिन आज गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का बिहार याचना के लिए खड़ा है, इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है :

"मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहां था
मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था।"

सभापति महोदय, बिहार को 10-12 वर्षों से जिस तरह से लूटा गया है, खसोटा गया है, घोटाले के माध्यम से, अपहरण के माध्यम से, बलात्कार के माध्यम से ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आर्थिक पैकेज पर बोलिये।

श्रीमती रेनु कुमारी : समय नहीं है इसलिए मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रेनु कुमारी जी की बात के अलावा किसी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती रेनु कुमारी : महोदय, जिस दिन बिहार का बंटवारा हुआ, मैंने सरकार के पक्ष में वोट दिया था लेकिन मेरी आत्मा रो रही थी क्योंकि बिहार बंटने के बाद वहां उद्योग-धंधे खत्म हो गए, शिक्षा खत्म हो गई है और सब जानते हैं कि बिहार में ये समस्याएं हैं। बिजली की समस्या है, कृषि व्यवस्था ठप्प हो रही है, कानून व्यवस्था तो ठप्प है ही। मैं उसी संदर्भ में बताना चाहती हूं कि मेरे ऊपर भी तीन बार हमले हुए, पार्टी के नेताओं ने इसी सदन में मामला उठाया लेकिन बिहार में हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। केन्द्र सरकार ने भी हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की।

सभापति महोदय : आप विषय पर बोलिये।

श्रीमती रेनु कुमारी : मैं यह सब इसलिए कहना चाहती हूं कि बिहार में हमारी सरकार नहीं है। मैं पैकेज पर ही बोलूंगी। ...*(व्यवधान)* आप सीनियर मेम्बर होकर क्या बात करते हैं। गजब की बात करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राम प्रसाद जी आप बैठिये। बिना अनुमति के आप नहीं बोल सकते। आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती रेनु कुमारी : बिहार के सांसदों ने जो पैकेज की बात की है, मैं मंत्री महोदया से आग्रह करूंगी कि उसे एक बार पलटकर देखें कि उसमें किन-किन चीजों की मांग की गई है। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, बिजली की समस्या हो या उद्योग धंधे हो, मेरे पूर्व वक्ता जो बोल चुके हैं, मैं उनसे अपने आपको संबद्ध करना चाहती हूं और एक बात कहना चाहती हूं कि अन्य प्रदेशों के मुख्य मंत्री यहां आकर प्रधान मंत्री जी से मिलते हैं, कृषि मंत्री और रेल मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मिलते हैं लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया का पैर दिल्ली में नहीं उतरता है। ...*(व्यवधान)* एक बात और कहना चाहूंगी कि हम लोगों के सामने क्या समस्याएं आती हैं। मैं चाहती हूं कि बिहार को पैकेज मिले। मैंने दसवें वित्त कमीशन पर हुई बहस के दौरान कहा था कि पैसा सरकार खर्च नहीं करती है तो उसको पैसा क्या मिलेगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि बिहार की हालत को देखकर उसे पैकेज मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, पैकेज चाहे किसी रूप में मिले, चाहे योजना के रूप में मिले या पैसे के रूप में, विशेष पैकेज केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि संविधान के अनुसार जो नियम है कि प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र सरकार से धन तभी दिया जाएगा जब प्रदेश सरकार उसके लिए प्रस्ताव प्रेषित करे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं बताना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार के मंत्रियों के पास जब भी मैं किसी मांग को लेकर गई, चाहे वह रोड की हो या रेल की या किसी अन्य विकास कार्य की, हमेशा मुझे केन्द्रीय मंत्रियों ने यही कहा कि आप प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव भिजवाइए। अब जैसा कि केन्द्र सरकार को मालूम ही है कि बिहार में ऐसी निकम्मी सरकार है कि उसका कोई मंत्री किसी भी प्रकार का प्रस्ताव भेजने को ही तैयार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं भी बिहार की ही हूं। इसलिए मेरी इस बात पर किसी को नाराज नहीं होना चाहिए बल्कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि हर कार्य के लिए केन्द्र द्वारा यह कहना कि प्रदेश सरकार से प्रस्ताव भिजवाइए, ठीक नहीं है। मेरी निवेदन है कि शर्त को समाप्त किया जाना चाहिए, तभी देश और देश के पिछड़े प्रदेश तरक्की कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज प्रधान मंत्री जी, केन्द्र सरकार और यहां उपस्थित मंत्री महोदया से मांग करती हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से निश्चित रूप से बिहार सरकार को पैकेज दिया जाए लेकिन इसके साथ एक शर्त और जोड़ दी जाए कि प्रदेश सरकार निश्चित समय-सीमा में विकास कार्य कर उसके

[श्रीमती रेनु कुमारी]

यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केन्द्र सरकार को भेजे। यदि प्रदेश सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं हो, तो भारत सरकार अपनी एजेंसी प्रदेश में भेजकर वहां विकास कार्य करेगी। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार, जो बिहार के सांसद हैं, उनकी एक कमेटी बनाए जो वहां हो रहे विकास कार्यों की मानिटरिंग करे और नियमानुसार हर महीने, हर तीन महीने और छह महीने बाद विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट केन्द्र सरकार मंगवाए। चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): महोदय, गत साढ़े पांच घंटे के दौरान सभा ने एक अत्यधिक अनुकरणीय चर्चा देखी है। मुझे बताया गया था कि यह अल्प अवधि की चर्चा है किन्तु यह लगभग 5 से 6 घंटे के वाद-विवाद में बदल गयी। महोदय, पूरी चर्चा के दौरान मैंने बिहार राज्य के लिए सभी लोगों में गंभीर चिन्ता देखी और वह दलगत भावना से ऊपर है। मुझे सदस्यों को आज बिहार को अस्थिर बनाने वाली विभिन्न समस्याओं और संभावनाओं के विषय में कीमती जानकारी और सुझाव देने के लिए धन्यवाद देना है। अन्त में, मैं उन सभी सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और ऐसा लगता है कि सभी ने इस वाद-विवाद में भाग लेने का प्रयास किया।

महोदय, मैं विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से अधिकांश का शीघ्रता से पूरा उत्तर देने तक अपने को सीमित रखूंगी। प्रस्तावों को दो विषयों में बांट लेते हैं। सरकार केवल बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के विषय में भी जहां विकास की समस्या हैं उसके विषय में अत्यंत चिन्तित है। किन्तु विशेषत: बिहार के लिए, विशेष तौर पर बनाया गया प्रकोष्ठ है जिसे योजना आयोग में एक साथ रखा गया है जिससे बिहार सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके। बिहार सरकार ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं और हमने संबद्ध मंत्रालयों को इस अनुरोध के साथ भेज दिया है कि उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसाकि यहां सभी समझते हैं और जानते हैं कि एक तरीका है जिससे सभी मुद्दों को देखा जाता है। बिहार में कुछ प्रस्ताव तैयार होंगे। उन्हें संबद्ध मंत्रालयों को भेजा जाएगा और तब आयोग बिहार राज्य से पुन: संपर्क करेगा जहां हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। प्रगति को निश्चित रूप से देखा जाता है और अनुस्मारक भेजे गए हैं। हमें हाल में कुछ सफलताएं मिली हैं जिसे मैं शीघ्र गिनाना चाहूंगी।

यहां सभी सदस्यों ने बाढ़ की समस्या और नेपाल के साथ समस्या के विषय में बोला है। हमने उस देश में बांध बनाने के मुद्दे पर बहुत बल दिया है जिससे कि बिहार में बाढ़ की समस्या कुछ कम हो सके। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में कुछ कार्यवाही की गयी है। जहां तक बाढ़ नियंत्रण का संबंध है वर्ष 2001 में एक बहुउद्देश्यीय परियोजना को सप्तकोशी उच्च बांध और 'सुन कोशी स्टोरेज-कम-डाइवर्जन स्कीम' की जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। इसी प्रकार, राज्य में 156 करोड़ रु. से अधिक की लागत पर वर्ष 2002-2003 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की योजना बनायी गयी है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के 197 किलोमीटर मार्ग की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28, 31 और 57 के 517 किलोमीटर मार्ग की चार लेन वाला बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है।

रेल लाइनों, नई रेल लाइनों का आमान परिवर्तन और रेल पटरियों के दोहरीकरण की परियोजनाओं के प्रति चिन्ताएं हैं। इन्हें राज्य में शुरू किया गया है। श्री नीतीश कुमार स्वयं बिहार राज्य के हैं और उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है। आज की तिथि के अनुसार, बिहार में कुल 3300 करोड़ रु. की परियोजनाएं चल रही हैं।

विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा अब स्वीकृति दी गयी है। आज यहां उपस्थित कई माननीय सदस्यों ने विद्युत की कमी और नई परियोजनाएं लगाने के महत्व के विषय में बोला है। योजना आयोग द्वारा 2 × 250 मेगावाट के मुजफ्फरपुर ताप विद्युत स्टेशन चरण-दो के लिए स्वीकृति दे दी गयी है और राज्य अब यह परियोजना शुरू कर सकता है। केन्द्रीय क्षेत्र में 1320 मेगावाट के कहलगांव चरण-दो को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से स्वीकृति मिल गई है और इस मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार एक मेगा परियोजना के रूप में मंत्रिमंडल द्वारा बाढ़ को स्वीकृति दी गयी है। एनटीपीसी ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट सौंप दी है। यह परियोजना अब विभिन्न स्वीकृतियों को इकट्ठा कर क्रियान्वित की जा सकती है।

संचार मंत्रालय ने दिसम्बर 2002 तक बिहार राज्य के सभी गांवों को पूर्णत: संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनायी

थी। मैंने माननीय मंत्री जी से बात की और उन्होंने कहा कि वे इस समय-सीमा के भीतर काम करने में सफल होंगे। इसी प्रकार, नौवीं योजना के दौरान बिहार के लिए 912 करोड़ रु. से थोड़ा अधिक के केन्द्रीय वित्तीय संघटक से 44 पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं और बोध गया के संरक्षण और पर्यटन पर केन्द्रित एक विकास योजना तैयार हो रही है। 10.3 करोड़ रु. की लागत से हाल ही में पटना विमानपत्तन का उन्नयन किया गया है और 18.5 करोड़ रु. की लागत के गया विमानपत्तन को विकसित करने का कार्य चल रहा है। इसे मार्च 2002 तक पूरा हो जाना चाहिए था। इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है लेकिन यह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार, 11 करोड़ रु. की लागत से पटना में एक कार्गो क्षेत्र को स्वीकृति दी गयी है।

कई सदस्यों ने बिहार राज्य द्वारा खाद्यान्न की खरीद के विषय में चिन्ता जताई है। मैंने भी संबद्ध मंत्री से जानकारी ली। जहां तक हमारा प्रश्न है, राज्य में खरीद को मंत्रालय द्वारा बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2001-02 में गेहूं और चावल दोनों की खरीद गत वर्ष की तुलना में अधिक है। इसी प्रकार, गेहूं की रबी खरीद अभी भी जारी है। गत दो वर्षों के लिए बिहार में 150 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गयी है। योजना आयोग ने मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से बिहार के लिए राज्य विकास रिपोर्ट तैयार की है जिसका मैंने आपसे उल्लेख किया था। योजना आयोग बिहार के लिए कई विशेष नई परियोजनाओं पर भी विचार कर रहा है। योजना आयोग और कृषि मंत्रालय ने राज्य में एक बहुत बड़े कार्यक्रम जिसे कम गहरे नलकूप कहते हैं, को क्रियान्वित करने की पहल की है और एक लाख से अधिक इस प्रकार के सिंचाई के साधन और पंप सेटों के लिए पहले ही राजसहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

हाल ही में कुछ समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं और 15 मई, 2002 को उपाध्यक्ष द्वारा उच्चस्तरीय बैठक में इन पर चर्चा हुई थी। ग्यारहवें वित्त आयोग के आवंटन में राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता काफी बढ़ी है। 1.2.2001 से अर्थोपाय सीमा बढ़ा दी गयी है और इसी प्रकार लगातार ओवरड्राफ्ट, जिसके कारण भुगतान रुक सकती है, की अवधि को भी कुछ दिन बढ़ा दिया गया है। अविभाजित बिहार के लिए 169 करोड़ रु. की मौलिक प्रतिव्यक्ति सामान्य केन्द्रीय सहायता को भी बढ़ा कर विभाजित बिहार के लिए 194 करोड़ रु. कर दिया गया है।

मुझे इस प्रबुद्धतापूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने के लिए सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना है। उनमें से लगभग सभी ने कहा है कि हमें दलगत भावना से ऊपर उठना होगा और हमें यह देखना है कि ये परियोजनाएं बिहार में क्रियान्वित हों। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि केन्द्र द्वारा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत बिहार को आवंटित धनराशि में से एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त पड़ा है। मैं शीघ्रता से उनका उल्लेख करती हूं।

आज धनराशि का उपयोग मात्र 60.75 प्रतिशत के बीच है और पूरे देश में यह 90 प्रतिशत के लगभग है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए यह 93-95 प्रतिशत के बीच है और कुछ बार यह शत प्रतिशत से अधिक तक भी होता है। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने अपने स्वीकृत योजना परिव्यय को पार किया है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्ष 1998-99 के रिपोर्ट में दिखाया गया है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 706.77 करोड़ रु. के कुल प्रावधान की तुलना में व्यय 260 करोड़ रु. था और लगभग 446 करोड़ रु. बचत के तौर पर रहे।

इसी प्रकार, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राज्य समतुल्य अनुदान देने में समर्थ नहीं हो सके या वर्ष के शुरू में बड़ी आरम्भिक शेष राशि जिसके कारण धनराशि जारी होने में कमी आयी, उसके कारण राज्य सरकार ने एक बड़ी राशि गवां दी। अत: हमें गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र से धनराशि जारी करने में समस्याएं रही हैं। यह एसजीएसवाई, जेजेएसवाई, जेआरवाई, ईएएस, आईएवाई, डीपीएपी, आईआरडीपी, पीएमजीवाई और पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं और इस क्षेत्र में अन्य योजनाओं के लिए भी सच है। केवल अकेले सिंचाई क्षेत्र में ही, गत पांच वर्ष के दौरान लगभग 400 करोड़ रु. कम प्रयोग किए गए।

वर्ष 2001-2002 में राज्य के लिए स्वीकृत योजना का आकार 2644 करोड़ रुपये था। इसके बाद राज्य सरकार ने योजना का आकार संशोधित करके 1665 करोड़ रुपये कर दिया। अत: अब केवल 1484 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इससे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि बिहार जहां पूरे देश में प्रति व्यक्ति योजना व्यय निम्नतम है, अपने प्राप्य आवंटन का प्रयोग करने में भी असफल रहा है।

योजना आयोग बिहार राज्य से बिहार राज्य को झारखण्ड से अलग होने से हुई राजस्व हानि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करता रहा है और अभी भी कर रहा है। हमारा कहना है कि यदि आप सूचना उपलब्ध कराएं तो हम उस पर कार्य करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन बिहार राज्य द्वारा स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों का व्यापक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है और अभी तक योजना आयोग को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अत: हम इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर सके हैं।

[श्रीमती वसुंधरा राजे]

बिहार के शासन और कानून एवं व्यवस्था के संबंध में, हम किसी भी प्रकार के निवेश या उद्योग लगाने के बारे में बात कर रहे थे। यह कार्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव एवं राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बाहर के लोगों को राज्य में आने हेतु प्रोत्साहित करने लायक न होने पर संभव नहीं होगा। जब तक इस स्थिति को ठीक नहीं किया जाता है, तब तक हमें राज्य में किसी प्रकार का निवेश करने में बहुत परेशानी होगी। यहां मैं महसूस करता हूं कि हमें उपलब्ध निधियों जो कि अन्य राज्य भी प्राप्त करते हैं, उदाहरणार्थ, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए नाबार्ड का 'रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फंड', जीवन बीमा निगम, 'हुडको', ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, विद्युत वित्त निगम के साथ ही अन्य बहुपक्षीय सहायता, का पूरा उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।

हमें इन सभी बातों की जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा कुछ बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। यदि हम ऐसा कर सके तो मेरा मानना है हम बहुत अधिक निधियां प्राप्त कर सकेंगे। हमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। यदि एक बार हम उन निधियों को प्राप्त कर लेंगे तो हमें जो करना है वह अत्यन्त आसानी से समझ में आ जाएगा।

संक्षेप में, मूलत: राज्य सरकार प्राप्त सहायता का उपयोग करने में एकदम असफल रही है। केन्द्र सरकार या वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त धन के प्रावधान का मामला धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी पर भी निर्भर करता है। अत: यह महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी समान अनुदान दिया जाता है और कभी-कभी प्राप्त निधियों का उपयोग एक निश्चित समय के भीतर करना होता है। आपको लेखांकन एवं लेखापरीक्षा पूरा करना होता है और निगरानी करने वाली कोई उपयुक्त एजेन्सी भी तो जो यह देखें कि निधियों का समुचित उपयोग हो रहा है और सारा कार्य ठीक दिशा में चल रहा है। जहां तक हमारा संबंध है, केन्द्र सरकार और योजना आयोग बिहार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम बिहार के विकास एवं प्रगति के रास्ते में आने वाली सारी समस्याएं दूर करेंगे।

विकास केवल निधियों से ही नहीं होता है। यह बेहतर प्रबंधन एवं संस्थाओं के उपयुक्त कार्यकरण पर भी निर्भर करता है। शासन के मामले पर स्वयं राज्य को ध्यान देना चाहिए। हम सहयोग कर सकते हैं लेकिन एजेन्सियों को स्वयं आगे आना होगा। विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए निधियों के आवंटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में योजना एवं विकास का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। बिहार राज्य को अपनी वितरण प्रणाली एवं निगरानी और मूलत: अपनी परियोजना तैयार करने की दक्षता में सुधार लाने हेतु प्रबंधन मूल्यांकन में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास जारी रखने चाहिए।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह देखने के लिए कि निधियों के आवंटन की विशेष निगरानी की जा रही है, बाहर की एजेन्सियों को लगाने का अत्यन्त मूल्यवान सुझाव दिया है। अनेक सदस्यों ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं और 'गाडगिल फार्मूला' को निर्धारित करने के संबंध में भी बातचीत हुई। जहां तक इसका संबंध है यह 'फार्मूला' पुराना है। इसका मूल अभिप्राय राज्यों के बीच और केन्द्र एवं राज्यों के बीच समानता सुनिश्चित करना है। मेरा मानना है कि बिहार की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु हमें कुछ मापदण्डों का पालन करना होगा और उन मापदण्डों के अंतर्गत कार्य करना होगा।

इस संबंध में केन्द्र सरकार को अपने विवेक का बहुत कम प्रयोग करने का अधिकार है। इसलिए, मैं कहूंगी कि विकास न होने की जिम्मेदारी केवल अकेले केन्द्र पर नहीं डाली जा सकती। यहां संघीय ढांचा है। इस संघीय ढांचे में हमें एक साथ कार्य करना होगा। राज्य को अपनी जिम्मेदारियां लेनी होगी। केन्द्र विशेष परिस्थितियों में जिम्मेदारी वहन करेगा। यहां एक बात सामान्य तौर पर उठाई गई है कि बंटवारा के बाद अधिकांश आवंटन झारखण्ड राज्य को मिला है जिससे बिहार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। राज्य सरकार के अद्यतन उपलब्ध प्राक्कलन और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुसार स्वयं राजस्व उत्पादन के कार्यकरण के साथ ही चालू राजस्व का कुल शेष (बीसीआर) मूलत: अनुमान के मुकाबले बेहतर रहा है। गैर-योजना राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए बहुत हद तक जिसकी वजह से बीसीआर में सुधार हुआ है। इससे स्पष्ट है कि थोड़े से प्रयास से बिहार इतना बेहतर कार्य कर सकता है तो मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार एवं अन्य उधार देने वाली संस्थाओं का थोड़ा सहयोग मिले और राज्य योजना आवंटन का पूरा उपयोग करने में सक्षम हो तो वह आसानी से प्रगति कर सकता है।

यह राज्य अत्यन्त विशाल है। इसे अत्यन्त सुसंचालित राज्य समझा जाता था। यहां के लोग सक्षम एवं अत्यन्त परिश्रमी हैं। यहां की भूमि उपजाऊ है एवं जल संसाधनों की प्रचुरता है। इस प्रकार की स्थिति के मद्देनजर मेरा सोचना है कि कृषि, बागवानी एवं मात्स्यिकी के क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। हमें किसानों की मूल आवश्यकताओं यथा गुणवत्ता वाले बीज, प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण आदि का पूरा उपयोग करने में पूरा सक्षम होने की आवश्यकता है। यह कार्य उपलब्ध निधियों से पूरा किया जा सकता है।

मेरा मानना है कि अब अंत में हमारे सामने स्थिति अत्यन्त स्पष्ट हो गई है। जहां तक केन्द्र का संबंध है, योजना आयोग कुछ बैठकें करेगा जिनमें बिहार के विकास पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। मैं यहां उपस्थित सभी सदस्यों के विचारों को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समक्ष रखूंगी। सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे बिहार के सुधार के रास्ते में आ रही समस्याओं के संबंध में योजना आयोग से बात करें। हमने यहां पंचायती राज निधियों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बारे में बात की है। वित्त मंत्रालय का निर्वाचन है कि निधियां केवल उन राज्यों को दी जाएं जहां चुनाव कराए गए हैं। इसलिए, चुनाव कराते ही निधियां जारी कर दी गईं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि चुनावों के बाद उसने न केवल निधियां जारी की हैं बल्कि थोड़ी और सहायता भी दी है। मेरा मानना है कि बिहार कठिन दौर से गुजर रहा है इसलिए हमारे लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाए एक साथ मिलकर कार्य करना अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा। यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा कि हममें से प्रत्येक इस बात से अवगत हो कि राज्य के भाग्य को बदलने के लिए हमें एक साथ सहानुभूतिपूर्वक कार्य करना होगा। मेरा मानना है कि अलग-अलग उद्देश्यों के लिए कार्य करना, एक दूसरे के विरुद्ध बातें करना, संसद में बैठना एवं इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने का समय नहीं है। यह मतभेदों को भुलाने और वास्तव में, इसे सुधार की दृष्टि से देखने का समय है। मेरा मानना है कि प्रत्येक सदस्य डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री रघुनाथ झा, श्रीमती रेनु कुमारी जो कि यहां अत्यन्त उत्तेजित थीं, श्री ब्रह्मानंद मंडल और श्री नवल किशोर राय ने राज्य के प्रति अपनी तीव्र व्यथा व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि ऐसा प्रेस या राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से नहीं किया गया। मेरी समझ में यह उनके हृदय की वेदना है। कोई भी राज्य के प्रति भावना के बगैर छह घंटे तक नहीं बैठ सकता। मैं लोगों के दुख और दर्द को समझ रही हूं और मैं इसे उपयुक्त क्षेत्रों तक पहुंचा दूंगी। मेरा मानना है कि एक साथ कार्य करके हम बिहार की कठिनाइयों को बहुत सीमा तक दूर कर सकेंगे।

मैं आप सभी को अपना समय देने के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं विशेषकर डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने कोई बात कहे बगैर नहीं छोड़ी। उन्होंने तीसरी बार सभा के ध्यान में यह मुद्दा लाया है। बिहार के प्रत्येक दल ने इस मुद्दा पर बोला है। मैं इस महत्वपूर्ण बहस में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूं। मुझे यह भी कहना चाहिए कि इस मुद्दे से संबंधित मंत्रालय मेरे पास होने से गत तीन सत्रों के दौरान मुझे पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हुआ। लगभग 12 घंटे तक हमने इस मुद्दे पर बहस की। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। मेरा मानना है कि हम इस समस्या को हल करने के लिए बैठेंगे। मैं चाहती हूं कि सभी सदस्य इसमें सहयोग करें। मैं इस मुद्दे पर समय देने एवं प्रयास करने के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे, एक का भी ठोस आश्वासन नहीं मिला। सरकार का उत्तर घोर असंतोषजनक है। इसीलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

रात्रि 9.30 बजे

(तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री प्रभुनाथ सिंह: सारी बहस के बाद तीन बातें सामने आई हैं। एक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, दूसरा आर्थिक पैकेज देना और तीसरा वहां किसी दूसरी एजेंसी से काम कराना। आपने दूसरी एजेंसी से काम कराने की बात पर जो कुछ कहा है, लेकिन बाकी दो पर कुछ नहीं कहा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय: यह परिपाटी नहीं है।

[अनुवाद]

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.31 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 17 मई, 2002/27 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।